हिन्दी
35

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड–35

डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में

बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891 परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 35

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड : 35

डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में

पहला संस्करण : 2019 (जून)
दूसरा संस्करण : 2020 (अगस्त)

ISBN : 978-93-5109-143-1

आवरण परिकल्पना : डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : **978-93-5109-129-5**

रियायत के अनुसार सामान्य (पेपरबैक) 1 सेट (खंड 1–40) का मूल्य : रू 1073/-
रियायत नीति (Discount Policy) संलग्न है,

प्रकाशकः
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार
15 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट :http://drambedkarwritings.gov.in
Email-Id :cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा.लि., W-30 ओखला, फेज–2, नई दिल्ली–110020

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार

एवं

अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री आर. सुब्रह्मण्यम

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

सुश्री उपमा श्रीवास्तव

अतिरिक्त सचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

निदेशक

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. बृजेश कुमार

संयोजक, सी.डब्ल्यू.बी.ए.

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सकंलन (अंग्रेजी)

श्री वसंत मून

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
तथा
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ. अम्बेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद्, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक है। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है।

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन–सूत्र है। भारतीय समाज के साथ–साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन–संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर का चिंतन–मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्त्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित डॉ. अम्बेडकर के स्वप्न का समाज–"सबका साथ सबका विकास" की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्न्ता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, "बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : संपूर्ण वांग्मय" के अन्य अप्रकाशित खण्ड 22 से 40 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन–मानस की मांग को देखते हुए मुद्रत किया जा रहा है।

विद्वान, पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत कराएंगे तो हिंदी में अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

(डॉ. थावरचंद गेहलोत)

बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाङ्मय (Complete CWBA Vols.) का विमोचन

हिंदी और अंग्रेजी में CWBA / सम्पूर्ण वाङ्मय, (Complete Volumes) बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संग्रहित कार्यों के संपूर्ण खण्ड, डॉ. थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। साथ ही डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी के खंड 22 से खंड 40 तक 2019 में पहली बार प्रकाशित हुए है।

उपमा श्रीवास्तव, आई.ए.एस.
अपर सचिव
UPMA SRIVASTAVA, IAS
Additional Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383077 Fax : 011-23383956
E-mail : as-sje@nic.in

प्राक्कथन

भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यंत समाज के आख़िरी पायदान पर संघर्षरत् व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य–गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन–मनन किया।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

उपमा श्रीवास्तव

(उपमा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, एवं
सदस्य सचिव

प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रखर व्यक्तित्व, ज्ञान के प्रतीक और भारत के सुपुत्र थे। वह एक सार्वजनिक बौद्धिक, सामाजिक क्रांतिकारी और एक विशाल क्षमता संपन्न विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ–साथ अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपने लेखन और भाषणों के माध्य से प्रभावित किया जो बौद्धिक विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त एवं आंदोलित किया। उनके लेखन में वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रकट न्याय और मुक्ति की गहरी भावना है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि समन्वय और 'सामाजिक समरसता' पर उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते रहे। उम्मीद है कि ये खंड उनके विचारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान समय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के पुनःपाठ की संभावनाओं को उपस्थित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत के साथ–साथ विदेशों में भी जनता के बीच बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश के प्रचार–प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। यह बहुत ख़ुशी की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठान के शासी निकाय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप, तथा पाठकों की लोकप्रिय माँग पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी में संपूर्ण वांग्मय (Complete CWBA Volumes) का दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रित कर रहा है।

मैं संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी सहयोगियों, एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में अपनी सहायक, कुमारी रेनू और लेखापाल, श्री नन्दू शॉ के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में सुझाव से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई–मेल आई.डी. **cwbadaf17@gmail.com** पर अवगत कराएं ताकि, अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हमेशा पाठकों को रियायती कीमत पर खंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता रहा है, तदनुसार आगामी संस्करण का भी रियायत नीति (Discount Policy) के साथ बिक्री जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक खंड के साथ प्रतिष्ठान की छूट नीति को संलग्न कर दिया गया है। आशा है कि ये खंड पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,

15, जनपथ,
नई दिल्ली

महाड में ऐतिहासिक चावदार टैंक

यह सम्मेलन समता के ध्वज को फहराने के लिए आयोजित किया गया है और इस प्रकार इसकी तुलना 1789 में फ्रांस की नेशनल असेम्बली से की जा सकती है।

—डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

विषय सूची

परिशिष्ट

रियायत नीति (Discount Policy)

खंड–1

महाड सत्याग्रह

महाड में ऐतिहासिक चावदार टैंक

यह सम्मेलन समता के ध्वज को फहराने के लिए आयोजित किया गया है और इस प्रकार इसकी तुलना 1789 में फ्रांस की नेशनल असेम्बली से की जा सकती है।

—डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

महाड सत्याग्रह[1] – पानी के लिए नहीं बल्कि मानवाधिकारों की स्थापना के लिए

अब आसमान में आत्म–सम्मान का सूर्य निकल आया है और दमन के बादल छंटने लगे हैं। दलित वर्गों ने हिम्मत दिखानी शुरू कर दी है। अब हम डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आते हैं। वह घटना महाड की ओर कूच करने के बारे में थी। इसकी उत्पत्ति बंबई (अब मुंबई) विधान परिषद के उस महत्वपूर्ण संकल्प में है जिसे एस.के. बोले ने प्रस्तुत किया था और बंबई सरकार ने स्वीकृत किया था। बोले संकल्प, जिसे 1923 में पारित किया गया और जिसकी थोड़े–से परिवर्तन के साथ 1926 में पुनः पुष्टि की गई, के अनुसरण में महाड नगरपालिका ने चावदार टैंक को अछूतों के लिए खोल दिया था। तथापि नगरपालिका का संकल्प एक संकेत मात्र रह गया क्योंकि अछूतों ने सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया।

अतः, कोलाबा जिला के दलित वर्गों ने तय किया कि महाड में 19 और 20 मार्च, 1927 को एक सम्मेलन किया जाए। सम्मेलन के नेताओं ने डॉ. अम्बेडकर को सम्मेलन की तिथि की सूचना पूर्व महीने के प्रथम सप्ताह में दे दी थी। सम्मेलन की व्यवस्था सुरेन्द्रनाथ टिपणिस, सूबेदार सावरकर और अनंतराव चित्रे द्वारा सावधानी से की गई। पिछले दो महीनों से कार्यकर्त्ताओं और नेताओं ने पास–पड़ोस के सभी स्थानों की पैदल यात्रा की और दलित वर्गों को सम्मेलन के महत्व के प्रति जगाया। इसके परिणामस्वरूप, चारों ओर से पन्द्रह वर्ष के बच्चों से लेकर सत्तर वर्ष के वृद्धों ने अपने कंधों पर रोटी के टुकड़ों वाली पोटलियां लटकाए सौ मील से भी अधिक की दूरी पैदल पार की और महाड पहुंचे। महाराष्ट्र और गुजरात के लगभग सभी जिलों कें दलित वर्गो के लगभग दस हजार प्रतिनिधि, कार्यकर्त्ता और नेता सम्मेलन में उपस्थित हुए।

सम्मेलन को सफल बनाने हेतु प्रत्येक सावधानी बरती गई, प्रत्येक सुविधा जुटाई गई और सभी उपाय किए गए। सवर्ण हिन्दुओं से चालीस रुपए का पानी खरीदा गया ताकि सम्मेलन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, क्योंकि सम्मेलन स्थल पर दलितों के लिए पानी उपलब्ध नहीं था।

---

1. आत्म बल से अन्याय का प्रतिरोध करना।

डॉ. अम्बेडकर, अर्द्ध–नग्न, व्याकुल और उत्सुक स्त्री–पुरूषों अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने उसे सरल, छोटे और ओजस्वी वाक्यों से आरंभ किया। अपनी आवाज में एक अनोखी उत्तेजना के साथ उन्होंने दापोली, जहाँ उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाई थी, की स्थितियों का वर्णन किया और कहा कि वे उस स्थान की ओर आकर्षित हुए थे जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था तथा उसके आसपास के रमणीय प्राकृतिक दृश्य से ऐसे स्थान के लिए उसका प्यार और भी बढ़ गया था। उन्होंने अपने बचपन के दिन याद किए और कहा ""एक समय ऐसा था जब हम, जिनकी अछूतों के रूप में निंदा की जाती है, उच्च वर्गों से भिन्न अन्य समुदायों की तुलना में शिक्षा में बहुत उन्नत थे, बहुत आगे थे। उस समय देश का यह भाग हमारे लोगों के कार्य और प्रभाव से स्पन्दित हो रहा था।"

तत्पश्चात, उन्होंने अपने लोगों को बड़ी उत्सुकतापूर्वक एक संदेश दिया जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र की पहाड़ियों, घाटियों और गांवों में सुनाई दी। यह घोषित करते हुए कि विसैन्यीकरण उनके पतन के कारणों में से एक कारण था, उन्होंने कहा "सेना ने हमें अपने जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने तथा सेना अधिकारियों के रूप में अपनी योग्यता, प्रज्ञा–साहस और कुशाग्रता सिद्ध करने के अद्वितीय अवसर प्रदान किए। उन दिनों अछूत भी सैनिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक हो सकते थे और सैनिक शिविरों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बहुत कारगर और हितकारी थी।" "उन्होंने आगे कहा," "अंग्रेजों की ओर से उन अछूतों के लिए सेना के दरवाजे बंद करना, जिन्होंने भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में उस समय उनकी मदद की जिस समय उनकी इंग्लैंड की सरकार नेपोलियन युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों की जकड़ में थी, विश्वासघात और धोखे से कम नहीं था।"

इसके बाद उन्होंने प्रेरक स्वर में कहा, "जब तक हम शुद्धिकरण की तिहरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते, तब तक स्थायी उन्नति नहीं की जा सकती। हमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, अपने उच्चारणों को फिर से ठीक करना चाहिए और अपने विचारों को पुनः दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। अतः, मैं अब आपसे यह चाहता हूं कि आप प्रतिज्ञा करें कि आप इस क्षण से सड़ा–गला मांस खाना छोड़ देंगे। समय आ गया है हम अपने मन से ऊंच–नीच के विचार त्याग दें। अब फेंके हुए टुकड़ों को न खाने का संकल्प करें। हमारी आत्म–उन्नति केवल तभी होगी जब हम स्वावलम्बन सीख जाएंगे, अपना आत्म–ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आत्म–सम्मान पुनः प्राप्त कर लेंगे''। उन्होंने अपने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे सेना, नौसेना और पुलिस में उनके प्रवेश पर लगे सरकारी प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन करें तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने और शिक्षा पाने का महत्व बताया।

महारों के प्रश्न पर उन्होंने यह कहकर उनके आत्म–सम्मान की चिकोटी काटी कि रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने मानवाधिकार को बेचना नितांत अपमानजनक है और उनसे भावुक होकर अनुरोध किया कि वे अपमानजनक, दासतापूर्ण परम्पराओं को छोड़ दें, अपने वतनों को त्याग दें और कृषि संबंधित कार्यों के लिए वन भूमि का पता लगाएं। अंत में उन्होंने हृदयस्पर्शी आवाज में कहा "यदि माता–पिता अपने बच्चों को अपने से अच्छी स्थिति में देखना नहीं चाहेंगे, तो माता–पिता और जानवरों में कोई अंतर नहीं होगा।"

सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों पर संकल्प पारित किए गए। एक संकल्प के द्वारा सम्मेलन ने सवर्ण हिन्दुओं से अनुरोध किया कि वे अछूतों को अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करें, उन्हें नौकरियों में लगाएं, अछूत छात्रों को खाना दें, और अपने मृत जानवरों को स्वयं दफनाएं। अंत में सरकार से अनुरोध किया कि वह अछूतों को विषेश कानूनों के द्वारा सड़ा–गला मांस खाने से रोकें, मद्य–निषेध लागू करके उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें, दलित वर्गों के छात्रावासों को सहायता दें और स्थानीय निकायों को ""बोले संकल्प"" को जीवंत वास्तविकता बनाने हेतु आदेश दें, और यदि आवश्यक हो, तो इसे लागू करने के लिए उनके स्थानों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाने की घोषणा करें।

पहले दिन, कुछ सवर्ण हिन्दू प्रवक्ताओं ने, जिनमें स्थानीय और बाहरी दोनों लोग शामिल थे, दलित वर्गों के अधिकारों को न्यायसंगत ठहराते हुए भाषण दिए और उनको सहायता का आश्वासन दिया। विषय समिति ने, जिसकी बैठक उस रात हुई थी, सम्मेलन में उपस्थित उच्च वर्गों के नेताओं की राय जानकर, यह निर्णय लिया कि सम्मेलन को एक निकाय के रूप में चौदार टैंक पर जाना चाहिए तथा दलित वर्गों के पानी लेने के अधिकार को स्थापित करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। अगली सुबह सम्मेलन ने दो सवर्ण हिन्दू प्रवक्ताओं से अनुरोध किया कि वे सवर्ण हिन्दुओं के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों संबंधी संकल्प का समर्थन करें। उन दोनों ने अंतर्जातीय विवाह संबंधी खंड को छोड़कर संकल्प का समर्थन किया।

महाद नगरपालिका, जिसने वर्ष 1924 में दलित वर्गों के लिए अपने टैंक खोल देने की घोषणा कर दी थी, के प्रस्ताव के अनुसरण में अब टैंक से पानी लेने और अछूतों के अधिकार को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तद्नसुार, प्रतिनिधियों ने टैंक से पानी लेने के अपने अधिकार का दावा करने हेतु चौदार टैंक के लिए एक समूह में शांतिपूर्वक मार्च शुरू किया। अब एक महत्वपूर्ण घटना, जिसका विस्तार बड़ा और परिणाम दूरगामी थे, घट रही थी। वह दासता–विरोधी जाति–विरोधी और

पुरोहित–विरोधी थी। डॉ. अम्बेडकर, जो कि अछूत हिन्दुओं की जागृत आत्मा का प्रतिनिधित्व करते थे, उस टैंक की ओर जा रहे थे जिससे तथाकथित स्पृश्य हिन्दूओं के साथ–साथ मुसलमान और ईसाई पानी लेते थे, परंतु जिससे अछूत हिन्दुओं को, जो कि हिन्दू देवताओं की पूजा करते थे, जो युगों से उसी हिन्दू धर्म को मानते रहे, उनके गले प्यास से सूखे रहने पर भी एक बूंद पानी नहीं लेने दिया जाता था।

इस प्रकार, अस्पृश्य अपने इतिहास में पहली बार अपने ही एक बड़े नेता के नेतृत्व में अपने अधिकारों का समर्थन करने हेतु मार्च कर रहे थे। उन सबने अनुशासन, ऊर्जा और उत्साह दिखाया। यह मार्च धीरे–धीरे महाद की गलियों में से गया और चौदार टैंक पर समाप्त हो गया। डॉ. अम्बेड़कर अब स्वयं टैंक के किनारे पर खड़े थे। शिक्षितों में शिक्षित, पृथ्वी पर किसी भी विद्वान आदमी के समकक्ष, उच्च आकांक्षाओं वाला हिन्दू फिर भी सार्वजनिक जल सरणी से पानी लेने में भी असमर्थ था अथवा अपनी जन्म–भूमि और धर्म भूमि हिन्दुस्तान में किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ने में असमर्थ था, वह अब अत्याचारियों के अहंकार को चुनौती दे रहा था, उन लोगों की नीचता की पोल खोल रहा था जो यह शेखी बधारते थे कि उनका धर्म जानवरों से भी सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करता है, परंतु जो अपने ही सहधर्मियों से बिल्लियों और कुत्तों से भी बुरा व्यवहार करते हैं।

डॉ. अम्बेड़कर ने टैंक से पानी लिया और उसे पी लिया। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ ने उनका अनुसरण किया और अपने अधिकार का समर्थन किया। तत्पश्चात् जुलूसवाले शांतिपूर्वक पंडाल में लौट गए।

इस घटना के दो घंटे बाद कुछ कुबुद्धि सवर्ण हिन्दुओं ने झूठी अफवाह फैला दी कि अछूत भी वीरेश्वर हैं मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे है। इस पर निम्न वर्गों की एक बड़ी भीड़ बांस के डंडे लिए गलियों के नुक्कड़ों पर एकत्र हो गई। सारा रूढ़िवादी महाड सशस्त्र खड़ा हो गया और सारा कस्बा एकदम उभड़ता हुआ जन –समूह बन गया। उन्होंने कहा कि उनका धर्म खतरे में है, और बड़ी विलक्षण बात है कि उन्होंने शोर मचाया कि उनके भगवान को भी अपवित्र किए जाने का खतरा है। इस अपमाजनक चुनौती से उनके दिल घबराए हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे और उनके चेहरे क्रोध से तमतमाये हुए थे।

अपने धर्म को गलत समझे जाने से हुए घोर अपमान और वीरेश्वर को मंदिर अपवित्र किए जाने के विचार से क्रुद्ध सवर्ण हिन्दू तेजी से दलित वर्ग सम्मेलन के पंडाल में चले गए। उस समय बहुत से प्रतिनिधि छोटे–छोटे समूहों में शहर में फैले हुए थे। कुछ पैकिंग कर रहे थे और कुछ अपने गांवों में जाने से पूर्व खाना खा रहे थे।

अब तक अधिकांश प्रतिनिधि कस्बे को छोड़ चुके थे। उपद्रवी पंडाल में प्रतिनिधियों पर झपट पड़े, उनके खाने को मिट्टी में गिरा दिया, उनके बर्तनों को तड़ातड़ तोड़ने लगे और उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों को, उनके यह जाने बिना ही कि क्या हो गया, बुरी तरह पीटा। पंडाल में पूरी अस्तव्यस्तता थी। अब तक रूढ़िवादी अपना विवेक खो चुके थे। अब वे अपने होश खोने के लक्षण दिखाने लगे थे।

अछूत बच्चे, महिलाएं और प्रतिनिधि, जो महाद की गलियों में टहल रहे थे इस घटना में अचानक मोड़ आ जाने से भयभीत थे। उनमें से रास्ता भटक गए व्यक्तियों को पीटा गया। उन्हें शरण के लिए दौड़कर मुसलमानों के घरों में जाना पड़ा। स्थानीय मामलातदार और पुलिस निरीक्षक, जो उपद्रवियों को रोकने में असफल रहे, इस मामले में, शाम के चार बजे यात्री बंगले में गए जहां कि सम्मेलन के दिनों में डॉ. अम्बेडकर और उनका दल ठहरा हुआ था। डॉ. अम्बेड़कर ने अधिकारियों से कहा : ""आप अन्य लोगों को नियंत्रित कीजिए, मैं अपने लोगों को नियंत्रित करूंगा," और वह अपने दो या तीन लेफ्टिनेंटों सहित शीघ्रता से घटनास्थल पर गए। गली में उपद्रवियों के एक दल ने उन्हें घेर लिया, परंतु उन्होंने शांतिपूर्वक उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि उनकी ओर से मंदिर में प्रवेश करने की न तो कोई इच्छा है और न कोई योजना। वे आगे गए, स्थिति को स्वयं देखा और बंगले में वापस चले गए। इस समय तक अछूतों में से लगभग बीस व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक डाक्टर को बुलाया गया और वे आए। उन्होंने उनके असामयिक साहसिक कार्य के लिए उनका उपहास किया और उनके घावों पर मरहमपट्टी की।

तत्पश्चात्, उपद्रवियों ने मुख्य गलियों की गस्त लगानी शुरू कर दी और दलित वर्गों के उन सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया, जो छुटपुट टोलियों में अपने गांवों को जा रहे थे। परंतु उनके व्यवहार का सर्वाधिक निन्दनीय भाग यह था कि उन्होंने अपने अनुचरों को संदेश भेजे कि वे अपने–अपने गांवों में सम्मेलन के प्रतिनिधियों को दंडित करें। इस आदेश के पालन में अनेक महार स्त्री–पुरूषों पर, उनके अपने गांवों में पहुंचने से पहले या बाद में, हमले किए गए।

इसी बीच, प्रतिनिधियों पर इस क्रूर हमले की खबर आग की तरह फैल गई। जब डॉ. अम्बेडकर बंगले पर लौटे, तो उन्होंने लगभग एक सौ आदमियों को उनके आदेशों का अधीरता से इंतजार करते देखा, उनकी आंखें अक्षरशः आग से दहक रही थीं और उनके हाथ प्रतिशोध और बदला लेने के लिए बेचैन थे। तथापि उनके नेता ने शांति और अनुशासन का अनुरोध किया। कुछ देर तक निस्तब्ध चुप्पी पसरी रही अन्यथा डॉ. अम्बेडकर के एक ही भड़काऊ शब्द से महाद में खून–खराबा और बरवादी हो जाती। कस्बे, पंडाल और बंगले में अभी भी ठहरे हुए प्रतिनिधियों की कुल

संख्या आसानी से गुंडों की संख्या से अधिक थी और वे गुंडों की खोपड़ियां फोड़ देते। अछूतों में सैकड़ों ऐसे आदमी थे जो प्रथम विश्वयुद्ध के युद्ध क्षेत्र और लड़ाइयां को देख चुके थे, उनमें लड़ चुके थे और उनमें सक्रिय रूप से भाग ले चुके थे।

परंतु उनके नेता के आदेश से आश्चर्यजनक अनुशासन बनाए रखा गया। उनके चेहरे हमलावरों के विरुद्ध कड़े हो गए। संघर्ष अहिंसक और संवैधानिक था। उन्होंने कानून तोड़ने की कल्पना नहीं की। इस प्रकार एक बहुत गंभीर दंगे को रोक दिया गया। शाम होने पर सभी प्रतिनिधि अपने–अपने गांवों को चले गए। डॉ. अम्बेडकर ने अपने समर्थक अनन्तराव चित्रे सहित बंगला छोड़ दिया, क्योंकि वह उस शाम से एक सरकारी अधिकारी द्वारा बुक करवाया हुआ था और वे पुलिस स्टेशन के कमरों में रहे। उन्होंने दंगे की जांच पूरी की और 23 मार्च को बंबई वापस चले गए।

पुलिस दंगा समाप्त होने के पश्चात घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कुछ रूढ़िवादी दंगाइयों को अतिक्रमणकारियों के रूप में गिरफ्तार किया। नौ रूढ़िवादी हिन्दू नायकों में से पांच को जिन्हें अत्यधिक साहसिक समझा गया था, बाद में 6 जून, 1927 को जिलाधीश द्वारा चार माह के कठोर कारावास की सजा दी गई। डॉ. अम्बेडकर ने सच ही यह टिप्पणी की थी कि यदि जिले में मुख्य अधिकारी गैर–हिन्दू न होते, तो अछूतों के साथ निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि पेशवा–शासन के अधीन उन्हें हाथी द्वारा कुचल कर मार दिया जाता। पेशवा–शासन के अधीन अछूतों को दिन के कुछ घंटों के दौरान पूना शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी और जब उनको दूसरे मौकों पर आने की अनुमति दी जाती थी तो उन्हें थूकने के लिए अपने गर्दनों में मिट्टी के बर्तन लटकाए शहर में जाना पड़ता था।"[1]

"द बंबई क्रॉनिकल" द्वारा महाद सम्मेलन की रिपोर्ट

कोलाबा जिले के दलित वर्गों का एक सम्मेलन डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, बार–ऐट–लॉ की अध्यक्षता में वर्तमान माह (अर्थात् मार्च, 1927) की 19 और 20 तारीख को महाद में हुआ। दलित वर्गों की उपस्थिति 2,500 से अधिक थी और उनमें बड़ा उत्साह था। परंतु सम्मेलन की कार्रवाई में एक दंगे द्वारा गंभीर बाधा डाली गई, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया महाद कस्बे के उच्च वर्ग के हिन्दू निवासियों की है। सम्मेलन के पहले दिन, अध्यक्ष द्वारा अपना भाषण दिए जाने के पश्चात अनेक उच्च वर्ग हिन्दुओं ने सम्मेलन को संबोधित किया और दलित वर्गों को यह आश्वासन दिया कि वे हर प्रकार से उनकी सहायता करने को तैयार हैं और उनसे आग्रह किया

---

1. कीर, पृष्ठ 69–71, 73–77 ।

कि उनको उच्च वर्ग के हिन्दुओं के प्रति घृणा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके अनुसरण में विषय–समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ एक संकल्प का मसौदा तैयार किया जिसमें यह निर्धारित किया गया कि उच्च वर्ग के हिन्दुओं को दलित वर्गों के उन्नयन के लिए क्या–क्या करना चाहिए। विषय–समिति में कुछ लोगों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि महाद में दलित वर्गों को पीने के लिए पानी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई है। यह कठिनाई न केवल महाद के निवासी दलित वर्गों द्वारा ही महसूस की गई बल्कि गांवों के उन दलित वर्गों द्वारा भी महसूस की गई जो महाद में निजी व्यापार अथवा सरकारी काम के लिए जाया करते थे। यह कमी इतनी अधिक थी कि सम्मेलन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रतिदिन 15 रुपए का पानी खरीदना पड़ता था। महाद की नगरपालिका ने कुछ समय पूर्व एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें शहर के टैंकों को जनता के लिए खुला घोषित किया गया था, परंतु चूंकि उसने वहां इस संबंध में कोई बोर्ड नहीं लगाया था, अतः लोग उन टंकियों (टैंकों) पर जाने से डरते थे। अतः विषय –समिति ने सम्मेलन में आये उच्च वर्गों की इस मामले में राय लेकर निर्णय लिया कि सम्मेलन को स्वयं चौदार टैंक पर जाना चाहिए और दलित वर्गों के पानी लेने के अधिकार को स्थापित करने में उनकी सहायता करनी चाहिए।

झूठी अफ़वाह

अतः, जब 20 तारीख की सुबह सम्मेलन की बैठक हुई और पहले उस संकल्प को, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि उच्च वर्गों को दलित वर्गों के लिए क्या करना चाहिए, दलित वर्गों के सदस्यों द्वारा सम्मेलन के समक्ष रखा गया, तो अध्यक्ष ने सर्वश्री पुरूषोत्तम प्रभाकर जोशी और गोविंद नारायण धारिया से (उच्च वर्गों के प्रतिनिधियों के रूप में) प्रस्ताव पर बोलने का अनुरोध किया। उन दोनों ने संकल्प में अंतर्विवाह से संबंधित एक खंड को छोड़कर संकल्प को स्वीकार कर दिया। स्वयं इस प्रकार आश्वस्त होकर कि इसके पीछे जनसाधारण का समर्थन है, बैठक समाप्त होने पर सम्मेलन एक दल के रूप में उक्त टैंक पर गया। जुलूस बहुत शांतिपूर्ण था और सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया। परंतु लगभग दो घंटे बाद कस्बे के कुछ दुष्ट नेताओं ने झूठी अफवाह फैला दी कि दलित वर्ग वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, जिस पर बांस के डंडे लेकर उच्च वर्गों की एक बड़ी भीड़ वहां एकत्र हो गई। वह भीड़ शीघ्र ही आक्रामक हो गई और सारा कस्बा शीघ्र ही उपद्रवियों की उमड़ती हुई भीड़ में बदल गया, और ऐसा प्रतीत होता था कि वे दलित वर्गों के खून के लिए वहां आए हैं।

बीस घायल

दलित लोग अपने गांवों को जाने से पहले खाना खाने में व्यस्त थे। जब उनमें से बहुत से लोग कस्बे को छोड़ कर जा चुके थे तो उपद्रवी उस रसोईघर में घुस गए जिसमें दलित वर्ग अपना खाना खा रहे थे। दोनों बलों के बीच एक नियमित युद्ध, हो जाता, परंतु दलित वर्गों को उनके नेताओं ने रोक लिया और इस प्रकार इससे एक बहुत गंभीर उपद्रव को टाल दिया गया। उपद्रवियों को उत्तेजना का कोई अवसर न मिला, इसलिए वे मुख्य गली में गश्त लगाने लगे और दलित वर्गों के उन सदस्यों पर हमला करने लगे जो छुटपुट दलों में अपने गांवों के लिए जा रहे थे तथा उन्होंने अनेक दलित वर्गों के घरों में अनधिकार प्रवेश किया ओर उन पर गंभीर हमला किया। कुल मिलाकर, दलित वर्गों में घायलों की संख्या 20 मानी जाती है। इस सब में दलित वर्गों का रवैया प्रशंसनीय था जबकि बहुत से उच्च वर्गों का रवैया ठीक नहीं था। वहां एकत्र दलित वर्गों की संख्या उच्च वर्गों से बहुत अधिक थी। परंतु चूंकि उनके नेताओं का उद्देश्य प्रत्येक बात को अहिंसक और नितांत संवैधानिक तरीके से करने का था, अतः वे दलित वर्गों की ओर से किसी भी हमले के प्रति कड़े हो गए। यह बात दलित वर्गों के पक्ष में बड़ा महत्व रखी है कि यद्यपि उनको बहुत उत्तेजित किया गया था, तथापि उन्होंने आत्मसंयम बनाए रखा। महाद सम्मेलन ने यह दिखा दिया कि उच्च वर्ग, दलित वर्गों को ऐसे प्राथमिक नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति भी नहीं देना चाहते जैसे सार्वजनिक जल सारणी से पानी लेना।

महाद और कोलाबा जिले में उच्च वर्ग के हिन्दुओं के व्यवहार का सर्वाधिक निन्दनीय पक्ष यह था कि विभिन्न गांवों को तत्काल संदेश भेजकर वहां के उच्च वर्ग के लोगों से कहा गया कि जैसे ही सम्मेलन के प्रतिनिधि अपने–अपने गांव लौटें वे उनको दंडित करें। इस आदेश के पालन में, सम्मेलन से लौटने वाले बहुत से महारों पर उनके अपने गांवों में, जहां उच्च सवर्ण हिन्दुओं की संख्या उनसे बहुत अधिक थी पहुंचने से पहले अथवा बाद में हमले किए गए। दलित वर्गों के नेताओं ने रक्षा के लिए अधिकारियों से अनुरोध किया है और डीएसपी सहित जिले के पदाधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं। तथापि, यह कहा जाना चाहिए कि यदि रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने दो मूल्यवान घंटे खराब न किए होते तो संभवतः दंगे को रोक दिया गया होता।"

"इस प्रकार महाराष्ट्र में दलित वर्गों का पहला बड़ा खुला सम्मेलन और उनका अपने नागरिक अधिकारों का दावा करने का पहला सार्वजनिक उद्यम सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बड़ी तथा महत्वपूर्ण और युगान्तरकारी

घटना थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक तथा राष्ट्रीय पुनर्गठन की धारा दोनों को ही बदल दिया।'

अपने उद्धारक के नेतृत्व में, लाखों पददलितों, अमानवीय व्यवहार से त्रस्त और मूक लोगों ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने न केवल अपनी चिरकालीन शिकायतों को व्यक्त किया बल्कि स्वयं ओजस्वी ढंग से उनके निवारण का उत्तरदायित्व भी लिया। उन्होंने अब साहस जुटाया तथा बहादुरी के साथ खड़े होने और पारम्परिक व्यवहार समाप्त करने में उचित भावना दिखायी।

उनके शिक्षित नेताओं द्वारा प्रारंभ किए गए संघर्ष ने उनका मन–मोह लिया और उनमें आत्म–सम्मान तथा आत्म–उत्थान की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। वे अब महाद में किए गए अपने अपमान और अवमान से व्यथित हो रहे थे। उन्होंने अपने मस्तिष्क को आत्म–उन्नति और आत्म–संस्कृति में ऐसे लगाया जैसा पहले कभी नहीं किया था। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप, अछूतों ने सड़ा–गला मांस खाना छोड़ दिया और पशु शवों का चमड़ा उतारना छोड़ दिया तथा रोटी के टुकड़े मांगना छोड़ दिया।

उस चौदार टैंक का क्या हुआ जिसे अछूत हिन्दुओं के छूने से अपवित्र घोषित कर दिया था? रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी हिन्दुओं ने टैंक के शुद्धिकरण के प्रश्न पर विचार करने हेतु वीरेश्वर मंदिर में एक बैठक बुलाई। उनके पास किसी भी निन्दनीय और प्रदूषित सांसारिक वस्तु के शुद्धिकरण के लिए एक ही उपाय था। उनके लिए गाय के गोबर, गौ–मूत्र, दही और पानी का मिश्रण सभी प्रकार के पवित्रीकरण का प्रभावकारी उपाय था। तदनुसार, एक सौ आठ मिट्टी की हांडियों में टैंक से पानी लिया गया। दही, गाय के गोबर, दूध और गौ–मूत्र से भरी इन हांडियों को, चुने हुए ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हवा को चीरने वाले मंत्रोच्चारण के बीच, टैंक में डुबाया गया। उसके बाद यह घोषणा की गई कि सवर्ण हिन्दुओं के उपयोग के लिए पानी शुद्ध कर दिया गया है। वास्तव में, मुसलमानों और ईसाइयों को शुद्धि करण के कार्य अथवा प्रक्रिया से कुछ लेना–देना नहीं था, क्योंकि उनकी दृष्टि में मनुष्य के स्पर्श से पानी अपवित्र नहीं होता। वे बिना किसी रोकटोक के पहले की तरह टैंक से पानी लेते रहे।'

चौदार टैंक के तथाकथित शुद्धिकरण के समाचार ने दलित वर्गों के दिलों को दुखाया और डॉ. अम्बेडकर के दिल को इतनी ठेस लगी कि वे नाराज हो गए और उन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के समर्थन के लिए सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। कुछ लोगों को भय था कि यह "अधीर" उपचार बीमारी से भी बुरा है। डॉ.

अम्बेडकर ने सकारण रोश की मनःस्थिति में उत्तर दिया कि शिक्षा का प्रसार और धर्मग्रंथों की व्याख्या मात्र से यह पुरानी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि बीमारी गहरी जड़ जमा चुकी है और उसे केवल ज्ञान की मरहम पट्टी करके अथवा निष्कपट योजनाओं द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। घातक बीमारियों को अचूक आमूल उपचार की आवश्यकता पड़ती है।[1]

तद्नुसार, 26 जून, 1927 को बहिष्कृत भारत यह घोषणा की गई कि दलित वर्गों के वे सदस्य, जो महाद हिन्दुओं द्वारा टैंक के शुद्धिकरण के अपने कार्य द्वारा दलितों के सारे वर्ग पर लगे अपवित्रता के कलंक को धोना चाहते हैं, और जो चौदार टैंक से पानी लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों पर किए गए हमले की निंदा करना चाहते हैं, अपने नाम बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के कार्यालय में लिखवा दें। घोषणा की गई कि सत्याग्रह उक्त संस्था के तत्वावधान में आरंभ किया जाएगा।"[1]

---

1. परिषिष्ट I, II और III देखिए।
1. कीर परृष्ठ 77, 79, 89–90

डॉ. अम्बेडकर के आंदोलन संबंधी कार्यक्रम की पुलिस रिपोर्ट

I

महाद के दलित वर्गों पर किए गए अत्याचार : बंबई के अछूतों द्वारा विरोध

बंबई शहर एस. बी., 4 जुलाई, 1927 – बहिष्कृत हितकारिणी सभा के तत्वावधान में कोलाबा जिले में महाद के अछूतों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए 3 जुलाई की शाम को दलित वर्गों की एक सार्वजनिक सभा कावासजी जहांगीर हॉल में हुई। डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर, बार–ऐट–लॉ ने लगभग 1,000 लोगों से भी अधिक की सभा की अध्यक्षता की।

अध्यक्ष, रगोबा नारायण वनमाली, महादेव अबाजी कामली, सीताराम नामदेव शिवतारकर, निर्मल लिम्बाजी गंगवाने, गीतानंद ब्रह्मचारी और सामंत नानजी मारवाड़ी ने भाषण दिए जिनमें उन्होंने अपने भाइयों के साथ महाद में उच्च वर्गों द्वारा किए गए व्यवहार की निंदा की। उन्होंने इस व्यवहार के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए स्वयंसेवकों की सूची तैयार करने और धन एकत्र करने का निर्णय लिया। वे दिवाली की छुट्टियों के पश्चात् महाद में एक सम्मेलन करेंगे और तत्पश्चात् नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में एक संकल्प पारित किया गया।

एक अन्य संकल्प पारित किया गया जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया कि दलित वर्गों की शिकायतों से निपटने के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया जाए जैसा कि मद्रास में किया गया था।

वक्ताओं द्वारा धन देने की अपील की गई और लगभग 350 रुपए इक्ट्ठा किए गए। एक दर्जन लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए जाने पर उसके लिए स्वयंसेवक बनने की स्वीकृति दी।[1]

---

1. बंबई सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट, दिनांक 16 जुलाई, 1927।

II

महाद में अछूतों का सत्याग्रह

पिछले मार्च में कोलाबा जिले के महाद में हुए महारों, मंगों, भंगियों आदि के एक सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को रूढ़िवादी लोगों द्वारा गांव के तालाब से पानी लेने से मना किया गया और इस निषेध के परिणामस्वरूप उन लोगों के विरुद्ध एक आपराधिक मामला चलाया गया जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया था। इस घटना के बाद से बंबई के अछूतों में कुछ उत्तेजना चलती रही जिसका नेतृत्व डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर, बार–एट–लॉ, करते रहे।

इस संबंध में, 30 अक्तूबर की अपराह्न को सर कॉवसजी जहांगीर हॉल में, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, लगभग एक हजार अछूतों की बैठक हुई। अध्यक्ष ने उन तथ्यों को स्पष्ट किया जिनके कारण महाद में घटना हुई थी और जिसके कारण अछूत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विवश हुए थे। एक संकल्प पारित किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक तालाब से पानी का उपयोग करने के अपने अधिकार को स्थापित करने और निषेध किए जाने पर सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने के लिए 25 दिसम्बर को महाद में एक सम्मेलन करने का फैसला किया गया। बैठक में लगभग 570 रुपए इक्ट्ठा हुए। श्रोतागण का एक सुझाव यह भी था कि नवम्बर के मध्य में अमरावती में एक मंदिर के संबंध में इसी प्रकार का आंदोलन आरंभ किया जाए।

III

संख्या एच/3477

दिनांक 22 दिसम्बर, 1927

सेवा में,

डी.एस.पी.

कोलाबा, अलीबाग

श्रीमान,

संदर्भ : बी.एस.ए. कॅरेंट का पैरा 868।

इस संबंध में दलित वर्गों की एक बैठक 21 दिसम्बर की रात को हुई थी जिसमें डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, बार–एट–लॉ ने लगभग 250 लोगों की सभा की अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष, सम्भाजी, सन्तोजी वाघमा रे, निमदारकर, खोलवाडेकर और जुन्नारकर ने भाषण दिए जिनमें लोगों को सलाह दी गई कि वे अछूतों द्वारा पानी के तालाब के उपयोग पर पाबंदी के विरुद्ध इस माह की 25 तारीख को महाद में होने वाले सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हों।

(हस्ताक्षर)

डी.सी.पी.एस.बी.

22 दिसम्बर,1927[1]

इसी बीच, महाद नगरपालिका ने 4 अगस्त, 1927 को वर्ष 1924 के अपने उस संकल्प को रद्द कर दिया जिसके अंतर्गत उसने दलित वर्गों के लिए चौदार टैंक को खुला घोषित किया था। डा. अम्बेडकर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 11 सितम्बर को दामोदर हॉल, बंबई में एक सार्वजनिक बैठक में, दलित वर्गों के महाद तालाब के अधिकार को पुनः स्थापित किए जाने को सफल बनाने के उपाय ढूंढ़ने तथा तारीख और ब्यौरे निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई गई। चार दिन बाद डॉ. अम्बेडकर के कार्यालय में समिति की बैठक हुई और उसने 25 और 26 दिसम्बर, 1927 को सत्याग्रह करने की तिथियां घोषित कीं।

महाद में प्रस्तावित सम्मेलन और सत्याग्रह का दिन नजदीक आ रहा था। महाद

---

1. स्रोत सामग्री, खंड 1, पृष्ठ 13–14।

पुनः उत्तेजित होने लगा। डॉ. अम्बेडकर और दलित वर्गों द्वारा चौदार तालाब से पानी लेने के प्रयासों का उपहास करने की योजना बनाने हेतु सत्याग्रह आंदोलन के विरोधियों की एक बैठक 27 नवम्बर, 1927 को वीरेश्वर मंदिर में हुई। परंतु दलित वर्गों से सहानुभूति रखने वालों की उपस्थिति के कारण बैठक कोलाहल के साथ समाप्त हो गई। पूना के कुछ हिन्दू नेताओं ने सवर्ण हिन्दुओं को आंदोलन का विरोध करने के लिए मना किया, परंतु वे माने नहीं।

जिलाधीश 7 दिसम्बर को महाद गए, और दोनों पक्षों के नेताओं ने उस प्रश्न पर उनसे चर्चा की। उन्होंने सवर्ण हिन्दुओं से कहा कि वे कानून का सहारा लें और उन्होंने अछूतों को चौदार तालाब से पानी लेने से मना करने वाला आदेश जारी करने से इंकार कर दिया। अतः, रूढ़िवादी वर्ग के नेताओं ने दलित वर्गों के नेताओं, डॉ. अम्बेडकर शिवतारकर और कृष्णजी एस. कदम और महाद के गन्या मलू चम्भार के विरुद्ध महाद के सिविल न्यायालय में 12 दिसम्बर, 1927 को एक मुकदमा दायर कर दिया और अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए कहा। न्यायालय ने मुकदमे का फैसला होने तक 14 दिसम्बर को प्रतिवादियों के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी। तद्नुसार, डॉ. अम्बेडकर, शिवतारकर और कृष्णजी एस. कदम को नोटिस जारी किए गए जिनमें उनको तथा सभी दलित वर्गों अथवा उनकी ओर से इन तीन नेताओं को अगले आदेशों तक चौदार तालाब पर जाने या उससे पानी लेने से मना कर दिया गया। रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी ताकतों ने बड़ी समझदारी से डॉ. अम्बेडकर पर दो मोर्चों पर लड़ाई थोप दी। एक ओर तो उदासीन विदेशी सरकार थी और दूसरी तरफ रूढ़िवादी ब्राह्मणों के नेतृत्व वाला सवर्ण हिन्दू वर्ग।"[1]

चौदार तालाब मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा का मूल पाठ

आदेश

यह एक आवेदन—पत्र है जिसमें न्यायालय से निवेदन किया गया है कि वह आवेदकों की अस्थायी निषेधाज्ञा को मंजूर करके विपक्ष को चौदार तालाब पर जाने अथवा उससे पानी लेने से रोका जाए। आवेदकों ने 12 दिसम्बर, 1927 को इस न्यायालय में 1927 का नियमित मुकदमा संख्या 405 दायर किया जो यह घोषणा किए जाने के लिए था कि उक्त चौदार तालाब केवल स्पृश्य वर्गों की निजी संपत्ति है और अछूत वर्गों को उस तालाब पर जाने तथा उससे पानी लेने का अधिकार नहीं है। यह इस स्थायी निषेधाज्ञा को प्राप्त करने के संबंध में भी था कि प्रतिवादियों को इनमें से कोई भी कार्य करने से रोका जाए।

---

[1] कीर, पृष्ठ 90 और 97—98।

आवेदक इस आवेदन–पत्र के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि मुकदमे के निपटारे तक प्रतिवादियों के विरुद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए। आवेदन–पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि सैंकड़ों वर्षों से यह तालाब केवल स्पृश्य वर्गों के उपयोग के लिए रहा है, कि 19 मार्च, 1927 को प्रतिवादी के नेतृत्व में अछूत वर्गों के बहुत से लोगों ने अचानक तालाब में प्रवेश किया, उन्होंने अपने हाथ और मुंह पानी से धोये और इस प्रकार इसको दूषित कर दिया कि इस संदूषण के कारण स्पृश्य वर्ग 24/25 घंटों तक अर्थात् जब तक कि पानी को बड़ी लागत पर, हिन्दू शास्त्रों में निर्धारित विधि–विधानों को पूरा करके शुद्ध नहीं किया गया, तालाब से पानी नहीं ले सके कि इस प्रकार स्पृश्य वर्गों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, कि अछूत वर्गों ने एक घोषणा–पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने तालाब में पुनः प्रवेश करने और उससे पानी लेने के अपने इरादे की घोषणा की है, कि यदि उनको ऐसा करने दिया जाता है, तो स्पृश्य वर्ग शास्त्रों के अनुसार तालाब के पानी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, कि इसके परिणामस्वरूप गंभीर कठिनाई हो जाएगी और यदि मांगी गई अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नहीं की जाती है और प्रतिवादियों को वादियों के पानी को दूषित करने दिया जाता है तो चाहे वादी अन्ततः मुकदमा जीत जाएं, तो भी उन्हें डिक्री का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन–पत्र, वादी संख्या 1 के अतिरिक्त अनेक व्यक्तियों के शपथ–पत्रों द्वारा समर्थित है। वादियों ने प्रदर्श 4 के साथ एक नोटिस भी प्रस्तुत किया है जिसे नगरपालिका द्वारा एक दिवाकर जोशी (शपथ पत्र देने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति) के विरुद्ध जारी किया गया था जिसमें उससे कहा गया था कि वह चौदार तालाब से सटे हुए पत्थर के धक्कास (बांधों) की मरम्मत करे, और धरप परिवार के विभाजन का विलेख जो कथित रूप से एक सौ साल से भी अधिक पुराना है, भी प्रस्तुत किया। इस विलेख में विभाजित की गई संपत्ति के रूप में तालाब के पाल का उल्लेख है। ये दोनों दस्तावेज तालाब के निजी संपत्ति होने की प्रथम दृष्टया उपधारणा पैदा करते हैं।

अब प्रश्न यह है कि क्या इसको मना करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर करना अधिक ठीक होगा। अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी विधि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 में अंतर्विष्ट है। इस आदेश का नियम इस प्रकार है : जहाँ किसी मुकदमे में शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित हो जाता है (क) कि मुकदमे में विवादाग्रस्त किसी संपत्ति को मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा बर्बाद किए जाने, क्षतिग्रस्त किए जाने या हस्तांतरित किए जाने का खतरा हो, अथवा किसी डिक्री के निष्पादन में उसे सदोषतया कहा गया हो या (ख) कि प्रतिवादी अपने ऋणदाताओं के साथ धोखा

करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति को हटाने अथवा बेचने की धमकी देता हो या इरादा रखता हो, तो न्यायालय, आदेश द्वारा, अस्थायी ब्यादेश दे सकता है। खंड (ख) स्पष्टतः वर्तमान मामले में लागू नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला खंड (क) में आता है।

यह एक ऐसा तालाब है जो वर्षों से स्पृश्य वर्गों के विशिष्ट उपयोग में रहा है। प्रतिवादी 1 और अन्य लोगों के हस्ताक्षरों सहित जारी किया गया घोषणापत्र भी यह दिखाता है कि अछूत वर्गों का अब तक यह विचार था कि उनको तालाब में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब अब तक स्पृश्य वर्गों के विशिष्ट उपयोग में रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्या न्याय का उद्देश्य पुरानी स्थिति में हस्तक्षेप करके अथवा इसे पक्षों के अधिकारों पर अंतिम निर्णय होने तक चलते रहने देकर अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

अस्थायी निषेधाज्ञाओं पर लागू सिद्धांतों का सारांश, सिविल प्रक्रिया संहिता पर मुल्ला की टीका 8वां संस्करण में पृष्ठ 892 पर दिया गया है। उनमें से एक सिद्धांत यह है कि न्यायालय को यह देखना चाहिए कि पक्षों के बीच वास्तविक विवाद है। मुझे प्रतीत होता है कि इसके बारे में बहुत कम संदेह है। दूसरा सिद्धांत यह है कि ''यदि निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है, तो सफलता की दशा में, अधिक असुविधा किस पक्ष को होगी''। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है, तो अधिक असुविधा वादियों को होगी। यह बात इतनी स्पष्ट है कि मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता है।

यदि प्रतिवादियों को तालाब में प्रवेश करने दिया जाता है और इस प्रकार (वादियों की धार्मिक धारण के अनुसार) पानी को दूषित करके उसे आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त कर दिया जाता है तो एक बड़ी आबादी को कठिनाई और असुविधा होगी जो इतनी गंभीर होगी कि केवल ऐसे स्थानों में रहने वाले लोग ही उसे समझ सकते हैं, जहां कि पानी की प्रचुर आपूर्ति नहीं होती। दूसरी तरफ, यदि प्रतिवादियों से कहा जाए कि मुकदमे के पहले विनिश्चय तक, वे जिसे अपना अधिकार समझते हैं, उसका प्रयोग न करें, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। यह रास्ता मुझे न केवल उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता है बल्कि 'यथापूर्व स्थिति' बनाए रखने के लिए जो कि अनिवार्य है, इन परिस्थितियों में एकमात्र सही रास्ता भी है। आई.एल.आर. 46 कलकत्ता, पृष्ठ 1030 पर अंकित टिप्पणी द्वारा आवेदकों (वादियों) द्वारा यह भी दलील दी गई कि यदि जैसे कि मांग की गई है, अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नहीं की जाती है और तालाब के पानी को दूषित करने दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप वादियों की अपूरणीय क्षति होगी। इस पर विचार करते

हुए कि इस विषय पर स्पृश्य वर्ग सामान्यतः कितने संवेदनशील हैं, जिसका कारण उनकी धार्मिक भावनाएं तथा दोनों समुदायों के बीच प्राचीन काल से चला आ रहा अंतर है, मैं इस शर्त को बहुत महत्व देने के लिए प्रवृत्त हूं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा का प्रसार यथा समय, इन दशाओं को महत्वपूर्ण तरीके से बदल देगा और दोनों समुदायों को एक दूसरे के साथ स्पष्ट तथा मैत्रीपूर्ण संपर्क में लाएगा और अस्पृश्यता विगत की बात हो जाएगी। परंतु जैसी वर्तमान स्थिति है, मैं अवश्य ही आवेदकों की इस भावना को अधिक महत्व दूंगा कि यदि पानी को दूषित करने दिया जाता है, तो उससे जो क्षति जारी रहेगी, वह ऐसा होगी कि उसकी पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी।

इस सब परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं समझता हूं कि यदि मैं उस निषेधाज्ञा को, जिसकी प्रार्थना की गई है, अस्वीकार नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य पालन में असफल रहूँगा। जिस कर्त्तव्य का पालन करने के लिए मुझे कहा गया है, वह बहुत दुःखदायी है, किन्तु कर्त्तव्य के आगे पसंद की कोई गुंजाइश नहीं होती। अतः मैं आदेश देता हूं कि एक अस्थायी निषेधाज्ञा जैसे कि मांग की गई है, नोटिस के साथ जारी की जाए।

(हस्ताक्षर) जी. वी. वैद्य''[1]

14.12.1927

दलित वर्गों की ओर से ''सम्मेलन'' के लिए विस्तृत तैयारियां की गईं। चूंकि किसी भी हिन्दू जमींदार ने पंडाल के लिए अपनी जमीन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी, अतः बड़ी कठिनाई से एक मुस्लिम से सम्मेलन के लिए जगह प्राप्त की गई। चूंकि स्थानीय व्यापारियों ने सम्मेलन से संबंधित लोगों से कोई लेन–देन करने से इंकार कर दिया, अतः स्वागत समिति को अनाज और अन्य सामान, जो कि दस दिन तक पहले बाहर से खरीदना पड़ा। अनन्तराव चित्रे ने बहुत कुशलता से यह कार्य किया। सूबेदार घाटगे को भोजन का प्रबंध और अनुशासन तथा व्यवस्था के रखरखाव का कार्य सौंपा गया। जिले के सभी सरकारी मुख्य प्रशासक 19 दिसम्बर को महाद में एकत्र हुए। चौदार तालाब के चारों तरफ पुलिस तैनात की गई। महाद में 21 दिसम्बर से प्रतिनिधि और दर्शक आने लगे। प्रतिनिधियों को प्रस्तावित सत्याग्रह से रोकने के लिए जिलाधीश प्रतिदिन उनके शिविर में जाते थे।

---

1. खैरमोड, खंड 3, पृष्ठ 234–237।

डॉ. अम्बेडकर ने दो सौ प्रतिनिधियों और नेताओं के दल के साथ 24 दिसम्बर की प्रातः बंबई से प्रस्थान किया। दूसरे दिन वे दोपहर को महाद से पांच मील दूर दासगांव में उतरे। वहां 3,000 सत्याग्रहियों के दल ने उत्सुक चेहरों से अपने नेता की प्रतीक्षा की। जब उन्होंने अपने नेता को देखा, तो उन्होंने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया।

स्वागत के पश्चात, पुलिस अधीक्षक ने डॉ. अम्बेडकर को जिलाधीश का एक पत्र दिया, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे बिना समय गंवाए जिलाधीश से उनके महाद कार्यालय में मिलें। डॉ. अम्बेडकर अपने एक लेफ्टिनेंट, सहस्रबुधे के साथ शीघ्र ही उनके कार्यालय गए। जिलाधीश ने तत्काल मृदु स्वर में आंदोलन के स्थगन के लिए परामर्श दिया, तर्क दिया और दबाव डाला, परंतु नेता जिले के मुख्य प्रशासक से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हुए। तथापि, यह सहमति हो गई कि उन्हें सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी बीच प्रतिनिधियों का जुलूस दासगांव से चल चुका था और यह जुलूस गाने गाता हुआ जिसके बीच में आकाश को चीरने वाले नारे लगाए जाते थे – पुलिस अधिकारियों के साथ अपराह्न में ढाई बजे महाद पहुंचा। इस विशाल भीड़ ने ''शिवाजी महाराज की जय'' के घोष के बीच पंडाल में प्रवेश किया। पंडाल में खम्बों से लटकती हुई लोकोक्तियां प्रेरित करने वाले अमर सत्य को प्रकट रही थीं। प्रवेश द्वार के सामने एक गड्ढ़ा था।

जिलाधीश के साथ साक्षात्कार के पश्चात् डॉ. अम्बेडकर तुरन्त पंडाल में गए और उन्होंने अपने आम अनुयायियों के साथ अपना मध्याह्न का भोजन किया। उन्होंने विशेष भोजन करने से इंकार कर दिया।

सम्मेलन ने अपनी कार्यवाही शाम को चार बजकर तीस मिनट पर आरंभ की। अनेक विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त संदेश पढ़े गए जिनमें सत्याग्रह की सफलता की कामना व्यक्त की गई थी। तत्पश्चात् नेता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उठे, जिस पर पन्द्रह हजार लोगों के विशाल जनसमूह ने ऊंची आवाज में जय–जय–कार किया और नारे लगाए। उनमें से अधिकतर की शरीर पर कपड़े नहीं थे उनकी पुरानी पगड़ियां फटी हुई थीं, उनकी दाढ़ियां नहीं बनी हुई थीं, परंतु उनके धूप से झुलसे हुए चेहरे विशेष प्रकार के उत्साह और आशा से चमक रहे थे। विशाल श्रोतागण शांत हो गया और डॉ. अम्बेडकर ने अपना भाषण धीमी शिष्ट किन्तु प्रभावशाली आवाज में आरंभ किया।[1]

---

1. कीर, पृष्ठ 98–99

"सामाजिक निःशक्तताओं के उन्मूलन हेतु डॉ. अम्बेडकर का तर्क

25 दिसम्बर, 1927 को महाद (जिला कोलाबा) में हुए सत्याग्रह सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर एम.ए., पीएचडी, डीएससी, बार–एट–लॉ, एमएलसी, के अध्यक्षीय भाषण का सारांश :

सत्याग्रह समिति, जिसके वे अध्यक्ष हैं, की ओर से सत्याग्रहियों का स्वागत करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने उन्हें पिछली मार्च को उसी स्थान पर हुए सम्मेलन के दुर्भाग्यपूर्ण अंत की याद दिलाई जब चौदार नामक सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के अपराध के लिए उनके बहुत से साथी प्रतिनिधियों के साथ तथाकथित सवर्ण हिन्दुओं द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था और उन पर हमला किया गया था। दलित वर्गों के सदस्यों को तालाब के पानी का उपयोग करने से किसी ने नहीं रोका परंतु उक्त घटना के बाद कुछ सरगनाओं को सनक सवार हो गई कि सम्मेलन के प्रतिनिधियों को दंडित किया जाए और उन्होंने भीड़ को भड़काया कि उनपर हमला किया जाए। कुछ अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया, उनको दोषी पाया गया और उन्हें चार महीने की कैद की सजा हुई।

अपना भाषण जारी रखते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा : "यदि सवर्ण हिन्दुओं ने तालाब का प्रयोग करने के दलित वर्गों के अधिकार को स्वीकार कर लिया होता, तो यह सत्याग्रह आवश्यक नहीं होता। तथापि, दुर्भाग्यवश, इस विषय पर सवर्ण हिन्दू अपने रुख में जिद्दी हैं और वे सार्वजनिक तालाब, जो मुसलमानों और अन्य गैर–हिन्दुओं सहित सभी जातियों के लोगों के लिए खुला है, का प्रयोग करने के दलित वर्गों के अधिकार को मानने से इंकार करते हैं। स्थिति की विडम्बना यह है कि यद्यपि तथाकथित अछूतों के पशुओं को तालाब पर जाने दिया जाता है, तथापि उनके मालिकों को, जो अन्य लोगों के समान ही अच्छे मनुष्य हैं, तालाब पर जाने की मनाही है।

हिन्दुओं को उनकी मानवतावादी भावनाओं के लिए जाना जाता है और पशु जीवन के लिए उनकी चिन्ता लोकप्रसिद्ध है। कुछ वर्ग जहरीले रेपटाइल्स तक को भी नहीं मारते। हिन्दू बहुत से साधुओं और हृष्ट–पुष्ट भिखारियों का भरण–पोषण करते हैं तथा यह विश्वास करते हैं कि उनको भोजन और वस्त्र देकर तथा सुख–साधनों का सेवन करने के लिए नकद धन देकर वे पुण्य प्राप्त करते हैं। हिन्दू दर्शन सर्वव्यापी आत्मा के सिद्धांत की शिक्षा देता है और गीता उन्हें ब्राह्मण और चांडाल के बीच भेदभाव न करने का उपदेश देती है।

अतः प्रश्न उठता है कि हिन्दुओं की दान और मानवता की ऐसी परम्पराएं

तथा इतना शानदार दर्शन होने पर भी उनको अपने साथी मनुष्यों के साथ इतना निर्दयतापूर्ण और ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों करना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में ही इस सम्मेलन का वास्तविक महत्व निहित है। हिन्दू समाज जाति–प्रथा के सांचे में स्थिर है, जिसमें सामाजिक वर्गीकरण के कारण एक जाति दूसरी जाति से नीचे है, जिसमें प्रत्येक जाति के संबंध में विशिष्ट विशेषाधिकार, अधिकार, निषेध और निःशक्तताएं अंतर्ग्रस्त हैं। इस प्रथा ने निहित स्वार्थ उत्पन्न किए हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उक्त प्रथा के परिणामस्वरूप जो असमानताएं पैदा हुई हैं उन्हें कायम रखा जाए।

तथाकथित सवर्ण हिन्दू पंचमस (पांचवे वर्ग, दलित वर्ग से संबंध रखने वाला व्यक्ति) द्वारा सार्वजनिक तालाब का उपयोग करने के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए नहीं कि वे वास्तव में विश्वास करते हैं कि यदि महार और अन्य लोग तालाब का उपयोग करेंगे तो उससे पानी खराब हो जाएगा या भाप बन जाएगा, बल्कि इसलिए कि वे जाति की श्रेष्ठता को खोने से और सवर्ण हिन्दुओं तथा दलित वर्गों के बीच समानता हो जाने से डरते हैं। हम इस सत्याग्रह का आश्रय इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम यह मानते हैं कि इस विशिष्ट तालाब के पानी में असाधारण गुण हैं, बल्कि नागरिकों और मानवों के रूप में अपने प्राकृतिक अधिकारों को स्थापित करने हेतु ऐसा कर रहे हैं।

बराबरी के लिए संघर्ष

यह सम्मेलन बराबरी के झंडे को फहराने के लिए आयोजित किया गया है और इस प्रकार इसकी तुलना फ्रांस में 1789 में आयोजित नेशनल एसेम्बली से की जा सकती है। हमारे सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, नागरिक और आर्थिक मामलों में समान उपलब्धि का है। हम प्रकट रूप से जाति प्रथा के कठोर सांचे को तोड़ना चाहते हैं।

छोटा उद्देश्य अपराध है

कुछ लोग कह सकते हैं कि जाति प्रथा को छोड़कर, केवल अस्पृश्यता के उन्मूलन से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। जाति प्रथा में अंतर्निहित असमानताओं के उन्मूलन की कोशिश किए बिना केवल अस्पृश्यता के उन्मूलन का ही उद्देश्य बहुत छोटा उद्देश्य है। हमें याद रखना चाहिए कि ''असफलता नहीं बल्कि छोटा उद्देश्य अपराध है।'' हम इस बुराई की जड़ों तक जांच करें और हम अपने दर्द को कम

करने वाली बातों से ही संतुष्ट न हों। यदि बीमारी का ठीक तरह से निदान नहीं किया जाए तो उपचार व्यर्थ होगा तथा उसको स्थगित किया जा सकता है।

केवल छुआछूत और अंतर्जातीय खान–पान के प्रतिबंधों को ही दूर न किया जाए बल्कि विभिन्न जातियों के हिन्दुओं में अंतर्विवाहों को आम बना दिया जाना चाहिए। केवल इसी बात से सच्ची समानता स्थापित होगी। मान लीजिए कि अस्पृश्यता का कलंक भी मिटा दिया जाता है, तो भी वर्तमान अछूतों की स्थिति क्या होगी। अधिक से अधिक उनसे ''शूद्रों'' के रूप में व्यवहार किया जाएगा। ''शूद्रों'' के अधिकार क्या हैं? ''स्मृतियां'' उन्हें केवल कट्टर समर्थक मानती हैं और जाति प्रथा में पदक्रम के मामले में ''स्मृतियां'' ही सवर्ण हिन्दुओं की मार्गदर्शक हैं। क्या आप अपने साथ ''शूद्रों'' जैसा व्यवहार किए जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप कट्टर समर्थकों की स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भाग्य को उच्च वर्ग के हाथों में छोड़ने के लिए तैयार हैं?

स्वावलम्बन

यह सर्वविदित है कि यदि हिन्दू समाज का समानता के आधार पर पुनर्गठन करना है, तो जाति प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। अस्पृश्यता की जड़ें जाति व्यवस्था में हैं। वे ब्राह्मणों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करें, क्योंकि यह व्यवस्था उनको कुछ विशिष्ट विशेषाधिकार देती हैं और वे पदानुक्रम में अपनी विशिष्ट स्थिति और वर्तमान सर्वोच्चता को स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे। उनसे यह आशा करना बहुत अधिक होगा कि वे अपने सभी विशेषाधिकारों को छोड़ दें जैसा कि जापान के ''समुराइयों'' ने किया था। हम गैर–ब्राह्मणों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, और उनसे अपनी लड़ाई लड़ने को नहीं कह सकते। उनमें से बहुत से तो अभी भी जाति व्यवस्था के प्रति आसक्त हैं और ब्राह्मणों के हाथों की कठपुतलियां हैं, इन अन्य लोगों में से अधिकतर लोग, जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता से अप्रसन्न हैं, दलित वर्गों के स्तर को ऊंचा उठाने की बजाए ब्राह्मणों के स्तर को नीचा करने में अधिक रुचि रखते हैं, वे भी चाहते हैं कि लोगों का एक ऐसा वर्ग हो जिसको वे तुच्छ समझ सकें तथा उन्हें यह संतोष हो कि वे समाज के नितांत अभागे व्यक्ति नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हमें स्वयं पर विश्वास करते हुए अपनी लड़ाइयां अपने आप ही लड़नी चाहिएं। हम देश में सर्वाधिक पददलित वर्ग हैं। सेना, पुलिस और सार्वजनिक कार्यालयों में हमारे लिए नौकरियां विशेष रूप से बंद हैं, हम पर अनेक व्यापारों और पेशों को अपनाने पर प्रतिबंध है और हमें आर्थिक रूप से नितांत कमजोर बना दिया गया है। यह सब अस्पृश्यता और सबसे

निचली सामाजिक स्थिति, के कारण जिसमें हमें धकेल दिया गया है। यदि हम मानवों और नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों पर दृढ़ रहने में असफल होते हैं, तो हमें हमेशा के लिए पतित रहना होगा।

राष्ट्र की सच्ची सेवा

हमारा एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य न केवल हमारी स्वयं की निःशक्तताओं को दूर करना है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी लाना है, एक ऐसी क्रांति जो सबको सबसे ऊंचे पद तक उन्नति करने के समान अवसर देकर और जहां तक नागरिक अधिकारों का संबंध है, एक मानव से दूसरे मानव के बीच भेद न करके, मानव–निर्मित जातिगत सभी बाधाओं को दूर करेगी। यदि हम सभी हिन्दुओं को एक ही जाति में संगठित करने के अपने आंदोलन में सफलता प्राप्त करते हैं तो हम सामान्यतः भारतीय राष्ट्र की, विशेषकर हिन्दू समाज की सबसे बड़ी सेवा करेंगे। वर्तमान जाति व्यवस्था अपने पक्षपातपूर्ण भेदभाव और अनुचित विधान के कारण हमारी सामाजिक तथा राष्ट्रीय कमजोरी के सबसे बड़े स्रोतों में से एक स्रोत है। हमारा आंदोलन बल और एकता, समानता, स्वाधीनता तथा भ्रातृत्व के लिए है। हम अपने आंदोलन को उतने शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखना चाहते हैं जितना कि हम रख सकते हैं। तथापि, अहिंसक बने रहने का हमारा निश्चय बहुत सीमा तक हमारे विरोधियों के रुख पर निर्भर रहेगा। हम आक्रामक नहीं हैं और पीढ़ियों तक हमारे तानाशाह रह चुके लोग यदि हम पर आक्रमण का दोषारोपण करें तो यह एक विचित्र बात है। हम अंधकारपूर्ण युग में लिखे गए ''शास्त्रों'' और ''स्मृतियों'' से नियंत्रित और आबद्ध होने से इंकार करते हैं तथा अपने दावों को न्याय और मानवता पर आधारित करते हैं।''[1]

तत्पश्चात् एक ब्राह्मण श्री जी.एन. सहस्त्रबुधे ने मनुस्मृति से उद्धरणों के वे अंश पढ़े जो शूद्रों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के विषय में थे।

मनुस्मृति को जलादो

पहला पारित संकल्प निम्नलिखित रूप में था :–

मनुस्मृति और ऐसी अन्य पुस्तकों में दी गई टिप्पणियाँ, जो बहुत ही अशिष्ट हैं और जो अत्यधिक स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं, को ध्यान में

1. द इंडियन नेषनल हेराल्ड, दिनांक 28 दिसम्बर, 1927।

रखते हुए यह बैठक उनकी पुरजोर निन्दा करती है और उस निन्दा की अभिव्यक्ति के रूप में उनको जलाने का संकल्प करती है तथा हिन्दू समाज के पुनर्गठन का आधार बनाने के लिए निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा करती है।

उस घोषणा में कहा गया कि सभी हिन्दुओं को एक वर्ण का समझा जाना चाहिए और उन्हें उसी रूप में पहचाना तथा पुकारा जाना चाहिए तथा ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग निषिद्ध हो।

महाद में वह स्थान जहां मनुस्मृति जलाई गई थी

चित्र

मनुस्मृति की होली जलाना नितांत साशय था। हमने इसकी होली इसलिए जलाई कि हम इसे उस अन्याय का प्रतीक समझते हैं जिसके नीचे हम सदियों से पिसते आए हैं।

—डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

एक अन्य संकल्प में आग्रह किया गया कि हिन्दू पुरोहिताई के लिए व्यक्तियों के प्रवेश हेतु एक प्रतियोगी परीक्षा ली जाए और लाइसेंस केवल सफल उम्मीदवारों को ही दिए जाएं।

भाषणों में मुख्यतः ब्राह्मणों और ब्राह्मणत्व की निंदा की गई थी। श्री मंडलिक ने बैठक को संबोधित करने की अनुमति मांगी परंतु अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी।

एक स्पृश्य, श्री डी.वी. प्रधान ने भी 'स्मृति' जलाए जाने का समर्थन किया।

तत्पश्चात्,' 'स्मृति' जलाए जाने का समारोह हुआ और सम्मेलन दिन भर के लिए समाप्त हुआ।''[1]

''डॉ. अम्बेडकर और उनके अनुयायियों द्वारा 25 दिसम्बर, 1927 को मनुस्मृति की होली जलाया जाना इस युग का पूर्वानुमान करना था। मनुस्मृति की होली जलाने के बारे में बोलते हुए, डॉ. अम्बेडकर ने 1938 में टी.वी. परवते के साथ एक साक्षात्कार में कहा था ''मनुस्मृति की होली जलाना नितांत साभिप्राय था। हमने इसकी होली इसलिए जलाई कि हम इसे उस अन्याय का प्रतीक समझते हैं जिसके नीचे हम सदियों से पिसते आए हैं। इसके उपदेशों के कारण हम घृणित निर्धनता के नीचे पिसते आये हैं और इसलिए हमने विरोध किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। हथेली पर जान रख दी और कार्य को पूरा किया।''[2]

''कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और 100 सशस्त्र पुलिस वाले उपस्थित थे। रात में, एक ''अछूत'' द्वारा लिखा गया और ब्राह्मणों पर आघात करने वाला हरिकीर्तन उत्साहपूर्वक गाया गया।

कलक्टर का पत्र

सम्मेलन के दूसरे दिन की कार्यवाही तारीख 26 की सुबह आरंभ हुई। डॉ. अम्बेडकर ने कलक्टर से प्राप्त एक पत्र पढ़ा जिसमें कहा गया था कि सरकार चाहती है कि ''अछूतों'' को सिविल न्यायालय के व्यादेश का पालन करना चाहिए। सरकार अछूतों के आंदोलन के प्रति हमेशा सहानुभूतिपूर्ण है और उनके आंदोलन को हर कानूनी तरीके से बढ़ावा देना चाहती है तथा जनोपयोगी स्थानों में उनके प्रवेश

---

* मनुस्मृति।

1. द इंडियन नेश्नल हेराल्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 1927।

2. परवते, पृष्ठ 58–59।

के अधिकार को स्थापित करने में उनकी सहायता करना चाहती है। परंतु अस्थायी व्यादेश को ध्यान में रखते हुए सरकार असहाय है और चाहती है कि अछूतों को इस समय सत्याग्रह आरंभ नहीं करना चाहिए।

जब डॉ. अम्बेडकर ने सारी स्थिति की समीक्षा की और प्रतिनिधियों को परामर्श दिया कि यदि वे अपने कार्य के परिणामों के लिए तथा कारावास की सजा भुगतने और अन्य दुःखों को झेलने के लिए प्रसन्नतापूर्वक तथा स्वेच्छया तैयार हैं, तो वे सिविल न्यायालय के व्यादेश के विरुद्ध सत्याग्रह करें, तो पूरा सम्मेलन विषय समिति में बदल गया।

सम्मेलन की भावना तत्काल सत्याग्रह आरंभ करने के पक्ष में थी और अध्यक्ष के लिए ऐसे किसी भी वक्ता को जो सत्याग्रह को स्थगित करने के पक्ष में था, सुनना मुश्किल था।

3,000 से अधिक स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर

तत्पश्चात डॉ. अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि मनोभाव की गहनता को सही तरीके से जानने के लिए उन प्रतिनिधियों से, जो सत्याग्रह के पक्ष में हैं, कहा जाए कि वे सत्याग्रह करने हेतु वे अपनी लिखित सहमति दें। तदनुसार, सत्याग्रह करने के इच्छुक प्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रारंभ किया गया, और एक घंटे के अंदर, 3,884 प्रतिनिधियों ने सत्याग्रह करने के लिए तैयार व्यक्तियों के रूप में अपने नाम पंजीकृत करवा लिए।

कलक्टर को सूचित किया गया कि सम्मेलन सत्याग्रह के पक्ष में है। यह सुनकर कलक्टर ने सम्मेलन को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की।

कलक्टर द्वारा सम्मेलन संबोधित

सत्याग्रह सम्मेलन दोपहर बाद 5 बजकर 30 मिनट पर आरंभ हुआ, जब श्री हुड, कलक्टर, जिनके साथ पुलिस अधीक्षक भी थे, सम्मेलन में उपस्थित हुए। कलक्टर ने बैठक को मराठी में संबोधित किया। श्री हुड ने कहा : ''मैं जानता हूं कि आप सब इस सम्मेलन में क्यों एकत्र हुए हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मैं आपको सत्याग्रह को स्थगित करने का परामर्श दूंगा तो आप सब इस पर अत्यधिक खेद प्रकट करेंगे क्योंकि आप पिछले तीन महीनों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं।

तथापि, आप सब जानते हैं कि बंबई विधान परिषद ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया है कि ''दलित वर्गों'' को सार्वजनिक तालाबों और स्कूलों में प्रवेश करने दिया जाए और बंबई सरकार ने तद्नसुार अनुदेश दिए हैं तथा स्थानीय बोर्ड को भी ऐसा ही करने का परामर्श दिया है। श्री हुड ने कहा कि सरकार उनको तालाब में प्रवेश करने देने के लिए बिल्कुल तैयार है, परंतु 10 दिन पहले एक नई घटना हो गई है। स्पृश्यों ने ''अस्पृश्यों'' के विरूद्ध एक मुकदमा दायर कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि तालाब गैर–सरकारी है और उनके पक्ष में एक अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर कर दी गई है।

''मैं जिले के कलक्टर के नाते आपसे कह रहा हूं और मैं सरकार की ओर से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार ''अछूतों'' की तरफ है और आप से कहना चाहता हूं कि सरकार और मैं आपके मित्र हैं। मुझे यह देखकर अत्यधिक दुःख होता है कि आपमें से कुछ लोग न्यायालय के आदेश का पालन न कर सत्याग्रह करने का इरादा रखते हैं। मैं सोचता हूं कि यह कार्य बहुत हानिकारक होगा। मैं आपको राय देता हूं कि आप अपना पक्ष तैयार करें और संवैधानिक तथा कानूनी तरीके से लड़ें। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है।''

श्री जबालकर, जो सुबह आ गए थे, ने कहा कि वह सम्मेलन में गैर–ब्राह्मण पार्टी अर्थात् ''अछूतों'' का संदेश देने के लिए आए हैं कि ''अछूतों'' को न्यायालय के व्यादेश का पालन करना चाहिए और न्यायालय के निर्णय के बाद सत्याग्रह करना चाहिए।

सूबेदार घटगे और अन्य वक्ताओं ने कहा कि वे वहां स्पृश्यों के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए आए थे न कि सरकार के।''[1]

''तत्पश्चात डॉ. अम्बेडकर कलक्टर को पंडाल से बाहर ले गए। शाम को सात बजे तक एक के बाद एक वक्ता ने सत्याग्रह आरंभ करने का समर्थन किया, और जिन्होंने असंगत बातें कहीं उनकी छी–छी की गई तथा उन्हें प्रश्नों से तंग किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने चर्चा को पुनः अगली सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया।

रात में मुख्य–मुख्य आदमी एकत्र हुए, उन्होंने चर्चाएं कीं और न्यायालय में लंबित मामले को ध्यान के रूप में रखते हुए संघर्ष को स्थगित करने का निर्णय लिया परंतु यह निर्णय भी लिया गया कि एक जूलूस में मार्च किया जाए जिसका मार्ग तालाब के इधर–उधर हो। तद्नुसार यह निर्णय जिलाधीश को सूचित किया गया।

---

1. द इंडियन नेश्नल हेराल्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 1927।

27 दिसम्बर की सुबह, डॉ. अम्बेडकर संघर्ष के संबंध में पहले संकल्प को वापस लेने और स्तब्ध खामोशी के बीच सम्मेलन का संघर्ष स्थगित करने के लिए निवेदन करने वाले दूसरे संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए। वे दुविधा में थे। यह अब प्रतिनिधियों के उत्साह को नियंत्रित करने तथा उसे नीचे पकड़ रखने का मनोवैज्ञानिक क्षण था। उन्होंने इस संकटपूर्ण स्थिति से व्यवहारकुशल ढंग से निपटना आरंभ किया। उन्होंने प्रतिनिधियों से, जो अब तक बेचैन और उत्तेजित हो गए थे, आकर्षक आवाज में कहा : ''आप एक बहादुर जनसमूह हो, जो लोग अपने उचित अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित करने हेतु तैयार हैं, वे निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। परंतु अब वह समय आ गया है जब प्रहार करने से पहले आपको दो बार सोचना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गांधी द्वारा आरंभ किया सत्याग्रह आन्दोलन'', ''जनता द्वारा समर्थित था क्योंकि यह विदेशी शासन के विरुद्ध था। हमारा संघर्ष सवर्ण हिन्दुओं के जनसमूह के विरुद्ध है और स्वाभाविक रूप से, हमको बाहर से थोड़ा समर्थन प्राप्त है। इन तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं महसूस करता हूं कि हमें सरकार को विरोधी नहीं बनाना चाहिए तथा उसको अपने विरोधी पक्ष की तरफ नहीं रखना चाहिए। यह भी लाभदायक नहीं है।''

यह मत मानिये ''नेता ने बलपूर्वक कहा, ''कि यदि आप इस मामले को स्थगित कर देते हैं तो आप अपमानित होंगे। जहां तक मेरी स्थिति का संबंध है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं तिगुने खतरे, आदेश का पालन न करने, एक अधिवक्ता के व्यवहार को शासित करने वाले नियमों के भंग का दोषारोपण किये जाने और कारावास की संभावना का सामना करने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयो,'' उन्होंने धीमी आवाज में समाप्त किया, ''आप आश्वस्त रहिए, इस संघर्ष के स्थगित किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि हमने संघर्ष छोड़ दिया है। यह लड़ाई हमारे द्वारा इस तालाब पर अपना दावा स्थापित किए जाने तक चलती रहेगी।''[1]

सत्याग्रह स्थगित किया गया

विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप निम्नलिखित संकल्प अंगीकृत किया गया :

''इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महाद के स्पृश्य वर्गों द्वारा अंतिम समय में सिविल न्यायालय से दलित वर्गों के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किया जाना उनको, सरकार के पक्ष में होने की स्थिति में ले आता है, उन्होंने कलक्टर की बात

---

1. कीर, पृष्ठ 102–102।

को सुनने के पश्चात् और खुले सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर विचार करते हुए कि सरकार समान अधिकारों के संघर्ष में, दलित वर्गों के लिए हर सहानुभूति रखती है, यह संकल्प किया कि सत्याग्रह को सिविल न्यायालय का निर्णय आने तक स्थगित रखा जाए।''[1]

''सम्मेलन सहमत हुआ। प्रतिनिधियों ने तत्काल एक जुलूस बनाया और वह रवाना हुआ, स्वयंसेवक नारों, तख्तियों और पट्टियों के साथ धीरे–धीरे चल रहे थे। जुलूस तालाब पर पहुंचा और उसने इसका चक्कर लगाया। सवर्ण हिन्दू क्या कर रहे थे? गलियां सूनी थीं। उन्होंने अपने मकान बंद कर लिए थे और कट्टरपंथी हिन्दू अपने दिलों में तीक्ष्ण द्वेष से छटपटा रहे थे। डेढ घंटे बाद जुलूस दोपहर के आसपास बिना किसी दुर्घटना के पंडाल में वापस आ गया।''[2]

डॉ. अम्बेडकर रायगढ़ में

''अछूतों'' ने गंगा सागर तालाब में स्नान किया

दिनांक 3 जनवरी के ''कोलाबाःसमाचार ऑफ पेन'' में एक संवाददाता लिखता हैः सत्याग्रह सम्मेलन की समाप्ति के बाद डॉ. अम्बेडकर लगभग एक सौ अछूतों के साथ प्रसिद्ध किले और शिवाजी की राजधानी रायगढ़ के लिए रवाना हुए। उन्होंने रायगढ़ धर्मशाला में अपना डेरा डाला। धर्मशाला समिति द्वारा अनुरक्षित उस स्थान के मराठा जाति के चौकीदार येशु शेडगे ने आगंतुकों की देखभाल की। उसने उनसे गंगासागर तालाब का जल छूने से मना किया। उसने उनसे कहा कि अगर वे स्नान करना चाहते हैं तो वह समीपस्थ, विशेषकर अछूतों के लिए निर्मित दूसरे तालाब में स्नान कर सकते हैं। तथापि, डॉ. अम्बेडकर और अन्य ने ''गंगासागर'' के जल को ''अपवित्र' किया।

संवाददाता आगे वर्णन करता है कि इससे रायगढ़ घाटी के मराठों में काफी उत्तेजना उत्पन्न हुई, जिनमें से अधिकांश सेना में सिपाही थे और घाटी उनकी भर्ती के लिए अच्छा क्षेत्र है।[3]

---

1. द इंडियन नेश्नल हेराल्ड, दिनांक 31 दिसम्बर, 1927।
2. कीर, पृष्ठ 104।
3. द बंबई क्रॉनिकल, दिनांक 12 जनवरी, 1928।

टिप्पणियां

''इस घटना पर संपादकीय टिप्पणी देते हुए ''कोलाबा समाचार'' ने दिनांक 7 जनवरी के अपने अंक के कॉलम में दिए गए सुझाव को इंगित करते हुए डॉ. अम्बेडकर द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का हवाला दिया कि सरकार को डॉ. अम्बेडकर और उनके अनुयायियों पर मुकदमा चलाने का मार्ग अपनाना चाहिए। समाचारपत्र सुझावों के विरुद्ध अपना पक्ष इस आधार पर रखता है कि भारतीयों को स्वयं अपने झगड़े निपटाने का यथा संभव प्रयास करना चाहिए और स्वयं अपनी ओर से सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कभी आमंत्रित नहीं करना चाहिए।''[1]

महाराष्ट्र का दिलो–दिमाग

पिछले कुछ सप्ताहों से महाड में डॉ. अम्बेडकर और अछूतों का सत्याग्रह सम्मेलन न केवल रूढ़िवादी हिन्दु प्रेस में, बल्कि उन पत्र–पत्रिकाओं में भी, जो निश्चित रूप से अस्पृश्यता को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बहुत प्रतिकूल टिप्पणियों का विषय रहा है। अधिकांश मराठी पत्रिकाएं दूसरे किस्म के अन्तर्गत हैं और इन्हें साधारणतया तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है यथा, एनसीओ, प्रत्युत्तरवादी और गैर–ब्राह्मण। इन पत्रिकाओं ने डॉ. अम्बेडकर और उनके मित्रों के विरुद्ध अपने लेखों में जो आक्रमण किया है उनके प्रमुख बिंदू (1) मनुस्मृति जलाने की उनकी कथित ज्यादती और (2) सत्याग्रह रोकने के लिए कोलाबा के जिलाधीश के आदेश में उनकी कथित मौन सम्मति। इस पूर्ण विवाद में दोनों पक्षों के विरुद्ध कई अन्य आरोप और प्रत्यारोप हैं, परंतु वे बहुत वास्तविक नहीं हैं। डॉ. अम्बेडकर ने अब ''बहिष्कृत भारत'' में सम्मेलन का बहुत विस्तारपूर्वक लेखा–जोखा प्रकाशित किया और अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर दिया है। उन्होंने अपने विरुद्ध पहले आरोप का विरोध करने में शर्म महसूस नहीं की और उसका यह कहते हुए प्रतिरोध किया कि जहां तक ''मनुस्मृति'' अछूत हिन्दुओं की कथित उच्च वर्ग के हिन्दुओं द्वारा दीर्घकाल से किए जा रहे उत्पीड़न और शोषण का आदेश देती है और उसे उचित ठहराती है, वर्तमान हिंदू कानून का यह मुख्य स्रोत जलाए जाने योग्य है। दूसरे आरोप का उत्तर देते हुए डॉ. अम्बेडकर अपने विरोधियों के तर्कों को गलत सिद्ध करते हैं जब वह यह कहते हैं कि इसके विरुद्ध कोई प्रतिबंधकरण आदेश कभी भी पारित नहीं किया गया है

---

1. कोलाबा समाचार, दिनांक 7 जनवरी, 1928।

और इसीलिए इसकी अवज्ञा करने का कोई प्रश्न कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने जो कुछ किया, वह यह था कि उनसे कोलाबा के जिलाधीश द्वारा "सत्याग्रह" बाद की तारीख तक स्थगित करने के लिए कहा गया था और उन्होंने ऐसा संपूर्ण रूप से सत्याग्रहियों और अछूतों के हित में किया। वे अपने आलोचकों को अपने विरुद्ध इस स्पष्ट आधार पर कुछ भी कहने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं।"[1]

"चौदार तालाब के स्वामित्व से संबंधित हिन्दू बनाम अछूतों का मुकदमा द्वितीय वर्ग के उप–न्यायाधीश; महाद के न्यायालय में दिनांक 12 जनवरी, 1928 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने मुकदमे की पैरवी के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी। उन्होंने दिनांक 24 जनवरी, 1928 को कतिपय दस्तावेज प्राप्त करने और न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अधिवक्ता मार्कण्ड दत्तात्रेय वैद्य को पत्र लिखा। उन्होंने श्री वैद्य से विशेष तौर पर दिनांक 30 जनवरी, 1928 को धर्मग्रंथों से विभिन्न उद्धरणों का वर्णन करते हुए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और अन्य लोगों के पक्ष में श्री पांडुरंग भास्कर शास्त्री पलाये नामक एक ब्राह्मण पुजारी द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्र की एक प्रति प्राप्त करने का अनुरोध किया। यह पत्र निम्नानुसार है :

भीमराव आर. अम्बेडकर
एम.ए., पीएचडी, डीएससी
बार एट लॉ,
सदस्य, विधान परिषद
बंबई।

दामोदर हॉल, परेल
बंबई, 12
24.1.1928

प्रिय वैद्य,

मुझे आपका 12 तारीख का पत्र मिला। मुझे लगता है कि न्यायालय पहले अर्थात् 5 फरवरी के पूर्व की गई बहस पर निषेधाज्ञा जारी करने के लिए उत्सुक है। ठीक है, मैं मामले में बहस करने के लिए वृहस्पतिवार, 2 फरवरी को आने की सोच रहा हूं।

मैं इसके साथ शपथपत्र के प्रपत्र भेज रहा हूं, जिसे आप कृपया विधिवत तैयार कर लें और समय से उनकी घोषणा कर दें। आपको शपथपत्र दाखिल करने के लिए किसी मुसलमान कसाई (मेरे पास एक कसाई अवश्य होना चाहिए) की तलाश

---

[1] द बंबई क्रांमिकल, दिनांक 27 फरवरी, 1928।

करने में कुछ कठिनाई हो सकती है। परंतु आप अगर महाद के पुलिस सब–इंस्पेक्टर से मिलेंगे तो मुझे विश्वास है, वह आपको हमारा समर्थन करते हुए ब्राह्मण पुजारी द्वारा दाखिल शपथपत्र, जिसे यहां घोषित किया जाएगा, की प्रति देकर अनुगृहित करेंगे।

कृपया तारीख के समय प्रतिवादियों को पर्याप्त नोटिस दे दें तथा शपथपत्रों की प्रतियां भी दे दें ताकि उनके पास शिकायत का कोई कारण न रहे। कृपया सूर्बा को मेरा सादर नमस्कार कहें। मुझे आपका उत्तर अधिक से अधिक 30 जनवरी सोमवार तक अवश्य मिल जाए जिसमें यह सूचित किया जाए कि क्या 2 फरवरी के लिए हर चीज तैयार है।

अत्यंत आदर सहित,

आपका
ह./–

बी.आर. अम्बेडकर"[1]

महाद सत्याग्रह के बारे में पी. आर. लेले का लेख निम्नलिखित है :

"अछूत सत्याग्रह को पुनरुज्जीवित करेंगे

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और अन्य को उस तालाब से पानी लेने से रोकने के लिए हुए महाड के प्रसिद्ध चौदार तालाब के अछूतों का सत्याग्रह को महाड के उप–न्यायाधीश द्वारा मंजूर की गई अस्थायी निषेधाज्ञा के दृष्टिगत रोकना पड़ा था। उस समय अर्थात पिछले दिसम्बर में उन्हें एक सम्मेलन आयोजित करके एवं हिंदू जाति की निरंकुशता एवं अत्याचार के विरुद्ध अपना रोष कई प्रकार से सुस्पष्टतः व्यक्त करके संतुष्ट होना पड़ा था।

उस सम्मेलन के प्रतिनिधियों और आगंतुकों ने एक विशाल जुलूस आयोजित किया और अत्याचारियों को अपनी विशाल संख्या का बोध कराया। इसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने चुने हुए दल के साथ महाद तालुका और यहां तक कि रायगढ़ किले का चक्कर लगाया। मैं ऐसा कुछ भी कहने से बचना चाहता हूँ जिसकी डॉ. अम्बेडकर उन कतिपय समाचारपत्रों, जिन्होंने कथित रूप से भ्रामक रिपोर्टें दी हैं, के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की सोच हैं अथवा संभवतरु आरंभ कर दी है।

---

1. खैरमोरे, खंड 3, पृष्ठ 239, 244, 245।

इस दल के भ्रमण ने महाद तालुका में एक सनसनी पैदा कर दी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समीपस्थ कुछ गांवों के मुसलमानों ने भी कुछ समाचारपत्रों में कथित रूप से भ्रामक रिपोर्टें दीं।

अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द

अब महाद के उप–न्यायाधीश ने अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द कर दी है। मुझे वादकालीन नोटिस पर निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं हुई है परंतु मुझे निश्चित सूचना मिली है कि यह एक सुविचारित और बहुत लंबा है।

न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि उन्होंने जब अंतरिम निषेधाज्ञा मंजूा की थी तब उन्हें भ्रमित किया गया था और उन्होंने वस्तुतः अपमान और दुख की निरंतरता में सहायक बने रहने के लिए दुख प्रकट किया है। इस चरण पर इससे अधिक नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि मुख्य मुकदमा अभी भी न्यायाधीन है। तथापि, इस समय यह एक सही उद्देश्य की स्पष्ट जीत है। तथाकथित अछूतों द्वारा नागरिक अधिकारों का एक ओर न्यायपालिका तथा दूसरी ओर कट्टरपंथ के बीच फंसे रहने की जोखिम को शामिल किए बिना, प्राख्यान किया जा सकता है।

महान 'गुरू का बाग संघर्ष' में सिख सत्याग्रहियों के प्रति लोगों की कम से कम हार्दिक और सर्वसम्मत सहानुभूति थी। महाद की घटना में ऐसा नहीं था। पुरातन पंथी हिन्दुओं के नेताओं ने पूना के प्रमुखों यहां तक कि हिन्दू सभा वालों की सलाह को भी सुनने से मना कर दिया था। जब अधिकारों के वास्तविक दावे की बात सामने आती है तो वही नेतागण यद्यपि नकारे जाने और असफल होने पर, महाद सत्याग्रिहयों के पक्ष में सुदृढ़ प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे जिसे स्थगित किया जाना था, फिर भी उसे अब पुनः प्रारंभ किया जा सकता है।

अगला अभियान

इस बार बहुत कम जोखिम और सफलता की अत्यधिक संभावनाओं के साथ यह अब पुनः प्रारंभ किया जाने वाला है। डॉ. अम्बेडकर, की जो मुकदमे के लिए महाद गए थे, अपनी बहुश्रुत बजट आलोचना देने के बाद, वापसी पर इस मास की 26 तारीख रविवार को दामोदर ठाकरसे हॉल, परेल में सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी।

डॉ. अम्बेडकर ने एक विद्वत्तापूर्ण भाषण में उस दिन मौजूद स्थिति का वर्णन किया और अपने अनुयायियों से उस शीघ्रतम तारीख पर जिस दिन पुनः अभियान प्रारंभ किया जा सकता है, विचार करने के लिए कहा। इस बैठक में दलित और

शोषित वर्ग के हजारों से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। हॉल खचाखच भरा हुआ था और मंच पर तथाकथित अछूतों के हिन्दू जाति के कुछ मित्र तथा इसके अतिरिक्त अछूत वर्गों के अधिकांश प्रख्यात सदस्य मौजूद थे।

अधिकांश भाषण इनके द्वारा दिए गए थे और वे अपने नेता डॉ. अम्बेडकर के प्रतिनिष्ठा और श्रद्धा से परिपूर्ण थे। एक वक्ता ने अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से बोला क्योंकि वे उनमें से एक थे जिन पर पिछले मार्च में जब प्रसिद्ध तालाब से जल लेने का पहला प्रयास किया गया था, किसी सवर्ण हिन्दूओं द्वारा हमला किया गया था।

उस समय यह अन्धाधुंध परिचालित किया गया था कि खालों को तालाब में धोया गया है और मोची जाति का होने के कारण, क्षतिग्रस्त सज्जन की कहानी गढ़ी गई और उसपर निरर्थक हमला थोपा गया। जैसाकि एक अन्य वक्ता ने स्पश्ट किया कि वास्तव में पानी उसके द्वारा लिया गया था और उस अन्य सज्जन को हमला झेलना पड़ा; जिनका नाम राजभोज है और जिन्हें हास्यपूर्वक भोज राजा कहा जाता था। पिछले रविवार की बैठक में कोई भी व्यक्ति स्पष्टतया जीवंतता देख सकता था।

एक महीने के भीतर

उन्हें देखना और अछूत कहना बेहूदा होगा। पुरातनपंथियों और रूढ़िवादियों की नजरों में वे ऐसे ही थे। उन्हें न केवल अछूतपन से स्वयं को सुधारना होगा बल्कि उन रूढ़िवादियों का भी उत्थान करना होगा जो पूर्वाग्रहों के दलदल में आकंठ डूबे हुए हैं। उनका संग्राम अनिवार्यतः देशभक्तिपूर्ण और मानवीय संघर्ष है।

ऐसे निर्जीव बोझ से राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। जब तक उन्हें समान बुनियादी अधिकार दिए और आश्वस्त नहीं किए जाते तब तक हिंदूवाद बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। अपने अधिकारों का दावा करने और स्वयं का उत्थान करने में तथाकथित अछूत वर्गों के ये योद्धा देश और हिंदू धर्म का उत्थान कर रहे हैं। डॉ. अम्बेडकर अब सही दिशा में उत्सुकतापूर्वक अगला अभियान आयोजित करने में व्यस्त हैं। इसे संभवतः एक महीने के भीतर, हिन्दू नव वर्ष के दिन, जब प्रत्येक हिन्दू परिवार ध्वज फहराता है, प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इन दलित और वंचित वर्गों के नेताओं ने उसी दिन ''सभी के लिए समान मानवाधिकारों'' का अपना ध्वज फहराना प्रस्तावित किया, और ईश्वर की इच्छा से वे इसे करेंगे।[1]

यह महाद सत्याग्रह के बारे में डी.वी. प्रधान का लेख इस प्रकार है –

---

1. द इंडियन नेश्नल हेराल्ड, दिनांक 28 फरवरी, 1928।

"न्याय की जीत"

जब पिछली मार्च में, डॉ. अम्बेडकर ने महाद में चौदार तालाब तक अछूतों का नेतृत्व किया तो हिन्दू जाति के रूढ़िवादी वर्ग की भूख और ''अपवित्रीकरण' पर नींद उड़ गई तथा गरीब असहाय अछूतों की तालाब से लौटते समय निर्दयता से पिटाई की गई। इसके शीघ्र बाद हुड़दंगियों और उपद्रवियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दायर किया गया तथा उन्हें सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए दंड दिया गया। धर्म के इन तथाकथित ''संरक्षकों'' द्वारा अछूतों को तालाब के समीप आने का विरोध करने का हर संभव प्रयास किया गया और रूढ़िवादी प्रेस द्वारा उनकी कार्रवाई को प्रोत्साहित किया गया। यह उनके सामान्य मानवाधिकारों की रक्षा के लिए था, जिसके लिए अछूतों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था और पिछले दिसम्बर में लगभग 10,000 लोग एकत्रित हुए, इनका एक सम्मेलन हुआ तथा सर्वसम्मति से तालाब तक यात्रा करने का संकल्प लिया गया। परंतु हिन्दू जाति के रूढ़िवादियों, ने जिन्हें इस संकल्प का पता चल गया था, तालाब का उपयोग कर रहे अछूतों के विरुद्ध इस आधार पर कि यह किसी श्री चौधरी और स्पृश्य वर्ग की निजी संपत्ति है, महाड के उप–न्यायाधीश ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। प्राधिकारियों से यह राहत प्राप्त करने के बाद स्पृश्यों ने सोचा कि उन्होंनें सरकार और अछूतों पर वर्चस्व प्राप्त कर लिया है। डॉ. अम्बेडकर ने तत्काल इस चाल को जान लिया। परंतु सिविल मुकदमे के निपटाए जाने तक सत्याग्रह स्थगित करने का निर्णय लिया। यह मुकदमा महाड के उप–न्यायाधीश श्री वैद्य के समक्ष दिनांक 23 फरवरी, 1928 को सुनवाई के लिए आया और डॉ. अम्बेडकर ने अपनी विलक्षण बहस से न केवल निषेधाज्ञा रद्द कराई बल्कि न्यायाधीश को सार्वजनिक तालाब के प्रयोग के उनके अधिकार की सहभाविकता से भी आश्वस्त किया। चूंकि पाबंदी हटा दी गई है इसलिए अब तालाब को बंबई विधान परिषद के संकल्प के अनुसार सार्वजनिक प्रयोग के लिए खोला जाना है।

सत्याग्रह प्रारंभ किया जाना

अब, रविवार दिनांक 26 फरवरी को बंबई में हुई लगभग 2000 लोगों की सार्वजनिक सभा में महाद में सत्याग्रह पुनः प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया। सत्याग्रह समिति की शीघ्र बैठक हो रही है और वास्तविक तारीख की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में देश के इस भाग में अछूत आंदोलन का अनुसरण और अध्ययन करने वाले बहुत सुरक्षित तथा निर्भीकतापूर्वक कह सकते हैं कि आंदोलन की

प्रकृति सार्वभौमिक है। यह तालाब के मात्र सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने के लिए नहीं था अपितु अपने को बहुआयामी कार्यकलापों के साथ इस किस्म का आंदोलन प्रत्यक्षतः नागरिकता के उनके साधारण विशेषाधिकारों का प्राख्यान करने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हाल ही की बात है कि डॉ. अम्बेडकर ने अछूतों के लिए खादी केंद्र खोलने के अपने आशय की और इस प्रकार सभी बुराइयों के विरुद्ध मन में सत्याग्रह और शरीर पर खादी सहित, महात्माजी के आर्शीवाद से, महान रचनात्मक कार्यक्रम की सहायता करने की घोषणा की, यह आंदोलन अवश्य सफल होगा।

अपने मित्रों से एक शब्द। चूंकि प्रत्येक अच्छे आंदोलन को बाधाओं के कई चरणों से गुजरना होता है और इसे मित्रवत् दुश्मनों तथा साथ ही सचमुच के दुश्मनों का सामना करना होगा, जिनमें से पूर्ववर्ती अधिक खतरनाक हैं – इसलिए भी इस सत्याग्रह के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का सामना करना होगा और अंत में विजयी होना होगा। मैं अपने मित्रों से केवल यही अपील करता हूं कि मित्रों अथवा दुश्मनों से इन कठिनाइयों का सामना करते समय उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपना साहस, धैर्य और दृढ़ता नहीं खोनी चाहिए अपितु शांतिपूर्ण तथा अहिंसक साधनों द्वारा नम्रतापूर्वक सफल अंत तक संघर्ष जारी रखना चाहिए।

ईश्वर मेरे पीड़ित बंधुओं को शक्ति और सवर्ण हिंदूओं को बुद्धि दे।[1]

उप–न्यायाधीश, महाद ने महाड निषेधाज्ञा रद्द कर दी –

चौदार तालाब – कोई निजी संपत्ति नहीं

मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा के लिए खेद व्यक्त

''मैं इस आदेश को मेरे द्वारा मंजूर की गई निषेधाज्ञा द्वारा तथा अत्यधिक क्रूर और अन्यायपूर्ण सामाजिक बुराइयों के अधीन पिस रहे समुदाय पर एक और गलती का बोझ लादने में सहायक होने पर यद्यपि वह अस्थायी थी, प्रतिवादियों को हुई असुविधा और कठिनाई पर खेद व्यक्त किए बिना पूरा नहीं कर सकता। मैं अपने द्वारा जारी निषेधाज्ञा को रद्द करता हूं।'' डॉ. अम्बेडकर और अन्य के विरुद्ध निषेधाज्ञा रद्द करते हुए उप–न्यायाधीश ने ऐसा कहा।

---

1. बंबई क्रॉनिकल, दिनांक 2 मार्च, 1928।

स्मरण रहे कि डॉ. अम्बेडकर और अन्य, को जो प्रसिद्ध चौदार तालाब से पानी लेने के मामले में महाद में सत्याग्रह करने के लिए गए थे जैसा श्री पांडुरंग रघुनाथ धरप और अन्य, जिन्होंने दावा किया कि संबंधित तालाब उनकी निजी संपत्ति है, द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार श्री जी.वी. वैद्य, उप–न्यायाधीश, महाद द्वारा दी गई निषेधाज्ञा से ऐसा करने से रोका गया था। समझा जाता है कि डॉ. अम्बेडकर और अन्य तथा हिन्दू कुछ लोगों ने पुनः सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। संभवतः वे हिन्दू नव वर्ष के प्रथम दिन अर्थात् लगभग तीन सप्ताह बाद अभियान प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि उनके विरुद्ध निषेधाज्ञा अब इस आधार पर रद्द कर दी गई है कि उक्त तालाब ''सरकारी नगरपालिका की संपत्ति'' है।

निषेधाज्ञा क्यों दी गई

दिनांक 23 फरवरी का निर्णय देते समय उप–न्यायाधीश ने मत व्यक्त किया था कि ''निषेधाज्ञा इस उपधारणा पर दी गई थी कि मुकदमे में चौदार तालाब निजी संपत्ति की प्रकृति का है। मुझे अब यह देखना है कि क्या प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उपधारणा है अथवा नहीं। मेरी राय में मेरे समक्ष प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा उपधारणा दृढ़तापूर्वक खंडन किया गया है।

साक्ष्य का विवेचन करते हुए, उप–न्यायाधीश राजस्व संबंधी रिकार्ड के अंशों की प्रतियों और तालाब के पानी के विशेष प्रयोग के लिए नगरपालिका को दिए गए अनेक लोगों के आवेदनों जैसे कतिपय अन्य दस्तावेजों का अवलम्ब लेते हैं और निश्चित रूप से विचार व्यक्त करते हैं।'' ये सभी कागजात दृढ़तापूर्वक सिद्ध करते हैं कि मुकदमे में वर्णित चौदार तालाब नगरपालिका में विहित सरकारी संपत्ति है, न कि किसी विशेष व्यक्ति की निजी संपत्ति जैसा कि वादियों द्वारा कहा गया है।''

निर्णायक साक्ष्य

न्यायाधीश आगे कहते हैं : ''यह उपधारणा कि मुकदमे में वर्णित तालाब नगरपालिका की संपत्ति है, इस तथ्य द्वारा और सुदृढ़ की गयी है कि तालाब के पुश्तों पर दो स्थानों में अभिलेख खुदे पत्थर के टुकड़े हैं। प्रतिवादियों के वकील के आवेदन पर स्थान का भ्रमण करने और इन शिलालेखों की प्रतिकृति बनाने के लिए न्यायालय तथा दोनों पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में एक आयुक्त नियुक्त किया गया था। यह न्यायालय तथा वादियों की ओर से मैसर्स जोशी एंड साटे तथा प्रतिवादियों की ओर से श्री वैद्य की उपस्थिति में किया गया था। क्रम संख्या

2 पर अंकित पत्थर के टुकड़े पर मराठी में खुदा नगरपालिका महाद 1899 शब्दों का स्पष्ट शिलालेख है। पत्थर के टुकड़े संख्या 1 पर कुछ शब्द स्पष्टतया दृश्य हैं जबकि अन्य को किसी के द्वारा मिटाया गया प्रतीत होता है और यह भी हाल का प्रतीत होता है।

वादी का हल्का और अपर्याप्त पक्षकथन

इन सभी साक्ष्यों की तुलना में, वादी धरप परिवार के बंटवारा विलेख (प्रदर्श संख्या 45) पर निर्भर करते हैं। ऊपरोक्त सभी साक्ष्य को देखते हुए मात्र इस तथ्य का उल्लेख कि वर्षों पूर्व धरप परिवार के कुछ सदस्यों ने अपने बीच अपने घर के सामने पुश्ते का बंटवारा किया था, बहुत कुछ संकेत नहीं देता और न ही नगरपालिका द्वारा किसी दिवाकर जोशी को दी गई उसके घर के सामने निर्मित पुश्ते की मरम्मत करने की नोटिस, प्रदर्श संख्या 44 ही, अधिक अर्थ देखती है, क्योंकि वह टूटी–फूटी दशा में है और वह तालाब के पानी को दूषित बना रहा है, इससे यह किसी भी प्रकार से तालाब पर वादियों का अधिकार नहीं माना जा सकता।

''कोई विशेष परिरक्षण नहीं''

अपने गुणागुण पर मुकदमे का चाहे कुछ भी अंतिम निर्णय हो, मैं इस समय पूर्णतः संतुष्ट हूं कि मुकदमे में वर्णित ''चौदार'' तालाब सरकारी नगरपालिका संपत्ति है, न कि वादियों द्वारा तथाकथित किसी विशेष व्यक्ति की निजी संपत्ति। तब प्रश्न यह उठता है कि क्या वादियों को उसका लाभ लेने से प्रतिवादियों को अपवर्जित करने का अधिकार है या नहीं। इसका उत्तर निस्संदेह ''नहीं'' है। ऐसी संपत्ति के मामले में, समुदाय के किसी वर्ग विशेष के पक्ष में कोई आरक्षण नहीं हो सकता और प्रतिवादियों को इसका लाभ लेने का उतना ही अधिकार है जितना वादियों का है। इसलिए अपूरणीय क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस मामले में नगरपालिका की संपत्ति होने और प्रतिवादियों का प्रयोग करने का वादियों के समान ही अधिकार होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उस अधिकार के उनके प्रयोग से वादियों को कोई क्षति पहुँचती है।

वादियों के अधिवक्ता की असंतोषजनक बहस

वादियों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री वीरकर द्वारा तर्क दिया गया कि स्वयं उनकी स्वीकृति पर, प्रतिवादियों ने अभी तक मुकदमे में वर्णित तालाब के प्रयोग का लाभ नहीं उठाया है। परंतु, जब एक बार यह दर्शाया जाता है कि संपत्ति निजी नहीं है अपितु सार्वजनिक है और जनता के लिए खुली है तब कितनी भी लम्बी अवधि

के दौरान प्रतिवादियों द्वारा तालाब का प्रयोग नहीं किया जाना उनके हक को किसी भी प्रकार कम नहीं कर सकता। मैं अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से संतुष्ट हूं कि मुकदमे में वर्णित तालाब वादियों की निजी संपत्ति नहीं है अपितु यह सरकारी नगरपालिका की संपत्ति है और प्रतिवादियों को उसके उपयोग का उतना ही अधिकार है जितना वादियों को है तथा ऐसे अधिकार के प्रयोग में कोई भी हस्तक्षेप पूर्णतः गैर–कानूनी होगा।

मैं इस आदेश को अपने द्वारा दी गई निषेधाज्ञा, यद्यपि वह अस्थायी थी, और अत्यधिक क्रूर और अन्यायपूर्ण सामाजिक बुराइयों के अधीन एक समुदाय पर एक और गलती का बोझ लादने में सहायक थी, द्वारा प्रतिवादियों को हुई असुविधा और कठिनाई पर खेद व्यक्त किए बिना पूरा नहीं कर सकता। मैं अपने द्वारा जारी निषेधाज्ञा रद्द करता हूं।''[1]

निषेधाज्ञा रद्द करने के बाद बंबई में आयोजित बैठक की पुलिस रिपोर्ट निम्नलिखित है –

अछूत एवं महाद में सत्याग्रह

दलित और वंचित वर्गों की एक सार्वजनिक बैठक 26 फरवरी को दामोदर ठाकरसे हॉल में आयोजित हुई थी जब जी.एन. सहस्रबुधे ने लगभग 500 लोगों की सभा की अध्यक्षता की।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जो प्रमुख वक्ता थे, ने कहा कि चूंकि महाद न्यायालय के उप–न्यायाधीश ने उनके और सत्याग्रही पार्टी के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द कर दी थी इसलिए वे पुनः सत्याग्रह करने का प्रश्न बंबई की सत्याग्रह समिति के विवेक पर छोड़ देंगे।

निषेधाज्ञा रद्द किए जाने के बाद ''इंडियन नेशनल हेराल्ड'' द्वारा व्यक्त विचार–

सामान्य मानवाधिकार

महाद के उप–न्यायाधीश के अपने द्वारा डॉ. अम्बेडकर और दलित वर्ग के अन्य नेताओं के विरुद्ध जारी अस्थायी निषेधाज्ञा रद्द करने के बाद, समझा जाता है दलितवर्ग महाद में सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के अपने नागरिक अधिकार का प्राख्यान करना चाहते हैं। जब पिछली मार्च में दलित वर्ग के सदस्यों ने जो उसी स्थान में

---

1. द बंबई क्रॉनिकल, दिनांक 3 मार्च, 1928।

एक सम्मेलन में मिले थे, तालाब के पास पहुंचने का प्रयास किया और। ''उच्चतर'' हिंदू वर्ग के लोगों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा मारपीट की गई तथा कुछ चमारों को गंभीर चोटें पहुंची। इन उच्च वर्ग के हिन्दुओं के नेताओं ने तब इस आधार पर कि ''अछूतों'' द्वारा उन पर मौजूदा प्रथागत पाबंदी के उल्लंघन में तालाब से पानी लेने का प्रयास सार्वजनिक शांति को खतरा उत्पन्न करेगा, जिलाधीश से दंड संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा की मांग की।

जिलाधीश ने कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। उन्होंने तब उप–न्यायाधीश को आवेदन दिया और वे ''अछूतों'' के नेताओं के विरुद्ध उनसे अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने में सफल रहे और इसके फलस्वरूप अपेक्षित सत्याग्रह तथा तालाब से पानी लेने की दृष्टि से वहां तक ''उच्च'' जाति की अवज्ञा में यात्रा करने का विचार त्याग देना पड़ा। तथापि, अब उप–न्यायाधीश ने इस साक्ष्य से कि ''ऐसे अधिकार के प्रयोग में कोई भी हस्तक्षेप गैर–कानूनी होगा'', अपने समाधान की घोषणा करते हुए निषेधाज्ञा रद्द कर दी है। तथाकथित उच्च जाति के लोगों को जनता के किसी सदस्य को तालाब, से जो निजी संपत्ति नहीं है और जैसा कि वे स्वयं पूर्णतः जानते हैं कि वह नगरपालिका का तालाब है और जिसे कोई भी व्यक्ति, जो जाति के पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, स्वीकार करेगा, पानी लेने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारियों को मामले में कोई संदेह था तो उसे यह घोषणा करते हुए कि नगरपालिका के सभी तालाब, कुंए और धर्मशालाएं बिना किसी भी भेदभाव के जनता के सभी वर्गों के लिए खुले होने चाहिएं, बंबई विधान परिषद द्वारा सितम्बर, 1926 में पारित संकल्प द्वारा दूर कर दिया गया है। यह अकल्पनीय है कि समुदाय के किसी वर्ग को उनकी अपनी जाति की वैयक्तिक ''श्रेष्ठता'' की धारणा के कारण किसी अन्य वर्ग को सार्वजनिक निधि से प्रदान की गई सुविधाओं का उपभोग करने से रोकने का अधिकार हो। ऐसी धारणा का न केवल दलित और वंचित वर्गों के हित में बल्कि इससे भी अधिक स्वयं तथाकथित श्रेष्ठ वर्गों के हित में भी तिरस्कार किया जाना चाहिए। पूर्णतः अनुचित होने के साथ–साथ अपने साथियों और मानव जाति के साथ ऐसे व्यवहार से उच्च जातियों के लिए बहुत अवांछनीय परिणाम होंगे क्योंकि कभी न कभी दलित अनुचित रूप से नकारे गए अपने मानवीय, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ आगे आएंगे और उनकी उत्कट भावना उनके पूर्व दमनककारियों पर भारी पड़ सकती है।

राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दलित वर्गों की सहानुभूति के हस्तांतरण को वर्तमान दुखद दशाओं के स्थायीकरण के विरुद्ध पर्याप्त चेतावनी भी मानना होगा। आइए आशा करें कि जब कुछ दिनों में डॉ. अम्बेडकर और उनकी जाति के उनके अनुयायी महाद की ओर वहां सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के अपने अधिकार पर दृढ़ रहने

के लिए प्रस्थान करेंगे तब कोई विरोध ही नहीं होगा बल्कि सवर्ण हिन्दू ''जाति'' के लोगों की ओर से उनका हार्दिक और सौहार्दपूर्ण स्वागत होगा। ऐसी कारवाई उनके साथियों को क्रूरतापूर्वक दिए गए घावों को भरने में बहुत सहायक होगी।''[1]

महाद सत्याग्रह ने कुछ हिन्दूओं की सामाजिक प्रवृत्तियों को परिवर्तित कर दिया। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित है –

''जातियों को दूर करना

बंबई में सर्वजाति रात्रि भोज

दामोदर ठाकरसे हॉल, परेल में 5 तारीख को समाज–समता संघ (सामाजिक समानता लीग) के तत्वावधान में सर्वजाति रात्रि भोज आयोजित किया गया।

इस रात्रि भोज में तथाकथित 50 अछूतों सहित विभिन्न जातियों के लगभग 1500 व्यक्तियों ने भाग लिया। श्री डी. वी. नायक, ब्राह्मण–ब्राह्मणेत्तर के संपादक और लीग के उपाध्यक्ष ने अतिथियों का यह कहते हुए स्वागत किया कि लीग द्वारा ऐसे रात्रि भोजों का आयोजन जाति के बंधनों को जिसने सामान्यतया भाारतीय राष्ट्र और विषेषतया हिन्दू समाज को विभाजित और विघटित किया है, दूर करने के लिए किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि परस्पर मेलजोल और परस्पर भोजन के माध्यम से ही जाति प्रथा की बुराई नष्ट की जा सकती है और समान स्तर पर आधारित एक नया समाज विकसित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वे सभी न केवल अपरिहार्य आवश्यकता (आपद–धर्म) के कारण बल्कि एक निश्चित प्रयोजन और उस कठोर प्रथा की जिसने प्रेम और भाईचारे की ऐसी स्वीकृतियों को अस्वीकार और निषिद्ध किया है, असहनीय बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूर्ण जानकारी और संकल्प से वहां एकत्र हुए थे।

उन्होंने अतिथियों को आश्वस्त किया कि अपने विद्वान अध्यक्ष डा. अम्बेडकर के योग्य मार्गनिर्देशन में लीग सदैव उन लोगों का स्वागत और सहायता करेगी, जो अद्वितीय साहस के साथ स्वयं तथा राष्ट्र को वर्तमान अमानवीय जाति–पीड़ित समाज से मुक्त करने के लिए आगे आएंगे।

''संदेश'' के संपादक श्री ए.बी. कोल्हाटकर, ने ऐसे समारोहों का महत्व इंगित करते हुए लीग के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हिन्दू समाज ऐसी बालू

---

1. द इंडियन नेश्नल हेराल्ड, दिनांक 6 मार्च, 1928 ।

रेत की घड़ी के समान है जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था किन्तु अब समय आ गया है जब उन्हें वे हिचक अन्य जातियों और विशेषकर तथाकथित अछूतों को स्थान देना चाहिए। उन्होंने आगे विश्वास व्यक्त किया कि अगर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार की वर्तमान बुराईयों का उन्मूलन किया जाना है तो वह तथाकथित अछूतों में जन्म लेने वाले एक नए शिवाजी की सहायता के माध्यम से ही किया जा सकता है।

बंबई महाराष्ट्र युवा मंडल के सचिव श्री वी. बी. कार्णिक ने जाति प्रथा तथा धर्म और पंथ के आधार पर किए गए भेदभाव के समापन तथा अंतर्जातीय रात्रि भोजों के आयोजन और अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से उसके द्वारा पारित एक संकल्प की ओर ध्यान दिलाया और वचन दिया कि मंडल लीग, को जो पहले से ही ऐसे राष्ट्रीय कार्य के क्षेत्र में कार्यरत है, पूरे मन से सदैव अपना समर्थन देगा।

श्री एम. आर. मेनन ने कहा कि वे तथाकथित अछूतों के लिए महाद में सार्वजनिक तालाब से पेयजल के सर्वाधिक बुनियादी मानवाधिकार की प्राप्ति के लिए डॉ. अम्बेडकर को उनके द्वारा किए गए न्यायसंगत कार्य के लिए शुभेच्छा व्यक्त करने हेतु वहां गए थे।''[1]

''सरकारी संकल्प के बावजूद अछूतों को वर्ष 1932 में पानी लेने की अनुमति नहीं दी गई, बम्बई सरकार ने नासिक जिले में दलित वर्गों की दशा की–जांच पड़ताल करने के लिए सिमिंगटन, आई. सी. एस. और जकेरिया मनियार को शामिल करते हुए एक समिति गठित की। रिपोर्ट के एक अध्याय से पता चला कि उस जिले में ग्यारह सौ से अधिक जिला स्थानीय बोर्ड के कुंए हैं, जिनमें से वर्ष 1923 के सरकारी संकल्प के बावजूद, अछूतों को पानी लेने की अनुमति नहीं दी गई थी।''[2]

इस बीच सवर्ण हिन्दूओं और दलित वर्गों के बीच विभिन्न न्यायालयों में कानूनी लड़ाई चल रही है। इन घटनाओं का सारांश निम्नलिखित है :–

''थाना जिला न्यायालय में सुनी गई अपील

थाना, 20 मार्च

श्री बी. एन. संजना, जिला न्यायाधीश, थाना ने आज श्री वैद्य, उप–न्यायाधीश,

---

1. द इंडियन नेश्नल हेराल्ड, दिनांक 15 मार्च, 1928 ।
2. कीर, पृष्ठ 197 ।

महाद द्वारा पूर्व में चौदार तालाब के प्रयोग में महाद के अछूतों को रोकने के विरुद्ध दी गई अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द करने वाले उनके निर्णय के विरुद्ध महाद के पांडुरंग वामन धरप और अन्य द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई की।

जिला न्यायाधीश ने प्रत्यार्थियों को महाद सिविल न्यायालय में स्पृश्यों द्वारा दाखिल किए गए घोषणात्मक वाद का उपयोग करने से रोकते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा मंजूर करते आदेश पारित किया।''[1]

कोलाबा, 3 मार्च–2 मार्च के बंबई क्रॉनिकल ने निम्नलिखित प्रकाशित किया : ''बंबई में 26 फरवरी, रविवार को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया। महाद में सत्याग्रह पुनः प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया। सत्याग्रह समिति की शीघ्र ही बैठक हो रही है और निश्चित तारीख की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।''[2]

''महाद में सत्याग्रह : .... पुनः प्रारंभ

पैरा 309 के अनुसार, कोलाबा, 17 मार्च हाल में कई रिपोर्टें आई हैं कि महाद सत्याग्रह 22 मार्च को पुनः प्रारंभ किया जाने वाला है; परंतु डॉ. अम्बेडकर, ने जिन्होंने इसे पुनः प्रारंभ करने के पूर्व पंद्रह दिनों की नोटिस देने का वचन दिया है, व्यक्तिगत रूप से उसे नकारा हैं''।[3]

''488, पैरा 52 के अनुसार, कोलाबा, 24 मार्च, उप–न्यायाधीश, महाद के चौदार तालाब से संबंधित आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील में जिला न्यायालय, थाना ने तालाब से संबंधित मुकदमे का अंतिम निर्णय होने तक अछूतों को तालाब में प्रवेश करने से रोकते हुए एक आदेश पारित किया है।''[4]

महाद के उप–न्यायाधीश माननीय वी. आर. सर्राफ ने दिनांक 8 जून, 1931 को प्रतिवादियों डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और अन्यों के पक्ष में निर्णय दिया, क्योंकि अपीलकर्ता सवर्ण हिन्दू तालाब के अपने स्वामित्व को सिद्ध नहीं कर सके। इस प्रकार चौदार तालाब सार्वजनिक तथा अछूतों के लिए भी खुला घोषित किया गया।

सवर्ण हिन्दू अपीलकर्ताओं ने निर्णय के विरुद्ध थाना के जिला न्यायालय में अपील दाखिल की। द्वितीय सहायक न्यायाधीश माननीय एस. एम. कोकनी ने दिनांक 30

---

1. द इंडियन नेश्नल हेराल्ड, दिनांक 22 मार्च, 1928 ।
2. बंबई सीक्रेट एब्सट्रेक्ट दिनांक 17 मार्च, 1928, पैरा 309 ।
3. बंबई सीक्रेट एब्सट्रेक्ट, दिनांक 31 मार्च, 1928, पैरा 428 ।
4. बंबई सीक्रेट एब्सट्रेक्ट, दिनांक 7 अप्रैल, 1928 ।

जनवरी, 1933 को प्रतिवादियों डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और अन्य के पक्ष में मुकदमे का निर्णय दिया।

इसके बाद सवर्ण हिन्दू अपीलकर्ताओं ने बंबई उच्च न्यायालय, में पुनः अपील फाइल की। यह मामला चार वर्षों तक चला। अंत में न्यायमूर्ति ब्रूमफील्ड और न्यायमूर्ति वाडिया ने सर्वण हिन्दूओं की अपील दिनांक 17 मार्च, 1937 को नामंजूर कर दी क्योंकि वे चौदार तालाब की भूमि पर अपना स्वामित्व सिद्ध नहीं कर सके।

बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है :

''अपीली डिक्री के विरुद्ध से वर्ष 1933 की अपील संख्या 462

नरहरि दामोदर वैद्य और अन्य

(मूल वादी संख्या 2 से 6) ....अपीलकर्ता

बनाम

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर, सदस्य, संयुक्त संसदीय समिति, लंदन और अन्य

(मूल प्रतिवादी) ....प्रत्यर्थी

वर्ष 1931 की अपील संख्या 32 में थाना में एस. एम. कैकिनी, एस्क्वायर, द्वितीय सहायक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील

अपीलकर्ता की ओर से........................ श्री वी.बी. वीरकर

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से............................ श्री बी. जी. मोदक के साथ अधिवक्ता श्री एस. वी. गुप्ते

ता. 17 मार्च, 1937

गणपूर्ति :– न्याय. एन.जे. ब्रूमफील्ड और न्याय. जे.जे. वाडिया

न्याय. श्री एन. जे. ब्रूमफील्ड द्वारा मौखिक निर्णय सुनाया गया :–

महाद नगर के सवर्ण हिन्दुओं की ओर से अपीलकर्ताओं ने उन प्रत्यार्थियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया था, जिन्होंने इस घोषणा के लिए कि शहर के समीप चौदार तालाब उनका है और यह कि केवल उन्हें ही उसके प्रयोग का अधिकार है तथा प्रत्यर्थी उसका उपयोग करने के हकदार नहीं है और उसका उपयोग न करने के लिए प्रत्यार्थियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा के लिए तथाकथित ''अछूतों का प्रतिनिधित्व किया। अब स्वामित्व के दावे का आग्रह नहीं किया गया है और जैसा विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है, यह माना जाता है कि तालाब का स्वामित्व भू–राजस्व संहिता की धारा 37 के प्रावधानों के अधीन सरकार के पास है और अब यह जिला नगरपालिका अधिनियम की धारा 50 के अधीन महाद नगरपालिका में निहित है। अब यह भी माना जाता है कि हिन्दू दुनिया में सब की तुलना में तालाब के विशिष्ट प्रयोक्ता के

रूप में हकदार नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी यह दलील दी गई है कि अपीलकर्ताओं को स्वयं इसका प्रयोग करने और 'अछूतों'' को उससे अपवर्जित करने का अधिकार है और इस अधिकार को स्मरणातीत प्रथा पर आधारित बताया गया है।

विचारण न्यायाधीश का निष्कर्ष था कि वादियों ने ''अछूतों'' को तालाब के पानी का प्रयोग करने के अपवर्जन की दीर्घकालीन प्रथा (उन्होंने इसे स्मरणीय के रूप में वर्णित नहीं किया है) सिद्ध की है। तथापि उन्होंने निर्णय दिया कि यह प्रथा वादियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं सौंपती क्योंकि ''एक वर्ग द्वारा सार्वजनिक तालाब का मात्र प्रयोक्ता होना और दूसरे का अप्रयोक्ता होना कोई कानूनी अधिकार अथवा स्वामित्व का अधिकार नहीं देता।'' अपील में सहायक न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि हिन्दुओं ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उन्हें ''अछूतों'' को अपवर्जित करने का कोई कानूनी अधिकार है। उन्होंने कुछ हद तक प्राधिकृत रिपोर्ट में प्रकटतः प्रकाशित न किए गए किन्तु वर्ष 1913 में मद्रास डब्ल्यू एन 247 और 18 इंडियन केसेज़ 979 में पाए जाने वाले एक मामले– सर सदाशिव अय्यर बनाम वैथीलिंगा के निर्णय का अवलम्ब लिया, किन्तु उनका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रथा को स्मरणातीत नहीं दर्शाया गया है।

चौदार तालाब नगर की बाहरी सीमा पर चार से पांच एकड़ के बीच में स्थित एक छोटी झील अथवा बड़ा तालाब है। यह चारों ओर से नगरपालिका की सड़कों से घिरा है, जिसके बाद हिन्दुओं (और बहुत थोड़े मुसलमानों) के घर हैं तथा इन घरों के स्वामियों के पास कई मामलों में तालाब, घाटों अथवा पानी में उतरने के लिए सीढ़ियों के किनारे और किनारों के साथ–साथ मिट्टी से निर्मित बांधों पर भूमि की पट्टियों का भी स्वामित्व है। यहां कहीं भी आसपास ''अछूतों'' के कोई घर नहीं हैं। इस बात को छोड़कर कि स्वीकृत रूप से तालाब 250 वर्ष पुराना है, यह ज्ञात नहीं है कि तालाब कितना पुराना है। इसकी उत्पत्ति का कोई साक्ष्य नहीं है। यहां तक कि यह भी स्पष्ट नहीं हैं कि यह कृत्रिम है। विचारण न्यायाधीश का मत था कि यह ''मिट्टी के अस्तर में एक प्राकृतिक खुदाई है, जिसकी निस्संदेह मानव एजेंसी द्वारा मरम्मत की गई है तथा नया रूप दिया गया है।'' अगर ऐसा है और यह बिन्दु हमारे समक्ष जिरह के लिए विवादित नहीं था तो यह संभवतः सदियों पुराना है। जलापूर्ति मानसून से तथा कुछ प्राकृतिक झरनों से होती है। महाद शहर की जनसंख्या सात और आठ हजार के बीच है, जिसमें से 400 से भी कम ''अछूत'' हैं। नगरपालिका वर्ष 1865 में स्थापित हुई थी, परंतु इस मामले के रिकार्ड पर किसी तारीख को शहर के पूर्व इतिहास का अथवा उस समय जब स्थल पर सर्वप्रथम आबादी बसी थी, कोई साक्ष्य नहीं है।

वादियों ने कई गवाहों की जांच की, जिनमें से कई पुराने निवासी थे, जिनके साक्ष्य द्वारा यह स्थापित किया जाना कहा जा सकता है कि स्मरण की अवधि में तालाब का प्रयोग हिन्दुओं (और कुछ मुसलमानों) द्वारा किया गया है तथा उसका ''अछूतों'' द्वारा कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। वास्तव में यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 1927, जब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ''छूआछूत'' के सिद्धांतों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था और कुछ ''अछूतों'' ने विरोध के रूप में पानी पिया था, के पूर्व अछूतों ने उसका कभी भी प्रयोग नहीं किया था। उनकी हिन्दुओं द्वारा पिटाई की गई और दांडिक अभियोजन हुआ, जिसके कारण वर्तमान मुकदमा हुआ। चूंकि उसके पूर्व तालाब का प्रयोग करने के लिए ''अछूतों'' द्वारा किए गए किसी प्रयास का कोई रिकार्ड नहीं है इसलिए अपवर्जन के किसी सकारात्मक कृत्य का साक्ष्य नहीं है। प्रावधान एक पक्ष द्वारा प्रयोग और दूसरी पार्टी द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना है। यह निस्संदेह किन्हीं आकस्मिक कारणों से स्वीकार्य नहीं था बल्कि ''छूआछूत'' के सिद्धांत की जिसे हाल के वर्षों तक खुली चुनौती नहीं दी गई थी, परस्पर स्वीकृति के कारण था।

विद्वान सहायक न्यायाधीश इस तथ्य पर टिप्पणी करते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के पूर्व ''अछूतों'' के अपवर्जन का कोई साक्ष्य नहीं है और यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि विशिष्ट प्रयोक्ता का अपवर्जन मराठा शासन अथवा मुसलमानों के शासन काल में लागू था। निस्संदेह जीवित लोगों की स्मृति में पीछे जाकर साक्ष्य प्रस्तुत करना सदैव आवश्यक नहीं होता है। किसी अवधि, यहां तक कि उससे भी कम के प्रयोग के साक्ष्य पर न्यायालयों ने बारम्बार यह निर्णय लेने में औचित्य महसूस किया है कि साक्ष्य के अभाव में, इसके विपरीत, एक प्रथा स्मरणातीत काल से मौजूद रही है। और न ही निस्संदेह इस किस्म के मामले में किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा अपवर्जन के सकारात्मक कृत्य का साक्ष्य होना आवश्यक नहीं है। जब तक हिन्दूओं द्वारा उपभोग को चुनौती नहीं दी गई थी तब तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हो सकता था और ''अस्पृश्यता'' के सिद्धांत के विद्यमान रहने और स्वीकृत किए जाने तक इसे चुनौती देने की संभावना नहीं होगी। परंतु स्मरण काल अवधि के दौरान मौजूद प्रथा का सिद्ध होना ऐसे मामले में, जहां दशाएँ स्थायी और स्थिर मानी जा सकती हैं ताकि यह निष्कर्ष निकालना उचित हो सके कि साक्ष्य द्वारा शामिल अवधि के दौरान जो कुछ हुआ वह स्मरणातीत काल से भी हुआ है, कानूनी स्मृति की अवधि के पूर्व मौजूद होना ही माना जा सकता है। हमारी राय में, यहीं वादियों का मामला खंडित हो जाता है। जब तक दशाएं बिल्कुल समान थीं, जब तक सवर्ण हिन्दुओं के घर तालाब को घेरे हुए थे (जो आवश्यक रूप से बहुत लंबा नहीं है क्योंकि तालाब शहर के बाहरी हिस्से में है और इसके आसपास की भूमि को मूल बस्ती के पर्याप्त

विस्तार के बाद तक कब्जाए जाने की संभावना नहीं होगी), तब तक सुरक्षित रूप से पूर्वानुमान किया जा सकता है कि वर्तमान के समान ही प्रथा थी। तथापि, यह पूर्वानुमान करना सुरक्षित नहीं होगा कि कथित प्रथा को स्थापित करने के लिए पर्याप्त अवधि के दौरान स्थितियाँ समान रही हैं। कोंकण का अपेक्षाकृत आधुनिक काल में भी उतार–चढ़ाव का इतिहास रहा है और यह मानना कि सवर्ण हिन्दू स्मरणातीत काल से इस रूप में स्थित इस बड़े प्राकृतिक जलाशय पर अनन्य नियंत्रण रखने की स्थिति में रहे हैं, युक्तियुक्त संभाव्यता के विपरीत होगा।

इस संबंध में, *मरियप्पा बनाम वैथीलिंगा* में सर सदाशिव अयय्यर की मताभिव्यक्ति बहुत शिक्षाप्रद है। वे मनु की उक्ति को उदधृत करते हैं; ''जल तब तक शुद्ध रहता है जब तक गाय अपनी प्यास बुझाने के लिए जाती है और उसमें अच्छी सुगंध, रंग तथा स्वाद होता है'', और वे इंगित करते हैं कि शास्त्रीय लेखों में नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों, जो अधिक सरलतापूर्वक संदूषित हो जाते हैं और जहां समय, वायुमंडलीय दशाओं और जल के आवागमन द्वारा शुद्धिकरण बहुत अधिक कठिन होता है, के बीच भेद किया गया है।'' विद्वान न्यायाधीश सुझाव देते हैं कि हिन्दू धर्म के अधिदेश को एक बड़े खुले तालाब में पानी प्रदूषण के प्रति किसी विस्तृत सावधानी की अपेक्षा नहीं होगी, और वह महाद में चौदार तालाब से काफी छोटे एक गांव के तालाब पर कार्रवाई कर रहा है। इसलिए, ''अस्पृश्यता'' के सिद्धांत द्वारा अपीलकर्ताओं के मुकदमे को बहुत अधिक समर्थन प्रदान करना प्रतीत नहीं होता और यह संदेहास्पद है कि क्या तब तक जल के अनन्य प्रयोक्ता को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास किया जाएगा जब तक तालाब के चारों ओर सवर्ण हिन्दुओं के घर नहीं बस जाते।

यह एकमात्र मुकदमा है, जिसपर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। यह वर्णन जल–स्रोत के स्थल के प्रयोग से अछूतों को अपवर्जित करने के दावे के बारे में है। मंदिर प्रवेश का मुकदमा अर्थात् आनंदराव एन. शंकर (1883), आईएलआर 7 बंबई, 323 और *शंकरलिंगा बनाम राजेश्वर,* (1908) आईएलआर, 31 मद्रास 236 पीसी, वास्तव में सुस्पश्ट नहीं हैं। ऐसे मुकदमे में, अन्य जातियों और समुदायों द्वारा दीर्घकालीन चलन की मौन स्वीकृति, स्वाभाविक रूप से उच्च जाति के अनन्य प्रयोग के लिए समर्पण की उपधारणा को जन्म दे सकती है और ''अछूतों'' पर यह सिद्ध करने का बोझ डाल सकती है कि वे ऐसे लोगों में से हैं, जिनकी पूजा के लिए एक विशिष्ट मंदिर मौजूद है। यह नहीं कहा जा सकता कि यहां रूढ़ि के किसी विधिपूर्ण उत्पत्ति की ऐसी कोई उपधारणा उत्पन्न होती है।

इसलिए हम विद्वान सहायक न्यायाधीश से सहमत हैं कि अपीलकर्ताओं ने स्मरण ातीत रूढ़ी; जिसे वे अभिकथित करते हैं, सिद्ध नहीं की है। अगर इस बिन्दु पर

वे सफल हो जाते तो यह विचार करना आवश्यक होता कि क्या वह रूढ़ि अनुचित अथवा सार्वजनिक नीति के विपरीत है (यद्यपि सख्ती से कहें तो इस पर निचले न्यायालयों में जिरह नहीं की गयी थी)। नगरपालिका में चौदार तालाब निहित करने के कानूनी प्रभाव पर विचार किया जाना निश्चित रूप से आवश्यक हुआ होगा, और यह प्रश्न कि क्या किसी मामले में अपीलकर्ताओं को इस मुकदमे में जिसमें कानूनी स्वामी कोई पक्ष नहीं है, कोई राहत प्रदान की जा सकती है या नहीं। परंतु चूंकि जिस दृष्टि से हम यह मामला आगे बढ़ाते हैं, इन प्रश्नों पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है और चूंकि उन पर बहुत पूर्णतः अथवा प्रभावी रूप से बहस नहीं की गई है, इसलिए हम कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते।

अपील खर्चे सहित खारिज की गई।

बंबई उच्च न्यायालय की मुहर

न्यायालय के आदेश द्वारा
ह./–
आर. एस. बावडेकर

रजिस्ट्रार
ह./–

उच्च न्यायालय अपील अधिकारिता
प्रमाणित प्रतिलिपि
बंबई

कृते उप–रजिस्ट्रार
28 जून, 1960[1]

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के इन शब्दों को कि ''मांगने से, और हड़पने वालों के अन्तःकरण से अपीलों द्वारा खोए हुए अधिकार कभी भी पुनः प्राप्त नहीं होते बल्कि अनथक संघर्ष से प्राप्त होते हैं'' महाद सत्याग्रह द्वारा सिद्ध किया गया है – संपादक।

---

1. खैरमोर; खंड 3, पृष्ठ 258–263 ।

खण्ड–II

डॉ. अम्बेडकर – महात्मा गांधी बैठकें

1

मेरी कोई मातृभूमि नहीं

जुलाई, 1931 के तीसरे सप्ताह में गोल मेज सम्मेलन के दूसरे सत्र के लिए प्रतिनिधियों के नाम घोषित किये गये थे। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गाँधी को लंदन में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अभी तक यह निर्णय नहीं लिया गया था कि महात्मा गाँधी गोल मेज सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। स्वाभाविक रूप से, सभी की निगाहें बंबई में मणिभवन पर केंद्रित थीं, जहां महात्मा गाँधी निवास कर रहे थे। गाँधी जी अपनी मांगों के बारे में डॉ. अम्बेडकर से कहना चाहते थे। इसलिए गाँधी जी ने अम्बेडकर को लिखा,

''डॉ. अम्बेडकर,

मैं आपसे आज रात्रि 8.00 बजे मिलने आऊंगा अगर आप कुछ समय दे सकें। अगर आपके लिए आना असुविधाजनक है मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके निवासस्थान पर आना चाहूंगा।

आपका

एम. के. गाँधी''[1]

बंबई

6.8.1931

''डॉ. अम्बेडकर अभी–अभी सांगली से पहुंचे थे और उन्हें बुखार था। उन्होंने उत्तर में लिखा कि वे स्वयं गाँधी जी के पास उस रात 8 बजे जाएंगे। परंतु शाम को बुखार 106 डिग्री तक पहुंच गया, इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने संदेश भेजा कि वे बुखार कम होने के बाद आएंगे।

तत्पश्चात्, अम्बेडकर दिनांक 14 अगस्त, 1931 को अपराह्न 2 बजे मणिभवन में गाँधी से मिलने गए। उनके लेफ्टिनेंटों का एक दल, देवराव नायक, शिवतारकर, प्रधान, भाऊराव गायकवाड और कादरेकर उनके साथ, गये। जब डॉ. अम्बेडकर को तीसरे तल पर ले जाया गया तब गाँधी अपनी पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे और कुछ फल खा रहे थे। डॉक्टर और उनके दल ने गाँधी का अभिवादन किया और कम्बल पर बैठ गए।

---

1. रत्नाकर गणवीर, अम्बेडकर–गांधी : तीन मुलाकाती (मराठी), पृष्ठ 9 ।

एक विशिष्ट तरीके से, जिसका गाँधी, गैर मुसलमानों और गैर–यूरोपीय नेताओं और प्रतिनिधियों से बातचीत करने में अनुपालन करते थे। पहले तो कुछ देर उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को नहीं देखा और सुश्री स्लेड तथा अन्य लोगों के साथ बातचीत करते रहे। डॉ. अम्बेडकर के लोगों को अब यह भय लगने लगा था कि गाँधी की ओर से और थोड़ी सी उदासीनता से संघर्ष की स्थिति जाएगी। तभी गाँधी, अम्बेडकर की ओर मुड़े, जिन्हें उन्होंने पहली बार देखा था और वे औपचारिक प्रश्न के बाद मुख्य विषय पर आए।

गाँधी – अच्छा कहिए डॉक्टर आपको इस विषय में क्या कहना है?

अम्बेडकर : आपने मुझे आपके विचार सुनाने के लिए बुलाया है। कृपया मुझे बताएं कि आपको क्या कहना है। अथवा आप कृपया मुझसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उत्तर दूंगा।

गाँधी! : (अम्बेडकर की ओर एकटक देखते हुए): मैं समझता हूँ, आपकी मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपने स्कूल के दिनों से ही जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब से अछूतों की समस्या पर सोचता रहा हूँ। आप संभवतः जानते होंगे, मैंने इस समस्या को कांग्रेस के कार्यक्रम में सम्मिलित करने और इसे कांग्रेस के मंच का एक घोषणापत्र बनाने का बहुत प्रयास किया था। कांग्रेस के नेताओं ने इस तर्क पर इसका विरोध किया कि यह एक धार्मिक और सामाजिक प्रश्न है और इसीलिए इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस ने अछूतों के उत्थान पर बीस लाख रुपए से अधिक व्यय किया है और यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करें। अगर आपको अपनी बात के औचित्य में कुछ कहना है तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अम्बेडकर : यह सही है, महात्माजी, आपने मेरे जन्म से पूर्व अछूतों की समस्या के बारे में सोचना प्रारंभ किया था। सभी वृद्ध और वयस्क व्यक्ति सदैव आयु के मसले पर बल देना चाहते हैं। यह भी सत्य है कि आपके कारण कांग्रेस पार्टी ने इस समस्या को मान्यता दी। परंतु मुझे स्पष्ट रूप से आपसे कहना है कि कांग्रेस ने इस समस्या को औपचारिक मान्यता देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के उत्थान के लिए बीस लाख रुपए से अधिक व्यय किया है। मैं कहता हूं यह पूरी बर्बादी थी। ऐसी सहायता से मैंने अपने लोगों के दृष्टिकोण और आर्थिक दशा में विस्मयकारी परिवर्तन कर दिया होता। इस दशा में आपका मुझसे बहुत पहले मिलना अनिवार्य होता। परंतु मुझे आपसे कहना है कि कांग्रेस अपने विचार के प्रति गंभीर नहीं है। अगर यह गंभीर होती तो उसने कांग्रेस

का सदस्य बनने के लिए खद्दर पहनने जैसी शर्त के समान छूआछूत की शर्त अवश्य हटाई होती। किसी भी व्यक्ति, को जो अछूत महिला या पुरुष को अपने घर में रोजगार नही देता अथवा अछूत विद्यार्थी का भरण–पोषण करता हो अथवा सप्ताह में कम से कम एक अछूत विद्यार्थी के साथ घर में भोजन करता हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर ऐसी शर्त होती तो आप उस बेतुके दृश्य से बच सकते थे, जहां जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष को मंदिर में अछूतों की प्रवेश करने का विरोध करते देखा गया था।

आप कह सकते हैं कि कांग्रेस मजबूती चाहती थी और इसीलिए वह ऐसी शर्त निर्धारित करना अनुचित समझती थी। तब मेरा यह कहना है कि कांग्रेस सिद्धांतों की अपेक्षा अपनी मजबूती का अधिक ध्यान रखती है। यह आपके और कांग्रेस के विरुद्ध मेरा आरोप है। आप कहते हैं, ब्रिटिश सरकार हृदय परिवर्तन नहीं दर्शाती। मैं भी कहता हूँ कि हिन्दुओं ने भी हमारी समस्याओं के संबंध में हृदय परिवर्तन नहीं दर्शाया है, और जब तक वे अटल रहेंगे तब तक हम न तो कांग्रेस और न ही हिंदुओं पर विश्वास करेंगे। हम स्वाबलम्बन और आत्म–सम्मान में विश्वास करते हैं। हम महान नेताओं और महात्माओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस बारे में निर्दयतापूर्वक स्पष्टवादी हूं। इतिहास कहता है कि क्षणभुंगर मृग मरीचिका के समान महात्मा का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। कांग्रेसियों को हमारे आंदोलन का विरोध क्यों करना चाहिए और मुझे देशद्रोही क्यों कहना चाहिए?

डॉ. अम्बेडकर अब जोश में आ गए। उनका चेहरा तमतमा गया और आंखे चमकने लगीं। वे कुछ क्षण के लिए रुके और तब कड़वाहट और क्रोधित लहजे में बोलते रहे।

अम्बेडकर : गांधी जी मेरा कोई स्वदेश नहीं है!

गांधी : (अवाक रह गए और उन्हें बीच में टोका) : आपका स्वदेश है और गोल मेज सम्मेलन में आपके कार्य की जो रिपोर्ट मुझे मिली है उससे मैं जानता हूं आप पक्के देशभक्त हैं।

अम्बेडकर : आप कहते हैं, मेरा स्वदेश है, परंतु मैं अभी भी दोहराता हूं कि मैं इससे वंचित हूं। मैं इस भूमि को अपना स्वदेश और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूं जिसमें हमसे कुत्तों–बिल्लियों से भी खराब व्यवहार किया जाता है, जहां हमें पीने को पानी नहीं मिल सकता। कोई भी आत्मसम्मानी अछूत इस देश पर गौरव नहीं करेगा। इस देश द्वारा हम पर किया गया अन्याय और दी गई पीड़ा इतनी अधिक है कि अगर जानबूझकर अथवा अज्ञानतावश हम इस देश के

प्रति विश्वासघात के शिकार होते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व एकमात्र उस पर ही होगा। मुझे देशद्रोही कहलाए जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमारे कार्य का उत्तरदायित्व उस भूमि पर है जो मुझे देशद्रोही कहती है। आप जैसा कहते हैं इस देश के देशभक्तिपूर्ण कार्यों के लिए सहायक अथवा लाभप्रद अगर मैंने कोई राष्ट्रीय सेवा की है तो यह मेरे बेदाग अंतःकरण के कारण है न कि मुझमें किसी देश प्रेम की भावनाओं के कारण। अगर अपने लोगों, जिन्हें सदियों से इस देश में कुचला गया है, के लिए मानवाधिकारों की प्राप्ति के अपने प्रयास में मैं इस देश का कोई अपकार करता हूं तो यह कोई पाप नहीं होगा; और मेरे कार्य से इस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो यह मेरे विवेक के कारण हो सकता है। मेरी अंतःकरण की प्रेरणा के कारण, मैं इस देश को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही अपने लोगों के लिए मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ।

वातावरण गंभीर हो गया। चेहरों के रंग बदल गए। गांधी बैचेन हो रहे थे। वह डॉ. अम्बेडकर की बात को मोड़ना चाहते थे। तभी डॉ. अम्बेडकर ने उनसे सर्वाधिक अनिवार्य प्रश्न पूछा जो साक्षात्कार का उद्देश्य था।

अम्बेडकर : हर कोई जानता है कि मुसलमान और सिख अछूतों की अपेक्षा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधिक उन्नत हैं। गोल मेज सम्मेलन के प्रथम सत्र ने मुसलमानों की मांगों को राजनीतिक मान्यता दी है और उसने उनके लिए राजनीतिक रक्षोपायों की सिफारिश की है। कांग्रेस ने उनकी मांगों पर सहमति दी है। प्रथम सत्र ने दलित वर्गों के राजनीतिक रक्षापायों और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। हमारे अनुसार वह दलित वर्गों के लिए लाभदायी है। आपकी क्या राय है?

गाँधी : मैं हिन्दुओं से अछूतों के राजनीतिक पृथक्करण के विरुद्ध हूँ। वह पूर्णतः घातक होगा।

अम्बेडकर (उठते हुए) : मैं स्पष्ट राय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यह अच्छी बात है कि मैं अब जानता हूँ कि हम इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में किस स्थिति में हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ।*

डॉ. अम्बेडकर अपनी पूरी शक्ति से इस मुद्दे से लड़ने और अपने दलित लोगों के लिए मानवाधिकार प्राप्त करने के प्रचंड संकल्प से दमकते चेहरे से हॉल छोड़कर चले गए।

---

* द नवयुग – अम्बेडकर विषेषांक, 13 अप्रैल, 1947 ।

इस प्रकार साक्षात्कार उग्र वातावरण में समाप्त हुआ। गाँधी भारतीय राजनीति के स्वामी तानाशाह और भारतीय जनसाधारण, के वेताज बादशाह जो उनके गतिशील कार्य से आश्चर्यचकित थे। गाँधी जी को वापस जवाब देना स्थायी अप्रसन्नता तथा कटुता उत्पन्न करना था और वह भी हिन्दू नेता द्वारा ऐसा किया जाना गाँधी जी की कल्पना से बाहर था। परंतु सांचा ढाला जा चुका था। विरोध की चिंगारी जलाई जा चुकी थी। साक्षात्कार ने गाँधी और अम्बेडकर के बीच एक युद्ध के प्रारंभ का संकेत दिया!

तथापि, यहाँ यह उल्लेख करना आश्चर्यजनक है कि गाँधी ने सोचा था कि अम्बेडकर हरिजन नहीं हैं। जब वे लंदन गए तब तक उन्होंने सोचा था कि वह कोई ब्राह्मण हैं, जिसने हरिजनों में गहरी दिलचस्पी ली है और इसीलिए असंयमित रूप से बातचीत की।*

''डॉ. अम्बेडकर की श्री गाँधी से मुलाकात

दलित वर्ग के नेता डॉ. अम्बेडकर ने शुक्रवार अपराह्न में श्री गाँधी से मुलाकात की। उन्होंने श्री गाँधी को अपनी इस बात से अवगत कराने का प्रयास किया कि कांग्रेस ने अभी तक दलित वर्गों के लिए प्रत्यक्ष में कुछ नहीं किया है और श्री गाँधी यह कल्पना करने के भ्रम में हैं कि लोगों के प्रतिनिधि के रूप में दलित वर्ग उनके पीछे है। श्री गाँधी ने यह नहीं माना कि कांग्रेस ने दलित वर्गों के लिए कुछ भी नहीं किया था अथवा कुछ भी नहीं कर रही है। डॉ. अम्बेडकर अंततः श्री गाँधी को आश्वस्त किए बिना अथवा उनके द्वारा आश्वस्त हुए बिना चले गए।''[1]

''श्री गाँधी की मूर्खता पर डॉ. अम्बेडकर

दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जिनकी दलित वर्गों के प्रति अपनी प्रवृत्ति के बारे में पिछले दिन श्री गांधी से स्पष्ट बातचीत हुई थी, का द टाइम्स ऑफ इंडिया, के प्रतिनिधि द्वारा साक्षात्कार लिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था ''भारत के हितों से ऊपर बारदोली के हितों को रखना और उस आधार पर गोल मेज सम्मेलन की वार्ता में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाने से मना करना मुझे मूर्खता की पराकाष्ठा प्रतीत होती है। ग्राम अधिकारियों के छुट–पुट अत्याचारों के बारे में ध्यान देना और बड़ी समस्याओं, जिनका निपटारा हमें उन अधिकारियों पर नियंत्रण रखने में समर्थ

---

* महादेव देसाई की डायरी, खंडः1, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ 32 ।

1. दि टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 15 अगस्त, 1931 ।

बनाएगा, के प्रति उदासीन रहना ऐसी बात है जो मैं नहीं समझ सकता।''

डॉ. अम्बेडकर कुछ हद तक उस विशेष उत्तर के बारे में निश्चित थे, जिसे पिछले दिन साक्षात्कार में श्री गांधी ने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने श्री गांधी को गोल मेज सम्मेलन में जाने के पूर्वानुमान में पूछा था कि क्या वे सम्मेलन के इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि दलित वर्गों को नए संविधान में एक अन्य अल्पसंख्यकों के समान राजनीतिक मान्यता दी जानी चाहिए, उन्हें राजनीतिक सुरक्षा और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने शिकायत की कि श्री गांधी ने उस दृष्टिकोण को बनाए रखने से मना कर दिया और कहा कि अगर वे गोल मेज सम्मेलन में गए तो वे उनसे कहेंगे कि सम्मेलन जो चाहे कर सकता है, परंतु उनकी राय में जहां तक दलित वर्गों का संबंध है यह सुझाव पूर्णतः घातक है।''[1]

2

मुझे उस धर्म पर क्यों गर्व हो —————
मुझे इस धर्म पर गर्व क्यों होना चाहिए

''बेलार्ड पायर में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को गांधी से यरवदा जेल में मिलने का अनुरोध करते हुए एक तार मिला। डॉ. अम्बेडकर ने गांधी को वापस तार भेजा कि वे दिल्ली से लौटने पर उनसे मिलेंगे। अगले दिन डॉ. अम्बेडकर को रंगून के डॉ. बा मॉ का एक तार मिला जिसमें कहा गया कि ''वर्मा के पृथक्कतारोधी नेता अगले सप्ताह विधानसभा सत्र के दौरान भारतीय नेताओं से मिलने जा रहे हैं। वे आपके और अन्य नेताओं के साथ वर्मा की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए चिंतित हैं। इसलिए, हम आपसे दिनांक 4 और 5 फरवरी को दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने का अनुरोध करते हैं। कृपया वहां आपसे संपर्क करने में हमें समर्थ बनाने के लिए अपना दिल्ली का पता तार द्वारा भेज दें। यू. चिट हैंग, 80 हार्मिटेज रोड, रंगून – यू चिट हैंग और डा. बा मॉ को उत्तर दें।'' देश के सभी भागों से डॉ. अम्बेडकर के कार्यालय में कई बधाई संदेश प्राप्त हुए थे। उनमें से एक दलित वर्गों और अपने गृह राज्य के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए गोल मेज सम्मेलन में दिए गए निर्भीक वक्तव्य पर आभारपूर्वक अपने महान नेता को बधाई देते हुए एर्नाकुलम के थिया युवाजन समाज से था।

---

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 17 अगस्त, 1931 ।

डॉ. अम्बेडकर तत्काल वायसराय द्वारा बुलाए गए गोल मेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों की औपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए बंबई से दिल्ली रवाना हुए।

दिल्ली से उनकी वापसी के बाद उन्होंने गाँधी को तार भेजा कि वे उनसे 4 फरवरी को मिल पाएंगे। गांधी ने डॉ. अम्बेडकर को तार द्वारा 3 फरवरी को सूचित किया; ''तार अभी–अभी प्राप्त हुआ, कल 12.30 बजे सही रहेगा – गाँधी''। यह स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर दिल्ली में बर्मा के शिष्टमंडल से मुलाकात नहीं कर सके क्योंकि वे यरवदा जेल में 4 फरवरी, 1933 को गांधी से मिलना चाहते थे।

एस. एन. शिवतारकर, डोलास, उपासम, काउली, घोरपडे और केशवराव जेधे के साथ डॉ. अम्बेडकर ने 4 फरवरी को 12.30 बजे यरवदा जेल में प्रवेश किया। प्रसन्नचित्त मुद्रा में गांधी उठे और आगंतुकों का स्वागत किया। कुछ देर बाद, बातचीत मंदिर में प्रवेश के प्रश्न की ओर मुड़ गई। गाँधी ने डॉ. अम्बेडकर से डॉ. सुब्बारायन और रंगा अय्यर के विधेयक को समर्थन देने का अनुरोध किया। डॉ. अम्बेडकर ने सुब्बारायन के विधेयक से कुछ भी संबंध रखने से बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, क्योंकि विधेयक में निंदा के रूप में अस्पृश्यता की चिंता नहीं की गई थी। उसमें केवल यह उल्लेख किया गया था कि अगर जनमत ने मंदिर में प्रवेश का पक्ष लिया तो मंदिरों को दलित वर्गों के लिए खोला जाना चाहिए। परंतु उसमें मंदिर में देवी–देवताओं की पूजा करने के उनके अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

उन्होंने गाँधी से कहा कि दलित वर्ग जाति प्रथा के क्रम में ''शूद्र'' नहीं होना चाहते और आगे कहा कि वे वास्तव में स्वयं को हिन्दू नहीं कह सकते। उन्होंने पूछा क्यों, उन्हें उस धर्म पर गर्व होना चाहिए, जिसने अवक्रमित स्थिति में होने की निंदा की है। अगर उस प्रथा को बने रहना है, तो उनके लिए मंदिर में प्रवेश के लाभों का कोई मतलब नहीं है।

गाँधी ने कहा कि उनके अनुसार जाति प्रथा खराब प्रथा नहीं है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। ''स्पृश्य हिन्दुओं को अपने पापों का प्रायश्चित करने और हिन्दूवाद का शुद्धिकरण करने का अवसर दें। इस प्रश्न से तटस्थ नहीं रहें। सनातनियों और सरकार को इसका लाभ होगा। अगर यह सुधार होता है तो अछूत का समाज में उत्कर्ष होगा।''

डॉ. अम्बेडकर गाँधी से असहमत थे। वे आश्वस्त थे कि अगर अछूतों ने आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति की तो मंदिर में प्रवेश स्वतः हो जाएगा।''[1]

---

1. कीर, पृष्ठ 226–227 ।

3
सनातनियों से गाँधी की और क्या प्रत्याशाएँ थी

''डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भारत के आगामी संविधान के आलोक में पैनल तथा दलित वर्ग के उम्मीदवारों के प्रारंभिक चुनाव के प्रश्न पर गांधी से बात करने का निर्णय लिया। वे लंदन प्रस्थान करने की अपनी तैयारी करने की जल्दबाजी में थे। फिर भी उन्हें बैठकों में भाग लेना था, न्यायालय जाना था अथवा मुकदमों को निपटाना था। घरेलू कार्यों के लिए व्यवस्थाएं करनी थीं और पुस्तकों का चयन करना था। श्री मोरे, शिंदे, गायकवाड और चव्हाण के साथ उन्होंने 23 अप्रैल, 1933 को यरवदा जेल में गांधी से मुलाकात की। गांधी और अम्बेडकर आम के पेड़ के नीचे कुर्सियों पर बैठे और महादेव देसाई नोटबुक और पेंसिल लेकर समीप ही बैठ गए।

सर्वप्रथम, डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि पैनल की विधि महंगी होगी और गाँधी से कहा कि दलित वर्गों के उम्मीदवारों को जो आम चुनाव लड़ेंगे, प्रारंभिक चुनाव में दलित वर्गों के कम से कम 25 प्रतिशत वोट प्राप्त करने चाहिएँ। गाँधी ने उत्तर दिया कि वे इस मामले पर विचार करेंगे और लंदन के अपने संबोधन में अपनी प्रतिक्रिया के बारे में उन्हें सूचित करेंगे। गाँधी ने तब डॉ. अम्बेडकर को पुष्पगुच्छ दिया और बातचीत को अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न की ओर मोड़ दिया और कहा कि सनातनी उनकी (गाँधी) दैत्य के रूप में निंदा कर रहे हैं। डॉ. अम्बेडकर ने गाँधी से पूछा कि वे सनातनियों से इससे और अधिक क्या आशा करते हैं। गाँधी ने बात पकड़ी और कहा कि दलित वर्गों के नेता भी उनके कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं। अंत में गाँधी ने अम्बेडकर से लंदन से उनकी वापसी की तारीख पूछी। डॉ. अम्बेडकर ने उत्तर दिया कि यह लगभग अगस्त, 1933 होगी। गाँधी ने अम्बेडकर को शुभ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और साक्षात्कार समाप्त हुआ।''[1]

4
ऊंची जाति के हिन्दुओं के विरुद्ध जिन्होंने अछूतों को परेशान किया, कानूनी कदम उठाना

डॉ. अम्बेडकर के साथ वार्तालाप

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और उनके दल के सदस्यों की छूआछूत के विरुद्ध प्रारंभ किए गए हरिजन आंदोलन की प्रगति के प्रश्न पर शनिवार, 16 जून, 1934

---

[1] कीर, पृष्ठ 238 ।

की प्रातःकाल मणि भवन में महात्मा गांधी से लंबी बातचीत हुई।

यह प्रतीत होता है कि गांधी जी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि 200 से अधिक गांवों में वह इस बात से प्रभावित हुए कि छूआछूत के विरुद्ध आंदोलन तीव्र प्रगति कर रहा है और यह बुराई धीरे–धीरे समाप्त हो रही है।

डॉ. अम्बेडकर का विचार इस विचार से भिन्न बताया गया है और उन्होंने कहा कि किसी गांव अथवा स्थान में गांधी जी की उपस्थिति ने वैसा ही असामान्य वातावरण सृजित किया जैसा किसी साधु की उपस्थिति करेगी और लोग अस्थायी रूप से इस अंतर को भूल जाते हैं। इसलिए गांधी सही स्थिति का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं।

उन्होंने गांधी जी को यह सुझाव भी दिया कि हरिजन बोर्ड को उच्च जाति के हिन्दुओं के विरुद्ध कानूनी कदम उठाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

गांधी जी ने उत्तर दिया कि बुराई को हटाने की सर्वोत्तम पद्धति अनुनय है और कानूनी सहायता देने के प्रश्न पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना होगा।

प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने गांधी जी से पूछा कि क्या 7 अगस्त के बाद हरिजन बोर्ड अस्तित्व में रहेगा या नहीं? कब तक गांधी जी केवल गैर–राजनीतिक कार्यों (गतिविधियों) में भाग लेने की प्रतिज्ञा के अधीन रहेंगे। उसी सदस्य ने गांधी जी से पूछा कि क्या उन्होंने अपनी भावी कार्रवाई के लिए कोई ईश्वरीय प्रेरणा ली है। गांधी जी ने उत्तर दिया कि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं किया है और कहा कि ''अगर आप चाहते हैं, तो आप भी ईश्वर से प्रेरणा ले सकते हैं।''

अम्बेडकर का प्रतिनिधिमंडल

डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में जिन्होंने शनिवार को महात्मा गांधी से मुलाकात की निम्नलिखित शामिल थे :–

श्री जी. वी. नायक

डॉ. पी. जी. सोलंकी

श्री अमृतराव खम्बे, और

श्री बाबूराव गायकवाड।''[1]

---

1. द बंबई क्रॉनिकल, दिनांक 17 जून, 1934 ।

खण्ड–III
अछूतों को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर लाने और भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला रखने में

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका
अछूतों को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर लाने और भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला रखने में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की भूमिका

''वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान था, जिसके अनुसार संविधान के कार्यकरण की जांच करने और जैसा आवश्यक पाया जाए ऐसे परिवर्तन पर रिपोर्ट करने के लिए दस वर्षों के अंत में एक रायल कमीशन नियुक्त करने के लिए महामहिम सम्राट की सरकार पर दायित्व सौंपा गया था। तदनुसार, वर्ष 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक रायल कमीशन नियुक्त किया गया। भारतीयों की आशा थी कि वह कमीशन एक मिश्रित कमीशन होगा। परंतु लॉर्ड बर्केनहेड, जो भारत के लिए तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारतीयों को शामिल करने के विरुद्ध थे और उन्होंने इसे विशुद्ध संसदीय कमीशन बनाने पर जोर दिया। इस पर कांग्रेस और उदारवादियों ने अत्यधिक, प्रतिरोध प्रकट किया और इसे अपमान माना। उन्होंने कमीशन का बॉयकाट किया और उसके विरुद्ध आंदोलन किया। विरोध की इस भावना को शांत करने के लिए महामहिम सम्राट की सरकार द्वारा घोषणा की गई कि कमीशन का कार्य पूरा हो जाने के बाद नए भारत के नए संविधान के विषय में काम करने से पूर्व प्रतिनिधि भारतीयों को चर्चा के लिए बुलाया जाए। इस घोषणा के अनुसार प्रतिनिधि भारतीय को संसद के प्रतिनिधियों और महामहिम सम्राट की सरकार के साथ गोल मेज सम्मेलन में लंदन बुलाया गया।''[1]

''भारत में अशांत स्थिति को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1919 के अधिनियम की पुनः जांच करने और उसे संशोधित करने का निर्णय लिया। इसलिए उसने साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम से बेहतर ज्ञात साइमन कमीशन के रूप में भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इस आयोग में सर जॉन साइमन, जो एक महान सांसद थे, के अधीन कार्य करने के लिए दो समकक्ष व्यक्ति और चार आम व्यक्ति शामिल थे तथा यह निर्णय लिया

---

1. लेख और भाषण, खंड–9, पृष्ठ 40 ।

गया कि इस आयोग की सिफारिशों के आलोक में तैयार प्रस्तावों को वेस्टमिनिस्टर में संयुक्त चयन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके समक्ष भारतीय साक्ष्यों की जांच की जाएगी।

वर्ष 1919 के अधिनियम में यथा घोषित भारतीय समस्या की पुनः जांच का कार्य प्रारंभ करने के लिए साइमन कमीशन अपने प्रथम दौरे पर आया और 3 फरवरी, 1928 को बंबई पहुंचा। इसकी अ–भारतीय पकृति ने लगभग सभी भारतीय दलों को अपमानित किया। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक चरण और प्रत्येक रूप में कमीशन का बॉयकाट करने का निर्णय लिया। इसलिए, उसके आगमन पर, साइमन कमीशन का ''वापस जाओ साइमन'' के नारों वाली तख्तियों तथा काले झंडों से स्वागत किया। कांग्रेसियों ने राष्ट्र–व्यापी स्तर पर उग्र प्रदर्शन किए और कुछ स्थानों पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। कमीशन का काले झंडों से यह स्वागत बाद में भी किया गया जब वह वर्ष 1928–29 के शीतकाल के दौरान अपने दूसरे दौरे पर आया।

इस बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाया गया सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी और बाद में मई, 1928 में हुआ और इसने भारत के लिए स्वराज संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू के अधीन एक समिति नियुक्त की। नेहरू समिति ने जून से अगस्त, 1928 तक कार्य किया और संविधान का प्रारूप तैयार किया।*

इसका मुख्य लक्ष्य मुसलमानों का अतिक्रमण समाप्त करना था। जहां तक दलित और उत्पीड़ित वर्गों का संबंध है, नेहरू की रिपोर्ट ने कहा : ''संविधान के लिए हमारे सुझावों में हमने विधानसभाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए हैं। इसे केवल विशेष मतदाताओं अथवा नामांकन द्वारा किया जा सकता है। ''परंतु चूंकि इन दोनों विधियों को हानिकारक और कमजोर माना गया; समिति ने कहा कि वे दोनों सिद्धांतों का प्रावधान नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने अवलोकन किया कि अधिकारों की उनकी घोषणा दलित वर्गों को प्रभावित कर रही सभी बुराइयों के लिए रामवाण होगी।** अछूतों की समस्या के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति तभी स्पष्ट होगी जब कोई यह देखता है कि कांग्रेस कार्य समिति सभी प्रमुख मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, एंग्लो–इंडियन संगठनों और यहां तक कि गैर–ब्राह्मण संस्थाओं और द्रविड़ महाजन सभा को आमंत्रण जारी करती है, परंतु डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्वाधीन दलित वर्गों की संस्थाओं और उस मामले के लिए किसी दलित वर्ग के संस्थान को नहीं। स्मरणीय है कि इसके दस वर्ष

---

* डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की टिप्पणी के लिए दिनांक 18 जनवरी, 1924 के ''बहिष्कृत भारत'' का संपादकीय देखें– संपादक ।

** सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट, 1928, पृष्ठ 59–60 ।

पूर्व डॉ. अम्बेडकर ने साउथबोरो कमीशन के समक्ष साक्ष्य दिया था।

साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने अखिल ब्रिटिश भारत के लिए एक समिति नियुक्त की और प्रत्येक विधान परिषद ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए अपनी प्रांतीय समिति निर्वाचित की। बंबई प्रांतीय समिति में बंबई विधान परिषद द्वारा 3 अगस्त, 1928 को अन्य सदस्यों के साथ–साथ डॉ. अम्बेडकर का चयन किया गया।

साइमन कमीशन की कार्रवाइयों और दौरों ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को प्रकाशमान बना दिया और अन्य शक्तियों के साथ यह डॉ. अम्बेडकर की शक्ति, बुद्धिमत्ता और ओजस्व को सामने लेकर आया।

कमीशन के समक्ष अठारह दलित वर्ग के संघों ने साक्ष्य दिया और उसके समक्ष अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया। उनमें से सोलह ने दलित वर्गों के लिए पृथक मतदाताओं की वकालत की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से डॉ. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त मतदाताओं की मांग करते हुए साइमन कमीशन को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।*

मद्रास केंद्रीय आदि–द्रविड़ महाजन सभा ने दलित वर्गों के लिए नामांकन की मांग की। बंबई प्रांतीय गैर–ब्राह्मण पार्टी ने अपने ज्ञापन में पृथक मतदाताओं और दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की सिफारिश की। मुस्लिम लीग ने सिंध के पृथक्करण, एनडब्ल्यूएफ में नए प्रांत के सृजन, मुसलमानों के लिए पृथक मतदाताओं और संघीय संविधान में प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की लिए मांग दोहरायी।

दिनांक 23 अक्तूबर, 1928 को साइमन कमीशन, केंद्रीय समिति और बंबई प्रांतीय समिति ने पूना में डॉ. अम्बेडकर से पूछताछ की।** ब्रिटिश श्रमिक नेता, मेजर एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने, साइमन कमीशन के सदस्य थे। एटली ने पूछताछ के क्रम में डॉ. अम्बेडकर से कुछ संगत प्रश्न पूछे।

साइमन कमीशन का कार्य शीतकाल तक जारी रहा। प्रांतीय समिति भी स्वयं अपनी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर रही थी। बंबई विधान परिषद द्वारा साइमन कमीशन का सहयोग करने के लिए नियुक्त समिति ने संवैधानिक समस्या से संबंधित सरकारी और गैर–सरकारी साक्ष्य की सुनवाई के बाद दिनांक 7 मई, 1929 को

---

* लेख और भाषण, खंड 2, पृष्ठ 429, 458 देखिये।

** –तदैव–, पृष्ठ 459–89 ।

* लेख और भाषण, खंड 2, पृष्ठ 315–401 देखिये।

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।*

डॉ. अम्बेडकर ने जो बुनियादी रूप से समिति से मतभेद रखते थे, उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया और स्वयं अपने विचार और सिफारिशें विहित कराते हुए दिनांक 17 मई, 1929 को पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की।* कर्नाटक के पृथक्करण के लिए मांग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वे बंबई प्रेसीडेंसी से कर्नाटक के पृथक्करण के विरोधी हैं क्योंकि ''एक प्रांत एक भाषा का सिद्धांत व्यवहार में लाने के लिए बहुत विस्तृत है। अगर सिद्धांत को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना है तो उससे निर्मित किए जाने वाले प्रांतों की संख्या मेरी राय में अपनी अव्यवहार्यता दर्शाती है।'' इसलिए मेरी राय है,— देशभक्त ''डॉ. अम्बेडकर ने घोषित किया कि आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता सर्वसाधारण में साझा राष्ट्रीयता की भावना सृजित करना है, यह भावना नहीं कि वे पहले भारतीय हैं और बाद में हिन्दू, मुसलमान अथवा सिंधी और कनरसे हैं, परंतु यह कि पहले और अंततः भारतीय ही हैं। अगर वह आदर्श हो तब यह समझा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, जो स्थानीय देशभक्ति और सामूहिक सजगता को सख्त बनाए।''

सिंध के पृथक्करण, जिसने उन दिनों अभूतपूर्व महत्व प्राप्त कर लिया था, के संबंध में, उन्होंने कहा कि यह एक वर्ग की मांग है, पांच प्रांतों में मुसलमानों की सांप्रदायिक बहुलता को एक राजनीतिक बहुलता बनाने के लिए तैयार स्कीम का भाग है। उन्होंने राष्ट्र को चेतावनी दी कि यह स्कीम, जैसा कि सतही तौर पर प्रतीत होता है, न तो अहानिकर है और न ही उतनी व्यर्थ। उन्होंने बल दिया कि स्कीम के पीछे का उद्देश्य प्रतिकार द्वारा न्याय और शांति बनाए रखने को शामिल करते हुए निस्संदेह अरूचिकर था और इसकी जड़ इस सिद्धांत से निकली थी कि शांति बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका युद्ध के लिए तैयार रहना है। अपने निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए उन्होंने गांधीवादी राष्ट्रवादी मुसलमान नेता मौलाना आजाद द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम लीग के सत्र में दिए गए भाषण का उद्धरण दिया, जिसमें मुसलमान नेता ने कहा, ''पांच मुस्लिम प्रांतों की तुलना में नौ हिन्दू प्रांत होंगे और नौ प्रांतों में मुसलमानों से हिंदू जैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार पांच प्रांतों में मुसलमान हिन्दुओं से करेंगे। क्या यह बड़ी उपलब्धि नहीं थी? क्या यह मुसलमानों के अधिकारों का दावा करने के लिए प्राप्त एक नया हथियार नहीं है? यह गाँधीवादी राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं पर सर्चलाइट है।

डॉ. अम्बेडकर ने तब पृथक मतदाताओं की लिए मुसलमानों की मांग पर चर्चा की। उन्होंने उल्लेख किया कि यूरोप में विभिन्न लोग साझा मतदाता पर आपत्ति किए बिना एक दूसरे की समीपता में साझा सरकार के अधीन कैसे रहते हैं। उन्होंने मत

व्यक्त किया कि "यह पर्याप्त रूप से ज्ञात प्रतीत नहीं होता कि भारत ही एकमात्र देश नहीं हैं, जिसमें मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। दूसरे देश हैं जिनमें उनकी समान स्थिति है। अल्बेनिया में मुसलमानों का बहुत बड़ा समुदाय है। बुल्गेरिया, ग्रीस और रूमानिया में वे अल्पसंख्यक हैं और यूगोस्लाविया तथा रूस में वे बहुसंख्यक हैं। क्या वहां मुसलमानों ने पृथक मतदाताओं के लाभ के बिना काम चलाया है, बल्कि उन्होंने उन्हें आश्वस्त प्रतिनिधित्व के निश्चित अनुपात के बिना काम चलाया है। इसलिए, भारत में मुसलमानों का मामला मेरी राय में, इस सीमा को पार कर जाता है और दृढ़ धारणा का वहन करने में विफल रहता है।" उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बुनियादी रूप से इतना गलत है कि इस मामले में भावना को छोड़ना एक बुराई को बनाए रखना होगा।

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा कि "यद्यपि मैं कतिपय वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हूं , फिर भी मैं पृथक मतदाताओं के माध्यम से उनके प्रतिनिधित्व के विरुद्ध हूं। प्रादेशिक मतदाता और पृथक मतदाता दो चरम सीमाएं हैं, जिनसे प्रतिनिधित्व की किसी स्कीम से जो इस अप्रजातांत्रिक देश में सरकार का प्रजातांत्रिक रूप प्रारंभ करने के लिए तैयार की जाए, बचना चाहिए। इसका स्वर्णिम अर्थ आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त मतदाताओं की प्रणाली है। उससे कम अपर्याप्त होगा, उससे अधिक अच्छे सरकार के उद्देश्य को विफल कर देगा।

उस समय विद्यमान सिद्धांतों और व्यक्तित्वों के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने पर रिपोर्ट उतनी ही तर्कपरक थी जितनी कि देशभक्तिपूर्ण। इसमें संतुलन और स्थिरक भार दोनों था। जब इसे प्रकाशित किया गया, इसे डॉ. अम्बेडकर के चिरकालिक शत्रुओं, दुराग्रही आलोचकों और उग्र प्रेस से तत्काल प्रशंसा प्राप्त हुई। डॉ. अम्बेडकर को रातों–रात एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान देशभक्त, अछूतों की गहरी कोयला खान में एक हीरे, बिरले उपहार के रूप में एक राजनेता पाया गया। एक उल्का तथा प्रेरक के समान वे अपनी पीढ़ी के महान राजनीतिक बुद्धिजीवी के रूप में उभरे। इस प्रकार यह रिपोर्ट उन्हें देश की सक्रिय नियति में बांधती है। यह इतिहासकारों के लिए एक निश्चित मार्गनिर्देशक होगा।"[1]

जैसा ऊपर वर्णन किया गया है, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्वयं अपने विचारों और सिफारिशों को विहित करते हुए अपनी पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सिफारिशों का सारांश नीचे दिया गया है :

---

1. कीर पृष्ठ 114–117 और 121–23 ।

“सिफारिश का सारांश
खंड–I

बंबई प्रेसीडेंसी से कर्नाटक अथवा सिंध का कोई पृथक्करण नहीं होना चाहिए।

खंड–II

अध्याय 1 – इस परंतुक के अधीन रहते हुए प्रांतीय कार्यपालिका का यह पूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए कि अगर विधानमंडल सदस्य इसे एक आरक्षित विषय बनाने का संकल्प लेते हैं तो उनके संकल्प को प्रभावी बनाया जाएगा।

अध्याय 2 – किसी भी परिस्थिति में कार्यपालिका को न हटाये जाने योगय नहीं बनाया जाना चाहिए। कार्यपालिका में कोई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा। मंत्रीगण गैर–कानूनी कार्यों के लिए न्यायालयों के अधीन होंगे। संविधान को मंत्रियों के दोषारोपण की व्यवस्था करनी चाहिए। कार्यपालिका में संयुक्त उत्तरदायित्व होना चाहिए। कार्यपालिका की अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जानी चाहिए न कि राज्यपाल द्वारा।

अध्याय 3 – राज्यपाल का पद संवैधानिक प्रमुख का होना चाहिए। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होनी चाहिएँ।

खंड–III

अध्याय 1–प्रौढ़ मताधिकार होना चाहिए।

अध्याय 2 – विधानमंडल पूर्णतः निर्वाचित होना चाहिए। यूरोपीय लोगों को छोड़कर, सभी वर्ग और सांप्रदायिक मतदाताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। मुसलमानों, दलित वर्गों और एंग्लो–इंडियन तथा गैर–ब्राह्मणों को केवल तभी आरक्षित सीटें प्रदान की जानी चाहिएँ अगर मताधिकार प्रतिबंधित हो।

अध्याय 3 – विधानमंडल में 140 सदस्य होने चाहिए। इनमें से 33 मुसलमान और 15 दलित वर्ग के होने चाहिएं। कतिपय जिलों के कम प्रतिनिधित्व और अन्य के अति–प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के आधार पर सुधारा जाना चाहिए। विभिन्न वर्गों और हितों के बीच सीटों के समायोजन के लिए एक समिति होनी चाहिए। किसी उम्मीदवार के लिए आवासीय योग्यता की अपेक्षा हटा दी जानी चाहिए।

अध्याय 4 – लखनऊ समझौता स्थायी व्यवस्था नहीं है और उससे उत्पन्न नए और

उनके अपने गुणागुण पर उत्पन्न प्रश्नों पर विचार करना निवारित नहीं हो सकता।

अध्याय 5 – प्रांत में कोई दूसरा सदन नहीं होना चाहिए।

अध्याय 6 – विधानमंडल को अध्यक्ष को नियुक्त करने और हटाने, उसके विशेषाधिकारों को पारिभाषित करने तथा उसकी कार्यविधियों को विनियमित करने की शक्ति होनी चाहिए। भारत शासन अधिनियम की धारा 72घ और 80ग को संविधि से हटा दिया जाना चाहिए। विधानमंडल को "अविश्वास प्रस्ताव" लाने की शक्ति होनी चाहिए। विधानमंडल को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए संविधान को परिवर्तित करने की शक्ति होनी चाहिए।

खंड–IV

अध्याय 1 – पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता होनी चाहिए। केंद्र और प्रांत के बीच कार्यों के विभाजन पर पिछली स्वीकृति और परवर्ती वीटो की प्रणाली के माध्यम से अभी प्रवर्तित केंद्र सरकार के नियंत्रण को हटाने की दृष्टि से पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय 2 – प्रांतीय सरकार को सौंपे गए कार्यों द्वारा नियत सीमाओं के भीतर उस सरकार और गृह सरकार के बीच संबंध सीधा होना चाहिए न कि केंद्र सरकार के माध्यम से। भारत शासन अधिनियम की धारा 2 को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह भारत सरकार के संबंध में क्राउन की स्थिति को अस्पष्ट करती है।

खंड–V

एक स्पष्ट प्रांतीय सिविल सेवा होनी चाहिए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भर्ती एजेंसी का कार्य निष्पादित करने बंद कर देना चाहिए। सेवाओं से संबंधित उसका कार्य प्रांतीय सिविल सेवा आयोग अथवा भारत के लोक सेवा आयोग के साथ संयुक्त रूप से कार्यरत अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। सेवाओं का भारतीयकरण अधिक तीव्र गति से होना चाहिए। उसकी गति राज्य के विभिन्न विभागों की प्रकृति से भिन्न होनी चाहिए। भारतीयकरण के साथ वेतन और भत्ते का भिन्न पैमाना होना चाहिए। सेवाओं के भारतीयकरण के क्रम में पिछड़े वर्गों के दावों की पूर्ति के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।"[1]

–डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

17 मई, 1929

---

[1] लेख और भाषण, खंड 2, पृष्ठ 400–01 ।

लम्बे समय से विलुप्त साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई, 1930 में सामने आई। कमीशन ने भारतीय राष्ट्रवाद और उसकी शक्तियों के अर्थ और उद्देश्य को नहीं माना। उसने भारतीय राजनीतिक दलों में किसी सहमत समझौते के अभाव में भारतीय चुनावों में पृथक मतदाता सूची को जारी रखने की सिफारिश की। कमीशन की राय थी कि नेहरू की रिपोर्ट एक सहमत समाधान नहीं थी।''[1]

भारत के भावी राजनीतिक संविधान पर चर्चा करने के लिए सरकार ने लंदन में गोल मेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। यह आवश्यक था कि दलित वर्गों को इस संकटपूर्ण घड़ी में स्वयं के अधिकार पर दृढ़ रहना चाहिए और सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत के भावी संविधान में उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी के लिए क्या व्यवस्था है। इस दृष्टि से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के परामर्श से चर्चा के प्रयोजनार्थ भारत के विभिन्न प्रांतों से लोगों को एक साथ लाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस की बैठक दिनांक 8/9 अगस्त, 1930 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बुलाई गई। दिनांक 8 अगस्त, 1930 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भारत के प्रस्तावित संविधान में दलित वर्गों को प्रदान की जाने वाले रक्षोपायों और गारंटियों को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद अथवा विश्व कार्य के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समस्या पर वक्तव्य दिया।

जैसा कि घोषित किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की मांगे पूरी करने की दृष्टि से भारत का संविधान तैयार करने के लिए भारत, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए लंदन में एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया।

गोल मेज सम्मेलन में नवासी सदस्य थे, जिनमें से सोलह सदस्य तीन ब्रिटिश दलों, के प्रतिनिधि, तिरेपन सदस्य गैर–सहयोगी कांग्रेस को छोड़कर विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिष्टमंडल के भारतीय सदस्य, और बीस सदस्य भारतीय रियासतों के थे। आमंत्रितों में सर तेज बहादुर सप्रू, एम. आर. जयकर, सर चिमनलाल सीतलवाड़ श्रीनिवास शास्त्री और सी. वाई. चिंतामणि सहित तेरह विख्यात हिन्दू उदारवादी नेतागण शामिल थे। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व महामहिम आगा खान, सर मुहम्मद शफी, मुहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक कर रहे थे, जबकि सरदार उज्जल सिंह ने सिखों का प्रतिनिधित्व किया, डॉ. बी. एस. मुंज, हिन्दू महासभा, के.टी. पॉल, भारतीय ईसाई, अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कश्मीर, पटियाला और सर अकबर हैदरी, सर सी. पी. रामास्वामी अय्यर, सर मिर्जा, इस्मायल ने भारतीय रियासतों

---

1. कीर, पृष्ठ 139

का प्रतिनिधित्व किया। सर ए. पी. पात्रो और भास्करराव बहादुर श्रीनिवासन ने अन्य हितों का प्रतिनिधित्व किया; डॉ. अम्बेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन ने दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। डॉ. अम्बेडकर ने दिनांक 6 सितम्बर, 1930 को वाइसराय के माध्यम से गोल मेज सम्मेलन का आमंत्रण प्राप्त किया। गोल मेज सम्मेलन सचमुच भारत और इंग्लैंड दोनों के इतिहास में एक महान घटना थी। विशेषकर अछूतों के लिए यह उनके इतिहास में एक युगान्तकारी घटना थी; क्योंकि इसी सम्मेलन में भारत का संविधान तैयार करने में परामर्श के अधिकार सहित उन्हें अन्य भारतीयों के साथ शामिल किया जा रहा था। उनकी आवाज दो हजार वर्षों के इतिहास में पहली बार और इससे भी अधिक उनकी मातृभूमि के शासन में गूंजने वाली थी।

डॉ. अम्बेडकर दिनांक 4 अक्तूबर, 1930 को एस. एस. वाइसरॉय ऑफ इंडिया द्वारा बंबई से लंदन के लिए रवाना हुए। देश में वातावरण उनके प्रस्थान के अनुकूल नहीं था। संपूर्ण देश में अशांति थी। कांग्रेसजन उन नेताओं से, जिन्होंने भारतीय समस्या को स्वयं अपने तरीके से हल करने में ब्रिटिश सरकार को सहयोग दिया था, घृणा कर रहे थे, बुरा–भला कह रहे थे और कोस रहे थे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण और खतरे से परिपूर्ण थी कि डॉ. अम्बेडकर ने दिनांक 8 अक्तूबर को एडेन से अपने सचिव और विश्वासपात्र सहयोगी शिवतारकर को लिखा कि वे उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं। उन्होंने उनसे इच्छा व्यक्त की कि वे अपने कार्यों के प्रति सजग रहें और रात्रि के समय सभी कार्य करने से बचें। उन्होंने उनसे पार्टी के कार्यालय को लोहे की छड़ के साथ ताला लगाने और बंबई में दलित वर्ग के कतिपय नेताओं के, जो उनके संगठन से अनबन रखते थे, आवागमन पर नजर रखने के लिए कहा।

डॉ. अम्बेडकर ने इंग्लैंड में राजनीतिक वातावरण दलित वर्गों की समस्या के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण पाया। अपने आगमन पर उन्होंने तत्काल दलित वर्गों की समस्या के संबंध में ब्रिटेन के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क करना प्रारंभ किया। फिर भी वे केबल द्वारा भारत से बंबई विधान परिषद में नामित नए सदस्यों की नई सूची और चौदार तालाब मामले में न्यायालय के निर्णय के बारे में जानने के लिए चिंतित थे।

दिनांक 12 नवम्बर, 1930 को पर्दा उठाया गया। गोल मेज सम्मेलन प्रारंभ होने पर ब्रिटिश जनता द्वारा गहरी दिलचस्पी दर्शायी गई। हाऊस ऑफ लॉर्डस, जो सम्मेलन स्थल था, का पहुंच मार्ग दर्शकों से भर गया। महामहिम सम्राट उपस्थित हुए। सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि : ''संप्रभु ने भारत की भूमि पर एक से अधिक बार यह ऐतिहासिक सभा बुलाई है किन्तु इससे पूर्व कभी भी ब्रिटिश और भारतीय

राजनेता नया भारतीय रियासतों के शासक नहीं मिले हैं, जैसा कि अब आप भारत के शासन की भावी प्रणाली पर चर्चा करने और मेरी संसद, जिसकी आधारशिला पर यह रखी जाएगी, के लिए सहमति मांगने के लिए एक मेज पर मिल रहे हैं।'' सम्राट ने यह आशा व्यक्त करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया : ''आपका नाम उन लोगों की तरह इतिहास में दर्ज हो जिन्होंने भारत की भलीभांति सेवा की हैं''। सम्राट के सदन से जाने के बाद रामसे मैकडोनाल्ड को सर्वसम्मति से गोल मेज सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। श्रमिक नेता और ''द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया'' के लेखक, उन्होंने भारतीय समस्या को हल करने के लिए ब्रिटेन की दृढ़प्रतिज्ञा व्यक्त की और कहा कि वे एक नए इतिहास को जन्म लेते हुए देख रहे हैं।

गोल मेज सम्मेलन संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य करने वाली संविधान सभा नहीं था। यह भारतीय और ब्रिटिश राजनेताओं, जिन्हें मतदान द्वारा निर्णय नहीं लेना था, की एक सभा थी। मुख्य मुद्दों पर, जो विचारार्थ उसके समक्ष आए, सम्मेलन की भावना अभिनिश्चत और दर्ज की जानी थी।

इसके बाद सम्मेलन का स्थल सेंट जेम्स पैलेस में स्थानांतरित हो गया। सामान्य चर्चा, जो 17 नवम्बर से 21 नवम्बर तक हुई, के दौरान सप्रू, जयकर, मुंजे, जिन्ना, बीकानेर के महाराजा और डॉ. अम्बेडकर ने बहुत निष्ठापूर्ण और प्रभावशाली भाषण दिये। अपनी सुबोध और आकर्षक शैली में सम्मेलन के मार्गनिर्देशक, मित्र और दार्शनिक सर तेज बहादुर स्रपू ने कहा : ''भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सभी तीन सदस्यों के साथ समानता का स्तर प्राप्त करना चाहता है और वह उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं – ऐसी समानता, जो उसे आम जनता की आवाज के प्रति मात्र उत्तरदायित्वपरक ही नहीं बल्कि उत्तरदायी शासन देगी।''

बीकानेर के महाराजा ने स्वयं को और रियासतों के प्रमुखों को ब्रिटिश भारत की आकांक्षाओं के संदर्भ में देखा तथा घोषित किया कि रियासतों के राजा स्व–शासित संघीय ब्रिटिश भारत के साथ स्वयं अपनी मुक्त इच्छा से संघबद्ध होने के लिए तैयार हैं। यह सभी के लिए एक अचंभा था। संघ की इस घोषणा का समर्थन पटियाला के महाराजा और भोपाल के नवाब द्वारा भी किया गया।

मुसलमान सदस्यों ने अखिल भारतीय संघ का स्वागत किया; परंतु अत्यधिक उत्साह के साथ उन्होंने उत्तर–पश्चिम प्रांत को ब्रिटिश भारत की अन्य प्रांतीय इकाइयों के समान स्तर प्रदान करने तथा सिंध के पृथक प्रांत के सृजन के लिए दबाब डाला।

जयकर ने अपने भाषण के गहन और मधुर प्रवाह से डोमिनियन स्टेटस की

घोषणा करने की मांग की : ''अगर आज आप भारत को डोमिनियन स्टेटस देते हैं तो कुछ महीनों में स्वाधीनता की आवाज उठनी स्वयं बंद हो जाएगी। अगर दूसरी ओर हम सम्मेलन में अपने खाली हाथ लौटते हैं तो यह स्वाधीनता की मांग इतनी मात्रा और तीव्रता में उठाने का निश्चित तरीका होगा।

डॉ. मुंजे ने पटियाला के महाराजा का अनुसरण करते हुए लॉर्ड पील के सभी तर्कों का खंडन किया और सम्मेलन को बताया कि ब्रिटिश सरकार ने कैसे भारतीय नौवहन, कपास तथा अन्य उद्योगों को कुचला है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटिश शासन का यह विश्वास कि वे बल प्रदर्शन द्वारा नागरिक अवज्ञा के राष्ट्रीय आंदोलन को दबा देंगे, भ्रांतिपूर्ण है; वह समय गुजर चुका है।

एन. एम. जोशी ने नए संविधान में श्रमिकों के लिए अधिक अधिकारों की वकालत की। सर मिर्जा ने कहा कि भावी संविधान संघीय आधार पर आधारित होना चाहिए। सर सी. पी. रामास्वामी अय्यर ने राय व्यक्त की कि भावी संविधान उसके अधीन रहने योग्य होना चाहिए। तब, दो अथवा तीन वक्ताओं के बाद चमकती हुई आंखों और कसे हुए होठों वाला एक मजबूत कद–काठी, सौम्य और आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति उठा। केवल अपने मानसिक और नैतिक बल द्वारा निम्नतम स्तर से ऊंचाई तक उठा वह व्यक्ति राजकुमारों और राजाओं, विधिवेत्ताओं और महान राजसिंहासनों, जागीरों, संस्थानों और हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे महान बुद्धिमानों की सभा में बैठा था। वह भारत के सबसे गरीबों, जो अधनंगे और मूक थे, का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह अब क्या कहेगा? वह इसे कैसे कहेगा? सभा में एक शासक था, जिसने उसकी शिक्षा का वित्तपोषण किया था। उनमें से एक वह था, जो स्कूल में उसका शिक्षक था। सभी आंखें वक्ता पर केंद्रित थीं। वह बिल्कुल घबड़ाया हुआ नहीं था। वह अपने दिमाग से परिचित था; वह जानता था, उसे क्या कहना और कैसे कहना है। प्रधान मंत्री मैकडोनाल्ड और जोशी को छोड़कर उस सम्माननीय सभा में किसी ने भी निर्धनता को उसके अशिष्टतम और कुरूपतम रूप में नहीं देखा था। सम्मेलन में विशिष्ट व्यक्ति, विद्वान और साहित्यकार थे, परंतु वह एकमात्र नेता था, जिसने शैक्षिक जगत में उच्चतम डिग्री, विज्ञान में डॉक्टरेट प्राप्त की थी। यह व्यक्ति भारत में दलित मनुष्यों का नेता, डॉ. अम्बेडकर था।

प्रारंभ में, डॉ. अम्बेडकर ने घोषित किया कि सम्मेलन के समक्ष बोलते समय, वह ब्रिटिश भारत की कुल जनसंख्या के पांचवे हिस्से– जो इंग्लैंड अथवा फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है और जो एक दास से भी खराब स्थिति में आ गया है, के विचार रख रहे है। उन्होंने तब सभी को अचंभित करते हुए घोषित किया कि भारत में अछूत भी मौजूदा सरकार के स्थान पर जनता द्वारा और जनता के लिए, जनता की सरकार

के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति अछूतों की प्रवृत्ति में यह परिवर्तन आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण घटना है। अपनी बात का औचित्य देते हुए उन्होंने अपनी वाणी में ओज और आंखों में चमक लाते हुए विचार व्यक्त किए : ''जब हम अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना ब्रिटिश पूर्व दिनों के भारतीय समाज में अपने भाग्य से करते हैं तब हम पाते हैं कि आगे चलने की बजाय हम समय का आकलन कर रहे हैं। ब्रिटिशों के पूर्व हम छूआछूत के कारण घृणित दशा में थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने इसे हटाने के लिए कुछ किया? ब्रिटिश के पूर्व हम गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने कुंए के हमारे अधिकार प्राप्त कराए? अंग्रेजों के शासन से पूर्व हम मंदिर में नहीं जा सकते थे। क्या अब हम प्रवेश कर सकते हैं? ब्रिटिश के पूर्व हमें पुलिस बल में प्रवेश करने से मनाही थी। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें बल में प्रवेश दिलाया? ब्रिटिश के पूर्व हमें मंत्रालय में सेवा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। क्या अब वह जीवनवृत्ति हमारे लिए खुली है? क्या हम इन किन्हीं प्रश्नों का निश्चयात्मक उत्तर दे सकते हैं। हमारी गलतियां खुले घावों की तरह बनी रहीं और उन्हें ठीक नहीं किया गया, यद्यपि ब्रिटिश शासन के 150 वर्ष गुजर चुके हैं।

''ऐसी सरकार ने किसी की क्या भलाई की है?'' उन्होंने सम्मेलन से पूछा। इस पर ब्रिटिश प्रतिनिधिगण एक–दूसरे की ओर देखने लगे। भारतीय प्रतिनिधियों के बीच एक उत्तेजनामय वातावरण था। डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा, यह ऐसी सरकार है, जो मानती है कि पूंजीपति कामगारों को आजीविका के लिए उचित मजदूरी और कार्य की अच्छी दशाएं नहीं दे रहे हैं और जमींदार जनता को निचोड़ रहे हैं और फिर भी इसने उन सामाजिक बुराईयों को नहीं हटाया, जिन्होंने अनेक वर्षों से दलित वर्गों के जीवन को नष्ट कर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि इसे इन बुराईयों को हटाने की कानूनी शक्तियां हैं फिर भी इसने जीवन की मौजूदा सामाजिक और आर्थिक संहिता संशोधित नहीं की, क्योंकि उसे भय था कि उसके हस्तक्षेप से प्रतिरोध उत्पन्न होगा। इसलिए उन्होंने घोषणा की : हमारी ऐसी सरकार होनी चाहिए, जिसमें रहने वाले व्यक्ति देश के सर्वोत्तम हित में अपनी अखंड निष्ठा रखें। हमारी ऐसी सरकार होनी चाहिए, जिसमें सत्तारूढ़ व्यक्ति यह जानते हों कि आज्ञा पालन कहां समाप्त होगा और प्रतिरोध कहां प्रारंभ होगा; और वे जीवन की सामाजिक एवं आर्थिक संहिता, को जिसके लिए न्याय और समीचीनता की आज्ञाओं की अपेक्षा थी, संशोधित करने से भयभीत नहीं होंगे।

डॉ. अम्बेडकर ने डीनियम स्टेटस के स्तर की मांग की परिपुष्टि की, परंतु यह संदेह व्यक्त किया कि क्या दलित वर्ग इसके उत्तराधिकारी होंगे जब तक नए संविधान के लिए राजनीतिक तंत्र विशेष रूप का न हो। उस संविधान को बनाते

समय, उन्होंने मत व्यक्त किया, यह देखा जाना चाहिए कि भारतीय समाज, जो सम्मान के आरोही और अवमानता के अवरोही क्रम से निर्मित है और जो जातियों का श्रेणीकरण है, समानता और भातृत्व की भावना के विकास की कोई गुंजाईश प्रदान नहीं करता और बुद्धिजीवी वर्ग ने जो उच्च स्तर से आए हैं तथा जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन चलाया है, जातियों के अपने संकीर्ण पक्षपात को नहीं छोड़ा है। इसलिए उन्होंने बलपूर्वक कहा: ''हम महसूस करते हैं कि कोई भी हमारी शिकायतें दूर नहीं कर सकता जितनी अच्छी तरह हम कर सकते हैं और हम उन्हें तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं अपने हाथों में राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं करते। मैं समझता हूं दलित वर्गों ने समय को अपना चमत्कार दिखाने के लिए बहुत लम्बी प्रतीक्षा की है।''

भारतीय गतिरोध का हवाला देते हुए उन्होंने एडमंड बर्क के जिन्हें वे राजनीतिक दर्शनशास्त्र का महानतम शिक्षक कहते थे, स्मरणीय शब्दों को याद किया कि ''बल प्रयोग अस्थायी होता है।'' अपना ओजस्वी भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार और उन्हें, जो सम्मेलन में ''वाक् और विचार युद्ध'' में संलग्न थे, चेतावनी दी: मुझे भय है कि यह पर्याप्त महसूस नहीं किया गया है कि देश की वर्तमान स्थिति में कोई भी ऐसा संविधान व्यवहार्य नहीं होगा, जो बहुसंख्यक लोगों को स्वीकार्य नहीं है। वह समय चला गया है जब आपको चयन करना था और भारत को स्वीकार करना था; वह समय कभी वापस नहीं आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि नया संविधान काम करे तो लोगों की सहमति को नए संविधान की कसौटी बनाइए न कि तर्क को।''

भाषण में निडर स्वर और निर्भीक आलोचना का सम्मेलन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। जिससे बेबाकीपन और निर्भीकता से डॉ. अम्बेडकर ने सुदृढ़तापूर्वक सम्मेलन के समक्ष तथ्य रखे, उन्होंने प्रतिनिधियों को अत्यधिक प्रभावित किया और उन्होंने उनके ओजस्वी भाषण पर उन्हें बधाई दी। इसने ब्रिटिश प्रधान मंत्री पर अच्छा प्रभाव डाला। ''दि इंडियन डेली मेल'' ने इस भाषण का उल्लेख संपूर्ण सम्मेलन के दौरान एक सर्वोत्कृष्ट वाक्पटुता के रूप में किया। सम्मेलन में एक व्यक्ति उनके भाषण से अत्यधिक प्रसन्न था। वे प्रशंसा, संतुष्टि और अत्यधिक सराहना से परिपूर्ण अपने राजमहल पहुंचे और अपनी आंखों में खुशी के आंसुओं सहित उन्होंने अपनी रानी से कहा कि उस दिन के वक्ता पर व्यय की गई धनराशि और उनके प्रयास सभी वसूल हो गए। यह एक

---

* भारतीय गोल मेज सम्मेलन, 1930–31, कार्यवाही पृष्ठ 123–29 ।

\# गोल मेज सम्मेलन में डॉ बी. आर. अम्बेडकर का भाषण। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के लेख और भाषण, खंड 2 देखिए – संपादक

उपलब्धि, एक महान सफलता थी। यह प्रशंसक और कोई नहीं बड़ौदा के महामहिम महाराजा थे, जिन्होंने अपने पसंदीदा मित्रों के लिए लंदन में अपने द्वारा दिए गए विशेष रात्रि भोज में डॉ. अम्बेडकर को आमंत्रित किया था। यह भाग्य की विचित्र लीला थी कि गायकवाड और अम्बेडकर अतिनाटकीय स्थिति में वर्षों के मनमुटाव के बाद मिले।

डॉ. अम्बेडकर के इस ओजपूर्ण भाषण का समाचारपत्रों पर भी अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी समाचारपत्रों और संवाददाताओं ने दलित वर्ग के नेता और लॉर्ड सिन्डेनहाम ओडायर तथा अन्य अंग्रेज राजनेता, जिन्होंने 'स्पेक्टेटर' में डॉ. अम्बेडकर के भाषण की तीखी आलोचना की थी, का ध्यान आकर्षित किया, वे अब पूर्णतः आश्वस्त थे कि डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रवादी हैं और इसीलिए उन्होंने यह कहना शुरू किया कि वे भी भारत के क्रांतिकारी नेताओं में से एक हैं। कुछ अंग्रेज राजनेताओं ने विश्वासपूर्ण तरीके से ए.बी. लाठे से पूछा कि क्या डॉ. अम्बेडकर क्रांतिकारी खेमे से संबंधित हैं। ब्रिटिश राजनेताओं की ओर से यह पूछताछ अप्रत्याशित नहीं थी। स्मरण रहे ब्रिटिश गुप्त पुलिस ने उस समय डॉ. अम्बेडकर की पूरी तलाशी ली थी जब वे वर्ष 1917 में अमरीका से ब्रिटेन आए थे।

सम्मेलन की प्रारंभिक अवधि के दौरान उदारवादी नेताओं : सप्रू, शास्त्री और सीतलवाड द्वारा सांप्रदायिक प्रश्न पर मुसलमान प्रतिनिधियों के साथ सहमति बनाने का प्रयास किया गया था। हिन्दू प्रतिनिधियों ने सर कावसजी जहांगीर के निवास–स्थान पर शास्त्री की अध्यक्षता में मुसलमान प्रतिनिधियों के साथ समझौते की संभावना पर चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित कीं। मुंजे और जयकर ने यह विचार व्यक्त किया कि ऐसा समझौता डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने के बाद संभव होगा। उदारवादी नेता जयकर, मुंजे और अम्बेडकर ने भोपाल के नवाब, आगा खान, जिन्ना और अन्य के साथ भोपाल के नवाब के निवास–स्थान पर विचार–विमर्श किया, परंतु सिंध के पृथक्करण के लिए मुसलमानों की मांग पर जिसका मुंजे और जयकर द्वारा घोर विरोध किया गया था, पर वार्ता भंग हो गई। इसके अतिरिक्त, मुसलमान नेता मुसलमान बहुल प्रांतों में हिन्दुओं और सिखों को आरक्षित सीट का समान अनुपात देने के लिए तैयार नहीं थे, जैसा उन्होंने अन्य प्रांतों में अपने लिए मांगा था।

इस विचार–विमर्श सत्र में सामान्य चर्चा के बाद सम्मेलन ने नौ उप–समितियां नियुक्त कीं और डॉ. अम्बेडकर को संघीय संरचना समिति को छोड़कर लगभग सभी महत्वपूर्ण उप–समितियों में सदस्य के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। वे अल्पसंख्यक उप–समिति, प्रांतीय उप–समिति और सेवा उप–समिति में थे, जिनमें उनके साथ भारत और इंग्लैंड के प्रकांड विद्वान भी थे। प्रांतीय उप–समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के क्रम में डॉ. अम्बेडकर ने चिंतामणि के इस विचार का समर्थन किया कि भारत के किसी भी प्रांत में दूसरा सदन होना पूर्णतः अनावश्यक और अवांछनीय है।

रक्षा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के समय डॉ. अम्बेडकर ने वकालत की कि सेना में भर्ती को क्षमता और आवश्यक योग्यता के आधार पर सभी भारतीयों के लिए बराबर खुले रहना चाहिए।

अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डॉ. अम्बेडकर द्वारा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया गया वह दलित वर्गों के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करते हुए बुनियादी अधिकारों की घोषणा तैयार करना था। उन्होंने अत्यधिक परिश्रम और कूटनीतिज्ञता के साथ यह स्कीम तैयार की और उसे भारत के भावी संविधान में शामिल करने के लिए अल्पसंख्यक उप–समिति को प्रस्तुत किया। इस स्कीम का शीर्षक ''स्व–शासित भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों के संरक्षण के लिए राजनीतिक सुरक्षोपाय की स्कीम था।''[1]

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार ज्ञापन का पाठ उसकी पृष्ठभूमि के साथ निम्नानुसार है – संपादक।

''दिनांक 12 नवम्बर, 1930 को महामहिम सम्राट जॉर्ज पंचम ने औपचारिक रूप से भारतीय गोल मेज सम्मेलन का उद्‌घाटन किया। भारतीयों के दृष्टिकोण से गोल मेज सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका महत्व महामहिम की सरकार द्वारा भारत के लिए संविधान तैयार करने के मामलों में परामर्श किए जाने हेतु भारतीयों के अधिकार को मान्यता देने में निहित है। अछूतों के लिए यह उनके इतिहास में एक मील का पत्थर था। अछूतों को पहली बार दो प्रतिनिधियों, जिनमें स्वयं मैं और दीवान बहादुर आर. श्रीनिवासन शामिल थे, द्वारा अलग–अलग प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी। इसका अर्थ यह है कि अछूतों को हिन्दुओं से मात्र पृथक ही नहीं माना गया था बल्कि इतना महत्वपूर्ण भी माना गया था कि उन्हें भारत का संविधान तैयार करने में परामर्श देने का अधिकार है।

सम्मेलन के कार्य को नौ समितियों में वितरित किया गया था। इन समितियों में से एक अल्पसंख्यक समिति थी, जिसे सांप्रदायिक प्रश्न का समाधान खोजने का सर्वाधिक कठिन कार्य सौंपा गया था। यह पूर्वानुमान करते हुए कि यह समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है, प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्री रामसे मैकडोनाल्ड ने स्वयं इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। अल्पसंख्यक समिति की कार्यवाही अछूतों के लिए अत्यधिक महत्व की है क्योंकि कांग्रेस और अछूतों के बीच जो अधिकांश हुआ था और जिससे उनके बीच कटुता उत्पन्न हुई थी, वह उस समिति की कार्यवाही में पाई जाएगी।

---

1. कीर पृष्ठ 144–153 ।

जब गोल मेज सम्मेलन ने अछूतों से भिन्न समुदायों की राजनीतिक मांगे पूरी कीं तब यह सुविदित था। वास्तव में वर्ष 1919 के संविधान ने उन्हें सांविधिक अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी थी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रावधान उसमें अंतर्निहित किए गए थे। उनके मामले में प्रश्न उन प्रावधानों का विस्तार करना अथवा उनके आकार को परिवर्तित करना था। दलित वर्गों के संबंध में स्थिति भिन्न थी। मोंटेग–चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में जो वर्ष 1919 के संविधान के पूर्व आई थी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके संरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान अवश्य किए जाने चाहिएं। परंतु दुर्भाग्यवश, जब संविधान के ब्यौरे तैयार किए गए, तो भारत सरकार ने नामांकन द्वारा विधानमंडल में उन्हें सांकेतिक प्रतिनिधित्व मात्र देकर उनके संरक्षण के लिए कोई प्रावधान तैयार करना कठिन पाया। पहली बात जिसे करने की अपेक्षा थी, वह हिन्दुओं की निरंकुशता और उत्पीड़न के विरुद्ध अपने संरक्षण के लिए अछूतों द्वारा आवश्यक समझे गए रक्षोपाय तैयार करना था। इसे मैंने गोल मेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति को एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उन रक्षोपायों की जिन्हें मेरे द्वारा तैयार किया गया था, जानकारी देने के लिए मैं ज्ञापन का पाठ नीचे पुनः प्रस्तुत करता हूं :–

स्व–शासित भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों के संरक्षण के लिए राजनीतिक रक्षोपायों की एक स्कीम भारतीय गोल मेज सम्मेलन में प्रस्तुत की गई!

वे शर्तें निम्नलिखित हैं, जिन पर दलित वर्ग स्व–शासित भारत में बहुसंख्यक शासन के अधीन स्वयं को रखने की सहमति देंगे।

शर्त संख्या 1

समान नागरिकता

दलित वर्ग वंशानुगत दासता की अपनी वर्तमान दशा में स्वयं को बहुसंख्यक शासन के अधीन रखने की सहमति नहीं दे सकता। बहुसंख्यक शासन स्थापित होने के पूर्व छूआछूत की प्रथा से मुक्ति का काम एक पूरा किया गया तथ्य होना चाहिए। इसे बहुसंख्यक की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दलित वर्गों को राज्य के अन्य नागरिकों के साथ साझा नागरिकता के सभी अधिकारों के लिए हकदार स्वतंत्र नागरिक बनाया जाना चाहिए।

(क) अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करने और समान नागरिकता सृजित करने के लिए यह प्रस्तावित है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों को भारत के संविधान का अंग बनाया जाएगा।

मूल अधिकार

"भारत में राज्य के सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हैं और समान नागरिक अधिकार रखते हैं। किसी मौजूदा अधिनियम, विनियम, आदेश, प्रथा अथवा कानून की व्याख्या का, जिसके द्वारा कोई शास्ति, हानि, निःशक्तता छूआछूत के कारण राज्य के किसी व्यक्ति पर अधिरोपित की जाती है या उसके साथ भेदभाव किया जाता है, जिस दिन से यह संविधान प्रवृत्त होता है, भारत में प्रभवी होना बंद हो जाएगा।

यू.एस.ए. (सं.रा.अ.) संविधान संषोधन XIV और आयरलैंड शासन अधिनियम, 1920, 1 और 11 जियो. V, अध्याय 67, धारा 5(2)

(ख) भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 110 और 111 के फलस्वरूप कार्यपालक अधिकारियों द्वारा प्राप्त उन्मुक्तियों और छूटों को समाप्त करना और कार्रवाई के लिए उनके दायित्व को यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा के मामले के समविस्तीर्ण बनाना।

सभी संविधानों में ऐसा ही है। सीएम 207, पृष्ठ 56 में प्रोफेसर कीथ की अभ्युक्तियां देखिए।

शर्त संख्या II

समान अधिकारों का निर्वाध उपभोग

दलित वर्गों के लिए समान अधिकारों की घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। इसमें संदेह नहीं हो सकता कि दलित वर्गों को रूढ़िवादी समाज के संपूर्ण बल का सामना करना होगा अगर वे नागरिकता के समान अधिकारों का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दलित वर्ग महसूस करता है कि अगर अधिकारों की ये घोषणाएं मात्र पवित्र उद्घोषणा नहीं होती हैं, अपितु प्रतिदिन के जीवन की वास्तविकताएं होती हैं तो उनका इन घोषित अधिकारों का उपयोग करने में हस्तक्षेप से पर्याप्त कष्टों और शास्तियों द्वारा संरक्षण किया जाना चाहिए।

(क) इसलिए दलित वर्ग यह प्रस्ताव करते हैं कि अपराधों, कार्यविधि और शास्तियों के विषय में भारत अधिनियम, 1919 के भाग XI में निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जानी चाहिएं :–

(i) नागरिकता के अतिक्रमण का अपराध

सं. रा. सांविधियां, 9 अप्रैल, 1868 और 1 मार्च, 1875 के सिविल राइटस प्रोटेक्शन ऐक्ट अश्वेत लोगों के हित में उनके उद्धार के बाद पारित

''जो कोई किसी व्यक्ति को सभी वर्गों के व्यक्तियों को लागू कानून के कारणों के सिवाय और छूताछूत की किसी पूर्व शर्त के बावजूद किसी भी आवासों लाभों, सुविधा, सराय, शैक्षणिक संस्थान, सड़क, पथ, गली, तालाब, कुंए और जल के अन्य स्रोतों, भूमि, वायु या जल पर सार्वजनिक वाहन, थियेटर अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, रिजॉटों अथवा सुविधाओं, चाहे वे जनता के प्रयोग के लिए समर्पित या अनुरक्षित हों अथवा लाइसेंसशुदा हों, का पूर्ण उपभोग करने से वंचित करता है तो उसे ऐसी अवधि, के लिए जो पांच वर्षों तक सजा हो सकेगी किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माना देने के लिए भी दायी होगा।''

(ख) दलित वर्गों के अधिकारों का शांतिपूर्ण उपयोग करने के रास्ते में रूढ़िवादी व्यक्तियों द्वारा बाधा एकमात्र जोखिम नहीं है। बाधा का सबसे आम रूप सामाजिक बहिष्कार है। रूढ़िवादी वर्गों के पास यह सर्वाधिक दुर्जेय हथियार है, जिससे वे दलित वर्गों की ओर से, अपने लिए अप्रियकर कार्यकलाप के किसी भी प्रयास को दबा देते हैं। वे अवसरों, उसके कार्यान्वयन और उनका जिन पर इसे लागू किया जाता है, भलीभांति उल्लेख, दलित वर्गों (अछूतों) और प्रेसीडेंसी में आदिम जनजातियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दशा की जांच करने और उनके उत्थान के उपायों की सिफारिश करने के लिए बंबई सरकार द्वारा वर्ष 1928 में नियुक्त समिति की रिपोर्ट में किया गया है। उस रिपोर्ट से उद्धरण निम्नलिखित हैं :—

दलित वर्ग और सामाजिक बहिष्कार

''102 यद्यपि हमने सभी जन—सुविधाओं के लिए दलित वर्गों को उनका अधिकार दिलाने हेतु विभिन्न उपायों की सिफारिश की है फिर भी हमें भय है कि आने वाली दीर्घ अवधि तक उनके प्रयोग में उनके सामने कठिनाईयां आएंगी। पहली कठिनाई रूढ़िवादी वर्गों द्वारा उनके विरुद्ध खुली हिंसा का भय है। उल्लेखनीय है कि दलित वर्ग प्रत्येक गांव में अल्पसंख्यक है, जिसके विरुद्ध रूढ़िवादियों की अत्यधिक बहुसंख्या है, जो किसी भी कीमत पर दलित वर्गों द्वारा किसी संभावित अतिक्रमण से अपने हितों और सम्मान के संरक्षण के लिए कटिबद्ध हैं। पुलिस द्वारा मुकदमा चलाए

जाने के खतरे ने रूढ़िवादी वर्गों द्वारा हिंसा के प्रयोग पर रोक लगाई है और इसके फलस्वरूप ऐसे मामले बिरले ही हैं।

''दूसरी कठिनाई उस आर्थिक स्थिति से उत्पन्न होती है, जिसमें दलित वर्गों को पाया जाता है। प्रेसीडेंसी के अधिकांश भागों में दलित वर्गों को कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। दलित वर्गों के कुछ लोग रूढ़िवादी वर्गों की भूमि पर उनकी इच्छानुसार काश्तकार के रूप में खेती करते हैं। अन्य लोग रूढ़िवादी वर्गों द्वारा नियोजित खेतिहर मजदूरों के रूप में प्राप्त आय से अपनी जीविका चलाते हैं और शेष रूढ़िवादी वर्गों द्वारा नौकरों के रूप में उनकी सेवा के बदले दिए जाने वाले भोजन अथवा अनाज पर जीवित रहते हैं। हमने कई उदाहरण सुने हैं, जहां रूढ़िवादी वर्गों ने अपने गांवों के उन दलित वर्गों के विरुद्ध हथियार के रूप में अपनी आर्थिक शक्ति का प्रयोग किया है। जब दलितों ने अपने अधिकार के प्रयोग का साहस किया है। उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया है तथा उन्हें रोजगार देना बंद कर दिया है तथा नौकरों के रूप में उनका पारिश्रमिक रोक दिया है। यह बहिष्कार प्रायः इतने व्यापक स्तर पर योजनाबद्ध होता है कि उसमें दलित वर्गों को साझा रूप से प्रयुक्त मार्गों के प्रयोग से वंचित करना और गांव के बनिया द्वारा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की बिक्री रोकना शामिल होता है। साक्ष्य के अनुसार, कभी–कभी छोटे–छोटे कारण भी दलित वर्गों के विरूद्ध सामाजिक बहिष्कार की घोषणा के लिए पर्याप्त होते हैं। यह बारंबार दलित वर्गों द्वारा साझा कुंए के प्रयोग के अपने अधिकार पर भी होता है, परंतु ये मामले किसी भी प्रकार से बिरले नहीं हैं, जहां एक सख्त बहिष्कार की घोषणा मात्र इसलिए की गई है क्योंकि दलित वर्ग के व्यक्ति ने एक पवित्र धागा बांध लिया है, भूमि का टुकड़ा खरीदा है, अच्छे कपड़े अथवा गहने पहने हैं अथवा सार्वजनिक सड़क से होकर दूल्हे को घोड़े पर बैठाकर बारात निकाली है।

''हम इस सामाजिक बहिष्कार से अधिक प्रभावी कोई हथियार नहीं जानते, जिसका आविष्कार दलित वर्गों को दबाने–कुचलने के लिए किया जा सकता है। खुली हिंसा की पद्धति इसके समक्ष फीकी पड़ जाती है क्योंकि उसके बहुत दूरगामी और शामक प्रभाव होते हैं। यह ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह संपर्क की स्वतंत्रता के सिद्धांत के संगत विधिपूर्ण विधि के रूप में पारित होती है। हम सहमत हैं कि बहुसंख्यक की इस निरंकुशता को सख्ती से समाप्त किया जाना चाहिए अगर हमें दलित वर्गों को उनके उत्थान के लिए आवश्यक बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता की गारंटी देनी है।

दलित वर्गों की राय में उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के इस किस्म के जोखिम को दूर करने का एकमात्र उपाय सामाजिक बहिष्कार को कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाना है। इसलिए वे इस बात पर बल देने के लिए बाध्य हैं कि अपराध, प्रक्रिया और

शास्तियों भारत शासन अधिनियम, 1919 के भाग–XI में निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जानी चाहिएं।

I. *बहिष्कार का अपराध परिभाषित*

(i) किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे का बहिष्कार करना समझा जाएगा, जो –

यह और निम्नलिखित कानूनी प्रावधान मामले की आवश्यकता को उपयुक्त बनाने के लिए कुछ परिवर्तनों सहित बर्मा एन्टी बायकाट ऐक्ट, 1922 से सावयव लिए गए हैं। (क) किसी मकान अथवा भूमि को किराए पर देने या प्रयोग करने अथवा अधिभोग करने, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करने, पर देने का कार्य करने या व्यवसाय करने, अथवा उसे कोई सेवा देने या उससे लेने से इंकार करता है, अथवा उन शर्तों, पर जिनऐसी बातें व्यवसाय के सामान्य इंकार अनुक्रम में की जानी चाहिए, उक्त बातों में से कोई करने से अस्वीकार करता है, अथवा

(ख) समाज में ऐसी मौजूदा रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए जो साधारणतया ऐसे व्यक्ति के पास सामान्यतया कायम, संविधान में घोषित किहीं मूल अधिकारों अथवा नागरिकता के अन्य अधिकारों से असंगत नहीं हैं, अपने ऐसे सामाजिक, वृत्तिक अथवा कारोबार के संबंधों से विरत रहता है, अथवा

(ग) किसी तरह ऐसे अन्य किसी व्यक्ति को, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए नुकसान पहुंचाता है, रूष्ट करता है अथवा उसमें हस्तक्षेप करता है।

II. *बहिष्कार करने के लिए दंड*

जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कृत्य करने, जिसे करने का वह कानूनी रूप से हकदार था अथवा ऐसे कृत्य का लोप करने, जिसे लुप्त करने के लिए वह कानूनी रूप से हकदार या अथवा किसी व्यक्ति को ऐसा कृत्य करने के, जिसे वह करने के लिए कानूनी रूप से अथवा लोप करने के जिसे लुप्त करने का वह हकदार था, आशय से, अथवा ऐसे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक रूप से उसकी ख्याति या संपत्ति अथवा उसके व्यवसाय या आजीविका के साधन को नुकसान पहुंचाने के आशय से ऐसे व्यक्ति या किसी व्यक्ति का जिसमें ऐसा व्यक्ति हितबद्ध है, बहिष्कार करता है तो उसे दोनों प्रकार के कारावास को दंड दिया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष हो सकेगी अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई अपराध किया गया नहीं माना जाएगा, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के बहकावे

में अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सांठ–गांठ से या किसी षड़यंत्र अथवा किसी करार या गठजोड़ से बहिश्कार करने का कोई कार्य नहीं किया है।

III. *बहिष्कार को उकसाने अथवा बढ़ावा देने के लिए दंड*

जो कोई –

(क) सार्वजनिक रूप से कोई प्रस्ताव करता है अथवा प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, अथवा

(ख) ऐसे आशय से या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, कि उससे कारित होना संभाव्य है कोई कथन अफवाह या रिपोर्ट करता है, प्रकाशित करता है अथवा परिचालित करता है, अथवा

(ग) किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के बहिष्कार करने को उकसाता है अथवा बढ़ावा देता है, उसे कारावास का दंड दिया जाएगा, जो पांच वर्ष तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के अधीन अपराध किया गया माना जाएगा यद्यपि यहां इसमें उल्लिखित प्रकृति की किसी कार्रवाई द्वारा प्रभावित अथवा प्रभावित होने के लिए संभाव्य किसी व्यक्ति को नाम अथवा वर्ग द्वारा पदानिहित नहीं किया जाता है अपितु उसके कृत्य द्वारा किसी विनिर्दिष्ट रीति से कृत्य करके या कृत्य करने से विरत रहकर किया जाता है।

IV. *बहिष्कार की धमकी देने के लिए दंड*

जो कोई, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कृत्य करने के जिसे करने का वह कानूनी रूप से हकदार था अथवा ऐसे कृत्य का लोप करने को जिसे वह लुप्त करने के लिए कानूनी रूप से हकदार था अथवा किसी व्यक्ति को ऐसा कृत्य करने, जिसे वह करने के लिए कानूनी रूप से अथवा लोप करने के लिए हकदार था आशय से ऐसे व्यक्ति अथवा किसी व्यक्ति, जिसमें ऐसा व्यक्ति हितबद्ध है, बहिष्कार करने की धमकी देता है, उसे ऐसी अवधि के कारावास का दंड दिया जाएगा जो पांच वर्षों तक का हो सकेगा है अथवा जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अपवाद –

(i) किसी सद्भाविक श्रमिक विवाद को अग्रसर करने में कोई कृत्य करना,

(ii) व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा के सामान्य अनुक्रम में कोई कृत्य करना।

बहिष्कार नहीं है।

टिप्पणी – ये सभी अपराध संज्ञेय अपराध समझे जाएंगे।

शर्त संख्या III

भेदभाव से संरक्षण

दलित वर्ग को या तो विधान द्वारा अथवा भविष्य में किए जाने वाले कार्य आदेश द्वारा भेदभाव का घोर भय रहता है। इसलिए वे बहुसंख्यक शासन के अधीन स्वयं को लाने की सहमति नहीं दे सकते जब तक कि विधानमंडल अथवा कार्यपालिका द्वारा दलित वर्गों के साथ किसी द्वेषजनक भेदभाव करना कानून के अनुसार असंभव नहीं बनाया जाता है।

इसलिए यह प्रस्तावित है कि भारत के संवैधानिक कानून में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान किए जाएं :–

''भारत में कोई विधानमंडल अथवा कार्यपालिका कोई विधि बनाने अथवा कोई आदेश, नियम या विनियम जारी करने के लिए सक्षम नहीं होगी, जो भारत डोमिनियन के क्षेत्राधिकार के अधीन सभी क्षेत्रों में छूआछूत की किसी पूर्व शर्त पर ध्यान दिए बिना, राज्य के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता हो,

(1) संविदा करने और उसे प्रवर्तित करने पर मुकदमा चलाने पक्षकार बनने और साक्ष्य देने, स्थावर और वैयक्तिक संपत्ति विरासत में लेने, खरीदने, पट्टे पर देने, बेचने, धारित करने और हस्तांतरित करने, के लिए,

(2) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के सिवाय जो राज्य के निवासियों के सभी वर्गों का विधिवत और पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक हों और सैन्य रोजगार में तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए,

(3) प्रत्येक प्रजाति, वर्ग, जाति, वर्ण और धर्म के सभी लोगों पर समान रूप से लागू ऐसी शर्तों और परिसीमाओं को छोड़कर, सभी आवासों, फायदों सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों, सराय, नदियों, प्रपातों, कुंओं, तालाबों, सड़कों, मार्गों, भीतरी सड़कों, भूमि, वायु और जल पर सार्वजनिक वाहनों, थियेटर और सार्वजनिक आश्रम या मनोरंजन के अन्य स्थानों का पूर्ण और बराबर उपभोग करने के लिए हकदार होने के लिए,

(4) जनसाधारण अथवा समान आस्था और धर्म के लोगों के लिए समर्पित

अथवा सृजित, अनुरक्षित या लाइसेंसशुदा किसी धार्मिक अथवा खैराती न्यास की प्रसुविधाओं में किसी भेदभाव के बिना हिस्सेदारी के लिए उपयुक्त और समर्थ समझे जाने के लिए,

(5) व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी विधियों और कार्यवाहियों के पूर्ण और समान प्रसुविधा का जिसका उपयोग छूआछूत की किसी पूर्व शर्त पर ध्यान दिए बिना, अन्य लोगों द्वारा किया जाता है, और समान, दंड, कष्ट और जुर्माने के अधीन हो, दावा करने के लिए।''

शर्त संख्या IV

विधानमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व

दलित वर्गों को उनका कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विधायी और कार्य कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक शक्ति दी जानी चाहिए। इसके दृष्टिगत, वे मांग करते हैं कि उन्हें निम्नलिखित प्रदान करने के लिए चुनाव कानून में निम्नलिखित प्रावधान किया जाएगा –

(1) देश–प्रांत और केंद्र के विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार।

(2) स्वयं अपने लोगों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनने का अधिकार –

(क) प्रौढ़ मताधिकार, और

(ख) प्रथम दस वर्षों के लिए पृथक मतदाताओं द्वारा और उसके बाद संयुक्त मतदाताओं और आरक्षित सीटों द्वारा यह समझते हुए कि संयुक्त मतदाताओं को दलित वर्गों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध, नहीं लादा जाएगा जब तक कि ऐसे संयुक्त मतदाताओं को प्रौढ़ मताधिकार प्राप्त न हो।

टिप्पणी – दलित वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व को मात्रात्मक रूप से तब तक परिभाषित नहीं किया जा सकता जब तक अन्य समुदायों को प्रतिनिधित्व की मात्रा ज्ञात हो। किन्तु यह समझा जाना चाहिए कि दलित वर्ग उन्हें अनुज्ञात से बेहतर शर्तों पर निर्धारित किए जा रहे किसी अन्य समुदाय के प्रतिनिधित्व की सहमति नहीं देंगे। वे इस मामले में अलाभकारी स्थिति में रखे जाने पर सहमत नहीं होंगे। किसी भी मामले में, प्रांतों में अन्य अल्पसंख्यकों को अनुज्ञात प्रतिनिधित्व की सीमा पर ध्यान दिए बिना बंबई और मद्रास के दलित वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

शर्त संख्या V

सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व

दलित वर्ग ने उच्च जाति के अधिकारियों, के द्वारा जिन्होंने कानून का उल्लंघन करके अथवा दलित वर्गों की हानि के लिए और न्याय, समानता अथवा शुद्ध अंतःकरण का ध्यान रखे किए बिना उच्च जातियों के फायदे के लिए उसे प्रशासित करने में, उनमें निहित विवेकाधिकार के दुरूपयोग से अत्यधिक कष्ट भोगा है। इस गलती से केवल लोक सेवाओं में हिंदू जाति के एकाधिकार को समाप्त करके और ऐसे तरीके से उनकी भर्ती को विनियमित करके कि दलित वर्गों सहित सभी समुदायों का पर्याप्त हिस्सा हो, बचा जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए दलित वर्गों को संवैधानिक कानून के भाग के रूप में कानूनी अधिनियमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव देने होंगे :

(1) भारत में और भारत कें प्रत्येक प्रांत में लोक सेवाओं की भर्ती और नियंत्रण के लिए लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाएगा।

(2) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को विधानमंडल द्वारा पारित संकल्प को छोड़कर हटाया नहीं जाएगा और न ही उसकी सेवानिवृत्ति के बाद सम्राट के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जाएगा।

(3) ऐसी क्षमता परीक्षाओं के जो विहित की जाएं के अधीन रहते हुए लोक सेवा आयोग का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा :

(क) ऐसी रीति से सेवा में भर्ती करना, जिससे सभी समुदायों का सम्यक् और पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा, और

(ख) किसी संबंधित विशिष्ट सेवा में विभिन्न समुदायों के मौजूदा प्रतिनिधित्व की मात्रा के अनुसार रोजगार में समय–समय पर प्राथमिकता विनियमित करना।

शर्त संख्या VI

विद्वेषपूर्ण कार्रवाई अथवा हितों की अवहेलना के विरूद्ध प्रतितोषण

इस तथ्य के दृष्टिगत कि भविष्य का बहुसंख्यक शासन रूढ़िवादियों का शासन होगा, दलित वर्गों को भय है कि ऐसा बहुसंख्यक शासन उनके लिए सहानुभूतिपूर्ण नहीं होगा और उनके हितों को हानि तथा उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की अवहेलना की संभाव्यता की अनदेखी नहीं की जा सकती। विशेषकर इसके विरुद्ध

प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि चाहे कितना भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो दलित वर्ग सभी विधानमंडलों में अल्पसंख्यक होंगे। दलित वर्ग इसे बहुत आवश्यक समझते हैं कि संविधान में उन्हें प्रतितोषण के साधन दिए जाने चाहिएं। इसलिए प्रस्ताव किया जाता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किया जाना चाहिए :—

ब्रिटिश नार्थ अमरीका ऐक्ट, 1867, धारा 93 दलित वर्गों की शिक्षा, सफाई, लोक सेवाओं में भर्ती तथा सामाजिक और राजनीतिक उन्नति के अन्य मामलों के लिए पर्याप्त प्रावधान करना और उन्हें प्रभाव डालने वाला कुछ भी कार्य नहीं करने की पर्याप्त व्यवस्था करना ''प्रत्येक प्रांत में और भारत में और उनके लिए विधि द्वारा स्थापित विधानमंडल और कार्यपालिका अथवा अन्य किसी प्राधिकारी का कर्त्तव्य होगा और बाध्यता होगी।

(2) जहां किसी प्रांत अथवा भारत में इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है वहां किसी प्रांतीय प्राधिकारी के कृत्य या विनिश्चय के विरूद्ध अपील सपरिषद गवर्नर जनरल को और मामले को प्रभावित करने वाले किसी केंद्रीय प्राधिकारी के कृत्य या विनिश्चय के विरूद्ध विदेश मंत्री को अपील की जाएगी।

''(3) ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां सपरिषद गवर्नर जनरल अथवा विदेश मंत्री को प्रतीत होता है कि इस धारा के प्रावधानों के विधिवत निष्पादन के लिए प्रांतीय प्राधिकारी अथवा केंद्रीय प्राधिकारी समुचित उपाय नहीं करते वहां ऐसे प्रत्येक मामले में और जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो सपरिषद गवर्नर—जनरल अथवा विदेश मंत्री अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, ऐसी अवधि, जिसे वे उचित समझे, इस धारा के प्रावधानों और इस धारा के अधीन उसके किसी निर्णय के सम्यक् निष्पादन के लिए उपचारात्मक उपाय निर्धारित कर सकता है और वह उस प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

शर्त संख्या VII

विशेष विभागीय देखभाल

दलित वर्गों की असहाय, अभागी और दुर्बल अवस्था रूढ़िवादी जनसंख्या, के जो दलित वर्गों को समानता का स्तर देने अथवा समानता का व्यवहार करने की अनुमति नहीं देगी, संपूर्ण रूप से प्रबल प्रतिरोध के कारण है। उनकी आर्थिक दशा का वर्णन करना पर्याप्त नहीं है कि वे निर्धनता से पीड़ित हैं अथवा वे भूमिहीन श्रमिक की श्रेणी के हैं यद्यपि ये दोनों बयान तथ्य परक हैं। यह उल्लेखनीय है कि दलित

वर्गों की निर्धनता मोटे तौर पर सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण है, जिसके फलस्वरूप आजीविका कमाने के कई अवसर उनके लिए बंद हैं। यह एक तथ्य है, जो दलित वर्गों की स्थिति को सामान्य जाति के श्रमिकों से अलग करता है और यह प्रायः दोनों के बीच अशांति का स्रोत है। दिमाग में यह भी रखना होगा कि दलित वर्गों के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचार और उत्पीड़न के रूप बहुत किस्म के हैं और स्वयं का संरक्षण करने के लिए दलित वर्गों की क्षमता अत्यधिक सीमित है। इस संबंध में प्राप्त होने वाले तथ्यों का जो संपूर्ण भारत में आम तौर पर घटते हैं, विवरण दिनांक 5 नवम्बर, 1892, नं. 723 के मद्रास सरकार के राजस्व बोर्ड की कार्यवाही के सारांश में दिया गया है, जिससे लिया गया उद्धरण निम्नलिखित हैं :

''134. केवल अब तक इंगित उत्पीड़न के रूप हैं जिनका उल्लेख कम से कम सरसरी तौर पर किया जाना चाहिए। परियाज की अवज्ञा का दंड देने के लिए उनके स्वामी –

(क) गांव के न्यायालय अथवा दंड न्यायालय में झूठे मुकदमे लाते हैं।

(ख) परियाओं के पशुओं को कांजी हाउस में रखने अथवा उनके मंदिर तक के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए पराचेरी के चारों तरफ पड़ी बंजर भूमि को आवेदन करके सरकार से प्राप्त करते हैं।

(ग) पराचेरी के विरुद्ध सरकारी खाते में धोखे से भिरासी का नाम प्रविष्ट करा लेते हैं।

(घ) झोपड़ियां गिरा देते हैं और पिछवाड़े में होने वाले विकास को नष्ट कर देते हैं।

(ड) अतिप्राचीन उप–काश्तकारी में अधिभोग का अधिकार नकारते हैं।

(च) परियाओं की फसलों को जबरदस्ती काटते हैं और प्रतिरोध करने पर उन पर चोरी और दंगा करने का आरोप लगाते हैं।

(छ) मिथ्या व्यपदेशन के अधीन उन्हें दस्तावेज निष्पादित करने के लिए कहते हैं, जिसके द्वारा वे बाद में बर्बाद हो जाते हैं।

(ज) उनके खेतों से जल प्रवाह को काट देते हैं।

(झ) कानूनी नोटिस दिए बिना ही भूस्वामियों के राजस्व बकाए के लिए उप–काश्तकारों की संपत्ति की कुर्की करवा लेते हैं।

''135. यह कहा जाएगा कि इनमें से किसी भी क्षति के प्रतितोषण के लिए सिविल और दंड न्यायालय हैं। निस्संदेह, न्यायालय हैं; परंतु भारत में ग्राम न्याय व्यवस्था विकसित नहीं है। किसी को भी न्यायालय जाने के लिए साहस होना चाहिए, कानून के जानकार को नियोजित करने और कानूनी खर्च पूरा करने के लिए धनराशि तथा मामले और अपील के दौरान जीवित रहने के साधन होने चाहिएं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश मामले प्रथम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हैं, और इन न्यायालयों की अध्यक्षता ऐसे अधिकारियों द्वारा की जाती है, जो कभी–कभी भ्रष्ट होते हैं और साधारणतया अन्य कारणों से उन धनी तथा भूमि के स्वामी वर्गों, जिनके वे होते हैं, के साथ सहानुभूति रखते हैं।

''136. सरकारी लोगों के इन वर्गों पर पड़े प्रभाव को अतिश्योवितपूर्ण नहीं कहा जा सकता! यह निवासियों के साथ उच्चतम और यूरोपियों के साथ भी अत्यधिक है। सर्वोच्च से लेकर निम्नतम तक प्रत्येक पद पर उनके प्रतिनिधिभरे पड़े हैं और उनके हितों को प्रभावित करने वाला कोई प्रस्ताव नहीं है परंतु वे प्रारंभ से लेकर निष्पादन तक इसके क्रम में उस पर कई तरह के प्रभाव डाल सकते हैं।''

इसमें कोई संदेह नहीं कि इन परिस्थितियों के दृष्टिगत, दलित वर्गों का उत्थान तब तक एक पवित्र आशा मात्र बनी रहेगी जब तक यह कार्य सभी सरकारी कार्यकलापों की पहली पंक्ति में नहीं लाया जाता और जब तक सरकार की ओर से निश्चित नीति और दृढ़ प्रयासों द्वारा व्यवहार रूप में अवसरों की समानता सुलभ नहीं कराई जाती। इसकी प्राप्ति के लिए दलित वर्गों का प्रस्ताव है कि संवैधानिक कानून को भारत सरकार पर हर समय निम्नलिखित आशय के साथ भारत शासन अधिनियम में एक धारा जोड़कर उनकी समस्याओं से निपटने के लिए एक विभाग बनाए रखने का सांविधिक दायित्व अधिरोपित करना चाहिए :

''1. इस संविधान को लागू करने के साथ–साथ और उसके भाग के रूप में, भारत सरकार में दलित वर्गों के हितों पर नजर रखने और उनके कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनार्थ एक मंत्री के प्रभार में एक विभाग सृजित किया जाएगा!''

''2. मंत्री केंद्रीय विधानमंडल का विश्वास प्राप्त रखने तक पद धारित करेगा।''

''3. कानून द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों और उन्हें सौंपे अथवा अंतरित कर्त्तव्यों के निर्वहन में दलित वर्गों के विरुद्ध सामाजिक अन्याय, अत्याचार अथवा उत्पीड़न के कार्यों के निवारक और संपूर्ण भारत में उनके कल्याण के सहायक उपायों की तैयारी, प्रभावी रूप से लागू करने और उनके समन्वय की प्राप्ति के लिए यथा वांछनीय सभी

उपाय करना मंत्री का कर्त्तव्य होगा।''

''4. गवर्नर जनरल के लिए निम्नलिखित विधिपूर्ण होगा :–

(क) मंत्री को शिक्षा, सफाई आदि से संबंधित किसी अधिनियमन से उत्पन्न दलित वर्गों के कल्याण के संबंध में सभी अथवा कोई शक्ति या कर्त्तव्य अंतरित करना।

(ख) मंत्री के प्राधिकार के अधीन और उनके समन्वय में कार्य करने के लिए प्रत्येक प्रांत में दलित वर्ग कल्याण ब्यूरो नियुक्त करना।''

शर्त संख्या VIII

दलित वर्ग और मंत्रिमंडल

जैसे कि यह आवश्यक है कि दलित वर्गों के पास विधानमंडल में सीट द्वारा, सरकारी कार्रवाई को प्रभावित करने की शक्ति होनी चाहिए वैसे ही यह भी वांछनीय है कि दलित वर्गों को सरकार की सामान्य नीति तैयार करने का अवसर मिलना चाहिए। यह वे तभी कर सकते हैं जब वे मंत्रिमंडल में सीट पा लेंगे। इसलिए दलित वर्ग दावा करते हैं कि अन्य अल्पसंख्यकों के साथ साझा रूप में मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व किए गए उनके नैतिक अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के दृष्टिगत दलित वर्ग प्रस्ताव करते हैं कि अनुदेशों की लिखत में अपने मंत्रिमंडल में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल पर एक बाध्यता सौंपी जाएगी।''[1]

डॉ. अम्बेडकर ने मूल अधिकारों की इस घोषणा की कुछ प्रतियां भारत में अपने अनुयायियों को प्रेषित की, दलित वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा अल्पसंख्यक उप–समिति को प्रस्तुत मांगों के समर्थन में विभिन्न नगरों में बैठकें आयोजित करने के लिए कहा और यह कहते हुए कि वे मांगें दलित वर्गों की इच्छापूर्ण सहयोग के लिए सर्वथा न्यूनतम हैं, संकल्प की प्रतियां रामसे मैकडोनाल्ड को भेजने का अनुदेश दिया, अन्यथा वे स्व–शासन के लिए किसी संविधान को सहमति नहीं देंगे। तदनुसार, भारत के सभी भागों से ब्रिटिश प्रधान मंत्री के कार्यालय में कई तार पहुंचे।''[1]

इसी प्रकार, मुसलमानों, दलित वर्गों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो–इंडियन तथा यूरोपीय लोगों द्वारा संयुक्त ज्ञापन के रूप में तैयार सांप्रदायिक समस्या के निपटारे

---

1. उप–समिति संख्या 3 (अलसंख्यक) की कार्यवाहियां; पृष्ठ 168–176 ।

के प्रावधानों को अल्पसंख्यक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन का पाठ निम्नानुसार है – संपादक।

मुसलमानों, दलित वर्गों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो–इंडियन और यूरोपीय लोगों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत सांप्रदायिक समस्या के निपटारे के लिए प्रावधान

अल्पसंख्यक समुदायों का दावा

1. किसी भी व्यक्ति से उसकी उत्पत्ति, धर्म, जाति अथवा वर्ग के कारण सरकारी रोजगार, अधिकार, या सम्मान के पद के संबंध में अथवा उसके नागरिक अधिकारों का लाभ लेने और कोई व्यापार करने के संबंध में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा।

2. किसी समुदाय को प्रभावित करने वाले भेदभावपूर्ण विधानमंडल के अधिनियम के विरुद्ध संरक्षण की दृष्टि से संविधान में सांविधिक रक्षोपाय सम्मिलित किए जाएंगे।

3. लोक व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखने के अधीन रहते हुए सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात् आस्था, पूजा करने, प्रचार करने, सहयोग और शिक्षा देने की पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी।

आस्था के परिवर्तन मात्र से कोई भी व्यक्ति अपना नागरिक अधिकार अथवा विशेषाधिकार नहीं खोएगा अथवा किसी शास्ति के अधीन नहीं होगा।

4. स्वयं अपने खर्च पर खैराती धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, स्कूल और अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठान, उनमें अपने धर्म के प्रयोग के अधिकार सहित, स्थापित करने, प्रबंध करने और नियंत्रण रखने का अधिकार।

5. संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म, संस्कृति और वैयक्तिक कानून के संरक्षण और शिक्षा, भाषा, खेराती संस्थाओं के संवर्धन तथा राज्य और स्व–शासी निकायों द्वारा दिए गए सहायता–अनुदान में उनका विधिवत हिस्सा देने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय लेखबद्ध होंगे।

6. पूर्ण उपयोग निवारित सभी नागरिकों द्वारा नागरिक अधिकारों के उपभोग की गारंटी कानून द्वारा दंडनीय अपराध के रूप में करने के लिए परिकलित लोप के किसी कृत्य को अपराध बनाते हुए दी जाएगी।

7. केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों में मंत्रिमंडल के गठन में जहां तक संभव

---

[1] कीर पृष्ठ 153 ।

हो, मुसलमान समुदाय के सदस्यों और अन्य अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संख्या में समझौते द्वारा शामिल किया जाएगा।

8. अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण और उनके कल्याण में संवर्धन के लिए केंद्र और प्रांतीय सरकार के अधीन सांविधिक विभाग होंगे।

9. नामांकन अथवा निर्वाचन के माध्यम से किसी विधानमंडल में इस समय प्रतिनिधित्व का लाभ ले रहे सभी समुदायों का पृथक मतदाताओं के माध्यम से सभी विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व होगा और अल्पसंख्यकों का उपबंध में निर्धारित अनुपात से कम नहीं होगा, परंतु किसी बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक अथवा यहां तक कि बराबरी में भी नहीं लाया जाएगा बशर्ते कि दस वर्ष बीतने के बाद पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को और अन्य किसी प्रांत में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संबंधित समुदाय की सहमति से संयुक्त मतदाताओं अथवा सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त मतदाताओं को स्वीकार करने की छूट होगी। इसी प्रकार, दस वर्ष बीतने के बाद केंद्रीय विधानमंडल में किसी अल्पसंख्यक के लिए, संबंधित समुदाय की सहमति से सीटों के आरक्षण सहित अथवा रहित संयुक्त मतदाताओं को स्वीकार करने की छूट होगी।

दलित वर्गों के संबंध में, 20 वर्ष बाद पृथक मतदाताओं के अनुभव होने और समुदाय के लिए प्रत्यक्ष प्रौढ़ मताधिकार स्थापित होने तक संयुक्त मतदाताओं और आरक्षित सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

10. प्रत्येक प्रांत में और केंद्र सरकार के संबंध में एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जाएगा, और गवर्नर जनरल और गवर्नरों द्वारा नामांकन द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित अनुपात, अगर कोई हो, को छोड़कर, लोक सेवाओं में ऐसे आयोग के माध्यम से ऐसे तरीके से भर्ती की जाएगी ताकि दक्षता और आवश्यक अर्हता रखने के शर्त के अनुसार विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। भर्ती के संबंध में अनुदेशों की लिखित में गवर्नर–जनरल और गवर्नरों को इस सिद्धांत को प्रभावी बनाने और उस प्रयोजनार्थ सेवाओं की संरचना की आवधिक रूप से समीक्षा करने के लिए अनुदेश समाविष्ट होंगे।

11. अगर कोई विधेयक पारित किया जाता है, जो किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी विधानमंडल के दो–तिहाई सदस्यों की राय में उनके धर्म अथवा धर्म पर आधारित सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है अथवा व्यक्तियों के मूल अधिकारों के मामले में अगर एक–तिहाई सदस्य आपत्ति करते हैं तो ऐसे सदस्य उसके लिए सदन द्वारा पारित विधेयक पर महीने की अवधि के भीतर

आपत्ति दर्ज करने के लिए मुक्त होंगे, और सदन के अध्यक्ष, उसे यथास्थिति गवर्नर जनरल या गवर्नर को अग्रेषित करेंगे और वह उस पर उस विधेयक का प्रवर्तन एक वर्ष तक रोक देंगे जिस अवधि की समाप्ति पर वह विधानमंडल के समक्ष विचार के लिए उक्त विधेयक को पुनः प्रस्तुत करेंगे। जब ऐसे विधेयक पर विधानमंडल द्वारा आगे विचार किया जाता है और संबंधित विधानमंडल उसकी आपत्ति को दूर करने के लिए विधेयक को पुनरीक्षित अथवा उपांतरित करना अस्वीकार कर देता है तो गवर्नर–जनरल अथवा गवर्नर, जो भी हो, उस पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं अथवा उसे रोक सकते हैं परन्तु यह भी कि ऐसे विधेयक की वैधता को इस आधार पर कि यह उनके मूल अधिकारों में से किसी का उल्लंघन करता है, उससे प्रभावित किसी दो सदस्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

मुसलमानों के विशेष दावे

क. उत्तर–पश्चिमी सीमा प्रांत उसी आधार पर गवर्नर का प्रांत गठित किया जाएगा जैसा कि सीमा की सुरक्षा के लिए आवश्यक अपेक्षाओं के संबंध में अन्य प्रांतों में किया गया है।

प्रांतीय विधानमंडल के गठन में नामांकन संपूर्ण विधानमंडल के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ख. सिंध को बंबई प्रेसीडेंसी से पृथक किया जाएगा और ब्रिटिश भारत में अन्य प्रांतों के आधार पर या उनके समान गवर्नर का प्रांत बनाया जाएगा।

ग. केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सदन की कुल संख्या का एक–तिहाई होगा और केंद्रीय विधानमंडल में उनका प्रतिनिधित्व उपबंध में वर्णित अनुपात से कम नहीं होगा।

दलित वर्गों के विशेष दावे

क. संविधान ऐसी किसी प्रथा अथवा रूढ़ि को जिसके द्वारा छूआछूत के कारण नागरिक अधिकारों के लाभ के संबंध में राज्य के किसी व्यक्ति पर कोई जुर्माना या शास्ति अथवा असमर्थता अधिरोपित की जाती है या भेदभाव किया जाता है, अवैध घोषित करेगा।

ख. लोक सेवा में भर्ती और पुलिस तथा सैन्य सेवा में सूचीकरण खोलने के मामले में उदारतापूर्ण व्यवहार।

ग. पंजाब में दलित वर्गों को उन्हें प्रदान किए गए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम के प्राप्त होंगे।

घ. किसी कार्यपालक प्राधिकारी द्वारा हानिकारक कार्रवाई अथवा हित की अवहेलना के निवारण के लिए अपील का अधिकार गवर्नर अथवा गवर्नर–जनरल में निहित होगा।

ड. दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व उपाबंध में वर्णित से कम नहीं होगा।

एंग्लो–इंडियन समुदाय के विशेष दावे

क. उप–समिति संख्या VIII (सेवाएं) स्वीकृत, इस आशय के दावों की उदार व्याख्या कि समुदाय की विषेष स्थिति को मानते हुए आजीविका का पर्याप्त स्तर बनाए रखने पर ध्यान देते हुए लोक रोजगार के दावों पर विशेष विचार किया जाना चाहिए।

ख. मंत्री के नियंत्रण के अधीन स्वयं अपने शैक्षणिक संस्थानों अर्थात् यूरोपीय शिक्षा को प्रशासित और नियंत्रित करने का अधिकार।

वर्तमान अनुदानों के आधार पर उदार और पर्याप्त सहायता–अनुदान और छात्रवृत्तियों का प्रावधान।

ग. धर्मजत्व तथा वंश के साक्ष्य की शर्त के बिना भारत में अन्य समुदायों के अधिकारों के समतुल्य जूरी के अधिकार और या तो किसी यूरोपीय अथवा भारतीय जूरी द्वारा विचारण की मांग करने का अभियुक्त व्यक्तियों का अधिकार।

यूरोपीय समुदाय के विशेष दावे

क. सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यकलापों में भारत में जन्मे व्यक्तियों के अधिकारों के समान अधिकार और विशेषाधिकार।

ख. आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया के संबंध में मौजूदा अधिकारों को बनाए

रखना और ऐसी प्रक्रिया को संशोधित, परिवर्तित अथवा उपांतरित करने के लिए कोई उपाय अथवा विधेयक, गवर्नर–जनरल की पूर्व सहमति को छोड़कर, लागू नहीं किया जा सकता।

सम्मति से –

महाराजाधिराज आगा खान (मुसलमान)

डॉ. अम्बेडकर (दलित वर्ग)

राव बहादुर पनीर सेल्वम (भारतीय ईसाई)

सर हेनरी गिडने (एंग्लो–इंडियन)

सर हबर्ट कार (यूरोपियन)

उपाबंध
विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व

कोष्ठकों में आंकड़े = जनसंख्या आधार 1931 आंकड़े और दलित प्रतिशतता साइमन रिपोर्ट के अनुसार

	चैम्बर की संख्या	हिन्दु			मुसलमान	ईसाई	सिख	एंग्लो–इंडियन	जनजाति आदि	यूरोपीय
		जाति	दलित	जोड़						
अखिल भारतीय जनगणना (1931)										
ऊपरी	200	(47.5)	(19)*	(66.5)	(21.5)					
		101	20	121	67	1	6	1	—	4
अवर	300	123	45	168	100	7	10	3	—	12
असम	100+	(48.9)	(13.4)	(62.3)	(34.8)	3	—	1	—	10
		38	13	51	35					
बंगाल	200	(18.3)	(24.7)	(43)	(54.9)	2	—	3	—	20
		38	35	73	102					
बिहार और उड़ीसा	100	(67.8)	(14.5)	(82.3)	(11.3)	1	—	1	3	5
		51	14	65	25					

* ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रांत में प्रतिशतता दर्शाता है।

\+ जनसंख्या के आंकड़ों में जनजातीय क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

उपाबंध
विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व

कोष्ठकों में आंकड़े = जनसंख्या आधार 1931 आंकड़े और दलित प्रतिशतता साइमन रिपोर्ट के अनुसार

	चैम्बर की संख्या	हिन्दु			मुसलमान	ईसाई	सिख	एंग्लो–इंडियन	जनजाति आदि	यूरोपीय
		जाति	दलित	जोड़						
		(68)	(8)	(76)	(20)					
बम्बई	200	88	28	116	66	2	–	3	–	13
सिंध को पृथक किए जाने पर बंबई में मुसलमानों का भारांश एलडब्ल्यूएफपी में हिन्दुओं के भारांश के आधार पर होगा										
सीपी		(63.1)	(23.7)	(86.8)	(44)					
	100	58	20	78	15	1	–	2	2	2
मद्रास		(71.3)	(15.4)	(86.7)	(7.1)	(3.7)	–		2	8
	200	102	40	142	30	14		4		
पंजाब		(15.1)	(13.5)	(28.6)	(56.5)		(13)	1.5	–	2
	100	14	10	24	51	1.5		20		
उत्तर प्रदेश		(58.1)	(26.4)	(84.5)	(14.8)			2	–	3
	200	44	20	64	30	1	–			

सिंध और एनडब्ल्यूएफपी का भारांश उन प्रांतों, में मुसलमानों, जिनमें वे जनसंख्या में अल्पसंख्यक हैं, द्वारा लाभ लिए जा रहे भारांश के समान है, का भारांश सिंध में हिन्दू अल्पसंख्यकों और एनडब्ल्यूएफपी में हिन्दू और सिख अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा।

उक्त ज्ञापन का व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सुझाए गए ब्यौरे हिन्दुओं अथवा सिखों द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं परंतु केंद्रीय विधानमंडल में सिखों द्वारा मांगे गए पूर्ण प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है।

2. विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए सीटों का प्रस्तावित वितरण एक पूरी स्कीम है और विस्तृत प्रस्तावों को एक–दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता।

3. सीटों का यह वितरण इस सिद्धांत के अनुसार है कि किसी भी मामले में बहुसंख्यक समुदाय को समान बराबरी के अल्पसंख्यक की स्थिति तक नहीं लाया जाना है।

4. वाणिज्य, जमींदारी, उद्योग, श्रम आदि के लिए कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाता है। इसे पूर्वानुमानित करते हुए कि ये सीटें अंततः सांप्रदायिक हैं और इन हितों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व चाहने वाले समुदाय सांप्रदायिक कोटे से ऐसा कर सकते हैं।

5. केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 33–) प्रतिशत प्रतिनिधित्व की अनुमति इस अनुमान पर आधारित है कि 26 प्रतिशत ब्रिटिश भारत से होंगे और कम से कम 7 प्रतिशत भारतीय रियासतों को समनुदेशित कोटे में से, समझौते द्वारा, होंगे।

6. पंजाब में मुसलमानों, हिन्दुओं और दलित वर्गों द्वारा सुझाव दिया गया साझा त्याग सिखों को दिए जा रहे 54 प्रतिशत के भारांश की अनुमति देगा, जो उन्हें विधानमंडल में 20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व देगा।

7. यह प्रस्ताव 11.5 करोड़ लोगों अथवा भारत की जनसंख्या के लगभग 46 प्रतिशत लोगों द्वारा स्वीकार किया गया माना जा सकता है।*

ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने समझौते के लिए भारतीय प्रतिनिधियों पर विचार करने के लिए अपने तरीके से प्रयास किया। प्रधान मंत्री की पुत्री ने चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्टी दी। बड़ौदा के महाराजा, डॉ. अम्बेडकर, सर मिर्जा इस्माइल, जिन्ना, ताम्बे और कुछ अन्यों ने इसमें भाग लिया। ब्रिटिश प्रधान मंत्री कुछ प्रतिनिधियों को चेकर्स में अपने निवास स्थान पर ले गए। उनका वहां भारतीय समस्या से संबद्ध वार्तालाप हुआ, परंतु वहां भी वे कोई समझौता नहीं कर सके।

---

* यह संघीय संरचना समिति और अल्पसंख्यक समिति की मूल कार्यवाही में परिषिष्ट–3 के रूप में आया है। पृष्ठ 1394–99 ।

अल्पसंख्यक उप–समिति ने सम्मेलन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के अंतिम पैरा में दर्ज किया गया था कि ''अल्पसंख्यक और दलित वर्ग अपने वक्तव्य में दृढ़ हैं वे भारत के स्व–डोमिनियन संविधान पर सहमति नहीं दे सकते जब तक कि उनकी मांगे समुचित तरीके से पूरी नहीं की जातीं।

जोशी, जाधव ओर पॉल के समान डॉ. अम्बेडकर मताधिकार उप–समिति के प्रस्तावों से असहमत थे क्योंकि उनकी राय में प्रस्ताव अपर्याप्त थे और उन्होंने तत्काल वयस्क मताधिकार लागू करने की वकालत की। लिखित भाषण में जो वे समय की कमी के कारण नहीं दे सके, डॉ. अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि अगर मताधिकार को सीमित करते हुए श्रमिक सरकार उन्हें ऐसे लोगों की दया पर छोड़ देती है, जिन्होंने उनके कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं ली है तो यह दलित वर्गों को धोखा देना होगा।

समस्या और अपने लोगों के कल्याण के लिए उनकी सदाशयता और समर्पण ऐसे थे कि डॉ. अम्बेडकर ने दिन–रात कार्य किया, साक्षात्कार लिए, साक्षात्कार दिए, सूचनाएं दीं और यहां तक कि ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों को अछूतों की समस्या से पूर्णतः अवगत कराने के लिए बैठक को संबोधित किया। उन्होंने विदेशी पत्रिकाओं में लेख भेजा, विदेशी प्रेस को वक्तव्य जारी करने और उस असहनीय प्रताड़नाओं तथा अविश्वसनीय दुख–तकलीफ, जिसके अधीन भारत में युगों से दलित वर्ग जी रहा था, को उजागर करने के एकमात्र उद्देश्य से लंदन में बैठकों को संबोधित करने के अवसर का लाभ उठाया। प्रेस से एक के बाद एक अपील करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत में अछूतों के हितों की पूर्ति के लिए जागरूक विश्व की सहायता की आवश्यकता है। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि मानवता के आधार पर उनकी समस्या के समाधान के लिए सहायता करना सर्वसाधारण लोगों का पवित्र कर्त्तव्य है।

इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व पहली बार जान पाया कि भारत में अछूतों का भाग्य अमरीका में नीग्रो लोगों से भी खराब है। अपील से कुछ ब्रिटिश नेता द्रवित हो गए और इसके फलस्वरूप, सुश्री एलिनोर, सुश्री एलेन, नॉर्मन एंजल और कुछ अन्य जैसे ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों वाले शिष्टमंडल ने लॉर्ड सैंकी की प्रतीक्षा की और दलित वर्गों को मताधिकार देने तथा उनकी निःशक्यताओं को दूर करने की वकालत की। लॉर्ड सैंकी ने वचन दिया कि उनके प्रस्तावित राजनीतिक ढांचे में उन्हें अन्य वर्गों और भारत की जनता के साथ रखा जाएगा। तथापि, कुछ ब्रिटिश समाचार–पत्र डॉ. अम्बेडकर के

---

* डॉ. अम्बेडकर का दिनांक 21 जनवरी, 1931 का पत्र।

प्रति उग्र थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ''मैं डोमिनियन स्तर की पहल का प्रतिरोध नहीं करता हूँ।'' उन्होंने कहा कि वे उनके हित के प्रति उनकी उदासीनता अथवा प्रतिरोध पर भी ध्यान नहीं देते।

डॉ. अम्बेडकर के गहन अध्ययन, गहन अध्यवसाय और अकाट्य बुद्धिमत्ता ने प्रतिनिधियों और ब्रिटिश राजनेताओं पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला। उन्होंने विभिन्न वर्गों में सम्मान के साथ–साथ घृणा प्रेरित की। ''इंडियन डेली मेल'' के रिपोर्टर ने विचार प्रकट किया : ''डॉ. अम्बेडकर ने इंगित किया कि उनके पास यह देखने का अधिदेश है कि कोई उत्तरदायी सरकार तब तक स्थापित न हो जब तक उसके साथ वास्तव में प्रातिनिधिक सरकार हो। उन्होंने भय व्यक्त किया कि सरकार का प्रस्तावित रूप वर्गों द्वारा बहुसंख्यकों में से एक होगा और उनके विरोध को ग्रेट ब्रिटेन के श्रमिक तथा उदारपंथी दलों में बहुत अधिक सहानुभूति प्राप्त हुई।

विभिन्न उप–समितियों की रिपोर्टों को दर्ज करने के बाद, गोल मेज सम्मेलन दिनांक 19 जनवरी, 1931 को समाप्त हुआ। इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन में भारत पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान दलित वर्गों की शिकायतों पर आवाज गूंजी। यह इजाक फुट थे, जो व्यापक सहानुभूति वाले व्यक्ति थे। अछूतों की असमर्थता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ''अगर हम उनके संरक्षण के लिए रक्षोपाय स्थापित नहीं करते तो उनका खून हमारे विरुद्ध खौल सकता है। अगर मुझे भावी गवर्नरों को कोई सलाह देनी है तो वह ''आपकी मुख्य चिंता इन लोगों के लिए होना चाहिए। वे अभी असुरक्षित हो सकते हैं, परंतु एक दिन वे शक्तिशाली होंगे। चूंकि धरती पर न्याय है इसलिए ऐसा कोई बैंक नहीं है, जो इन लोगों के संगृहित दुख–तकलीफों को सदैव रख सकते। अबसे लेकर बीस वर्षों में भारत की प्रगति की वास्तविक परीक्षा यह होगी कि ''आपने इन लोगों के लिए क्या किया है?'' यह भाषण लंदन में डॉ. अम्बेडकर के अनवरत उद्यम को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है।

लंदन छोड़ने के पूर्व डॉ. अम्बेडकर ने अपने सचिव शिवतारकर को लिखे पत्र में गोल मेज सम्मेलन के कार्य पर अपनी राय व्यक्त की कि यद्यपि सम्मेलन के परिणाम के बारे में वे उहापोह की स्थिति में हैं, फिर भी वे आश्वस्त है कि इसने भारत की स्व–शासन की आधारशिला रखी है। इस आलोक में देखे जाने पर सम्मेलन एक सफलता थी। फिर भी दूसरे दृष्टिकोण से देखे जाने पर उन्होंने अवलोकन किया कि आधारशिला गारे की बजाय रेत की अधिक थी।* परंतु जहां तक दलित वर्गों के अधिकारों का संबंध है, उन्होंने कहा कि यह एक अभूतपूर्व सफलता थी।

---

* डॉ. अम्बेडकर का दिनांक 21 जनवरी, 1931 का पत्र।

भारतीय राजनीतिक चिंतन को गोल मेल सम्मेलन के इस सत्र का उल्लेखनीय योगदान संयुक्त भारत की संकल्पना का क्रमिक विकास था। एक दूसरा ठोस परिणाम भारत के राजनीतिक परिदृश्य में दलित वर्गों का निश्चित प्रादुर्भाव था और इससे अधिक महत्वपूर्ण विश्व मत के समक्ष डॉ. अम्बेडकर द्वारा उनकी असह्य दशा का भरपूर और हृदयस्पर्शी प्रतिपादन था। उन सीटों के प्रश्न पर जिन्हें प्रस्तावित विधानमंडल में विभिन्न समुदायों द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई थी, और चुनाव की इस प्रणाली पर कि क्या आरक्षित सीटों के साथ पृथक अथवा संयुक्त मतदाताओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, असहमति के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, यह अवश्य विचार किया जाना चाहिए कि उस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना मेजबान के बिना गणना करने के समान था; क्योंकि भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया था। डॉ. अम्बेडकर दिनांक 13 फरवरी, 1931 को मर्सीलिस पर सवार होकर भारत के लिए रवाना हुए।''[1]

''दलित वर्ग और भावी संविधान

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, शुक्रवार दिनांक 27 फरवरी, 1931 को प्रातःकाल बंबई पहुंचे, उनका अम्बेडकर सेवा दल के बटालियन द्वारा बेलार्ड पियर में उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। ''दि टाइम्स आफ इंडिया'' के प्रतिनिधि द्वारा साक्षात्कार लिए जाने पर उन्होंने निम्नलिखित बयान दिया : ''मेरे विचार से गोल मेज सम्मेलन कूटनीतिज्ञता की अपूर्व सफलता थी। यह कहना एक निष्क्रिय दिखावा होगा कि सम्मेलन द्वारा यथा रेखांकित संविधान में कोई त्रुटि नहीं है, किन्तु मेरी राय में वे तात्विक प्रकृति की नहीं हैं। यहां तक कि विपरीत रूप से सत्य का अनुमान लगाते हुए उन सभी के लिए अभी भी समय और अवसर है, जो संरचना तैयार करने और सुधारने के लिए भारतीय समस्या के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास करते हैं। मेरी सबसे बड़ी निराशा इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि सम्मेलन द्वारा यथा रेखांकित संविधान सर्वाधिक अप्रजातांत्रिक है क्योंकि यह बहुत प्रतिबंधित मताधिकार पर आधारित है। यह अत्यधिक खेद का विषय है कि सम्मेलन के परिणामों पर अपनी उद्घोषणाओं की रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए श्री गांधी संविधान के इस पहलू पर नजर डालना संपूर्ण रूप से भूल गए प्रतीत होते हैं और उन अवयवों पर बल डाल रहे हैं, जो मैं सोचता हूं सर्वाधिक नगण्य और सर्वाधिक अस्थायी हैं। हममें से जिन्होंने दलित वर्गों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने वयस्क मताधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और

---

1. कीर, पृष्ठ 154—157 ।

यद्यपि हम विफल हुए क्योंकि अन्य सभी पार्टियों ने नेहरू रिपोर्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में अपनी स्थिति पर गलतबयानी की। मैं इस आशा पर जिंदा रहा हूं कि जब श्री गांधी समझौते की अपनी शर्तें निर्धारित करने के लिए आएंगे तब वे यह देखेंगे कि संविधान, जिसका वे हिस्सा होंगे, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक होगा।

अगर श्री गांधी भारत में आम पुरुष और महिला को राजनीतिक शक्ति प्राप्त कराने के हमारे प्रयासों को विफल करते हैं तो मैं उनके इस कार्य को, विश्वास को, अत्यधिक धोखा देने और नागरिक अवज्ञा के उनके अभियान को दलित वर्गों की सेवा के लिए जनसाधारण का सबसे खराब शोषण कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा। इस तथ्य के दृष्टिगत कि श्री गाँधी का राजनीतिक दर्शन कई लोगों को ज्ञात नहीं हैं, जनता के उन नेताओं के लिए जो स्वयं को उनका अनुयायी और शिष्य मानते है, उनसे नागरिक अवज्ञा के उनके अभियान में आगे उन्हें कोई समर्थन देने के पूर्व वयस्क मताधिकार के प्रश्न पर अपने विचार की घोषणा करने की मांग करना उचित हो सकता है।

अल्पसंख्यकों की समस्या

"सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या निस्संदेह अल्पसंख्यकों की समस्या है। इस समस्या के समाधान के बिना भारत के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। दुर्भाग्यवश, सम्मेलन इस समस्या का समाधान करने में विफल रहा। परंतु राजनीतिक सुधार की दशा में आगे कदम बढ़ाने के पूर्व समाधान अवश्य खोजा जाना चाहिए। इसे भारत में माना गया प्रतीत नहीं होता कि सम्मेलन ने बहुसंख्यक समस्या के सहमत समाधान पर निर्भर रहते हुए राजनीतिक शक्ति प्रदान की। दलित वर्गों, जिनका श्री आर. एम. श्रीनिवासन और मैंने सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया, के प्रश्न के संबंध में, मैं प्रसन्न हूं कि भारत के भावी संविधान में उनका स्थान सुरक्षित है और उनकी अशक्ताएं अस्तित्व में नहीं रहेंगी।"[1]

ठीक इसी समय गोल मेज सम्मेलन के दूसरे सत्र के प्रतिनिधियों के नाम जुलाई के तीसरे सप्ताह में घोषित किये गये। डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, सप्रू, जयकर, सीतलवाड, मालवीय, सरोजिनी नायडू, गांधी, मिर्जा इस्माइल, जिन्ना, रामास्वामी मुदालियर और अन्य को लंदन में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। डॉ. अम्बेडकर को जानबूझकर गोल मेज सम्मेलन के प्रथम सत्र में संघीय संरचना समिति से निकाल दिया गया। उनकी देशप्रेमपूर्ण विचारधारा और आम आदमी तथा

---

1. द टाइम्स आफ इंडिया, दिनांक 28 फरवरी, 1931 ।

प्रजातंत्र के लिए उनकी निर्भीक हिमायत ने ब्रिटिशों को एक विरोध प्रदान किया था। परंतु इस बार उन्हें संघीय संरचना समिति में जो महत्वपूर्ण रूप से भारत के लिए नए संविधान के प्रारूपण से जुड़ी थी, चुना गया है।

भारत और यहां तक कि इंग्लैंड से भी सभी लोगों ने डॉ. अम्बेडकर पर बधाईयों की बौछार लगा दी। विरोधी खेमे के समाचार–पत्रों ने भी उनकी देशभक्ति, प्रजातंत्र के लिए उनके प्रेम और आम आदमी के कल्याण के लिए उनकी चिन्ता की सराहना प्रारंभ कर दी। एक प्रख्यात जिला समाचार–पत्र ने भी ''कोलाबा समाचार'', जो सामाजिक सुधारों के मामले में उनके प्रति उग्र था, चिरनेर मुकदमें में देश को प्रदान की गई उनकी देशभक्तिपूर्ण सेवा के लिए डॉ. अम्बेडकर का आभार व्यक्त किया। उसने साइमन कमीशन के दौरे के समय और गोल मेज सम्मेलन के प्रथम सत्र में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का स्मरण किया, और उसने आगे वर्णन किया कि डॉ. अम्बेडकर एक सच्चे देशभक्त हैं और वे देश की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लडेगे और गोल मेज सम्मेलन के दूसरे सत्र में अन्य को ऐसा करने में सहायता करेंगे।''[1]

''दि इंडियन डेली मेल'' ने अपने दिनांक 21 जुलाई, 1931 के संस्करण में संघीय संरचना समिति में उनके नामांकन पर डॉक्टर को बधाई देते हुए डॉ. अम्बेडकर की उल्लासपूर्ण प्रशंसा की।

उसने लिखा था : ''मैं डॉ. अम्बेडकर को उनके आमंत्रण पर बधाई देता हूँ। डॉ. अम्बेडकर ने गोल मेज सम्मेलन में अभूतपूर्व प्रभाव डाला और उद्घाटन सत्र में उनका भाषण संपूर्ण सम्मेलन के दौरान दिए गए प्रभावशाली भाषणों में सर्वोत्तम था। सैंकी रिपोर्ट के प्रति उनका अंतिम दृष्टिकोण ऐसा था, जो अनुमोदित नहीं करते है किन्तु जो विरोध भी नहीं करता है''। उन्होंने इंगित किया कि उन्हें यह देखने का अधिदेश था कि कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित न हो जब तक कि वास्तव में एक प्रातिनिधिक सरकार नहीं बनती। उन्होंने भय व्यक्त किया कि सरकार का प्रस्तावित स्वरूप वर्गों द्वारा सर्वसाधारण के लिए होगा और उनके विरोध को ग्रेट ब्रिटेन के श्रमिक और उदारवादी पार्टी में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। दूसरी ओर डॉ. अम्बेडकर पुराने किस्म के अल्पसंख्यकों का खेल नहीं खेलेंगे। वे देशभक्त हैं और वे स्व–शासन प्राप्त करने में अतीव दिलचस्पी रखते हैं। भावी विचार–विमर्शों में, जो सीनेट और संघीय सभा के मताधिकार के चारों ओर केंद्रित होंगे, दलित वर्ग के इस प्रतिभावान प्रतिनिधि की निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।''[2]

---

1. कीर, पृष्ठ 163 ।
2. पुनःमुद्रित गणवीर, अम्बेडकर–गांधी : तीन मुलाकाती (मराठी) पृष्ठ 6–7 ।

"दि संडे क्रॉनिकल" ने दिनांक 26 जुलाई, 1931 के अपने अंक में एक सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की सेवाओं की सराहना करते हुए ए.टी.टी. आद्यक्षर के अधीन कहा : "संघीय संरचना समिति में नामित प्रतिनिधियों में से एक मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर हैं। जब वे आर.टी.सी. में भाग लेने के लिए पिछले वर्ष लंदन में थे तो मैंने उन्हें भली प्रकार देखा था। मन से एक सच्चे राष्ट्रवादी उन्हें ब्रिटिश कट्टरपंथियों, जो उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए चिंतित थे, की प्रत्ययकारी नखरेबाजी के विरुद्ध सख्त लड़ाई लड़नी थी और इसके साथ ही उनका कार्य राष्ट्रवादी पक्ष के भीतर उनके साथ प्रतिनिधि राव बहादुर श्रीनिवासन को बनाए रखने की उनकी चिंता द्वारा अधिक कठिन बना दिया गया था। चेस्टरफील्ड गार्डन में बार–बार उन्होंने शिकायत की कि सर तेज बहादुर आदान–प्रदान की प्रक्रिया में राजकुमारों को अधिक अधिमानता दे रहे हैं। परंतु उन्होंने स्वीकार किया कि सर तेज को बहुत कठिन स्थिति से होकर गुजरना पड़ा है।"[1]

दि केसरी और कई अन्य समाचारपत्रों ने डॉ. अम्बेडकर के नामांकन पर संतोष व्यक्त किया। डॉक्टर और एन. एम. जोशी को बधाई देते हुए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी की पत्रिका ने अवलोकन किया : "समाज के साधारण वर्ग से आने वाले एक श्रमिक वर्गों का और दूसरा दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे "उच्च राजनीति" के लिए आवश्यक रूप से अपरिचित हैं जैसाकि उन्हें इस देश में समझा जाता है। उन्हें सीधे–सादे लोगों का साधारण विश्वास प्राप्त है, जिनके हितों का उन्होंने समर्थन किया है और उन्हें उन कतिपय सिद्धांतों, जिन्हें अकाट्य बनाए रखना उन्हें सिखाया गया है, पर बल देने से उनके आसपास के प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा नहीं रोका जाएगा। इसके कुछ देर पूर्व बंबई में एक अग्रणी राष्ट्रवादी दैनिक "फ्री प्रेस जर्नल" के लंदन प्रतिनिधि ने सुश्री मायो को अपने उत्तर में उन सेवाओं की प्रशंसा की थी, जिन्हें डॉ. अम्बेडकर ने गोल मेज सम्मेलन के प्रथम सत्र में प्रदान किया था और कहा कि डॉ. अम्बेडकर एक निर्भीक, स्वतंत्र और देशप्रेम विचारधारा के नेता हैं, जिनकी निर्भीकता हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को असहनीय है और यह कि गोल मेज सम्मेलन के प्रथम सत्र में उनका उद्घाटन भाषण सम्मेलन की संपूर्ण कार्यवाही में सर्वोत्तम भाषण था।"

अभी तक यह निर्णय नहीं लिया गया था कि क्या गांधी गोल मेज सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। स्वाभाविक रूप से गांधी की मंच कला और राजनीति कला द्वारा सृजित रहस्यमयी सुविधा के कारण बंबई में मालाबार हिल में मणिभवन पर सभी आंखे केंद्रित थीं। दौड़–धूप और जल्दबाजी में गांधी अपनी मांगों के बारे में अम्बेडकर को जानकारी देना चाहते थे। इसलिए गांधी ने अम्बेडकर को सूचित

---

1. तदैव ,पृष्ठ 7–8

करते हुए दिनांक 6 अगस्त, 1931 को पत्र लिखा कि वे उस रात आठ बजे उन्हें देखने आएंगे अगर डॉ. अम्बेडकर कुछ समय दे सकें। गांधी ने आगे कहा कि वे प्रसन्नतापूर्वक डॉ. अम्बेडकर के निवास–स्थान पर आएंगे अगर उनके पास आना डॉ. अम्बेडकर के लिए सुविधाजनक हो।''[1]

तद्नुसार, अम्बेडकर और गाँधी के बीच दिनांक 14 अगस्त, 1931 को 2 बजे अपराह्न में मणिभवन में मुलाकात हुई।

अछूतों को अलग करना

दलित वर्ग के नेता डॉ. अम्बेडकर ने जिन्होंने गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ''मुल्तान'' जहाज से रवाना होने के पूर्व श्री गांधी से मुलाकात की थी। कथित रूप से महात्मा को अछूतों की शिकायतों के प्रति कांग्रेस की कपटपूर्ण प्रवृत्ति के बारे में सच्चाई बताई। असमर्थ और असहाय महात्मा क्या कर सकते हैं जब संपूर्ण देश छूआछूत में विश्वास करता है?''[2]

अगला दिन शनिवार 15 अगस्त, 1931 था। गोल मेज सम्मेलन के लगभग सभी प्रतिनिधियों को ''एस. एस. मुल्तान'' जहाज से लंदन के लिए रवाना होना था। उस दिन बंबई के बेलार्ड पियर में नयनाभिराम दृश्य था। पियर में राज प्रमुखों से निर्धनों तक सभी किस्म के लोग उपस्थित थे। मित्र, प्रशंसक, अनुयायी सभी अपने राज प्रमुखों और हीरो के प्रति शुभ यात्रा व्यक्त करने के लिए जमा हुए थे। डॉ. अम्बेडकर एक नेता थे, जिसका कार से उतरते ही अत्यधिक अभिवादन ओर उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ। बाहर सड़क पर दो हजार से अधिक कार्यकर्ता जमा हुए थे और उन्होंने मोले स्टेशन पर पहुंचते ही ''डॉ. अम्बेडकर की जय'' और ''डॉ. अम्बेडकर अमर रहे'' के उद्घोष से उनका स्वागत किया।''[3]

जहाज पर डॉ. अम्बेडकर की मुलाकात सर प्रभाशंकर पट्टनी से हुई। उन्होंने गाँधी से उनके साक्षात्कार के परिणाम के बारे में पूछा। सर प्रभाशंकर ने डॉ. अम्बेडकर से कहा कि चूंकि वह साक्षात्कार के मध्य से ही हॉल से चले गए थे इसलिए उन्हें उसके परिणाम या अंत की जानकारी नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने जिन्हें सामंत की वाणी में उद्भुत स्तर से संकेत मिला, उनसे पूछा कि वे क्यों बीच में हॉल छोड़कर चले गए थे। सामंत ने तीखे स्वर में कहा कि हिन्दू धर्मग्रंथों के अनुसार एक सम्य व्यक्ति को वह स्थान छोड़ देना चाहिए, जहां निंदक किसी अच्छे व्यक्ति की निंदा

---

1. कीर, पृष्ठ 163–64
2. 'दि टाइम्स आफ इंडिया, दिनांक 18 अगस्त, 1931 ।
3. कीर पृष्ठ 168–169 ।

करता हो, अगर सुनने वाला उस स्थान पर निंदक की जुबान नहीं रोक सकता। डॉ. अम्बेडकर ने सामंत के बढ़ते हुए संवेदनशून्य क्रोध से प्रसन्न होते हुए और अपने चेहरे पर चिड़चिड़ाहट लाए बिना उनसे पूछा कि पाखंडी और एक दीन–हीन व्यक्ति के लिए पट्टनी के हिन्दू धर्मग्रंथों द्वारा क्या सजा निर्धारित की गई है। इस कथन को सुनकर पट्टनी उग्र हो गए और उन्होंने डॉ. अम्बेडकर से पूछा कि इस क्रूर आक्रमण से उनका क्या अभिप्राय है। डॉ. अम्बेडकर ने उत्तर दिया कि उनका वही अभिप्राय है जिसे सामंत ने समझा है, और आगे कहा कि गाँधी को उनके ऐसे दीन–हीन व्यक्ति के शिकंजे से मुक्त किया जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर, विल्सन ने हस्तक्षेप किया और आगे की घटना को रोक दिया। सामंत ने अवश्य ही एक अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को छोड़ा होगा। वास्तव में, विश्व कम लाभान्वित नहीं होगा अगर उसके सभी महान व्यक्ति अंतर्दर्शी हो जाएं और उनके चारों ओर के लोगों के बेकार के कार्यों से स्वयं को मुक्त कर लें।

सरोजिनी नायडू और मालवीय को भी उसी स्टीमर से जाना था, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी, क्योंकि गांधी ने अपनी रवानगी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया था। डॉ. अम्बेडकर ने स्टीमर पर दिए साक्षात्कार के दौरान गांधी द्वारा गोल मेज सम्मेलन में भाग न लेने का जिक्र किया और कहा कि बरदोली के हितों को भारत के हितों से ऊपर रखना गलती की पराकाष्ठा है, ''छोटी–मोटी शिकायतों की चिंता करना और उस बड़ी समस्या की अनदेखी करना जिसे हल करके वे संबंधित अधिकारियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है।''

अब अम्बेडकर अपनी मांगों पर गांधी द्वारा विरोधात्मक निर्णय के बारे में गहराई से सोचने लगे। अतः उन्होंने अपने सचिव की मार्फत भारत के लोगों को यह संदेश भिजवाया कि उनके दावों के प्रति गांधी के रवैये का विरोध करने के लिए सभाओं का आयोजन करें। स्वेज़ से उन्होंने शिवतारकर को एक और पत्र लिखा और यह कहा कि गोल मेज सम्मेलन के प्रथम सत्र की अल्पसंख्यक उप–समिति को उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की प्रतियां भेजें। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि उनका चमड़े का जो बैग वहां रह गया है उसे राव बहादुर आर. श्रीनिवासन के हाथ भिजवा दें।

स्टीमर पर रीवा के महाराजा जयकर और अन्य नेताओं ने दलित वर्गों के समता सेवा दल के आक्रामक दृष्टिकोण पर अपना संतोष व्यक्त किया। शौकत अली प्रसन्न थे, डा. मुंजे खुश थे और उन्होंने इस बारे में अपना छिपा हर्ष व्यक्त किया कि हिन्दू महासभा द्वारा इतना अनुशासित स्वयंसेवक दल का गठन न कर पाने के बावजूद मुसलमान स्वयंसेवकों का सामना करने के लिए अछूत हिन्दुओं का

एक संगठन है। मुंजे ने डा. अम्बेडकर को उन अछूतों का नेता होने पर बधाई भी दी जो यह भलीभांति जानते है कि डा. अम्बेडकर उनके निमित्त सेवारत है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने संरक्षकों से अनभिज्ञ सवर्ण हिन्दू वर्ग की भांति दलित वर्ग उदासीन और कृतघ्न नहीं है।

29 अगस्त को लंदन पहुंचने पर डा. अम्बेडकर फ्लू से पीड़ित थे और कै तथा अतिसार से बुरी तरह से त्रस्त थे। उनकी बीमारी ने उनकी ऊर्जा को इस हद तक समाप्त कर दिया था उन्होंने शिवतारकर को लिखा कि उनका स्वास्थ्य संकटावस्था के कगार पर है। सोमवार 7 सितम्बर से वे कुछ ठीक महसूस करने लगे थे लेकिन कमजोरी अपनी जगह बनी हुई थी। वे शिवतारकर को निरंतर यह सलाह देते रहे कि उनकी बीमारी के बारे में उनकी पत्नी को न बताएं। एक बात हमेशा उनके दिमाग पर जोर मारती रही। महाद उप–न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा हारने के बाद, रूढ़िवादी हिन्दुओं ने ठाणे स्थित जिला अदालत में अपील दायर की थी और ठाणे की जिला अदालत का फैसला अभी होना था। उन्होंने शिवतारकर से कहा कि अदालत का फैसला आने पर उन्हें सूचित करें।

इस बीच, गांधी, वल्लभभाई पटेल, जवाहर लाल नेहरू और सर प्रभाशंकर पट्टनी शिमला में वायसराय से मिले तथा उन्होंने सभी मतभेद समाप्त कर दिए। गांधी बंबई के लिए रवाना हो गए, ताकि लंदन जाने के लिए प्रथम उपलब्ध स्टीमर पकड़ सकें। सरोजनी नायडू, पंडित मालवीय और उनके दल के साथ गांधी इंग्लैंड के लिए 29 अगस्त को रवाना हुए तथा 12 सितम्बर, 1931 को लंदन पहुंच गए।

गोल मेज सम्मेलन का दूसरा सत्र 7 सितम्बर, 1931 को प्रारंभ हुआ। इस बार, सर मोहम्मद इकबाल, मुसलिम लीग अध्यक्ष; डा. एस.के. दत्ता, ईसाइयों के प्रतिनिधि; जी. डी. बिड़ला, बड़े पूंजीपति; पंडित मालवीय, एक सनातनी सुधारक; सरोजनी नायडू, नाइटंगेल ऑफ इंडिया; और सर अली इमाम जैसे कुछ और प्रतिनिधियों को शामिल करके सम्मेलन के सहभागियों की संख्या में वृद्धि की गई थी। रहस्मय व्यक्तित्व वाले गांधी की उपस्थिति इस सत्र की विशिष्ट विशेषता थी। गोल मेज सम्मेलन का पहला सत्र ''हैमलेट'' था जिसमें डेनमार्क का राजकुमार नहीं था।

सम्मेलन प्रारंभ होने से कुछ पहले, ब्रिटेन ने एक परिवर्तन किया। श्रमिक सरकार का स्थान एक राष्ट्रीय सरकार ने ले लिया था, प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनल्ड पहले की भांति कमान संभाले हुए थे। भारत के लिए गृह मंत्री बेजबुड बेन का स्थान सैम्युल हौरे ने ले लिया था। चर्चिल जैसे रूढ़िवादी नेताओं ने भारत को सत्ता के प्रस्तावित हस्तांतरण का पुरजोर विरोध किया था।

गोल मेज सम्मेलन का प्रमुख कार्य संघीय संरचनात्मक समिति और अल्पसंख्यक समिति को करना था। इस सम्मेलन को गोल मेज सम्मेलन के पहले सत्र की तत्संबंधी समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की पुनः जांच करनी थी तथा इनका विस्तारण करना था। महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में अपना पहला भाषण 15 सितम्बर, 1931 को संघीय संरचनात्मक समिति में दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सभी भारतीय हितों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने सम्मेलन को बताया कि कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि मुसलमान इसके अध्यक्ष रहे हैं और मुसलमान इसकी कार्य–समिति के सदस्य भी रहे हैं। यह दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि अस्पृश्यता को समाप्त करना कांग्रेस के राजनीतिक घोषणा–पत्र में शामिल था। गांधी ने बताया कि कांग्रेस रियासतों के राजाओं के साथ भी खड़ी है क्योंकि ''अब भी कांग्रेस ने भारत के राजाओं के घरेलू एवं आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करके उन्हें मदद पहुंचाने का प्रयास किया है''। गाँधी ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है क्योंकि डा. एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं और चूंकि कांग्रेस के वे एकमात्र प्रतिनिधि हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह भारत के एकमात्र प्रतिनिधि हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने गांधी के इस भाषण से यह अन्दाजा लगा लिया था कि हवा किस ओर बह रही है। डा. अम्बेडकर ने उसी दिन संघीय संरचनात्मक समिति में अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने रियासतों के राजप्रमुखों से कहा कि संघीय संरचनात्मक समिति, जो कुछ भी रियासतें चाहती हैं, उसे आंख बंद करके नहीं दे सकती। बीकानेर के महाराजा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उत्तर दिया कि रियासतें कोरे चेक पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकती। डॉ. अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि किसी राष्ट्र को संघीय ढांचे में शामिल करने से पूर्व उसे यह सिद्ध करना चाहिए कि अपने नागरिकों को एक सभ्य जीवन उपलब्ध कराने के लिए उसके पास आवश्यक संसाधन तथा क्षमता है। डॉ. अम्बेडकर ने यह मुख्य शर्त रखी कि संघीय सभा के लिए प्रांतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा किया जाना चाहिए न कि नामांकन द्वारा। उनकी यह पुष्ट राय थी कि नामांकन कार्यपालिका को विधायिका के प्रति गैर–उत्तरदायी बनाते हैं और बाहरी दुनिया को यह भ्रम होता है कि विधायिका बहुमत के नियम के आधार पर सामान्य रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नामांकन का सिद्धांत जिम्मेदार सरकार के सिद्धांत के विरुद्ध है। जहां तक भूस्वामियों की विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी मांग का संबंध है, उन्होंने कहा कि उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वे रूढ़िवादिता के पक्ष में हैं जिससे स्वतंत्रता एवं प्रगति प्रभावित होती है। स्पष्टतः, यह रियासतों के लोगों के अधिकारों के बचाव में दिया गया प्रथम तथा सर्वोत्तम भाषण था।

इन मजबूत विचारों ने राजप्रमुखों भूस्वामियों और उनके संरक्षकों को चकित कर दिया जो राजाओं की इस राय के पक्षधर थे कि संघीय सभा के लिए प्रतिनिधियों का चयन नामांकन द्वारा किया जाना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक वक्ता ने अपने भाषण के कुछ हिस्से में डॉ. अम्बेडकर के भाषण का खंडन या उसका समर्थन किया क्योंकि उनमें से अधिकांश की राय थी कि डॉ. अम्बेडकर के विचार अतिवादी एवं क्रांतिकारी हैं।

अगले दिन गांधी ने गोल मेज सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने भाग लिया, न कि देश द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने। ऐसा नहीं है कि गांधी को लंदन के लिए प्रस्थान करने से पहले इस बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने प्रतिनिधियों को फटकारना शुरू कर दिया। संघीय विधायिकाओं में प्रांतीय प्रतिनिधित्व के बारे में डॉ. अम्बेडकर के विचारों के संबंध में गांधी ने कहा कि जहां वे मोटे तौर पर डॉ. अम्बेडकर से सहमत हैं, वहीं उनकी दलील पूर्णरूपेण गाविन जोन्स और सर सुल्तान अहमद के पक्ष में थी जिन्होंने राजाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। गाँधी ने संघ शासन से जुड़े प्रस्ताव का पक्ष लिया, लेकिन रियासतों के लोगों के दृष्टिकोण की बजाए राजाओं के दृष्टिकोण का यह कहकर समर्थन किया कि : विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि हमें यहां रियासतों से यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

इसके बाद गाँधी ने उस महत्वपूर्ण समस्या को उठाया जो प्रतिनिधियों के मन में थी। उन्होंने अलग–अलग समुदायों द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व के दावे से जुड़ी समस्या का ज़िक्र किया और कहा कि : ''कांग्रेस ने हिन्दू–मुस्लिम–सिख गुत्थी के प्रति विशेष व्यवहार से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। इसके ठोस ऐतिहासिक कारण हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में इस सिद्धांत का विस्तार नहीं करेगी। मैंने विशेष हितों की सूची सुनी है। जहां तक छूआछूत का संबंध है, मैंने उस सब को अभी तक ठीक प्रकार से नहीं समझा है जो कुछ भी डॉ. अम्बेडकर को कहना है, लेकिन डॉ. अम्बेडकर अछूतों के हित के बारे में जो कुछ भी कहेंगे, निस्संदेह कांग्रेस उसका दायित्व अपने ऊपर लेगी। अछूतों के हित कांग्रेस को उतने ही प्रिय हैं जितने कि समूचे भारत के किसी अन्य व्यक्ति को। अतः मैं किसी और विशेष प्रतिनिधित्व का अत्यंत कड़ाई से विरोध करूंगा।''

अम्बेडकर ने कहा कि यह अछूतों के विरुद्ध गाँधी द्वारा और कांग्रेस द्वारा और कुछ नहीं बल्कि युद्ध की घोषणा है। उन्होंने आगे यह कहा कि ''मिस्टर गाँधी द्वारा यह घोषणा करने से मुझे पता चल गया कि अल्पसंख्यक समिति में जो इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए प्रमुख मंच हैं श्री गाँधी क्या करेंगे।''

18 सितम्बर को संघीय संरचनात्मक समिति की बैठक में अम्बेडकर ने खड़े होकर गाँधी से पूछा कि संघीय विधायिका तथा संघीय कार्यपालिका का गठन करने के बारे में गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं या फिर कांग्रेस के हैं। जब दीवान बहादुर, रामास्वामी मुदलियार ने यह कहा कि लोक सेवक, जो राजनीतिक विभाग का गठन करते हैं, उतने ही ईमानदार और निष्पक्ष हैं जितना कि भारत या भारत से बाहर कहीं के भी लोक सेवकों का कोई अन्य निकाय। डॉ. अम्बेडकर ने उनसे तुरंत पूछा कि यदि ऐसा है तो उन्हें एक उत्तरदायी सरकार की जरूरत क्यों है। पंडित मालवीय ने अपने भाषण में राजाओं के प्रति धैर्य और शिष्टाचार दर्शाने का निवेदन किया तथा यह कहा कि अगर सरकार ने समस्त संसाधनों का उपयोग किया होता और जनता में प्राथमिक शिक्षा का संवर्धन करने पर पर्याप्त धनराशि व्यय की होती तो उन्हें पक्का विश्वास है कि दलित वर्ग नामक शब्द अब तक इतिहास के पन्नों में कहीं लुप्त हो गया होता। डॉ. अम्बेडकर ने तुरंत अपना उदाहरण प्रस्तुत किया और कहा कि अपनी शिक्षा के बावजूद वे अभी तक अछूत हैं। डॉ. अम्बेडकर को जवाब देते हुए सर अकबर हैदरी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि ''यदि मैं कहूं तो डॉ. अम्बेडकर जैसे लोगों के भाषण स्थिति की वास्तविकता का सही–सही मूल्यांकन नहीं करते हैं।'' इस पर डॉ. अम्बेडकर ने जवाब दिया कि ''मैं वास्तविकता का मूल्यांकन न कर पाने का दोषी कभी भी नहीं रहा हूं।''

संघीय संविधान तैयार करने के बारे में चर्चा करते समय किसी ने भी संघीय शासन प्रारंभ करने की समय–सीमा का उल्लेख नहीं किया। डा. अम्बेडकर ने इस पर से पर्दा उठाया और कहा कि ''मैं नहीं समझता कि कोई भी ब्रिटिश भारतीय यह चाहेगा कि एक उत्तरदायी सरकार को तब तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए जब तक कि सभी राजा भारत की संघ सरकार में शामिल होने के बारे में अपना मन न बना लें।''

संघीय संरचनात्मक समिति में इन चर्चाओं के दौरान तीक्ष्ण वार हुए, विचारों का आदान–प्रदान हुआ, दुनिया के संविधान संबंधी इतिहास और स्वतंत्र भारत संबंधी विचारों की समीक्षा की गई। इन विषयों पर डॉ. अम्बेडकर के भाषण जानकारी, हितों और मूल्यवान सुझावों से भरपूर थे। राजनीतिज्ञों, बैरिस्टरों, संविधानविदों, प्रोफेसरों, लाखों दलितों के संरक्षकों और रियासतों की जनता के हितैषियों ने अपनी विद्वता के विभिन्न पहलुओं से सम्मेलन को भरपूर प्रभावित किया।

अब तक सितम्बर, 1931 का तीसरा सप्ताह समाप्त हो चुका था। अल्पसंख्यक समिति को अपना कार्य 28 सितम्बर को प्रारंभ करना था। इस सत्र के एक दिन पहले गांधी के सुपुत्र देवदास गाँधी डॉ. अम्बेडकर से उनके घर पर मिले और गाँधी तथा

डॉ. अम्बेडकर के बीच एक बैठक सरोजिनी नायडू के घर पर 9 से 12 बजे के दौरान तय की। तद्नुसार, डॉ. अम्बेडकर ने गाँधी से मुलाकात में अपनी बात उनके समक्ष रखी। लेकिन गाँधी ने अपने मन की बात नहीं बताई और सिर्फ इतना कहा कि अगर दूसरे लोग डॉ. अम्बेडकर की मांग से सहमत होंगे तो वे भी मान जाएंगे।

अल्पसंख्यक समिति की पहली बैठक 28 सितम्बर, 1931 को हुई। प्रधान मंत्री ने माना कि भारत के अल्पसंख्यकों की समस्या से सभी घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए, क्योंकि वे स्वयं कोई फैसला कर पाने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन उनकी राय थी कि उनमें से कुछ को संभवतः मध्यस्थता स्वीकार्य न हो। इस पर आगा खान ने कहा कि महात्मा गांधी रात को मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिलेंगे इसलिए उन्होंने स्थगन हेतु अनुरोध किया। साथ ही, आगा खान का समर्थन करते हुए, मालवीय ने इच्छा व्यक्त की कि सामान्य चर्चा स्थगित की जाए।

डॉ. अम्बेडकर को हिन्दू–मुस्लिम समझौते के बारे में मुस्लिम नेताओं और गांधी के बीच चल रही गुप्त वार्ता की जानकारी थी। अतः, स्थगन प्रस्ताव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि, ''जहां तक दलित वर्गों का संबंध है, हमने पिछली बार अल्पसंख्यक उप–समिति के समक्ष अपनी बात रख दी थी। विभिन्न विधायिकाओं में हम जितनी मात्रा में प्रतिनिधित्व चाहते हैं, उसके बारे में मैं एक संक्षिप्त विवरण अब इस समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।''

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा कि उन्होंने स्वयं अत्यंत प्रसन्नता के साथ यह सुना कि साम्प्रदायिक मुद्दे को हल करने के लिए आगे बातचीत चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि, ''लेकिन मैं प्रारंभ में ही इस मुद्दे को एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो बातचीत कर रहे हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वे दूत बिल्कुल भी नहीं हैं, यह कि श्री गाँधी या कांग्रेस के लोगों का प्रतिनिधित्व–चरित्र कुछ भी हो, लेकिन निश्चय ही वे हमें बांध सकने की स्थिति में नहीं हैं – निश्चित रूप से नहीं। मैं इस बात को इस बैठक में बलपूर्वक रखता हूं।'' एक चेतावनी के साथ अपने भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि, ''मैं बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि जो कोई भी भार डालने का दावा करेगा और जो कोई भी भार डालने का इच्छुक है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए – वह ऐसा नहीं कर सकता – मेरे हिस्से में से।'' इस पर अध्यक्ष मैकडोनाल्ड ने कहा, ''डॉ. अम्बेडकर ने अपने सामान्य बढ़िया अन्दाज़ में स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने भ्रम की कोई स्थिति नहीं छोड़ी है।*

---

* संघीय संरचनात्मक समिति और अल्पसंख्यक समिति की कार्यवाही, पृष्ठ 527 ।

1 अक्तूबर को महात्मा गांधी ने फिर से एक सप्ताह के स्थगन के लिए अनुरोध किया। उन्होंने समिति से कहा कि वे विभिन्न समूहों के मुस्लिम नेताओं से परामर्श कर रहे हैं। इस पर डॉ. अम्बेडकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वे ऐसे किसी समझौते की राह में रोड़ा नहीं डालना चाहते, लेकिन इतना जानना चाहते हैं कि दलित वर्गों को औपचारिक समिति में प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं। गांधी ने हां में उत्तर दिया। इसके लिए डॉ. अम्बेडकर ने गाँधी को धन्यवाद दिया और प्रतिनिधियों की ओर मुड़ते हुए यह स्पष्ट किया कि, ''महात्मा गांधी ने हमसे पहले दिन यह कहा था कि वे संघीय संरचनात्मक समिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं और यह कि वे मुसलमानों और सिखों को छोड़कर किसी भी समुदाय को राजनीतिक पहचान देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे एंग्लो–इंडियन, दलित वर्गों और भारतीय ईसाईयों को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि इस समिति के समक्ष यह कहकर शिष्टाचार का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ कि एक सप्ताह पहले जब मुझे महात्मा गाँधी से मिलने और दलित वर्गों के प्रश्न पर उनसे चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जब हमें अन्य समुदायों के सदस्यों के रूप में कल उनके कार्यालय में बातचीत करने का अवसर मिला था तब उन्होंने साफ–साफ शब्दों में कहा था कि संघीय संरचनात्मक समिति में उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया था वह उनका पूरी तरह सुविचारित दृष्टिकोण था।''

इसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने यह गर्जना की कि यदि भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों की पहचान नहीं की जाती है, जैसा कि गोल मेज सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान अल्पसंख्यक उप–समिति ने किया था, तो वे न तो उस समिति विषेष में शामिल होंगे और न ही स्थगन प्रस्ताव को पूरा–पूरा समर्थन देंगे। सर हरबर्ट कार, डा. दत्त और अन्य ने स्थगन का स्वागत किया।

गांधी और मुस्लिम नेताओं के बीच बातचीत एक सप्ताह तक चली। समाचार–पत्रों ने यह घोषणा कर दी कि बातचीत एक उत्साहवर्धक स्तर तक पहुंच गई है। यह समाचार दिया गया कि गाँधी ने मुसलमानों के चौदह बिन्दु स्वीकार कर लिए हैं, यह मान लिया है कि संघबद्ध होने वाले प्रांतों को शेष अधिकार दिए जाएं, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम आधिक्य की अनुमति दे दी जाए और मुसलमानों को एक कोरे चेक की पेशकश की। लेकिन सिख–मुस्लिम मुद्दे पर वार्ता हो गई।

8 अक्तूबर को गाँधी ने अल्पसंख्यक समिति के समक्ष अत्यंत खेद व्यक्त करते हुए घोषणा की कि वे अलग–अलग समूहों के बीच और उनके साथ औपचारिक वार्तालाप के जरिए साम्प्रदायिकता के प्रश्न का सर्वसम्मत हल निकाल पाने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह असफलता भारतीय प्रतिनिधिमंडल के गठन में ही निहित

थी और यह कि वे लगभग सभी उन दलों या समूहों के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे जिन्होंने यह मान लिया गया था कि वे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और न ही ये वे लोग थे जिनकी उपस्थिति एक सर्वसम्मत समझौते के लिए नितांत आवश्यक थी। अतः उन्होंने बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। डॉ. अम्बेडकर ने चुनौती को स्वीकार किया और गांधी को जवाब देने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि गांधी उस समझौते के उल्लंघन के दोषी हैं जिसके अंतर्गत गत रात्रि यह सहमति हुई थी कि किसी भी प्रतिनिधि को कोई ऐसा भाषण नहीं देना है, या कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है जिससे रोष उत्पन्न हो।

डॉ. अम्बेडकर का कटु भाषण और कटु होता चला गया। उन्होंने गर्जना की, ''श्री गाँधी को सुनने के बाद मुझे इस बात ने क्षुब्ध किया है कि अल्पसंख्यक समिति को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के अपने प्रस्ताव तक सीमित रहने के बजाए उन्होंने अलग–अलग समुदायों के उन प्रतिनिधियों पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया जो इस मेज के सभी ओर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हैं और वे अपने उन संबंधित समुदायों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिनके लिए वे संघर्षरत रहे हैं। हम इस आरोप का खंडन नहीं कर सकते कि हम सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हैं, लेकिन अपने बारे में मुझे यही कहना है कि मुझे इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि भारत के दलित वर्गों को इस सम्मेलन के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अवसर मिलता तब भी मुझे आप लोग यहीं पाते। अतः मुझे यही कहना है कि भले ही मैं नामजद होऊं या नहीं, मैं अपने समुदाय के दावों का पूर्णरूपेण प्रतिनिधित्व करता हूं। इस बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।''

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा कि महात्मा दावा करते हैं कि कांग्रेस मुझसे या मेरे साथियों से भी अधिक दलित वर्गों के साथ रही है। इस दावे के संबंध में मात्र यही कह सकता हूँ कि यह कई झूठे दावों में से एक है जो गैर–जिम्मेदार लोग करते ही रहते हैं, भले ही इन दावों से जुड़े व्यक्ति इसका सदैव खंडन करते रहें।* इस पर डॉ. अम्बेडकर ने भारत के दूरतम अछूत कोने से उनके दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले तार दिखाएं। ये तार उन स्थानों से आए हैं जहां वे कभी नहीं गए और उन लोगों से प्राप्त हुए हैं जिनसे वे कभी नहीं मिले हैं। इसके बाद उन्होंने समिति से कहा कि या तो समिति इस समस्या को हल करे या ब्रिटिश सरकार इसका हल ढूंढे। उन्होंने घोर निराशा और भय से कहा कि दलित वर्ग वर्तमान परिस्थितियों में सत्ता के हस्तांतरण के बारे में चिंतित नहीं है, यदि सरकार सत्ता का हस्तांतरण चाहती हैं

* संघीय संरचनात्मक समिति और अल्पसंख्यक समिति की कार्यवाही।

तो ऐसा उन शर्तों और उन उपबंधों के तहत किया जाना चाहिए जिनसे सत्ता एक गुट के हाथ में, एक गुटतंत्र के हाथ में, या ऐसे लोगों के एक समूह के हाथ में न चली जाए जो या तो हिन्दू हैं या फिर मुसलमान हैं। समाधान ऐसा होना चाहिए कि सत्ता में सभी समुदायों की भागीदारी क्रमशः उनके अनुपात में होनी चाहिए।

प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने चुनाव की किसी पद्धति या फिर अपनी व्यक्तिगत खामियों के कारणों को दोष न दे। उन्होंने उनसे कहा कि वे तथ्यों का सामना करें, और उनसे पूछा कि भारत में समस्या है या नहीं। प्रधान मंत्री के भाषण का लहजा कुछ तीखा था और कुछ ने इसे कृतघ्नतापूर्ण बताया जो गांधी के प्रति कटुता से परिपूर्ण था।

डॉ. अम्बेडकर का जोरदार प्रचार यहीं नहीं रूका। उन्होंने 12 अक्तूबर को लंदन से टाइम्स आफ इंडिया को एक पत्र लिखा जिसमें संपूर्ण घटनाचक्र पर रोशनी डाली गई थी। उन्होंने लिखा कि ''हमें विश्वस्त रूप से पता चला है कि हमारे मुस्लिम मित्रों के साथ बातचीत के दौरान श्री गांधी ने मांग की कि उनकी चौदह सूत्री मांगों को मानने के लिए एक शर्त यह भी थी कि उन्हें दलित वर्गों और अपेक्षाकृत छोटे अल्पसंख्यकों की मांगों का विरोध करना होगा।'' डॉ. अम्बेडकर ने तीव्र निष्ठुरता से कहा कि, 'लोगों के समक्ष कहने के लिए, यदि अन्य सभी सहमत हैं तो मैं भी सहमत हो जाऊंगा, और फिर व्यक्तिगत जीवन में अकेले ही कार्य करने के लिए निकल पडूंगा ताकि उन लोगों को सहमत होने से रोका जा सके जो बिकने के बाद सहमत होने के इच्छुक हैं, जो हमारी राय में एक महात्मा के लिए आशोभनीय आचरण है, और जिसकी अपेक्षा दलित वर्गों के कट्टर विरोधी से ही की जा सकती है। श्री गाँधी दलित वर्गों के मित्र की भूमिका का ही निर्वाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक ईमानदार शत्रु की भूमिका का भी निर्वाह नहीं कर रहे हैं'।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने घर भेजे गए एक पत्र में यह पहले से ही बता दिया था कि गोल मेज सम्मेलन की समाप्ति असफलता में होगी और उनकी राय में इस असफलता के लिए गांधी जिम्मेदार होंगे। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, गाँधी का पक्षपात, अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने में विभेदकारी आचरण, व्यवहार में अविश्वसनीय भूमिका, अन्य प्रतिनिधियों के प्रति उनकी पूर्ण उपेक्षा, उनका अपमान इन सभी तत्वों ने इस समस्या को व्यावहारिक ढंग से हल करने में गांधी की मदद नहीं की। डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा कि गाँधी द्वारा एक समुदाय का दूसरे समुदाय से क्रूर खिलवाड़ कराना अब काफी स्पष्ट हो गया है। डा. अम्बेडकर ने यह कह कर अपनी बात समाप्त की कि गाँधी की अलोकतांत्रिक मानसिक संरचना ने हैरल्ड लस्की जैसे लोगों

को और विट्ठलभाई पटेल जैसे कांग्रेसी नेताओं को बड़ा सदमा पहुंचाया है जो वे लोग गाँधी द्वारा स्थिति को ठीक प्रकार से संभाल न पाने की गुपचुप चर्चा कर रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर की मांगों का गांधाी द्वारा विरोध करने का समूचे भारत के अछूत तबकों में व्यापक प्रतिघात और प्रतिक्रिया देखने को मिली। राव बहादुर एम. सी. राजा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन के गुड़गांव सत्र में यह घोषणा की गई कि अछूतों के मामले को गाँधी गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, और गाँधी के इस दावे की कड़ी निंदा की कि कांग्रेस ने प्रारंभ से ही अछूतों का ध्यान रखा है तथा अछूतों के पक्ष का समर्थन किया है। सम्मेलन के अध्यक्ष राजा ने कहा ''मुझे कहना है कि ये सभी बयान असत्य हैं।''

सम्मेलन ने डॉ. अम्बेडकर की मांगों का समर्थन किया और यह घोषणा की कि दलित वर्ग को ऐसा कोई संविधान स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक–गण की प्रणाली शामिल नहीं होगी। भारत के सभी भागों से दलित नेताओं तथा संघों द्वारा डॉ. अम्बेडकर को भेजे गए सैंकड़ों संदेशों के माध्यम से और तिन्नेवेल्ली, सनर्टसन (मद्रास), लायलपुर, करनाल, चिदम्बरम, कालीकट, बनारस, कोल्हापुर यवतमाल, नागपुर, चन्दा, कानपुर, कम्पटी, बेलगाम, धारवाड़, नासिक, हुबली, अहमदाबाद तूतिकोरिन, कोलम्बो और अनेक अन्य स्थानों पर आयोजित बैठकों एवं सम्मेलनों के द्वारा डॉ. अम्बेडकर से यह अनुरोध किया गया कि गाँधी तथा कांग्रेस पर विश्वास न करें।

ये केबलग्राम चिल्ला–चिल्ला कर बता रहे थे दलित वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधि कौन है। निस्संदेह गाँधी को भी कुछ केबल मिले थे जो उन से लंदन के अलग–अलग स्थानों पर आयोजित वार्ताओं और भाषणों के दौरान परेशान करने वाली पूछताछ का जवाब देने के लिए काफी नहीं थे। डॉ. अम्बेडकर का संघर्श प्रचार इतना प्रभावशाली था कि गांधी को वास्तव में उलझन में डाल दिया था, और अछूतों के उनके धारित संरक्षकत्व का पर्दाफाश हो गया था।

यह पर्दाफाश भारत में नासिक में और गुरूवयूर में दलित वर्गों द्वारा मंदिर में प्रवेश के आंदोलन के दौरान और स्पष्ट हो गया था। नासिक में जो सत्याग्रह फिर से प्रारंभ किया गया था उसने बहुत अधिक जोर पकड़ा। पांच हजार स्वयंसेवक नासिक पहुंचे। डॉ. अम्बेडकर के समर्पित लेफ्टिनेंट, भावराव गायकवाड, रणखम्बे, पतितपावनदास जैसे दलित वर्गों के नेताओं और विश्वासपात्र लेफ्टिनेंट देवराव नायक ने संघर्ष को आगे बढ़ाया, रूढ़िवादी हिन्दुओं का भंडा फोड़ कर दिया। यह लज्जा इतनी तीक्ष्ण थी कि डॉ. मंजु ने लंदन से हिन्दुओं से अनुरोध किया कि वे अपने

जोखिम पर अपने परिचित और संबंधियों को उनके नागरिक एवं धार्मिक अधिकारों से वंचित न करें। जैसा कि गत सत्याग्रह के दौरान किया गया था, जब कलाराम मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए थे।

डॉ. अम्बेडकर को अपने लोगों से सवर्ण हिन्दू जाति के लोगों के व्यवहार का पर्दाफाश करने में जो समर्थन मिला था, उससे वे प्रसन्न थे। उन्होंने लंदन से अपने लोगों को एक संदेश भेजा।*

नासिक सत्याग्रह का आयोजन बेजोड़ उत्साह और दृढ़ संकल्प से किया गया था। बड़े–बड़े जलसे किए गए और जुलूस निकाले गए। अनेक स्वयंसेवक नेता गिरफ्तार हुए। उन्होंने बहादुरी से गिरफ्तारियां दीं और जेल गए। लंदन टाइम्स में इन गिरफ्तारियों और सत्याग्रह के बारे में छपी खबर ने डॉ. अम्बेडकर के वक्तव्य को मजबूती प्रदान की।

गाँधी से झड़प के बाद, डॉ. अम्बेडकर ने वित्तीय प्रणाली पर आयोजित चर्चा में भाग लिया जिसकी रूपरेखा संघ सरकार के लिए उप–समिति ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने संघीय न्यायालय के गठन के बारे में एक अत्यधिक विचारोतेजक तथा व्याख्यात्मक भाषण दिया जिसमें जिन्ना, जयकर, लार्ड सैंके और लार्ड लोथियान ने भी बहुत रुचि दिखाई तथा डॉ. अम्बेडकर से उनके कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया।

इस भारी कार्य के बावजूद, डॉ. अम्बेडकर निजी साक्षात्कार और स्पष्टीकरण देने, वक्तव्य तथा प्रति वक्तव्य देने एवं गोल मेज सम्मेलन के दौरान अपने रुख के समर्थन में लंदन के विभिन्न संस्थानों में भाषण देने में अत्यंत व्यस्त थे। अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्थान में उनका भाषण गाँधी के मंच को ध्वस्त करने में बहुत प्रभावी रहा। दलित वर्गों की मांगों के प्रति गाँधी के विरोध से दुविधा में पड़े लोग डॉ. अम्बेडकर के पास गए और उनसे उनके रुख पर स्पष्टीकरण मांगा। मिस मुरिएल लेस्टर, जिनके पास गांधी ठहरे हुए थे, डॉ. अम्बेडकर से मिलीं और डॉ. अम्बेडकर ने अपना दृष्टिकोण उनके समक्ष रखा। अम्बेडकर और गाँधी के एक साझे मित्र ने दोनों नेताओं को चाय पर आमंत्रित किया तथा उन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। अम्बेडकर ने माना कि गाँधी ने अपने मानवीय अंदाज में अछूतों के उन्नयन हेतु कार्य किया है तथा यह कि वे अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रत्यनशील हैं, लेकिन मूलतः इस प्रश्न पर उनकी राय मेल नहीं खाती।

---

* इस भाग का पृष्ठ 192–193 देखिए ।

अक्तूबर, 1931 के अंत में ब्रिटेन में चुनाव हुए और टोरी सत्ता में आ गए। श्रमिक सरकार की हार पर डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि उनका कार्यक्रम इतना वैज्ञानिक था कि श्रमिक तथा औसत ब्रिटिश नागरिक उसे समझ नहीं सका। डॉ. अम्बेडकर ने अपने एक पत्र में लिखा कि गाँधी का समर्थन करने वाले दलित वर्ग के नेता यह नहीं समझ सके कि गाँधी न केवल विशेष निर्वाचकगण के बल्कि दलित वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व के भी विरोधी है : अन्यथा समस्या बहुत पहले हल हो गई होती।''*

सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान अल्संख्यक उप–समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए पहले ज्ञापन के अलावा, दिनांक 4 नवम्बर, 1931 का एक पूरक ज्ञापन डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था। अनुपूरक ज्ञापन इस प्रकार है :– सम्पादक

डा़. भीमराव आर. अम्बेडकर और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन द्वारा विषेष प्रतिनिधित्व के लिए दलित वर्गों के दावों पर अनुपूरक ज्ञापन

स्वाधीन भारत के संविधान में दलित वर्गों का बचाव करने के लिए राजनीतिक उपायों के प्रश्न के बारे में हमने गत वर्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया थ, जो अल्संख्यक उप–समिति की कार्यवाही के मुद्रित खंड का परिशिष्ट–III था, उसमें यह मांग की गई थी कि दलित वर्गों का विशेष प्रतिनिधित्व इन उपायों में से एक होना चाहिए। तब हमने उस विशेष प्रतिनिधित्व के ब्यौरों को परिभाषित नहीं किया था जिसे हम उनके लिए आवश्यक होने का दावा करते हैं। इसका कारण यह था कि इस प्रश्न पर चर्चा प्रारंभ होने से पहले ही अल्पसंख्यक उप–समिति की कार्यवाही समाप्त हो गई थी। हम इस अनुपूरक ज्ञापन के माध्यम से उस चूक की भरपाई करना चाहते हैं ताकि यदि अल्संख्यक उप–समिति इस वर्ष इस प्रश्न पर विचार करे तो उसके पास अपेक्षित जानकारी हो।

II. विशेष प्रतिनिधित्व की सीमा

क. प्रांतीय विधायिका में विशेष प्रतिनिधित्व –

(i) बंगाल केंद्रीय प्रांत, असम, बिहार और उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांत में, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व साइमन कमीशन तथा इंडियन सेंट्रल कमेटी द्वारा यथा

* कीर, 169–181, पृष्ठ ।

अनुमानित उनकी जनंसख्या के अनुपात में होगा।

(ii) मद्रास में, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व बाइस प्रतिशत होगा।

(iii) बम्बई में –

(क) यदि सिंध बंबई प्रेजिडेन्सी का भाग बना रहता है तो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व सोलह प्रतिशत होगा।

(ख) यदि सिंध को बंबई प्रेजिडेन्सी से अलग कर दिया जाता है तो दलित वर्गों का उतना ही प्रतिनिधित्व होगा जितना कि प्रेजिडेन्सी मुसलमानों का, दोनों की जनसंख्या बराबर है।

ख. संघीय विधायिका में विशेष प्रतिनिधित्व –

संघीय विधायिका के दोनों सदनों में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व भारत में उनकी आबादी के अनुपात में होगा।

हमने विधायिका में इस अनुपात का निर्धारण निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर किया है :–

(1) हमने माना है कि साइमन कमीशन (खंड 1, पृष्ठ 40) और इंडियन सेंट्रल कमेटी (रिपोर्ट, पृष्ठ 44) ने दलित वर्गों की जनंसख्या के जो आंकड़े दिए हैं वे सीटों का बंटवारा करने के आधार के रूप में पर्याप्त रूप से सही स्वीकार्य होंगे।

(2) हमने माना है कि संघीय विधायिका में समूचा भारत शामिल होगा। इस स्थिति में, गवर्नर के प्रांतों में दलित वर्गों की जनसंख्या के अलावा, भारतीय रियासतों में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में, और बहिष्कृत क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या संघीय विधायिका में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की सीमा की गणना करते बहुत उचित रूप से एक अतिरिक्त मद होगी।

(3) हमने माना है कि ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों का प्रशासनिक क्षेत्र वही रहेगा जो इस समय है।

लेकिन अगर जनसंख्या के आंकड़ों से जुड़ी इन धारणाओं को चुनौती दी जाती है जैसा कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने चुनौती देने की धमकी दी है, और यदि एक नई जनगणना, जिस पर दलित वर्गों का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता दलित वर्गों की जनसंख्या निम्नतर अनुपात दर्शाती है, अथवा यदि प्रांतों के प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है जिससे जनसंख्या का मौजूदा संतुलन गड़बड़ा जाता है तो दलित वर्गों का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे प्रतिनिधित्व के अपने अनुपात

को पुनरीक्षित करें और यहां तक कि अपने बेटेज का दावा करें। इस प्रकार अगर अखिल भारतीय परिसंघ अस्तित्व में नहीं आता है तो वे संघीय विधायिका में उस आधार पर अनुमानित उनके प्रतिनिधित्व अनुपात को फिर से ठीक करने के लिए निवेदन करने के इच्छुक होंगे।

II. प्रतिनिधित्व की पद्धति

1. दलित वर्गों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मतदाताओं के पृथक निर्वाचकगण के माध्यम से प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिकाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें।

संघीय या केंद्रीय विधायिकाओं के ऊपरी सदन में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, यदि प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा परोक्ष चुनाव का निर्णय लिया जाता है तो दलित वर्ग जहां तक ऊपरी सदन में उनके प्रतिनिधित्व का संबंध है, अलग निर्वाचकगण के अपने अधिकार का त्याग करने के इच्छुक होंगे, लेकिन शर्त यह होगी कि समानुपाती प्रतिनिधित्व की किसी भी प्रणाली में उन्हें सीटों के उनके कोटे की गारंटी की व्यवस्था की जाएगी।

2. दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक–गण को संयुक्त निर्वाचकगण की प्रणाली से और आरक्षित सीटों से बदला नहीं जा सकता सिवाए तब जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :–

(क) संबंधित विधायिकाओं में उनके बहुसंख्यक प्रतिनिधियों की मांग पर मतदाताओं का जनमत संग्रह किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप दलित वर्गों के मताधिकार रखने वाले सदस्यों का स्पष्ट बहुमत हो जाता है।

(ख) बीस वर्ष पश्चात् और सार्वभौमिक प्रौढ़ मताधिकार सिद्ध होने पर ही जनमत–संग्रह किया जाएगा।

III. दलित वर्गों को परिभाषित करने की आवश्यकता

विगत समय में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व का बहुत दुरुपयोग हुआ है क्योंकि दलित वर्गों से इतर व्यक्ति का नामांकन उन्हें प्रांतीय विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया है और ऐसे मामलों का भी अभाव नहीं है जहां दलित वर्गों से इतर व्यक्तियों ने स्वयं को दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करा लिया। इस दुरूपयोग का कारण यह था कि गवर्नर को दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने

वाले व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार तो दे दिया गया था लेकिन उनसे यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वे दलित वर्गों के व्यक्तियों को ही नामांकित करें। चूंकि नए संविधान के अंतर्गत चुनाव नामांकन की जगह ले लेगा, इसलिए इस दुरुपयोग की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। लेकिन विशेष प्रतिनिधित्व के उनके प्रयोजन को मात देने के लिए बचाव का कोई रास्ता न छोड़ने की दृष्टि से, हम दावा करते हैं –

(i) कि दलित वर्गों को अपने स्वयं के अलग निर्वाचकगण रखने का ही अधिकार नहीं होगा बल्कि अपने स्वयं के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार होगा।

(ii) कि प्रत्येक प्रांत में दलित वर्गों को कड़ाई से ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो उन समुदायों से संबंध रखते हैं जिन्हें वहां विद्यमान छूआछूत की प्रथा से गुजरना पड़ा हो और जिनकी चुनाव के प्रयोजनार्थ अनुसूची में नाम से गणना की गई हो।

IV. नामपद्धति

प्रश्न के इस भाग पर विचार करते समय हम यह बताना चाहेंगे कि दलित वर्गों की मौजूदा नामपद्धति पर दलित वर्गों के सदस्यों द्वारा जिन्होंने इस पर विचार किया है आपत्ति उठाई गई है। इसके अलावा, दलित वर्गों में रुचि रखने वाले बाहरी व्यक्तियों ने भी इस पर एतराज किया है। यह अपमानजनक तथा तिरस्कारपूर्ण है, और इस अवसर का लाभ मौजूदा नामावली में आधिकारिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया जाए। हम समझते हैं कि इन्हें ''दलित वर्गों'' के बजाए ''गैर–सवर्ण हिन्दू'', ''प्रोटेस्टैन्ट हिन्दू', या ''गैर–अनुसारक हिन्दू'' या ऐसे ही किसी नाम से पुकारना चाहिए। हमें कोई प्राधिकार नहीं है कि हम किसी नामपद्धति विशेष के लिए जोर डालें। हम उन्हें केवल सुझाव दे सकते हैं, और हमें विश्वास है कि यदि दलित वर्गों को ठीक प्रकार से समझाया जाए तो वे इनमें से सबसे उचित नाम को स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे नहीं।

हमें समूचे भारत के दलित वर्गों से बड़ी संख्या में तार मिले हैं जिनमें इस ज्ञापन में की गई मांगों का समर्थन किया गया है''* जब सम्मेलन चल रहा था तब महामहिम

---

* गत ज्ञापन के लिए सम्मेलन के पहले सत्र की अल्संख्यक उप–समिति की कार्यवाही का परिशिष्ट देखिये। दिनांक 4 नवम्बर, 1931 का यह अनुपूरक ज्ञापन मूल कार्यवाही में परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया गया है, पृष्ठ 1409–11 ।

सम्राट ने 5 नवम्बर को माननीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था। यह व्यवस्था की गई थी कि कुछ सदस्य पार्टी के दौरान लोगों को संबोधित करेंगे। गांधी नंगे सिर उपस्थित थे। गाँधी अपनी परम्परागत धोती और सैंडल पहने हुए थे। महामहिम सम्राट ने डॉ. अम्बेडकर से भारत में अछूतों की हालत के बारे में पूछा। डॉ. अम्बेडकर ने अपने खुले मन, भावपूर्ण नेत्रों और चमकदार चेहरे से उनकी भयावह स्थिति का वर्णन किया तो सम्राट के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद महामहिम सम्राट ने डॉ. अम्बेडकर से मित्रभाव से उनके पिता और उनकी शिक्षा के बारे में पूछा और यह पूछा कि उन्होंने शैक्षिक उत्कृष्टता किस प्रकार से हासिल की।''[1]

''जब ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने देखा कि अल्पसंख्यकों की समस्या का कोई सर्वमान्य हल नहीं है तो उन्होंने अल्पसंख्यक समिति के सभी सदस्यों से कहा कि वे एक मांग पत्र पर हस्ताक्षर करके उन्हें सामुदायिक समस्या को हल करने के लिए प्राधिकृत करें और यह वचन दें कि वे उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे। अन्य सदस्यों के साथ–साथ, गांधी ने भी इस वचन पर हस्ताक्षर किए। डा. अम्बेडकर ने इस मांग पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वे अपनी मांगों के प्रति न्याय में विश्वास रखते थे। इसके बाद प्रधान मंत्री ने सम्मेलन को 1 दिसम्बर के लिए स्थगित कर दिया। इस मांग पत्र से पहले डा. अम्बेडकर ने गांधी से सर मिर्जा इस्माइल के घर पर बातचीत की थी। डॉ. अम्बेडकर का समर्थन हासिल करने के लिए, एक नई प्रक्रिया का सुझाव दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर अछूत उम्मीदवार सीटों के आरक्षण के बिना संयुक्त निर्वाचकमंडल की प्रणाली के आधार पर आयोजित आम चुनाव में असफल रहते हैं तो दलित वर्गों को अपना सदाशय न्यायालय में सिद्ध करना होगा।''[2]

दूसरे गोल मेज सम्मेलन के स्थगन के बाद, विभिन्न व्यक्तियों और प्रेस द्वारा विभिन्न टिप्पणियाँ की गईं। ये टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं :

''भारत के एक जाने माने पत्रकार श्री टी. ए. रमण भारत लौट रहे थे। एक सहयात्री ने श्री टी. ए. रमण से कहा कि अगर उसने किसी की हत्या की होती तो वह व्यक्ति डॉ. अम्बेडकर होता। साप्ताहिक सुबोध पत्रिका में 15 नवम्बर, 1931 के अंक में कहा गया :

''दलित वर्गों के बारे में हम महात्मा गाँधी के रुख को समझ पाने में असफल रहे हैं। यह तो कहना ही पड़ेगा कि यह अनुचित है और बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। यदि कोई ऐसा समुदाय है जिसका पूरा–पूरा बचाव करने की आवश्यकता है तो वह

1. कीर, पृष्ठ 181 ।

2. कीर, पृष्ठ 190–191 ।

अछूत वर्ग है। मुसलमान और सिख भलीभांति संरक्षित हैं तथा जैसाकि एक सहयोगी ने कहा है कि उनका दृष्टिगोचर भय मात्र दिखावा है ताकि राष्ट्रमंडल में उन्हें एक विशेष स्थान मिल सके। अब हम महात्मा जी से पूछते हैं कि सक्षम समुदायों को झूठे दावों के समक्ष घुटने टेकना और अछूतों की बातों को ठुकरा देना क्या ठीक है? बातचीत के जरिए छलने का कोई लाभ नहीं, यदि साम्प्रदायिक समस्या को हल करने के लिए महात्मा गाँधी द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं तो इसके लिए भी वही दोषी हैं। डॉ. अम्बेडकर के उद्गार भले ही अरूचिकर रहे हैं लेकिन निराधार होने के बाद भी समझे जा सकते हैं। तथाकथित कांग्रेस जनादेश की आड़ लेने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसे सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उतना लचीला बनाया जा सकता है जितना गाँधी जी चाहें। हमें लगता है कि कांग्रेस छुआछूत को समाप्त करने की दिशा में अच्छा काम कर रही है। अन्यथा हम यह क्यों पूछते कि नेहरू समिति का गठन दलित वर्गों के एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए नहीं किया गया था?''

''यदि अल्संख्यकों की समस्या के बारे में कोई ठोस निर्णय लेने में समय लगेगा, जिसकी वजह से स्वतंत्रता मिलने में भी विलंब होगा तो प्रारंभ में प्रांतीय स्वायत्तता भी स्वीकार्य है। गांधी जी ने भी अपने मित्रों से परामर्श लिए बगैर ही अपनी स्वीकृति ब्रिटिश प्रधान मंत्री को सम्प्रेषित कर दी थी। इस निजी वार्तालाप के उद्घाटित होने से भारतीय प्रतिनिधिमंडल में हड़कंप मच गया था। प्रगतिशील हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ. सप्रू, जयकर और हिन्दू महासभा का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ. मुंजे, मालवीय, आदि भी सकते में आ गए थे। उन्होंने गांधी जी के बयानों को सत्यापित करने की कोशिश की। इन्दूलाल यागनिक जो ब्राह्मण थे और लंबे अरसे से गाँधी जी से जुड़े हुए थे, ''संडे एडवोकेट'' के एक विशेष संवाददाता के रूप में लंदन गए थे। इन्होंने दिनांक 6 दिसम्बर, 1931 के 'संडे एडवोकेट' में लिखा था कि :

''गांधी प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं यह कहने का साहस करता हूं कि गांधी ने अपने हाथ और पैर बांध कर स्वयं को ब्रिटिश शासकों के कृपालु हाथों में सौंप दिया है। पिछले सप्ताह मैंने कुछ यूं ही गाँधी के लार्ड लोथियान के साथ हुए गुप्त समझौते का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य की नई स्कीम की पहली किस्त के रूप में प्रांतीय स्वायत्तता के लिए सहमति दे दी थी। निस्संदेह, गांधी ने इस समझौते का चतुराई से इस शर्त के साथ बचाव किया था कि स्वाधीन प्रांतों तथा राज्यों के प्रतिनिधियों को बाद में उस संविधान सभा का गठन करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए जो भारत के संघीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्राधिकृत होगी। मैं समझता हूं कि सरकार निश्चय ही इस शर्त के लिए सहमत नहीं होगी। लेकिन उन्होंने गाँधी के इस समझौते को चतुराई से

समझ लिया और निस्संदेह गैर–सरकारी ढंग से यथा संभव अधिक से अधिक प्रचार भी करा दिया। निस्संदेह, तेज बहादुर सप्रू और जयकर जैसे उदारवादी राजनेताओं को जब इन वार्तालाप का पता चला तब वे बहुत क्रोधित हुए और उनकी गाँधी से जोरदार लड़ाई भी हुई। मुझे बताया गया है कि श्री जयकर कांग्रेस के दूत से विशेष रूप से असभ्य हो गए थे, और यह बताया गया है कि गाँधी ने क्रोध से यह उत्तर दिया कि वे जो कुछ भी। करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी उन्हें अच्छा लगेगा उसके लिए वे कांग्रेस को सहमत करा लेंगे। लेकिन जब मामला लीक होकर प्रेस के पास पहुंचा तो निस्संदेह गांधी ने इस गुप्त समझौते से बच निकलने के लिए सभी प्रयास किए क्योंकि तब तक सरकार ने उस शर्त को नहीं माना था जो इस समझौते का आंतरिक हिस्सा थी। यदि आप गांधी द्वारा इस विषय पर 'न्यूज़ क्रानिकल' को दिए गए विशेष साक्षात्कार को पढ़ेगें तो आप काफी संतुष्ट हो जाएंगे कि गाँधी ने ''स्वतंत्रता'' की तत्काल स्थापना के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए – जिसका अर्थ ब्रिटेन के साथ साझेदारी और भारत के साथ साम्राज्यवादी संबंध बनाए रखना है – उन्होंने भारत में एक संघीय संविधान को तत्काल लागू करने में आने वाली बड़ी कठिनाइयों को अव्यक्त रूप से अधिक और सुस्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए व्यावहारिक रूप से हार मान ली।'[1]

''डॉ. बी. आर. अम्बेडकर लंदन से रवाना हुए और 15 जनवरी, 1932 को मारसेलीस जहाज से चलकर 29 जनवरी को बम्बई पहुंच गए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने मताधिकार समिति द्वारा जारी प्रश्नावली के उत्तर का एक सेट तैयार किया और इसकी प्रतियां अलग–अलग सदस्यों तथा दलित वर्ग समुदाय के कुकुरमुत्ता संघों को परिचालित कीं। प्रत्येक पैराग्राफ के प्रारंभ में खाली स्थान छोड़ा गया ताकि वहां पर संघ या अलग–अलग व्यक्तियों के नाम लिखे जा सकें।

घिसे–पिटे उत्तर

परिचालित प्रश्नावली के सैंकड़ों घिसे–पिटे उत्तर पुनरावृत्ति मात्र थे।

''दि ....(संघ का नाम भरने के लिए खाली स्थान) की यह राय है कि दलित वर्गों को आम चुनावों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। उन्हें अपनी पसंद का प्रतिनिधित्व कम ही मिलेगा, भले ही मताधिकार प्राप्त हो। कारण इस प्रकार हैं :

---

1. गणबीर, अम्बेडकर, गांधी : तीन मुलाकाती, पृष्ठ 22–23 ।

''(क) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्र में दलित वर्गों की जनसंख्या अल्प है और चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाता रहेंगे और अपने लिए एक सीट जीत पाने के लिए उनकी संख्या बहुत कम रहेगी।''

''(ख) सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण, ऊंची जाति का कोई भी मतदाता दलित वर्ग के उम्मीदवारों के पक्ष में अपना मत नहीं देगा।''

''(ग) दूसरी ओर, ऊंची जातियों पर आर्थिक निर्भरता और ऊंचे वर्गों के मतदाताओं के धार्मिक तथा सामाजिक प्रभाव के कारण, मतदाताओं को अपने वर्ग के उम्मीदवार को वोट देने के बजाए उच्च जाति के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उच्च जाति के समर्थन से दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति परिषद के लिए कभी भी निर्वाचित नहीं हुआ है।''[1]

लार्ड लेथियान की अध्यक्षता वाली मताधिकार समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए, डॉ. अम्बेडकर दिल्ली के लिए तुरंत रवाना हो गए। दिल्ली के रास्ते में, दलित वर्गों ने उनका प्रत्येक स्टेशन पर गर्मजोशी से स्वागत किया, नासिक, इगनपुरी, देवलाली, मनमाड, भुसावल और झांसी स्टेशनों पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम विशेष रूप से भव्य थे।

फरवरी के प्रारंभिक दिनों में मताधिकार समिति बिहार गई। दलित वर्गों ने डा. अम्बेडकर का प्रत्येक स्थान पर पूरे जोश के साथ अभिनन्दन किया। इसके बाद समिति ने पटना होते हुए कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया। मताधिकार समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए, डॉ. अम्बेडकर के समझाने पर दलित वर्गों के नेताओं ने अलग निर्वाचकमंडल की स्कीम का समर्थन किया क्योंकि उनको डर था कि आरक्षित सीटों वाली संयुक्त निर्वाचकमंडला प्रणाली में दलित वर्गों के उम्मीदवार बहुमत निर्वाचकमंडल की दया पर होंगे, और उनका मत हासिल करने के लिए उन्हें अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करना होगा, या फिर इस बात की पूरी–पूरी संभावना होगी कि बहुमत समुदाय की कठपुतलियां सीटों पर कब्जा कर लें। दलित वर्गों के अनेक नेताओं ने यह पाया कि अगर संयुक्त निर्वाचकमंडल की प्रणाली को सफलतापूर्वक काम करना है तो बहुमत समुदाय की ओर से यह पहले से मानी गई विशाल उदारता थी। उनका मत था कि उस समय ऐसा अनुकूल वातावरण विद्यमान नहीं है।''[2]

---

1. दि बम्बई क्रॉनिक्ल, 23 फरवरी, 1932 ।
2. : कीर, पृष्ठ 194–95 ।

श्री गवई को भेजा गया पत्र

इस बीच, इस बारे में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने एक पत्र श्री जी.ए. गवई, एम.एल.सी., महासचिव, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ को लिखा। वह पत्र इस प्रकार है –

पटना, 13 फरवरी

मैं लखनऊ में तथा पटना में भी आपसे मिलने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे हैरानी थी मुझे आपका पत्र मिलने तक आप इनमें से कहीं पर आए क्यों नहीं। मुझे आपकी बीमारी के बारे में जानकर दुख है जिस वजह से आप आ नहीं सके।

मैं आपको ज्ञापन की एक प्रति सूचनार्थ भेज रहा हूं जिसमें मेरे विचार दिए गए हैं। ज्ञापन के अंतिम पैराग्राफ में आप देखेंगे कि हमारी समिति ''नहीं कर सकती'' और इसीलिए आपकी समिति साम्प्रदायिक प्रश्न पर ''चर्चा नहीं कर सकती''। प्रधान मंत्री का पत्र और समिति द्वारा जारी प्रश्नावली इसे स्पष्ट कर देते हैं। हमारी समिति के अध्यक्ष ने इस प्रश्न पर दिल्ली और लखनऊ में एक व्यवस्था दी है जो इस राय से मेल खाती है, अतः आपको अपनी ''समिति'' को बता देना चाहिए कि वह इस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर सकती और अगर वह दबाव डालें तो आपको इस पर चर्चा करने से इंकार कर देना चाहिए।''

''विचारों में परिवर्तन

आपके पृथक कार्यवृत्त में पृथक बनाम संयुक्त निर्वाचकमंडल पर चर्चा करने की बजाए सिर्फ इतना कहना चाहिए कि आपने इस पर चर्चा करने से इंकार कर दिया है, क्योंकि यह समिति के दायरे से बाहर है। मुझे मालूम है कि आपके संघ के पास एक प्रश्नावली है। मैं बस एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे जब यह पता चला कि श्री राजा ने अपनी राय बदल ली है और अब वे संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली का समर्थन कर रहे हैं तब मुझे सदमा पहुंचा। मैं आशा करता हूं कि आपका संघ इस नीति में उनका अनुसरण नहीं करेगा जो हर स्थिति में आत्मघाती है। लेकिन अगर यह ऐसा करता है तो आपको हमारे बीच स्थायी संबंध–विच्छेद के परिणामों का और ''हमारे बीच'' युद्ध का सामना करना पड़ेगा, जिसे मैं हर हालत में टालने का प्रयास कर रहा हूँ। अतः इसके लिए अड़ें नहीं। मुझे यह आश्वासन पाकर प्रसन्नता हुई है कि आप मेरी जानकारी और सहमति के बिना कुछ नहीं

करेंगे। मैंने मताधिकार प्रश्नावली के विस्तृत उत्तर लिख लिए हैं। इनके टाइप होते ही, एक प्रति मैं आपको भिजवा दूंगा।''

''मैं प्रश्नावली के अपने उत्तरों का एक विवरण आपके प्रयोग हेतु और पुनरीक्षित प्रश्नावली आपको भेज रहा हूँ। आप देखेंगे कि साम्प्रदायिक प्रश्न को बिल्कुल हटा दिया गया है।''[1]

''अब डा. अम्बेडकर के समक्ष एक और समस्या थी। आरक्षित सीटों और संयुक्त निर्वाचकमंडल के आधार पर डॉ. मुंजे ने एम.सी. राजा से एक समझौता कर लिया था। राजा ने तार द्वारा ब्रिटिश प्रधान मंत्री को अपना ज्ञापन भिजवाया जिसमें डॉ. मुंजे के साथ हुए समझौते के ब्यौरे निहित थे। इस समझौते ने डॉ. अम्बेडकर को तकलीफदेह स्थिति में डाल दिया था। यह स्मरण कराया जाता है कि राजा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉ. अम्बेडकर को केवल भेज कर यह कहते हुए अलग निर्वाचकगण प्रणाली की मांग का समर्थन किया था कि गांधी अपने शत्रुओं से परिचित नहीं हैं और इसीलिए संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली को उन्होंने अनिच्छुक दलित वर्गों के गले जबरन बांधने का प्रयास किया है। मूलतः, राजा की पार्टी आरक्षित सीटों पर संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली के पक्ष में थी। लेकिन उन्होंने पक्ष बदल लिया। केंद्रीय सभा में राजा ही एकमात्र दलित वर्ग के सदस्य थे और उन्हें गोल मेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। शायद गोल मेज सम्मेलन के लिए निमंत्रण न मिलने की चूक से दुखी होकर, और इससे भी अधिक गांधी द्वारा दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के घोषित दावे से अत्यधिक व्याकुल होकर उन्होंने संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली के विचार को त्यागकर पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली का समर्थन किया और अब अपनी मूल मांग पर लौट आए हैं।''[2]

भ्रामक जानकारी

श्री गवई ने दलित वर्गों के सदस्यों को निम्नलिखित विवरण पहले ही जारी कर दिया था। आपको कतिपय भ्रामक जानकारी यह भेजी जा रही है कि भारतीय मताधिकार समिति उन अलग–अलग व्यक्तियों या संघों के साथ निर्वाचकमंडल प्रणाली के प्रश्न पर चर्चा नहीं कर सकती जो दलित वर्गों की ओर से इसे ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। यह बहुत भ्रामक है। समिति द्वारा भिजवाई गई प्रश्नावली में पेपर 2 में ''दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व मद के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि

---

1. दि बम्बई क्रानिक्ल दिनांक 7 अप्रैल, 1932 ।
2. कीर, पृष्ठ 195–196 ।

विधायिका में समुदाय का प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए किसी को कौन–कौन से विशिष्ट प्रस्ताव करने होंगे।

वे मॉडल उत्तर

''इसके अलावा, मेरा सुझाव है कि हमारे संघों को यह अच्छी सलाह दी जाए कि अपने प्रांत के बारे में अपने विचार भेजें भले ही अन्यों द्वारा तैयार किए गए मॉडल उत्तर कुछ भी हों। प्रधान मंत्री द्वारा 1 दिसम्बर, 1931 को भारतीय संविधान में भावी परिवर्तनों की घोषणा के मद्देनजर, प्रांतों को संपूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता दी जाएगी। यह बहुत आवश्यक है कि हमारा समुदाय समय के साथ स्वयं को बदले और इसलिए प्रधान मंत्री के जिस बयान का ऊपर हवाला दिया गया है उससे पहले हमने जो निर्णय लिया था उस पर फिर से विचार करें।''[1]

''मताधिकार समिति की बैठक वाइसरीगल लॉज में हुई। डॉ. अम्बेडकर ने दलित वर्गों की ओर से अनुरोध किया कि भारतीय दंड संहिता में या भावी संविधान में दलित वर्गों के विरुद्ध उकसाने या उनके बहिष्कार को बढ़ावा देने के लिए दंड का प्रावधान किया जाए, क्येांकि ऐसे कृत्यों से दलित वर्गों को अपने मूल अधिकारों का खुलेपन से प्रयोग करने में अड़चन आती है। मताधिकार समिति ने इस सुझाव को मान लिया।

जब राजा मुंजे समझौते का समाचार बाहर आया तब बंगाल और असम के दलित वर्गों के नेताओं ने आरक्षित सीटों के लिए संयुक्त निर्वाचकमंडल की प्रणाली के पक्ष में हो जाने के लिए राजा की निंदा की तथा डॉ. अम्बेडकर की मांगों का समर्थन किया। एम. बी. मलिक, एम. एल. ए., अध्यक्ष, बंगाल दलित वर्ग संघ; अध्यक्ष यू. पी. आदी हिन्दू संघ, अध्यक्ष; अखिल असम दलित वर्ग संघ; अध्यक्ष, आदि धर्म मंडल, पंजाब; अध्यक्ष, दलित वर्ग सहायता सोसायटी, दिल्ली; सभी ने राजा की निंदा की और डॉ. अम्बेडकर की मांगों का समर्थन किया।''

अप्रैल, 1932 में, नासिक सत्याग्रह ने तीसरे चरण में प्रवेश किया और इसके नेताओं भाऊराव गायकवाड़ और रणखम्बे को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर उसी दिन अर्थात् 14 अप्रैल, 1932 को तार द्वारा भेजी गई थी। मताधिकार समिति के हिन्दू सदस्यों चिन्तामणि, बाखले और ताम्बे द्वारा अलग निर्वाचकमंडल प्रणाली के लिए दलित वर्गों की मांग का अत्यधिक विरोध करने से उनके तथा डॉ. अम्बेडकर के बीच शत्रुता हो गई थी। यहां तक कि वे डॉ. अम्बेडकर से बात भी

---

1. दि बंबई क्रानिक्ल, दिनांक 27 फरवरी, 1932 ।

नहीं करते थे। इतने तनावपूर्ण वातावरण में डॉ. अम्बेडकर ने अपने सचिव को सूचित किया कि एक ही समय में दो परिस्थिति से निपट न पाने का उन्हें दुख है। उनकी राय थी कि राजनीतिक अधिकारों की समस्या मंदिर में प्रवेश करने की समस्या से अधिक महत्वपूर्ण है; और इसीलिए यह मूर्खतापूर्ण और हानिकारक होती अगर जिस काम को उन्होंने अपने दिल तथा आत्मा तक को समर्पित कर दिया, उससे हट गए।

शिमला से लिखे एक पत्र में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री का साम्प्रदायिक मुद्दे पर निर्णय आने से पहले उनसे मिल लिया जाए। अतः उन्होंने अपने विश्वासपात्र लेफ्टिनेंटों से कहा कि यह देखें कि क्या प्रस्तावित यात्रा के लिए धन एकत्र कर पाना संभव होगा, लेकिन इसके कारण किसी को पता न चले। उन्होंने आगा खान को भी पत्र लिखा था जो उस समय लंदन में थे जिसमें उनसे इस मामले में उनकी राय मांगी गई थी और उनसे साम्प्रदायिक मुद्दे पर प्रधान मंत्री के निर्णय की संभावना तथा संभावित तारीख के बारे में पूछा गया था। उसी हफ्ते लिखे गए एक अन्य पत्र में डॉ. अम्बेडकर ने मताधिकार समिति के हिन्दू सदस्यों पर अपनी सारी घृणा उड़ेल दी और कहा कि वे उनके दिमागी ढांचे से घृणा करते हैं जो उन्हें अपने कैम्प में स्वःकेंद्रित तथा उग्र बना देता है और बाहर डरपोक तथा दबैल। उन्होंने लिखा कि वे उनके स्वार्थी तथा विचारहीन दृष्टिकोण से बहुत घृणा करते हैं और यह कि वे स्वयं को हिन्दू समाज से दूर रखने का प्रयास करेंगे। वे मानसिक और शारीरिक तनाव में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, वे अतिसार से पीड़ित हैं।

अप्रैल में, बंगाल नमशूद्र एसोसिएशन ने डॉ. कालीचरण मंडल की अध्यक्षता में एलबर्ट इंस्टिट्यूट हॉल में अपने 14वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। इस अधिवेशन में डॉ. अम्बेडकर की मांगों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। डॉ. अम्बेडकर के रुख की अनुचित रूप से आलोचना करने वाले समाचार–पत्रों की निंदा की गई और यह घोषणा की गई कि उनकी समस्याओं के प्रति कांग्रेस का रूख गैर–सहानुभूतिपूर्ण और अव्यावहारिक है।

मताधिकार समिति ने अपना कामकाज 1 मई, 1932 को पूरा कर लिया, लेकिन लार्ड लोथियान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर डॉ. अम्बेडकर से कुछ चर्चा करने के इच्छुक थे, इसलिए वे एक या दो दिन के लिए और रुक गए। मताधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जिसमें मताधिकार के संशोधन और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिकाओं के लिए निर्वाचन–क्षेत्रों के वितरण एवं सीमांकन के ब्यौरे दिए गए थे। चूंकि डॉ. अम्बेडकर की राय हिन्दू सदस्यों से मेल नहीं खाती थी, इसलिए उन्होंने समिति को अलग से एक नोट प्रस्तुत किया। समिति के सर्वाधिक

महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक दलित वर्ग शब्द की सटीक परिभाषा करने के बारे में था। भारतीय विधायिका समिति ने 1916 में लिए गए अपने निर्णय में, सर हेनरी शर्थ, भारत सरकार के अधीन शिक्षा आयुक्त; और साउथब्राह मताधिकार समिति ने दलित वर्गों को आदिम या पहाड़ी जनजातियों, अपराधियों या अन्यों के साथ समूहबद्ध कर दिया था, लेकिन अब लोथियान मताधिकार समिति ने कहा कि ये शब्द केवल उन पर लागू किए जाएं जो अछूत हैं। स्पष्ट रूप से यह डॉ. अम्बेडकर की विजय थी, क्योंकि समिति को भेजे गए अपने नोट में उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि छूआछूत का ''कल्पित दृष्टि से लागू की जानी चाहिए, क्योंकि अपने शाब्दिक रूप में अस्पृश्यता अब प्रचलन में नहीं हैं।''[1]

26 मई को डॉ. अम्बेडकर ने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किये ताकि साम्प्रदायिक मुद्दे पर निर्णय की घोषणा होने से पहले ब्रिटिश प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रिमंडलीय मंत्रियों से भेंट कर सकें। वे इतालवी स्टीमर एस. एस. कोंटे रेसो से रवाना हुए। उनकी इस यात्रा को बिल्कुल गुप्त रखा गया था क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को यह आदेश दिया था कि इस बारे में किसी को कुछ न बताएं। फिर भी बंबई क्रानिकल के एक प्रतिनिधि ने किसी स्रोत से इस बारे में जानकारी हासिल कर ली और डा. अम्बेडकर की नई युक्ति पर उद्‌घाटनकारी रोशनी डाल दी। डॉ. अम्बेडकर ने प्रथम श्रेणी से यात्रा की, बहुत कम सामान ले गए थे तथा अगस्त, 1932 के अंत तक उनके लौट आने की संभावना थी।

यह सच है कि राजा द्वारा अपने दृष्टिकोण में अचानक परिवर्तन लाने से डॉ. अम्बेडकर काफी परेशान थे और लोथियान समिति के निष्कर्ष भी उनके पक्ष में कुछ अधिक नहीं थे। उन्होंने सोचा कि यह वह अवसर है जो बिरले ही मिलता है। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरा जोर लगा देंगे और अपना सब–कुछ दाव पर लगा देंगे। उन्हें विश्वास था कि लंदन में उनकी मौजूदगी से उनकी मांगों को और बल मिलेगा। लंदन जाते हुए अपने घर भेजे गए पत्रों में उन्होंने अपने मुद्रणालय की सुरक्षा के लिए मार्मिक चिंता व्यक्त की थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कांग्रेस के बुद्धि हीन सवर्ण हिन्दू इसे जला न दें। उन्होंने शिवतारकर को हिदायत दी थी कि एक नए कमरे की व्यवस्था करें और नई पुस्तकों के वक्सों को हटा दें या किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित रख दें। अपनी पुस्तकों की चिंता हमेशा उनके दिमाग में रहती थी। डॉ. अम्बेडकर 7 जून, 1932 को लंदन पहुंचे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे एक हफ्ते में ही ब्रिटेन के सभी बड़े अधिकारियों और सभी मंत्रिमंडलीय मंत्रियों से मिले और पूरे मनोयोग से अपना पक्षकथन उनके समक्ष रखा। उन्होंने बाइस टंकित

---

1. कीर, पृष्ठ 196–198 ।

पृष्ठों का एक अभ्यावेदन ब्रिटिश मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया। लेकिन तब वे अपने प्रयासों के परिणाम के बारे में कुछ नहीं कह सके। उन्होंने कहा कि विचार–विमर्श होगा और बहुत ऊपरी स्तर पर निर्णय लिए जाएंगे, ऐसी चर्चा थी कि बंबई, मद्रास एवं सी.पी. प्रांतों के दलित वर्गों को अलग निर्वाचकमंडल का दर्जा मिल जाएगा। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उन्होंने 14 जून तक सभी प्रयास कर लिए थे और वे वापिस लौटना चाहते थे। लेकिन उनके कुछ समर्थक चाहते थे कि वे कुछ दिन और रूक जाएं, उन्होंने एक महीने और रुकने का निर्णय लिया ताकि वे ड्रेस्डेन स्थित जर्मन सैनेटोरियम में, जिसे डॉ. मोलेर चलाते थे, स्वास्थ्य लाभ कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर लंदन जा सकें। डॉ. अम्बेडकर को धन की आवश्यकता थी। अनिश्चित प्रवास के कारण स्वास्थ्य और खर्चे की दृष्टि से वे चिंतित थे। अतः उन्होंने शिवतारकर से, यदि संभव हो तो कुछ रकम भेजने को कहा।

जुलाई के मध्य तक, डॉ. अम्बेडकर के स्वास्थ्य में सुधार हो गया था, उन्होंने ड्रेस्डेन से प्रस्थान किया और एक सप्ताह के लिए बर्लिन में रूक गए जहां उस समय हिटलर का उदय हो रहा था। बर्लिन से उन्होंने लिखा कि वे वियना जाएंगे और वेनिस से स्टीमर गंगे में बैठेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि उन्हें स्वागत की औपचारिकताओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। जिसे जो नहीं मिला है, उसके लिए वह लालायित रहता है। अपने विद्यार्थी जीवन में डॉ. अम्बेडकर ने जब कभी भी विदेश के लिए प्रस्थान किये, किसी ने भी उनके प्रस्थान और आगमन की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन गोल मेज सम्मेलन के दिनों के बाद से, उनका प्रस्थान और आगमन उनके हजारों समर्थकों के लिए तथा पत्रकारों के लिए विदाई एवं स्वागत का अवसर बन गया था। डॉ. अम्बेडकर 17 अगस्त को बंबई पहुंचे।"[1]

17 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने साम्प्रदायिक प्रश्न पर अपने निर्णय की घोषणा की। उस विनिश्चय का छूआछूत से जुड़ा हिस्सा नीचे दिया गया है :

महामहिम सम्राट की सरकार का साम्प्रदायिक विनिश्चय, 1932

गोल मेज सम्मेलन के दूसरे सत्र की समाप्ति पर महामहिम सम्राट की सरकार की ओर से गत 1 दिसम्बर को प्रधान मंत्री द्वारा अपने बयान में, जिसकी तत्काल बाद में संसद के दोनों सदनों ने पुष्टि कर दी थी, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर साम्प्रदायिक प्रश्नों पर सभी दल एक स्वीकार्य समझौता नहीं कर पाते हैं, जिसे हल कर पाने में सम्मेलन भी असफल रहा है तो महामहिम सम्राट की सरकार इस बारे में कृतसंकल्प है कि इस वजह से भारत द्वारा संविधान निर्माण की प्रगति में

---

[1] कीर, पृष्ठ 202–204 ।

कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और यह कि वे एक अनन्तिम स्कीम को स्वयं तैयार करके तथा लागू करके इस बाधा को दूर कर देंगे।

2. गत 19 मार्च को महामहिम सम्राट की सरकार को यह सूचित किया गया कि समुदायों द्वारा कोई समझौता कर पाने में निरंतर असफलता के कारण नया संविधान बनाने की दिशा में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि उत्पन्न होने वाले कठिन और विवादास्पद प्रश्नों की ध्यानपूर्वक पुनः जांच कर रहे हैं, अब उनकी इस बारे में संतुष्टि हो गई है कि नए संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की हैसियत से जुड़ी समस्याओं के कम से कम कुछ पहलुओं पर विनिश्चय दिए बगैर संविधान का निर्माण करने की दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हो सकती।

3. महामहिम सम्राट की सरकार ने तद्नुसार फैसला किया कि यथा समय संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले भारतीय संविधान से जुड़े प्रस्तावों में नीचे निर्धारित स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए वे उपबंध शामिल करेंगे। इस स्कीम के दायरे को प्रांतीय विधायिकाओं में ब्रिटिश भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था करने तक सीमित रखा गया है, केंद्रीय विधायिका में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार करने की प्रक्रिया को नीचे पैराग्राफ 20 में दिए गए कारणों के मद्देनजर स्थगित किया जा रहा है। इस स्कीम के दायरे को सीमित रखने के विनिश्चय का भावार्थ यह हुआ कि यह समझने में कोई बाधा नहीं होगी कि संविधान के निर्माण के लिए अल्पसंख्यकों की अन्य अनेक अति महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में फैसला करना आवश्यक होगा। लेकिन यह निर्णय इस उम्मीद के साथ लिया गया है कि प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया और अनुपात के मूलभूत प्रश्नों के बारे में अपना मत घोषित करने के बाद, ये समुदाय उन अन्य साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे में स्वयं कोई समझौता कर पाने की स्थिति में आ पाएंगे, जिनकी अभी तक अपेक्षित जांच नहीं हुई है।

4. महामहिम सम्राट की सरकार चाहती है कि यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि उनके फैसले का पुरीक्षण करने की दृष्टि से प्रारंभ की जाने वाली किसी भी बातचीत में वे किसी पक्षकार की भूमिका नहीं अदा करेंगे, और यह कि हम ऐसे किसी भी प्रतिनिधित्व के बारे में कोई विचार करने हेतु तत्पर नहीं होंगे, जिसका लक्ष्य इसमें उपान्तर करना हो और जिसे सभी प्रभावित दलों का समर्थन प्राप्त न हो। लेकिन वे सहर्ष होने वाले किसी भी सहमत समझौते पर अपनी स्वीकृति देने के सर्वाधिक इच्छुक हैं। अतः, यदि एक नये भारत शासन अधिनियम को एक कानून के रूप में पारित होने से पहले, उनका इस बारे में समाधान हो जाता है कि संबंधित समुदाय स्कीम के व्यावहारिक विकल्प के बारे में परस्पर सहमत हो गए हैं, या तो एक अथवा अधिक गवर्नर प्रांतों के संबंध में या फिर संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध

में वे संसद को यह सिफारिश करने के लिए तैयार रहेंगे कि अब जिन उपबंधों की रूपरेखा तैयार की गई है उनके अनुकल्प प्रतिस्थापित किए जाने चाहिएं।

5. ''दलित वर्ग'' के वे सदस्य, जो मतदान के पात्र हैं, साधारण निर्वाचन–क्षेत्र में मतदान करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये वर्ग काफी समय तक अपने दम पर विधायिका में संभवतः पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल पाए, जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। इन सीटों को उन विशेष निर्वाचन–क्षेत्रों से चुनाव द्वारा भरा जाएगा जिनमें केवल ''दलित वर्गों' के निर्वाचकीय पात्र सदस्य मतदान के हकदार होंगे। एक ऐसे विशेष निर्वाचन–क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति मतदान करता है तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह साधारण निर्वाचन–क्षेत्र में मतदान का भी हकदार होगा। मंशा यह है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों का सृजन उन चुनिंदा क्षेत्रों में किया जाए जहां दलित वर्गों की संख्या अधिक हो, और यह कि मद्रास को छोड़कर वे प्रांत के समूचे क्षेत्र तक विस्तारित नहीं होंगे।

ऐसा संभव लगता है कि बंगाल में कुछ साधारण निर्वाचन–क्षेत्रों में, अधिकांश मतदाता दलित वर्गों के होंगे। तदनुसार, आगे की जांच–पड़ताल पूरी होने तक उस प्रांत के दलित वर्ग के विशेष निर्वाचन–क्षेत्र से सदस्यों को लाने के लिए कोई संख्या नियत नहीं की गई है। मंशा यह है कि दलित वर्गों को बंगाल विधायिका में कम से कम 10 से कम सीटें मिलें।

दलित वर्गों के विशेष निर्वाचन–क्षेत्रों में मतदान के हकदार व्यक्तियों (यदि निर्वाचकीय पात्र हैं) की प्रत्येक प्रांत में सटीक परिभाषा को अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। यह एक नियम के रूप में मताधिकार समिति की रिपोर्ट में समर्थित व्यापकता सिद्धांतों पर आधारित होगी। तथापि, उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में उपान्तरण करना आवश्यक हो सकता है, क्योंकि जहां छूआछूत का सामान्य मापदंड लागू करने से प्रांत की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर परिभाषा कुछ हद तक अनुपयुक्त हो सकती है।''

महामहिम सम्राट की सरकार यह नहीं समझती कि दलित वर्गों के इन विशेष निर्वाचन–क्षेत्रों की एक सीमित समय के बाद आवश्यकता पड़ेगी। उनकी मंशा है कि संविधान में यह व्यवस्था की जाए कि अगर इन्हें ऊपर पैरा 6 में उल्लिखित चुनाव सुधार के सामान्य अधिकारों के अंतर्गत पहले समाप्त नहीं किया जाता है ये 20 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे।''[1]

---

1. लेख और भाषण, खंड 9, पृष्ठ 79–82।

इस अधिनिर्णय के अनुसार, दलित वर्गों को प्रांतीय विधायिकाओं में अलग सीटें और दोहरे मतदान का अधिकार मंजूर किया गया था जिसके अंतर्गत उन्हें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था तथा आम निर्वाचन–क्षेत्रों में मतदान करना था।

अपने आगमन के बाद, अगले दिन डॉ. अम्बेडकर ने सर सैम्युल होरे को एक अति महत्वपूर्ण पत्र लिखा जिसमें उनसे अधिनिर्णय के पैरा 9 के अंतिम भाग को स्पष्ट करने को कहा क्योंकि दलित वर्गों के कुछ सदस्यों के मन में इस बारे में कुछ भ्रम था। उन्होंने यह भी लिखा कि उनके लिए यह असंभव है कि दलित वर्गों को इस अधिनिर्णय को इसके साथ संलग्न परंतुक सहित, स्वीकार करने के लिए राजी करा लें, और यह लिखकर अपना पत्र समाप्त किया कि ''आपका उत्तर मिलने तक मैं यह कोशिश करूंगा कि भारत के सभी भागों से दलित वर्गों का जो रोष मुझ पर फूट रहा है उसे थामे रखूं और जनता पर न फूटने दूं।''[1]

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने मंगलवार 23 अगस्त, 1932 को बंबई में साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के बारे में निम्नलिखित बयान जारी किया :–

''किसी ने भी यह आशा नहीं की थी कि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में हर किसी के लिए सब कुछ होगा और दलित वर्गों की ओर से मेरे तथा मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में कुछ परिवर्तनों के लिए मैं स्वयं तैयार था। लेकिन साम्प्रदायिक अधिनिर्णय ने प्रांतीय विधायिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व को निष्ठुरता से काफी महत्वपूर्ण अनुपात तक कम कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय ने उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित करके उनके लिए वास्तविक शिकायतें करने के अवसर पैदा कर दिए हैं।''

''मुझे इस अतिवाद में कोई औचित्य नजर नहीं आता। तथापि, मुझे पंजाब के दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित रखने के कारण बहुत अधिक सदमा पहुंचा है। इस राज्य में दलित वर्गों की स्थिति से मैं परिचित हूँ। अतः मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर भारत के अन्य प्रांतों में दलित वर्गों की सामाजिक स्थिति से इस प्रांत के दलित वर्गों की सामाजिक स्थिति कहीं बेहतर है। विशेष प्रतिनिधित्व का उनका दावा सबसे मजबूत है।''

''इस सर्वाधिक पात्र वर्ग को अपनी सीट से वंचित करने के पीछे महामहिम सम्राट की सरकार के कारण कुछ भी रहा हो, मैं तब तक कुछ समझ नहीं पाऊंगा

---

1. कीर, पृष्ठ 204।

जब तक कि इस प्रांत के सर्वाधिक विक्षुब्ध एवं जोरदार दावों के बारे में मेरा समाधान न करा दिया जाए। यह अन्याय तब सर्वाधिक जघन्य हो जाता है जब यह बताया जाता है कि भारतीय ईसाई और आंग्ल–भारतीय जिनके दलित वर्गों की जनसंख्या दशांश भी नहीं है और जिन पर सामाजिक शिकायतों का साया भी नहीं है, में से पहले वर्ग को दो विशेष सीटें तथा बाद के वर्ग को एक सीट दी गई है। मुझे डर है कि इन अन्यायों के कारण अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, जिसे इस प्रश्न पर विचार करना है, इस अधिनिर्णय को स्वीकार करने के खिलाफ न हो जाए।'[1]

भारत लौटने पर, गांधी को 4 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी ने राजनीति में अछूत हिन्दुओं को सवर्ण हिन्दुओं के साथ जोड़ने की अपनी लड़ाई को छोड़ा नहीं था। मार्च के प्रारंभ में, उन्होंने यरवदा जेल से ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सूचित किया कि मैं अपनी जान देकर भी सवर्ण हिन्दुओं से अछूत हिन्दुओं को अलग करने का विरोध करूंगा। जब साम्प्रदायिक अधिनिर्णय घोषित हुआ और अछूतों के लिए अलग निर्वाचकमंडल की प्रणाली मंजूर हुई तब उन्होंने अपने इस संकल्प की घोषणा की कि यदि दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचनमंडल का दर्जा समाप्त नहीं किया गया तो मैं आमरण अनशन करूंगा। फिर भी सिद्धांत के नाते उन्होंने, ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को दिए जा रहे अलग निर्वाचकमंडल के दर्जे के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा।

दलित वर्गों को अलग निर्वाचकमंडल का दर्जा मंजूर करने के खिलाफ गांधी द्वारा आमरण अनशन को भी किसी ने औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया।''[2]

इस बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, –

''श्री गांधी को यह पता चल गया था कि उनकी धमकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मध्यस्थता हेतु प्रधान मंत्री से अनुरोध करने वाले मांग–पत्र पर उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। वे यह भूल गए कि हस्ताक्षरकर्ता के रूप में वे इस अधिनिर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। पहले उन्होंने साम्प्रदायिक अधिनिर्णय की शर्तों में संशोधन करने की कोशिश की। तद्नुसार, उन्होंने निम्न पत्र प्रधान मंत्री को भेजा :–

यरवदा सेंट्रल जेल
18 अगस्त, 1932

''इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सर सैम्यूल होरे को संबोधित दिनांक 11 मार्च का मेरा पत्र उन्होंने आपको और

---

1. दि फ्री प्रेस जरनल, दिनांक 24 अगस्त, 1932 ।

2. कीर, पृष्ठ 204–05

मंत्रिमंडल को दिखाया है। उस पत्र को इस पत्र का भाग समझा जाए और इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।''

''अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर ब्रिटिश सरकार के निर्णय को मैंने पढ़ा है और इस पर चिंतन भी किया है। सर सैम्यूल होरे को भेजे गए मेरे पत्र और सेंट जेम्स पैलेस में 13 नवम्बर, 1931 को आयोजित गोल मेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति की बैठक में मेरी घोषणा के अनुसरण में, मैं अपनी जान देकर आपके फैसले का विरोध करूंगा। ऐसा मैं यह घोषणा करके करूंगा कि मैं आमरण अनशन करूंगा और किसी भी प्रकार का कोई भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, मैं नमक या सोडे के साथ या इनके बगैर केवल जल ग्रहण करूंगा। यह व्रत तब तक चलेगा जब तक इसके चलते ब्रिटिश सरकार अपने प्रस्ताव द्वारा या जनता की राय के दबाव में आकर अपने निर्णय को पुनरक्षित न कर ले और दलित वर्गों के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचकमंडल की अपनी स्कीम को वापिस न ले ले जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण मताधिकार के अधीन आम निर्वाचकमंडल द्वारा किया जाना चाहिए, भले ही वह कितना भी व्यापक क्यों न हो।

''प्रस्तावित अनशन सामान्य परिस्थितियों में आगामी 20 सितम्बर की दोपहर से प्रारंभ होगा और तब तक चलेगा जब तक ऊपर बताई गई रीति के अनुसार उक्त निर्णय को इस बीच पुनरीक्षित नहीं कर लिया जाता।''

''मैं यहां के प्राधिकारियों से कहूंगा कि वे मेरे इस पत्र का पाठ आपको केवल द्वारा भिजवा दें ताकि आपको पर्याप्त समय मिल सके। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, यदि सबसे धीमी गति से यह पत्र आप तक पहुंचता है तो भी आपको पर्याप्त समय मिल जाए।''

''मैं यह भी कहूंगा कि यह पत्र और सर सैम्युल होरे को संबोधित मेरे उपर्युक्त संदर्भित पत्र को यथा शीघ्र प्रकाशित किया जाए। मैंने अपनी ओर से जेल के नियमों का ईमानदारी से पालन किया है और मैंने अपनी इच्छा या इन दो पत्रों की विषय–वस्तु से, अपने दो साथियों सरदार वल्लभभाई पटेल तथा श्री महादेव देसाई को छोड़कर किसी अन्य को अवगत नहीं कराया है। यदि आपकी ओर से संभव हो तो मैं यह चाहूंगा कि मेरे पत्रों द्वारा लोगों की राय प्रभावित हो। अतः मैं इनके शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध करता हूँ।''

''मुझे अपने विनिश्चय पर खेद है। लेकिन मैं जिस धर्म में विश्वास रखता हूं, उसे ध्यान में रखते हुए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। जैसा कि मैंने सर सैम्युल होरे को लिखे पत्र में कहा है, यदि महामहिम सम्राट की सरकार स्वयं को परेशानी से बचाने के लिए मुझे रिहा करने का फैसला लेती है तो भी मेरा अनशन

चलता रहेगा। चूंकि अब मैं और किसी तरीके से इस फैसले का विरोध नहीं कर सकता; और मैं एक सम्मानित रिहाई के अलावा किसी अन्य तरीके से रिहाई कराने की कोई इच्छा नहीं रखता।''

''ऐसा हो सकता है कि दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचकमंडल प्रणाली के बारे में मेरा फैसला विकृत हो और यह कि मैं बिल्कुल गलत होऊं तथा यह उनके तथा हिन्दूवाद के लिए हानिकारक हो। यदि ऐसा है तो मेरे जीवन के दर्शन के अन्य भागों के संबंध में भी मेरे ठीक होने की संभावना नहीं है। उस स्थिति में, अनशन द्वारा मेरी मृत्यु त्रुटि का प्रायश्चित होगी और उन असंख्य पुरुषों तथा महिलाओं पर से बोझ उठ जाएगा जो मुझमें बालसुलभ विश्वास रखते हैं। यदि मेरा फैसला सही है और मुझे इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं है तो प्रस्तावित कदम जीवन के उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए है जिसके लिए मैंने पच्चीस वर्ष से भी अधिक समय तक प्रयास किया है लेकिन मुझे पर्याप्त सफलता नहीं मिली है।

मैं हूँ,

आपका विश्वसनीय मित्र,
एम. के. गांधी''[1]

यह दलित वर्गों के बारे में महात्मा गांधी के विरोधाभास को सिद्ध करता है।

इस बीच, गांधी जी से सरदार वल्लभभाई पटेल 6 सितम्बर, 1932 को यरवदा जेल में मिले और इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की।*

''जैसा कि स्वाभाविक ही था, गांधी की घोषणा से पूरा देश भौचक्का रह गया। जनता की ओर से गाँधी और सरकार से अपील की गई, प्रेस में बयान जारी किए गए और प्रार्थनाएं की गईं। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे नेताओं ने कहा कि हिन्दूवाद की परख हो रही है। समूचे हिन्दू समाजों में भ्रम तथा घबराहट की स्थिति थी, ऐसा इसलिए नहीं था कि सवर्ण हिन्दू और उनके नेता दलित वर्गों के साथ की गई क्रूरता के लिए शर्मसार थे, बल्कि इसलिए कि उनके राजनीतिक नायक, उनके राजनीतिक मोचक का जीवन खतरे में है। हिन्दू के चरित्र में परम्परागत दुखद प्रवृत्ति प्रभावशाली रही और वे अधीर हो गए।''

पंडित मालवीय ने शिमला से अपने इस इरादे की घोषणा की कि वे 19 सितम्बर को मुंबई में हिन्दू नेताओं के एक सम्मेलन का आयोजन इस गतिरोध को समाप्त

---

1. लेख तथा भाषण, खंड 9, पृष्ठ 82–83।

* परिशिष्ट–4 देखिए।

करने और महात्मा का जीवन बचाने के लिए करेंगे, तथा इस बारे में डॉ. अम्बेडकर को तार से सूचित किया। महात्मा के जीवन को बचाने के लिए यह आवश्यक था कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री के अधिनिर्णय में परिवर्तन किया जाए और इसमें संशोधन करने के लिए यह अनिवार्य था कि डॉ. अम्बेडकर का अनुमोदन लिया जाए क्योंकि उन्होंने इन विशेषाधिकारों को दलित वर्गों के लिए छीना था। सहज ही, सभी की निगाहें डॉ. अम्बेडकर पर टिकी थीं, क्योंकि वही उस क्षण के नायक थे। यह भाग्य की क्रूर विडम्बना ही थी कि जिन नेताओं तथा प्रेस ने डॉ. अम्बेडकर को दलित वर्गों के नेता के रूप में पहचानने से इंकार कर दिया था वे अब दलित वर्गों के नेतृत्व एवं प्रवक्ता को पहचानने के लिए बाध्य थे। वे अब समूचे देश के मार्गदर्शक बन गए थे।

गांधी के आमरण अनशन के महत्व और उससे उत्पन्न संकट के विस्तार से डॉ. अम्बेडकर अवगत थे। गाँधी ने उन पर एक अत्यधिक खतरनाक एवं घातक हथियार से वार किया था। उन्होंने वार से बचने के लिए स्वयं को तैयार किया। उनकी बंबई के गवर्नर के साथ पूना में मुलाकात हुई।''[1]

पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली के समर्थन मैं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा बंबई के गवर्नर से मुलाकात करने के लिए रविवार सुबह बंबई से पूना के लिए प्रस्थान करने से, दलित वर्गों को पृथक निर्वाचनमंडल की योजना का त्याग करने और महात्मा गाँधी के प्राण बचाने के लिए आज बंबई में आयोजित सम्मेलन से एक दिन पहले शहर में अटकलों का बाजार गर्म था।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने प्रातः पूना के लिए प्रस्थान किया और बंबई के गवर्नर के साथ लंबी बातचीत करने के बाद शाम को बंबई लौट आए।

हमारे प्रतिनिधि ने पूछा, ''क्या आप कल होने वाले सम्मेलन में भाग लेंगे?''

इस प्रश्न के जवाब में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि पंडित मालवीय से तार द्वारा मिले संदेश के अलावा उन्हें अब तक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन अगर उन्हें निमंत्रण मिलता है तो वे हर हाल में सम्मेलन में भाग लेंगे।

11 सितम्बर, 1932, मंगलवार की शाम को जारी एक बयान में डॉ. अम्बेडकर ने अपने इस विश्वास को दोहराया कि पृथक निर्वाचकमंडल दलित वर्गों के हित में है और यह फिर से कहा कि महात्मा गांधी पहले अपने प्रस्ताव रखें ताकि डॉ. उनका उत्तर दे सकें।''[2]

---

1. कीर, पृष्ठ 205–2016 ।
2. द बोम्बे क्रानिकल, दिनांक 11 सितम्बर, 1932 (12 सितम्बर, 1932 का अंक हो सकता है – सम्पादकगण)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने घोषणा की कि, ''मैं इन राजनीतिक उठा–पटक की परवाह नहीं करता।''

उन्होंने आगे कहा कि, ''महात्मा गाँधी की आमरण अनशन की यह धमकी कोई नैतिक लड़ाई न होकर मात्र एक राजनीतिक चाल है। यह तो मैं समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति अपने राजनीतिक विरोधी से अपनी ईमानदारी का विश्वास दिलाकर समान शर्तों पर बातचीत करे, लेकिन मैं इन हथकंडों से कभी भी प्रभावित होने वाला नहीं हूँ।''

''मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं और यदि श्री गांधी हिन्दू समुदाय के हित के लिए अपनी जान देकर लड़ना चाहते हैं तो दलित वर्ग भी अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान दे कर लड़ने को बाध्य होंगे।''

श्री एम. सी. राजा द्वारा व्यक्त इस विचार के संदर्भ में कि अगर डॉ. अम्बेडकर पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली की अपनी मांग को छोड़कर आरक्षित सीटों सहित संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली को मान लेते हैं तो इस स्थिति से उबरा जा सकता है, डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वे इसके लिए सहमत नही हैं।''[1]

श्री गांधी ने 15 सितम्बर, 1932 को बंबई के गवर्नर को एक पत्र लिखकर आमरण अनशन के निर्णय के कारणों को स्पष्ट किया। उक्त पत्र 21 मार्च को प्रेस को प्रकाशनार्थ भेजा गया। उक्त पत्र में उन्होंने कहा कि :

''मेरे अनशन की सूक्ष्म प्रासंगिकता है। दलित वर्गों का प्रश्न प्रमुख रूप से एक धार्मिक मामला है, मैं इसे विशेष रूप से अपना स्वयं का मानता हूं क्योंकि मैंने आजीवन इस पर एकाग्रता से विचार किया है। यह एक पवित्र व्यक्तिगत विश्वास है जिससे मैं कभी जी नहीं चुराऊंगा।''[2]

इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, डा. अम्बेडकर ने द टाइम्स आफ इंडिया को एक पत्र लिखा। पत्र इस प्रकार है –

सम्पादक,

''टाइम्स ऑफ इंडिया''

महोदय,

---

1. द बम्बई क्रानिकल, दिनांक 14 सितम्बर, 1932 ।

2 खैरमोदे, खंड 5, पृष्ठ 26 ।

आज के समाचार–पत्र में मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि शहर के अलग–अलग हिस्सों में आपात समिति के तत्वावधान में कुछ आठ सार्वजनिक सभाओं का आयोजन हो रहा है ताकि एक संकल्प पारित करके जनता से यह कहा जाए कि वह ब्रिटिश सरकार को दलित वर्गों को प्रभावित करने वाली सीमा तक साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के बारे में अपनी नीति में बदलाव लाने के लिए बाध्य करें। इस संकल्प का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रधान मंत्री के अधिनिर्णय में की गई विशेष व्यवस्था के खिलाफ आम राय कायम की जाए।

चूंकि महात्मा गांधी ने इस प्रश्न पर आत्म–दाह करने के अपने संकल्प की घोषणा कर दी है, कुछ जाने–माने हिन्दू नेताओं और मेरे बीच बातचीत का दौर जारी है, मुझे कल शाम आपात समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं बैठक में उपस्थित हुआ। इस बैठक में मेरी उपस्थिति के दौरान ऐसे किसी कार्यक्रम का हवाला नहीं दिया गया। सार्वजनिक सभाओं में ऐसे किसी संकल्प को प्रस्तुत करने पर विचार हुआ हो। यदि कल की बैठक में संकल्प का मसौदा मेरे ध्यान में लाया जाता तो मैं इस संकल्प की शब्दावली पर ही निश्चित रूप से आपत्ति उठाता बल्कि पहले से चल रही बातचीत के परिणाम आने से पहले सार्वजनिक सभा का आयोजन करने के विचार पर ही एतराज जताता। वास्तव में, सहमति यह बनी थी कि कोई भी दल किसी भी किस्म का कोई प्रचार नहीं करेगा। मेरे दल के सदस्यों द्वारा बहुत अधिक दबाव डालने के बावजूद, इस सर्वसम्मति ने मुझे किसी सभा का आयोजन करने या साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के पक्ष में कोई प्रचार करने से रोके रखा।

आपात समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली ये प्रस्तावित सार्वजनिक सभाएं और इनमें प्रस्तुत किया जाने वाला संकल्प मेरे तथा मेरे दल के लिए मात्र एक उत्तेजक चुनौती है। जो मुझसे बातचीत कर रहे हैं वे मेरे विरुद्ध प्रचार नहीं कर सकते तथा साथ ही बातचीत के परिणाम के रूप में एक सौहार्दपूर्ण समझौते की आशा करते हैं। या तो बातचीत हो या फिर सीधे लड़ाई। दोनों साथ–साथ नहीं चल सकते। यदि दूसरा पक्षकार प्रचार करने के अपने अधिकार पर बल देता है तो अगर मेरा दल भी उनके विरुद्ध प्रचार करने का कोई निर्णय लेता है तो उन्हें मुझे दोष देने का कोई हक नहीं है।

बी. आर. अम्बेडकर
बंबई, 18 सितम्बर, 1932''[1]

---

1. 19 सितम्बर, 1932 का दि टाइम्स आफ इंडिया।

हिन्दू नेताओं के सम्मेलन से एक दिन पहले, डॉ. अम्बेडकर ने प्रेस को एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, ''जहां तक मेरा संबंध है, मैं किसी भी बात पर विचार करने का इच्छुक हूं लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि दलित वर्गों के अधिकारों में किसी भी प्रकार से कोई कटौती करने की अनुमति दी जाए। एक खालीपन से किसी सम्मेलन का आयोजन करने या मुद्दों पर बिना विशिष्ट जानकारी के चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है।'' उन्होंने इसे खुलकर अहमदाबाद से आए दलित वर्गों के एक प्रतिनिधिमंडल और भारतीय करोड़पति सेठ बालचंद हीराचंद के साथ अपनी भेटवार्ता से जोड़ दिया। इन्होंने उन्हें बताया कि गांधी अपने प्रस्ताव पर ब्रिटिश प्रधान मंत्री से बात कर सकते थे; चूंकि वे कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, दोष उन्हीं का है।

आगंतुक, नेता और मित्र डॉ. अम्बेडकर से मिलने आने लगे। पहले मिलने वाले इन आगंतुकों में एक ठक्कर थे जिन्होंने डॉ. अम्बेडकर के साथ राज्य समिति में कार्य किया था। वे इस मामले में बात करने आए थे। डॉ. अम्बेडकर ने जिनके लिए समय ही ज्ञान तथा एक मूल्यवान वस्तु है, कहा कि वे एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले का अध्ययन करने में व्यस्त हैं और इसलिए उन्होंने ठक्कर से पूछा कि उन्हें कितना समय चाहिए। ठक्कर ने जवाब दिया कि उन्हें तकरीबन एक घंटे की जरूरत है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वे सिर्फ पांच मिनट देंगे। ठक्कर ने और समय मांगा/गणितीय संक्षिप्तता के साथ बैठक समाप्त हो गई तथा डॉ. अम्बेडकर अंदर चले गए। अगले दिन ठक्कर फिर डॉ. अम्बेडकर से मिले। डॉ. अम्बेकर के विरुद्ध एक प्रचंड अभियान शुरू किया गया।''[1]

हिन्दू नेताओं की बैठक से एक दिन पहले अर्थात् 19 सितम्बर, 1932 को डॉ. अम्बेडकर ने प्रेस को एक और बयान जारी किया। इस बयान का पूरा पाठ नीचे दिया गया है – सम्पादकगण

''मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं महात्मा गांधी, सर सैम्युल होरे और प्रधान मंत्री के बीच के पत्राचार को पढ़कर आश्चर्यजकित रह गया था जो हाल ही में समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने आमरण अनशन करने के अपने संकल्प को व्यक्त किया है। यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ब्रिटिश सरकार अपनी ओर से या फिर जनता की राय के दबाव में आकर अपनी राय को संशोधित नहीं करती और दलित वर्गों के साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की अपनी स्कीम को वापिस नहीं ले लेती। महात्मा द्वारा आत्मदाह की प्रतिज्ञा ने मुझे जिस अवांछनीय

---

1. कीर, पृष्ठ 206–07।

* लेख तथा भाषण, खंड 9, पृष्ठ 77–78 देखिए।

स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, उसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है।

यह मेरी इस धारणा को आगे बढ़ाता है कि श्री गाँधी साम्प्रदायिक प्रश्न से उठने वाले एक ऐसे मुद्दे के लिए अपने प्राणों को दाव पर क्यों लगा रहे हैं जिसके बारे में गोल मेज सम्मेलन में यह कहा था कि तुलनात्मक दृष्टि से यह एक कम महत्व का मुद्दा है। वास्तव में, साम्प्रदायिक प्रश्न पर विचार करने की श्री गांधी की शैली की भाषा को अपनाना भारत के संविधान की पुस्तक का एक परिशिष्ट मात्र था न कि मुख्य अध्याय। यह औचित्यपूर्ण होता यदि श्री गांधी ने यह कदम देश के लिए आजादी हासिल करने के लिए उठाया होता जिसपर वे गोल मेज सम्मेलन की बहसों के दौरान बल देते रहे हैं।

यह भी एक दुखद आश्चर्य है कि श्री गांधी को अपने आत्मदाह के लिए साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का ही एकमात्र बहाना मिला है। पृथक निर्वाचकमंडल का दर्जा न केवल दलित वर्गों को ही दिया गया है, बल्कि भारतीय ईसाइयों, आंग्ल–भारतीयों, यूरोपियनों तथा साथ ही साथ मुसलमानों एवं सिखों को भी दिया गया है। पृथक निर्वाचकमंडल का दर्जा भूस्वामियों, श्रमिकों और व्यापारियों को भी दिया गया है। श्री गांधी ने मुसलमानों और सिखों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों तथा पंथों के विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध करने की घोषणा की है। साथ ही, श्री गांधी अब दलित वर्गों को छोड़कर हर किसी को विशेष निर्वाचकमंडल का दर्जा सुरक्षित रखने के पक्ष में हैं।

दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के परिणामों के बारे में श्री गांधी द्वारा व्यक्त किया गया भय मेरे विचार से मात्र काल्पनिक है। यदि मुसलमानों और सिखों को प्रथक निर्वाचकमंडल के रूप में स्थापित करने से देश विभाजित नहीं हो सकता है तो दलित वर्गों को प्रथक निर्वाचकमंडल का दर्जा देने से हिन्दू समाज कैसे विभाजित हो सकता है। उनका अंतःकरण तब जागृत नहीं होता जब दलित वर्गों को छोड़कर अन्य वर्गों तथा समुदायों को विशेष निर्वाचकमंडल का दर्जा देने से देश का विभाजन होता है।

मुझे विश्वास है कि कई लोग यह सोचते हैं कि स्वराज संविधान के अधीन बहुसंख्या के अत्याचारों से अपना बचाव करने के लिए यदि कोई वर्ग विशेष राजनीतिक अधिकार का हकदार है तो वह दलित वर्ग ही है। यह वह वर्ग है जो निस्संदेह जीवनयापन के संघर्ष में स्वयं को टिकाए रखने की स्थिति में नहीं है। जिस धर्म से वे जुड़े हैं वह उन्हें एक सम्मानित स्थान देने की बजाए कोढ़ी का कलंक लगाता है जो एक साधारण संसर्ग के भी योग्य नहीं है। आर्थिक दृष्टि से, यह एक ऐसा वर्ग है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उच्च जाति के हिन्दुओं पर पूर्णतः निर्भर है

और जीवनयापन के लिए कोई स्वतंत्र मार्ग नहीं है। हिन्दुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके लिए न केवल प्रगति का प्रत्येक मार्ग बंद है बल्कि पूरा हिन्दू समाज इस दिशा में निश्चित ही प्रयासरत है कि सभी संभावित दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि दलित वर्गों को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कोई अवसर ही न मिले। वास्तव में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रत्येक गांव में सवर्ण हिन्दू आपस में विभाजित हैं और वे उन दलित वर्गों द्वारा किए गए किसी भी प्रयास को कठोरता से निष्फल करने के स्थायी षडयंत्र सदैव रचते रहते हैं जो साधारण भारतीय नागरिकों का एक छोटा एवं छिन्न–भिन्न निकाय है।

इन परिस्थितियों में, सही सोच वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह उचित रहेगा कि वे यह मान लें कि इतने अपंग समुदाय के लिए सांविधिक राजनीतिक अधिकारों में कुछ हिस्सा होना परम आवश्यक है ताकि वे जीवन के संघर्ष में सफल हो सकें और संगठित अत्याचार से स्वयं की रक्षा कर सकें।

मैं सोचता हूं कि नए संविधान में दलित वर्गों को यथासंभव अधिकाधिक राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए उनके एक शुभचिन्तक के रूप में जी–जान से संघर्ष करूं। लेकिन महात्मा का सोचने का तरीका अनोखा है और निश्चय ही मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के अंतर्गत दलित वर्गों के थोड़े–बहुत राजनीतिक अधिकारों की वृद्धि करने के लिए तो कोई प्रयास किया नहीं बल्कि जो थोड़ा–बहुत उन्हें मिला है उससे भी उन्हें वंचित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को ही दांव पर लगा दिया है। महात्मा ने दलित वर्गों के राजनीतिक अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ऐसा कदम पहली बार नहीं उठाया है। काफी समय पहले अल्पसंख्यक समझौता हुआ था, महात्मा ने मुसलमानों के साथ एक समझौता करने की कोशिश की थी ताकि दलित वर्गों के दावे को खारिज किया जा सके। मुसलमानों ने अपनी ओर से जो 14 दावे प्रस्तुत किए थे, महात्मा ने उन सभी दावों को पेशकश की और बदले में उनसे मेरे द्वारा दलित वर्गों की ओर से किए गए सामाजिक प्रतिनिधित्व की मांग का विरोध करने के लिए अपने साथ आने को कहा।

इस बात का श्रेय मुसलमानों को जाता है कि उन्होंने ऐसे किसी कुकृत्य से स्वयं को जोड़ने से इंकार कर दिया और मुसलमानों एवं श्री गांधी द्वारा संयुक्त विरोध के परिणामस्वरूप दलित वर्गों को एक विपत्ति में फँसने से बचा लिया।

मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि श्री गांधी द्वारा साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के प्रति इस विद्वेष का आधार क्या है। उनका कहना है कि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय ने हिन्दू समाज को अलग–थलग कर दिया है। दूसरी ओर, डॉ. मुंजे जो कि हिन्दू आंदोलन

के एक काफी प्रबल समर्थक हैं और इनके हितों के एक उग्र हिमायती है, इस मामले को एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। लंदन से लौटने के बाद से डॉ. मुंजे अपने भाषणों में इस बात पर जोर देते रहे हैं कि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय दलित वर्गों तथा हिन्दुओं के बीच कोई अलगाव पैदा नहीं करता है। वास्तव में, वे तो यह शेखी बधार रहे हैं कि उन्होंने हिन्दुओं में से दलित वर्गों को राजनीतिक रूप से अलग करने के मेरे प्रयास में मुझे परास्त कर दिया है। मुझे विश्वास है कि डॉ. मुंजे साम्प्रदायिक अधिनिर्णय की सही व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूं कि इसका श्रेय यथार्थ रूप से डॉ. मुंजे को जाए। अतः यह आश्चर्यजनक है कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रवादी हैं और जो सम्प्रदायवादी के रूप में जाने नहीं जाते, साम्प्रदायिक अधिनिर्णय को, जहां तक इसका संबंध दलित वर्ग से है, इस प्रकार से पढ़ें जो डा. मुंजे जैसे सम्प्रदायवादी से काफी प्रतिकूल है। यदि डॉ. मुंजे को ऐसा नहीं लगता कि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय हिन्दुओं में से दलित वर्गों को अलग नहीं करता तो महात्मा को इससे काफी संतुष्ट होना चाहिए।

मेरी राय में साम्प्रदायिक अधिनिर्णय से केवल हिन्दुओं को ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि राव बहादुर राजा, श्री बालू या श्री गवई जैसे दलित वर्गों के अलग–अलग व्यक्तियों को भी संतुष्ट होना चाहिए। एसेम्बली में डा. राजा के विस्फोटक विचारों नें मेरा बहुत मनोरंजन किया। प्रथक निर्वाचकमंडल का एक प्रबल समर्थक और सवर्ण हिन्दू के अत्याचारों का सबसे कटु तथा ओजस्वी आलोचक अब संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली और हिन्दू के प्रति प्रेम की वकालत कर रहा है। इसमें से कितना गोल मेज सम्मेलन से इन्हें बाहर रखकर जिस गुमनामी में उन्हें छोड़ दिया गया था उससे स्वयं को बाहर निकालने की उनकी स्वाभाविक इच्छा के कारण और इसमें से कितना उनके विश्वास में निष्कपट परिवर्तन की वजह से हुआ है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री राजा साम्प्रदायिक अधिनिर्णय की आलोचना द्वारा जिन बिन्दुओं पर राग अलाप रहे हैं, वे दो हैं, एक यह है कि दलित वर्गों को जनसंख्या के आधार पर पात्रता से कम सीटें मिली हैं और दूसरा यह है कि दलित वर्गों को हिन्दुओं से अलग किया गया है।

मैं पहली शिकायत से सहमत हूं लेकिन जब राव बहादुर गोल मेज सम्मेलन में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वालों पर अपने अधिकारों को थोपने का आरोप लगाना प्रारंभ करते हैं तब मैं यह बताने के लिए बाध्य हो जाता हूं कि श्री राजा ने भारतीय केंद्रीय समिति के एक सदस्य के रूप में क्या किया। समिति की उस रिपोर्ट में दलित वर्गों को मद्रास में 150 में से 10 सीटें बंबई में 114 में से 8 सीटें, बंगाल में 200 में

से 8 सीटें; उत्तर प्रदेश में 182 में से 8 सीटें; पंजाब में 150 में से 6 सीटें; बिहार और उड़ीसा में 150 में से 6 सीटें; सी.पी. में 125 में से 8 सीटें और असम में दलित वर्गों और देशी एवं आदिम जातियों को 75 में से 9 सीटें दी गई थीं। मैं यह बताकर इस विवरण पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहता कि इस वितरण की जनसंख्या अनुपात से किस प्रकार से तुलना की जाए। लेकिन निस्संदेह इतना अवश्य स्पष्ट है कि दलित वर्गों को अत्यधिक अल्प प्रतिनिधित्व मिला है। श्री राजा भी सीटों के इस बंटवारे के एक पक्षकार हैं। निश्चय ही श्री राजा को साम्प्रदायिक अधिनिर्णय की आलोचना करने और दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले इस बाबत अपनी याददाश्त ताजा कर लेनी चाहिए कि बिना कोई विरोध किए दलित वर्गों की ओर से उन्होंने भारतीय केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में क्या स्वीकार किया था। यदि उनके लिए प्रतिनिधित्व हेतु जनसंख्या अनुपात दलित वर्गों का एक स्वाभाविक अधिकार है और उनका संरक्षण करने के लिए उन्हें पूरा–पूरा हिस्सा मिलना एक आवश्यकता है तो श्री राजा ने केंद्रीय समिति में इस पर तब जोर क्यों नहीं डाला जब उन्हें ऐसा करने का अवसर मिला था?

उनका यह दावा कि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में दलित वर्गों को सवर्ण हिन्दुओं से अलग रखा गया है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। यदि श्री राजा को पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली से कोई नैतिक आपत्ति है तो उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वे पृथक निर्वाचकमंडल के एक उम्मीदवार के रूप में लड़ें। आम चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने और उसमें मतदान करने का अवसर उन्हें मिलेगा तथा श्री राजा इसका लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री राजा पूरे जोर से यह चिल्ला रहे हैं कि दलित वर्गों को इस बारे में आश्वस्त किया जाए कि सवर्ण हिन्दुओं का दिल दलित वर्गों के लिए बिल्कुल बदल गया है। उनके पास इस तथ्य को उन दलित वर्गों की संतुष्टि के लिए सिद्ध करने का अवसर होगा जो उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वे एक साधारण निर्वाचन–क्षेत्र से स्वयं को निर्वाचित कराएंगे। जो हिन्दू दलित वर्गों के लिए प्रेम और सहानुभूति का दावा करते हैं उन्हें भी श्री राजा को विधायिका के लिए निर्वाचित कराकर अपने सदाशय को सिद्ध करने का अवसर मिलेगा।

अतः मेरी राय में साम्प्रदायिक अधिनिर्णय पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली को चाहने वालों और संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली को चाहने वालों को भी संतुष्ट करेगा। इस दृष्टि से, यह एक समझौता ही है और इसे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। जहां तक महात्मा का संबंध है, मैं नहीं जानता वे क्या चाहते हैं। यह मान लिया जाए कि महात्मा पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली का विरोध करते हैं लेकिन वे संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली तथा आरक्षित सीटों की प्रणाली के विरोध में नहीं हैं। यह एक भारी गलती

है। आज उनके विचार चाहे कुछ भी हों, लंदन में संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली द्वारा या पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली द्वारा दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की किसी प्रणाली के एकदम खिलाफ थे। वयस्क मताधिकार पर आधारित आम चुनाव में मतदान के अधिकार के अलावा, वे दलित वर्गों के लिए विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व हासिल करके उन्हें और कुछ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने प्रथमतः इस रुख को अपनाया था। गोल मेज सम्मेलन की समाप्ति पर उन्होंने मुझे एक योजना का सुझाव दिया था जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वे इस पर विचार करने को तैयार हैं। यह योजना मात्र परम्परागत थी और इसे कोई संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी तथा निर्वाचन कानून में दलित वर्गों के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं थी।

वह योजना इस प्रकार थी :—

आम चुनाव में दलित वर्ग के उम्मीदवार अन्य उच्च जाति के हिन्दू उम्मीदवारों के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। यदि दलित वर्ग का कोई उम्मीदवार चुनाव में हार जाता है तो वह एक चुनाव याचिका दायर करे और यह फैसला करा ले कि अछूत होने की वजह से उसकी पराजय हुई थी। यदि ऐसा फैसला हो जाता है, तो महात्मा ने कहा कि वह किसी हिन्दू सदस्य को त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित करे और इस प्रकार एक सीट खाली हो जाएगी। वहां पर फिर से चुनाव होगा जिसमें दलित वर्ग का पराजित उम्मीदवार या दलित वर्ग का कोई अन्य उम्मीदवार अपना भाग्य हिन्दू उम्मीदवारों के खिलाफ आजमा सकता है। यदि वह फिर भी पराजित हो जाता है तो वह ऐसा फैसला फिर से करा सकता है कि अछूत होने की वजह से उसकी पराजय हुई और यह सिलसिला अनंत काल तक चल सकता है। मैं इन तथ्यों से इसलिए अवगत करा रहा हूं क्योंकि अब कुछ लोगों का यह मानना है कि संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली और आरक्षित सीटों की प्रणाली से महात्मा का अंतः करण संतुष्ट हो जाएगा। इससे यह पता चल जाएगा कि मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं कि इस प्रश्न पर विचार—विमर्श करने का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक गांधी के वास्तविक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं।

तथापि, मैं यह बता दूं कि मैं महात्मा के इस आश्वासन को स्वीकार नहीं कर सकता कि वे और उनकी कांग्रेस आवश्यक कदम उठाएगी। मैं अपने लोगों के संरक्षण के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को परम्परा तथा सहानुभूति के भरोसे नहीं छोड़ सकता। महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, और कांग्रेस के लिए यह मान लेते हैं कि यह कोई द्वेषपूर्ण ताकत नहीं है, फिर भी इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। भारत में कई महात्मा हुए हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य छूआछूत को दूर करना और दलित वर्गों का उत्थान करना तथा आत्मसात करना था; लेकिन इनमें से कोई भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर

सका। महात्मा आए और महात्मा चले गए। लेकिन अछूत तो अछूत ही रहे।

मुझे महाद तथा नासिक में हुए संघर्षों में सुधारों की गति और हिन्दू सुधारकों के विश्वास का काफी अनुभव है। मैं यह कह सकता हूं कि दलित वर्गों का कोई भी शुभचिंतक ऐसे विश्वासघाती कंधों के भरोसे दलित वर्गों के उत्थान की अनुमति कभी नहीं देगा। जो सुधारक संकट की घड़ी में अपने सजातीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बजाए अपने सिद्धांतों की बलि देने को वरीयता देते हैं, वे दलित वर्गों के लिए किसी काम के नहीं हो सकते।

अतः मैं अपने लोगों के संरक्षण के लिए एक सांविधिक गारंटी पर जोर डालने के लिए बाध्य हूँ। यदि श्री गाँधी साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में परिवर्तन कराना चाहते हैं तो उन्हें अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे और यह सिद्ध करना होगा कि वे अधिनिर्णय के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई गारंटी से बेहतर गारंटी उपलब्ध कराएंगे।

मैं आशा करता हूँ कि महात्मा ने जो अतिवादी कदम उठाने की सोची है उससे वे बाज आएंगे। हम पृथक निर्वाचकमंडल की मांग करते हुए, हिन्दू समाज को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। जब हम पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली को चुनते हैं तब हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे भाग्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों में सवर्ण हिन्दुओं की स्वेच्छा पर पूर्ण निर्भरता से बचा जा सके। महात्मा की भांति, हम भी गलती करने के अपने अधिकार का दावा करते हैं, और हम उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमें हमारे उस अधिकार से वंचित न करें। उन्हें किसी अन्य अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए आमरण अनशन करना चाहिए। मैं महात्मा द्वारा इस अतिवादी कदम को उठाने की बात सोचने के औचित्य को समझ सकता था यदि उन्होंने यह कदम हिन्दू और मुसलमानों या दलित वर्गों के बीच दंगों को रोकने के लिए अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए उठाया होता। निश्चय ही इससे दलित वर्गों का भाग्य बदल नहीं सकता। महात्मा जानते हैं या नहीं, उनके इस कदम से उनके अनुयायी पूरे देश में दलित वर्गों के लिए आतंक की स्थिति पैदा कर सकते हैं।

इस प्रकार के बल प्रयोग से दलित वर्गों को हिन्दू वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता, यदि वे बाहर रहने के लिए कृतसंकल्प हैं। यदि महात्मा दलित वर्गों से यह पूछते हैं कि वे हिन्दू धर्म और राजनीतिक अधिकारों में से किसे पसंद करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि दलित वर्ग राजनीतिक अधिकारों को चुनेंगे तथा महात्मा को आत्मदाह से बचा लेंगे। यदि श्री गांधी अपने इस कृत्य पर ठंडे मन से सोचेंगे तो मुझे पूरा–पूरा विश्वास है कि उन्हें अपनी विजय उपयुक्त लगेगी। इस ओर भी ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है कि महात्मा प्रतिक्रियावादी तथा अनियंत्रणीय प्रचंड

भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और इस कदम का सहारा लेकर हिन्दू समुदाय तथा दलित वर्गों के बीच नफरत की भावना को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों के बीच की मौजूदा खाई और चौड़ी हो रही है। जब मैंने गोल मेज सम्मेलन में गाँधी का विरोध किया था तब देश में मेरे खिलाफ काफी हो–हल्ला मचा था और तथाकथित राष्ट्रवादी प्रेस में यह षडयंत्र रचा जा रहा था कि मुझे राष्ट्रीय मुद्दों के एक गद्दार के रूप में पेश किया जाए, मेरी ओर से किए जाने वाले पत्राचार को रोका जाए, और बैठकों तथा सम्मेलनों के बारे में समाचारों को बढ़ा–चढ़ा कर प्रकाशित करके मेरे दल के विरुद्ध प्रचार को बढ़वा दिया जाए। इन बैठकों तथा सम्मेलनों में से कुछ तो कभी आयोजित ही नहीं हुए थे। दलित वर्गों की सभी श्रेणियों में दरार पैदा करने के लिए ''सिलवर बुलेट्स'' का खुल कर प्रयोग किया गया था। कुछ मुठभेड़ भी हुईं जिनका अंत हिंसा में हुआ।

यदि महात्मा यह नहीं चाहते हैं कि इस सबकी बड़े पैमाने पर पुनरावृत्ति हो तो भगवान के लिए उन्हें अपने निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए ताकि महाविपदा के परिणामों से बचा जा सके। मुझे विश्वास है कि महात्मा भी ऐसा नहीं चाहेंगे। यदि अपनी कामना के बावजूद वे बाज नहीं आते तो जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है उसी प्रकार ये परिणाम अवश्यमभावी हैं।

इस बयान को समाप्त करने से पहले, मैं जनता को यह आश्वस्त करने की इच्छा रखता हूं कि जब मैं यह कहने का पात्र हूं कि मैं इस मामले को अब समाप्त समझता हूं और मैं महात्मा के प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार हूं। तो मुझे यह विश्वास है कि महात्मा मुझे अपने जीवन और मेरे लोगों के अधिकारों में से एक को चुनने के लिए विवश नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आने वाली कई पुश्तों तथा सवर्ण हिन्दुओं के समक्ष अपने हाथ पैर–बांध कर अपने लोगों को कुछ देने की स्वीकृति नहीं दे सकता।''[1]

श्री गांधी द्वारा आमरण अनशन की घोषणा से लोगों को अछूतों की हालत के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा और अछूतों के मन में उत्पन्न हो रहे भावों के बारे में कुछ देर के लिए तो उनकी आंखे खुलेंगी। लोगों, प्रेस और देशभक्तों को यह अहसास दिलाया गया कि वे उनके समाज पर एक धब्बा है। प्रत्येक राजनीतिक दल में, प्रत्येक सामाजिक दायरे में और प्रत्येक धार्मिक संस्था में डॉ. अम्बेडकर के बारे में अंतहीन चर्चा चल रही है। उन्हें ढेरों तार तथा पत्र मिल रहे हैं, कुछ उन्हें जान की धमकी दे रहे हैं, कुछ उनके अंतःकरण से अनुरोध कर रहे हैं और कुछ उनके रुख का समर्थन कर रहे हैं।

---

1. जनता, दिनांक 24 सितम्बर, 1932 ।

घोषणानुसार, हिन्दू नेताओं का सम्मेलन 19 सितम्बर, 1932 को विशाल हॉल ऑफ दि इंडियन मर्चेन्ट्स चैम्बर में तनावपूर्ण वातावरण में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। डॉ. अम्बेडकर और डा. सोलंकी अध्यक्ष की कुर्सी के पास ही बैठे थे। राजा और डॉ. मुंजे ने हाथ में हाथ डाले हाल में प्रवेश किया।''[1]

उपस्थित लोगों में शामिल थे : राजेन्द्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी, पंडित कुंजरू, टी. प्रकाशम, डॉ. चौथीराम, स्वामी सखानंद, श्री एनेय, जी. ए. गवई, श्री शिवराज, श्री जगन्नाथन, श्री धर्मलिंगम, श्री मंडल, सर चुन्नीलाल, हीराचंद, बालचंद, सर सीतलवाड़, सर मडगांवकर, सर पुरुषोत्तमदास, श्री देवधर, श्री नटराजन, राव बहादुर वैद्य, डॉ. देशमुख, दालवी, सूबेदार, सपू सेठ बिड़ला, श्री करंदीकर, डॉ. सावरकर, शिवतारकर, पी. बालू, निकलजे, कमला नेहरू, पेरानी कैप्टन, मोशेन कैप्टन, साऊ, अवन्तिकाबाई गोखले, श्रीमती अन्नपूर्णाबाई देशमुख, रत्नाबेन मेहता, कुमारी नटराजन।

महात्मा गाँधी का जीवन बचाने के लिए, बैठक के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाव दिया कि एक ऐसे हल की तलाश की जाए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो।

पंडित मालवीय के अनुरोध पर, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने निष्कपट भाव से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा,

सम्मेलन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी सम्मेलन का आयोजन करने की कोई आवश्यकता है। हमारी मांगों का विरोध करने के लिए, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया है। यह स्वाभाविक ही है कि हर कोई महात्मा गांधी के मूल्यवान जीवन को बचाना चाहेगा। लेकिन अपने जीवन को दांव पर लगाने से पहले, गाँधी जी को कुछ ठोस वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए थे। मौजूदा परिस्थिति पर विचार करने के बाद, मैं यह महसूस करता हूं कि महात्मा गाँधी से कोई स्पष्ट वैकल्पिक प्रस्ताव मिले बिना बातचीत के सभी प्रयास विफल रहेंगे। निस्संकोच, निर्णय लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि वास्तव में गँधी जी के मन में क्या है तब तक इस सम्मेलन में पुनरावृत्त विचार– विमर्श से कोई परिणाम निकलने वाले नहीं हैं। इस सम्मेलन में कितनी भी लंबी चर्चा क्यों न कर ली जाए मुझे तब तक कोई हल नहीं मिल सकता जब तक कि मुझे यह पता नहीं चल जाता कि गाँधी जी के मन में क्या है, और मैं आपको साफ–साफ शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि इस सम्मेलन के संयोजकों या अन्य नेताओं से मिलने वाले प्रस्तावों से मैं कदापि बंधा हुआ नहीं

---

1. कीर, पृष्ठ 208 ।

हूँ, मैं केवल महात्मा गाँधी की राय पर विचार करूंगा। जब तक मुझे उनके प्रस्ताव के बारे में पता नहीं चलता, मैं अपनी राय कैसे दे सकता हूं। पहले उनसे प्रस्ताव लाओ फिर मैं उस पर विचार करूंगा। यहां मैं प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दूँ कि गाँधी जी का कोई भी प्रस्ताव आपमें से सवर्ण हिन्दू प्रतिनिधि ही मेरे पास लेकर आए और मैं ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा जो गँधी जी की ओर से अछूत नेता लेकर आएगा। महात्मा गांधी के जीवन को बचाने के लिए मैं अपने लोगों की न्यायसंगत मांगों की बलि नहीं दूंगा।''[1] इसके बाद यह सम्मेलन दिन भर के लिए स्थगित हो गया।

''सोमवार, 20 सितम्बर, 1932 को दोपहर 12 बजे महात्मा गाँधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। इस मामले में बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जयकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, मथुरादास वासनजी सवर्ण हिन्दू के प्रतिनिधियों के रूप में शामिल थे। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गाँधी की ओर से सर चुन्नीलाल ने निम्नलिखित विचार समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किए।

वे इस प्रकार थे :–

1. महात्मा गाँधी ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली के फैसले का विरोध किया।

2. वे संयुक्त निर्वाचकमंडल के लिए आरक्षित सीटों के लिए भी पूरी तरह से सहमत नहीं थे। तथापि, मुंबई में यदि अखिल हिन्दू सम्मेलन आरक्षित सीटों के लिए कोई विशिष्ट निर्णय लेता है तो वे इस पर आपत्ति नहीं उठाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि यह आवश्यक ही हो कि वे उससे सहमत हों। यदि किसी तरह किसी तथ्य पर कोई सहमति बनती है तो वे संभवतः अपनी स्वीकृति दे दें।

महात्मा गाँधी के प्रस्ताव सुनने के बाद डा. अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उनका भाषण वास्तव में ही बहुत दमदार था और दिल को छूने वाला था। उन्होंने कहाः

''मैं आज इस कठिन परिस्थिति में बातचीत करते हुए अन्य की तुलना में स्वयं को अधिक अपरिचित स्थिति में महसूस कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश, इस शांतिपूर्ण बातचीत के दौरान अपने लोगों की न्यायोचित मांगों का संरक्षण करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि

---

1. जनता, दिनांक 24 सितम्बर, 1932।

मैं एक खलनायक की भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं। मै अपने लोगों की न्यायोचित मांगों को मनवाने के लिए किसी भी सीमा तक नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ।

''मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने धर्मनिष्ठ कर्त्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा और अपने लोगों के न्यायसंगत और यथार्थ हितों के लिए कभी विश्वासघात नहीं करूंगा भले ही आप मुझे गली की नजदीकी बत्ती के खम्बे से टांग दो। आज हम जिस प्रश्न से रूबरू हो रहे हैं उसे भावनाओं में बहकर हल नहीं किया जा सकता बल्कि एक संवैधानिक रास्ता अपनाकर हल किया जा सकता है क्योंकि यह उन असंख्य भाईयों से जुड़ा हुआ है जो युगों से गुलामों का जीवन जी रहे हैं। अंतःकरण का पालन करने मात्र से यहां कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। महात्मा गाँधी के प्रस्ताव के स्वरूप को यदि हम देखें तो इस पर सोच विचार करने के लिए कुछ और समय चाहिए। तथापि, यह सम्मेलन एक संकल्प के माध्यम से महात्मा गाँधी से यह अनुरोध करे कि वे अनशन को 10–12 दिनों के लिए टाल दें।''

लेकिन अध्यक्ष, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। इसके फलस्वरूप, डॉ. अम्बेडकर साम्प्रदायिक अधिनिर्णय का त्याग करने के लिए सहमत नहीं हुए।''[1]

''इसके बाद सम्मेलन अगले दिन 21 सितम्बर को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गया। लेकिन तुरंत बाद सम्मेलन के प्रमुख नेता बिड़ला हाउस गए और वहां सर तेज बहादुर सप्रू ने आरक्षित सीटों के संबंध में प्राथमिक एवं माध्यमिक चुनाव की एक योजना प्रस्तुत की। इसके अनुसार, दलित वर्ग प्रत्येक सीट के लिए कम से कम तीन उम्मीदवारों के नामों की एक सूची का स्वयं चयन करेंगे और फिर चुने गए इन तीन उम्मीदवारों में से सवर्ण हिन्दू के संयुक्त निर्वाचकमंडल तथा दलित वर्ग एक का चयन करेंगे।''[2]

''लंबे विचार–विमर्श के बाद, डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि एक समझौता हो सकता है बशर्ते कि अधिनिर्णय के संबंध में अतिरिक्त रियायतें दी जाएं ताकि अधिनिर्णय का त्याग करने से होने वाली हानि की भरपाई की जा सके। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। पंडित मालवीय ने इस बारे में एक छोटी समिति का गठन करने का सुझाव दिया। तद्नुसार तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जयकर, पंडित मालवीय, मथुरादास वासनजी और डॉ. अम्बेडकर को शामिल करके एक समिति बनाई गई तथा इन नामों की सूचना सम्मेलन को दी गई।

---

1. जनता, दिनांक 1 अक्तूबर, 1932 ।
2. कीर, पृष्ठ 209 ।

तदनुसार डॉ. अम्बेडकर ने एक मांग–पत्र तैयार किया और 20 सितम्बर, 1932 को रात 10 बजे बिड़ला भवन में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इसका पाठ इस प्रकार है।"[1] :

महात्मा गाँधी के अनशन से पूर्व तैयार किया गया मांग–पत्र

"भाग एक – विधायिका में प्रतिनिधित्व

(क) दलित वर्ग को प्रांतीय विधायिकाओं में निम्नलिखित संख्या में सीटें मिलेंगी :–

		अधिनिर्णय के अनुसार
मद्रास	215 में से 30	18
बंबई	200 में से 16	10
बंगाल	250 में से 50	10
पंजाब	175 में से 10	9
उत्तर प्रदेश	228 में से 40	12
बिहार और उड़ीसा	175 में से 20	7
सी.पी. और बेरार	112 में से 20	10
असम	108 में से 11	4

(ख) इन सीटों पर चुनाव की पद्धति संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली और आरक्षित सीट प्रणाली होगी, बशर्ते कि मद्रास में 18 एकल निर्वाचन–क्षेत्रों में, बंबई केंद्रीय प्रांतों तथा बंगाल में 10 एकल निर्वाचन–क्षेत्रों में, असम में 4 एकल निर्वाचन–क्षेत्रों में, बिहार एवं उड़ीसा में 7 एकल निर्वाचन–क्षेत्रों में, पंजाब में 5 एकल निर्वाचन–क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में 12 एकल निर्वाचन–क्षेत्रों में पहले दस वर्षों के लिए आम चुनाव से पहले दलित वर्गों के मतदाताओं के लिए एक प्राथमिक चुनाव होगा जिसके माध्यम से वे व्यक्तियों का चुनाव करेंगे ताकि एक नामावली तैयार की जा सके जो बाद में संयुक्त निर्वाचकमंडल योजना में दलित वर्गों की ओर से चुनाव लड़ेंगे।

दस वर्ष बाद

(ग) पहले 10 वर्षों के बाद, प्राथमिक चुनाव की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और बिना किसी अपवाद के सभी सीटें संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली तथा आरक्षित सीट प्रणाली के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पूर्ववत भरी जाएंगी।

---

1. जनता, दिनांक 1 अक्तूबर, 1932 ।

(घ) संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली तथा आरक्षित सीट प्रणाली के माध्यम से दलित वर्गों का विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार उनके लिए अगले 15 वर्ष तक जारी रहेगा। इस अवधि के बाद, दलित वर्गों के मतदाताओं के जनमत संग्रह के आधार पर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

(ड.) केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में दलित वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार की पहचान जनसंख्या अनुपात के अनुसार उन्हीं शर्तों तथा उसी पद्धति के मुताबिक की जाएगी जैसाकि प्रांतीय विधायिकाओं के मामले में किया गया है।

(च) कम से कम दलित वर्गों के लिए तो प्रौढ़ मताधिकार होगा। दलित वर्गों के लिए प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिकाओं के लिए मताधिकार एक–समान होगा।

भाग दो : स्थानीय बोर्ड

1. दलित वर्गों को विद्यमान तथा भविष्य में जनसंख्या के आधार पर गठित किए जाने वाले सभी प्रांतों में सभी नगर–निगमों, स्थानीय बोर्डों, जिला और तालुक, ग्राम यूनियनों, पंचायतों के स्कूल बोर्डों और किसी भी स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व की अनुमति होगी।

2. सभी केंद्रीय तथा स्थानीय लोक–सेवाओं में दलित वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में न्यूनतम नियुक्ति की गारंटी होगी लेकिन अर्हताएं इसके लिए निर्धारित अनुसार ही रहेंगी। शैक्षिक को छोड़कर, इन मामलों के विद्यमान सांविधिक नियमों में ढील देकर कोटे तक पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी।

3. कनाडा के संविधान की धारा 93 के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों एवं विधि अनुसार, संविधान में यह प्रावधान होगा जिसके तहत दलित वर्गों को शिक्षा, साफ–सफाई, लोक–सेवाओं में भर्ती, आदि से जुड़े मामलों के संबंध में उनके हितों की अनदेखी होने की स्थिति में गवर्नर और वायसराय को अपील करने का अधिकार होगा।''[1]

''सर तेज बहादुर सप्रू ने आरक्षित सीटों के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक मतदाताओं की एक सर्वोच्च संस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस पर डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वे अपने साथियों से परामर्श करके अपने प्रस्ताव सहित दो घंटे में लौटते हैं – डॉ. अम्बेडकर रात को लौटे और कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार्य है, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें दी गई सीटों से कहीं अधिक सीटों की मांग की।''

---

[1] जनता, दिनांक 24 सितम्बर, 1932 ।

"नेताओं ने उनका सुझाव मान लिया और जयकर, सप्रू, बिड़ला, राजागोपालाचारी और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मंगलवार को अर्द्धरात्रि की रेलगाड़ी से पूना के लिए रवाना हो गए।

21 सितम्बर की दोपहर में गांधी को चेरावाड़ा जेल के प्रवेश द्वार के बिल्कुल नजदीक आंगन में ले जाया गया और सरदार पटेल एवं गांधी के सचिव प्यारेलाल को उनकी चारपाई के पास बैठने की अनुमति मिल गई। दोपहर में सप्रू ने पूना से डॉ. अम्बेडकर को फोन किया और उनसे तत्काल पूना आने को कहा।"[1]

बुधवार 21 सितम्बर, 1932 को पूना के लिए रवाना होने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को एक साक्षात्कार में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, "मुझे पूना से यह संदेश मिला है कि सम्मेलन द्वारा नियुक्त समिति को गत रात्रि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बारे में श्री गांधी मुझसे और श्री राजा से मिलना चाहते हैं।"

"मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है लेकिन मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मुझे श्री राजा और उनके दल के साथ बातचीत से कोई सरोकार नहीं है, और अगर श्री गाँधी को उनसे बातचीत करनी है तो वे अलग से कर सकते हैं। ऐसा कहने का कारण यह था कि वास्तव में यह विवाद एक ओर मेरे और मेरे दल, तथा दूसरी ओर, श्री गांधी के बीच में है।"

"मैं कांग्रेस तथा हिन्दू महासभा की इस नीति को कड़े शब्दों में अस्वीकार करता हूं कि वे अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए तथा अपने प्रचार द्वारा दलित वर्गों के नेताओं का सृजन करें और फिर उन्हें दलित वर्गों पर थोपने का प्रयास करें। इसमें श्री राजा ने स्वयं के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। मैं आज रात प्रस्थान कर रहा हूँ।"

यरवदा का एक और दौरा

सर तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर रेलगाड़ी से पूना पहुंचे और बुधवार 7.30 बजे जेल में श्री गाँधी से मिले और प्रातः 10 बजे के बाद तक सम्मेलन में उनके साथ ही रहे थे। प्रस्थान करते समय उन्होंने कहा कि वे कल सुबह संभवतः लौट आएंगे।

साक्षात्कार के बाद जारी बयान में कहा गया :–

सर तेज बहादुर सप्रू, श्री जयकर, श्री राजागोपालाचारी, बाबू राजेन्द्र प्रसाद और श्री जी.डी. बिड़ला के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सुबह लंबे समय तक श्री गांधी से

1. कीर, पृष्ठ 2010 ।

बातचीत की और उन्होंने उन्हें कल विचार–विमर्श के दौरान तैयार की गई स्कीम का खुलासा किया। यह बैठक काफी आशावादी रही, लेकिन श्री गांधी ने अपनी अंतिम राय डॉ. अम्बेडकर और डॉ. एम. सी. राजा सहित अपने मित्रों से इस मामले में आगे परामर्ष करने तक आरक्षित रखी थी।

अतः प्रतिनिधिमंडल पूना में एक और दिन रुकेगा। सर टी. बी. सप्रू जिन्होंने इस स्कीम को प्रारंभ किया था, काफी आशावादी थे कि यह श्री गाँधी को स्वीकार्य होगी और इस तरह से समस्या का हल निकल आएगा। प्रतिनिधिमंडल ने यह पाया कि श्री गांधी भले चंगे और काफी प्रसन्नचित्त थे।''[1]

डॉ. अम्बेडकर अर्द्धरात्रि की रेलगाड़ी से रवाना हो गए।* उसी दिन राजा और मालवीय भी बंबई से पूना के लिए रवाना हो गए।

बृहस्पतिवार की सुबह, अर्थात् 22 सितम्बर, 1932 को गाँधी ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और राजगोपालाचारी से बात की और यह कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं है कि कुछ आरक्षित सीटों पर चुनाव प्राथमिक माध्यमिक निर्वाचन प्रणाली से हो और कुछ में केवल संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली से हो। उन्होंने कहा कि प्राथमिक व माध्यमिक निर्वाचनप्रणाली को सभी सीटों पर समान रूप से लागू किया जाए। यह नेशनल होटल में डॉ. अम्बेडकर को बताया गया था। वातावरण फिर गर्मा गया था। कुछ नेताओं ने यह सुझाव दिया कि इस बीच उन्हें ब्रिटिश प्रधान मंत्री को एक केबल मेज कर उनसे यह अनुरोध करना चाहिए कि वे दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचकमंडल की प्रणाली को रद्द कर दें।''[2]

उसी दिन प्रातः 9 बजे सर तेज बहादुर सप्रू और बैरिस्टर जयकर नेशनल होटल में डॉ. अम्बेकर से मिले तथा उन्हें उपर्युक्त तथ्यों से अवगत कराया।''[3]

''लेकिन डा. अम्बेडकर ने उन्हें कड़े शब्दों में और स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे ब्रिटिश प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें प्रदान की गई पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली को खोने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उन्हें इसके बदले में प्रस्तावों की एक ठोस रूपरेखा उपलब्ध कराई जाए तथा यह भी कहा कि वे किसी मरीचिका के पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं हैं। नीरस वातावरण के कारण अशुभ निराशा पसर गई थी। दोपहर को जयकर, सप्रू और मालवीय जेल में गाँधी से मिले। उनके बाद, पी. बालू और राजा

---

1. दि टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 22 सितम्बर, 1932 ।

* डॉ. अम्बेडकर के साथ डा. सोलंकी भी थे – सम्पादकगण।

2. कीर, पृष्ठ 210 ।

3. जनता, 1 अक्तूबर, 1932 ।

भी आ गए जिन्होंने गाँधी से यह वायदा किया कि वे एक ऐसा समझौता करा लेंगे जिससे वे (गांधी) संतुष्ट हो जाएंगे।

देर शाम डॉ. अम्बेडकर और उनके साथ जयकर, बिड़ला, चुन्नीलाल मेहता तथा राजगोपालाचारी जेल में गांधी जी से मिलने गए। यह सबसे गंभीर राजनीतिक संकट था। जब इन लोगों ने कारागार प्रांगण में प्रवेश किया तब गाँधी आम के पेड़ के नीचे की घनी छांव में लोहे की एक सफेद चारपाई पर लेटे हुए थे जिस पर जेल का गद्दा बिछा हुआ था, और सरदार पटेल तथा सरोजिनी नायडू गांधी के पास बैठे थे। चारपाई के नजदीक पानी की बोतलें, सोडाबाइकार्ब और नमक रखा हुआ था।

जब डॉ. अम्बेडकर चारपाई के पास पहुंचे तब वहां प्रतिध्वनि रहित शांति और स्तब्ध व्यग्रता पसरी हुई थी। क्या उलझन भरी यह शांति डॉ. अम्बेडकर को विचलित कर पाएगी? जयकर ने तो पहले ही बता दिया था कि गाँधी को देखते ही डॉ. अम्बेडकर की कट्टरता खंडित हो जाएगी। वातावरण की सम्मोहक उदासी जिसे सांझ का प्रकाश और गहरा रहा था क्या डॉ. अम्बेडकर को बहका सकेगी? डॉ. अम्बेडकर अब गाँधी के आवृत व्यक्तित्व के समक्ष थे जिन्होंने शक्तिशाली लोगों को अपने वशीभूत कर लिया था और अपने चुम्बकीय रहस्यवाद के सैलाब में बहा दिया था। जेल के बाहर भयंकर चक्रवात और अंदर उलझन भरी शांति के बीच डा. अम्बेडकर शांत तथा प्रकृतिस्थ थे। कोई लघु व्यक्ति घटनाओं के इस चक्रवात में जिंदा दफन हो जाता। डॉ. अम्बेडकर को अपने जीवन से अधिक अपने लोगों से प्यार था और वे अपनी खुशी से अधिक उनकी खुशी के बारे में चिंतित रहते थे।

गांधी दुर्बल थे। वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। बातचीत शुरू हुई। सप्रू ने गाँधी को पूरी बात बताई। मालवीय ने हिन्दुओं का दृष्टिकोण बताया। इसके बाद नम्र, धीमें प्रवाह में डॉ. अम्बेडकर ने बोलना शुरू किया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा।''[1]

''महात्माजी, आप हमारे प्रति बहुत अनुचित रहे हैं। लगता है हमेशा मेरा भाग्य ही प्रतिकूल रहा है,'' गाँधी ने उत्तर दिया, ''मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।''

बैठक लंबे समय तक चली और अधिकतर डॉ. अम्बेडकर ही बोलते रहे, जबकि गाँधी दुर्बल नजर आ रहे थे तथा अभी तक बिस्तर पर ही थे। डॉ. अम्बेडकर ने बार–बार आग्रह किया, ''मुझे अपना मुआवजा चाहिए।''गाँधी ने आश्वासन दिया, ''जो कुछ भी आप कह रहे हैं, उसमें से अधिकांश से मैं सहमत हूं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी रुचि मेरे जीवन में है।''

---

1. कीर, पृष्ठ 210–212 ।

डॉ. अम्बेडर ने कहा : ''जी, महात्मा जी , मेरी रुचि है। यदि आप स्वयं को पूरी तरह से दलित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित कर दें तो आप हमारे नायक बन जाएंगे।''

गाँधी : ''ठीक है, यदि आप मेरे जीवन में रूचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि इस जीवन को बचाने के लिए आपको क्या करना है। आपने मुझे जो कुछ भी बताया है, उसके मुताबिक आपकी स्थिति इस प्रकार की है। प्रधान मंत्री के निर्णय के अंतर्गत आपको जो कुछ भी मिल चुका है उसका त्याग करने हेतु सहमत होने के लिए आपको उसका पर्याप्त मूल्य तथा मुआवजा चाहिए। आपका कहना है कि आपके द्वारा प्रस्तावित मतदान की दोहरी प्रणाली अन्य दलों को ऊपर उठने का पर्याप्त अवसर देती है, जबकि नामावली प्रणाली के अंतर्गत भरी जाने वाली सीटों की रूपरेखा ऐसी है कि वह आपके समूह की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करती है। तथापि, मुझे जो परेशान करता है, वह यह है। आप कुछ सीटों के लिए ही नामावली प्रणाली का प्रस्ताव क्यों करते हैं? आप सभी सीटों के लिए यह प्रस्ताव क्यों नहीं करते? यदि नामावली प्रणाली एक तबके के लिए अच्छी है तो यह सभी दलित वर्गों के लिए अच्छी होनी चाहिए। मैं इस प्रश्न को इसी नजरिए से देखता हूं। आप जन्म से अछूत हैं, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो मेरी स्थिति के एक व्यक्ति के लिए एक विस्मयकारी दावा प्रतीत हो सकता है, मैं अंगीकरण द्वारा एक अछूत हूं और मन से आपसे भी कहीं बड़ा ''अछूत'' हूं। एक स्कीम जो वास्तव में अच्छी है उसे एकाध समूह के हितों के प्रति ही नहीं समूचे दलित वर्ग के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसी मानदंड के आधार पर मैं इस स्कीम को देखता हूं। मेरा पहला सुझाव आपको यह है कि यदि नामावली प्रणाली दलित वर्ग के किसी तबके के लिए अच्छी है तो इसे दलित वर्ग की सभी सीटों तक विस्तारित किया जाना चाहिए। मैं आपके इस विचार के साथ खड़ा हो पा रहा हूं कि आपके समुदाय को या तो सैद्धांतिक रूप से या फिर व्यावहारिक रूप से मुझसे अलग कर दिया जाना चाहिए। हमें एक तथा अखंड होना चाहिए। जैसा कि मैंने अन्य मित्रों को बताया है, मुझे कुछ सीटों के लिए एक नामावली का चुनाव करने की आपकी स्कीम को स्वीकार करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा सभी सीटों के लिए करें। मैं मानता हूं कि मैं इस स्कीम को इसके वर्तमान स्वरूप में पसंद नहीं करता। यह आपके समुदाय को विभाजित करेगी और फिर मुझे इसे रोकने के लिए अपना जीवन देना पड़ेगा, जैसा कि मैं अब समूचे हिन्दू समुदाय के विघटन को रोकने के लिए अपना जीवन दे रहा हूं। (एपिक फास्ट पृष्ठ 209—210)।''[1]

---

1. पुनः मुद्रित, खैरमोर, खंड 5, पृष्ठ 45—46 ।

''डॉ. अम्बेडकर ने गाँधी का सुझाव मान लिया। बातचीत समाप्त हो गई और नेतागण नामावली में व्यक्तियों की संख्या, प्रांतीय विधायिकाओं में सीटों की कुल संख्या, प्राथमिक प्रणाली की अवधि, आरक्षित सीटों की अवधि और पदों के वितरण के बारे में समझौता करने में व्यस्त हो गए।''[1] (एपिक फास्ट, पृष्ठ 209–210)।

जब डॉ. अम्बेडकर और डॉ. सोलंकी गाँधी से मिले तब पूना में उपस्थित अधिकांश नेता उनके साथ थे।

शुक्रवार 23 सितम्बर की सुबह हो गई थी। घंटों तक नामावली के लिए अपेक्षित उम्मीदवारों की संख्या को लेकर गर्मागर्म बहस चलती रही। फिर सीटों का मुद्दा था। डॉ. अम्बेडकर ने प्रांतीय विधायिकाओं में 197 सीटें मांगी तथा नेताओं ने इस संख्या को घटाकर 126 कर दिया। बातचीत खिंचती रही। घंटों बीत गए। दस घंटों के विचार–विमर्श के बाद, कुछ बिन्दुओं पर गांधी की राय मांगी गई तथा उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के बिन्दु को सही ठहराया। लेकिन अभी भी प्राथमिक चुनाव की अवधि और आरक्षित सीटों की अवधि के बारे में निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह के प्रश्न पर बातचीत टूटती नजर आ रही थी। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि प्राथमिक चुनाव की प्रणाली दस वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले पन्द्रह वर्ष समाप्त होने पर दलित वर्गों के जनमत संग्रह द्वारा आरक्षित सीटों के प्रश्न को हल किया जाना चाहिए। नेताओं की राय थी कि आरक्षित सीटें और पृथक्करण की बुराई निरंतर चलती रहेगी यदि इसे दूर करने का दायित्व दलित वर्गों का होगा। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पच्चीस वर्षों की समाप्ति पर जनमत संग्रह की मांग पर जोर देने से सवर्ण हिन्दुओं में उमंग की लहर उठ रही थी। डॉ. अम्बेडकर ने उन्हें साफ–साफ शब्दों में कहा कि वे इस बात पर विश्वास करने से इंकार करते हैं कि अगले पच्चीस या कुछ अधिक वर्षों में कोई अछूत नहीं बचेगा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थिति का सामना करने पर सवर्ण हिन्दुओं को अछूतों के प्रति अपने अमानवीय व्यवहार को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।''[2]

''....................डॉ. अम्बेडकर ने गाँधी से इच्छा व्यक्त की कि दस वर्ष बाद के जनमत संग्रह के लिए सहमत हो जाएं। गाँधी का रवैया कुछ बेहतर था और वे बहुत धीरे बोले लेकिन सोच–समझ कर। उन्होंने कहा, ''आपके तर्क का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जनमत संग्रह पांच वर्ष के बाद हो। निश्चय ही, जाति हिन्दुओं को अपना सदाशय सिद्ध करने के लिए पांच वर्ष का समय पर्याप्त है। लेकिन अगर जनमत संग्रह को आगे स्थगित करने पर अडिग रहते हैं तो मुझे यह संदेह होने लगेगा कि

---

1. कीर, पृष्ठ 212 ।
2. कीर, पृष्ठ 212–213 ।

आप सवर्ण हिन्दुओं के सदाशय की जांच नहीं करना चाहते बल्कि एक प्रतिकूल जनमत संग्रह कराने के लिए दलित वर्गों को संगठित करने हेतु समय चाहते हैं।'' उन्होंने परस्पर आस्था, विश्वास और सद्भाव बनाए रखने के लिए पुरजोर अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि बारह वर्ष की आयु से कैसे अपना सब कुछ किसी इंसान को अछूत मानने के विचार मात्र का विरोध करने के लिए दांव पर लगा दिया और तब से कैसे वे इस बुराई के विरुद्ध एक अंतहीन धर्मयुद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने डॉ. अम्बेडकर से कहा कि ''आपको पूरा–पूरा अधिकार है कि सांविधिक उपायों के अंतर्गत शत–प्रतिशत सुरक्षा की मांग करें। लेकिन मैं अपने प्रबल वेग से आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि अपने अधिकार पर जोर न दें। आज मैं सवर्ण हिन्दू भाईयों को कुछ राहत दिलाने के लिए निवेदन करने आया हूं। भगवान का शुक्र है कि उनका अंतःकरण जाग गया है। यदि आप सांविधिक उपायों के अंतर्गत उनसे शत–प्रतिशत सुरक्षा छीनने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो उनमें तीव्र गति से हो रहे हृदय परिमार्जन और स्व–शुद्धिकरण की प्रक्रिया में रुकावट आ जाएगी। अछूतों के प्रति होने वाले किसी अन्याय विशेष को कुछ समय के लिए रोक लिया जाएगा, लेकिन हिन्दूवाद में हमेशा के लिए विकृति आ जाएगी। आखिरकार, छूआछूत गहरे पैंठी विकृति का ही एक लक्षण है। यदि हिन्दूवाद को इससे पूरी तरह से मुक्त नहीं किया गया तो यह विभिन्न रूपों में बार–बार उभरता रहेगा और हमारे समूचे सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचे को विषाक्त करता रहेगा। अतः मैं आपसे अनुनय विनय करता हूं कि हिन्दूवाद को अपने पापयुक्त भूत का स्वेच्छा से प्रायश्चित करने के अंतिम अवसर से वंचित न करें। मुझे सवर्ण हिन्दुओं के बीच काम करने का एक मौका दो। यह उचित ही रहेगा। यदि आप दस या पन्द्रह सालों की बात करोगे तो यह अवसर कभी नहीं आएगा। पांच सालों के भीतर हिन्दुओं को अच्छा चरित्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कभी नहीं। अतः मेरे लिए जनमत संग्रह के लिए पांच वर्ष की सीमा निरपेक्ष रूप से अंतःकरण का मामला है। जनमत संग्रह होना चाहिए, लेकिन पांच वर्ष से अधिक लंबी अवधि के बाद नहीं। अपने मित्रों से कह दो कि मैं इस बात पर अड़ा हुआ हूं। मैं एक घृणित व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन जब मेरे अंदर का सच बोलता है तब मैं अजेय हूं।'' (एपिक फास्ट, पृष्ठ 211–212)''[1]

''बातचीत खत्म हो गई, नेता नामावली में व्यक्तियों की संख्या, प्रांतीय विधायिकाओं में कुल सीटों की संख्या, प्राथमिक प्रणाली की अवधि, आरक्षित सीटों की अवधि और पदों के वितरण के बारे में समझौता करने में व्यस्त हो गए।'' यह बैठक राजा बहादुर शिवलाल मोतीलाल के घर पर हुई थी।''

---

1. पुनः मुद्रित, खैरमोर, खंड 5, पृष्ठ 47–48

''अब शाम के चार बज गए थे। यह समाचार मिला कि गांधी का स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो रहा है और वे तेजी से अपनी क्षमता खोते जा रहे हैं। गांधी के पुत्र देवदास गांधी ने आंखों में आंसू लेकर डॉ. अम्बेडकर के समक्ष अपने पिता की हालत का बयान किया और यह अनुनय–विनय की कि जनमत संग्रह पर बल देते हुए समझौते को टालें नहीं। अंततः इस मामले को गांधी को भेजने का निर्णय लिया गया। अम्बेडकर कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ रात नौ बजे जेल में गाँधी से मिले। गांधी ने जनमत संग्रह के विचार को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया, लेकिन कहा कि यह पांच वर्ष के बाद होना चाहिए। गांधी की आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई थी। जेल के डाक्टर ने हस्तक्षेप किया और आगे बातचीत बंद कर दी। आम के पेड़ के पत्तों ने अब हिलने से इंकार कर दिया था। एक स्तब्ध शांति थी। आगंतुकों को वापिस लौटना था। डॉ. अम्बेडकर अपना मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनकी इच्छाशक्ति पर दबाव था। उन्हें जान से मारने की धमकी से भरे पत्रों की वर्षा हो रही थी।''[1]

इनमें से एक पत्र है :

''डॉ. अम्बेडकर

अगर आप महात्मा गांधी की मांग चार दिन में नहीं मानते हो तो आपकी जान को खतरा है। अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो आपको गांधी जी की मांग मान कर गांधी जी को तत्काल अपना अनशन खत्म करने में मदद करनी चाहिए। यह आपको एक चेतावनी है। अगर आपने अपनी उग्रता का त्याग नहीं किया तो आपको मार डालेंगे।''

ह./–

हरिभाई के. भट्ट

बीपीईईई का एक सदस्य एवं कार्यकर्त्ता''[2]

''गली में उन्हें हिंसक निगाहों से देख रहे थे, और कुछ नेतागण उनके पीछे उन्माद में उनकी निंदा कर रहे थे।''

इसके अलावा, जनता (24.9.1932, पृष्ठ 8) ने पूना के स्पृश्य वर्गों के कुछ युवाओं द्वारा डा. अम्बेडकर को जान से मारने की एक योजना छापी थी, जो इस प्रकार थी :

---

1. कीर, पृष्ठ 213 ।
2. जनता, दिनांक 1 अक्तूबर, 1932 ।

''डॉ. अम्बेडकर का जीवन खतरे में :

पूना के विद्यार्थियों की गुप्त बैठक, जान से मारने की धमकी''

पूना, दिनांक 23.9.1932, रात 8 बजे

(जनता के विशेष रिपोर्टर द्वारा)

''दो दिन बीत गए। बातचीत लगातार जारी है। डॉ. अम्बेडकर पर दबाव डालने के लिए विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं। पता चला कि गोगेट सम्प्रदाय का अनुसरण करने वाले विद्यार्थी, जिन्होंने गवर्नर पर गोली चलाई थी, गुप्त योजना बना रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यदि डॉ. अम्बेडकर को इस घटनाचक्र से हटा दिया जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और गांधी का जीवन बच जाएगा। जब डॉ. अम्बेडकर को इस बारे में बताया गया तो वे हंसने लगे। संभवतः भय रहित उनकी यह हंसी इस बात की द्योतक थी कि वे मौत से डरने वाले नहीं हैं। तथापि, स्थानीय अछूत समुदाय डॉ. अम्बेडकर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और वे सतर्क हैं। यदि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को खरोंच भी आती है तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। हजारों अछूत युवा उनके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। सभी चिंतित हैं कि गांधी जी की शपथ का इतना हिंसक अंत नहीं होना चाहिए।''[1]

''जो नेतागण रात 9.30 बजे महात्मा जी से मिलने गए थे कुछ समय बाद लौट आए, वे थके हुए लग रहे थे लेकिन प्रसन्नचित थे। डॉ. अम्बेडकर को यह कहते हुए सुना गया ''गाँधी जी मेरी ओर हैं।''

''नेतागण शनिवार सुबह 8 बजे सम्मेलन में फिर से मिलेंगे और उसके कुछ देर बाद गांधी जी से मिलेंगे। वर्तमान राय यही है कि पूर्ण समझौता होने वाला है और यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती है तो शनिवार दोपहर को एक निश्चित समझौते का एक सुखद समाचार तत्क्षण प्रसारित होगा।

प्रमुख महत्व के मुद्दों पर जो विवाद था उसे लगभग समाप्त कर दिया गया है और दूरस्थ भावी तारीख पर दलित वर्गों का जनमत संग्रह करने के प्रश्न पर बस केवल सैद्धांतिक विवाद ही शेष रह गया है। ऐसा समझा जाता है कि नेतागण 10 वर्ष के बाद जनमत संग्रह कराने के लिए संभवतः सहमत हो जाएं।

1. प्रत्येक सीट पर चुनाव हेतु 4 व्यक्तियों की एक नामावली।
2. एक एकल मत।

---

1. जनता, दिनांक 24 सितम्बर, 1932 ।

3. सभी प्रांतीय परिषदों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या 150 से 155 के बीच होगी, जबकि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में 71 सीटों की अनुमति दी गई है।

इस सम्मेलन का आयोजन पंडित मालवीय के घर पर किया गया था। सम्मेलन सुबह जल्दी प्रारंभ हो गया था और तेरह से भी अधिक घंटों तक, बिना किसी रुकावट के लगातार चलने के बाद रात 9.30 बजे समाप्त हुआ। इसके बाद, पंडित मालवीय, सी. राजागोपालाचारी, श्री जयकर, डॉ. सप्रू, डॉ. अम्बेडकर और अन्य ने जल्दी से यरवदा जेल के लिए प्रस्थान किया।

सम्मेलन के दौरान, मालवीय जी के घर पर उत्सुक भीड़ का जमावड़ा रहा। रात 9.30 बजे जब नेतागण उठे, तो उस रात समझौते की कोई आशा नहीं थी।

नेतागण समय से लड़ रहे हैं, आज मध्याह्न भोज और रात्रि भोज के साथ–साथ विचार–विमर्श भी जारी था।

जहां पहले वे गंभीर तथा तन्मय नजर आ रहे थे, शाम को दीवारों के पीछे से ठहाकों की आवाजें आ रही थीं।

सवर्ण हिन्दू और दलित वर्गों के नेताओं का सम्मेलन आज सुबह 9 बजे मालवीय के घर पर बंद कमरे में आरंभ हुआ। ऐसा समझा जाता है कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और चुनाव के लिए नामावली तथा संयुक्त प्रांतों के अलावा, प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रश्नों के बारे में एक समझौते पर पहुंच गए हैं, जबकि इस बारे में अभी अंतिम रूप से कुछ कहा नहीं गया है।

नामावली के बारे में डॉ. अम्बेडकर की दो की मांग और गाँधी जी के पांच के सुझाव की तुलना में चार व्यक्तियों की नामावली तय की गई है।

देर शाम संवाददाताओं की उत्सुक आशंकाओं के जबाव में डॉ. सप्रू ने कहा कि "अभी तक बातचीत संतोषजनक रही है और हम इसके लिए रात को भी बैठने को तैयार हैं।"

सम्मेलन के बाद डॉ. अम्बेडकर ने कहा–

"स्थिति आशावादी है। संगीन किस्म के विवाद कुछ ही हैं, और समझौते के आसार हैं। अनशन की वजह से गांधी जी कमजोरी महसूस कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पंद्रह मिनट से भी अधिक समय तक हमसे बातचीत की।"[1]

---

1. द फ्री प्रेस जरनल, दिनांक 24 सितम्बर, 1932 ।

"शनिवार की सुबह विचार–विमर्श फिर से प्रारंभ हुआ। प्रांतीय विधायिकाओं में दलित वर्गों को 148 सीटें प्रदान करके सीटों की कुल संख्या के प्रश्न को सुलझा लिया गया, और यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्रीय विधायिका में ब्रिटिश इंडिया के हिन्दुओं की सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें दलित वर्गों को दी जानी चाहिए। इसके बाद, घंटों तक जनमत संग्रह के प्रश्न पर विचार–विमर्श चलता रहा, जिसने पहले की भांति हल के मार्ग में बाधा खड़ी कर दी थी। चूंकि किसी को भी डॉ. अम्बेडकर की मांग से सहमत होने की उम्मीद नहीं थी, उन्होंने यह उचित समझा कि गाँधी से एक बार फिर से मिल लिया जाए। अतः डॉ. सोलंकी और राजगोपालाचारी को अपने साथ लेकर वे गांधी के पास गए। गाँधी ने अम्बेडकर को बताया कि उनका तर्क अकाट्य है, लेकिन उन्होंने कहा कि मात्र सांविधिक गारंटी से यह बीमारी समाप्त नहीं होगी। अतः उन्होंने डॉ. अम्बेडकर से अनुनय किया कि हिन्दूवाद को अपने पापयुक्त भूत का स्वैच्छिक प्रायश्चित करने के लिए एक अंतिम अवसर दें और यह भी कहा कि जनमत संग्रह होना चाहिए, लेकिन पांच वर्ष से अधिक लंबी अवधि के उपरांत नहीं। गांधी ने अंतिम निर्णय के अंदाज में कहा "पांच साल या मेरे प्राण।"

चर्चा स्थल पर लौटते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वे जनमत संग्रह की अवधि को लेकर पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा दस वर्ष से कम नहीं। तकरीबन एक घंटे के बाद उन्होंने जनमत संग्रह की शर्त को संलग्न किए बिना ही समझौता करने का निर्णय लिया। दोपहर बाद तीन बजे राजगोपालाचारी ने यह सब गाँधी को जेल में स्पष्ट कर दिया। गांधी ने कहा ये बहुत बढ़िया है, और अपनी सहमति दे दी। राजागोपालाचारी जल्दी से शिवलाल मोतीलाल के 1, रामकृष्ण भंडारकर रोड स्थित बंगले पर लौट आए और खुशी के माहौल में यह घोषणा की कि गांधी ने समझौते को आशीर्वाद दे दिया है। उन्हें समझौते का मसौदा तैयार करने में कोई समय नहीं लगा। प्रसन्नता, ताजगी तथा गपशप के माहौल में, शनिवार, 24 सितम्बर की शाम को पांच बजे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और इतिहास में इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाएगा। दलित वर्गों की ओर से डॉ. अम्बेडकर ने इस पर हस्ताक्षर किए और सवर्ण हिन्दुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए।"[1]

पूना समझौते का पाठ

समझौते का पाठ इस प्रकार है :–

(1) प्रांतीय विधायिकाओं की साधारण निर्वाचकमंडल सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें निम्नानुसार होंगी :

---

1. कीर, पृष्ठ 213–214 ।

मद्रास 30; सिंध सहित बंबई 15; पंजाब 8; बिहार तथा उड़ीसा 18; केंद्रीय प्रांत 20; असम 7; बंगाल 30; संयुक्त प्रांत 20; जोड़ 148 ।

ये आंकड़े प्रधान मंत्री के निर्णय में घोषित प्रांतीय परिषदों की कुल क्षमता पर आधारित हैं।

(2) तथापि निम्नलिखित प्रक्रिया पर निर्भर रहते हुए, इन सीटों पर चुनाव संयुक्त निर्वाचनमंडल प्रणाली द्वारा किया जाएगा :

साधारण निर्वाचन नामावली में शामिल दलित वर्ग के सभी सदस्य एक निर्वाचक –मंडल बनाएंगे जो एकल मत प्रक्रिया द्वारा इन आरक्षित सीटों में से प्रत्येक के लिए दलित वर्गों के चार उम्मीदवारों की एक नामावली का चुनाव करेंगे, इस प्राथमिक चुनाव में सबसे अधिक संख्या में मत पाने वाले चार व्यक्ति आम चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार होंगे।

(3) केंद्रीय विधायिका में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व इसी प्रकार से संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर होगा और प्रांतीय विधायिकाओं के संबंध में आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व ऊपर खंड 2 में बताए गए तरीके से प्राथमिक चुनाव प्रक्रिया के आधार पर होगा।

(4) केंद्रीय विधायिका में, ब्रिटिश इंडिया के साधारण मतदाताओं को आबंटित सीटों की 18 प्रतिशत सीटें उक्त विधायिका में दलित वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

(5) जैसाकि इससे पूर्व बताया जा चुका है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में उम्मीदवारों की नामावली हेतु प्राथमिक चुनाव प्रणाली पहले दस वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो जाएगी, बशर्ते कि नीचे खंड 6 में दिए गए उपबंध के अंतर्गत परस्पर सहमति द्वारा इससे पहले समाप्त न हो जाए।

(6) जैसाकि खंड 1 और 4 में व्यवस्था की गई है, प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिकाओं में आरक्षित सीटों के माध्यम से दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली तब तक जारी रहेगी जब तक कि समझौते से जुड़े समुदाय परस्पर समझौते द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं करते।

(7) केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में दलित वर्गों के लिए मताधिकार लोथियान समिति की रिपोर्ट में वर्णित स्थिति के अनुसार होगा।

(8) स्थानीय निकायों किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के बारे में दलित वर्गों का सदस्य होने के नाते किसी को भी अयोग्य नहीं माना जाएगा। इन मामलों में दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया

जाएगा। लेकिन ऐसा करते समय लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखना होगा।

(9) प्रत्येक प्रांत में दलित वर्गों के सदस्यों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा अनुदान में से पर्याप्त राशि निर्धारित की जाएगी।''[1]

''समझौते पर हस्ताक्षर से पहले, मद्रास के अछूतों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि वे राव बहादुर राजा और उनके अनुयायियों को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं देंगे और यदि उन्हें अनुमति दी जाती है तो डॉ. अम्बेडकर और उनके अनुयायी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तदनुसार, डॉ. अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद, डॉ. अम्बेडकर से अनुरोध किया कि वे श्री राजा और उनके अनुयायियों से इस समझौते पर हस्ताक्षर कराने का प्रबंध करें। लंबे–चौड़े विचार–विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि उन्हें अपनी वैयक्तिक क्षमताओं में समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होगी।

तदनुसार, उन्होंने हस्ताक्षर किए। लेकिन यह एक बहुत आश्चर्य की बात है कि श्री राजा को दस्तावेज के अंत में हस्ताक्षर करने थे, पर उन्होंने जयकर और सप्रू के हस्ताक्षरों के बीच में अपने हस्ताक्षर कर दिए।''[2]

''पूना समझौता, 24.9.1932 के हस्ताक्षरकर्ता (एपिक फास्ट पृष्ठ 153–154)

1. मदन मोहन मालवीय
2. तेज बहादुर सप्रू
3. एम. आर. जयकर
4. बी. आर. अम्बेडकर
5. श्रीनिवासन
6. एम. सी. राजा
7. सी. वी. मेहता
8. सी. राजागोपालाचारी
9. राजेन्द्र प्रसाद
10. जी. डी बिड़ला
11. रामेश्वर दास बिड़ला
12. बी. एस. कामत
13. जी. के. देवधर
14. ए. वी. ठक्कर
15. आर. आर. बाखले
16. पी. जी. सोलंकी
17. पी. बालू
21. पी. एन. राजभोज

1. लेख और भाषण, खंड 9, पृष्ठ 88–89 ।
2. जनता, दिनांक 1 अक्तूबर, 1932 ।

18. गोविंद मालवीय
19. देवदास गाँधी
20. बिश्वास
22. गवई जी. ए.
23. शंकरलाल बैंकर

हस्ताक्षर करते समय राजागोपालाचारी इतने अधिक आत्मविभोर थे कि उन्होंने अपना फाउंटेनपेन डॉ. अम्बेडकर से बदल लिया।

25 सितम्बर को बंबई में हिन्दू सम्मेलन की अंतिम बैठक के दौरान निम्नलिखित हस्ताक्षर भी जोड़े गए :

1. लल्लूभाई सामलदास
2. हंसा मेहता
3. के. नटराजन
4. कामकोटि नटराजन
5. पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास
6. मथुरादास वासनजी
7. बालचंद हीराचंद
8. एच. एन. कुंजरू
9. श्री के.जी. लिमये
10. पी. कोडंडराव
11. एन. वी. गाडगिल
12. मनू सूबेदार
13. अवन्तिकावाई गोखले
14. के. जे. चितालिया
15. राधाकांत मालवीय
16. ए. आर. भट्ट
17. कोलम
18. प्रधान''[1]

इसके तुरंत बाद, समझौते की विषय–वस्तु ब्रिटिश मंत्रिमंडल को, केबल वायसराय को तार द्वारा भेजी गई तथा प्रत्येक पक्षकार द्वारा अलग–अलग बंबई के गवर्नर के सचिव को सौंपी गई। अगली सुबह नेतागण समझौते की पुष्टि करने के लिए बंबई लौट आए। इंडियन मर्चेट्स चैम्बर के हाल में दोपहर 2 बजे नेताओं ने एक बैठक की।''[2]

पूना समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाई गई बैठक के बारे में समाचार देते हुए, ''दि बंबई क्रानिकल'' ने लिखा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की। अपने भाषण में उन्होंने उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने पूना समझौते को मूर्त रूप देने में मदद की। उन्होंने विशेष रूप से डॉ. अम्बेडकर का धन्यवाद किया जिनकी मदद के बगैर पूना समझौता हो पाना कठिन था। इस बात का पूरा दायित्व

---

1. पुनः मुद्रित, खैरमोरे, खंड 5, पृष्ठ 56–57 ।
2. कीर, पृष्ठ 214 ।

हिन्दुओं के कंधों पर है कि वे इसे अमल में लाएं।

सर तेज बहादुर सप्रू, राजगोपालाचारी भी इस अवसर पर बोले। श्री मथुरा दास, विसनजी खिमजी ने संकल्प प्रस्तुत किया। श्री मथुरा दास, बिसनजी खिमजी ने पूना समझौते की पुष्टि करने के संकल्प को प्रस्तुत किया।''[1]

इस बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया :

''यह सम्मेलन 24 सितम्बर, 1932 को सवर्ण हिन्दुओं और दलित वर्गों के नेताओं के बीच हुए पूना समझौते की पुष्टि करता है और यह विश्वास व्यक्त करता है कि ब्रिटिश सरकार हिन्दू समुदाय के लिए अलग निर्वाचकमंडल की प्रणाली का सृजन करने के अपने निर्णय को वापिस ले लेगी तथा इस समझौते को पूर्णरूपेण स्वीकार करेगी। सम्मेलन यह आग्रह करता है कि सरकार तत्काल कार्रवाई करे ताकि महात्मा गांधी अपनी शपथ की शर्तों के अनुसार और बहुत देर होने से पहले अपना अनशन समाप्त कर दें। यह सम्मेलन संबंधित समुदायों के नेताओं से यह अनुरोध करता है कि वे इस समझौते तथा इस संकल्प के आशय को समझें और उसे पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें।''

''यह सम्मेलन संकल्प करता है कि अब से हिन्दुओं में जन्म के कारण कोई भी अछूत नहीं समझा जाएगा, और यह कि जिन्हें अब तक अछूत समझा जाता रहा है उन्हें सार्वजनिक कुंओं, सार्वजनिक स्कूलों, सार्वजनिक सड़कों और अन्य सभी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयोग के बारे में अन्य हिन्दुओं की भांति ही अधिकार प्राप्त होंगे। यदि इसे उस समय से पहले ऐसी पहचान प्राप्त नहीं होती है तो पहले अवसर में ही इस अधिकार को सांविधिक मान्यता प्राप्त होगी और यह स्वराज संसद के सबसे पहले अधिनियमों में से एक होगा।''

''यह भी सहमति हुई कि सभी हिन्दू नेताओं का यह कर्त्तव्य होगा कि प्रत्येक न्यायसंगत या शांतिपूर्ण प्रयास तथाकथित अछूत वर्गों पर प्रथा द्वारा अब तक सभी सामाजिक निर्योग्यताओं, जिनमें मंदिरों में प्रवेश पर रोक शामिल है, को शीघ्र दूर किया जाए।''[2]

डॉ. सप्रू ने कहा कि ''डॉ. अम्बेडकर जिस उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए लड़े तथा बहादुरी से लड़े और उन्होंने देश के भविष्य के लिए एक अच्छे योद्धा की भूमिका का निर्वाह करने का वचन दिया है।''

---

1. दि बंबई क्रानिकल, दिनांक 26 सितम्बर, 1932।
2. लेख तथा भाषण, खंड 9, पृष्ठ 103 ।

पूना समझौते की पुष्टि करने वाले संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए जब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर खड़े हुए तब करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने घोषणा की कि :

''मैं मानता हूं कि मेरे लिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब से कुछ दिन पहले कोई भी व्यक्ति मुझ से अधिक असमंजस की स्थिति में नहीं रहा होगा। मैं एक कठिन परिस्थिति में से गुजर रहा था जहां मुझे दो कठिन अनुकल्पों में से एक को चुनना था।''

''भारत के सबसे महान व्यक्ति के जीवन को बचाना था। मेरे समक्ष एक समुदाय के हितों के प्रति न्याय करने तथा उनकी रक्षा की समस्या भी थी जिसके लिए मैं अपने दृष्टिकोण के अनुसार गोल मेज सम्मेलन में अपने विनम्र तरीके से प्रयासरत था। मुझे यह कह पाने में खुशी हो रही है कि यह हम सभी के सहयोग से संभव हो सका है और हम महात्मा का जीवन बचाने के लिए एक समाधान की तलाश कर सके हैं तथा भविष्य में ''दलित वर्गों के हितों के यथाआवश्यक संरक्षण के लिए सामंजस्य भी स्थापित कर सके हैं। मेरे विचार से इन सभी बातचीतों के अधिकांश भाग का श्रेय महात्मा गाँधी को जाना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि उनसे मिलने पर मैं अत्यधिक चकित रह गया था कि मेरे और उनके बीच कितना कुछ समान है।'' (करतल ध्वनि)।

''वास्तव में, जब कभी कोई विवाद उनके पास ले जाए गए तो सर तेज बहादुर सप्रू ने आपसे कहा कि उसके पास लाए गए विवाद महत्वपूर्ण किस्म के हैं। मैं हैरान था कि मुझसे लेकर गोल मेज सम्मेलन तक इतने नानाविध विचारों वाला व्यक्ति तुरंत मेरे बचाव के लिए आगे आया न कि दूसरे पक्ष के बचाव में। मैं महात्मा के प्रति बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कठिन स्थिति में से बाहर निकाला।''

''मुझे सिर्फ इस बात का खेद है कि महात्मा ने यह दृष्टिकोण गोल मेज सम्मेलन में क्यों नहीं अपनाया? यदि उन्होंने मेरे दृष्टिकोण के प्रति तब इतना महत्व दर्शाया होता तो उन्हें इतनी कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन ये सब बीते समय की बातें हैं, मुझे खुशी है कि अब मैं यहां इस संकल्प का समर्थन कर रहा हूँ।''

''समाचार–पत्रों में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इस समझौते के संपूर्ण ''दलित'' वर्ग समुदाय का समर्थन मिलेगा, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जहां तक मेरा संबंध है और जहां तक उस दल का संबंध है जिसका मुझे समर्थन मिलता है मुझे विश्वास है कि मैं यहां उपस्थित अन्य मित्रों की ओर से भी बोल रहा हूँ कि हम सभी इस समझौते के साथ हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।''

''हमारी चिंता यह है कि क्या हिन्दू समुदाय इसका पालन करेगा।'' (आवाजें : हां, हम करेंगे) ''हम यह महसूस करते है कि दुर्भाग्यवश हिन्दू समुदाय अपने आप में समग्र नहीं है, यदि मैं कहूं तो यह छोटे–छोटे समुदायों का एक महासंघ है। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि हिन्दू अपनी ओर से इस दस्तावेज को अति पवित्र समझेंगे तथा सम्मानजनक भाव से काम करेंगे।''

''मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं बातचीत में भाग लेने वाले सभी मित्रों का बहुत आभारी हूँ, लेकिन सर तेज बहादुर सप्रू और श्री सी. राजागोपालाचारी का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। सर तेज बहादुर के बिना कई बिन्दुओं को संभाल पाना संभवतः कठिन होता। मैं यह मानता हूँ कि गोल मेज सम्मेलन के गत दो वर्षों के दौरान उनके साथ मेरे अनुभव का परिणाम यह रहा है कि यदि भारत में साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर कोई व्यक्ति है तो वह सर तेज बहादुर है। उनकी निष्पक्षता और न्याय उन सभी अल्पसंख्यकों के लिए राहत का विषय रहा है जो नए संविधान में कुछ रक्षोपायों के लिए लालायित रहते हैं।''

''मैं अपने मित्र राजगोपालाचारी का उल्लेख करना चाहूंगा। जब कभी हम टूटने के कगार पर होते थे, वे हमारे बचाव में आगे आए और उनकी पटुता के बिना संभवतः यह समझौता अस्तित्व में ही नही आता। इन बातचीतों के दौरान उत्तेजित शब्दों के आदान–प्रदान तथा उग्र बहस के समय पंडित मालवीय ने जिस शिष्टाचार और सहिष्णुता का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।''

''साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में जो परितर्वन किया गया है वह इस दृष्टिकोण पर जोर देने के फलस्वरूप ही संभव हुआ है कि अलग निर्वाचकमंडल प्रणाली राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है। मैं मानता हूं कि मैं इस दलील से सहमत नहीं हूं। मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि बहुमत को प्रतिनिधित्व करने के लिए पृथक निर्वाचकमंडल प्रणाली हानिकारक है, लेकिन मैं फिर भी आश्वस्त नहीं हूँ कि अल्प संख्या। प्रतिनिधित्व के लिए, अलग निर्वाचकमंडल एक बुराई है।''

''मैं नहीं मानता कि हिन्दू समुदाय में दलित वर्गों'' का विलय करने की समस्या के लिए संयुक्त निर्वाचकमंडल प्रणाली अंतिम हल होने जा रही है।''

''मेरा मानना है कि कोई भी निर्वाचन व्यवस्था किसी बड़ी सामाजिक समस्या का हल नहीं हो सकती। इसके लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था से भी अधिक की आवश्कता होती है और मैं आशा करता हूँ कि हम आज जो राजनीतिक व्यवस्था कर रहे हैं उससे भी अधिक कर पाना आपके लिए संभव होगा। आप ऐसे तौर–तरीके

तैयार कर सकेंगे जिनकी मदद से दलित वर्गों के लिए न केवल हिन्दू समुदाय का अभिन्न अंग बन पाना संभव होगा बल्कि वे एक सम्मानित स्थान अर्थात् समुदाय में बराबरी का दर्जा भी पा सकेंगे।'''

''अभी तक ''दलित वर्गों'' को एक अज्ञानियों के ढेर के रूप में देखा जाता था जिनमें आत्मसम्मान की कोई भावना नहीं थी, हिन्दू कानून में जो सामाजिक दर्जा उन्हें दिया जाता था उसे स्वीकार करना उनके लिए संभव था, लेकिन जैसे–जैसे वे शिक्षित होंगे वे इन सामाजिक कानूनों के अंतर्गत सुव्यवस्थित होने लगेंगे और उनका हिन्दू समाज से अलग हो जाने का बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे ध्यान में रखें और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।''

राय बहादुर एम.सी. राजा ने भी संकल्प का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सवर्ण हिन्दू के हृदय परिवर्तन को साफ–साफ देखा है और इसीलिए वे इस समझौते का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें इस बारे में कदापि कोई संदेह नहीं है कि इस समझौते को देश के ''दलित वर्गों'' के लोगों का खूब समर्थन मिलेगा।

श्री सी. राजगोपालाचारी ने अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

पंडित मालवीय ने घोषणा की कि मालाबार के गुरूवयूर मंदिर में ''दलित वर्गों'' को प्रवेश दिलाने के अधिकार को लेकर केलप्पन ने अनशन की जो घोषणा की है उसके बारे में मैं महात्मा गांधी से बात करूंगा।

रविवार को आयोजित हिन्दू नेताओं के सम्मेलन में उपस्थित लोगों में शामिल थे। सर तेज बहादुर सप्रू, सर लल्लूभाई समालदास, सर पुरुषोतमदास ठाकुरदास, सर चुन्नीलाल मेहता, सर गोविंद मडगावकर, श्री एम. आर. जयकर, पंडित हृदयनाथ कुंजुरू, श्री जी. के. देवधर, श्री बी.एन. करांजिया श्री के. नटराजन, राय बहादुर एम. सी. राजा, डॉ. अम्बेडकर, श्री पी. बालू, श्रीमती डी. जी. दलवी, कुमारी नटराजन, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती अवन्तिकाबाई गोखले, श्री बी. एस. कामत, श्री मनू सूबेदार, श्री जी. डी. बिड़ला, श्री डी. पी. खैतान, श्री बी. एफ. भरूचा, डॉ. सोलंकी, डॉ. चौतराम गिडवानी, लेडी चिमनलाल सीतलवाड़, श्री वालचंद हीराचंद, श्री बी. जे. देवरूखकर, श्री सी. राजगोपालाचारी, श्री देवदास गांधी, श्री टी. प्रकाशम और बाबू राजेन्द्र प्रसाद।''[1]

26 सितम्बर, 1932 को महामहिम सम्राटकी सरकार ने घोषणा की कि वह पूना

---

1. दि बंबई क्रानिकल, दिनांक 26 सितम्बर, 1932।

समझौते पर अनुमोदन प्रदान करने के लिए संसद से सिफारिश करेगी।

सोमवार 26 सितम्बर, 1932 को माननीय श्री एच. जी. हैग, गृह मंत्री ने केंद्रीय विधायिका में अपना व्यक्तव्य दिया :

साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के बारे में वक्तव्य। ''माननीय महोदय, सी. पी. रामास्वामी (सदन के नेता), महोदय, क्या आप मुझे यह अनुरोध करने की अनुमति प्रदान करेंगे कि प्रश्नकाल की सामान्य प्रथा से हटकर कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरे माननीय साथी गृह मंत्री को एक अति महत्वपूर्ण वक्तव्य देना है, और मुझे विश्वास है कि जब आप इस वक्तव्य को सुनेंगे तो यह मानेंगे कि सदन की प्रथा को तोड़ना उचित ही था। क्या आप हमें ऐसा करने की अनुमति देंगे?''

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय सर इब्राहिम रहीमतुल्ला) :

''क्या वक्तव्य है?''

माननीय महोदय सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर : ''माननीय गृह मंत्री साम्प्रदायिक अधिनिर्णय और दलित वर्गों के बारे में साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के संबंध में महामहिम सम्राट की सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं।''

अध्यक्ष महोदय (माननीय महोदय इब्राहिम रहीमतुल्ला) : ''एक विशेष मामले के रूप में, अध्यक्ष इस समय वक्तव्य देने की अनुमति देंगे।''

माननीय श्री एच. जी. हैग (गृह मंत्री) : महोदय, आपकी अनुमति के अनुसरण में, मैं इस सदन के समक्ष आज प्रातः महामहिम सम्राट की सरकार द्वारा जारी वक्तव्य को पढ़ना चाहूंगा जो शनिवार दोपहर बाद पूना में हुए समझौते के बारे में है। महामहिम सम्राट की सरकार के लिए यह अत्यंत संतोष का विषय है कि दलित वर्गों के नेताओं और शेष हिन्दू समुदाय के बीच एक समझौता हुआ है जो नई विधायिकाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व तथा उनके कल्याण से जुड़े अन्य मामलों के बारे में है। गत 4 अगस्त के सरकार के साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में निहित विशेष दलित वर्ग निर्वाचन–क्षेत्रों के साथ–साथ साधारण निर्वाचन–क्षेत्रों की प्रणाली के स्थान पर, समझौते में साधारण निर्वाचन–क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है जिनमें से दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हैं जो आरक्षित सीटों को भरने की महत्वपूर्ण शर्तों पर निर्भर करेगा। सरकार ने अपने अधिनिर्णय में, जो समुदायों के बीच समझौते से पहले दिया गया था, दलित वर्गों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की थी ताकि नई विधायिकाओं द्व ारा इन वर्गों के हितों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। दलित वर्गों और अन्य हिन्दुओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर काम किया है तथा उनका यह मानना है कि अब उन्होंने

महामहिम सम्राट को जो स्कीम भिजवाई है वह इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त है, सरकार अपने अधिनिर्णय के पैरा 4 में दिए गए उपबंध के स्थान पर प्रांतीय विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में समझौते के खंडों को अपनाने के लिए अनुरोध करेगी।'' (करतल ध्वनि)।

''यह समझा जा सकता है कि प्रत्येक प्रांत में समझौते के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों सहित साधारण सीटों की कुल संख्या वही रहेगी जो साधारण सीटों और महामहिम सम्राट की सरकार के निर्णय के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए विशेष सीटों को जोड़ कर बैठती हैं।''

''महामहिम सम्राट की सरकार ने देखा है कि इस समझौते में कुछ ऐसे प्रश्न भी शामिल हैं जो 4 अगस्त के उनके अधिनिर्णय के दायरे से बाहर हैं। खंड 8 और 9 सामान्य बिन्दुओं के बारे में हैं जिनका कार्यान्वयन संभवतः प्रमुख रूप से संविधान के वास्तविक प्रचालन पर निर्भर करेगा। लेकिन महामहिम सम्राट की सरकार इन खंडों को हिन्दुओं के दलित वर्गों के प्रति सवर्ण इरादों को एक निश्चित शपथ के रूप में देखती है।''

''सरकार के अधिनिर्णय के दायरे के बाहर के दो अन्य बिन्दु हैं :

(1) समझौते में अनुध्यात है कि दलित वर्गों का मताधिकार वही होगा जिसकी सिफारिश मताधिकार (लार्ड लोथियान) समिति करेगी। स्पष्ट है कि दलित वर्गों के लिए मताधिकार के स्तर (और वास्तव में सामान्यतः हिन्दुओं के लिए) का निर्धारण तभी किया जाना चाहिए जब अन्य समुदायों के लिए किया जा रहा हो, तथा यह पूरा विषय महामहिम सम्राट की सरकार के विचाराधीन हो। (2) समझौते में केंद्रीय विधायिका के लिए दलित वर्गों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने हेतु एक विशेष पद्धति भी शामिल है। यह भी अधिनिर्णय से बाहर का विषय है और जिसकी केंद्र की विधायिका के लिए चुनाव हेतु समग्रता के एक भाग रूप। जांच–पड़ताल की जा रही है तथा टुकड़ों में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इन दो बिन्दुओं के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि महामहिम सम्राट की सरकार समझौते में जो कुछ भी कहा गया है उससे सहमत नहीं है, बल्कि यह कि ये दोनों बिन्दु अभी विचाराधीन हैं। इस गलतफहमी से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि दलित वर्गों और अन्य हिन्दुओं के बीच समझौता करने के लिए सरकार। ब्रिटिश इंडिया सामान्य सीटों की प्रतिशतता के लिए 18 प्रतिशत को ठीक मानती है।'' (करतल ध्वनि)[1]

---

1. गोल मेज कांफ्रेंस और पूना समझौते पर टिप्पणियों हेतु – परिषिष्ट 5 देखिए।

शाम को जेल के प्रांगण में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कस्तूरबा ने गांधी को संतरे का रस दिया और उन्होंने लगभग साढ़े पांच बजे लगभग दो सौ शिष्यों तथ प्रशंसकों, कवि टैगोर, सरोजिनी नायडू तथा स्वरूप रानी नेहरू की उपस्थिति में अपना अनशन तोड़ा।''[1]

मैंने मानवता के आह्वान पर जबानी कार्रवाई की और श्री गांधी की जान बचाई

इस बारे में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा,

''इस कहानी की सच्चाई सजीव तथा भड़कीले शीर्षक ''दि एपिक फास्ट'' द्वारा श्री प्यारेलाल द्वारा लिखी गई पुस्तक में बताई गई है। जिज्ञासु व्यक्ति इसका हवाला दे सकते हैं लेकिन मैं उन्हें सचेत करना चाहूंगा कि इसे एक ''बॉसवेल'' ने लिखा है और इसमें ''बासवेलिआना'' के सभी दोष निहित हैं। इसका एक और पक्ष भी है, लेकिन उसके बारे में यहां चर्चा करने का न तो समय है और न ही स्थान। मैं बस उस बयान[2] की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिसे मैंने श्री गांधी द्वारा अनशन प्रारंभ करने से पहले उनकी युक्तियों की पोल खोलने के लिए जारी किया था। यहां यह कहना काफी होगा कि श्री गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन वे मरना नहीं चाहते थे। वे बिल्कुल जीना चाहते थे।''

''फिर भी अनशन ने एक समस्या यह खड़ी कर दी थी कि श्री गांधी की जान कैसे बचाई जाए। उनकी जान बचाने का यही तरीका था कि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में परिवर्तन किया जाए जिसके बारे में श्री गाँधी ने कहा कि वह उनके अंतःकरण को बहुत चोट पहुंचाता है। प्रधान मंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल न तो इसे वापिस लेगा और न ही इसमें अपनी ओर से कोई परिवर्तन करेगा, लेकिन वे इसके स्थान पर एक ऐसे फार्मूले को रखने के लिए तैयार हैं जिस पर सवर्ण हिन्दू तथा अछूत सहमत हों। चूंकि मुझे गोल मेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने का विशेषाधिकार मिला था, यह मान लिया गया था कि अछूतों की सहमति तब तक वैध नहीं होगी जब तक मुझे इसका एक पक्षकार नहीं बना लिया जाता। आश्चर्यजनक सच्चाई यह है कि भारत के दलितों के एक नेता के रूप में मेरी हैसियत पर कांग्रेसजनों ने केवल सवाल उठाए बल्कि इसे एक सच्चाई के रूप में मान भी लिया था। निस्संदेह सभी निगाहें मेरी ओर थीं जो मुझे उस क्षण के एक व्यक्ति के रूप में या फिर कार्य के एक खलनायक के रूप में देख रही थीं।''

1. कीर, पृष्ठ 215।
2. इस भाग का पृष्ठ 143:150 देखिए – सम्पादकगण।

मेरे बारे में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस समय मैं अनिश्चितता की जितनी बड़ी तथा गंभीर स्थिति में था उस स्थिति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। यह एक रहस्यमय स्थिति थी। मुझे दो अलग–अलग अनुकल्पों में से एक को चुनना था। समूची मानवता के प्रति ऋणी होने के नाते गाँधी के मृत्यु से बचाने का कर्त्तव्य मेरे समक्ष था। प्रधान मंत्री ने अछूतों को जो राजनीतिक अधिकार दिए थे, उन्हें बचाने की समस्या मेरे सामने थी। मैंने श्री गांधी की जान बचाने के लिए मानवता की आवाज को सुना और मैं श्री गाँधी के समाधान रूप में साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में परिवर्तन के लिए सहमत हो गया। इस समझौते को पूना समझौता कहते हैं।''

श्री गाँधी ने समझौते की शर्तें मान ली थीं और सरकार ने उन्हें भारत शासन अधिनियम में शामिल करके इन्हें लागू भी कर दिया था। पूना समझौते के लिए अलग–अलग प्रतिक्रियाएं मिलीं। अछूत दुखी थे। ऐसा करने के लिए उनके पास कारण थे। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इसे नहीं मानते। वे यह कहने से कभी नहीं चूकते कि पूना समझौते ने प्रधान मंत्री के साम्प्रदायिक अधिनिर्णय से भी अधिक सीटें अछूतों को दी हैं। यह सच है कि पूना समझौते ने अछूतों को 148 सीटें दी हैं, जबकि अधिनिर्णय ने उन्हें 78 सीटें दी थीं। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना कि पूना समझौते ने उन्हें अधिनिर्णय से भी अधिक दिया है, वास्तव में अधिनिर्णय ने अछूतों को जो दिया था उसकी अनदेखी करना है।''

''साम्प्रदायिक अधिनिर्णय ने अछूतों को दो फायदे पहुंचाएं थे : (1) सीटों का एक नियत कोटा जिन पर चुनाव अछूतों के पृथक निर्वाचकमंडल ने करना था और जिन्हें अछूत व्यक्तियों द्वारा भरा जाना था; (2) दोहरा मत, एक का प्रयोग पृथक निर्वाचकमंडल के माध्यम से और दूसरे का प्रयोग साधारण निर्वाचकमंडल के माध्यम से किया जाना था।''

''अब, अगर पूना समझौते ने सीटों का नियत कोटा बढ़ा दिया है तो दोहरे मतदान का हक छीन लिया है। सीटों में इस वृद्धि को दोहरे मतदान की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में कभी भी नहीं देखा जा सकता। साम्प्रदायिक अधिनिर्णय ने जो अतिरिक्त मताधिकार दिया था वह एक अमूल्य विशेषाधिकार था। एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसके मूल्य की गणना नहीं की जा सकती। प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र में अछूतों की मतदान क्षमता 1/10 है। सवर्ण हिन्दू उम्मीदवारों के चुनाव में इस मतदान क्षमता का प्रयोग करने के लिए मुक्त अछूत आम चुनाव के मुद्दे के बारे में आदेश देने के तो नहीं, लेकिन इसे तय करने की स्थिति में अवश्य होते। कोई भी सवर्ण हिन्दू उम्मीदवार अपने निर्वाचन–क्षेत्र में अछूत की अनदेखी करने का साहस नहीं कर सकता था या फिर उनके हितों के प्रति उग्र नहीं हो सकता था, बशर्ते कि वह

अछूतों के मत पर आश्रित होता। साम्प्रदायिक अधिनिर्णय द्वारा अछूतों को दी गई सीटों से कुछ अधिक सीटें आज उनके पास हैं। लेकिन उनके पास यही सब कुछ है। हर दूसरा सदस्य उग्र नहीं तो उदासीन अवश्य है। यदि दोहरे मतदान की प्रणाली के साथ साम्प्रदायिक अधिनिर्णय वजूद में रहता तो अछूतों को कुछ सीटें अवश्य ही कम मिलतीं लेकिन हर दूसरा सदस्य अछूतों का होता। अछूतों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि वास्तव में कोई वृद्धि है ही नहीं, और न ही पृथक निर्वाचकमंडल और दोहरे मतदान की हानि के लिए कोई क्षतिपूर्ति। हिन्दुओं ने पूना समझौते पर कोई जश्न नहीं मनाया, वे इसे पसंद नहीं करते थे। श्री गांधी का जीवन बचाने के लिए हिन्दुओं में अपने हो–हल्ले के दौरान यह सचेतन अनुभूति अवश्य विद्यमान थी कि उनका जीवन बचाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकता है। अतः जब उन्होंने समझौते की शर्तों को देखा तो निश्चय ही वे उन्हें पसंद नहीं आईं। उनमें इतना साहस भी नहीं था कि वे इसे ठुकरा सकें। हिन्दुओं द्वारा नापसंद किए जाने और अछूतों की उपेक्षा के बावजूद दोनों पक्षकारों ने पूना समझौते को मान्यता प्रदान की थी और इसे भारत शासन अधिनियम में भी शामिल किया गया था।''[1]

पूना समझौते के बाद, तीसरे गोल मेज सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 नवम्बर, 1932 को भारत से रवाना हुए। गांधी का अनशन और पूना समझौता हर जगह चर्चा का विषय थे। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के बारे में एक टिप्पणी इस प्रकार है :

''जहाज पर सवार होने के बाद कई महत्वपूर्ण यात्री पूना समझौता और गांधी द्वारा अनशन के बारे में बात कर रहे थे जिसने पूरे विश्व के भारतीयों को हिला दिया था। अनशन ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया था। एक यूरोपीय यात्री ने डॉ. अम्बेडकर की ओर इशारा करते हुए अपने मित्र से कहा कि ''यही वही युवा है जो भारतीय इतिहास के नए पन्ने लिख रहा हैं।''[2]

---

1. लेखा तथा भाषण, खंड 9, पृष्ठ 7–90।
2. कीर, पृष्ठ 220।

अध्याय IV

कलाराम मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह,
नासिक और मंदिर प्रवेश आंदोलन
कलाराम मंदिर ....आंदोलन

राजनीति और शिक्षा पर ऊर्जा और संसाधन केन्द्रित करें

"भारत के इतिहास में 1930 का वर्ष क्रिया और प्रतिक्रिया का वर्ष था। यह वर्ष नए चिंतन और नए दृष्टिकोण, दमन के नए उपाय तथा पुनर्मेल की नई विधियों की धारा लेकर आया। सही कहें तो यह सत्याग्रह का युग था। यह वही वर्ष था जब कांग्रेस के सेनापति के रूप में महात्मा गांधी ने 12 मार्च, 1930 को देश की स्वतंत्रता के लिए इस महान आंदोलन का आग़ाज किया और समूचे देश को सत्याग्रह की रंगशाला में रूपांतरित कर दिया, जिसमें अपार जनसमूह घुड़सवार पुलिस की बटालियनों, गोलियों और जेल की जिंदगी का सामना कर रहा था।

महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से दस दिन पहले भारतीय सामाजिक अशांति के पिता अम्बेडकर ने नासिक में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की तैयारियाँ तीन महीने से अधिक समय से चल रही थीं। डॉ. अम्बेडकर अपने पत्रों और सहायकों के जरिए बम्बई से इसका मार्गदर्शन, प्रेरण और आयोजन कर रहे थे। नासिक में दलित वर्गों ने एक सत्याग्रह समिति बनाई और इसके सचिव भाउरा व गायकवाड के जरिए प्रसिद्ध कलाराम मंदिर के न्यासियों को सूचित किया कि यदि नियत तिथि से पहले अस्पृश्य हिन्दुओं के लिए मंदिर के द्वार नहीं खोले गए तो वे सत्याग्रह शुरू करेंगे। साथ ही उक्त मंदिर में श्री राम की पूजा करने के अपने अधिकार का आग्रह करने के लिए नासिक में आने के वास्ते दलित वर्गों का आह्वान किया गया। सत्याग्रह समिति के इस आह्वान के फलस्वरूप नासिक में खासतौर पर दलितों के इलाको में बनाए गए पंडाल में करीब 15,000 स्वंयसेवक और प्रतिनिधि एकत्रित हुए। उनमें देवराव नायक, राजभोज, प्रधान, शिवतारकर, पतितपावनदास और बी.जी. खेर के नाम उल्लेखनीय हैं।

आखिरकार कार्रवाई का दिन आ गया। यह 2 मार्च, 1930 का रविवार था। प्रातः दस बजे स्थिति पर विचार करने और सत्याग्रह शुरू करने के तरीके और माध्यम अपनाने के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में पंडाल में सभा हुई।[1]

"डॉ. अम्बेडकर ने कलाराम मंदिर में प्रवेश के बारे एकं विचारोत्तेजक भाषण दिया। उन्होंने कहा, आज हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन मंदिर में प्रवेश से सारी समस्या हल नहीं होगी। हमारी समस्या व्यापक है। यह राजनीतिक, सामा. जिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक इत्यादि है। कलाराम मंदिर में प्रवेश का मामला हिन्दू मस्तिष्क से एक अपील है। ऊंची जाति के हिन्दुओं ने युगों से हमारा दमन किया है। मंदिर प्रवेश के लिए इस सत्याग्रह से यह प्रश्न उठेगा कि क्या वही हिन्दू हमें

---

1. कीर, पृष्ठ 136।

मानवाधिकार प्रदान करेंगे। क्या हिन्दू मस्तिष्क हमें मानव के रूप में स्वीकार करने का इच्छुक है, इस सत्याग्रह के जरिए इसी प्रश्न को परखा जाना है। ऊंची जाति के हिन्दुओं ने हमें हेय दृष्टि से देखा है और हमारे साथ कुत्तों एवं बिल्लियों से भी बुरा बर्ताव किया है। हम यह जानना चाहते हैं वही हिन्दू हमें मानव का दर्जा देंगे अथवा नहीं। यह सत्याग्रह हमें इस सवाल का जवाब उपलब्ध कराएगा। यह सत्याग्रह ऊंची जाति के हिन्दुओं के दिलों में बदलाव लाने का एक प्रयास है। इसलिए इस प्रयास की सफलता हिन्दू नज़रिये पर निर्भर करती है।

राम मंदिर में प्रवेश से हमारी वास्तविक समस्या हल नहीं होने जा रही है। इससे हमारे जीवन में कोई आमूल परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये ऊँची जाति के हिन्दुओं के मस्तिष्क को समझने के लिए परीक्षा है। क्या हिन्दू मस्तिष्क नए ज़माने की दात्त महत्वाकांक्षाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है कि "मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा बर्ताव करना चाहिए, उसे मानवाधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, मान प्रतिष्ठा स्थापित की जानी चाहिए" इन सबका अब परीक्षण होने जा रहा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने यह सत्याग्रह शुरू किया है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ऊँची जाति के हिन्दू इन पहलुओं पर विचार और तद्नुसार कार्रवाई करेंगे।

हम जानते हैं कि इस मंदिर में पत्थर से बने भगवान की प्रतिष्ठा की गई है। उस पर केवल एक दृष्टि डालने से या उसकी पूजा करने से, हमारी समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। लाखों लोग इस मंदिर में आए होंगे और अब तक भगवान के दर्शन किए होंगे। लेकिन यह कौन कह सकता है कि ऐसा करने से उनकी बुनियादी समस्या हल हो गई? हम यह जानते हैं। लेकिन आज हमारा सत्याग्रह हिन्दुओं के दिलों में बदलाव लाने का एक प्रयास है। इस सैद्धांतिक स्थिति के साथ हम यह सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं।''[1]

''दोपहर को सम्मेलन बर्खास्त हो गया और पुनः शुरू हुआ।''

दोपहर बाद तीन बजे जनसमूह ने खुद को चार चार की टोलियों में विभाजित कर लिया और एक मील से अधिक दूर तक फैले जुलूस में बदल गया। नासिक के इतिहास में यह सबसे बड़ा जुलूस था। सबसे आगे एक बैंड बज रहा था, उसके बाद सैन्य शैली में सैन्य जीवन से जुड़े दलित वर्ग के सदस्य थे। उसके बाद स्काउट बैच था। उनके पीछे करीब 500 महिला सत्याग्रही अपने दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रदर्शन कर रही थीं और उनके पीछे उत्साह की भावना से प्रफुल्लित भीड़ चल रही थी लेकिन वह भीड़ पूरी अनुशासन भावना, क्रम और निश्चय के साथ

---

1. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर रांची पात्रे (मराठे), शंकरराव खरात, पृष्ठ 46, 47 अंग्रेजी अनुवादक संपादकों द्वारा

चल रही थी। जैसे ही वह जुलूस मंदिर के पूर्वी द्वार तक पहुंचा, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिन्टेंडेट और सिटी मजिस्ट्रेट मंदिर के द्वार पर पहुँच गए। मंदिर के सभी द्वार बंद थे, इसलिए आंदोलनकारी गोदावरी घाट की तरफ बढ़ गए। वहाँ यह जुलूस एक सभा में रूपांतरित हो गया।

उस रात ग्यारह बजे नेताओं ने पुनः सभी पहलुओं पर चर्चा की और मंदिर के द्वारों के आगे अहिंसक संघर्ष शुरू करने का फैसला किया। इस तरह यह ऐतिहा. सिक संघर्ष 3 मार्च, 1930 की सुबह शुरू हुआ। 125 पुरूषों और 25 महिलाओं का पहला दल मंदिर के चारों द्वारों पर तैनात किया गया तथा 8,000 से अधिक सूचीबद्ध सत्याग्रही अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। परन्तु मंदिर के द्वार बंद और अवरुद्ध थे। सत्याग्रही प्रवेश द्वार पर बैठकर स्तोत्र और भजन गाते रहे। 3,000 से अधिक संख्या में अछूतों की भीड़ उनके आसपास एकत्र हो गई, लेकिन पुलिस सतर्क थी तथा उन्हें रोक रखा था। प्रत्येक द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात थे। किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए सुबह सवेरे से ही वहाँ प्रथम श्रेणी के दो मजिस्ट्रेट तैनात थे। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट रेनाल्ड्स ने मंदिर के ठीक सामने टेंट में ही अपना कार्यालय बना लिया था।

मंदिर में स्पृश्यों का प्रवेश भी बाधित हो गया था क्योंकि द्वार बंद थे और उनके नेता गतिरोध से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने के लिए बंद दरवाजों के पीछे विचार–विमर्श कर रहे थे। यदि सवर्ण हिन्दुओं के लिए दरवाज़े खोल दिए जाते तो स्थिति बहुत जटिल हो जाती।

रात को शंकराचार्य डॉ. कुर्ताकोटी की अध्यक्षता में नासिक के नागरिकों की जनसभा हुई लेकिन रूढ़िवादी लोगों की प्रबलता के कारण यह सभा उपद्रव में समाप्त हो गई। अब तक सनातनी संत्रस्त और उपद्रवी हो चुके थे। उन्होंने सभा पर पत्थर और जूते फेंके। यह महसूस किया गया कि यदि खुद राम भी रूढ़िवादी हिंदुओं से अछूतों के लिए मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए कहते तो उन्हें भी दरकिनार कर दिया जाता।

सत्याग्रह संघर्ष करीब एक महीने तक जारी रहा। 9 अप्रैल आ गई। इस दिन रथ पर राम की प्रतिमा रखकर जुलूस निकाला जाता है। जातिवादी हिन्दुओं और अछूतों के बीच एक समझौता हुआ। यह फैसला हुआ कि दोनों पक्षों के ताकतवर लोग रथ खींचेंगे। वह दृश्य देखने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार के निकट दोपहर को हजारों लोग जमा हो गए। डॉ. अम्बेडकर अपनी पसंद के पहलवानों के साथ द्वार के समीप खड़े थे। लेकिन इससे पहले कि वे रथ को स्पर्श कर पाते, सवर्ण

हिन्दुओं के उपद्रवी तत्त्वों के साथ उनका झगड़ा हो गया और सवर्ण हिन्दू गुप्त योजना के अनुसार दोनों तरफ से संकरी, पेचीली और असुविधाजनक गली के रास्ते से रथ को लेकर भाग गए। उस गली के मुहाने पर सशस्त्र पुलिस का पहरा था। काद्रेकर नामक एक साहसी भंडारी युवक ने सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा पंक्ति तोड़ दी जो गोलीबारी के आदेश का इंतजार कर रहे थे तथा एक पल में अछूतों की भीड़ पत्थरों की बौछार के बीच रथ तक पहुँचने और उसे कब्जाने में सफल हो गई। खतरनाक रूप से घायल काद्रेकर खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। डॉ. अम्बेडकर के आदमी उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे थे और जब उन्हें सुरक्षा देने वाले व्यक्ति की छतरी छितराई तो डॉ. अम्बेडकर को भी हल्की चोट लग गई। सारे शहर में अछूतों और सवर्ण हिन्दुओं के समूहों के बीच खुली झड़पें हुईं।

इस सत्याग्रह से पूरे जिले के रूढ़िवादी हिन्दुओं के मन में द्वेष की भावना भर गई। इस तनाव के चलते अस्पृश्यों के बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया, उनके लिये सड़कें बंद कर दी गईं और बाज़ार में उन्हें रोज़मर्रा की जरूरी चीज़ें देने से मना कर दिया गया, क्योंकि वे अन्य हिन्दुओं के समान अधिकारों की माँग कर रहे थे। कई गांवों में अस्पृश्यों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। इन मुसीबतों के बावजूद भी नासिक में संघर्ष जारी रहा। दोनों ही पक्षों को समझाकर किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयास किये जा रहे थे। डॉ. मूँजे तथा डॉ. कुर्ताकोटि (शंकराचार्य) किसी नतीजे पर पहुँचने का प्रयास कर रहे थे। वर्ष 1930 में अप्रैल के मध्य में महान करोड़पति बिरला ने भी डॉ. अम्बेडकर से बम्बई में मुलाकात की। लेकिन दलित वर्गों का संकल्प इतना दृढ़ था कि रूढ़िवादी हिन्दुओं को प्रसिद्ध मंदिर पूरे साल भर बंद रखना पड़ा और संघर्ष चलता रहा।''[1]

डॉ. अम्बेडकर ने, नासिक में कलाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के दौरान अफसरशाही द्वारा पैदा की गई समस्याओं के संबंध में बम्बई के महामहिम राज्यपाल को दो पत्र लिखे थे।

ये पत्र इस प्रकार हैं : संपादक

भीमराव आर. अम्बेडकर,
एम.ए., पीएच.डी., डी.एससी.
बार–एट–लॉ,
सदस्य, विधान परिषद,
बम्बई

दामोदर हॉल,
परेल,
बम्बई–12
24 मार्च, 1930

महामहिम का अभिवादन,

---

1. कीर, पृष्ठ 137–138।

मेरे तार के जवाब में 13 मार्च, 1930 के पत्र के लिये मैं महामहिम का अत्यंत आभारी हूँ, जिसमें आपने स्पृश्यों तथा अस्पृश्यों के बीच विवाद, जिसका केन्द्र ना. सिक के कलाराम मंदिर में चल रहा सत्याग्रह है, पर सरकार द्वारा निष्पक्षता से कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। मैं महामहिम का ध्यान हाल ही में हुई एक घटना की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिससे निबटना बेहद खतरनाक लगता है। जिस दिन सत्याग्रह शुरू हुआ था, हमने जानबूझकर मंदिर के पुजारी के घर के प्रवेश द्वार का रास्ता नहीं रोका, यह सोचकर कि मंदिर में प्रवेश करने और देव–दर्शन पाने के लिये यह रास्ता जनता द्वारा प्रयोग नहीं किया जायेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से यह प्रवेश द्वार सार्वजनिक रास्ता बन चुका है और नासिक की जनता मंदिर में प्रवेश करने के लिये इस रास्ते का प्रयोग कर रही है। यदि इसकी अनुमति दी जायेगी, तो इससे सत्याग्रह का मूल उद्देश्य पूरी तरह से निरर्थक हो जायेगा। इसे रोकने के लिये, सत्याग्रह समिति इस प्रश्न पर और आम जनता के लिये निजी प्रवेश द्वार को बंद करने और केवल पुजारी के परिवार के सदस्यों को यहाँ से गुजरने की अनुमति देने के अपने इरादे पर चर्चा करने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट के पास गई। परन्तु, जिला मजिस्ट्रेट ने सत्याग्रह समिति के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें एक चिट देकर वापस भेज दिया जिस पर लिखा था कि वे उन्हें हटा देंगे जो पुजारी के द्वार पर सत्याग्रह करेंगे। मै यह नहीं कहूँगा कि जिला अधिकारी का इस तरह का आचार विवेकपूर्ण है या नहीं। जिस बात की तरफ मैं महामहिम का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह यह है कि यदि कलैक्टर का यही रवैया रहा तो इससे तुरंत ही सरकार तथा दलित वर्गों के बीच टकराव पैदा हो जायेगा। हमारा वास्तविक विवाद स्पृश्य हिन्दुओं से है और मैं ऐसी हर परिस्थिति को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, जिससे स्पृश्य हिन्दू एक तरफ छूट जायें और सत्याग्रह सरकार और दलित वर्गों के बीच का मामला हो जाये। वास्तव में, यह तो सत्याग्रहियों के मोर्चाबंदी के बाहर खड़े रहने के लिये कहने से इनकार करके और उन्हें मंदिर के द्वार के साथ बैठाने के लिये पुलिस–सुरक्षाकर्मियों के बीच से ज़बरदस्ती निकालकर हम पहले दिन ही कर सकते थे। हमने ऐसा नहीं किया सिर्फ इसलिये कि हम इसे अपने और सरकार के बीच की लड़ाई नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन, यदि सरकार पुजारी को अपना निजी प्रवेश–द्वार आम रास्ते के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देती है और इस तरह हमारे उद्देश्य को निष्फल करने में एक पक्ष को उनके निष्पक्ष रहने के अपने मूल इरादे से मुकरती है, तो यह अपरिहार्य हो जायेगा। हम किसी भी स्थिति में पुजारी को यह नया स्टंट अपनाने की अनुमति नहीं दे सकते और उसका इस तरह हमारे सत्याग्रह को निरर्थक करना बदार्श्त नहीं कर सकते, चाहे इससे हमारे और

सरकार के बीच विवाद हो जाये। मैं यह पत्र महामहिम को यहाँ पैदा हो रही स्थिति के विषय में सूचित करने और सत्याग्रह समिति के सामने जिला मजिस्ट्रेट के रवैये पर पुनः विचार करने का मौका देने के लिये लिख रहा हूँ और उस चिट की प्रति भी इसके साथ है, जो उन्हें वापस भेजने के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई थी, जब समिति के सदस्य उनसे मिलने गये थे।

गत शनिवार को मैंने स्वयं वह जगह देखी है और मैं इस बात से पर्याप्त सहमत हूँ कि व्यक्त की जा रही आशंकाएँ और सत्याग्रह के लिये आशंकित खतरा बिल्कुल सही है।

महामहिम का सर्वाधिक आज्ञाकारी

ह.

बी.आर. अम्बेडकर"[1]

दूसरा पत्र :—

"भीमराव आर. अम्बेडकर,
एम.ए.,पी.,एच.,डी., डी. एस.सी.
बार—एट—लॉ,
सदस्य, विधान परिषद,
बम्बई

दामोदर हॉल, परेल,
बम्बई—12
11 अप्रैल, 1930

सेवा में,

महामहिम माननीय महोदय,
फ़्रेडरिक साइक्स, पी.सी., जी.सी.आई.ई.,
जी.बी.ई., के.सी.बी.सी.एम.जी.,
बम्बई के राज्यपाल,
बम्बई

महामहिम का अभिवादन,

बम्बई सरकार को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट से इसी माह की 9 तारीख को स्पृश्यों तथा अस्पृश्यों के बीच वहाँ हुए दंगों पर रिपोर्ट अवश्य मिल गई होगी। दंगों का अपना विवरण भी महामहिम को भेजना मैं आवश्यक समझता हूँ।

---

1. खैरमोर, अंक 3, पृष्ठ 321—323।

दंगे की शुरुआत :– कलाराम मंदिर, नासिक में प्रचलन के अनुसार पूरे शहर में भगवान राम की रथ–यात्रा निकाली जानी थी। इंस्पेक्टर कार्णिक (कलाराम मंदिर में तैनात एक पुलिस अधिकारी) ने मुझसे पूछा कि रथ–यात्रा के संबंध में मैं क्या रवैया अपनाने वाला हूँ। मैंने कहा कि यदि अस्पृश्यों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, तो मुझे यात्रा के लिये रथ निकाले जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और मैंने उन्हें समानता के व्यवहार की प्रकृति भी स्पष्ट की। मैंने यह निश्चित करने की अपेक्षा की थी कि मैं दो बातों पर दृढ़ रहूँगा–

(1) कि अस्पृश्य भी रथ खींचने में स्पृश्यों के साथ हिस्सा लेंगे और (2) अस्पृश्य रथ में मूर्ति की पूजा करेंगे। फिर श्री कार्णिक चले गये और जिला मजिस्ट्रेट के साथ लौटे, जिला मजिस्ट्रेट ने मुझे बताया कि स्पृश्य हिन्दुओं द्वारा मेरी शर्तें मान ली गई हैं और स्पृश्य रथ को मंदिर के मुख्य द्वार तक लायेंगे और जब वे रथ को द्वार से 10 फुट दूर तक खींच चुके होंगे, तब अस्पृश्य लोग शामिल हो सकते हैं और फिर वे स्पृश्यों के साथ मिलकर रथ पर बंधी रस्सियों को पकड़कर खींच सकते हैं और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे रथ–यात्रा पर कोई एतराज है, जिस पर मैंने जवाब दिया कि "मुझे कोई एतराज नहीं है" और शांति बनाये रखने के उद्देश्य से मैंने 5,000 अस्पृश्यों में से 50 अस्पृश्यों का चयन किया और उन्हें बताया कि केवल उन्हें ही रथ खींचने में हिस्सा लेना है। जैसा कि तय हुआ था, रथ को स्पृश्यों द्वारा मंदिर के द्वार से बाहर लाया गया। लेकिन स्पृश्यों ने, जो कि अस्पृश्यों तथा पुलिस अधिकारियों, दोनों की ही आँखों में धूल झोंकना चाहते थे, दो चीजें कीं–

(1) स्पृश्यों ने रस्सियाँ इतने पास–पास खड़े होकर पकड़ रखी थीं, कि अस्पृश्यों के लिये इसमें शामिल होकर रस्सियाँ खींचने के लिये बीच में कोई जगह ही नहीं थी और (2) मंदिर के द्वार से बाहर निकलने के बाद रुकने की बजाय, जैसा कि तय हुआ था, स्पृश्यों ने रथ को लेकर भागना शुरू कर दिया जिससे अस्पृश्यों को रस्सियाँ पकड़ने और रथ–यात्रा में हिस्सा लेने का मौका ही न मिले। क़रार की सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त के इस उल्लंघन के कारण अस्पृश्यों की भावनायें स्वाभाविक रूप से भड़क गईं। लेकिन तात्कालिक झगड़े का कारण पुलिस सिपाहियों द्वारा की गई कार्रवाई थी जिनमें से अधिकांश हिंदू थे। उन्होंने तत्काल उन अस्पृश्यों पर हमला करना शुरू कर दिया, जो थोड़ी–सी रस्सी पकड़ पाने के लिये संघर्ष कर रहे थे। झगड़ा उच्च जातीय हिन्दू पुलिस द्वारा शुरू किया गया था, जिसने खुलकर स्पृश्य हिन्दुओं की तरफ़दारी की।

इस प्रकार 50 अस्पृश्यों के दल को दो तरफ से आक्रमण झेलना पड़ा। एक तो स्पृश्य हिन्दू जिन्होंने रस्सियाँ पकड़ रखी थीं, अस्पृश्यों को धक्का दे रहे थे जिससे वे रस्सियों के पास खड़े न हो सकें और जब अस्पृश्य रस्सियों के पास खड़े होने की जगह बनाने के लिये संघर्ष कर रहे थे, तो उच्च सवर्ण हिन्दू पुलिस अपने डण्डे और राइफल के बट से उन पर वार कर रही थी।

अपने आदमियों पर इस तरह हमला होता देख बाकी अस्पृश्यों ने रथ का पीछा करना शुरू किया, जिसे लेकर स्पृश्यों का दल बेहद तेज रफ्तार से भाग रहा था। यह देखकर कि रथ के पीछे दौड़ी चली आ रही अस्पृश्यों की भीड़ रथ के काफी करीब पहुँच चुकी है, स्पृश्यों ने रथ को सड़क पर ही छोड़ दिया और पास के खेत में भाग गये। वहाँ से उन्होंने सड़क पर खड़ी अस्पृश्यों की भीड़ पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिये।

सड़क पर एक तरफ कँटीली तारें थीं और दूसरी तरफ कैक्टस के पौधों की कतारें, अतः अस्पृश्य पत्थरों की इस बारिश से बचकर भाग नहीं सके और परिण ाामस्वरूप, उनमें से कई घायल हो गये। अस्पृश्यों का शांतिपूर्ण व्यवहार इस तथ्य से स्पष्ट है कि स्पृश्य हिंदुओं में एक के भी हताहत होने का समाचार नहीं है।

दुष्टता की सीमा :— स्पृश्यों का झुंड जिस खेत से अस्पृश्यों पर पत्थर बरसा रहा था, वहाँ से वह सत्याग्रह समिति के कैम्प में पहुँचा, उन्होंने शामियाने गिरा दिये, स्वयंसेवकों की साइकिलें तोड़ दीं, समिति के एक सदस्य की मोटर पर पत्थर फेंके और रसोई घर में काम कर रही स्त्रियों पर पत्थर बरसाये तथा आसपास घूम—फिर रहे बच्चों को चोटें लगाईं।

वहाँ से स्पृश्यों का यह गुट नदी के किनारे पहुँचा, जहाँ इन्हें कुछ अस्पृश्य पुरुष, स्त्रियाँ व बच्चे मिले। ये अस्पृश्य नदी के तट से अस्पृश्यों के प्रमुख दल में शामिल होने नहीं जा सके थे, क्योंकि इनकी बैलगाड़ियाँ संभालने वाला कोई नहीं था। इन्हें स्पृश्यों ने बहुत बेरहमी से मारा—पीटा, इनकी चीज़ें जला डालीं और कुछ को पानी में फेंक दिया।

मुझे मिली सूचना के अनुसार इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नदी के तट पर इन बदनसीब अस्पृश्यों को बहुत कम सहायता प्राप्त हो पाई। अस्पृश्यों का प्रमुख दल इन्हें बचाने नहीं जा सका क्योंकि उन्हें अपनी जगह से हिलने से रोक दिया गया और उनके आसपास पुलिस का घेरा लगवा दिया गया और क्योंकि अधिकांश पुलिस—कर्मी द्वार पर अस्पृश्यों के प्रमुख दल को हिरासत में रखने में व्यस्त थे, अतः नदी—तट पर हमले का शिकार हुए अस्पृश्यों को मदद देने के लिये केवल कुछ ही पुलिस—कर्मी बचे थे।

पुलिस का रवैया :— मैं ऐसा कोई भी संकेत नहीं देना चाहता कि मुझे पुलिस अधिकारियों से कोई शिकायत है। इसके विपरीत, मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है, कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया है। मैं खास तौर पर इंस्पेक्टर शेल्के, नागरकर और कराका का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने सत्याग्रह से उत्पन्न हुई अत्यंत कठिन परिस्थितियों में शानदार काम किया है।

मेरी शिकायत सिपाहियों के विरुद्ध है, जिन्होंने पक्षपात किया और जिन्होंने बेहद मनमाने ढंग से आदरणीय अस्पृश्यों पर हमला करके अपने जातिवाद का प्रदर्शन किया। इनके नाम तथा नम्बर इनके वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिये जायेंगे और मुझे विश्वास है कि महामहिम उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश देंगे।

जिला मजिस्ट्रेट की नीति :– मुझे यह कहने का दुख है कि अस्पृश्यों के सत्याग्रह के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की नीति से मैं संतुष्ट नहीं था। अपने पिछले पत्र में मैंने महामहिम को सूचित किया था कि किस तरह पुजारी के घर का एक निजी द्वार जनता द्वारा मंदिर में प्रवेश पाने के लिये प्रयोग किया जा रहा है और इस प्रकार कैसे हमारा सत्याग्रह निष्फल किया जा रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट ने हमारे तर्क को कोई महत्व नहीं दिया और रामनवमी के दिन, हमारे तर्क को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुये, न केवल पुजारी के निजी प्रवेश–द्वार को सार्वजनिक रूप से प्रयोग करने की अनुमति दी, बल्कि हमारे सत्याग्रहियों को बराबर वाले सार्वजनिक रास्ते पर रोज़ाना की तरह बैठने से रोक दिया। निजी द्वार से मंदिर में प्रवेश पा रहे स्पृश्यों को बाहर निकलने का रास्ता देने हेतु इस रास्ते पर से बैरिकेड हटा दिया गया था। परिणामस्वरूप, सत्याग्रह पर बैठे 300 अस्पृश्यों में से 18 को रामनवमी के दिन गिरफ्तार कर लिया गया।

9 तारीख को हुए दंगे के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि मैं सत्याग्रह रोक दूँ वरना वे पुलिस हटा देंगे। उनके प्रस्ताव पर सत्याग्रह समिति द्वारा विचार किया गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया जो कि मैं समझता हूँ, बिल्कुल सही हुआ। अस्पृश्यों के आंदोलन के लिये सत्याग्रह को इस मुकाम पर पहुँचा कर रोकने से बड़ा और कोई अनर्थ नहीं हो सकता था। स्पृश्य हिन्दुओं को यह संकेत मिल जायेगा कि ज़रा सा बल–प्रयोग अस्पृश्यों के किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिये पर्याप्त है।

मैं और सत्याग्रह समिति इस परिस्थिति में इस तरह का कोई संकेत नहीं देना चाहते। अगर किसी और वजह से नहीं, तो केवल इसी वजह से भी हम अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे। जहाँ तक पुलिस हटाने का सवाल है, तो मैं चाहूँगा कि बम्बई सरकार इसके परिणामों को अच्छी तरह से समझ ले।

मेरी समझ से इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार उन लोगों की मदद के लिये अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहती, जो अपने अधिकार प्राप्त करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी शक्ति किसी काम की नहीं और दलित वर्गों के लिये फिर उन्हीं के साथ मिल जाना औचित्यपूर्ण होगा, जो बदलाव की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बम्बई सरकार जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में उचित निर्देश देगी।

आज के 'टाईम्स ऑफ़ इंडिया' से मुझे मालूम हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट ने सी. आर.पी.सी. (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है और लोगों के कलाराम मंदिर के नज़दीक आने पर रोक लगाई है। मैं नहीं जानता कि क्या इस आदेश का प्रयोजन हमारे सत्याग्रहियों को मंदिर के दरवाजे पर बैठने से रोकना है, जैसा कि वे अब तक करते आ रहे हैं।

मैं अत्यधिक आदर के साथ महामहिम को बताना चाहूँगा कि इस आदेश का सम्मान किये जाने की संभावना (मैं जान–बूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्याग्रह समिति के दृष्टिकोण के विषय में नहीं जानता) केवल तभी है, जब जिला मजिस्ट्रेट यह आश्वासन दें कि मंदिर के द्वार इस आदेश में उल्लिखित अवधि तक बंद रहेंगे और पुजारी के घर का निजी प्रवेश–द्वार आम जनता के लिये नहीं खुलेगा।

जैसा कि मैंने अपने पिछले पत्र में स्पष्ट किया था, यह लड़ाई स्पृश्यों तथा अस्पृश्यों के बीच की है और इसे सरकार और अस्पृश्यों के बीच का विवाद बनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है।

इस स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने हेतु मैं महामहिम से साक्षात्कार करने का इच्छुक हूँ और यदि महामहिम इसके लिये तैयार हैं, तो मैं कल दोपहर 2 बजे तक साक्षात्कार के लिये उपलब्ध हूँ।

महामहिम से जल्दी जवाब पाने का आकांक्षी,

महामहिम का सर्वाधिक आज्ञाकारी
ह./ बी.आर. अम्बेडकर"[1]

"अपने प्रयासों से आज़ादी हासिल करो"

त्रिचूर के लोगों को डॉ. अम्बेडकर की सलाह

कालीकट, 17 जून, 1931

बम्बई के डॉ. अम्बेडकर ने, मंदिर प्रवेश सत्याग्रह त्रिचूर के आयोजक, को लिखे एक पत्र में कहा है, "मैं आपको सलाह दूँगा कि काँग्रेस की मदद पर निर्भर न रहें। वह इस मामले में आपकी मदद नहीं करेगी। इसकी मदद आपके उद्देश्य में किसी तरह सहायक नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग अपने प्रयासों से आज़ादी हासिल करें।"[2]

---

1. खेरमोड, खंड 3 पृष्ठ 323–328।
2. द बॉम्बे क्रॉनिकल, 18 जून, 1931।

डॉ. अम्बेडकर की सलाह

डॉ. अम्बेडकर की ओर से इससे अधिक स्वाभाविक और कोई सलाह नहीं हो सकती कि त्रिचूर के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के संयोजक अपने अभियान में काँग्रेस की मदद न लें। अन्यथा काँग्रेस के मिथ्या निरूपण का कार्य और भी कठिन हो जायेगा। और दूसरे, किसी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपना 'उद्देश्य' ही सौंप दे। डॉ. अम्बेडकर का पत्र अस्तित्व के लिये एक बिल्कुल स्पष्ट संघर्ष से अधिक कुछ भी नहीं है।

नासिक सत्याग्रहियों को लंदन से आशीर्वाद

बम्बई, 2 नवम्बर, 1931

नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह समिति के महासचिव को डॉ. अम्बेडकर की ओर से लंदन से निम्न संदेश प्राप्त हुआ हैः–

"मुझे बेहद अफसोस है कि मैं तुम्हारे कुछ समय पहले भेजे गये उस पत्र का जवाब न दे सका, जिसमें तुम्हारे और आयुक्त (कमिश्नर) के बीच हुए साक्षात्कार का उल्लेख था। मैं अल्पसंख्यकों के प्रश्न में इतना उलझा रहा हूँ, जो कि आप जानते ही हैं कि श्री गांधी के रवैये के चलते और भी ज्यादा कठिन हो गया है, और मेरे पास एक मिनट भी नहीं था।

जैसा कि तुम्हारा अनुमान था, मुझे भी कमिश्नर सी.डी. से एक पत्र मिला था, जिसमें मुझे लोगों को नासिक सत्याग्रह बंद करने की सलाह देने को कहा गया था। मैंने अभी तक उस पत्र का जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं अब देने वाला हूँ। मैं उन्हें बताने वाला हूँ कि हम रुक नहीं सकते। इसलिये तुम हमारे लोगों से सत्याग्रह जारी रखने को कह सकते हो। हम सरकार से आदेश प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक वैसे ही, जैसे हम रूढ़िवादी हिन्दुओं से आदेश नहीं लेंगे।

हमने काफ़ी समय तक सरकार का भरोसा कर लिया

हमने "अस्पृश्यता" मिटाने के लिये सरकार पर काफी समय तक भरोसा किया है। लेकिन उसने इस मामले में कुछ करने के लिये अपनी अँगुली तक नहीं हिलाई है और उसे हमें रुकने के लिये कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें यह बोझ अपने ही कंधों पर लेना होगा और किसी भी कीमत पर इस अत्याचार से स्वयं को

मुक्त करने के लिये जो भी कर सकते हैं, करना होगा। सरकार यदि हमारी मदद नहीं करती, तो उसे कम से कम हमारे इस न्यायपूर्ण प्रयास में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिये। हमें यह कहने का कोई फायदा नहीं कि हमें विभिन्न वर्गों तथा समुदायों के बीच द्वेष–भावना पैदा नहीं करनी चाहिये। सरकार की यह अपील सभी समुदायों से होनी चाहिए न कि अकेले हमसे। यह अपील विशेष रूप से उन समुदायों से की जानी चाहिए जो गलत हैं और जो इस मामले में पाप कर रहे हैं।

"मेरे लोगों को मेरी आवश्यकता नहीं"

आप इसका अनुवाद इश्तहारों में प्रकाशित कर सकते हैं और उन्हें अपने लोगों के बीच प्रसारित कर सकते हैं। मैं मुखेड़ में अपने और उच्च जाति के लोगों के बीच संघर्ष के संबंध में तार पढ़ता रहा हूँ। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हमारे लोग हर कीमत पर इस लड़ाई को सफलता तक पहुँचाने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उन्हें इस महान संकल्प पर बधाई देता हूँ। पता चला है कि आप लोग 5 नवम्बर को सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से तैयारियाँ कर ली होंगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी सहायता के लिये वहाँ नहीं हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे लोग अब अपनी समस्याएँ समझ गये हैं और उन्हें हर वक्त मेरी जरूरत नहीं है– ए.पी."[1]

नासिक में सत्याग्रह के दौरान मौजूदा स्थिति को टाइम्स ऑफ इंडिया में इस तरह बताया गया : संपादक

"पवित्र कुंडों में स्नान का अधिकार नहीं
नासिक में अस्पृश्यों के विरुद्ध फैसला

(हमारे संवाददाता द्वारा)
नासिक 6 जून, 1932

कुल मिलाकर मेरा मानना है कि अस्पृश्यों को न तो चार कुंडों (नहाने के तालाब) पर जाने का अधिकार है और न ही उनमें नहाने का। इसलिये, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 (3) के तहत मैं सभी महारों, मंगों, चमारों, धेड़ों, भंगियों तथा अन्य अस्पृश्यों को लक्ष्मण, धानुष्य, राम तथा सीता कुंडों में जाने तथा उनमें स्नान करने के उनके कथित अधिकार का प्रयोग करने से मना करता हूँ, जब तक कि वे सिविल कोर्ट से आदेश न प्राप्त कर लें, जिसके तहत उन्हें इन कुंडों में स्नान का अधिकार

---

1. द बॉम्बे क्रॉनिकल, 3 नवम्बर, 1931।

दिया गया हो।' यह कहना है नासिक के जिला मजिस्ट्रेट श्री एल.एन. ब्राउन का, जो उन्होंने सनातनियों और अस्पृश्यों के बीच, पवित्र कुंडों में जाने और उनमें स्नान करने के अस्पृश्यों के अधिकार को लेकर, चल रहे विवाद पर बैठाई गई जाँच के संबंध में आज पास किये गये एक आदेश के तहत कहा।

राम कुंड के निकट स्थित आयरिश ब्रिज संधवा के संबंध में मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह संधवा तीर्थयात्रियों द्वारा पवित्र कंडों की प्रदक्षिणा करने के लिये प्रयोग किया जाता रहा है। आम रास्ते के रूप में इसका प्रयोग गौण है। मेरा मानना है कि प्राप्त साक्ष्यों से न्यायसंगत आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्मानजनक पोशाक पहने ईसाइयों तथा मुसलमानों को इससे गुजरने की अनुमति है। लेकिन यह साक्ष्य कड़े तौर पर वर्तमान मामले में संगत नहीं हैं, जो कि अस्पृश्य हिन्दुओं के अधिकार के विषय में है। यह साबित नहीं किया गया है कि अस्पृश्य हिन्दुओं को यह संधवा प्रयोग करने का कोई अधिकार है।[1]

जब मंदिर–प्रवेश सत्याग्रह चल रहा था तो मंदिर–प्रवेश को सरकार द्वारा वैध करार दिये जाने के लिये एक आंदोलन चलाया गया। इस मुद्दे की पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः–

भारत में मंदिर–प्रवेश आंदोलन को गहरा आघात पहुँचा, जब अदालतों ने कहा कि अस्पृश्यों द्वारा मंदिरों में प्रवेश किया जाना अवैध है, क्योंकि यह प्रचलित रीति–रिवाजों के विरुद्ध है। इस तरह की कानूनी घोषणा महात्मा गांधी द्वारा किये जा रहे समाज सुधार प्रयासों की राह में रोड़े अटकाने जैसी थी। इस पृष्ठभूमि में इस बात के प्रयास चल रहे थे कि इस बाधा को दूर करने हेतु विधान तैयार किया जाये, इसलिये केन्द्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कई विधेयक पेश किये जाने वाले थे। उपरोक्त विधेयकों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण डॉ. सुब्बारॉयन का मंदिर–प्रवेश विधेयक और रंगा अय्यर का अस्पृश्यता उन्मूलन विधेयक थे।

डॉ. सुब्बारॉयन के मंदिर प्रवेश विधेयक का उद्देश्य अदालतों द्वारा की गई गलती को सुधारना और मद्रास धार्मिक विन्यास (ऐन्डॉमेंट) अधिनियम में संशोधन करना था। हालांकि, यह विधेयक सनातन हिन्दुओं, जिनमें से प्रमुख पंडित मदनमोहन मालवीय, कोंडा वेंकटप्पय्या एस.टी. रामानुज आयंगर और श्रीनिवास आयंगर थे, द्वारा अनुमोदित था। हालांकि, डॉ. सुब्बारॉयन के मंदिर–प्रवेश विधेयक को मद्रास परिषद में पेश करने के लिये इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया गया कि यह बहुत व्यापक है और कोई प्रांतीय विधानमंडल इसका अधिनियमन नहीं कर सकता। इसके बाद, डॉ. सुब्बारॉयन के विधेयक के आधार पर रंगा अय्यर ने दूसरा विधेयक तैयार किया,

---

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया, 7–6–1932, पुनः मुद्रित, खैरमोर खंड 3, पृष्ठ 351–352।

जिसे वायसराय ने इस शर्त पर केंद्रीय विधानमंडल में पेश करने की अनुमति दे दी कि योग्यताएँ उनके पूर्वगामी विधेयक के समान ही रहनी चाहिएँ।

महामहिम वायसराय लॉर्ड विलिंग्टन इस शर्त पर इसे केन्द्रीय विधानमंडल में प्रस्तुत करने पर सहमत हुए कि भारत की सरकार इसके सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिये वचनबद्ध नहीं है और हिन्दू समुदाय के हर वर्ग को इसके प्रावधानों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा। महात्मा गांधी ने 1 फरवरी, 1933 को वायसराय को पत्र लिखकर निवेदन किया कि 25 सितम्बर, 1932 को बम्बई में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा पास किये गये प्रस्ताव, जो पूना संधि का हिस्सा है, के चलते भारत सरकार इन दो वैधानिक उपायों को समर्थन देने के लिये प्रतिबद्ध है।

महात्मा गांधी का मानना था कि रंगा अय्यर के विधेयक का सभी को समर्थन करना चाहिये। उन्होंने केन्द्रीय विधान मंडल के हिन्दू सदस्यों से अपील की। उन्होंने सी. राजगोपालाचारी की सेवाओं का प्रयोग किया जो उनके अनुसार विधेयकों के लिये समर्थन जुटाने हेतु 'एक बेहतर प्रचारक' थे। गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि "डॉ. अम्बेडकर के विस्फोट, सरकार के फैसले और मालवीय के विरोध" को दिल पर न लगाएँ। जी.डी. बिरला और देवदास गांधी को विधेयकों के लिये समर्थन के प्रचार हेतु नियुक्त किया गया। जब विधेयक चयन समिति की नियुक्ति की अवस्था तक पहुँच चुका था, तब ब्रिटिश सरकार ने विधानसभा भंग करके चुनाव के आदेश दे दिये। अपने निर्वाचनमंडलों का सामना करने के विचार से भयभीत विधेयक के पक्षधर सदस्यों ने अचानक अपने मत बदल दिये। विधेयक को पेश करने वाले रंगा अय्यर को गहरा आघात लगा और उन्होंने सी. गोपालाचारी को यह कहकर फटकार लगाई कि वे "कर्कट की तरह" अपनी बात से फिर गये हैं। उन्होंने कहा, "यदि वे मंदिर–प्रवेश विधेयक या अस्पृश्यों के मुद्दों का समर्थन करते, तो उनके कई वोट मारे जाते, क्योंकि यह लोकप्रिय मुद्दे नहीं हैं और इसलिये वे मैदान छोड़कर भाग गये हैं और विधानसभा में जितनी बड़ी संख्या के साथ संभव हो, वापस आने के लिये हर चाल चल रहे हैं।"

इस पृष्ठभूमि में 4 फरवरी, 1933 को दो महान नेताओं–महात्मा गांधी तथा बाबा साहेब अम्बेडकर ने यरवदा जेल में मुलाकात की।

(डॉ. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुई बैठकों के विसतृत विवरण के लिये "डॉ. अम्बेडकर– महात्मा गांधी मीटिंग्स" शीर्षक के अंतर्गत भाग II देखें–संपादक)

इस मुलाक़ात के बाद डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने मंदिर–प्रवेश विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। वह वक्तव्य इस प्रकार है :

मंदिर–प्रवेश विधेयक पर वक्तव्य

14 फरवरी, 1933

"मंदिर प्रवेश के लिये इस आंदोलन पर अस्पृश्यों का क्या रवैया था? श्री गांधी द्वारा मुझे मंदिर प्रवेश आंदोलन को अपना समर्थन के लिये कहा गया। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और इस विषय पर प्रेस में एक वक्तव्य जारी किया। क्योंकि इससे पाठकों को इस प्रश्न पर मेरे रवैये का आधार समझने में मदद मिलेगी, अतः मैंने इसे विस्तार से प्रस्तुत करना उचित समझा। यह इस प्रकार है।

यद्यपि मंदिर प्रवेश से संबंधित विवाद सनातनियों तथा महात्मा गांधी तक सीमित है, तथापि दलित वर्गों की निस्संदेह इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब यह मुददा अंतिम निर्णय के लिये सामने आयेगा तब उनकी स्थिति इस मुद्दे को किसी भी तरफ ले जा सकती है। इसलिये यह जरूरी है कि उनका दृष्टिकोण परिभाषित और व्यक्त किया जाये, जिससे इस विषय पर कोई अस्पष्टता बाकी न रहे।

जो मंदिर प्रवेश विधेयक श्री रंगा ने अब तैयार किया है, उसको संभवतः दलित वर्ग अपना समर्थन नहीं दे सकता। इस विधेयक का मूल तत्व यह है कि यदि किसी मंदिर विशेष के आसपास के नगरपालिका और स्थानीय बोर्ड के मतदाता जनमत संग्रह के आधार पर यह तय करते हैं कि दलित वर्गों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होनी चाहिये तो उस मंदिर के ट्रस्टी या प्रबधंक इस निर्णय को लागू करेंगे। यह सिद्धांत बहुमत का साधारण सिद्धांत है और इस विधेयक में कुछ भी महत्वपूर्ण या क्रांतिकारी नहीं है और यदि सनातनी समझदार होते तो इसको बिना आपत्ति के स्वीकार कर लेते।

दलित वर्ग इस सिद्धांत पर आधारित किसी विधेयक को दो कारणों से अपना समर्थन नहीं दे सकते : एक कारण तो यह है कि इस विधेयक से वह दिन किसी भी प्रकार से जल्दी नहीं आने वाला जब दलित वर्ग को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। यह सत्य है कि विधेयक के तहत अल्पसंख्यकों को उन ट्रस्टी या प्रबंधक के विरुद्ध आज्ञा–पत्र प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, जो बहुमत के निर्णय के आधार पर दलित वर्गों के लिये मंदिर के द्वार खोलेगा। लेकिन विधेयक की इस धारा से संतुष्ट होने और विधेयक के लेखक को बधाई देने से पहले, सर्वप्रथम इस बात का आश्वासन मिलना चाहिये कि जब इस मामले में मतदान होगा, तो बहुमत दलितों को मंदिर–प्रवेश की अनुमति देने के पक्ष में होगा। यदि किसी को कोई भ्रम न हो तो, यह बात हर कोई स्वीकार करेगा कि मंदिर–प्रवेश के पक्ष में बहुमत मिलने की उम्मीद पूरी होने की संभावना यदि कुछ है भी तो, बहुत ही कम है। एक तथ्य

जो कि शंकराचार्य के साथ हुये पत्र–व्यवहार में इस विधेयक के लेखक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। वह है कि आज बहुत निश्चित रूप से इसके विरुद्ध है।

ऐसी कौन सी स्थिति विधेयक के पारित होने के बाद पैदा हो जायेगी, जिससे कोई उम्मीद कर सके कि बहुमत मंदिर प्रवेश के पक्ष में रहेगा। मेरी समझ से कोई नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे गुरूवायूर मंदिर के संबंध में हुए मत संग्रह का परिणाम याद रखना चाहिये, लेकिन मैं ऐसे बहुमत संग्रह को सामान्य परिणाम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, जो महात्मा गांधी के जीवन से इतना अधिक प्रभावित हो। इस तरह की किसी भी गणना से पहले गांधी जी का प्रभाव हटा दिया जाना चाहिये।

दूसरे, यह विधेयक मंदिरों में अस्पृश्यता को कोई पापपूर्ण रिवाज नहीं समझता। यह अस्पृश्यता को केवल एक सामाजिक बुराई मानता है, जो किसी अन्य तरह की सामाजिक बुराई के समान ही है। क्योंकि, यह स्वयं अस्पृश्यता को अवैध घोषित नहीं करता। इसका बाध्यकारी बल तभी समाप्त होता है, यदि बहुमत ऐसा फैसला दे। पाप या अनैतिकता को केवल इसलिये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि अधिकांश लोगों को इसकी लत है या अधिकांश लोग इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं। यदि अस्पृश्यता एक पापपूर्ण और अनैतिक रिवाज है, तो दलित वर्गों की नजर में इसे बिना किसी संकोच के नष्ट कर दिया जाना चाहिए, चाहे बहुमत को यह स्वीकार्य हो। यही वह तरीका है, जिससे अदालत अन्य सभी रीति–रिवाजों से निबटती है, अगर उसे लगता है कि वे रीति–रिवाज अनैतिक और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हैं।

यह विधेयक ऐसा नहीं करता। इस विधेयक के लेखक का दृष्टिकोण अस्पृश्यता के प्रचलन के प्रति केवल उतना ही गंभीर है, जितना कि शराब छुड़ाने वाले का शराब पीने की आदत के प्रति होता है। वास्तव में, इन दोनों के बीच कल्पित समानता से वह इतना प्रभावित है कि उसने तरीका भी वही अपनाया है जिसकी वकालत मद्यपान छुड़ाने वालों द्वारा पीने की इस बुरी आदत को छुड़ाने के लिये की जाती है, अर्थात् स्थानीय विकल्प के द्वारा। दलित वर्गों के ऐसे मित्र के प्रति अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं होती, जो अस्पृश्यता को शराब पीने की आदत से ज्यादा बुरा नहीं समझता। यदि श्री रंगा अय्यर यह नहीं भूले होते कि अभी कुछ ही महीने पहले श्री गांधी ने स्वयं को आमरण अनशन के लिये तैयार कर लिया था, यदि अस्पृश्यता नहीं मिटाई जाती है, तो उन्होंने इस अभिशाप के प्रति अधिक गंभीर दृष्टिकोण अपनाया होता और अस्पृश्यता के संपूर्ण उन्मूलन के लिये कोई बेहद व्यापक सुधार प्रस्तावित किया होता। प्रभावपूर्णता की दृष्टि से इस विधेयक में चाहे जो भी कमियाँ हों, दलित वर्ग इस विधेयक से कम से कम इतनी उम्मीद करते हैं कि यह इस सिद्धांत को मान्यता दे कि अस्पृश्यता एक पाप है।

मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूँ कि महात्मा गांधी इस विधेयक से कैसे संतुष्ट हैं, जो हमेशा से ही इस बात पर दृढ़ रहे हैं कि अस्पृश्यता एक पाप है! यह विधेयक निश्चित तौर पर दलित वर्गों को तो संतुष्ट नहीं करता। यह प्रश्न कि यह विधेयक अच्छा है या बुरा है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है– एक गौण प्रश्न है।

मुख्य प्रश्न यह है : दलित वर्ग मंदिरों में प्रवेश का अधिकार चाहते हैं या नहीं? इस मुख्य प्रश्न पर दलित वर्गों द्वारा दो नजरियों से विचार किया जा रहा है। पहला भौतिकतावादी दृष्टिकोण है। इससे शुरुआत करें तो, दलित वर्ग सोचते हैं कि उनके उत्थान का सुनिश्चित रास्ता उच्च शिक्षा, अधिक रोजगार और आजीविका कमाने के बेहतर तरीके हैं। एक बार जब वे सामाजिक जीवन के पैमाने पर सही स्तर पर आ जायेंगे, तो वे सम्मान्नीय हो जायेंगे और जब वे सम्माननीय हो जायेंगे, तब उनके प्रति रूढ़िवादियों के धार्मिक दृष्टिकोण में निश्चित रूप से परिवर्तन आयेगा और यदि ऐसा नहीं भी होता है, तो भी उनके भौतिकतावादी हितों का इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। इस स्तर पर पहुँचकर दलित वर्ग कह सकते हैं कि हम अपने संसाधन मंदिर प्रवेश जैसी थोथी चीजों पर खर्च करें। एक अन्य कारण भी है कि वे इसके लिये क्यों नहीं लड़ना चाहते। यह तर्क आत्म–सम्मान का तर्क है।

ज्यादा समय नहीं हुआ है जब भारत में यूरोपियों द्वारा चलाये जाने वाले क्लबों और अन्य सामाजिक विश्राम–गृहों के दरवाज़ों पर बोर्ड लगे होते थे "कुत्तों और भारतीयों'' को आने की अनुमति नहीं है। आज हिन्दुओं के मंदिरों पर वही बोर्ड लगे होते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि हिन्दू मंदिरों के बोर्ड पर लिखा होता है," सभी हिन्दू तथा कुत्तों सहित, सभी जानवर आ सकते हैं, केवल अस्पृश्यों को आने की अनुमति नहीं है।" स्थिति दोनों ही मामलों में एक–सी है। लेकिन हिन्दुओं ने कभी उन स्थानों पर प्रवेश पाने के लिये विनती नहीं की, जिनसे यूरोपियों ने अपने अंहकार की वजह से उन्हें बाहर कर रखा था। तो फिर अस्पृश्य ऐसे स्थानों पर प्रवेश पाने के लिये क्यों मिन्नत करें, जिनसे हिन्दुओं ने अपने अहंकार के कारण उन्हें दूर रखा हुआ है? यह उस दलित वर्ग के व्यक्ति का तर्क है, जिसकी दिलचस्पी अपने भौतिक कल्याण में है। वह हिन्दुओं से यह कहने के लिये तैयार है कि "मंदिर खोलने हैं या नहीं खोलने हैं, यह तुम्हारे लिये विचार करने का प्रश्न है, मेरे लिये संघर्ष करने का नहीं।" यदि आपको लगता है कि मानव व्यक्तित्व की पवित्रता का सम्मान न करना शिष्टाचार के खिलाफ है, तो अपने मंदिर खोल दीजिये और भद्रजन बन जाइये। यदि आपको भद्रजन बनने की बजाय एक हिन्दू कहलाना ज्यादा पसंद हो तो अपने मंदिरों के द्वार बंद कर दो और भाड़ में जाओ, क्योंकि मुझे मंदिर में आने की कोई परवाह नहीं।"

मुझे यह तर्क इसी रूप में रखना जरूरी लगा, क्योंकि मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्तियों के दिमाग़ से यह भ्रम मिटाना चाहता हूँ कि दलित वर्ग बड़ी उम्मीद से अपना संरक्षण पाने का इंतजार कर रहे हैं।

दूसरा नज़रिया आध्यात्मिक है। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के नाते, दलित वर्गों के लोग मंदिर में प्रवेश की अनुमति चाहते हैं या नहीं? प्रश्न यह है कि आध्यात्मिक नजरियों से, वे मंदिर प्रवेश के प्रति उतने उदासीन नहीं हैं, जितना कि वे तब होते, यदि अकेला भौतिकवादी दृष्टिकोण ही मौजूद होता। लेकिन उनका अंतिम उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि महात्मा गांधी तथा अन्य हिन्दुओं का इस प्रश्न पर क्या जवाब होता है कि मंदिर प्रवेश के इस प्रस्ताव के पीछे क्या अभियान है? क्या मंदिर प्रवेश हिन्दू समुदाय में दलित वर्गों के सामाजिक स्तर के उत्थान का अंतिम लक्ष्य है? या यह केवल पहला क़दम है और यदि यह पहला क़दम है, तो चरम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य मंदिर प्रवेश ही है, इस बात को दलित वर्ग कभी समर्थन नहीं दे सकता। वे वास्तव में न केवल इसे अस्वीकार कर दें, बल्कि तब वे स्वयं को हिन्दू समाज द्वारा अस्वीकार किया हुआ समझेंगे और अपना भाग्य कहीं और प्राप्त करने के लिये आज़ाद होंगे। दूसरी ओर, यदि यह उनके उत्थान के लिये उठाया जा रहा पहला क़दम मात्र है, तो वे इसे अवश्य समर्थन देना चाहेंगे। तब स्थिति उसके सदृश होगी, जो भारत की राजनीति में आज हो रहा है। सभी भारतीयों ने भारत के लिये डोमिनियन स्टेटस का दावा किया है। वास्तविक संविधान डोमिनियन स्टेटस को पूरा नहीं कर सकेगा और कई भारतीय इसको स्वीकार कर लेंगे। क्यों? उत्तर यह है कि चूंकि लक्ष्य परिभाषित है, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि इसको एक ही छलांग में न प्राप्त करें, एक–एक क़दम बढ़ाकर प्राप्त किया जाये। लेकिन यदि अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य को स्वीकार न किया होता, तो उन आंशिक सुधारों को किसी ने भी स्वीकार न किया होता, जिन्हें स्वीकार करने के लिये अब अधिकांश तैयार हैं। इसी तरह, यदि महात्मा गांधी तथा अन्य सुधारक उस लक्ष्य की घोषणा करें जो उन्होंने हिन्दू समुदाय में दलित वर्गों के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये अपने सामने तय किया है, तो दलित वर्ग के लिये मंदिर प्रवेश के प्रति अपना नजरिया परिभाषित करना आसान होगा। दलित वर्गों का लक्ष्य भी यहाँ सभी संबद्ध लोगों की जानकारी तथा विचार के लिये स्पष्ट किया जा सकता है। दलित वर्गों को एक धर्म चाहिये, जो उन्हें सामाजिक स्तर की समानता प्रदान कर सके। कोई गलतफहमी न हो, इसके लिये मैं धर्म–निरपेक्ष कारणों के चलते पैदा हुई सामाजिक बुराई तथा धर्म के सिद्धांत पर आधारित सामाजिक बुराइयों के बीच अंतर स्पष्ट करके अपना मत समझाना चाहूँगा। एक सभ्य समाज में सामाजिक बुराइयों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। लेकिन सामाजिक बुराइयों को धार्मिक आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराने से अधिक घृणास्पद और नीच कृत्य और कुछ

नहीं हो सकता। दलित वर्ग उन असमानताओं को नहीं मिटा सकते जिनका वे शिकार हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वे ऐसे धर्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो इन असमानताओं को जारी रखने में समर्थन देगा।

यदि हिन्दू धर्म उनका धर्म है, तो इसे सामाजिक समानता का धर्म बनना पड़ेगा। हिन्दू धर्म संहिता में सभी के लिए मंदिर प्रवेश की अनुमति का प्रावधान डालकर मात्र संशोधन कर देने से हिन्दू धर्म सामाजिक स्तर की समानता वाला धर्म नहीं बन सकता। इससे बस यह होगा कि उन्हें भारतीय (राष्ट्रीय) के रूप में मान्यता मिल जायेगी और वे विदेशी (यदि मैं इस संबंध में वे शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो राजनीति में इतने सुपरिचित हो चुके हैं) नहीं कहलायेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इससे वे उस स्थिति पर पहुँच जायेंगे जहाँ वे आज़ाद और समान होंगे, किसी दूसरे से ऊपर या नीचे हुए बिना और इसका बिल्कुल सीधा–सा कारण है कि हिन्दू धर्म सामाजिक समानता के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। दूसरी ओर यह लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के रूप में वर्गीकृत करके असमानता को प्रोत्साहित करता है, जो अब एक दूसरे के सामने नफ़रत का बढ़ता हुआ क्रम और अवमानना का घटता हुआ क्रम लिये हुए खड़े हैं। यदि हिन्दू धर्म को सामाजिक समानता का धर्म बनना हो, तो मंदिर–प्रवेश के लिये इसकी संहिता में संशोधन कर देना ही पर्याप्त नहीं है। इसे चतुर्वर्ण के सिद्धांत से मुक्त करने की आवश्यकता है। यही असमानता का मूल कारण है और जाति प्रणाली तथा अस्पृश्यता का जन्मदाता भी यही है, जो कि असमानता का रूप मात्र हैं। जब तक यह नहीं किया जाता, तब तक दलित वर्ग न केवल मंदिर प्रवेश को अस्वीकार करेगा बल्कि हिन्दू मत को भी अस्वीकार करेगा। चतुर्वर्ण और जाति प्रणाली दलित वर्गों के आत्म–सम्मान के साथ असंगत हैं। जब तक ये इसके प्रमुख सिद्धांत रहते हैं, दलित वर्गों की ओर हेय दृष्टि से देखा जाता रहेगा। दलित वर्ग केवल तभी अपने आपको हिन्दू कह सकते हैं, जब चतुर्वर्ण और जाति प्रणाली का सिद्धांत छोड़ दिया जाये और हिन्दू शास्त्रों में से इसे मिटा दिया जाये। क्या महात्मा और अन्य हिन्दू सुधारक इसे अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और क्या वे इसे प्राप्त करने की दिशा में काम करने का साहस रखते हैं? अपना अंतिम नज़रिया तय करने से पहले मुझे इस मुद्दे पर इनकी घोषणा का इंतज़ार है। लेकिन चाहे महात्मा गांधी और अन्य हिन्दू इसके लिये तैयार हों या न हों, हम यह बता दें कि इससे कम कुछ भी दलित वर्गों को संतुष्ट नहीं कर पायेगा और न ही उन्हें मंदिर प्रवेश स्वीकार करने के लिये सहमत कर पायेगा। मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लेने और इससे संतुष्ट हो जाने का अर्थ बुराई से समझौता कर लेना और अपने अंदर बसी मानव व्यक्तित्व की पवित्रता का सौदा कर लेना होगा।

हालांकि, मेरे द्वारा रखी गई स्थिति पर महात्मा गांधी और अन्य हिन्दू सुधारक एक तर्क दे सकते हैं। वे कह सकते हैं : दलित वर्गों द्वारा इस समय मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लेने से, बाद में चतुर्वर्ण और जाति प्रणाली मिटाने के लिये आंदोलन करने का उनका अधिकार नहीं चला जायेगा। यदि उनका यह दृष्टिकोण है, तो मैं इस तर्क का जवाब इसी चरण में दे देना चाहूँगा, ताकि मामला निबट जाए और भावी विकासों के लिये रास्ता साफ़ हो सके। मेरा जवाब है कि यह सत्य है कि चतुर्वर्ण और जाति प्रणाली मिटाने के लिये संघर्ष करने का मेरा अधिकार खत्म नहीं होगा, यदि मैं अभी मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लूँ। लेकिन सवाल यह है कि जब यह प्रश्न रखा जायेगा, तब महात्मा गांधी किस तरफ होंगे? यदि वे मेरे विरोधियों के खेमे में होंगे, तो मैं उन्हें अभी बता दूँ कि मैं उनके खेमे में नहीं रह सकता और यदि वे मेरे पक्ष में रहने वाले हैं, तो उन्हें अभी मेरे पक्ष में हो जाना चाहिए।

बी.आर. अम्बेडकर

"डॉ. अम्बेडकर के सम्प्रदाय के दलित वर्ग के लगभग सभी नेताओं ने अपने नेता के विचारों का समर्थन किया। श्रीनिवासन, प्रेमताई और मलिक ने अपने नेता के विचारों का अनुमोदन किया।

इसके जवाब में गांधी ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, "मैं एक हिन्दू हूँ, मात्र इसलिये नहीं कि मेरा जन्म हिन्दू समुदाय में हुआ, बल्कि मैं दृढ़ विश्वास और अपनी इच्छा से हिन्दू हूँ। मेरी धारणा वाले हिन्दुत्व में कोई बड़प्पन या घटियापन नहीं है। लेकिन यदि डॉ. अम्बेडकर वर्णाश्रम से ही संघर्ष करना चाहते हैं, तो मैं उनके खेमे में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं वर्णाश्रम को हिन्दू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा मानता हूँ।''[1*]

उपरोक्त सत्याग्रह के संबंध में डॉ. अम्बेडकर ने भाऊराव गायकवाड़ को लिखे निम्न–पत्र में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया :

भीमराव आर. अम्बेडकर	राजगृह कॉलोनी,
एम.ए., पी.,एच.डी., डी.एस.सी.	दादर, बम्बई–14,
बैरिस्टर–एट–लॉ, जे.पी.,	3–3–34
एम.एल.सी.	

---

1. कीर, पृष्ठ 230।

* मंदिर–प्रवेश अभियान पर टिप्पणी के लिए परिशिष्ट–VI देखें।

प्रिय भाऊराव,

आपका 23 फरवरी का पत्र मिला। आपकी कृपा है कि आपने मुझसे आगामी राम नवमी पर नासिक के कलाराम मंदिर में दलित वर्गों द्वारा सत्याग्रह शुरू करने की उपयुक्तता पर मेरे विचार पूछे हैं। मैं यह कहूँगा कि इस तरह का क़दम अनावश्यक होगा और इसे न केवल स्थगित करना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से बंद कर देना चाहिये। सत्याग्रह का सृजन करने वाले व्यक्ति के मुँह से ऐसी बात आपको अजीब और आश्चर्यजनक लग सकती है। लेकिन मैं इस मोर्चे पर बदलाव की घोषणा करता हूँ। मैंने मंदिर–प्रवेश आंदोलन इसलिये शुरू नहीं किया था कि मैं चाहता था कि दलित वर्ग मूर्तियों की उपासना करें, जिनकी उपासना से उन्हें रोका जा रहा था क्योंकि मैं सोचता था कि मंदिर–प्रवेश से वे हिन्दू समाज के समान सदस्य और अभिन्न हिस्सा बन जायेंगे। जहाँ तक मामले के इस पहलू का संबंध है, मैं दलित वर्गों को सलाह दूँगा कि हिन्दू समाज का अभिन्न अंग बनना स्वीकार करने से पहले वे हिन्दू समाज तथा हिन्दू धर्मशास्त्र को पूरी तरह से बदलने पर दृढ़ रहें। मैंने मंदिर–प्रवेश सत्याग्रह केवल इसलिये शुरू किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि दलित वर्गों में ऊर्जा का संचार करने और उन्हें अपनी स्थिति के प्रति जागरूक करने का यही सर्वोत्तम तरीका था। जैसा कि मुझे विश्वास है कि वह उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है, अतः अब मुझे मंदिर प्रवेश आंदोलन की कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि दलित वर्ग अपनी ऊर्जा और संसाधन राजनीति और शिक्षा पर लगायें और मुझे उम्मीद है कि वे दोनों का महत्त्व समझ जायँगे।

आपका,

ह./–बी.आर. अम्बेडकर"[1]

तदनुसार सत्याग्रह तुरंत रोक दिया गया–संपादक

"नासिक मंदिर सत्याग्रह क्यों छोड़ दिया गया"

"अब और आवश्यकता नहीं"

नासिक, 19 नवम्बर, 1934

विंचूर के स्वर्गीय श्री धोंधिबा रून्खाम्बे के देहांत के 11वें दिन के समारोह में विंचूर में एकत्र हुई दलित वर्गों की 15,000 सदस्यों से भी अधिक की विशाल भीड़ के

---

1. खैरमोर, खंड–3, पृष्ठ 357–358।

समक्ष डॉ. अम्बेडकर ने एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनसे बार–बार पूछा जा रहा है कि कलाराम मंदिर आंदोलन गत दो वर्षों से स्थगित क्यों कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी एकमात्र कारण यह है कि इस तरह के आंदोलन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर–प्रवेश सत्याग्रह के सृजनकर्ता के मुँह से आपको यह बात अजीब और आश्चर्यजनक लग सकती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर–प्रवेश आंदोलन इसलिये शुरू किया गया था क्योंकि उन्हें लगा था कि दलित वर्गों में ऊर्जा का संचार करने और उन्हें उनकी स्थिति के प्रति जागरूक करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। उनका मानना था कि वह उद्देश्य हासिल कर लिया गया है और इसलिये मंदिर–प्रवेश की अब कोई आवश्यकता नहीं।

उन्होंने दलित वर्गों को मंदिर प्रवेश की बजाय अपनी ऊर्जा तथा संसाधन राजनीति में लगाने की सशक्त राय दी। चूँकि, आने वाले सुधारों में उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य और इस प्रकार अपने मानक तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

अंत में, उन्होंने नासिक मंदिर–प्रवेश सत्याग्रहियों की भूरि–भूरि प्रशंसा की और कहा कि इन्होंने न केवल अपने भाइयों को जगाया है और उन्हें हिन्दू समाज में उनकी असली जगह का एहसास कराया है, बल्कि पूरे सभ्य संसार में दलित वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति भी पैदा की है। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।"[1]

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में "कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिये क्या किया है" विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिसमें उन्होंने कहा है :

"अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिये यहाँ श्री गांधी के पास एक अवसर था। वे यह प्रस्ताव रख सकते थे कि यदि कोई हिन्दू काँग्रेस के सदस्य के रूप में भर्ती होना चाहता है, तो उसे साबित करना होगा कि वह अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखता और अपने इस दावे को सही साबित करने हेतु उसे अपने घर में एक अस्पृश्य को रोज़गार देना होगा और इसके अलावा कोई भी साक्ष्य उसके इस दावे का सबूत नहीं माना जायेगा। ऐसा प्रस्ताव अव्यावहारिक नहीं होता, क्योंकि लगभग हर हिन्दू, विशेषतः स्वयं को सवर्ण हिन्दू कहने वाले अपने घर में एक से अधिक नौकर रखते हैं। यदि श्री गांधी हिन्दू के लिए चरखा कातने और

---

1. द टाइम्स ऑ॑ इंडिया, 21 नवम्बर, 1934।

बहिष्कार को काँग्रेस की सदस्यता पाने के लिये योग्यता रख सकते हैं, तो वे हिन्दू परिवार द्वारा अपने घर में एक अस्पृश्य को रोजगार देने को भी काँग्रेस का सदस्य बनने की योग्यता तय कर सकते थे। लेकिन श्री गांधी ने ऐसा नहीं किया।

वर्ष 1924 के बाद से वर्ष 1930 तक कुछ भी नहीं किया गया है। इस अवधि के दौरान श्री गांधी ने अस्पृश्यता हटाने के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये हैं और न ही अस्पृश्यों के लिये लाभदायक किसी गतिविधि में दिलचस्पी दिखाई है। जब श्री गांधी निष्क्रिय थे, तब अस्पृश्यों ने स्वयं ही 'सत्याग्रह' नाम का एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य मंदिरों में प्रवेश करने तथा सार्वजनिक कुँओं से पानी लेने के अस्पृश्यों के अधिकार को स्थापित करना था। बम्बई प्रेसिडेंसी के कोलाबा जिले के एक कस्बे महाड में स्थित चौदर टैंक में सत्याग्रह सार्वजनिक जल स्रोतों से अस्पृश्यों के पानी लेने के अधिकार को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंस के नासिक जिले के नासिक कस्बे में स्थित कलाराम मंदिर में सत्याग्रह अस्पृश्यों के हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। कई छोटे–छोटे सत्याग्रह भी किये गये। हालांकि, दो प्रमुख यही थे, जिन पर अस्पृश्यों और उनके विरोधी, सवर्ण हिन्दुओं के प्रयास केंद्रित थे। इनके द्वारा मचाया गया शोर–गुल पूरे भारत में सुना गया। अस्पृश्य वर्ग के हजारों स्त्री–पुरुषों ने इन सत्याग्रहों में हिस्सा लिया। अस्पृश्य स्त्री–पुरुषों को हिन्दुओं द्वारा बेइज्जत किया गया व मारा–पीटा गया। कई घायल हुए और कई को सरकार द्वारा शांति भंग करने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। यह सत्याग्रह आंदोलन पूरे छः वर्ष चला और 1935 में नासिक जिले के येऑला शहर में हुए एक सम्मेलन में इसे बंद करने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में अस्पृश्यों को समान सामाजिक अधिकार देने से इनकार करते हुए हिन्दुओं द्वारा अपनाये गये हठी रवैये को देखते हुए अस्पृश्यों ने हिन्दू समुदाय से बाहर चले जाने का संकल्प लिया। इस सत्याग्रह आंदोलन में निस्संदेह कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। यह अस्पृश्यों द्वारा आयोजित किया गया था, अस्पृश्यों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और इसे वित्तीय समर्थन भी अस्पृश्यों द्वारा ही दिया गया था। फिर भी अस्पृश्यों को श्री गांधी से नैतिक समर्थन मिलने की उम्मीद थी। क्योंकि सत्याग्रह का हथियार– जिसका प्रमख गुण यातना सह कर विरोधी का दिल पिघलाना है– वह हथियार था, जिसकी शुरुआत श्री गांधी द्वारा ही गई थी और उन्होंने कॉग्रेस का नेतृत्व करते हुए स्वराज प्राप्त करने हेतु इसे अंग्रेजों के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। स्वाभाविक था कि अस्पृश्य सवर्ण हिन्दुओं के विरुद्ध अपने सत्याग्रह में महात्मा गांधी के पूरे समर्थन की उम्मीद कर रहे थे। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अस्पृश्यों के सार्वजनिक कुँओं

से पानी लेने और सार्वजनिक हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार को स्थापित करना था। परंतु श्री गांधी ने सत्याग्रह को अपना समर्थन नहीं दिया और समर्थन न देने के अलावा उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की।

इस संदर्भ में मानवीय गलतियों को सुधारने हेतु अपनाये जाने वाले दो अनोखे हथियारों का उल्लेख किया जा सकता है। उन्हें गढ़ने और निष्पादित करने का पूरा श्रेय विशिष्ट रूप से श्री गांधी को जाता है। पहला है, सत्याग्रह। श्री गांधी ने सत्याग्रह के इस हथियार का प्रयोग राजनीतिक त्रुटियों को दूर करने हेतु ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कई बार किया है। लेकिन श्री गांधी ने सत्याग्रह के इस हथियार का प्रयोग हिन्दुओं से अस्पृश्यों के लिये मंदिर एवं कुँएं खुलवाने के लिये हिन्दुओं के विरुद्ध कभी नहीं किया। उपवास श्री गांधी का दूसरा हथियार है। कहा जाता है कि श्री गांधी ने कुल मिलाकर 21 उपवास किये हैं। इनमें से कुछ हिन्दू–मुस्लिम एकता के लिये थे और अनेक उनके आश्रम के सदस्यों द्वारा किये गये अनैतिक कृत्यों के प्रायश्चित स्वरूप। एक उपवास बम्बई सरकार द्वारा पटवर्धन नाम के क़ैदी को अपमार्जक का काम दिये जाने से इनकार करने के आदेश के विरुद्ध किया गया था, यद्यपि उसने स्वयं ही इस कार्य की मांग की थी। इन 21 उपवासों में से अस्पृश्यता मिटाने के लिये एक भी नहीं था। ये तथ्य काफ़ी उल्लेखनीय हैं।

सन् 1930 में गोल मेज़ सम्मेलन हुआ। श्री गांधी 1931 में सम्मेलन की चर्चाओं में शामिल हुए। सम्मेलन। भारत के स्वशासन के लिए संविधान तैयार करने के महत्त्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित था। इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि यदि भारत को स्वशासित देश बनना है तो सरकार जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए। हर कोई सहमत था कि जब कोई सरकार वास्तविक रूप में जनता द्वारा सरकार होगी तभी वह जनता की और जनता के लिए सरकार बन सकेगी। समस्या यह थी कि समुदायों, बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों (जो न सिर्फ सामाजिक फूट बल्कि सामाजिक प्रतिद्वन्द्विता से भी आवेशित हैं) में बँटे देश में जनता की सरकार कैसे बनाई जाए। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह सहमति बनी कि भारत में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विधायिका और कार्यपालिका बनाए बिना जनता की सरकार की कोई संभावना नहीं है।

सम्मेलन में अस्पृश्यों की समस्या छाई रही। इसने एक नया पहलू ग्रहण किया। प्रश्न यह था: क्या अछूतों को इसी तरह हिन्दुओं के रहमो–करम पर छोड़ दिया जाए अथवा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का उन तक विस्तार करके उन्हें अपनी रक्षा करने के माध्यम प्रदान किए जाएँ? हिन्दुओं की दया पर छोड़े जाने का अछूतों ने सख्ती से विरोध किया तथा अन्य अल्पसंख्यकों को दी गई सुरक्षा जैसी ही सुरक्षा

की माँग की। अछूतों का दावा सबने स्वीकार किया। यह न्यायोचित और तर्कसंगत था। उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं और मुसलमानों, हिंदुओं और सिक्खों, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच दरार उस दरार की तुलना में कुछ भी नहीं, जो हिंदूओं और अछूतों के बीच है। यह अत्यंत व्यापक और अत्यधिक गहरी है। हिंदुओं और मुसल. मानों के बीच दरार धार्मिक है, सामाजिक नहीं। हिंदुओं और अछूतों के बीच दरार धार्मिक भी है और सामाजिक भी। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच विद्यमान दरार से उपजी प्रतिद्वन्द्विता मुसलमानों के लिए राजनीतिक आपदा नहीं कही जा सकती क्योंकि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच का संबंध मालिक और दास का संबंध नहीं है। यह तो सिर्फ एक मनमुटाव है। दूसरी तरफ हिंदुओं और अछूतों के बीच दरार को अछूतों के लिए राजनीतिक आपदा कहा जाना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच स्वामी और दास का संबंध है। अछूतों ने दावा किया कि सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके और हिन्दुओं के बीच खाई को पाटने के प्रयास सदियों से किए जाते रहे हैं। वे सब प्रयास नाकाम रहे हैं। उनकी सफलता की कोई आशा नहीं है। सत्ता हिन्दुओं के हाथों में हस्तांतरित की जा रही है इसलिए यदि बेहतर नहीं तो उसी स्तर के सुरक्षा उपाय अछूतों के लिए भी किए जाने चाहिएँ जैसे कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों से संबंधित लोगों के लिए किए जा रहे हैं।

यहाँ श्री गांधी के पास अछूतों की माँग का समर्थन करके तथा हिन्दुओं के अत्याचार और उत्पीड़न के प्रतिरोध की उनकी शक्ति को मजबूत करके अछूतों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने का मौका था। अपनी सहानुभूति दिखाने के बजाय श्री गांधी ने उनको पराजित करने के लिए अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने अछूतों को अलग–थलग करने के लिए मुसलमानों के साथ समझौता किया। मुसलमानों को अपने पक्ष में करने में नाकाम होकर वे अछूतों को वैसे ही राजनीतिक अधिकार (जैसे कि मुसलमानों और अन्य समुदायों को दिए गए थे) देने के निर्णय को वापस लेने पर ब्रिटेन सरकार को बाध्य करने के लिए आमरण भूख हड़ताल पर चले गए। जब भूख–हड़ताल नाकाम हो गई और श्री गांधी पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने पर विवश हुए जिसमें अछूतों की राजनीतिक माँगें मान ली गईं तो उन्होंने इसका बदला उनके राजनीतिक अधिकारों को व्यर्थ करने के लिए काँग्रेस को चुनाव के अनुचित तरीके अपनाने की छूट देकर लिया।"

---

1. लेख और भाषण, खंड – 9 पृष्ठ 246–249।

अध्याय – V

अन्य गतिविधियाँ

मैं चरित्रवान हूँ

"भीमवराव अम्बेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोनी 2 फरवरी, 1913 को चल बसे। भीमराव अम्बेडकर को अब अपने पैरों पर खड़ा होना था। ज्ञान के लिये उनकी उत्कट प्यास और महत्वाकांक्षा की प्रेरणा ने उन्हें बेचैन कर दिया। अब उनकी बड़ौदा में अपनी नौकरी पर वापस लौटने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वहाँ वे कुछ ही समय रहे थे, लेकिन नाखुश रहे थे। अन्ततः जून, 1913 में उन्हें एक और मौका मिला। उस समय बड़ौदा के महाराजा* ने कुछ छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अमरीका की कोलम्बिया यूनिवसिर्टी में भेजने का विचार बनाया।"[1]

"जब महामहिम महाराजा बम्बई में थे, तब बड़ौदा में अपनी सेवा तथा आवासीय सुविधा में झेली गई असुविधाओं से उन्होंने अवगत कराने हेतु भीमराव उनसे मालाबार हिल के महल में मिले। महामहिम महाराज को भीमराव के विषय में लगभग सभी कुछ पहले से ही मालूम था। भीमराव द्वारा झेली गई असुविधाओं के विषय में एक शब्द भी न कहकर महाराजा उनसे अन्य विभिन्न विषयों पर बात करते रहे। मह. ामहिम महाराजा द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों पर भीमराव ने अपना दृष्टिकोण बताया। लगभग आधे घंटे की चर्चा के बाद महाराजा ने उन्हें कल उसी समय आने कहा। चूंकि महाराजा ने भीमराव की शिकायतों पर एक शब्द भी नहीं कहा था, इसलिए भीमराव उदास थे।

अगले दिन महामहिम महाराजा ने पूछा कि वे कौन–सा विषय पढ़ना चाहेंगे। भीमराव ने जवाब दिया, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विशेष रूप से वित्त।

महामहिम महाराजा : ये विषय पढ़कर तुम क्या करोगे?

भीमराव : इन विषयों के अध्ययन से मुझे अपने समाज की पिछड़ी हुई स्थिति सुधारने के सुराग मिलेंगे और उन्हीं की तर्ज़ पर मैं सामाजिक सुधार का कार्य करूँगा।

महामहिम महाराजा : (हँसते हुए) लेकिन तुम तो हमें अपनी सेवायें प्रदान करने वाले हो, है ना? फिर तुम अध्ययन, सेवा और

---

*. बड़ौदा के महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ का जन्म 1 मार्च, 1863 को हुआ था। उनका राज्याविभेषक 28, दिसम्बर, 1881 को हुआ। महाराजा ने 6 फरवरी, 1939 को बम्बई स्थित अपने जय महल में अंतिम सांस ली।

1. कीर, पृष्ठ 24–26।

साथ ही समाज सेवा भी कैसे करोगे?

भीमराव : यदि महामहिम महाराजा मुझे पर्याप्त अवसर दें, तो मैं सभी कुछ कर लूँगा।

महामहिम महाराजा : मैं भी यही सोच रहा था। मैं तुम्हें अमरीका भेजने की सोच रहा हूँ, क्या तुम जाओगे?

भीमराव : जी हाँ।

महामहिम महाराजा : अब तुम जा सकते हो। हमारे शिक्षा अधिकारी से स्कॉलरशिप माँगते हुए विदेश में प्रस्तावित अध्ययन का एक आवेदन भेजो और मुझे सूचित करो।"[1]

"उन्होंने भीमराव को अपने राज्य द्वारा विज्ञापित किसी एक एक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन भेजने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया और महाराजा ने तीन अन्य छात्रों के साथ भीमराव को उच्च शिक्षा के लिये भेजने का फैसला लिया। भीमराव को बड़ौदा बुलाया गया। 4 जून, 1913 को उन्होंने बड़ौदा राज्य के सहायक शिक्षा मंत्री के समक्ष एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने अपना समय निर्धारित विषय पढ़ने पर लगाने और अपना अध्ययन पूरा होने के बाद 10 वर्ष के लिये बड़ौदा राज्य को अपनी सेवायें प्रदान करने का क़रार किया।"[2]

करारनामे का ज्ञापन इस प्रकार है

"4 जून 1913 को एक ओर बड़ौदा के महामहिम महाराजा गायकवाड़ की सरकार और दूसरी ओर बड़ौदा* निवासी श्री भीमराव आर. अम्बेडकर, बी.ए. के बीच हुए क़रारनामे का ज्ञापन।

महामहिम महाराजा गायकवाड़ की सरकार और भीमराव आर. अम्बेडकर के बीच निम्न बातों के लिये क़रार हुआः—

(1) श्री अम्बेडकर भीमराव आर. कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में वित्त तथा समाजशास्त्र में प्रशिक्षित होने और अर्थशास्त्र, वित्त तथा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर

---

1. खेरमोर, खंड 1, पृष्ठ 63—64।

2. कीर, पृष्ठ 26।

* 'बम्बई होना चाहिए अन्य विवरणों के लिए परिशिष्ट VII भी देखें।

उपाधि प्राप्त करने हेतु अमरीका जायेंगे और वहाँ दो वर्ष या इससे अधिक, समय तक जैसा भी आवश्यक समझा जायेगा, रहेंगे। इस अवधि के दौरान वे डॉ. एच.सी. पम्पस के सामान्य पर्यवेक्षण में रहेंगे।

(2) श्री भीमराव अम्बेडकर महामहिम की सरकार की अनुमति के बिना अपना समय किसी अन्य विषय या विषयों के अध्ययन में नहीं लगायेंगे, जो क़रारनामे में उल्लिखित विषयों के उनके अध्ययन के लिये अहितकर हो।

(3) उन्हें बड़ौदा राज्य के शिक्षा मंत्री को उन शिक्षा प्राधिकारियों, जिनके अधीन वे अध्ययन कर रहे हैं, या डॉ. एच.सी. पम्पस, जिनके संरक्षण में वे रह रहे हैं, के माध्यम से अपने आचार तथा प्रगति के विषय में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजनी होगी और उन्हें समय–समय पर भेजे गए निर्देशों का पालन करना होगा।

(4) रवाना होने से पहले उन्हें वस्त्राादि के लिए 500 रुपये मिलेंगे।

(5) बम्बई से अमरीका तक की यात्रा के लिये महामहिम की सरकार उन्हें किसी फ्रांसीसी या जर्मन स्टीमर से द्वितीय श्रेणी का किराया उपलब्ध करायेगी। खण्ड (1) में उल्लिखित विषय या विषयों का अध्ययन सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर या अध्ययन पूरा होने से पहले किसी बीमारी की वजह से लौटने के लिए बाध्य होने पर, किसी चिकित्सा प्रमाण–पत्र के तहत, उन्हें यही किराया वापस आने के लिये भी उपलब्ध कराया जायेगा। अपने अध्ययन के संबंध में की गई प्रामाणिक यात्राओं के लिये भी उन्हें द्वितीय श्रेणी का रेलवे तथा बोट का किराया उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) बम्बई से अपनी यात्रा शुरू करने की तिथि से श्री अम्बेडकर को 230 पौंड प्रति वर्ष का भत्ता प्राप्त होगा और इसके अलावा सरकार उनके सभी खर्चों का भुगतान करेगी।

–अधूरा – एक पृष्ठ गायब है–

ए.सी. जोशी
भीमराव आर. अम्बेडकर
(आठ आने की स्टैम्प पर)
4 जून, 1913 को मेरे सामने हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित।
जी.एम. शाह
सहायक शिक्षा मंत्री,
बड़ौदा राज्य,

---

1. रत्तू : लिटिल नोन फैक्ट्स ऑफ डॉ. अम्बेडककर, पृष्ठ 227–228।

सरकार की ओर से”[1]

”श्री बी. आर. अम्बेडकर की ओर से किया गया व्यय* :

अमरीका में

रुपये	आने पाई	
1,373	12—0	वस्त्राादि 15—6—13 से तीन माह की छात्रवृत्ति और बड़ौदा से रेलगाड़ी का किराया
5,900	—	समुद्री यात्रा का किराया
3,828	0—0	15—6—13 से 14—6—14 तक छात्रवृत्ति और पुस्तकें, फीस इत्यादि, बिल नं. —843 / 25—4—14
6,912	3—7	15—6—14 से 14—9—15 तक छात्रवृत्ति नं. और पुस्तकें, फीस इत्यादि, बिल 898 / 28—7—16
3,651	7—10	15—9—15 से 14—6—16 तक छात्रवृत्ति और पुस्तकें, फीस इत्यादि, बिल नं. 1831 / 31—3—18

इंग्लैण्ड में

4,078	9—8	15—6—16 से 14—6—17 तक छात्रवृत्ति, बिल नं 1831 / 31—5—18, शिक्षा संबंधी व्यय और समुद्री यात्रा का किराया“

——————————————————” ।[1]

20,434—0—6

”महाराजा के हितों की रक्षा तथा राज्य के वित्त को नियंत्रित करने की अपनी घोर उत्कंठा के चलते बड़ौदा राज्य के अधिकारियों ने कुछ असाधारण क़दम उठाये और डॉ. अम्बेडकर से छात्रवृत्ति की राशि 20,434.05 रुपये[2] की वापसी का आग्रह किया। परंतु महाराजा को इसकी जानकारी नहीं थी।

---

*. अन्य विवरण के लिये संलग्नक VII, IX तथा देखें।

1. रत्तू रु लिटिल नेन फैक्ट्स ऑफ डॉ. अम्बेडकर, पृष्ठ 229।

2. दोनों रकमों के बीच मामूली सा अंतर—संपादक।

इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉ. अम्बेडकर उस धन राशि को वापस करने के लिये वचनबद्ध थे, जो बड़ौदा राज्य ने विदेश में अध्ययन करवाने हेतु उन पर खर्च की थी, लेकिन जैसी उनकी वर्तमान स्थिति थी, उसमें उनके पास अपने जीवनयापन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था तो अपने ऋण की वापसी कहाँ से करते। इन परिस्थितियों में उन्होंने बड़ौदा राज्य द्वारा उन पर खर्च की गई धनराशि लौटाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, हालांकि उन्होंने इसे लौटाने की अपनी इच्छा प्रकट की। इन्होंने बड़ौदा राज्य के सरकारी अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि उन्हें तब तक का समय दें, जब तक कि वे यह धन राशि लौटाने की स्थिति में न आ जायें।

छात्रवृत्ति की धन राशि वापस हासिल करने हेतु मुकदमा दायर करने के बड़ौदा राज्य सरकार के कदम पर श्री पंडित को डॉ. अम्बेडकर का पत्र। उनके अपने अद्भुत तरीके तथा शैली से लिखा गया यह पत्र काफी रोचक है। यही पत्र यहाँ अक्षरशः दिया जा रहा हैः

निजी

बी.आर. अम्बेडकर

दामोदर हॉल,
परेल, बम्बई

9—12—1924

प्रिय श्री पंडित,

इसी माह की छः तारीख के आपके पत्र के लिये बहुत शुक्रिया। मैंने इसकी विषय—वस्तु को काफी ध्यान से नोट कर लिया है। यदि आपने बड़ौदा सरकार के साथ हुआ मेरा पूर्व पत्र—व्यवहार देखा होता, तो आपको राज्य के प्रति मेरा यह दायित्व याद दिलाने की कुछ खास आवश्यकता महसूस न होती। चूँकि, मैंने उन्हें कई बार लिखा है कि मेरे और बड़ौदा राज्य के बीच कानूनी संबंध चाहे जो भी हों, मैं राज्य को अपने ऊपर किया गया खर्च लौटाने के लिये बाध्य हूँ। और मेरा विश्वास कीजिये, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक क्षण की भी देरी किये बिना इस दायित्व से स्वयं को मुक्त कर लेता। मैं स्वयं को वह कहने के लिये मुक्त महसूस करना चाहता हूँ जो मैं बड़ौदा सरकार द्वारा अपने साथ किये गये व्यवहार के विषय में मैं कहना चाहता हूॅ और जिससे आप पूरी तरह से अनभिज्ञ लगते हैं। लेकिन इस समय मेरी जो स्थिति है, उसमें मेरे पास अपनी आजीविका चलाने के

लिये भी पर्याप्त धन नहीं है, इसलिये मैं यह ऋण चुकाने के लिये बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। आप कहते हैं कि मैं अब बम्बई में "स्थापित" हूँ और आपको मेरे अपने दायित्वों को पूरा करने में कोई कठिनाई नज़र नहीं आती। मेरे लिये यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि "स्थापित" से आपका क्या तात्पर्य है। अगर आपको लगता है कि मैं ढेरों रुपये कमा रहा हूँ, तो मुझे अफसोस है कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लगता है, कि आप भूल गए हैं कि मैं केवल एक बैरिस्टर हूँ, जो काम पाने के लिये संघर्षरत है। सबसे पहले तो यह तथ्य है कि मुझे इस प्रैक्टिस में केवल एक ही वर्ष हुआ है। दूसरे, इस व्यवसाय में जाति–भेद व्यापक रूप से मौजूद है, जिसका सामना मुझे आगे बढ़ते हुए हर क़दम के साथ करना पड़ता है। मेरे लिये यह संघर्ष सबसे अधिक कड़वा है और इसलिये मुझे अपने स्तर तथा योग्यता से काफी नीचे की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। वर्तमान परिस्थितियों के तहत मैं राज्य द्वारा स्वयं पर खर्च की गई धन–राशि लौटाने में अभी असमर्थ हूँ, यद्यपि मैं लौटाने का इच्छुक हूँ। यदि बड़ौदा सरकार पैसे लौटाने में मेरी असमर्थता को मेरी अनिच्छा समझती है, तो उनके पास रास्ता है– अदालत जायें, डिक्री प्राप्त करें और इसे निष्पादित करें, अगर उन्हें लगता है कि यह वास्तव में उनके लिये फायदेमंद होगा। यह सच है कि यदि मामला अदालत में गया, तो समुदाय के नाम पर धब्बा लगेगा। दूसरी तरफ़, मुझे लगता है कि यदि मुकदमे के दौरान समुदाय को यह मालूम होता है कि बड़ौदा सरकार के प्रति मेरा क्या व्यवहार रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, जिसमें समुदाय को मेरी वजह से शर्मिन्दगी उठानी पड़े। दूसरी ओर, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मुकदमे के चलने के साथ–साथ जो कीचड़ उछलेगा उसके कुछ छींटे महामहिम महाराजा और बड़ौदा राज्य पर भी गिरेंगे, जिसके लिये दोनों को शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी।

बेशक, इस स्थिति से बचना बेहतर होगा। लेकिन इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बड़ौदा सरकार मुझे तब तक का समय दे जब तक मैं इस राशि का भुगतान करने की स्थिति में आता हूँ। लगता है बड़ौदा सरकार मुझे ठीक से नहीं जानती। मैंने उन्हें एक बार दिखाया है कि मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूँ। यदि मैं पर्याप्त चरित्रवान न होता तो मैं बड़ौदा कभी लौटता ही नहीं। मेरे पास ब्रिटिश सेवाओं में प्रवेश के कई ऑफर थे। इन ऑफरों को एक चरित्रवान व्यक्ति के अलावा और कौन ठुकरा सकता है? वे मुझे केवल एक स्वतंत्र अध्येता के रूप में जानते हैं। लेकिन वे भूल गये हैं कि स्वतंत्र केवल एक चरित्रवान व्यक्ति ही हो सकता है।

जो भी हो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गये होंगे कि मैं राज्य के प्रति अपने दायित्व पूरे करने के लिये बहुत उत्सुक हूँ और यदि मैं तुरंत ऐसा नहीं कर पा रहा

हूँ तो इसका कारण केवल मेरी कठिन परिस्थितियाँ हैं। जैसे ही मेरी परिस्थितियाँ ठीक होंगी, यकीन कीजिये, मैं भुगतान करना शुरू कर दूँगा। इससे अधिक मैं अभी कुछ भी कह या नहीं कर सकता। मेरा वास्तविक उद्देश्य, जो मैंने स्पष्ट किया है, इसका भुगतान बम्बई विश्वविद्यालय को करने और विश्वविद्यालय से यह निवेदन करने का है कि वह उस धन राशि से बड़ौदा के महाराजा के नाम से दलित वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ घोषित कर दे। यह धन मुझ पर दलित वर्ग का सदस्य होने के नाते खर्च किया गया था और मेरे विचार से यह राज्य के निजी प्रयोग के लिये नहीं जाना चाहिए, बल्कि दलित वर्ग के लाभ के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये। लेकिन, क्योंकि राज्य इतने व्यावसायिक तरीके से व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी योजना पसंद आयेगी।

इसके साथ ही मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप मेरे और बड़ौदा राज्य के बीच निर्णय लें।

मैंने आपके पत्र लिखने को गलत भाव से नहीं लिया है और मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे जवाब के प्रति कोई ग़लतफ़हमी नहीं रखेंगे।

उम्मीद करता हूँ कि आप कभी–कभार पत्र लिखते रहेंगे।

आपका

(बी.आर. अम्बेडकर)”[1]

---

1. रत्तू : लिटिल नोन फैक्ट्स ऑफ डॉ. अम्बेडकर, पृष्ठ 21–24।

2

प्रतिमा के स्थान पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होगा सर मेहता का सबसे अच्छा स्मारक

''यह डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रकाशन के लिये भेजा गया पहला पत्र है, जो उन्होंने सन् 1916 में कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, अमरीका में पढ़ते हुए भेजा था। बम्बई में म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर सर फीरोज़शाह मेहता की प्रतिमा बनाये जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा था। अख़बारों के ज़रिये यह जानकर डॉ. अम्बेडकर को लगा कि एक महान आदमी के स्मारक का यह बिल्कुल तुच्छ रूप होगा। उनके अनुसार स्मारक की सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिये, विशेषकर ज्ञान के प्रसार के लिये। इसलिये उन्होंने सर फ़ीरोजशाह मेहता के स्मारक के रूप में एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव रखा। यह पत्र उन भारतीयों के लिये आज भी शिक्षाप्रद और मार्गर्शक हो सकता है, जिन्हें महान हस्तियों की प्रतिमायें खड़ी करने की सनक है।''[1]

''स्वर्गीय सर फ़ीरोजशाह मेहता

सेवा में,

संपादक

द क्रॉनिकल

महोदय,

आप मुझसे सहमत होंगे कि भारत जैसे देश में, जिसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीकि स्थिति इतनी खराब है, सबसे अधिक आवश्यकता ईमानदार नेताओं की है, जो पुनरुद्धार का व्यापक कार्य करने का जिम्मा उठा सकें। स्वर्गीय श्री गोखले तथा पी.एम. मेहता ऐसे ही नेता थे, दोनों ही अपने उस उत्साह तथा बलिदान के लिये चिरस्थायी आदर के हक़दार हैं, जिससे उन्होंने हमारे उद्‌देश्य का प्रतिनिधित्व किया। लोगों के साथ उनका तादात्म्य और श्री मेहता का उन पर विश्वास इतना सम्पूर्ण था कि उनकी आकस्मिक मृत्यु एक बार को कुदरत का मज़ाक ही लगी।

उन्हें इस बात का पूरा श्रेय प्राप्त है कि वे हमारी कई समस्याओं से जूझे, उनमें से कुछ उन्होंने सुलझाई, कुछ हमारे लिये छोड़ दीं कि हम इनका सामना करें। परन्तु उनके द्वारा किये गये काम के प्रति हमारी भावनाओं ने, हमारे द्वारा किये जाने वाले

---

1. लोकराजय : डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, विशेष अंक 16 अप्रैल, 1981 पृष्ठ 33

भावी कार्य की भावना को बिल्कुल दबा दिया है– यही उनके प्रति हमारी निष्ठा है। और यह स्वाभाविक ही है कि हमें आज अपने सामने खड़ी समस्याओं से निपटने की बजाय उनके लिये उपयुक्त स्मारक खड़े करने के विषय में अधिक चिन्तित होना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिये निरंतर परिश्रम किया है।

भारतीय समाचार–पत्रों से अभी तक यह पता चलता है कि श्री गोखले की स्मृति में सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी की शाखायें विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जायेंगी, जबकि श्री पी.एम. मेहता के स्मारक के रूप में बम्बई म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने उनकी प्रतिमा खड़ी की जायेगी।

यदि मुझे व्यक्तिगत रूप से अपनी राय देने की अनुमति हो तो मैं कहूँगा कि श्री मेहता के लिये स्मारक का यह रूप बहुत ही तुच्छ और अनुपयुक्त है।

मुझे यह समझने में बेहद पीड़ा होती है, कि उनका स्मारक ऐसे रूप में क्यों नहीं हो सकता, जो कि न केवल उनका सच्चा स्मारक हो, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए स्थायी रूप से काम आता रहे।

इन दोनों उद्देश्यों को संयोजित करके, अपनी विनम्र राय से मैं यह सुझाव दूँगा कि श्री पी.एम. मेहता का स्मारक बम्बई में एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में हो, जिसे "फ़ीरोजशाह मेहता लाइब्रेरी" के नाम से जाना जाये।

यह दुर्भाग्य की बात है कि समाज की संवृद्धि एवं विकास में एक संस्थान के रूप में पुस्तकालय का महत्त्व हमने अभी तक नहीं समझा है। लेकिन यह वक्त इसके महत्त्व का प्रचार करने का नहीं है। बम्बई की जनता जैसी जागरूक जनता इतने समय तक बिना किसी आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय के रह रही है, यह अपने–आप में काफी शर्म की बात है और इस गलती को जितनी जल्दी सुधार लिया जाये उतना अच्छा है।

बम्बई में कुछ निजी पुस्तकालय अपने–आप स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। यदि इन सभी कु–प्रबंधित पुस्तकालयों को एक ही इमारत में ले आया जाये, जो कि सर पी.एम. मेहता स्मारक निधि से बनाई गई हो और इसे सर फीरोजशाह मेहता लाइब्रेरी का नाम दे दिया जाये, तो बम्बई शहर के दोनों उद्देश्य पूरे हो जायेंगे। जहाँ तक पुस्तकों की खरीद तथा आधुनिक ढंग से पुस्तकालय के प्रबंध के लिये धन–राशि का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस उद्देश्य के लिये कई उदार–हृदय लोग आगे आ जायेंगे।

अमरीका के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक का छात्र होने के नाते मैं इस

बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि लोगों के सामाजिक तथा बौद्धिक विकास में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका है और बम्बई शहर में इसकी कमी महसूस करते हुए मैं बम्बई की जनता से इसका अनुरोध करता हूँ, जो मेरे विचार से आधुनिक भारत के इतिहास के इस महान नेता के लिये सबसे उपयुक्त और चिर स्थाई स्मारक हो सकता है।

भारत से 10,000 मील दूर होने की वजह से मुझे वहाँ की ख़बरें मिलने में समय लगता है। फलस्वरूप, मुझे अपना प्रस्ताव रखने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। लेकिन नहीं होने से देरी से होना अच्छा है।

आपका
भीमराव आर. अम्बेडकर
लिविंग्स्टन हॉल, कोलम्बिया
यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क सिटी,
अमरीका"[1]

1. बॉम्बे क्रॉनिकल, मंगलवार, 28 मार्च, 1916।
लोकसभा में पुनः डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष अंक 16 अप्रैल, 1981, पृष्ठ 33–34।

3

सार्वजनिक निकाय प्रचारकों की सहायता करें

यह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा एक प्रचारक को जारी किया गया एक प्राधिकार–पत्र है–संपादकगण

!!जय भवानी!!

भीमराव आर. अम्बेडकर,
एम.ए. पी., एच.डी., डी.एस. सी.,
बार–एट–लॉ,
सदस्य, विधान परिषद,
बम्बई

दामोदर हॉल,
परेल, बम्बई,
4–7–1927

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का धारक शंकरदास नारायणदास बर्वे दलित वर्गों के उत्थान के लिये स्थापित किये गये संगठन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का कार्यकर्त्ता है और दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिये प्रकाशित समाचार पत्र, 'बहिष्कृत भारत' के लिये प्रचारक है।

उसका काम दलित वर्गों को व्याख्यान देने और उन्हें अपने विकास के लिये प्रयास करते रहने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये प्रेजिडेन्सी में जगह–जगह घूमते रहने का है। अनुरोध किया जाता है कि सार्वजनिक निकाय जहाँ तक संभव हो उसकी सहायता करें।

ह./–बी.आर. अम्बेडकर[1]

---

1. खैरमोर, खंड 6, पृष्ठ 217–218।

4

भाऊराव पाटिल की संस्था को समर्थन मिलना चाहिए

महान समाज सुधारक और शिक्षाविद् कर्मवीर भाऊराव पाटिल की सतारा स्थित संस्था द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास की आगंतुक पंजी में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्न टिप्पणी लिखी गई–संपादकगण।

"मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मुझे इस छात्रावास के दौरे का मौका मिला। यह एक अनन्य संस्था है और इसे हर उस व्यक्ति का समर्थन मिलना चाहिये, जो इस राष्ट्र के हित से सरोकार रखता है। सारा श्रेय मेरे मित्र भाऊराव पाटिल को जाता है। मैं इस संस्था को 20 रुपये अदा करता हूँ।

सतारा ह./–बी.आर. अम्बेडकर"[1]

29–07–1928

---

1. खैरमोड, खंड 4, पृष्ठ 14।

5

मेरे ख़िलाफ़ शिकायत बिल्कुल निराधार है

"उस वक्तव्य का खंडन करते हैं, जो कथित रूप से आयोग के समक्ष दिया गया।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने हमें एक लम्बा वक्तव्य भेजा, जिसमें से हमने निम्न महत्त्वपर्ण सामग्री ली है:–

इसी महीने की 6 तारीख के आपके अंक में छपे वक्तव्य पर मेरा ध्यान दिलाया गया है, जिसमें शोलापुर नगरपालिका के अध्यक्ष ने नगरपालिका के उस संकल्प का प्रचार किया है जिसमें उस वक्तव्य पर मेरे साक्ष्य में अंतर्निहित सुझाव का जोरदार खंडन किया गया है कि शोलापुर स्थित दलित वर्ग छात्रावास को दिया जाने वाला अनुदान हिन्दू–मुस्लिम दंगों की प्रतिक्रिया स्वरूप रोका गया और जिन तथ्यों के चलते अनुदान रोका गया, उनका उल्लेख करते हुए.....

मेरे खिलाफ़ शिकायत इस अनुमान पर आधारित लगती है कि साइमन कमीशन के समक्ष मेरे साक्ष्य के दौरान मैंने कहा था कि शोलापुर स्थित दलित वर्गों के छात्रावास को दिया जाने वाला अनुदान नगर–पालिका द्वारा जान–बूझकर रोक दिया गया, क्योंकि शोलपुर के दलित वर्गों ने 1925 में हुए हिन्दू–मुस्लिम दंगों के दौरान सवर्ण हिन्दुओं की सहायता करने से इनकार कर दिया था, जो नगर–पालिका के अनुसार असत्य वक्तव्य है.....

नगर–पालिका के वक्तव्य पर मेरा जवाब यह है कि मेरे खिलाफ़ इसकी शिकायत बिल्कुल निराधार है और जान–बूझकर ग़लत पढ़े गये मेरे साक्ष्य पर आधारित है.....

मुझे पूरा विश्वास है कि हर न्यायप्रिय व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि अपने साक्ष्य में मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि अनुदान हिन्दू–मुस्लिम दंगों के दौरान दलित वर्गों द्वारा सवर्ण हिन्दुओं की सहायता न किये जाने की वजह से रोका गया। इसके विपरीत मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि कारण क्या था......

मैं चाहता हूँ कि नगर–पालिका उस उलझन के लिये मेरी निंदा करना छोड़ दे, जो, यह समझती है कि, अपने साक्ष्य के दौरान मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य से पैदा हुई है। एक कदम और आगे बढ़कर वह यह कारण भी स्पष्ट करने की कोशिश

कर रही है, जो यह सोचती है कि छात्रावास को अनुदान बंद किये जाने का असली कारण है। वक्तव्य में कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय ने "अंशदान बही में गंभीर अनियमिततायें देखीं और खातों की बहियाँ मंगवाईं और सोसायटी द्वारा इनकार किये जाने पर अनुदान रोक दिया गया।" मुझे अफसोस है कि मुझे कड़ी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये सभी वक्तव्य असत्य पर आधारित हैं।

वास्तविक तथ्य ये हैंः– 1925 में शोलापुर में छात्रावास खोला गया। छात्रावास की गई शुरुआत से ही नगरपालिका ने इसके लिये अनुदान दिया। दो वर्षों, 1925 तथा 1926 तक अनुदान बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से अदा किया जाता रहा। कोई निरीक्षण नहीं हुआ न ही संस्था के खातों का कोई परीक्षण किया गया। नगरपालिका संस्था के खातों से लेखा परीक्षित संतुष्ट थी। लेकिन 1927 के चुनावों के बाद अस्तित्व में आई नगर–पालिका और खास तौर से इसके अध्यक्ष डॉ. वी.वी. मुले के रवैये में पूरी तरह से बदलाव आ गया। ऐसा हुआ कि स्कूल बोर्ड के चयेरमैन ने वर्ष 1927 की शुरुआत में संस्था का आकस्मिक दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण किया और खातों का परीक्षण किया। हमेशा की ही तरह उन्होंने आगुंतक पंजी में अपनी टिप्पणी लिखी और कहा कि खाते यथासंभव उत्तम तरीके से रखे गये हैं। इस टिप्पणी की प्रति अधीक्षक द्वारा अध्यक्ष को भेज दी गई।

लेकिन ये सज्जन, बजाय प्रसन्न होने के, अपने आचार–व्यवहार से यह दिखाने लगे जैसे स्कूल बोर्ड के चेयरमैन की अनुकूल टिप्पणी ने इनकी योजना विफल कर दी हो। क्योंकि, इसके तुरंत बाद ही उन्होंने 19 मार्च, 1927 के अपने पत्र द्वारा अधीक्षक से वर्ष 1925 तथा 1926 के खाते प्रस्तुत करने की माँग की। इस पर अधीक्षक द्वारा जवाब भेजा गया कि पुराने बही खाते बम्बई स्थित मुख्यालय को भेज दिये गये थे और वर्ष की समाप्ति के बाद नष्ट कर दिये गये थे और वर्तमान वर्ष के बही खाते उपलब्ध हैं और परीक्षण के लिये पेश किए गये थे।

इस बीच, खातों के परीक्षण के लिये नगर–पालिका ने एक उप–समिति नियुक्त की, जिसमें स्कूल बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री बुवालाल वकील और बोर्ड के सदस्य श्री शिवलाल अप्पा देशमुख शामिल थे। अध्यक्ष के अपने आदमियों से गठित इस समिति ने, जिसको संस्था के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, खातों के परीक्षण के बाद 2 मई, 1927 को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि खाते यथा संभव श्रेष्ठ तरीक से रखे गये हैं और वे छात्रावास के खिलाफ़ कुछ नहीं कह सकते। यह रिपोर्ट नगरपालिका को सौंप दी गई।

अपने ही आदमियों द्वारा उस संस्था के बारे में जिसे वह बेहद नापसंद करते हैं, इतनी अनुकूल रिपोर्ट मिलने से अध्यक्ष महोदय का नज़रिया बदलने की बजाय वे और भड़क गये और फिर पिछले वर्षों, 1925 तथा 1926, के बही खाते पेश करने के लिये ज़ोर देते रहे। मुख्यालय से उन्हें वही एक जवाब मिला, जो कि दिया जा

सकता था—सोसायटी के पुराने बही खातों का परीक्षण लेखा—परीक्षकों द्वारा कर लिया गया था, जिनके प्रमाणित खाते जमा कर दिये गये हैं और वर्तमान खाते निरीक्षण के लिये खुले हैं, इनका निरीक्षण नगरपालिका किसी भी समय कर सकती है। इसके बाद नगरपालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने खातों का परीक्षण किया और प्रमाणित किया कि उनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इससे लगता है, अध्यक्ष महोदय को शर्मिन्दगी उठानी पड़ी। क्योंकि, इसके बाद इन्होंने पुराने बही खाते प्रस्तुत किये जाने की अपनी माँग छोड़ दी और अधीक्षक को सूचित किया कि उनके सामने यदि वर्तमान वर्ष के बही खाते प्रस्तुत कर दिये जायें तो वे संतुष्ट हो जायेंगे। ऐसा कर दिया गया और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अध्यक्ष महोदय को संस्था के खिलाफ़ कुछ नहीं मिला। संस्था को खराब प्रबंध के आधार पर अयोग्य घोषित करने के हर प्रयास से निराश अध्यक्ष महोदय ने नगरपालिका की गत बजट बैठक के दौरान संस्थान को अनुदान देना बंद करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस समय संस्थान पर लगाये गये सभी आरोप मिथ्या व विद्वेषपूर्ण थे और नगर पार्षदों द्वारा उनकी अवज्ञा की गई, जो होनी ही चाहिये थी........। एक को छोड़ बाकी सभी पार्षद अध्यक्ष की राय न मान अनुदान देने के लिये एकमत थे। इस तरह देखा जा सकता है कि अनुदान बंद किये जाने की बात तो दूर, नगरपालिका ने अपने ही अध्यक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों को विश्वास के काबिल न मानकर अपने बजट में अनुदान स्वीकार किया। वास्तव में हुआ यह, कि अनुदान स्वीकार हो जाने के बाद अध्यक्ष महोदय ने इस आधार पर इसे देने से इनकार कर दिया कि खाते दिखाने के संबंध में सोसायटी का जवाब संतोषजनक नहीं था।

अब यह मेरी समझ से बाहर है कि सोसायटी का जवाब असंतोषजनक कैसे माना जा सकता है। सोसायटी वर्तमान वर्ष के खाते दिखाने के लिये हर समय तैयार थी। गत वर्षों के खाते प्रस्तुत करने के संबंध में जो जवाब सोसायटी द्वारा दिया गया, वही एकमात्र जवाब इस माँग का हो सकता है। गत वर्षों के बहीखाते आख़िर कौन दिखा सकता है? यहाँ माँग न केवल अनौचित्यपूर्ण है, बल्कि भ्रष्ट भी है जो कि किसी भी सोसायटी द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। इन सब बातों से कोई भी न्यायपूर्ण व्यक्ति यह देख सकता है कि कैसे नगरपालिका और उसका अध्यक्ष एक झूठ को नहीं, बल्कि बनाये हुये झूठ को उजागर करने का प्रयास करते—करते अन्ततः झूठ से उत्पन्न झूठों का ही प्रचार करते चले जा रहे हैं........

बी.आर. अम्बेडकर"[1]

दामोदर हॉल

परेल, 8 दिसम्बर, 1928

---

1. द इंडियन नेशनल हेराल्ड, 10 दिसम्बर, 1928।

6

अग्रेषण पत्र

भीमराव आर. अम्बेडकर,
एम.ए., पी. एच.डी. डी.एस. सी.
बैरिस्टर–एट–लॉ,
जे.पी., एम.एल.सी.

राजगृह
न्यू दादर
बम्बई–14

प्रिय महोदय,

भारत में आपके विशेष संवाददाता ने मुझे लिखा है कि आप भारतीय सुधारों पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर मेरे विचारों पर वक्तव्य मैनचेस्टर गार्जियन में प्रकाशन के लिये चाहते हैं। उसके अनुसार मैं इस पत्र के साथ अपने विचारों पर वक्तव्य भेज रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं अपना वक्तव्य आपके द्वारा निर्धारित 1200 शब्दों में तक सीमित नहीं रख पाया और इस प्रकार इस वक्तव्य में निर्धारित सीमा से 300 शब्द अधिक हैं। विषय के महत्व और पूर्ण स्पष्टता की आवश्यकता को देखते हुए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह वक्तव्य बिना किसी काट–छाँट के पूरा ही छपने दें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

बी.आर. अम्बेडकर

सेवा में, संपादक, मैनचेस्टर गार्जियन*

---

*. सुरवादे ख्ंड 1, पृष्ठ 146–147।
तिथि उपलब्ध नहीं।

7

मंदिर प्रवेश की बजाय आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक सुधार पर अधिक ध्यान दें

"पूना, 18 अक्तूबर, 1932

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कल पूना आये और विधान परिषद् में कुछ समय बिताया, लेकिन उन्होंने यह किसी को नहीं बताया कि उन्हें यरवदा जेल में श्री गांधी से मिलने की अनुमति दी गई है। तथापि, शाम को उन्होंने इस अनुमति (परमिट) का प्रयोग किया और लगभग डेढ़ घंटा श्री गांधी के साथ बिताया। बाद में किसी व्यावसायिक काम से वे सावंतवाड़ी के लिये निकल गये। वे 26 अक्तूबर को बम्बई लौटेंगे और उम्मीद करते हैं कि 7 नवम्बर को इंग्लैण्ड के लिये रवाना हो जायेंगे।

डॉ. अम्बेडकर का मानना है कि गोलमेज़ सम्मेलन 22 नवम्बर से पहले शुरू नहीं हो पायेगा, क्योंकि शिष्टमंडल के कई सदस्यों के लिये 12 नवम्बर तक लंदन में उपस्थित हो पाना असंभव होगा। दलित वर्गों तथा सवर्ण हिन्दुओं के बीच वर्तमान स्थिति को देखते हुए, राजनीति और सामाजिक कल्याण को अलग–अलग कर पाना तो कठिन है, फिर भी समझा जाता है, कि परमिट की शर्तों के तहत विशिष्ट राजनीति पर रोक थी, इसलिये पूना संधि पर कोई बात नहीं हो पाई।

तथापि डॉ. अम्बेडकर ने श्री गांधी के सामने अस्पृश्यता–विरोधी लीग के भावी गठन, इसकी प्रांतीय तथा जिला समितियों और इसकी सामान्य प्रगति पर अपने विचार रखे। उन्होंने समितियों के गठन का मामला उठाया और बेहद गंभीरता से अपना दृष्टिकोण रखा कि इन समितियों में अधिकांश लोग दलित वर्गों से होने चाहियें। उनका मत था कि दलित वर्गों की आवाज़ प्रबल होनी चाहिये और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाये जो उन्हें अरुचिकर लगे। यदि उनके उत्थान के कार्य को संतोषजनक तरीके से चलाना है, तो सवर्ण हिन्दुओं को चाहिये कि वे दलित वर्गों की सहायता करें, जिससे वे स्वयं अपना भला सोच सकें, न कि उन्हें हर तरीके से सवर्ण हिन्दुओं के आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करके उनका उत्थान करने का प्रयास करें।

विशेष जनगणना

उन्होंने भारत में दलित वर्गों की एक विशेष जनगणना कराने के लीग के प्रस्ताव की ओर भी श्री गांधी का ध्यान आकर्षित किया और काँग्रेस नेता को बताया कि इस तरह का कोई क़दम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

साक्षात्कार के दौरान श्रीमती सरोजिनी नायडू उपस्थित थीं और श्री गांधी तथा जो लोग साक्षात्कार के बाद डॉ. अम्बेडकर से मिले, उन्हें ऐसे संकेत प्राप्त हुए कि श्री गांधी ने अस्पृश्यता–विरोधी लीग समितियों के गठन के डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव को पसंद किया है।

यरवदा से मिली ताज़ा खबर के अनुसार श्री गांधी "पूरी तरह से स्वस्थ" हैं और डॉ. अम्बेडकर ने अपने मित्रों से कहा कि कांग्रेसी नेता पूर्णतः जीवन्त हैं और पूरी तरह से सामान्य स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं।

आर्थिक असमानताएँ

अपने समुदाय को डॉ. अम्बेडकर की सलाह

एक साक्षात्कार में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि "अस्पृश्यता–विरोधी आंदोलन में निश्चित रूप से कुछ शिथिलता आई है।'' लेकिन, चूँकि यह आंदोलन केवल अस्पृश्यों के मंदिर–प्रवेश तथा सवर्ण लोगों के साथ खाने–पीने पर रोक हटाने से संबंधित था, इसलिए मैं इस तथ्य से बहुत व्याकुल हुआ हूँ कि इन्होंने लोगों के बीच काफी वैर–भाव पैदा कर दिया है और उन्हें कोई ठोस लाभ नहीं पहुँचाया है।

"अस्पृश्यता–विरोधी लीग तथा इस उद्देश्य के लिये काम कर रहे लोगों का ध्यान मंदिर–प्रवेश और साथ खाने–पीने की बजाय अस्पृश्यों के आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकास पर होना चाहिये। कुंएँ खोलने और अस्पृश्यों के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भर्ती करने के लिये इनके द्वारा सार्वजनिक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिये।"

बेलगांव जिले का हवाला देते हुये, जहाँ दलित वर्ग के लोगों द्वारा स्वयं अपने लिये एक अलग कुंएँ के निर्माण के लिये अनुरोध किया गया है, उन्होंने कहा कि बोर्ड को ऐसा अनुरोध मंज़ूर नहीं करना चाहिये। अस्पृश्यों को सामान्य सार्वजनिक कुँओं से पानी लेने के अपने अधिकार पर डटे रहना चाहिए। उन्होंने संदेह प्रकट किया कि इस मामले में दलित वर्गों को ज़रूर किसी स्वार्थी दल ने अपने प्रभाव में लिया है।"[1]

---

[1] द टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 अक्तूबर, 1932।

8

जाति प्रथा को समाप्त किये बिना बहिष्कृत जातियों का उत्थान नहीं हो सकता[1]

''अस्पृश्य वर्ग के हितों के लिये आवाज उठाते हुए'' 11 फरवरी, 1933 को महात्मा गांधी ने ''हरिजन'' नाम से एक समाचार–पत्र शुरू किया। इस अवसर पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा''

''मैं कोई संदेश नहीं दे सकता,''[2]

''बहिष्कृत जातियाँ, जाति प्रथा का ही एक उत्पाद हैं। जब तक जातियाँ रहेंगी, बहिष्कृत जातियां भी रहेंगी। जाति प्रथा को समाप्त किये बिना बहिष्कृत जातियों का उत्थान नहीं हो सकता। इस निंदनीय एवं भ्रष्ट हठधार्मिता से हिन्दुत्व को मुक्त किये बिना आने वाले संघर्ष में हिन्दुओं का बने रह पाना कठिन होगा।''

''इसके जवाब में गांधी ने कहा कि कई शिक्षित हिन्दू भी यही मत रखते हैं, किन्तु वे इससे सहमत नहीं है।''[3] अस्पर्श्यता जाति प्रणाली से नहीं, बल्कि ऊँच–नीच के भेद से उत्पन्न हुई है, जो हिन्दुत्व में समा गया है और इसे खोखला करता जा रहा है। अस्पश्यता पर हमला ऊँच–नीच की इस भावना पर हमला है।''[4]

---

1. की, पृष्ठ 227।
2. कुबेर, बी.आर. अम्बेडकर, पृष्ठ 47।
3. कीर, पृष्ठ 227।
4. कुबेर, बी.आर. अम्बेडकर, पृष्ठ 47।

9

दलित वर्ग सैकेण्ड चैम्बर के विरुद्ध

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर डॉ. अम्बेडकर

बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान की माँग

संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट पर, जहां तक उसका संबंध दलित वर्गों के साथ है, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अपने विचारों के एक वकत्व्य में ऐसे लिखा है।

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा है :

''यद्यपि मेरे और दलित वर्गों के लिये यह बहुत संतोष की बात है, कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा 'पूना संधि' को नहीं छेड़ा गया है। फिर भी यह जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि फेडरल असेंबली (प्रोविंशियल) सैकेण्ड चैम्बर में प्रतिनिधित्व के मामले, संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पेश किये गये बदलाव दलित वर्गों के प्रति अन्यायपूर्ण हैं। इस प्रकार, जहां तक इसका संबंध दलित वर्गों से है, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अपने विचार रखते हुए लिखे गये एक वक्तव्य में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा :–

दलित वर्गों ने प्रांतों में सैकेण्ड चैम्बर की स्थापना का विरोध किया। मॉन्टेगा–चैम्स्फोर्ड सुधारों के अंतर्गत इन्हें अनावश्यक ठहराया गया था, साइमन कमीशन द्वारा भी इनकी सिफारिश नहीं की गई थी। भारत के सभी राजनैतिक संगठन इनकी निन्दा करते हैं। दलित वर्गों की नज़र में यह अवनति की ओर बढ़ाया गया एक कदम है, जो देश की प्रगति में रुकावट साबित होगा।

गठन

दलित वर्गों द्वारा सैकेण्ड चैम्बर्स के विरोध का दूसरा आधार इनके गठन से संबंधित है। यह ज़ाहिर है, कि सैकेण्ड चैम्बर की स्थापना की गई है, क्या उनमें दलित वर्गों के लिये कोई स्थान आरक्षित है? मुसलमानों, यूरोपियों तथा भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधियों के लिये इन प्रांतीय सैकेण्ड चैम्बर्स में विशेष प्रावधान रखा गया है। परंतु, किसी भी प्रांत में दलित वर्गों के लिये इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत के दलित वर्गों, सवर्ण हिन्दू उम्मीदवारों के साथ अनारक्षित (आम) सीटों पर सीधे चुनाव लड़कर अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये छोड़ दिया है।

यदि सवर्ण हिन्दू उम्मीदवार के विरुद्ध खुली चुनावी लड़ाई में दलित वर्ग द्वारा किसी भी स्थान पर विजय प्राप्त कर लेना ज़रा भी संभव होता, तो 'पूना संधि' की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिये, यह स्पष्ट है कि, इन प्रांतों के सैकेण्ड चैम्बर में दलित वर्गों का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। बंगाल तथा बिहार में, यह प्रावधान किया गया है कि सैकेण्ड चैम्बर में क्रमशः 65 में से 27 तथा 30 में से 12, प्रांतीय लोअर हाउस के सदस्यों द्वारा इकहरे हस्तांतरणीय मत की विधि द्वारा चुने जायेंगे।

अपर्याप्त सीटें

इससे दलित वर्गों के लिये इन दो प्रांतों में सैकेण्ड चैम्बर में प्रतिनिधित्व हासिल करने की संभावनायें खुल जाती हैं। परन्तु इन तथ्यों का नज़दीकी से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होगा कि, बिहार में कोई संभावना नहीं हैी, क्योंकि प्रांतीय लोअर हाउस में पिछड़े वर्ग की सीटें (152 में से 15) उन्हें आवश्यक कोटा दिला पाने के लिये पर्याप्त नहीं होंगी और बंगाल में 250 के सदन में 30 सीटों से उन्हें मुश्किल से एक सीट का ही कोटा मिल पायेगा।

किसी भी प्रांतीय सैकेण्ड चैम्बर में न केवल दलित वर्गों के लिये कोई सीट नहीं होगी, बल्कि मताधिकार के चलते वे सैकेण्ड चैम्बर्स के चुनावों को प्रभावित भी नहीं कर पायेंगे।

आरक्षित सीटों की आवश्यकता

लगता है, कि संयुक्त संसदीय समिति ने इसके प्रस्ताव के प्रतिकूल प्रभावों पर कोई विचार नहीं किया है, जो सैकेण्ड चैम्बर्स में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व पर डालेंगे। अपने मताधिकार प्रस्ताव के संबंध में समिति का मानना है कि, ''उपरोक्त अर्हता उम्मीदवारों पर भी लागू होगी, किन्तु महिलाओं तथा दलित वर्गों के मामले में विशेष प्रावधान की आवश्यकता हो सकती है।'' उस विशेष प्रावधान की आवश्यकता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किन्तु, जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, वह यह है कि दलित वर्गों के पक्ष में अर्हता के अन्तर से कोई लाभ नहीं होगा, यदि मतदाताओं के मताधिकार समान रहते हैं। वास्तव में, दलित वर्गों के मतदाताओं के पक्ष में अर्हता के अन्तर से उन्हें चुनाव जीतने में कोई मदद नहीं मिलेगी, जब तक कि उनके लिये सीटें आरक्षित न हों।

फेडरल अपर हाउस में प्रतिनिधित्व के मामले में भी दलित वर्गों की स्थिति पूर्णतया बदल कर बदतर कर दी गई है। श्वेत–पत्र प्रस्तावों के अन्तर्गत फेडरल अपर हाउस के लिये निर्वाचन–क्षेत्र प्रांतीय लोअर हाउस था और चुनाव समानुपातिक प्रणाली और इकहरे हस्तांतरीय मत के ज़रिये होने थे। चूंकि, प्रांतीय लोअर चैम्बरों में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त बड़ी संख्या में किया जा रहा था, जिससे उन्हें आठ या नौ प्रांतों में किसी भी दर से अपने वर्ग का एक सदस्य पाने का अनिवार्य कोटा मिल सके, इसलिये दलित वर्ग का फेडरल अपर हाउस में आठ या नौ सीट प्राप्त करना सुनिश्चित था। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित फेडरल अपर हाउस की चुनाव प्रणाली में किये गये बदलावों से अब यह संभावना पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।

निर्वाचक मंडल

जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, प्रांतीय सैकेण्ड चैम्बर्स में दलित वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा, जो उन प्रांतों के फेडरल अपर हाउस में निर्वाचकों के रूप में काम कर सके जिनमें विधानमंडल (लेजिसलेचर) द्विसदनीय हैं। यदि एकसदनीय प्रांतों में प्रस्तावित निर्वाचकमंडलों को देखें और उनके गठन का परीक्षण करें, तो हम पायेंगे कि दलित वर्गों के लिये किसी विशेष निर्वाचकमंडल का प्रावधान नहीं है, जैसा कि सिक्खों एवं मुसलमानों के मामले में है। न ही कोई ऐसा विशेष प्रावधान है जैसा भारतीय ईसाइयों, आंग्ल–भारतीयों तथा यूरोपियों के लिये भी इस तरह का कोई विशेष प्रावधान नहीं बनाया गया है।

एक–सदनीय प्रांतों में विशेष निर्वाचक मंडलों के गठन के संबंध में समिति का मानना है, '' अनारक्षित सीटों पर दलित वर्गों के लिये विशेष प्रावधान के प्रश्न पर, विशेषतः मध्य प्रांतों के संबंध में, खास तौर पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। ''

यदि मध्य प्रांतों के दलित वर्गों के लिये विशेष प्रावधान आवश्यक है, तो अन्य एक–सदनीय प्रांतों में दलित वर्गों के लिये क्यों नहीं? और यदि एक–सदनीय प्रांतों में दलित वर्गों के लिये विशेष प्रावधान आवश्यक है, तो द्विसदनीय प्रांतों में दलित वर्गों के लिये क्यों नहीं? दलित वर्गों की स्थिति पूरे देश में एक समान ही है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रांतों में दलित वर्गों की स्थिति देश के अन्य हिस्सों में रह रहे दलितों से बदतर है।

महत्त्वपूर्ण हितों के विरुद्ध

दलित वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व प्रदान कर पाने में असफल रहकर क्या संयुक्त संसदीय समिति ने उनके महत्त्वपूर्ण हितों के विरुद्ध काम किया है? मैं महामहिम की सरकार को याद दिलाना चाहूँगा कि दलित वर्गों ने भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने की सहमति इस शर्त पर दी थी, कि नये संविधान के अन्तर्गत देश के विधानमंडलों में उनके प्रतिनिधित्व के लिये पर्याप्त प्रावधान रखा जाएगा। पहले गोलमेज सम्मेलन के पूर्ण सत्र में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में मैंने अपने भाषण में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी थी। प्रांतीय तथा संघीय सैकेण्ड चैम्बरों में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने में यह चूक उन सबके विचारों के भी विपरीत है, जिन्होंने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री महोदय के विचार, जिन पर दलित वर्ग भरोसा किये बैठे हैं, नये संविधान के निर्माण में अमल में लाये जाने थे, किन्तु संयुक्त संसदीय समिति इन विचारों का सम्मान कर पाने में असफल रही है, जिसकी वजह से प्रांतीय तथा संघीय सैकेण्ड चैम्बरों में प्रतिनिधित्व के मामले में दलित वर्गों के हित बुरी तरह से नज़रंदाज हुए हैं। इसलिये, मैं कहूँगा कि सुधार योजना को अपना समर्थन दे पाना दलित वर्गों के लिये संभव नहीं होगा और मैं यह उम्मीद करता हूं कि महामहिम की सरकार प्रांतीय तथा संघीय सैकेण्ड चैम्बर्स में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के मामले में उनके हितों की रक्षा हेतु संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्तावों में सुधार करेगी। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है, कि यदि ये प्रस्ताव इसी प्रकार रहे, तो दलित वर्ग सुधार योजनाओं को अपना समर्थन नहीं दे सकेगे।''[1]

---

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 जनवरी, 1935।

10

'स्मृति' धर्म का आधार हटाया जाये

नासिक, 28 नवम्बर

''मतदान योग्यता कम कर दिये जाने से नये संविधान के तहत वास्तविक सत्ता सवर्ण हिन्दुओं के हाथ में चली जायेगी, किन्तु वे सामाजिक सुधार के विरुद्ध हैं। वे मौजूदा रीति–रिवाज़ों तथा प्रचलनों को बदलने के ज़रा भी इच्छुक नहीं होंगे। मेरी शिकायत विशेष रूप से उनके विरुद्ध है न कि समााज सुधारकों के विरुद्ध यहां तक कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी चुनाव नहीं जीत पायेंगे, यदि उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी, कि जीतने पर वे अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिये कानून बनायेंगे। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ, कि वे इस मुद्दे पर चुनाव जीतकर दिखायें।''

यह डॉ. अम्बेडकर और नासिक प्रोग्रेसिव हिन्दुओं द्वारा चुने गये शिष्टमंडल के बीच 26 अक्तूबर, 1935 को एक बैठक में बातचीत का सार है।

नासिक प्रोग्रेसिव हिन्दुओं ने अब इस बातचीत का सारांश निकालते हुये एक अधिकृत वक्तव्य जारी किया है।

इस वक्तव्य में कहा गया कि भूतपूर्व एम.एल.सी. श्री आर.जी. प्रधान के नेतृत्व में पाँच उच्च–जातीय प्रगतिशील हिन्दुओं के इस शिष्टमंडल ने 10 नवम्बर को डॉ. अम्बेडकर से उनके निवास पर भेंट की और तीन घंटे से भी अधिक समय तक चली यह बातचीत सौहार्दपूर्ण, मित्रवत् तथा उन्मुक्त भाव से हुई।

प्रगतिशील के विचार

प्रारंभ में शिष्टमंडल ने नासिक हिन्दू प्रोग्रेसिव सिटिज़ंस द्वारा श्री शंकराचार्य (डॉ. कुर्ताकोटि) की अध्यक्षता में हुए एक सम्मेलन में पारित संकल्प डॉ. अम्बेडकर के समक्ष प्रस्तुत किये। ये संकल्प इस प्रकार हैं– (क) ''सार्वजनिक मंदिरों, यात्रा के सार्वजनिक स्थलों और तीर्थों से संबंधित मुद्दे काफ़ी विवादास्पद तथा तुरन्त व्यवहारिक उपलब्धि के दायरे से बाहर होने की वजह से इस मुद्दे के संबंध में सार्वजनिक दृष्टिकोण बदलने के लिये हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। (ख) इस संबंध में सार्वजनिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के अलावा इस मुद्दे को यहीं रोककर, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से प्रचार, रचनात्मक कार्यों तथा अन्य माध्यमों द्वारा सतत्

तथा निर्भीक प्रयास किये जाने चाहियें, जिससे हरिजनों को ग़ैर–हरिजन हिन्दुओं की बस्तियों में रहने की आज़ादी मिल सके, स्कूल, कुंओं, होटलों, धर्मशालाओं जैसे सार्वजनिक स्थानों से अस्पृश्यता को मिटाया जा सके और कुल मिलाकर, अन्य सभी मामलों में अस्पृश्यता को हिन्दू समाज से निकाल बाहर किया जा सके।''

श्री प्रधान ने डॉ. अम्बेडकर के प्रति शिष्टमंडल के सदस्यों का गहरा प्रेम तथा सम्मान व्यक्त किया और इस बात की घोषणा की कि येओला में डॉ. अम्बेडकर के भाषण से उत्पन्न हुई समस्या को वे उनके सहयोग तथा परामर्श से हल करने के लिये उत्सुक हैं।

श्री प्रधान ने कहा कि वे सभी डॉ. अम्बेडकर को अपना धर्म–परिवर्तन करने से रोकना चाहते हैं। श्री प्रधान ने डॉ. अम्बेडकर को श्री शंकराचार्य का उनके प्रति गहरा प्रेम सम्प्रेषित किया।

'स्मृति' धर्म के आधार को मिटाओ

डॉ. अम्बेडकर की माँग

तीन घंटे से भी अधिक समय तक चली इस बातचीत में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''किसी धर्म का पराभौतिक आधार चाहे जो भी हो, जिन धार्मिक सिद्धांतों पर लोगों की नैतिक प्रणाली तथा सामाजिक प्रथाएँ निर्भर करती हैं, उन्हें ही उस धर्म का मुख्य तत्त्व माना जाना चाहिये। यद्यपि, हिन्दुत्व परम ब्रह्म की संकल्पना पर आधारित है, तथापि हिन्दू समुदाय की प्रथाएँ 'मनुस्मृति' में उल्लिखित असमानता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समाज के लिये धर्म आवश्यक नहीं। मेरा मत यह नहीं है। मेरा मानना है, कि जीवन और समाज के व्यवहार के लिये धर्म का आधार आवश्यक है। 'हिन्दू सामाजिक प्रणाली' के मूल में धर्म है, जैसा कि 'मनुस्मृति' में बताया गया है। ऐसा होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि हिन्दू समाज से असमानता को मिटा पाना संभव होगा, जब तक कि 'स्मृति' धर्म के मौजूदा आधार को हटाकर, उसकी जगह कोई बेहतर नींव न डाली जाये। परन्तु मुझे उम्मीद नहीं है कि हिन्दू समाज किसी ऐसे बेहतर आधार पर अपने धर्म का पुनर्निर्माण कर पायेगा।''

आगामी संविधान में हरिजनों की स्थिति का ज़िक्र करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि नये संविधान के अंतर्गत विधानमंडलों की मदद से सामाजिक सुधार तथा अस्पृश्यता मिटाने के प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

हिन्दू धर्म छोड़ने के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''व्यक्तिगत रूप से मैं धर्म–परिवर्तन करने के लिये अपना मन बना चुका हूँ। अभी मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं कौन सा धर्म अपनाऊँगा। किन्तु, मैं धर्म–परिवर्तन के ज़रिये कोई निजी लाभ नहीं पाना चाहता। यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है और मैं पूरी अस्पृश्य जाति, नहीं तो उसके एक बड़े हिस्से को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग कोई एक धर्म या सम्प्रदाय अपनायें तथा अन्य कोई दूसरा। क्योंकि, मैं इस समुदाय को बिखरने नहीं देना चाहता। अपने समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि यह समुदाय किसी सशक्त एवं जीवन्त समुदाय में समाये। मेरा इरादा धर्म–परिवर्तन के इस आंदोलन को अखिल भारतीय बनाने का है। यदि मेरा समुदाय मेरा अनुसरण न करें, तो मैं अकेले ही अपना धर्म–परिवर्तन कर लूँगा। इसमें चार से पांच वर्ष तक लग सकते हैं और इस अवधि के दौरान आप लोग जो करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने से पहले हम इस बात पर ग़ौर अवश्य करेंगे कि आपके प्रयासों को कितनी सफलता मिली है। मैं मानता हूँ, कि आप लोगों के सामने काफ़ी बड़ा काम है। किंतु, यदि यह लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत लम्बा समय लगता है, तो इतने लम्बे समय तक इंतज़ार करने के लिये हम तैयार नहीं हैं।''

नया सम्प्रदाय

अपने एक नये वर्ग की रचना करने और इसे अन्य लोगों के साथ–साथ समान आधार तथा प्रतिष्ठा के साथ अस्पृश्यों के लिये भी खोल देने के संबंध में डॉ. कुर्ताकोटि द्वारा रखे गये प्रस्ताव के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''मैं किसी नये सम्प्रदाय की शुरुआत करने की ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा और न ही मैं अपने समुदाय के लोगों को इसमें शामिल होने की सलाह दूँगा। डॉ. कुर्ताकोटि यदि ऐसी इच्छा रखते हों, तो वे नया सम्प्रदाय शुरू करें और इसे स्पृश्य लोगों में प्रसार पाने दें, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। मैं आज यह कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ कि यदि यह सम्प्रदाय स्थापित हो गया, तो हरिजन इसके विषय में क्या सोचेंगे। इसके बारे में उनका दृष्टिकोण इसे अपनाने वाले लोगों की संख्या और इस बात पर निर्भर करेगा, कि यह किस हद तक हरिजन समुदाय के उत्थान को संवर्धन देता है। हम इसे अपनाने या न अपनाने पर फिर बिल्कुल उसी तरह विचार करेंगे, जैसे कि हम किसी अन्य सम्प्रदाय को अपनाने या न अपनाने के विषय में सोच सकते हैं, किंतु यह सम्प्रदाय किसी जीवंत धर्म का ही होना चाहिये।

हमारे बौद्ध धर्म अपनाने के रास्ते में में कुछ कठिनाइयाँ हैं। मेरा मानना है कि हरिजन समुदाय को किसी सशक्त समुदाय में पूरी तरह से समा जाना चाहिये।

इसने आर्य समाज न अपनाने का निर्णय लिया है। सिक्ख धर्म अपनाने के प्रश्न पर हम विचार कर सकते हैं।

हरिजन सेवक संघ के प्रति हरिजनों के दृष्टिकोण के विषय में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''हरिजन सेवक संघ द्वारा अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास को आगे बढ़ा पाने की संभावना नहीं है। वह संघ कॉंग्रेस का एक भाग मात्र है।''

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा, ''प्रजातंत्र भारत के लिये उचित नहीं है और लोक. प्रिय सरकार देश का भला नहीं कर पायेगी। भारत को किसी तानाशाह की ज़रूरत है– कोई कमाल पाशा या मुसोलिनी। मुझे आशा थी कि श्री गांधी एक तानाशाह का स्थान हासिल कर पायेंगे, लेकिन मुझे निराशा हुई। मेरी शिकायत यह नहीं है कि श्री गांधी तानाशाह हैं बल्कि यह है कि वे तानाशाह नहीं हैं। मेरे मन में कमाल पाशा के लिये अथाह सम्मान है, उसी ने तुर्की को एक सशक्त देश बनाया है। मुस्लिम ही वे लोग हैं, जिनके धार्मिक विचारों और रिवाजों में हस्तक्षेप करना सबसे अधिक जोखिम का काम है और कमाल पाशा ने यह सफलतापूर्वक कर दिखाया। कमाल पाशा जैसे सशक्त नेतृत्व के बिना भारत का भला नहीं हो पायेगा। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में ऐसा कोई तानाशाह मिलना असंभव है, इसलिये मैं भारत के भविष्य को लेकर हताश हूँ।

युवा पीढ़ी

युवा पीढ़ी और हरिजनों के रवैये के विषय में बात करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''युवा पीढ़ी से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जिसका ध्यान पूरी तरह से ऐशो–आराम की तरफ़ है और आदर्शवाद में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इसलिये इस पीढ़ी में से रानाडे, तिलक या गोखले जैसे आदर्शों तथा सिद्धांतों तथा कार्य करने वाले पुरुष मिलने की कोई संभावना नहीं है। यह सोचकर भी मैं निराशा से भर जाता हूँ।

''संक्षेप में, अस्पृश्य समुदाय में पैदा होने के नाते मैं इसके हितों के लिये लड़ना अपना पहला कर्तव्य समझता हूँ और भारत के प्रति मेरा कर्त्तव्य इसके बाद आता है। धर्म की मेरी अपनी संकल्पना के अनुसार मेरे ठोस धार्मिक मत हैं, किंतु हिन्दुत्व में मेरा कोई विश्वास नहीं है और आडबंर से मुझे नफ़रत है। इसलिये मैंने हिन्दुत्व त्यागने का फैसला किया है, किन्तु मैं यह तुरन्त नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने समुदाय को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। हरिजन फौज आज मार्च नहीं कर रही है और वह उचित मौके का इंतजार कर रही है। इस बीच 'स्पृश्य' लोग आप द्वारा बताए गए मार्ग पर अपने प्रयास जारी रख सकते हैं।''[1]

---

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया, 30 नवंबर, 1935।

11

हिन्दुओं को दलित वर्गों के धर्म–परिवर्तन के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए

धर्म–परिवर्तन के संबंध में, ''डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने विभिन्न प्रांतों में अपने सहकर्मियों से परामर्श किया कि उनके लिये कौन सा धर्म अपनाना उचित रहेगा। अब वे सिक्ख धर्म अपनाने का निर्णय ले चुके थे। उनके मित्रों तथा सहकर्मियों का मानना था, कि सिक्ख धर्म अपनाने के लिये डॉ. अम्बेडकर को हिन्दू सभा के नेताओं का समर्थन लेना चाहिये क्योंकि हिन्दू सभा के नेताओं का मानना था कि सिक्ख धर्म कोई पराया धर्म नहीं है। यह हिन्दुत्व की ही संतान है और इसीलिये हिन्दुओं तथा सिक्खों के आपस में विवाह होते थे और सिक्खों को हिन्दू महासभा का सदस्य होने की अनुमति थी।

तद्नुसार, हिन्दू महासभा के प्रवक्ता डॉ. मूँजे को बम्बई आमंत्रित किया गया। दो अन्य मित्रों की उपस्थिति में 18 जून, 1936 को शाम 7.30 बजे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राजगृह में डॉ. मूँजे से बात की। डॉ. अम्बेडकर ने सभी मुद्दे स्पष्ट किये और मुक्त रूप से डॉ. मूँजे से बात की। अगले दिन डॉ. अम्बेडकर के विचारों के सारांश को एक वक्तव्य बना कर डॉ. मूँजे को सौंपा गया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुमोदन किया।''[1]

यह वक्तव्य इस प्रकार है :–

धर्म–परिवर्तन के इस अभियान के प्रति हिन्दू उदासीन नहीं रह सकते, जो दलित–वर्गों के बीच अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है। हिन्दुओं की नज़र में निस्संदेह सबसे अच्छी बात यही होगी कि दलित वर्ग को धर्म–परिवर्तन करने का विचार छोड़ देने के लिए प्रेरित किया जा सके। लेकिन यदि यह संभव नहीं है, तो हिन्दुओं को दलित वर्गों द्वारा उठाये जाने वाले कदम से पूरा सरोकार रखना चाहिये, क्योंकि उनका यह कदम देश के भाग्य पर निश्चित रूप से गंभीर प्रभाव डालने वाला है। यदि दलित वर्गों को धर्म–परिवर्तन न करने के लिये मनाया जा सके और यदि हिन्दू उनका नेतृत्व नहीं कर सकते तो एक ऐसा धर्म अपनाने में, जो हिन्दुओं के लिये और देश के लिये सबसे कम हानिकारक हो, हिन्दुओं को उनकी मदद करनी चाहिए।

---

1. कीर, पृष्ठ 227।

इस बात संभावना बहुत ही कम है कि दलित वर्ग कोई नया धर्म बनायेंगे। अधिक संभावना इसी बात की है कि वे मौजूदा धर्मों में से ही किसी एक को अपनायेंगे। किसी भी तरह से हिन्दू इसी मान्यता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न यह है कि दलित वर्गों द्वारा कौन सा धर्म अपनाये जाने की संभावना है? स्पष्ट है कि जो उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो।

दलित वर्गों के पास चुनने के लिये तीन विकल्प हैं– (1) इस्लाम, (2) ईसाइयत और (3) सिक्ख धर्म। इन तीनों धर्मों की यदि तुलना की जाये तो, इस्लाम दलित वर्गों की सभी आवश्यकतायें पूरी कर सकता है। वित्तीय तौर पर, इस्लाम के पास संसाधन असीमित हैं। सामाजिक तौर पर, मुसलमान भारत में चारों ओर फैले हुये हैं। हर प्रांत में मुस्लिम हैं और वे दलित वर्गों से धर्म–परिवर्तन करके आये नये मुसलमानों की देख–रेख कर सकते हैं और उन्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं। राजनीतिक तौर पर, दलित वर्गों को वे सभी अधिकार मिलेंगे, जो मुसलमानों को प्राप्त हैं। इस्लाम अपनाने से विधानमंडलों में विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार, सेवाओं में अधिकार जैसे किसी भी राजनीतिक अधिकार की हानि नहीं होगी। ईसाईयत भी इतना ही आकर्षक विकल्प है। यदि भारतीय ईसाइयों की संख्या दलित–वर्गों को धर्म–परिवर्तन के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिये बहुत कम है, तो दलित वर्गों द्वारा ईसाइयत अपनाने की इच्छा ज़ाहिर करने पर अमरीका तथा इंग्लैण्ड जैसे ईसाई देश अपने अथाह संसाधन उडेलने लगेंगे। सामाजिक तौर पर, ईसाई समुदाय की संख्या दलित वर्गों से धर्म–परिवर्तन करके आने वालों की मदद के लिए काफी कम है, लेकिन ईसाई धर्म को सरकार का समर्थन प्राप्त है। राजनीतिक तौर पर, ईसाई धर्म भी उन्हें वे सब अधिकार प्रदान करेगा जो इस्लाम। मुसलमानों की ही तरह भारतीय ईसाइयों को भी संविधान द्वारा सेवाओं तथा विधानमंडलों में विशेष प्रतिनिधित्व के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। इस्लाम तथा ईसाइयत के मुकाबले सिक्ख धर्म कम आकर्षक है। केवल 40 लाख की जनसंख्या वाला छोटा सा समुदाय होने के कारण सिक्ख वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर सकते। सिक्ख केवल पंजाब तक सीमित हैं और जहाँ तक अधिकांश दलित वर्गों का सवाल है, सिक्ख उन्हें कोई सामाजिक समर्थन नहीं दे पायेंगे। राजनीतिक तौर पर भी सिक्ख धर्म अपनाने में इस्लाम तथा ईसाईयत की तुलना में नुकसान है, क्योंकि, पंजाब से बाहर सिक्खों को सेवाओं तथा विधानमंडलों में विशेष प्रतिनिधित्व का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह है कि शुद्ध रूप से हिन्दुओं के दृष्टिकोण से देखे जाने पर इस्लाम, ईसाइयत या सिक्ख धर्म में से कौन–सा श्रेष्ठ है। ज़ाहिर है, सिक्ख धर्म

सबसे अच्छा है। यदि दलित वर्ग इस्लाम या ईसाइयत अपनाते हैं, तो वे न केवल हिन्दू धर्म से बाहर हो जायेंगे, बल्कि हिन्दू संस्कृति से भी बाहर हो जायेंगे। दूसरी ओर, यदि वे सिक्ख धर्म अपनाते हैं, तो वे हिन्दू संस्कृति के भीतर ही रहेंगे। यह हिन्दुओं के लिये कोई कम फ़ायदे की बात नहीं है।

धर्म–परिवर्तन के परिणामस्वरूप, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है। इस्लाम या ईसाइयत अपनाने से दलित वर्ग राष्ट्रियता से वंचित हो जायेंगे। यदि वे इस्लाम अपनाते हैं तो मुस्लिमों की संख्या दोगुनी हो जायेगी और मुस्लिम प्रभुत्व का खतरा भी सच हो जायेगा। यदि वे ईसाइयत अपनाते हैं, तो ईसाइयों की संख्या पांच से छः करोड़ हो जायेगी। इससे देश में अंग्रेजों की पकड़ मज़बूत होने में सहायता मिलेगी। दूसरी ओर, यदि दलित वर्ग सिक्ख धर्म अपनाते हैं, तो वे देश के प्रारब्ध को कोई नुकसान नहीं पहुँचायेंगे, बल्कि इसे सहायता ही प्रदान करेंगे। उनका विराष्ट्रीयकरण भी नहीं होगा। इसके विपरीत, वे देश की राजनीतिक प्रगति में सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार यह देश के हित में होगा कि दलित वर्ग यदि अपना धर्म–परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उन्हें सिक्ख धर्म अपनाना चाहिये।

तीसरा प्रश्न यह है कि यदि दलित वर्गों का सिक्ख धर्म अपनाना हिन्दुओं के हित में है, तो क्या हिन्दू सिक्ख धर्म को भी दलित–वर्गों के लिये उतना अच्छा विकल्प बनाने के लिये तैयार हैं, जितने इस्लाम तथा ईसाई धर्म हैं? यदि हाँ, तो ज़ाहिर है, उन्हें उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिये जो इस्लाम तथा ईसाई धर्म अपनाने के मुकाबले सिक्ख धर्म अपनाने में सामने आ रही हैं। ये अभाव वित्तीय, सामाजिक तथा राजनैतिक हैं। हिन्दू सिक्खों को सामाजिक कठिनाई दूर करने में सहायता प्रदान नहीं कर सकते, किंतु वे वित्तीय तथा राजनीतिक कठिनाई दूर करने में अवश्य सहायता कर सकते हैं। इनमें से राजनीतिक कठिनाई दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह सिक्खों के रास्ते में बाधा बन सकती है। सौभाग्य की बात यह है कि राजनीतिक कठिनाई का समाधान एक बहुत छोटा–सा मुद्दा है। करना सिर्फ़ यह होगा कि पंजाब के अलावा हरेक प्रांत में अनुसूचित जातियों की सूची में 'सिक्ख' शब्द जोड़ देना होगा, जिससे दलित वर्ग का जो व्यक्ति धर्म–परिवर्तन करके सिक्ख बने उसके राजनीतिक अधिकार उसी प्रकार बने रहें, जैसे दलित वर्ग में होने पर थे। कम्यूनल अवार्ड के अंतर्गत, समुदायों को अवार्ड में कोई भी बदलाव स्वीकार करने की स्वतंत्रता दी गई है और सरकार भी इन स्वीकृतियों के अनुसार अवार्ड में परिवर्तन करने के लिये प्रतिबद्ध है।

इसलिये, यदि हिन्दू दलित वर्गों के साथ परस्पर सहमति करके यह बदलाव लाना चाहें, तो यह बदलाव आसानी से लाया जा सकता है। इससे पूना संधि में भी कोई

बड़ा परिवर्तन नहीं होता। इससे सीटों के प्रभाजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। पूना संधि के अंतर्गत दलित वर्गों को दी गई सीटों की संख्या भी समान ही रहेगी। परिवर्तन केवल यह होगा, कि ग़ैर–सिक्ख दलित वर्ग और वे वर्ग दलित जिन्होंने सिक्ख– धर्म अपनाया है, दोनों प्रतिस्पर्धा के लिये स्वतंत्र होंगे। इससे सिक्ख–धर्म अपनाने वाले दलित वर्गों की मात्र एक कठिनाई ही दूर होती है।

जो हिन्दू इस सुझाव का विरोध कर सकते हैं, उन्हें निम्न प्रश्नों जवाब देने चाहिए:

1. पूना संधि के अंतर्गत दलित वर्गों को दी गई सीटें वापस हिन्दुओं के पास नहीं जा सकतीं। यदि दलित वर्ग धर्म–परिवर्तन करके इस्लाम या ईसाई धर्म अप. नाते हैं, तो ये सीटें मुसलमानों या ईसाइयों को चली जायेंगी, क्योंकि यदि दलित वर्गों के धर्म–परिवर्तन से मुसलमानों या ईसाइयों की संख्या बढ़ जाती है, तो मुसलमानों तथा ईसाई निश्चित तौर पर विधानमंडल में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग करेंगे। इस प्रकार, ये सीटें अगर जानी ही हैं, तो क्यों न इन्हें सिक्खों के पास जाने दिया जाये?

2. संविधान के अंतर्गत दलित वर्ग यदि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने से अपने राजनैतिक अधिकार नहीं खोते हैं, तो सिक्ख बनने पर उन्हें अपने राजनैतिक अधिकार क्यों खोने पड़ें? यह तो इस्लाम या ईसाइयत अपनाने पर इनाम और सिक्ख धर्म अपनाने पर सज़ा जैसा है। यह दलित वर्गों को मुसलमानों या ईसाइयों के खेमें में जाने पर मजबूर कर रहा है। क्या ऐसा होने देना हिन्दुओं के हित में है?

3. ऐसा हो सकता है कि दलित वर्ग सिक्ख धर्म अपनाने पर अपने राजनैतिक अधिकार न खोयें, क्योंकि 'पूना संधि अनुसूचित जाति परिषद्–आदेश' के अंतर्गत भी दलित वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार उनके हिन्दू धर्म को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं किये गये हैं। उनके प्रतिनिधित्व को उनके कुछ विशिष्ट जाति या कबीले का सदस्य होने पर निर्भर रखा गया है। लेकिन सिक्खों को हिन्दुओं के प्रति मन–मुटाव रखने और शिकायत का मौका क्यों दिया जाये?

4. राजनीतिक मान्यता के लिये विभिन्न प्रांतों में सिक्खों को 'अनुसूचित जाति' की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव कोई सशक्त प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर, ऐसी कोई मान्यता न देना विचित्र ही लगेगा।

यदि पंजाब में राजनीतिक उद्देश्य से सिक्खों को मान्यता दी जा सकती

है, तो अन्य प्रांतों के सिक्खों को क्यों नहीं?

यदि पंजाब के दलित वर्ग सिक्ख बनने पर अपने अधिकार नहीं खोयेंगे, तो अन्य प्रांतों के दलित वर्गों द्वारा सिक्ख धर्म अपनाये जाने पर उनका भाग्य क्यों अलग हो?''

इस वक्तव्य पर डॉ. मूंजे, श्री राजा, महात्मा गांधी तथा अन्य की प्रतिक्रिया के लिये परिशिष्ट x देखें–संपादक

12

धर्म–परिवर्तन की स्थिति में अधिकार प्रभावित नहीं

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने हिन्दू समुदाय छोड़ने की स्थिति में पूना संधि के अंतर्गत दलित वर्गों द्वारा अपने राजनैतिक अधिकार छोड़ देने की संभावना पर बातचीत को अस्वीकार किया है और वे इसे काँग्रेस की उन्हें तथा उनका पार्टी को चुनाव लड़ने से रोकने का एक कारनामा मानते हैं।

''मेरे पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि यह काँग्रेस का मुझे तथा मेरी पार्टी को डराने का एक कारनामा है, जिससे हम आगामी चुनाव में न उतरें और हिन्दू समुदाय के भीतर रहने पर मजबूर हो जायें।''

यह शहर में प्रचलित उन रिपोर्टों पर डॉ. अम्बेडकर की प्रतिक्रिया है, जिनमें कहा जा रहा है, कि दलित वर्गों के येओला तथा बम्बई सम्मेलनों के संकल्प और डॉ. अम्बेडकर द्वारा हिन्दुत्व छोड़ने के अपने इरादे की घोषणा पूना संधि के अंतर्गत प्राप्त हुए विशेषाधिकारों पर दलित वर्गों की प्रसन्नता के विरुद्ध हैं।

डॉ. अम्बेडकर को इन रिपोर्टों पर हँसी आती है, क्योंकि उनकी राय में ये पूना संधि द्वारा संशोधित साम्प्रदायिक अधिनिर्णय अवार्ड के प्रावधानों तथा संवैधानिक स्थिति की अनभिज्ञता पर आधारित हैं।

दलित वर्गों के संबंध में साम्प्रदायिक अधिनिर्णय का वास्तविक प्रावधान यह था कि उन्हें सामान्य चुनाव क्षेत्रों में ही वोट डालने होंगे, लेकिन उनके लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें विशेष सीटें आबंटित की गई थीं, इस प्रावधान का आधार दलित वर्गों के लिये एक विशेष चुनाव क्षेत्र था।

संक्षेप में, पूना संधि में हिन्दू समुदायों के साथ संयुक्त निर्वाचकमंडलों को दलित वर्गों के लिये अलग निर्वाचकमंडलों से बदल दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिये कि दलित वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ अपने समुदाय का पूरा विश्वास हो, समुदाय द्वारा प्राथमिक चुनाव के लिये स्वयं एक युक्ति विकसित की गई–संयुक्त हिन्दू समुदाय के निर्वाचक मंडलों को दलित वर्गों की सूची में मौजूदा मतदाताओं द्वारा प्रत्येक सीट के लिये चुने गये चार उम्मीदवारों के पैनल में से अपना उम्मीदवार चुनना था।

पूना संधि : हिन्दुओं का तर्क

हिन्दू समुदाय द्वारा अब उठाया जा रहा प्रमुख मुद्‌दा यह है कि जिन परिस्थितियों में पूना संधि हुई थी, उनमें निस्संदेह यह माना गया था कि दलित वर्ग हिन्दू समुदाय का ही हिस्सा रहेंगे। श्री गांधी इस संधि के लिये अकेले जिम्मेदार हैं जो उन्होंने हिन्दू समुदाय को विभाजन से बचाने के लिये ही अनशन किया था, क्योंकि दलित वर्गों को अलग निर्वाचकमंडल आबंटित किये जाने के परिणामस्वरूप, इस विभाजन की आशंका प्रकट की जा रही थी।

यह तर्क दिया गया कि पूना संधि में हिन्दू समुदाय ने त्याग किये हैं और दलित वर्गों को हिन्दू समुदाय में बनाये रखने और उनकी आशंकायें कम करने के एकमात्र उद्‌देश्य के साथ उसने वास्तविक अवार्ड के अंतर्गत स्वयं को आबंटित सीटों में से कुछ लौटा दी थीं।

हालांकि, तब से दलित वर्गों का एक हिस्सा डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में हिन्दू धर्म त्यागने का संकल्प ले चुका है। उदाहरण के लिये, बम्बई महार सम्मेलन ने संकल्प लिया कि गहन सोच–विचार के बाद सम्मेलन :

(क) घोषणा करता है कि महार समुदाय के पास समानता तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये धर्म–परिवर्तन ही एकमात्र उपाय है,

(ख) अपने माननीय नेता, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को विश्वास दिलाता है कि समुदाय सामूहिक रूप से अपना धर्म–परिवर्तन करने के लिये तैयार है, और

(ग) महार समुदाय से आग्रह करता है कि धर्म–परिवर्तन के शुरुआती कदम के रूप में वे अब से हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा न करें, हिन्दू पर्व व त्यौहार न मनायें और हिन्दू पवित्र स्थानों पर जाना बंद कर दें।

कट्‌टरपंथी दृष्टिकोण

कट्‌टरपंथी हिन्दू दृष्टिकोण के अनुसार, इस संकल्प के बाद हिन्दू समुदाय के प्रति महारों के इरादों के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता और इसलिये वे उन चुनावी विशेषाधिकारों से वंचित किये जाने पर कोई शिकायत नहीं कर सकते, जो कि उन्हें हिन्दुओं द्वारा पूरी तरह से यह मान कर दिये गये थे कि वे हिन्दू ही रहेंगे।

दूसरे शब्दों में, जैसा कि हाल ही में एक कॉंग्रेसी नेता ने कहा है, ''चित भी उनकी और पट भी उनकी' नहीं हो सकती। या तो वे हिन्दू रहें और पूना संधि के अंतर्गत विशेषाधिकार पायें या फिर वे हिन्दू न रहें और उन विशेषाधिकारों को छोड़ दें।''

अपने दृष्टिकोण से स्थिति स्पष्ट करने के लिये आमंत्रित किये जाने पर, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया के एक प्रतिनिधि के साथ विशिष्ट साक्षात्कार में डॉ. अम्बेडकर ने इस तर्क का खंडन किया कि हिन्दू समुदाय ने दलित वर्गों के लिये कोई त्याग किया है।

उन्होंने कहा, ''यह मानना गलत है कि कट्टरपंथी हिन्दुओं ने दलित वर्गों के पक्ष में कोई सीट छोड़ी है। वास्तव में, हिन्दू सीट या हिन्दू निर्वाचन क्षेत्र जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, यह केवल एक सामान्य चुनाव–क्षेत्र है।''

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, संविधान में किसी हिन्दू चुनाव–क्षेत्र को मान्यता नहीं दी गई है, यद्यपि मुसलमानों, यूरोपियों, आंग्ल–भारतीयों, सिक्खों (पंजाब में) इत्यादि के लिये अलग–अलग चुनाव क्षेत्र हैं। अनारक्षित चुनाव–क्षेत्रों में केवल हिन्दू ही नहीं, बल्कि पारसी, ज्यू, जैन, बौद्ध तथा कई अन्य समुदाय भी आते हैं। पूना संधि के अंतर्गत दलित वर्गों को यदि कोई रियायत दी भी गई है, तो वह अनारक्षित चुनाव क्षेत्र से है, न कि किसी 'हिन्दू चुनाव–क्षेत्र' से, क्योंकि इस नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। इस तरह के किसी चुनाव–क्षेत्र का ज़िक्र न तो साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में है, न ही पूना संधि में, यहां तक कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भी इसका कोई ज़िक्र नहीं है, जो मताधिकार तथा निर्वाचन प्रक्रिया को संचालित करता है।

निर्वाचन–क्षेत्रों का वर्गीकरण

अब इस मुद्दे पर प्रश्न उठाने का समय नहीं रहा

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा अपनाये गये निर्वाचन–क्षेत्रों के वर्गीकरण के औचित्य पर प्रश्न उठाने के लिये अब बहुत देर हो चुकी है। ''यह जैसा भी है, इसे मानना पड़ेगा। यहाँ तक कि पंजाब में जहाँ मुसल. मानों की संख्या अधिक है और हिन्दू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ भी मुसलमानों के लिये एक अलग निर्वाचन–क्षेत्र है और हिन्दुओं के लिये आम निर्वाचन–क्षेत्र ही है।''

इस प्रकार, डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''यह मानना गलत और अनिष्टकारी है कि हिन्दुओं ने कोई बलिदान किया है, क्योंकि यदि ऐसा है, तो अनारक्षित चुनाव–क्षेत्रों में आने वाले अन्य कई समुदायों ने भी दलित वर्ग को यह तथा–कथित रियायत दी है।''

डॉ. अम्बेडकर द्वारा कही गई अगली महत्त्वपूर्ण बात यह है कि साम्प्रदायिक अधिनिर्णय पूना संधि तथा भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत की गई रा. जनैतिक व्यवस्थाओं का धर्म से कोई लेना–देना नहीं है। यूरोपीय निर्वाचन–क्षेत्रों में यूरोपीय शामिल हैं, चाहे उनका धार्मिक विश्वास जो भी है, आंग्ल–भारतीय मामले में भी ऐसा ही है। केवल मुस्लिम समुदाय के मामले में ही राजनीतिक वर्गीकरण धार्मिक समूहों के आधार पर है। स्वयं अनारक्षित चुनाव–क्षेत्रों में भी इस श्रेणी के अंतर्गत आने वालों को राजनीतिक अधिकार उनके धार्मिक विश्वास की समानता के आधार पर नहीं दिये गये हैं।

मताधिकार व्यवस्थाएँ

दूसरे शब्दों में, मताधिकार व्यवस्थायें किसी विशेष धार्मिक विश्वास से जुड़े होने की बजाय किसी समुदाय विशेष की सदस्यता के आधार पर की गई हैं। ''दलित वर्गों'' का मूल वर्गीकरण बदलकर अब ''अनुसूचित जाति'' कर दिया गया है और यह समुदाय की एक शाखा की ओर इंगित करता है, जिसका वर्गीकरण सामाजिक तथा आर्थिक नज़रिये से किया गया है, न कि किसी धार्मिक दृष्टिकोण से।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि, यदि केवल तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि इन वर्गीकरणों में धर्म का पुट मौजूद है, तब भी किसी धर्म का त्याग करना या किन्हीं सिद्धांतों पर से विश्वास उठने की घोषणा करना किसी मौजूदा राजनैतिक अधिकार का उपयोग करने के विरुद्ध नहीं है।

यदि दलित वर्ग का कोई सदस्य हिन्दुत्व त्याग देता है और वास्तव में कोई और धर्म जैसे इस्लाम या ईसाइयत अपना लेता है, तब यह एक अलग मामला हो सकता है।

तब, और केवल इस तरह से धर्म–परिवर्तन के बाद ही, वह उस राजनीतिक समूह के अंतर्गत आयेगा, जो उस धर्म को मानने वालों को दिया गया है, केवल तभी उसे हिन्दू समुदाय की सदस्यता से जुड़े अधिकार त्यागने पर बाध्य किया जा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर पूछते हैं, यदि कोई हिन्दू वेदों पर विश्वास न रखता हो तो? आज भारत में कई हिन्दू ऐसे हैं, जो केवल नाम के लिये हिन्दू हैं और जो हिन्दू होने के लिये आवश्यक असंख्य धार्मिक अनुष्ठानों तथा औपचारिकताओं को नहीं मानते। क्या वे उस वजह से हिन्दू नहीं कहलाते? और, वह कौन सा मानक है, जिसके ज़रिये किसी हिन्दू के उसके धर्म पर विश्वास की सीमा मापी जाती है?

अधिकारों का आग्रह

अन्याय की मौजूदा रीतियों के साथ विरक्ति से जन्में किसी धार्मिक सम्प्रदाय को छोड़ने का इरादा उस धर्म से किसी व्यक्ति का संबंध नहीं तोड़ सकता, जो वह नाममात्र को अपना रहा हो।

''निश्चित रूप से, आज के सभी ईसाई सच्चे ईसाई नहीं हैं। यूरोप में उन रविवारीय परेडों के विषय में आप क्या कहेंगे, जिनमें ईसाइयत को न मानने वाले या इसके प्रति उदासीन या तर्कवादी लोग रविवार की सुबह गिरिजाघरों के आगे प्रदर्शन करते हैं? इस सबके बावजूद भी वे राज्य की नज़र में ईसाई हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने हास्यपूर्ण ढंग से कहा, ''आप चाहें तो मुझे वैधानिक हिन्दू कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने राजनैतिक अधिकारों पर दृढ़ रहूँगा, चाहे मेरी धार्मिक भावप्रवणता की गहराई कितनी भी हो।''

अपने तर्क को समर्थन देने के लिये डॉ. अम्बेडकर ने पंजाब से दो उदाहरण दिये, जहां दलितों के दो वर्ग यह प्रमाणित होने के बावजूद भी कि वे हिन्दू नहीं हैं, ''अनुसूचित जाति'' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। जो उदाहरण दिये गये वे आदर्मियों तथा रामदासियों के हैं। आद–धर्मियों ने तो औपचारिक रूप से सरकार को सूचित किया कि वे हिन्दू नहीं हैं और तब भी वे आम निर्वाचन–क्षेत्र में ''अनुसूचित जाति'' के अंतर्गत रखे गए हैं।

1931 की पंजाब जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है :

''कई चमारों तथा शूद्रों और अन्य अस्पृश्यों द्वारा ''आद–धर्म'' नाम के शब्द का प्रयोग धर्म के विवरण की दृष्टि से वर्तमान जनगणना की सबसे उल्लेखनीय विशेषता रही है। धर्म को इस वर्ष एक नया निर्देश दिया गया कि 'जो लोग स्वयं को आद–धर्मी घोषित कर रहे हैं, उन्हें इसी नाम से रिकॉर्ड किया जाये।'

''पंजाब आद–धर्म मंडल ने 1930 में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पंजाब सरकार से निवेदन किया था कि दलित वर्गों को जनगणना के समय आद–धर्म को अपना धर्म लिखने की अनुमति दी जाये, क्योंकि वे भारत के अदिवासी हैं और चूंकि हिन्दुओं ने उनसे हमेशा ही पर्याप्त दूरी बनाए रखी है, इसलिए उनका हिन्दू धर्म पर कोई विश्वास नहीं है। पंजाब के धर्म मंडल के अध्यक्ष को सूचित किया गया था कि जनगणना संहिता में एक खण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, कि जो लोग आद–धर्म को अपना धर्म घोषित करेंगे उन्हें उसी तरह रिकॉर्ड किया जायेगा। आद–धर्म का शाब्दिक अर्थ है 'मौलिक' या 'पुरातन' धर्म।''

एक नकारात्मक रवैया

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, आद–धर्मी आंदोलन पर विवाद इतना गंभीर हो गया कि कई हत्यायें हो गईं। चाहे जो भी हो, आद–धर्मियों को अनारक्षित निर्वाचन–क्षेत्रों में ''अनुसूचित जाति'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनकी इस स्पष्ट घोषणा के बावजूद भी कि वे हिन्दू नहीं हैं।

अपने स्वयं के तथा अपने अनुयायियों के विषय में डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि हिन्दुत्व के बारे में दृष्टिकोण नकारात्मक है और अब तक किसी अन्य धर्म के प्रति सकारात्मक जुड़ाव नहीं है।

इसी प्रकार 'रामदासी' धर्म से सिक्ख हैं, किंतु अनारक्षित निर्वाचन–क्षेत्रों में ''अनुसूचित जातियों'' के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार इन सब बातों से यही ज़ाहिर होता है कि निर्वाचक वर्गीकरण का धर्म से कोई लेना–देना नहीं है जो धार्मिक समूहों के ठीक विपरीत गया है।

इस प्रकार, यद्यपि डॉ. अम्बेडकर पूना संधि के अंतर्गत दलित वर्गों को दिए गये विशेषाधिकार शिकायत करने या उन्हें चुनौती देने के हिन्दुओं के अधिकार को मान्यता नहीं देते, तथापि उन्होंने दृढ़ता से कहा कि उनके समुदाय के राजनीतिक अधिकार हिन्दुत्व छोड़ने का इरादा करने या छोड़ देने पर भी प्रभावित नहीं होंगे।''[1]

---

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया, 24 जुलाई, 1936।

13

स्वार्थ–रहित धर्म–परिवर्तन अभियान

अस्पृश्यों के धर्म–परिवर्तन के विरुद्ध राय बहादुर एम.सी. राजा के वक्तव्य पर डॉ. अम्बेडकर की टिप्पणियाँ :–

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस पत्र–व्यवहार को प्रकाशन के लिये समाचार–पत्रों को भेजना ही अपने–आप में श्री राजा का एक अभद्र कृत्य है। डॉ. मूँजे ने अपने पत्र के अंत में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि धर्म–परिवर्तन पर अंतिम निर्णय लिये जाने तक इस पत्र को निजी एवं गोपनीय समझा जाये। यह नहीं माना जा सकता कि यह तथ्य श्री राजा की नजर में न आया हो। इस पत्र–व्यवहार को प्रेस में जारी करने से पहले श्री राजा को डॉ. मूँजे की अनुमति लेनी चाहिये थी। श्री राजा द्वारा किया यह कृत्य किसी भद्र व्यक्ति के लिए शोमभनीय नहीं है।

अस्पृश्य धर्म–परिवर्तन के लिये सिक्ख धर्म को चुन सकते हैं। यह तथ्य मेरे कई हिन्दू मित्र और अस्पृश्य समुदाय के वे सदस्य जानते हैं, जो अस्पृश्यों द्वारा धर्म–परिवर्तन के विषय में गंभीर दिलचस्पी रखते हैं।

अस्पृश्यों के सिक्ख धर्म अपनाने की संभावना के संबंध में राय बहादुर एम.सी. राजा और डॉ. मूँजे के बीच हुआ पत्र–व्यवहार अखबारों में छपा है। मैंने इसे पढ़ा है।

राजा के लिये इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, कि उन्होंने डॉ. अम्बेडकर का कोई बड़ा रहस्य उजागर कर दिया। मैं श्री राजा के पत्रों को कोई महत्त्व नहीं देता। मेरी नजर में श्री राजा के लिये अस्पृश्य जनता में कोई खास सम्मान नहीं है और न ही धर्म–परिवर्तन के विषय में उनके विचारों का कोई खास मूल्य है। अगर मुझे लगता कि उनके विचारों का जरा भी मूल्य है, तो मैं उनकी सोच बदलने में उन्हें सहयोग देता।

राय बहादुर राजा की उपेक्षा करते हुये, मुझे और राय बहादुर श्रीनिवासन को अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिये गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। इससे राजा के मन में मेरे प्रति जलन और द्वेष की भावना आ गई और वे तब से लगातार मेरी आलोचना और विरोध कर रहे हैं।

मैं अपने लोगों को सेवायें प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री राजा मेरा विराध कर रहे हैं और मेरे काम में गलतियाँ निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने समाचार–पत्रों के माध्यम से स्व–प्रचार की कला भी हासिल कर ली है। मैं इस प्रश्न को खास

महत्त्व नहीं देता, लेकिन फिर भी यह मेरी समझ से बाहर है कि दलित वर्गों द्वारा हिन्दुत्व का त्याग करने और कोई अन्य धर्म अपनाने हेतु चलाये गये अभियान से श्री राजा को क्या नुकसान है? यदि श्री राजा हिन्दू धर्म का त्याग नहीं करना चाहते, तो उन्हें ऐसा करने के लिये कोई बाध्य नहीं करने वाला और इसीलिये उन्हें भी इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री राजा का कहना है, ''मैं हिन्दू बनकर जिऊँगा और हिन्दू ही मरूँगा।'' वे ऐसा करने के लिये आज़ाद हैं। लेकिन मैं उन्हें एक बात कहना चाहूँगा कि प्रेस में वक्तव्य जारी करने में अपनी कुशलता का प्रयोग करके वे हिन्दू धर्म के लिये अपना प्रेम प्रदर्शित करते रहे हैं, लेकिन जब तक वे किसी और धर्म को नहीं अपनाते वे एक 'परियाह' बनकर जीते रहेंगे और 'परियाह' ही मरेंगे। उन्हें यह तथ्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिये, कि यदि वे हिन्दू समुदाय में ही बने रहे तो उनकी जाति की वजह से अस्पृश्यता का जो दाग उन पर लगा हुआ है वह मिटने वाला नहीं। यह कहना तो समझदारी नहीं है कि धर्म परिवर्तन केवल आध्यात्मिक कारणों से किया जाना चाहिए। मैं श्री राजा से पूछना चाहूँगा कि क्या वे केवल आध्यात्मिक कारणों से हिन्दू समुदाय में बने रहना चाहते हैं। यदि उनकी आध्यात्मिक संतोष के अलावा और कोई आकांक्षा नहीं है, तो उन्हें विधान–मंडल में सीटों के आरक्षण से हासिल होने वाले राजनैतिक तथा भौतिक लाभों की चिंता नहीं करनी चाहिये। यदि वे हिन्दू बनकर जीने और हिन्दू बनकर मरने के इतने इच्छुक हैं, तो वे आरक्षित सीटों की कामना क्यों करते हैं?

मैं समझता हूँ कि श्री गांधी और श्री मालवीय में अस्पृश्यों के धर्म–परिवर्तन के विरुद्ध कुछ कहने का नैतिक साहस नहीं है। वे पूना संधि पर हस्ताक्षर करते समय किये गये वायदों को पूरा कर पाने में असफल रहे हैं।

श्री गांधी का कहना है कि मेरा निर्णय उनकी समझ से बाहर है। मैं भी यही कहूँगा कि उनकी भाषा और कार्य मेरे लिये समझना मुश्किल हैं। उनके अनुसार 'अस्पृश्यों का उद्धार एक स्वतंत्र प्रश्न है। यदि इस तरह की भाषा, जो कि गांधी जी द्वारा प्रयोग की जाती है, किसी संत द्वारा प्रयोग की जाये, तो वे आपस में इसे बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे साधारण इंसान के लिये, जो अपनी रोजमर्रा की ज़िन्दगी में समाज के साधारण सिद्धांतों पर चलता है, गांधी जी की गणितीय भाषा का कोई अर्थ नहीं है। गांधी जी का कहना है कि धर्म कोई वस्तु नहीं है, जिसकी अदला–बदली की जाये। मेरा जवाब यह है कि गांधी द्वारा इतने दिनों बाद इस तरह का वक्तव्य दिया जाना उचित नहीं है। पूना संधि के समय श्री गांधी ने स्वयं ही 'एक हाथ दे, एक हाथ ले' के सिद्धांत को स्वीकार किया था। वे दिन लद गये जब अपनी भूख मिटाने और रोटी तथा पानी जैसी साधारण मौलिक आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिये संघर्ष करने वाले लोगों की आँखों पर मात्र आध्यात्मिक शांति पाने हेतु जीने के लिए पट्टी बांधी जा सकती थी।

गांधी का कहना है कि अस्पृश्य अपने धर्म का सौदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि धर्म–परिवर्तन का यह अभियान किसी निजी लाभ या स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के साथ नहीं छेड़ा गया। गांधी के अनुसार, हिन्दुओं को स्वयं ही प्रायश्चित करना चाहिये और स्वेच्छा से अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करना चाहिये। अस्पृश्यों को अपने उत्थान तथा अस्पृश्यता मिटाने के लिये स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अस्पृश्यों को केवल हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिये और प्रार्थना करनी चाहिए कि 'हे भगवान! हिन्दुओं को बुद्धि, साहस और प्रकाश दो, जिससे उन्हें उनके दुष्कर्मों के लिये क्षमा किया जा सके। उनके पाप क्षमा कर दो और उन्हें अपने समाज के सुधार के लिये ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करो।' यह अस्पृश्यों के लिये गांधी जी की पवित्र सलाह है। ये थोथी उक्तियाँ किसी का भला नहीं कर सकतीं, न ही इनसे समस्या हल हो सकती है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह के प्रस्ताव से कभी सहमत नहीं होगा। यह प्लेग जैसी महामारी से ग्रस्त क्षेत्र में रह रहे लोगों को किसी मूर्ख द्वारा दी गई इस सलाह जैसा है, ''भाइयो, रुको और मेरी बात सुनो! इस रोग से मत डरो। म्यूनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों में की गई लापरवाही के लिये एक दिन जरूर प्रायश्चित करना होगा; प्लेग उन्मूलन के लिये कोई योजना निश्चित रूप से तैयार की जायेगी। तब तक आप लोग इंतजार करो। घर और चूल्हा छोड़ने की जल्दी मत करो।'' इस सलाह में आपको जो बुद्धिमानी नज़र आती है, उसी तरह की सलाह गांधी द्वारा अपने वक्तव्यों में अस्पृश्यों को दी गई है।

श्री राजगोपालाचारी को तो लगता है गुस्से का एक और दौरा पड़ गया है। इस वृद्धजन को तो लगता है कि पैने–निरर्थक शब्दों, जो कि गढ़ते रहने की इन्हें आदत है, के अत्यधिक प्रयोग से अपाचन हो गया है। इन्होंने तो धर्म–परिवर्तन के इस अभियान को 'शैतानी' करार दे दिया है।

यदि अस्पृश्य लोग वास्तव में सिक्ख धर्म अपनाने की बात सोच रहे हैं, कि हिन्दू धर्म के अनुयायियों को स्वयं यह सोचना चाहिये कि क्या वास्तव में अस्पृश्यों का यह कदम 'शैतानी' है। मेरा मानना है कि जो हिन्दू हिन्दुत्व के भविष्य के विषय में वस्तुतः में चिंतित हैं, वे अवश्य विस्मित हो रहे होंगे कि क्या सिक्ख धर्म अपनाने को 'शैतानी' क़दम कहने वाले महान हिन्दू ब्राह्मण राजगोपालचारी का दिमाग ठिकाने नहीं है।

वास्वत में, यदि 'शैतानी' होने का दोष किसी व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिये, तो वे डॉ. मूँजे हैं, जिन्होंने शिष्टाचार के लिये किसी सम्मान के बिना व्यक्तिगत एवं गोपनीय पत्र–व्यवहार को प्रकाशित करवा दिया। लेकिन मैं इस मामले में कुछ और नहीं कहना चाहता।

शंकराचार्य डॉ. कुर्ताकोटि और अन्य प्रमुख हिन्दू नेता अस्पृश्यों के सिक्ख धर्म अपनाने के पक्ष में हैं। वास्तव में इन्हीं नेताओं ने अस्पृश्यों द्वारा सिक्ख धर्म अपनाये जाने के विचार का प्रचार किया है.... और मुझे भी ऐसा करने के लिये राजी किया है। मुझे इनका मत मुख्यतः इसलिये पसंद आया, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि हिन्दू संस्कृति तथा सभ्यता के भविष्य के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है। समाचार पत्रों में प्रकाशित पत्र–व्यवहार पर मेरे विचार पढ़ने के बाद हिन्दू स्वयं इस बात का निर्णय ले सकते हैं, कि अस्पृश्यों के सिक्ख धर्म अपनाने के विषय में श्री गांधी, श्री राजा तथा श्री राजगोपालाचारी द्वारा तय की गई नीति हिन्दू समाज के लिये फ़ायदेमंद है या नहीं।[1]

---

1. डॉ. अम्बेडकर का बयान, जनता (मराठी) में दिनांक 15 अगस्त, 1936 को प्रकाशित।

14

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी : दलित वर्गों के उत्थान के लिए एक स्रोत

14 जनवरी, 1937 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर लंदन से बुम्बई पहुॅचे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने डॉ. अम्बेडकर से बातचीत की। यह बातचीत इस प्रकार है : संपादक

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वे यूरोप केवल स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गये थे और अधिकतर समय वे विएना तथा बर्लिन में ही रहे। लंदन में वे केवल एक सप्ताह रहे। लंदन में उनकी किसी से कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने हिन्दू समुदाय छोड़ने के अपने इरादे पर कोई निर्णय ले लिया है, उन्होंने कहा कि उनका फैसला अब भी वही है। यद्यपि वे कौन सा धर्म अपनायेंगे, इस पर अभी उन्होंने अपना मन नहीं बनाया है।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि अभी उनकी दिलचस्पी केवल बुंबई विधानसभा के आगामी चुनावों में है– और वे स्वयं को चुनाव प्रचार में लगा देंगे। उनके द्वारा शुरू की गई इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी विधानमंडल में दलित वर्गों की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति सुधारने की दिशा में कार्य करेगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस पार्टी की ओर से खड़े किए गए सभी उम्मीदवार चुनाव में सफलता प्राप्त करेंगे।

पहुँचने पर डॉ. अम्बेडकर का भव्य स्वागत हुआ। बल्लार्ड पिअॅर स्टेशन से एलेक्जॅन्ड्रा डॉक नम्बर 18 तक के पूरे रास्ते पर खाकी वर्दी पहने कतार में खड़े सोशियल इक्विटी लीग के एक हजार से भी अधिक स्वयंसेवकों ने उनकी जय–जयकार की।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बम्बई विधानमंडल के आगामी चुनावों में खड़े अधिकतर उम्मीद्वार डॉ. अम्बेडकर से मिलने घाट पर ही उपस्थित थे। इनमें बी.के. गायकवाड़ (नासिक ज़िला), श्री प्रभाकर रोहम् (अहमदनगर), श्री बी. एच. वराले (बेलगांव), श्री आर. आर. भोले (पूना), श्री बी.जे. सावदकर, श्री एस. जी. टिपणिस (कोलाबा), श्री जी. आर. घाटगे (रत्नागिरी), श्री आर. ई. भटनकर (थाणा) तथा श्री वी.ए. गडकरी शामिल थे।[1]

---

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 जनवरी, 1937,
पुनः मुद्रित : खैरमोड खंड 7, पृष्ठ 57–59।

15

भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता

''यह दिलचस्प बात है कि उनके लिये अस्पृश्यता और शोषण नागरिक अधिकारों का उल्लंघन था, परम्परागत रूप में नहीं, बल्कि इसलिये कि इनसे एक पूरे समुदाय की गरिमा का अतिक्रमण होता है। सिविल लिबर्टीज़ यूनियन के सचिव डॉ. के.बी. मेनन को जून 1937 में लिखा गया यह जवाब पढ़ने योग्य है:

भीमराव आर. अम्बेडकर
एम.ए.पीएच.डी., डी.एस.सी.
बैरिस्टर–एट–लॉ

'राजगृह'
दादर, बम्बई–14
8 जून, 1937

प्रिय श्री मेनन,

मुझे 19 मई, 1937 का आपका पत्र संख्या 998 और आपका पोस्टकार्ड भी प्राप्त हुआ, जिसमें आपने मुझे घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है, जो कि इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की ओर से लंदन में 'भारत में नागरिक स्वतंत्रता' पर हो रहे एक सम्मेलन में भारत की ओर से संदेश के रूप में पढ़ा जायेगा। मैं 25 मई को ही बम्बई पहुँचा हूँ और तभी मुझे आपके पत्र के विषय में ज्ञात हुआ, इसीलिये मैं पहले जवाब नहीं दे सका।

मैंने घोषणा–पत्र पढ़ लिया है और मुझे अफसोस है कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। आपने भारत सरकार की फ्रंटिअर पॉलिसी की निंदा की है। मेरी समझ से बाहर है कि यह भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता का मामला कैसे हो सकता है। दूसरी ओर, अस्पृश्यों के प्रति उच्च–जातीय हिन्दुओं द्वारा नियमित रूप से किये जा रहे अत्याचार तथा उत्पीड़न का इसमें कोई ज़िक्र नहीं है, जो निस्संदेह भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता का विषय है।

आपका,

बी.आर. अम्बेडकर''[1]

---

1. न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण आय्यर, एक्सॉर्डियम पृ. VII .

16

किसी भी और देश में ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता

सेवा में,
संपादक,
द टाइम्स ऑफ इंडिया

महोदय,

बम्बई के गृह मंत्री द्वारा दो जुआरियों को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को रद्द किये जाने के तुरंत बाद ही सी.पी. के गृह मंत्री द्वारा भी ज़ाफर हसन नाम के एक आदमी को न्यायिक आयुक्तों की अदालत द्वारा दी गई सज़ा माफ़ करने की ख़बर आई है। ज़ाफर हसन को 14 वर्ष की लड़की से बलात्कार करने के ज़ुर्म में 3 साल बामशक्कत कैद की सज़ा सुनाई गई थी। दंड 1936 में दिया गया था। दोषी ने केवल एक वर्ष की ही कैद भुगती है, दो वर्ष की सज़ा माफ़ कर दी गई है।

मेरा मानना है कि सी.पी. के कांग्रेस मंत्री का यह कदम बेहद शर्मनाक है, जिसकी मेरी नज़र में कोई बराबरी नहीं है। हिन्दू जनता, जो आँखें मूंदकर कांग्रेस को समर्थन दे रही है, इन कार्रवाइयों के विषय में क्या सोचती है?

मैं आपको यह पत्र कदापि न लिखता यदि यह मामला सवर्ण हिन्दुओं से संबंधित होता—ऐसा नहीं है कि यदि वह लड़की सवर्ण हिन्दू होती, तो यह ज़ुर्म इतना संगीन न होता—बल्कि इसलिये, कि हिन्दुओं ने एक कट्टर विश्वास बना लिया है कि काँग्रेस के अलावा कोई पार्टी और महात्मा के अलावा कोई व्यक्ति उनका भला नहीं कर सकता! उन्होंने अपना भाग्य एक पार्टी के हाथ में दे दिया है और जिन पर वे विश्वास करते हैं, उनके कृत्यों पर वे विचार नहीं करना चाहते। यदि उन पर कोई विपत्ति आती है, तो यह उनकी अपनी गलती है। लेकिन यह लड़की दलित वर्ग की है। वह जाति से चमार है। इसलिये मैं इस मामले से गहरा सरोकार रखता हूँ। हमारी नियति है कि हम अल्पसंख्यक रहें। हम केवल आलोचना कर सकते हैं। हम नियंत्रण करने की उम्मीद कभी नहीं कर सकते।

यदि सी.पी. में गृहमंत्री के ऐसे कृत्य हिन्दू जनता द्वारा बर्दाश्त कर लिये जाते हैं, प्रधान मंत्री द्वारा समर्थित किये जाते हैं और महात्मा द्वारा नज़रंदाज़ किये जाते हैं, तो दलित वर्ग न्याय की क्या उम्मीद रखेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि किसी

अन्य देश में ऐसे मंत्री को बर्ख्वास्त कर दिया जाता। लेकिन क्या भारत में ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है? महात्मा को दलित वर्ग को जवाब देना होगा कि वे और उनका प्रधान मंत्री अपने एक मंत्री के ऐसे निंदनीय कृत्य को कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं।

बंबई — बी.आर. अम्बेडकर''[1]

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 मर्च, 1938 ।

17

समाजवादी अब निष्क्रिय हैं

''21 मई, 1938 को बम्बई पहुँचने पर एक साक्षात्कार के दौरान डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी पार्टी के प्रति लोगों के बढ़ते समर्थन पर और दासता मिटाने की दिशा में किये गये प्रयासों के प्रति उनकी कृतज्ञ सराहनाओं पर गहरा संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि उनकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अपने तरीके से अपने चुनावी वायदे पूरे करने का भरसक प्रयास कर रही है, किंतु यदि काँग्रेस मंत्रालय संवैधानिक तरीकों से राहत देने से इंकार करता है और इस तरह लोगों का विश्वास यदि उस पर से उठ जाता है, तो विकल्प स्पष्ट है। परन्तु उन्होंने समाजवादियों के रवैये पर आश्चर्य प्रकट किया, जो हमेशा से ज़मीदारों की ज़मीन जब्त करने और पूँजीवाद खत्म करने के लिये नारे लगाते रहे हैं, लेकिन अब जबकि "खोटी" प्रणाली को समाप्त करने के लिये एक ठोस प्रस्ताव सामने लाया गया है, वे बिल्कुल निष्क्रिय हो गये हैं।[1]

---

1. कीर, पृष्ठ 310।

18

इस तरह के संस्थाओं को बड़े पुस्तकालयों में विकसित करें

रजवाड़े संशोधन मंडल, धूलिया (महाराष्ट्र) की आगंतुक पंजी पर 18 जून, 1938 को डॉ बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई टिप्पणी :— संपादक

"मैंने कोई छः—सात वर्ष यूरोप और अमरीका के विभिन्न पुस्तकालयों में बिताये हैं और रजवाड़े संशोधन मंडल की पाण्डुलिपियों तथा चित्रकारियों के संग्रह को देखकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। यूरोपीय पुस्तकालयों की तुलना में वास्तव में यह बहुत छोटी जगह है। परन्तु इसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं है, जिन्होंने इस संस्था का सृजन किया है। उम्मीद की जाती है कि नई सरकार इस तरह की संस्थाओं पर पर्याप्त ध्यान देगी और देखेगी कि किस तरह इन्हें बड़े पुस्तकालयों में विकसित किया जा सकता है। मैं इस संस्था की सफलता की कामना करता हूँ।

18—6—1938 ह. /बी.आर. अम्बेडकर

19

साहूकारी को नियंत्रित तथा विनियमित करने के लिये विधेयक

लेखक
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
एम.ए., पीएच.डी., डी.एस,.सी,
बैरिस्टर–एट–लॉ

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी
प्रकाशन
नं. 2

1938 का विधेयक नं. ....

साहूकारी को नियंत्रित तथा विनियमित करने के लिये विधेयक

विषय–सूची

अध्याय I

प्रास्ताविक

अध्याय II

साहूकारों को लाइसेंस देना

यह उस विधेयक का उद्धरण है, जिसमें साहूकारो के बारे में विवरण है। यह विधेयक वर्ष 1938 में तैयार किया गया था–संपदाक

अध्याय III

लाइसेंस का निलंबन तथा प्रतिसंहरण

धारा 17 दोषसिद्धि पर लाइसेंस का निलंबन इत्यादि।

धारा 18 निलंबन और प्रतिसंहरण के आदेश के विरुद्ध अपील।

धारा 19 अदालत के निर्देश पर लाइसेंस प्रस्तुत करना।

अध्याय IV

कारोबार चलाने की विधि

धारा 20 साहूकारी के संबंध में विज्ञापन आदि पर रोक।

धारा 21 एजेंट रखने की मनाही।

धारा 22, धारा 20 तथा 21 के अतिक्रमण पर सज़ा।

धारा 23 देनदार द्वारा लागत, शुल्कों इत्यादि के भुगतान का क़रार अमान्य।

अध्याय V

साहूकार के कर्त्तव्य

धारा 24 लेन–देन लिखित में हों।

धारा 25 ज्ञापन की प्रति देनदार को दी जाये।

धारा 26 धारा 24 या 25 के उल्लंघन में लेन–देन अमान्य।

धारा 27 चक्रवृद्धि ब्याज अदा करने का क़रार अमान्य।

अध्याय VI

खाते रखने की विधि

धारा 28 साहूकार द्वारा देनदार को पास बुक दी जाये।

धारा 29 साहूकार देनदार को उसके खाते का वार्षिक विवरण उपलब्ध कराए।

धारा 30 साहूकार को चूक के दौरान मुकदमा करने का हक नहीं।

धारा 31 चूक के लिए दंड।

धारा 32 खाते सरकार से प्राप्त बहियों में ही रखे जायें।

धारा 33 वर्ष के दौरान प्रयोग किये गये बही–खातों को प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तुत करना।

धारा 34 बहियों की वे प्रविष्टियाँ, जो धारा 32 और 33 के अनुरूप न हों वे साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होंगी।

अध्याय VII

मुकद्‌दमे तथा कार्रवाई

धारा 35 लघुवाद अदालत (स्माल कॉज़िज़ कोर्ट) के अधिकार क्षेत्र से बाहर।

धारा 36 अर्ज़ी में लाइसेंस का विवरण दिया जाये।

धारा 37 साहूकार को दिए जाने वाले परिप्रश्न।

धारा 38 कुछ लेन–देन पुनः खोलने की अदालत की शक्ति।

धारा 39 कुछ लेन–देन पुनः नहीं खोले जायेंगे।

धारा 40 ब्याज की दर कब अधिक समझी जाये।

धारा 41 खाते लिखने की विधि।

धारा 42 बंधक डिक्री पर देय राशि का भुगतान किश्तों में करने का निर्देश देने की शक्ति।

धारा 43 डिक्री में बंधक पर देय राशि का भुगतान किश्तों में करने का निर्देश

दिया जा सकता है।

धारा 44 निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति के मूल्य का आकलन अदालत करेगी।

धारा 45 निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति का केवल पर्याप्त हिस्सा ही बेचा जायेगा।

धारा 46 अतिब्याज उधार अधिनियम के अंतर्गत अदालत की शक्तियों की रक्षा।

धारा 47 प्रांत से बाहर भुगतान की संविधा अमान्य।

धारा 48 ब्याज की बकाया राशि का भुगतान करने का करार अमान्य।

अध्याय VIII

अपराधों के संबंध में कार्रवाई

धारा 49 सभी अपराध संज्ञेय होंगे।

धारा 50 दोषियों या दोषमुक्तों की अपीलें।

अध्याय IX

अनुपूरक

धारा 51 नियम बनाने की शक्ति।

1938 का विधेयक न. ......

साहूकारी को नियंत्रित तथा विनियिमित करने के लिये विधेयक

क्योंकि कानून द्वारा साहूकार के रूप में कारोबार कर रहे व्यक्तियों के कर्त्तव्यों तथा दायित्वों को निर्धारित करना और इस कारोबार को नियंत्रित व विनियमित करना युक्तिसंगत है। एतत् द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय I

लघु

शीर्षक, विस्तार तथा प्रास्ताविक प्रारंभ

1 (1) इस अधिनियम को बम्बई साहूकार अधिनियम, 1938 कहा जाये।

(2) यह पूरे बम्बई प्रांत पर लागू होगा और इस अधिनियम के पारित होने के बाद एक वर्ष के भीतर उस तिथि से प्रभावी होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए।

परिभाषायें

2. इस अनिधिनम में, जब तक कि कुछ विषय या संदर्भ से असंगत न हो–

(i) "अधिकृत नाम" और "अधिकृत पता" का अर्थ क्रमशः वह नाम और पता होगा, जिस पर इस अधिनियम के तहत किसी साहूकार को साहूकारी का कारोबार चलाने के लिये लाइसेंस प्रदान करके अधिकृत किया गया है।

(ii) "कारोबार का नाम" का तात्पर्य उस नाम पर शैली से है, जिसके अंतर्गत साहूकारी का कोई कारोबार चलाया जा रहा है, चाहे सहभागिता में या अन्यथा।

(iii) "ऋणी" अथवा "देनदार" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिस पर साहूकार का ऋण के रूप में कोई दावा है।

(iv) ''ब्याज अर्थपूर्ण है और इसमें शामिल है जिंस, नकदी, सेवा या किसी अन्य रूप में और किसी भी नाम से बुलाई जाने वाली वह राशि जो साहूकार को ऋण के प्रतिफल के रूप में या अन्यथा मूलधन से अधिक दी गई अथवा लौटाई गई दी जाने वाली अथवा लौटाई जाने वाली हो।

''ब्याज'' के तात्पर्य में राशि, नकदी सेवा या किसी अन्य रूप में और किसी भी नाम से मूलधन के अतिरिक्त कोई भी राशि शामिल है, जो साहूकार को ऋण के संबंध में दी गई है या दी जानी है।

(v) "ऋण" का अर्थ है ब्याज पर दिया गया उधार, चाहे नकदी के रूप में या जिंस के रूप में और इसमें पिछले दायित्वों तथा वास्तविक अर्थ में ऋण कहलाने वाले किसी अन्य लेन–देन के संबंध में दिया गया वचन भी शामिल है।

(vi) "साहूकार" का तात्पर्य हर उस व्यक्ति से है, जो पैसे उधार देने का कारोबार करता है या जो अपना प्रचार या घोषणा पैसा उधार देने वाले के रूप में करता है या किसी भी रूप में स्वयं को यह कारोबार करने वाला मानता है और इसमें आधि–व्यवसायी भी शामिल हैं, लेकिन निम्न इसमें शामिल नहीं हैंः–

(क) को–ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1912 और प्रोविडेंट इंश्योरेंस सोसायटीज़ अधिनियम, 1912 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी सोसायटी,

(ख) किसी विशेष अधिनियमन द्वारा उस अधिनियम के अनुसार ऋण देने हेतु निगमित कोई कॉर्पोरेट निकाय,

(ग) सरकार या उसके द्वारा अपनी ओर से ऋण देने के लिये प्राधिकृत कोई व्यक्ति, और

(घ) कोई भी व्यक्ति जो मात्र अपने कारोबार के उद्देश्य से और कारोबार के दौरान ऋण देता हो, यदि वह और

(i) बैंकिंग या बीमा का कारोबार, या

(ii) कोई अन्य कारोबार, जिसका प्रमुख उद्देश्य ऋण देना नहीं है।

(vii) "भुगतान" या ''वापसी'' के तात्पर्य में जिन्स, नकदी या सेवा के रूप में दी गई या लौटाई गई कोई भी राशि शामिल है।

(viii) "व्यक्ति" में कम्पनी और फर्म शामिल हैं।

स्पष्टीकरण I. साहूकार के कर्त्तव्यों तथा दायित्वों के उद्‌देश्य के लिये "कम्पनी" में प्रबंध एजेंट तथा प्रबंध निदेशक और "फर्म" के मामले में सभी भागीदार शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण II. जहां साहूकारी के कारोबार में किसी नाबालिग या अनुबंध करने में अक्षम किसी व्यक्ति का हित शामिल हो, वहाँ "व्यक्ति" शब्द में कारोबार के प्रबंध के लिये उत्तरदायी शामिल होगा।

(ix) "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा तय किया गया।

(x) "मूलधन" का तात्पर्य, ऋण के संबंध में, उस राशि से है, जो देनदार को वास्तव में उधार दी गई है।

(xi) "सुरक्षित ऋण" का तात्पर्य उस ऋण से है, जिसके लिये साहूकार ने ऋणी की सम्पत्ति पर ग्रहणाधिकार या प्रभार या उसका कोई हिस्सा ऋण के लिये प्रतिभूति के तौर पर बंधक रखा हो।

(xii) "असुरक्षित ऋण" का अर्थ किसी भी उस ऋण से है, जो सुरक्षित नहीं है।

इस अधिनियम के प्रावधानों पर कानूनों, रूढ़ियों या संविदाओं का प्रभाव नहीं।

3. किसी अन्य कानून, रूढ़ि या कानूनी बल वाली किसी प्रथा या संविदा में इसके विपरीत कुछ होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय II

साहूकारों को लाइसेंस देना

4. कोई भी व्यक्ति, निजी रूप से या अन्यथा, या स्वयं या किसी अन्य की ओर से या अपने अथवा किसी अन्य के लिए साहूकारी का कारोबार नहीं चला सकता, जब तक कि वह हर वर्ष, उस हर पते के लिये एक "साहूकार लाइसेंस" (जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसी कहा गया है) न प्राप्त कर ले जिस पर भी यह कारोबार चलाया जाता है।

लाइसेंस किस नाम पर लिया जाये

5. 'साहूकार लाइसेंस' हर साहूकार को अपने ही नाम पर लेना होगा और किसी अन्य नाम पर लिया गया लाइसेंस अमान्य होगा :

बशर्ते कि यदि साहूकारी का कारोबार चलाने वाला व्यक्ति यह कारोबार अपने

नाम से नहीं, बल्कि किसी व्यापारिक नाम के अंतर्गत चला रहा हो तो लाइसेंस में वह व्यापारिक नाम और वह अधिकृत पता, जिस पर यह कारोबार चलाया जा रहा है, लिखा होना चाहिये :

बशर्ते यह भी कि यदि साहूकारी का कारोबार किसी फर्म या किसी कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा हो तो लाइसेंस उस फर्म या कम्पनी के नाम पर लिया जायेगा या फिर जहाँ यह कारोबार किसी नाबालिग या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर चलाया जा रहा हो, जो किसी अन्य वजह से संविदा करने में अक्षम हो तो उस व्यक्ति के नाम में।

लाइसेंस में दिया जाने वाला विवरण

6. (1) लाइसेंस में फर्म के मामले में सभी साझीदारों के नाम, कम्पनी के मामले में प्रबंध एजेंटों या प्रबंध निदेशकों के नाम और नाबालिग या किसी अन्य वजह से संविदा करने में अक्षम व्यक्ति के मामले में कारोबार चलाने के लिये नियुक्त या उत्तरदायी व्यक्ति का नाम लिखा होगा।

(2) लाइसेंस पर वह प्राधिकृत पता भी लिखा होना चाहिये, जिसके लिये लाइसेंस प्रदान किया गया हो।

लाइसेंस के लिये प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता

7. (1) कोई भी व्यक्ति लाइसेंस पाने का हक़दार माना जाएगा, जब तक कि उसके पास एक प्रमाण–पत्र (अधिनियम के अंतर्गत जिसे प्रमाण–पत्र कहा गया है) न हो और लाइसेंस केवल उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जिसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक प्रमाण–पत्र हो।

(2) अलग–अलग लाइसंसों के लिये अलग–अलग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी।

प्रमाण–पत्र में दिया जाने वाला विवरण

8. किसी व्यक्ति को प्रदान किये गये हर प्रमाण–पत्र पर उसका असली नाम और वह पता लिखा होना चाहिये, जिस पर वह साहूकारी का कारोबार चलाना चाहता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह इस प्रमाण–पत्र का इस्तेमाल

अपने लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये करना चाहता है या किसी और के लिये या किसी फर्म के लिये या किसी कम्पनी के लिये।

प्रमाण–पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी

9. (1) कोई मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिये नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, जिसके अधिकार–क्षेत्र में वह इलाका आता है, जहाँ से साहूकार अपना कारोबार चलाना चाहता है, एक निर्धारित फॉर्म में किये गये आवेदन पर किसी व्यक्ति को अर्हता का प्रमाण–पत्र दे सकता है।

(2) प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन मिलने पर अधिकारी को आवेदन की पूरी प्रति अपने कार्यालय में किसी सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी और प्रदर्शित करने की तिधि से 15 दिन बाद तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी।

(3) कोई भी व्यक्ति आवेदक को देने, प्रदान करने का विरोध कर सकता है और यदि किसी आवेदन पर विरोध होता है, तो अधिकारी को जाँच करने के बाद ही प्रमाण–पत्र प्रदान या अस्वीकार करना होगा।

(4) किसी आवेदन का विरोध न होने की स्थिति में भी यह धारा अधिकारी को आवेदन अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करती है।

प्रमाण–पत्र देने से इनकार करने के आधार

10. प्रमाण–पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि निम्न में से एक या अधिक कारण न हों–

(i) आवेदक का चरित्र अच्छा होने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न किया गया हो।

(ii) इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो कि आवेदक या साहूकार के रूप में उसके कारोबार के प्रबंध के लिये उत्तरदायी या उत्तरदायित्व के लिए प्रस्तावित व्यक्ति इस तरह का प्रमाण पत्र रखने के लिये योग्य और उपयुक्त नहीं है।

(iii) आवेदक या साहूकार के रूप में उसके कारोबार के प्रबंध के लिये उत्तरदायी या उत्तरदायीतव के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति को अदालत के आदेश

द्वारा लाइसेंस रखने के लिये अयोग्य ठहराया गया हो।

(iv) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन करने के लिये आवेदक द्वारा किसी नियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

इनकार करने के कारणों का रिकॉर्ड रखना

11. जब कोई प्राधिकारी, जो प्रमाण–पत्र प्रदान करने में सक्षम है, प्रमाण–पत्र देने से इनकार करता है, तो उसे इनकार करने के कारणों का लिखित ब्यौरा रखना होगा।

इनकार के आदेश के विरुद्ध अपील

12. प्रमाण–पत्र प्रदान करने से इनकार किये जाने के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति सत्र न्यायधीश को अपील कर सकता है और इस विषय पर सत्र न्यायधीश का फैसला अंतिम फैसला होगा।

लाइसेंस देने के लिए सक्षम प्राधिकारी

13. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सरकार द्वारा इस कार्य के लिये अधिकृत कोई भी अधिकारी एक निर्धारित फॉर्म पर आवेदन और निर्धारित फीस का भुगतान किये जाने पर प्रमाण–पत्र धारक को लाइसेंस दे सकता है।

लाइसेंस की अवधि

14. हर लाइसेंस हर वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होगा।

लाइसेंस की फीस

15. हर साहूकार को लाइसेंस के लिये फीस के रूप में 50 रुपये देने होंगे या यदि समाप्ति की तिथि के छः महीने के भीतर ही लाइसेंस लिया जाता है, तो इस पर 30 रुपये ही फीस के तौर पर लिये जाएंगे।

लाइसेंस संबंधी प्रावधानों के अतिक्रमण पर सज़ा

16. जो भी–

(क) अपने नाम के अलावा, किसी अन्य नाम पर साहूकार लाइसेंस लेता है, या

(ख) बिना किसी उपयुक्त लाइसेंस के साहूकारी का कारोबार चलाता है, या

(ग) साहूकार के रूप में लाइसेंसधारी होने के बावजूद, अपने प्राधिकृत नाम के अलावा किसी अन्य नाम से या अपने प्राधिकृत पते के अलावा किसी अन्य पते से साहूकारी का कारोबार चलाता हो, या

(घ) साहूकार के रूप में अपना कारोबार चलाने के दौरान धन उधार लेने या लौटाने के संबंध में अपने प्राधिकृत नाम के अलावा किसी नाम से राजीनामा करता है या साहूकार के रूप में अपना कारोबार चलाते हुए अपने अधिकृत नाम के अलावा किसी अन्य नाम से धन के लिये प्रतिभूति लेता है, तो उसे कम से कम 100 रु. का जुर्माना किया जा सकता है।

बशर्तें कि इस उप–धारा के अंतर्गत किसी अपराध के लिए व्यक्ति की दूसरी या परवर्ती दोषसिंद्धि पर अदालत अपराधी को उपर्युक्त दंड भरने की जगह या उसके अलावा अधिकतम तीन माह की कैद (किसी भी तरह की) की सज़ा सुना सकती है।

अध्याय III

लाइसेंस का निलंबन तथा प्रतिसंहरण

दोषसिद्धि पर लाइसेंस का निलंबन इत्यादि

17. यदि कोई व्यक्ति एक लाइसेंस–धारक होते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, तो अदालत :

(i) (क) आदेश देगी कि उस व्यक्ति का लाइसेंस या तो उतने समय के लियेनिलंबित कर दिया जाये, जितना कि अदालत उचित समझती है या फिर वापस ले लिया जाये और

(ख) यह भी घोषणा करेगी कि वह व्यक्ति उतने समय तक कोई ला. इसेंस प्राप्त करने योग्य नहीं है, जितना कि अदालत उचित समझती हो।

(ii) दोषसिद्धि और इस धारा के उप–खंड (i) के तहत आदेश के विवरण को दोषी पाये गये व्यक्ति और इस आदेश से प्रभावित किसी भी अन्य व्यक्ति के हर लाइसेंस पर पृष्ठांकित कराएगी, और

(iii) इन विवरणों की प्रतियाँ उस प्राधिकारी को जिसने प्रमाण–पत्र प्रदान किया था और उस अधिकारी को जिसने लाइसेंस प्रदान किया था, को भी भिजवाए।

निलंबन तथा प्रतिसंहण के आदोश के विरुद्ध अपील

18. चाहे अदालत के आदेश से किसी व्यक्ति का लाइसेंस निलंबित किया गया हो या वापस लिया गया हो या किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अयोग्य करार दे दिया गया हो, चाहे वह व्यक्ति दोषी हो या न हो, वह अपनी दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है और अपीली अदालत, यदि उचित समझे तो अपील का निर्णय होने तक आदेश के कार्यान्वयन को रोक सकती है।

अदालत के निर्देश पर लाइसेंस प्रस्तुत करना

19 (1) कोई भी लाइसेंस जिसकी आवश्यकता अदालत को इस अधिनियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के तहत पृष्ठांकन के लिये हो, धारक को अदालत द्वारा निर्देशित ढंग से और अदालत द्वारा निर्देशित समय के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो बिना किसी पर्याप्त कारण के निर्देशित समय पर लाइसेंस प्रस्तुत करने से चूक जाता है, उसे दोषसिद्धि हर चूक के लिये अधिकतम पाँच रुपये प्रतिदिन की दर से उतने दिनों के लिये जुर्माना देना होगा, जितने दिनों के लिये लाइसेंस प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।

अध्याय IV

कारोबार चलाने की विधि

साहूकारी के विज्ञापनों, परिपत्र पर रोक

20 (1) साहूकार अपने कारोबार के उद्देश्य से कोई विज्ञापन, सर्कुलर, व्यापारिक पत्र या इस तरह का कोई अन्य दस्तावेज जारी या प्रकाशित नहीं करेगा :

(क) जिसमें ऋणी को आमंत्रित किया जा रहा हो, या

(ख) जिसमें ऐसा कोई भाव हो जो पर्याप्त ढंग से ऐसा इशारा देता हो कि वह बैंकिंग का कारोबार चलाता है।

(2) कोई साहूकार जो इस धारा की उप–धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे प्रत्येक अपराध के लिये अधिकतम 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

एजेंट रखने की मनाही

21 (1) कोई भी साहूकार या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति लोगों को ऋण लेने या साहूकार से धन उधार लेने जैसा कोई व्यवहार करने के उद्देश्य से आमंत्रित करने के लिये किसी एजेंट या प्रचारक को नौकरी पर नहीं रखेगा और न ही कोई व्यक्ति धन उधार लेने के इच्छुक व्यक्ति को साहूकार से मिलवाने के लिये कमीशन के रूप में या अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई धन राशि या अन्य कोई कीमती प्रतिफल प्राप्त करेगा था उसकी माँग करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस धारा की उप–धारा (1) के प्रावधानों की अवहेलना करता है उसे दोषसिद्धि पर अधिकतम तीन माह की साधारण कैद या अधिकतम 100 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

धारा 20 तथा 21 के अतिक्रमण पर सज़ा

22. यदि यह पता चलता है कि ऋण देने का व्यवहार धारा 20 तथा 21 के किसी प्रावधान की अवहेलना करके किया गया है तो यह व्यवहार अमान्य समझा जायेगा, चाहे साहूकार को इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त हो, जब तक कि साहूकार यह साबित न कर दे कि यह अवहेलना उसकी सहमति या अनुमति के

---

*. ’ धारा संख्या 20 तथा 21 हो सकती है– संपादक

बिना हुई है।

लेनदार द्वारा लागत, शुल्कों इत्यादि के भुगतान का करार अमान्य

23. साहूकार और लेनदार या भावी लेनदार के बीच ऐसा कोई भी करार मान्य नहीं होगा, जिसमें लेनदार द्वारा साहूकार को ऋण प्राप्त करने के लिये किये गये मोल–तोल पर लगने वाली लागत शुल्क या खर्चें का भुगतान करने की बात कही गई हो और यदि इस तरह की लागत शुल्क या खर्चें के नाम पर लेनदार द्वारा साहूकार को कोई धन राशि दी जाती है, तो यह धन साहूकार के ऊपर ऋण होगा, जो उसे लेनदार को लौटाना होगा और यदि लेनदार को यह राशि वापस नहीं मिलती है तो इसे लेनदार द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल राशि में से घटा दिया जायेगा और शेष बची राशि ही वास्तविक ऋण मानी जायेगी।

लेन–देन के प्रमाणीकरण में लगने वाले दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के रूप में लगने वाली धन राशि का अधिकतम आधा हिस्सा देनदार से प्राप्त करना साहूकार के लिये गैर–कानूनी नहीं होगा।

अध्याय V

साहूकार के कर्त्तव्य

सभी लेन–देन लिखित में हों

24 (1) इस अधिनियम की शुरूआत के बाद से ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण पर ब्याज के भुगतान और ऋण की प्रतिभूति के लिये किये गये हर अनुबंध को लेनदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किये गए एक लिखित ज्ञापन द्वारा प्रमाणित करना होगा।

(2) ज्ञापन एक निर्धारित फार्म पर होना चाहिए और इस पर अनुबंध की सभी शर्तें लिखी होंगी और इसमें विशेष रूप से निम्न बातें संविदा होंगीः

(क) वह तिथि जिस पर ऋण लिया गया,

(ख) ऋण की राशि,

(ग) प्रतिफल का स्वरूप,

(घ) ब्याज,

(ड.) किस तरह की प्रतिभूति ली गई है, और

(च) यदि ऋण आंशिक या पूर्ण रूप से पहले लिये गये किसी ऋण को सुपरसीड करता है, तो वह ऋण और उसकी प्रतिभूति, यदि कोई है।

ज्ञापन की प्रति देनदार को दी जाये

25. इस तरह के हर ज्ञापन की प्रति संविधा की तारीख के सात दिनों के भीतर साहूकार द्वारा देनदार को दी जाएगी।

धारा 23 या 24 के उल्लंघन में हुआ लेन–देन अमान्य

26. किसी संविदा या प्रतिभूति में यह साबित हो जाता है कि ऋण दिये जाने से पहले या यथास्थिति प्रतिभूति लेने से पहले देनदार द्वारा ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किये गये या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट धरा 24 के प्रावधान के तहत इस ज्ञापन की एक प्रति संविदा किये जाने के सात दिनों के भीतर देनदार को नहीं भेजी गई, तो वह अमान्य समझा जायेगा।

* 'धारा 23 या' जोड़ा जाये—संपादक

चक्रवृद्धि ब्याज अदा करने का करार अमान्य

27. इस अधिनियम के आरंभ होने के बाद की गई कोई भी संविदा अमान्य होगी, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, देनदार से चक्रवृद्धि ब्याज लेने की बात कही गई हो या भुगतान में चूक हो जाने पर ब्याज की दर बढ़ा दिये जाने का ज़िक्र हो, और वह किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगाः

बशर्ते कि किसी संविदा द्वारा यह प्रावधान रखा गया हो कि यदि निर्धारित तिथि पर साहूकार को संविदा के अंतर्गत निहित किसी देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता, चाहे यह मूलधन के रूप में हो या ब्याज के रूप में, तो साहूकार को चूक की तिथि से इस राशि का भुगतान किये जाने तक साधारण ब्याज लेने का हक होगा, इस ब्याज की दर किसी चूक के अलावा मूलधन पर देय दर से अधिक नहीं होनी चाहिये और इस तरह लिये गये ब्याज को इस अधिनियम के तहत, ऋण पर लिया गया ब्याज नहीं माना जायेगा।

---

*

अध्याय VI

खाते रखने की विधि

साहूकार द्वारा देनदार को पास बुक दी जाये

28. हर साहूकार द्वारा अपने ऋणी को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पास बुक दी जाएगी और इसके भीतर देनदार द्वारा या देनदार को किये गये हर भुगतान की प्रविष्टि करनी होगी और इन्हें उसके हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करना होगा।

साहूकार देनदार को उसके खाते का वार्षिक विवरण उपलब्ध कराए

29. हर साहूकार प्रति वर्ष 31 जनवरी तक अपने देनदार या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को, जिससे उसे ऋण का भुगतान लेना है, सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म पर ऋण संबंधी खातों का ब्यौरा देगा, जिसमें पिछले वर्ष के दिसम्बर माह की 31 तारीख तक हुए सभी लेन–देनों का ब्यौरा होगा, जिनका प्रमाणीकरण उसके हस्ताक्षर द्वारा किया गया होगा।

साहूकार को चूक के दौरान मुकद्दमा करने का हक नहीं

30. कोई साहूकार जो धारा 28 के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह तब तक संविदा के तहत मूलधन या ब्याज के रूप में देय किसी भी धन राशि को वसूल करने के लिये मुकद्दमा करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह उन प्रावधानों की चूक कर रहा हो और चूक की इस अवधि के लिए ब्याज भी नहीं लिया जाएगा।

चूक के लिये दंड

31. धारा 28 या 29 के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले साहूकार को अधिकतम 100 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।

खाते सरकार से प्राप्त बहियों में ही रखे जायें

32. हर साहूकार एक निर्धारित फीस का भुगतान करके सरकार से बही खाते लेगा, जिनमें वह साहूकार के रूप में किये गये अपने लेन–देन दर्ज करेगा और इन

बही खातों में वह ऋण और ऋणों की प्रतिभूतियों यदि कोई हों, से संबंधित सभी लेन–देनों का विवरण दर्ज करेगा। यह विवरण सरकार द्वारा समय–समय पर निध. ारित की जाने वाली लिपि तथा अंकों में और स्याही से लिखा जाएगा।

वर्ष के दौरान प्रयोग किये गये बही–खातों को प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तुत करना

33. (1) हर वर्ष 31 जनवरी को या इससे पहले साहूकार को अपने द्वारा पिछले वर्ष के दौरान प्रयोग किये गये बहीखातों को लाइसेंसिंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(2) इसके बाद लाइसेंस अधिकारी चालू खाते के मामले में हर बहीखाते के दोनों तरफ पहली और आखिरी प्रविष्टि पर और बही (लैजर) के मामले में बही के हर खाते की पहली और आखिरी प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा।

(3) लाइसेंसिंग अधिकारी चालू खाते की आखिरी प्रविष्टि के बाद उन बहियों का विवरण भी देगा, जो साहूकार को गत वर्ष में जारी की गई थीं, किंतु उस वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गईं।

बहियों की वे प्रविष्टियाँ, जो धारा 31 और 32* के अनुरूप न हों वे साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होंगी।

*यह धारा 32 और 33 हो सकता है– संपादक

34. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में चाहे जो भी कहा गया हो, किसी भी बही खाते, रजिस्टर या रिकॉर्ड में दर्ज ऋण या प्रतिभूति से संबंधित कोई भी प्रविष्टि साहूकार के लिये किसी मुकदमे या कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगी, जब तक कि वह इस अधिनियम की धारा 32 के तहत, सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बहीखातों में, इसी धारा द्वारा निर्धारित ढंग से दर्ज न की गई हो और यदि यह प्रविष्टि गत वर्ष की हो तो धारा 33 के अनुरूप प्रमाणित की हुई होनी चाहिए।

अध्याय VII

मुकदमे तथा कार्रवाई

लघुवाद अदालत (स्माल कॉज़ कोर्ट) के अधिकार क्षेत्र से बाहर

35. प्रांतीय या प्रेसिडेन्सी स्मॉल कॉज़ कोर्ट अधिनियम में चाहे जो भी कहा गया हो, साहूकार द्वारा या साहूकार के विरुद्ध, ऋण के लेन–देन से संबंधित कोई भी मुकदमा स्माल कॉज़ कोर्ट द्वारा नहीं सुना जायेगा, जब तक कि यह दावा एक इकहरे व्यवहार से संबंधित न हो और यह व्यवहार उन पक्षों या व्यक्तियों के बीच हुए पुराने लेन–देन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जिनके ज़रिये वे दावा कर रहे हैं।

अर्ज़ी में लाइसेंस का विवरण दिया जाये

36 (1) साहूकार द्वारा दी गई हर अर्ज़ी में उसके उस लाइसेंस का विवरण दिया जायेगा, जो उस व्यवहार को शुरू करते समय उसके पास था, जिसके लिये मुकदमा किया गया है;

(2) यदि कोई साहूकार बिना किसी वैध स्पष्टीकरण के इस धारा की उप–धारा (1) के प्रावधानों का अनुसरण करने में असफल रहता है, तो अदालत उसे प्रतिवादी को मुकदमें की लागत देने का आदेश दे सकती है।

साहूकार को दिए जाने वाले परिप्रश्न

37 (1) खातों के लिए या कर्ज़ अथवा उधार दिये गये धन की वसूली के लिये किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में यदि उधार देने वाला व्यक्ति इस बात से इनकार करता है कि वह साहूकार है, तो अदालत यह सुनिश्चित करने के लिये उससे निम्न पूछताछ की जा सकती है कि–

(क) क्या उसने अकेले या किसी के साथ मिलकर, या किसी के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की एजेंसी या कॉर्पोरेशन के जरिये, जिस लेन–देन के लिये मुकदमा या कार्रवाई चल रही है, उसकी तिथि से यथोचित समय पहले या बाद में, कभी कोई ऋण या उधार दिया है, यदि हाँ, तो :

(ख) उसने या किसी और ने कब या कितनी बार उसके अपने नाम के अलावा किसी और नाम से ऋण या धन उधार दिया है, और

(ग) क्या वह अपने या किसी और के नाम से यदि किसी और के नाम से तो किस नाम से और कब साहूकार के रूप में पंजीकृत रहा है।

(2) इस तरह की पूछताछ पर नागरिक प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर), के आदेश 11 के प्रावधान लागू होंगे।

कुछ लेन–देन पुनः खोलने की अदालत की शक्ति

38. यदि कोई मुकदमा या कार्रवाई इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद शुरू हुई हो या उस प्रयोग में आने के समय विचाराधीन हो और लेन–देन से पता चलता हो कि

(क) ब्याज की दर अत्यधिक है

(ख) उसमें पक्षों के बीच व्यवहार नितांत अनुचित है,

तो अदालत निम्न में से एक या एक से अधिक शक्तियाँ प्रयोग में ला सकती है–

(i) लेन–देन को पुनः खोलकर, दोनों पक्षों के बीच हुए व्यवहार का विवरण लेकर, अत्यधिक ब्याज के संदर्भ में ऋणी को सभी दायित्वों से मुक्त करना।

(ii) पिछले व्यवहार बंद करके एक नया अनुबंध पत्र बनाने के लिये हुए करार के बावजूद, उन। के बीच पहले हो चुके किसी भी व्यवहार को पुनः खोलना और अत्यधिक ब्याज के संदर्भ में ऋणी को सभी दायित्वों से मुक्त करना और यदि इस तरह के दायित्व के रूप में पहले कोई भुगतान किया जा चुका हो, तो साहूकार को उतनी धन राशि लौटाने का आदेश देना, जितना कि अदालत उचित समझती हो।

(iii) किसी ऋण के संदर्भ में दी गई प्रतिभूति या किये गये क़रारनामे को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करना, इसे संशोधित या परिवर्तित करना और यदि साहूकार ने प्रतिभूति इस्तेमाल कर ली हो, तो उसे उस ढंग से तथा उस सीमा तक, देनदार की क्षतिपूर्ति करने का आदेश देना, जो कि अदालत उचित समझती हो।

कुछ लेन–देन पुनः नहीं खोले जायेंगे

39. धारा 38 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुएः

(i) व्यवहार की तिथि से 20 वर्ष से अधिक बीत चुके किसी लेन–देन पर पक्षों

द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा यदि पुराने लेन–देन बंद करके नया अनुबंध पत्र तैयार करने का क़रारनामा हो चुका है तो अदालत उसे पुनः नहीं खोलेगी, या

(ii) अदालत ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे न्यायालय की डिक्री प्रभावित होती हो।

स्पष्टीकरण : यदि किसी मुकद्‌दमे में धारा 38 के खंड (1) के तहत लेन–देनों की एक श्रृंखला सामने आती है, तो "लेन–देन" शब्द का तात्पर्य पहले लेन–देन से होगा।

ब्याज की दर कब अधिक समझी जाये

40. धारा 37 के उद्देश्य से ब्याज अधिक समझा जायेगा यदि इसकी दर ऋण या व्यवहार की तिथि पर रिज़र्व बैंक या इम्पीरियल बैंक या बैंक ऑफ बॉम्बे, जो भी लागू हो, की ब्याज दर से :

(1) तीन गुना से अधिक हो, असुरक्षित ऋण के मामले में,

(2) ढाई गुना से अधिक हो, दूसरे या अनुवर्ती बंधक से सुरक्षित ऋण के मामले में,

(3) डेढ़ गुना से अधिक हो, पहले बंधक या गिरवी से सुरक्षित ऋण के मामले में।

खाते लिखने की विधि

41. धारा 37 के तहत खाते निम्न नियमों के अनुसार रखे जाएंगे–

(i) मूलधन तथा ब्याज का खाता अलग–अलग हो,

(ii) मूलधन के खाते में वह पैसा, जो ऋणी द्वारा साहूकार से समय–समय पर प्राप्त किया गया हो और उन वस्तुओं का मूल्य जो साहूकार के द्वारा लेन–देन के तहत बेची गई हों, जोड़ा जायेगा।

(iii) मूलधन के खाते में वह संचित ब्याज देनदार को डेबिट नहीं किया जाएगा जो लेन–देन के दौरान किये गये किसी अनुबंध या खातों के निबटारे द्वारा मूलधन में बदल दिया गया हो।

(iv) ब्याज के खाते में उस समय बकाया मूलधन पर, दोनों पक्षों के बीच तय

की गई दर से साधारण ब्याज जोड़ा जायेगा, लेकिन किसी भी मामले में बयाज की दर धारा 38 में बताई गई दर से अधिक नहीं होगी।

(v) ऋणी द्वारा या उसकी ओर से साहूकार को या उसके खाते में अदा की गई सभी धन राशियाँ, ओर जिंस में सभी भुगतान, सभी लाभ, सेवा या किसी भी अन्य तरह के फायदे, जो साहूकार को लेन–देन के दौरान प्राप्त हों, पहले ब्याज के खाते में जमा किए जाएँगे और जब कोई भुगतान उस समय तक देय ब्याज के शेष को चुकाने के लिए पर्याप्त से अधिक हो तो उस भुगतान था शेष देनदार के मूलधन के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

(vi) मूलधन तथा ब्याज के खाते मुकदमा शुरू होने के दिन तक पूरे बनाये जायेंगे और दोनों खातों में देय बकाया राशि का कुल जोड़ उस तिथि तक की कुल देय राशि समझी जायेगी, यदि ब्याज के खाते की देय राशि, मूलधन खाते की देय राशि से अधिक हो, तो मूलधन की बकाया राशि का दोगुना उस समय देय राशि मानी जायेगी।

बंधक डिक्री पर देय राशि का भुगतान किस्तों में करने का निर्देश देने की शक्ति

42. अदालत निर्णीत– ऋणी की किसी भी अर्ज़ी पर, डिक्री धारक को सूचित करने के बाद यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में ऋण के संबंध में पास की गई किसी भी डिक्री, जिसमें उस बंधक से संबंधित मुकदमे में पास की गई डिक्री भी शामिल है, जिससे ऋण को सुरक्षित किया गया हो, की राशि का भुगतान, डिक्री की राशि और निर्णीत ऋणी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत द्वारा तय की गई तिथियों पर, उतनी किस्तों में किया जाये, जितनी अदालत उचित समझती हो।

डिक्री में बंधक पर देय राशि का भुगतान किस्तों में करने का निर्देश दिया जा सकता है

43. बंधक, जिससे ऋण सुरक्षित किया गया हो, से संबंधित किसी मुकद्दमे में डिक्री पास करते हुए अदालत मुकदमे में निर्धारित राशि को किस्तों में अदा करने के

निर्देश दे सकती है, चाहे साहूकार तथा ऋणी के बीच हुई संविदा में इसके विपरीत कोई शर्त तय की गई हो।

निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति का आकलन अदालत करेगी

44. जब निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति की बिक्री द्वारा किसी डिक्री के निष्पादन के लिये अर्जी दी गई हो तो, चाहे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में कुछ भी कहा गया हो, अदालत दोनों पक्षों को सुनेगी और उस सम्पत्ति या सम्पत्ति के उस हिस्से, जिसकी बिक्री से प्राप्त धन राशि अदालत समझती हो कि डिक्री के निष्पादन के लिये पर्याप्त है, के मूल्य का आकलन करेगी।

निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति का केवल यथोचित हिस्सा ही बेचा जायेगा

45. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में चाहे कुछ भी कहा गया हो, सम्पत्ति के केवल उतने ही हिस्से की बिक्री की घोषणा की जायेगी, जिससे प्राप्त होने वाला मूल्य अदालत की राय में डिक्री के पूरे भुगतान के लिये पर्याप्त हो और यह उक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेची जायेगी।

अतिब्याज उधार अधिनियम के तहत अदालत की शक्ति की रक्षा

46. यहाँ लिखा गया कुछ भी अति ब्याज और अधिनियम, 1918 के तहत अदालत को प्रदान की गई शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, बशर्ते कि इस अधिनियम में कुछ अन्यथा प्रावधान न हो।

प्रांत से बाहर की संविदा अमान्य

47. इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद दिये गये किसी ऋण के संबंध में, यदि साहूकार तथा ऋणी के बीच हुई किसी संविदा में देय राशि का भुगतान बम्बई प्रांत से बाहर करने की बात कही गई हो, तो यह संविदा अमान्य होगी।

ब्याज की बकाया राशि का भुगतान करने का करार अमान्य

48. ऋणी द्वारा ऋण पर देय ब्याज की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु किया गया कोई भी करार मान्य नहीं होगा।

अध्याय VIII

अपराधों के संबंध में कार्रवाई

सभी अपराध संज्ञेय होंगे

49. इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय होंगे और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जा सकते हैं।

दोषियों या दोषमुक्तों की अपीलें

50. इस अधिनियम के अंतर्गत हुए किसी भी अपराध के संबंध में इस अधिनियम के तहत सुनाये गये दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के फैसले पर अपील दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर), 1898 के तहत दिये गये आदेशों पर अपील के समान ही की जायेगी।

अध्याय IX

अनुपूरक

नियम बनाने की शक्ति

51. (1) निम्न को निर्धारित करने वाले नियम बनाना सरकार के लिये वैध होगा–

(क) साहूकार को दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र तथा लाइसेंस का फॉर्म।

(ख) प्रमाण–पत्र तथा लाइसेंस बनाने के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया।

(ग) लाइसेंस तथा प्रमाण–पत्र देने खाते, पास–बुक तथा ज्ञापन और उनके फॉर्म जारी करने में सक्षम प्राधिकारी।

(घ) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपील संबंधी प्रक्रिया

(ङ.) खाता–बही तथा पास बुक के फ़ॉर्म और प्रमाणीकरण की विधि

(च) साहूकार द्वारा अपने ऋणी को उसके खातों का वार्षिक विवरण देने के लिये फ़ॉर्म

(छ) खाता–बही, पास–बुक इत्यादि की आपूर्ति के लिये फीस

(viii) ऋण के संबंध में ऋणी द्वारा साहूकार को देय शुल्क

(2) इस धारा के अंतर्गत ऐसा कोई भी नियम बनाने से पहले उसका एक प्रारूप विधानमंडल के प्रत्येक चैम्बर के समक्ष, चैम्बर के सत्र के दौरान कम से कम 21 दिनों की अवधि के लिये रखना होगा और यदि कोई भी चैम्बर उपरोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले प्रारूप या उसके किसी हिस्से के विरुद्ध प्रस्ताव पास करता है, तो उसके बाद आगे की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, किन्तु नया प्रारूप नियम बनाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

इस विधेयक का अभिप्राय साहूकारी के कारोबार को नियंत्रित तथा विनियमित करना है। इस उद्देश्य से इसमें निम्न व्यवस्था की गई है:

पहले– (i) कोई साहूकार बिना लाइसेंस प्राप्त किये साहूकारी का कारोबार नहीं चला सकता और लाइसेंस ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जा सकता जिसके पास चरित्र प्रमाण–पत्र न हो।

(ii) इस विधेयक के तहत निर्धारित किये गये किसी भी कर्त्तव्य का अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में साहूकार का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

दूसरे– (i) इस विधेयक के अनुसार साहूकार द्वारा दिये गये सभी सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋणों को लिखित में हस्ताक्षर कराकर ऋणी द्वारा प्रमाणित करवाना होगा;

(ii) साहूकार द्वारा ऋणी को एक पास–बुक दी जाएगी, जिसमें साहूकार द्वारा उनके बीच हुए सभी व्यवहारों का विवरण दिया जाएगा;

(iii) साहूकार द्वारा हर वर्ष ऋणी को उसके खाते का विवरण भेजा जाएगा;

(iv) चक्रवृद्धि ब्याज या अन्य लागतें वसूल करना अवैध होगा।

तीसरे– विधेयक में साहूकार द्वारा खाते रखे जाने की विधि बताई गई है। इसके तहत :

(i) साहूकार अपने खाते सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बही–खातों में ही रखेगा;

(ii) हर वर्ष के अंत में वह अपने बही–खाते सरकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो उनकी पहली तथा आखिरी प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा;

(iii) जो बही–खाते इन नियमों के अनुरूप नहीं होंगे, वे किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होंगे।

चौथे– इस विधेयक में साहूकार तथा ऋणी के बीच मुकददमों के संबंध में प्रावधान दिये गये हैं। इनमें कहा गया है कि :

(i) इस तरह के मुकदमे स्मॉल कॉज़ कोर्ट में नहीं सुने जायेंगे, जब तक कि वे किसी इकहरी प्रविष्टि के विषय में न हों;

(ii) अदालत किसी भी व्यवहार को पुनः खोल सकती है, यदि ब्याज की दर अधिक हो या व्यवहार अविवेकपूर्ण हो;

(iii) बैंक दरों के अनुपात में तय किये गये एक स्तर से अधिक होने पर ब्याज

दर अधिक मानी जायेगी;

(iv) साहूकार तथा ऋणी के बीच खाते डी.ए.आर. अधिनियम में दिये गये नियमों के अनुसार होने चाहियें।

(v) ऋणी के विरुद्ध किसी डिक्री का निष्पादन करते हुए अदालत देय राशि का भुगतान किस्तों में करने का निर्देश दे सकती है और ऋणी की सम्पत्ति के केवल उतने ही हिस्से की बिक्री का आदेश दे सकती है, जितना उसे डिक्री के निष्पादन के लिये पर्याप्त लगता हो।

पांचवें– यह विधेयक ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान प्रांत से बाहर कहीं किये जाने के लिये की गई संविदा को अमान्य बताता है। इस का उद्देश्य साहूकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने से रोकना है।

बी.आर. अम्बेडकर

श्री लक्ष्मी नारायण प्रेस, 364, ठाकुरद्वार, बम्बई में मुद्रित पुस्तिका से पुनर्मुद्रित

20

मैं सिद्धांत पर चलूंगा और उसके लिए अकेले संघर्ष करूंगा

अहमदाबाद 22 अक्तूबर, 1938

''मैं यह नहीं मानता कि बंबई की कांग्रेस सरकार ने व्यापार विवाद और काश्तकारी के विधेयक लाकर कोई तरक्की की है। कांग्रेस के साथ हमारे वर्षों से बुनियादी मतभेद रहे हैं। हम प्रांत में पदों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं।''

डॉ. अम्बेडकर ने आज सुबह यहां आने के बाद प्रेस के साथ साक्षात्कार में ये विचार प्रकट किए :

उन्होंने कहा, ''यदि मैं आज कांग्रेस से हाथ मिला लेता हूं तो मैं जो चाहूं वह पा सकता हूं, लेकिन हमारा मामला बिल्कुल भिन्न है। यदि मेरा संपूर्ण समुदाय मुझसे मतभेद रखे और कांग्रेस में शामिल हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है लेकिन मैं सिद्धांत पर चलूंगा और उसके लिए अकेले संघर्ष करूंगा।''

श्री जिन्ना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, ''श्री जिन्ना मुसलमानों को पूरी तरह गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उनका कांग्रेस से क्या मतभेद है। यदि लीग वास्तव में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करती है तो मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि श्री जिन्ना उन अन्य वर्गों से हाथ मिला लें'' जिनका कांग्रेस से मतभेद है, तथा कांग्रेस के खिलाफ इन सब वर्गों का एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करें। मेरे विचार में, मुस्लिम लीग चुनावों के लिए और मंत्रालय के लिए लड़ रही है।

श्री जिन्ना एक तरफ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वे कांग्रेस के साथ समझौता करने का इरादा रखते हैं जो बल्किुल बेमानी है। उनसे मेरी अपील है, वे पूना समझौते से सबक लें।''[1]

---

1. द बम्बई क्रॉनिकल : तारीख 22 अक्तूबर, 1938।

21

सरकार सत्ता के नशे में लगती है

– बम्बई, गुरुवार*

'बम्बई के श्रमजीवी वर्ग के नाम पर विधि और व्यवस्था के नाम पर और प्रांत के उत्तम प्रशासन के नाम में, मैं माननीय श्री मुंशी के नियंत्रणाधीन पुलिस विभाग द्वारा विरोध हड़ताल की षड़यंत्रकारी कुव्यवस्था के बारे में निष्पक्ष और सार्वजनिक जांच की मांग करता हूं। मैं पुलिस द्वारा बारम्बार की गई पूरी तरह अवांछनीय गोलियां और लाठियां बरसाने के बारे में सार्वजनिक जांच की मांग करता हूँ' इंडीपेडेट लेबर पार्टी के नेता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने प्रेस को दिए एक वक्तव्य में ये विचार व्यक्त किए।[1]

डॉ. अम्बेडकर ने पूछा, 'कांग्रेस सरकार को क्या हो गया कि वह ऐसे अशोभनीय आतंक का सहारा लिए बिना एक दिन की हड़ताल की व्यवस्था नहीं कर पाई।'

'इससे पहले भी बहुत हड़तालें हुई हैं जो कई दिन, कई सप्ताह और महीनों चली थीं। एक हड़ताल तो साढ़े सात महीने चली थी जिसमें हर रोज जुलूस निकाले गए थे, सभाएं हुई थीं और प्रदर्शन हुए थे। इस पूरी अवधि के दौरान ऐसी कोई लाठियां और गोलियां नहीं चली थीं।'

'आज कांग्रेस राज में हम एक दिन की हड़ताल भी बिना दमन और आतंक के नहीं कर सकते। कांग्रेस की हालत यह हो गई है।'

प्रेस

प्रेस के बारे में क्या कहें, वह प्रेस जो आजादी के लिए और मजदूरों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध थी और तब तक उनके हितों का समर्थन करती रही जब तक कांग्रेस को उनकी मदद की जरूरत थी ?

आज वह प्रेस झूठ और असत्य का सहारा लेती है तथा तथ्यों के जोड़–तोड़ और छिपाने का काम कर रही है जिससे ब्रिटिश और एंग्लो–इंडियन जनरल अवश्य शर्मिन्दा होगा।

---

* 3 नवम्बर, 1938 ।

1 फ्री प्रेस जर्नल, तारीख 9 नवम्बर, 1938 बुधवार।

विरोध–हड़ताल की यह कहकर निंदा की जाती है कि वह नाकाम रही है, वह ढकोसला भर रह गई है, कार्यकर्त्ता अपने नेताओं के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। जो लोग हड़ताल पर गए थे उनके बारे में यह माना जाता था कि उन्हें ''डराया–धमकाया गया है,'' दबाया गया है'', ''आतंकित किया गया है'', ''उनके साथ जोर–जबरदस्ती की गई है'' आदि–आदि।

लोग इन शब्दों से परिचित हैं। लेकिन अभी तक इनका प्रयोग प्रेस द्वारा किया जाता था जिसे राष्ट्रविरोधी माना जाता था। आज ये शब्द कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक प्रेस की ओर से आ रहे हैं। त्रासदी यही है। आज हमें इसी दुखद वास्तविकता का मुकाबला करना है।

''मैं इन जनरलों से पूछता हूं, आपकी सच्चाई और अहिंसा को क्या हो गया है, आपकी सामान्य शिष्टता को क्या हो गया है ?''

'जहां तक कार्यकर्ताओं का संबंध है, उन्हें इस हरकत से या अन्य किसी भी प्रचार से गुमराह नहीं किया जा सकता। वे 'व्यापार विवाद विधेयक' विरोधी विशाल प्रदर्शनों के साक्षी रहे हैं। वे जानते हैं कि हड़ताल कितनी कामयाब रही है।''

शासन को चेतावनी

''कांग्रेस शासन और कांग्रेसी नेता इस एक बात को साफ तौर पर याद रखें कि कार्यकर्ताओं पर जो लाठियां बरसाई गई हैं, श्रमजीवी वर्ग के सदस्यों पर जो गोलियां चलाई गई हैं उनकी गूंज आने वाले हफ्तों और महीनों में इस शहर और इस प्रेजिडेन्सी में बार–बार सुनाई देगी।''

''उन लाठियों और गोलियों की गूंज आगामी नगरपालिका चुनावों में सैकड़ों मंचों से और सैकड़ों सभाओं में सुनाई देगी। उन लाठियों और गोलियों की कीमत कांग्रेस को उससे कहीं अधिक चुकानी होगी जितनी उसके नेता आज समझते दिखाई पड़ते हैं।''

''हमारे अधिकारों और हमारी आजादी पर किए गए ये हमले इस प्रांत के सबसे दूर–दराज के कोनों और इस प्रेजिडेन्सी के सुदूर गांवों में सुनाई देंगे।''

''लगता है कांग्रेस सरकार सत्ता के नशे में चूर है। लगता है वे लोकतंत्र के एक बहुत बड़े पाठ से अनजान हैं कि संसदों और विधानमंडलों में शक्तिशाली बहुसंख्या को मात्र एक घटना से, एक गलत कदम उठाए जाने से, एक रात में उखाड़ फेंक दिया जाता है। लेकिन यह सबक बम्बई नगरपालिका चुनावों में याद आएगा, यह तब याद आएगा जब सरकार एक बार फिर मतदाताओं से रूबरू होगी।''

''मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह सबक घातक परिणाम के साथ याद आएगा।''

22

किसानों के साथ अन्याय

प्रकाशम् समिति की सिफारिशों का विश्लेषण

इंडीपेंटेंट लेबर पार्टी के नेता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है –

मैंने जमींदारी क्षेत्रों के हालात पर प्रकाशम् समिति की सिफारिशों को पढ़ा है। जमींदार राजस्व के (एसाइनी) समनुदेशिती से अधिक कुछ नहीं हैं, यह मत न्यायोचित हो सकता है, समिति का यह कहना कि वास्तविक किसान को भूमि के स्वत्वधारियों की जमीन में कोई काश्तकारी अधिकार नहीं मिल सकते, न तो कानूनी तौर पर सही है, न ही किसानों के लिए न्यायसंगत है, और न ही कृषि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ विकास में सहायक है।

कानून की दृष्टि से यह गलत है, क्योंकि पिछली शताब्दी के दौरान विकसित स्वत्वधारी अधिकारों की श्रेणियों को समस्त काश्तकारी विधानों में विधिक मान्यता प्रदान की गई है। यह किसानों के लिए न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि कम लगान या राजस्व नियत करने का प्रयोजन उसके लिए एक बड़ा अधिशेष छोड़ना है, और उसे एक अनवरत आमदनी उपलब्ध करानी है तथा अभाव के सालों में उसकी खेती–बाड़ी में सुधार करके उसकी भरपाई करनी है, न कि असंख्य छोटे–छोटे जमींदारों को जन्म देना जो जमींदार और किसान दोनों की कीमत पर अपने आपको मालदार बनाएं।

यह कृषि के हितों के विपरीत है, क्योंकि स्वत्वधारी व्यक्तियों को संपदा के रूप में भूमि का दोहन इस प्रकार नहीं करने दिया जाना चाहिए जिससे किसान पर बोझ पड़े, और जो खेतीबाड़ी के प्रयोजनों में इस्तेमाल के लिए जमीन के संरक्षण के प्रतिकूल हो।

प्रकाशम् समिति की रिपोर्ट किसानों से वसूल की गई मालगुजारी के वरिष्ठ भूधारकों में वितरण के निर्धारण से अधिक कुछ नहीं है।

विधानमंडल में पूछे गए एक प्रश्न पर श्री प्रकाशम् का यह उत्तर कि रैयतबाड़ी क्षेत्रों में अभिधृति विधान नहीं लाया जाएगा क्योंकि रैयतबाड़ी भू–धारक जमीन के स्वत्वधारी होते हैं, कांग्रेस शासन की ओर से किसानों को मिलने वाली भलाई की सभी आशाओं पर पानी फेर देता है।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मद्रास में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि ऐसे किसी विधान में पक्षधर नहीं बनेंगे जो स्वत्वधारी अधिकारों के नाम पर मालगुजारी वसूलने वालों का एक नया वर्ग पैदा करता है। मेरा विचार है कि ऐसे किसी विधान को समर्थन देना किसानों के हितों पर भारी कुठाराघात होगा।''[1]

1. द बम्बई क्रोनिकल, तारीख 18 जनवरी, 1939, डब्ल्यू 1054 – 19।

23

ग्वीयर अधिनिर्णय को डॉ. अम्बेडकर की चुनौती

''राजकोट रियासत में फरवरी, 1939 से अशांति फैल रही थी, वहां राजनीतिक सुधारों के लिए एक प्रबल आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष बोस से पराजित और निराश गांधी तुरंत राजकोट, प्रकटतः रियासत की समस्या सुलझाने के लिए पहुंच गए, लेकिन ठीक त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के समय संकट पैदा करने की अंदरूनी इच्छा से वहां गए थे क्योंकि उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष बोस करने वाले थे। उस रियासत की सुधार समिति में शामिल न किए जाने के विवाद में दखल देने के लिए डॉ. अम्बेडकर को स्थानीय दलित वर्गों द्वारा तुरंत बुलाया गया। इसलिए वे राजकोट के लिए विमान से रवाना हुए और 18 अप्रैल की शाम को वहां के शासक ठाकुर साहब से मिले, तथा रात में उन्होंने दलित वर्गों की एक सभा को संबोधित किया और उनसे राजनीतिक अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखने का आग्रह किया।

अगले दिन डॉ. अम्बेडकर ने सुधार समिति में हरिजनों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर गांधी से 45 मिनट बात की। उन्होंने राजकोट में एक साक्षात्कार में कहा कि वे गांधी के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सके क्योंकि महात्मा को अचानक बुखार आ गया था। तथापि उन्होंने बताया कि उनका यह सुझाव गांधी को मान्य नहीं था कि उनका वैकल्पिक प्रस्ताव सर तेज बहादुर सप्रू जैसे संविधान विशेषज्ञ के पास भेजा जाना चाहिए। अंततः में, गांधी अपनी अहिंसा पद्धति से हृदय परिवर्तन करने में नाकाम रहे और वायसराय से बीच–बचाव करने की अपील करके उन्होंने प्रपीड़क पद्धति का सहारा लिया। हृदय परिवर्तन और अहिंसा के सिद्धांत के अग्रदूत महात्मा गांधी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उनकी अहिंसा अभी संपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित नहीं हो पाई है, और इस प्रकार उनके शब्दों में, आशाओं को दफनाकर और क्लांत होकर वे राजकोट से चले गए।

तदॅनुसार, उसके कुछ दिनों बाद फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति सर मौरिस ग्वीयर ने राजकोट रियासत में विवाद पर अधिनिर्णय दिया। डॉ. अम्बेडकर ने सर मौरिस ग्वीयर द्वारा प्रयुक्त 'रिकमेंड' अर्थात् सिफारिश शब्द की व्याख्या को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ग्वीयर ने अपना फैसला इस आधार पर दिया है कि 'वर्तमान निर्देश के प्रयोजनों के लिए कोई निर्णायक दृष्टांत नहीं है।' डॉ. अम्बेडकर ने अपने तर्क के समर्थन में दो नजीरें उद्धृत कीं –

---

1. कीर, पृष्ठ 322–323 ।

''नॉल्ट बनाम कोटी, तथा जानसन बनाम रोवलैंड्स''[1]

अगले पृष्ठ पर क्रमवार विवरण दिया गया है – संपादक

I

''समिति में हरिजन प्रतिनिधित्व गांधी जी को डॉ. अम्बेडकर का तार

इंडीपेंडेंट लेबर पार्टी के नेता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को निम्नलिखित तार भेजा है –

''जानना चाहूंगा, कि क्या सुधार समिति में राजकोट दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।''[1]

II

''सीट के लिए एक और दावा वीरावाला को डा. अम्बेडकर का तार

मुस्लिम प्रतिनिधियों ने आज इस बात से इंकार किया कि बातचीत नाकाम रही है और आगे कहा कि वे आज रात गांधी जी से पुनः मिलेंगे। इस बीच वे बम्बई में एक प्रमुख मुस्लिम लीग नेता से हिदायत लेने के लिए उनके संपर्क में हैं।

सुधार समिति में गिरासयास और भयात प्रतिनिधित्व का दावा स्वीकार नहीं किया गया है। वे शिष्टमंडल के रूप में आज रात ठाकुर साहेब से मिल रहे हैं।

सुधार समिति में स्थान के नवीनतम दावेदार राजकोट में दलित वर्ग के कुछ सदस्य हैं। डॉ. अम्बेडकर ने आज दरबार वीरावाला को तार भेजा है ''आशा है, आप अपनी सुधार समिति में दलित वर्ग को अपनी रियासत का प्रतिनिधित्व देना नहीं भूलेंगे जैसाकि आपने वायदा किया था।''

राजकोट परिषद के प्रथम सदस्य ने उपरोक्त तार गांधी जी को सौंप दिया है।

---

1. द बम्बई क्रोनिकल, तारीख 14 अप्रैल, 1939 ।

ठाकुर साहेब की ओर से दरबार वीरावाला ने निम्नलिखित तार डॉ. अम्बेडकर को भेजा है – ''आपके तार के बारे में महामहिम को बता दिया गया है। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम की इच्छा और उत्सुक्ता के बावजूद श्री पटेल द्वारा दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की सिफारिश की जानी संभव नहीं है। यदि आप ऐसा चाहते हैं, महामहिम आपसे इस पर चर्चा करने के लिए कि दलित वर्ग की मदद कैसे की जा सकती है मुलाकात का समय देने के लिए तैयार हैं।'' – ए. पी.''[1]

III

राजकीय अतिथि के रूप में डॉ. अम्बेडकर

(हमारे संवाददाता द्वारा)

राजकोट, 18 अप्रैल

डॉ. अम्बेडकर आज सुबह बम्बई से विमान द्वारा यहां पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत कुछ गिरसियाओं द्वारा किया गया। उन्हें सरकारी कार द्वारा राजकीय गेस्ट हाउस ले जाया गया।

डॉ. अम्बेडकर के साथ ख्वाजा हसन निजामी भी आए। उनका स्वागत आज सुबह महात्मा जी द्वारा आनंदकुंज में किया गया। उन्होंने महात्मा जी से एक घंटा बात की।

IV

डॉ. अम्बेडकर की ठाकुर से मुलाकात

(हमारे संवाददाता द्वारा)

राजकोट 18 अप्रैल

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कल बम्बई वापस जा रहे हैं। वे हरिजन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आज सुबह यहां पहुंचे थे। डाक्टर ने आज रात ठाकुर साहेब से साक्षात्कार किया और कल गांधी जी से मुलाकात करेंगे।

---

1. द बम्बई क्रोनिकल, तारीख 15 अप्रैल, 1939 ।

शाम को प्रमुख मुस्लिम नेता और भयात उनसे मिले और उनसे चर्चा की कि सुधार समिति में उनके हितों के प्रतिनिधित्व के लिए गांधी जी से उनकी बातचीत किस प्रकार असफल रही।

डॉ. अम्बेडकर ने आज शाम श्री वीरावाला से भी मुलाकात की।

समझा जाता है कि डॉ. अम्बेडकर राजकोट में विभिन्न समुदायों से विचार–विमर्श के प्रकाश में राजकोट के प्रश्न पर एक नोट जारी करेंगे।''[1]

V

''डॉ. अम्बेडकर का विकल्प

राजकोट, 19 अप्रैल

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 'यूनाईटड प्रेस' को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि वे यहां राजकोट दरबार के निमंत्रण पर नहीं आए हैं बल्कि स्थानीय दलित वर्गों के निमंत्रण पर आए हैं जिन्होंने सुधार समिति में शामिल न किए जाने से संबंधित विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए डॉ. अम्बेडकर से अनुरोध किया था।

उन्होंने बताया कि ''यहां पहुंचकर मैंने सबसे पहले दरबार से यह पता लगाया कि क्या वे समिति में ऐसे व्यक्ति को रखने के लिए तैयार हैं जो दलित वर्गों का मनोनीत प्रतिनिधि है।

वैकल्पिक प्रस्ताव

''आज सुबह 11.30 बजे मैं गांधी जी से मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश, मैं सभी मुद्‌दों पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सका क्योंकि उन्हें अचानक बुखार हो गया था। फिर भी मैंने उनसे वैकल्पिक प्रस्ताव की चर्चा की कि रियासत के सभी वर्गों द्वारा अपना–अपना पक्ष रखे जाने से पूर्व, मैं सर तेज बहादुर सप्रू या सर शिवस्वामी अय्यर जैसे व्यक्ति को अथवा सांविधानिक कानून में उतने ही दक्ष किसी अन्य

---

1. द बम्बई क्रोनिकल, तारीख 19 अप्रैल, 1939।

व्यक्ति को नये संविधान की रूपरेखा सौंपूँ। गांधी जी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सके। उनका तर्क था कि ऐसी रिपोर्ट अंतिम होनी चाहिए।''

डॉ. अम्बेडकर आज शाम रेलगाड़ी से बम्बई के लिए रवाना हो गए – यूनाईटेड प्रेस''[1]

VI

''ग्वीयर अधिनिर्णय को डॉ. अम्बेडकर की चुनौती

यह बताने के लिए निर्णय उद्धृत किए कि ''सिफारिश'' समादेश नहीं होती।

डॉ. अम्बेडकर ने ग्वीयर अधिनिर्णय का कानूनी विश्लेषण करते हुए कहा–

राजकोट के ठाकुर साहेब और श्री वल्लभ भाई पटेल के बीच 'सिफारिश' शब्द की व्याख्या पर हुए विवाद के बारे में सर मौरिस ग्वीयर द्वारा दिया गया अधिनिर्णय विवाद के पक्षकारों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि जनसामान्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अधिनिर्णय के पक्षकारों के लिए अधिनिर्णय से आबद्ध होने के कारण यह प्रश्न ज्यादा उपयोगी नहीं है कि यह व्याख्या सही है या गलत, लेकिन जनता के बारे में स्थिति ऐसी नहीं है। उनके लिए यह प्रश्न अब भी रोचक है। यह सच है कि अधिनिर्णय किसी न्यायालय का फैसला नहीं है। फिर भी उसमें सर मौरिस ग्वीयर जैसे बड़े नाम का प्राधिकार निहित है।

सरदार के साथ अंतिम बातचीत

ऐसे सिद्धांतों को दिमाग से समझने के लिए सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि ठाकुर साहब की क्या दलील थी और सर मौरिस ग्वीयर ने उस पर क्या फैसला दिया था ?

सर मौरिस ग्वीयर ने उसका सारांश इस प्रकार दिया था – ''ठाकुर साहब के तर्क का सार उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित पक्षकथन में निम्नलिखित वाक्य में

---

1. द बम्बई क्रोनिकल, तारीख 20 अप्रैल, 1939।

अंकित है – स्पष्ट है कि सिफारिश शब्द से ही यह साफ इंगित हो जाता है कि उस पर (प्रत्येक नाम पर) विचार करना होगा और ठाकुर साहब किसी भी नाम को, उदाहरणार्थ, इस आधार पर अस्वीकार कर सकते हैं कि जिन नामों की सिफारिश की गई है उनमें से कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, अयोग्य हैं या अवांछनीय हैं। सर मोरिस ग्वीयर ने इस दलील को नहीं माना।

उनका कहना है, ''मेरे विचार में इसका सही अर्थ यह है कि ठाकुर साहब उन व्यक्तियों को नियुक्त करने का वचन देते हैं जिनकी सिफारिश श्री बल्लभ भाई पटेल करें तथा यह कि वह उन नामों को, जिन्हें वे अनुमोदित न करें, अस्वीकार करने का विवेकाधिकार अपने पास नहीं रखते। निःसंदेह वह उन सिफारिशों की आलोचना करने तथा उन पर पुनर्विचार करने के कारणों के बारे में आग्रह करने के हकदार हैं, लेकिन जब तक यह न दर्शा दिया जाए कि जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गई है उनमें से कोई न तो रियासत का नागरिक है और न उसका कर्मचारी है, श्री बल्लभ भाई पटेल का ''फैसला अंतिम होगा''।

दो आपत्तियां

इस निष्कर्ष के लिए और सर मौरिस ग्वीयर द्वारा ठाकुर साहेब की दलील अस्वीकार किए जाने के दो आधार हैं। सर मौरिस ग्वीयर के शब्दों में, पहला आधार यह है कि ''ऐसा कोई सिद्धांत (जैसी कि दलील ठाकुर साहेब द्वारा दी गई है) केवल 'सिफारिश' शब्द के प्रयोग पर आधारित नहीं हो सकता। इस शब्द से अपने आपमें इस प्रकार का कुछ आवश्यक रूप से विवक्षित नहीं होता। यह संदर्भ से ग्रहण किया जा सकता है और तदनुसार मामले की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।''

दूसरा आधार यह है कि ठाकुर साहेब ने 'सिफारिश' पर विचार करने की शक्ति अपने पास नहीं रखी थी अतः उनके पास श्री बल्लभ भाई पटेल द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों को अस्वीकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं था। सर मौ. रिस ग्वीयर ने **रेक्स** बनाम **गवर्नर्स आफ क्राईस्ट हॉस्पिटल [(1917)** आईकेबी–19 में रिपोर्ट किया गया)] का हवाला दिया है। लेकिन उन्होंने इसका अवलंब नहीं लिया है। वह यह बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि उन्होंने उस मामले का हवाला क्यों दिया। उनका कहना है, ''मैंने यह दर्शाने के लिए इनका हवाला दिया है कि ऐसा कोई एक सिद्धांत नहीं है जो उन मामलों को विनियमित करता हो जहां एक व्यक्ति सिफारिश करता है और दूसरा नियुक्ति करता है।'' वस्तुतः उन्होंने अपना विनिश्चय इस आधार पर दिया कि वर्तमान निर्देश के प्रयोजनों के लिए कोई निर्णायक पूर्वोदाहरण नहीं है....।''

पूर्वोदाहरण और सिद्धांत

सम्यक् आदर के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वोदाहरण से समर्थित एक सुस्थापित सिद्धांत है जिसका सहारा इस निर्देश (रेफरेन्स) का फैसला करने के लिए लिया जा सकता है। नॉट बनाम **कोट्टी** (2 फिल 192 = 41 इंग्लैंड रिपोर्ट्स 915) नामक निर्णय मेरे दिमाग में है। इस निर्णय के तथ्यों का बहुत संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है :

'क' ने अपनी वसीयत बनाई और अपनी पत्नी को (श्री कोट्टी को और एक श्री इब्बेटसन को निष्पादक और ट्रस्टी (न्यासी) नियुक्त किया। साथ ही उन्होंने इन तीनों को अपने बालकों के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। आगे 'क' ने सिफारिश की कि यदि उसकी पत्नी का निधन उसके पुत्र के 21 वर्ष का होने से पहले अथवा उसकी पुत्रियों के 21 वर्ष की होने और विवाह कर लेने से पहले हो जाए तो उत्तरजीवी संरक्षक या संरक्षकगण उसके बालकों को, अथवा उन बालकों को जो उस समय अवयस्क हों, उसके चचेरे भाई मेरी प्रायर की देखरेख में सौंप दें। 'क' की पत्नी का निधन हो गया तथा उत्तररजीवी निष्पादक और वसीयती संरक्षक श्री कोट्टी ने बालकों को मेरी प्रायर की देखरेख में सौंप दिया। उस मामले में इस धारणा पर आगे कार्यवाही चली कि 'सिफारिश' शब्द का अर्थ यह है कि वसीयती संरक्षक पर एक बाध्यकर विश्वास (न्यास) पैदा किया गया जिससे श्री कोट्टी मेरी प्रायर को बालकों की देखरेख करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने के लिए आबद्ध था।

अंतर्निहित शक्तियां

मुद्दा था .... क्या सिफारिश द्वारा वसीयती संरक्षक के नाते भी कोट्टी की समस्त नियंत्रण शक्तियां छीन ली गईं ? इस मुद्दे का विनिश्चय करने के लिए लार्ड चांसलर (लार्ड डेनमेन) ने कहा था................'' मुझे 'सिफारिश' शब्द के अर्थ पर विचार करने के अनेक मौके मिले। ऐसा एक मौका इस न्यायालय में हाल ही में एक मामले में मिला जिसमें प्रश्न उठा था कि क्या वसीयतकर्ता द्वारा की गई इस सिफारिश ने कि उसकी संपत्त्सि के रिसीवर और प्रबंधक के रूप में कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को कोई कानूनी हित प्रदान कर दिया था।

दूसरा मामला **शॉ** बनाम **लालैस** का था, जिसमें हाउस ऑफ लार्ड्स ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार मैंने कार्रवाई की है, कि यद्यपि कुछ

स्थितियों में 'सिफारिश' निदेश के समान हो सकती है और विश्वास पैदा कर सकती है, फिर भी, यह शब्द लचीला होने के कारण, यदि उसका यह अर्थ वसीयत में किसी सकारात्मक प्रावधान से असंगत हो, तो उसे सिफारिश ही समझा जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं।

उस मामले में, सिफारिश शुदा पक्ष को दिया गया माना गया हित अन्य शक्तियों से, जिनका प्रयोग न्यासियों द्वारा किया जाना था, असंगत था, और चूंकि वे शक्तियां सुस्पष्ट शब्दों में दी गई थीं इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, चूंकि दो प्रावधान एक साथ स्थिर नहीं रह सकते इसलिए......... लचीले शब्द को अनम्य शब्द के लिए रास्ता देना था।'' तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तथ्य के होते हुए भी कि सिफारिश आबद्धकर है, उसने बालकों पर वसीयती संरक्षक के नाते श्री कोट्टी की नियंत्रण शक्तियां नहीं छीनीं।

बाध्यकर निदेश नहीं

यह मामला निःसंदेह विश्वास विषयक है। लेकिन विश्वास कानूनी बाध्यता का ही दूसरा नाम है और चाहे कोई सिफारिश की बात करे जो विश्वास को जन्म दे अथवा कानूनी बाध्यता को उत्पन्न करे, यह एक ही बात है। ऐसी स्थिति में, यह निर्णय सुसंगत है, क्योंकि इसमें सिफारिश शब्द की व्याख्या से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। जैसाकि लार्ड डेनमेन के निर्णय से देखा जा सकता है, नियम यह है कि 'सिफारिश' शब्द की व्याख्या ऐसे बाध्यकर निदेश के अर्थ में नहीं की जा सकती जिससे कोई छुटकारा न हो यदि ऐसी व्याख्या उस व्यक्ति में जिससे सिफारिश की जाए, निहित किन्हीं अन्य सकारात्मक शक्तियों के प्रयोग से असंगत हो जाती है।

अब, **ठाकुर साहब** बनाम **बल्लभ भाई** के मामले में, क्या यह नहीं कहा जा सकता कि ठाकुर साहब की स्थिति वही है जो श्री कोट्टी की थी ? क्या यह भी नहीं कहा जा सकता कि श्री कोट्टी की भांति ठाकुर साहब को भी क्राउन की हैसियत में, कुछ सकारात्मक शक्तियां प्राप्त हैं ? जैसे किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर या से नियुक्त करने, नामंजूर करने या पद्च्युत करने की शक्ति, क्या यह कहना सही है कि ठाकुर साहब की वही स्थिति है जो श्री कोट्टी की थी तब कोई इस निष्कर्ष से कैसे बच सकता है कि **ठाकुर साहब** बनाम **बल्लभ भाई** के मामले का फैसला करने के लिए वही नियम लागू होगा जो **नॉट** बनाम **कोट्टी** वाले मामले में प्रतिपादित किया गया था ?

एक अन्य नजीर

एक दूसरी नजीर है **जॉनसन** बनाम **रॉवलैंड्स** (17 एल. जे. च. 438) जिसका इस संबंध में उल्लेख करना उपयोगी है। इस मामले में, प्रश्न वसीयत में प्रयुक्त सिफारिश शब्द की व्याख्या का था। वसीयत में, वसीयतकर्ता ने कहा था, ''मैंने वह (कुछ धनराशि) ऐसे ढंग से खर्च करने के लिए दी थी जैसे वह उचित समझे। लेकिन उसके लिए मेरी सिफारिश है कि वह अपने स्वयं के रिश्तेदारों को उसमें से आधी रकम दे दे।'' वसीयतकर्ता की सिफारिश के अनुसार वसीयतदार ने आधी रकम अपने निजी रिश्तेदारों को नहीं दी। प्रश्न यह था कि क्या वह सिफारिश से विचलन कर सकती थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह ऐसा कर सकती थी। उस निर्णय की भाषा के अनुसार 'सिफारिश' से समादेश अभिप्रेत हो सकता है। किन्तु यदि वह उस व्यक्ति की, जिससे सिफारिश की जाए, सिफारिश से विचलन करने की कानूनी और साम्यिक शक्ति से असंगत है तो उसका अर्थ समादेश नहीं हो सकता।

यह सच है कि ठाकुर साहब द्वारा लिखे गए पत्र की भाषा **जॉनसन** बनाम **रॉवलैंड्स** वाले मामले में 'वसीयत' की भाषा से भिन्न है। लेकिन मान लीजिए ठाकुर साहब द्वारा श्री बल्लभ भाई पटेल को लिखा गया पत्र इन शब्दों में लिखा गया हो (हमें अपनी पसंद की समिति गठित करने का अधिकार है। लेकिन आप समिति में नियुक्त करने के लिए सात व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करें। हम उन्हें नियुक्त कर देंगे।'' यह सच है कि ठाकुर वाले मामले में, उनके और बल्लभ भाई पटेल के बीच सहमति है। जबकि **जॉनसन** बनाम **रॉवलैंड्स** वाले मामले में वसीयतदार और उसके रिश्तेदारों के बीच ऐसी कोई सहमति नहीं थी। बहरहाल, हम इस सवाल पर विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या वह सहमति ठाकुर साहब पर आबद्धकर है और उनके खिलाफ प्रवर्तनीय है जो उनके द्वारा क्राउन की अपनी हैसियत में दी गई है। वह एक भिन्न प्रश्न है और उससे महत्वपूर्ण मुद्दे उत्पन्न होते हैं।

अनुपस्थित वाक्यांश

यहां हमारा संबंध इस मुद्दे से है कि सिफारिश शब्द का क्या अर्थ है और इस मुद्दे के बारे में **जॉनसन** बनाम **रॉवलैंड्स** वाला मामला **ठाकुर** साहब बनाम **बल्लभ भाई पटेल** के मामले में पूरी तरह लागू होता है। बल्लभ भाई पटेल को संबोधित ठाकुर साहब के पत्र में ''हमें अपने ढंग से समिति गठित करने का अधिकार प्राप्त है'' शब्दों की अनुपस्थिति के संबंध में, मेरा निवेदन है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़

सकता। राजकोट के संप्रभु शासक के नाते उनके द्वारा निष्पादित प्रत्येक दस्तावेज में ऐसे शब्दों का विद्यमान होना समझा जाएगा। चाहे वे शब्द उसमें विद्यमान हैं अथवा नहीं, अपने प्रसादपूर्वक समिति गठित करने की शक्ति उनकी प्रस्थिति का अभिन्न संयोग है तथा वह क्राउन के परमाधिकार के अंग स्वरूप उनके साथ–साथ चलती है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठाकुर साहब ने अपने पत्र में श्री बल्लभ भाई पटेल की सिफारिश को अस्वीकार करने की शक्ति अपने पास सुरक्षित नहीं रखी थी।

प्रश्न यह नहीं है कि ठाकुर साहब ने अस्वीकार करने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखी थी या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या 'सिफारिश' शब्द में ऐसी कोई बात है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह ठाकुर साहब को उनकी अस्वीकार करने की अंतर्निहित शक्तियों से वंचित करती है जो हमेशा उनमें निहित हैं और जिनके बारे में उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अभिव्यक्त अनुबंध द्वारा उसे संरक्षित रखते। ऐसी स्थिति में, 'सिफारिश' शब्द की व्याख्या उससे भिन्न नहीं की जा सकती जो उपरोक्त दो निर्णयों में की गई है।

सकारात्मक शक्तियां

अन्य दो मामलों की भांति, इस मामले में, एक ओर ठाकुर साहब की सकारात्मक शक्तियां हैं जो एक अनम्य पद है तथा दूसरी ओर 'सिफारिश' शब्द है जो हमेशा एक नम्य शब्द है। ऐसी स्थिति में, नियम के अनुसार, नम्य शब्द को अनम्य शब्द के सामने से हटना होगा। अभिप्राय यह है कि 'सिफारिश' शब्द से निदेश या आबद्ध अभिप्रेत नहीं हो सकता।

सर मौरिस ग्वीयर द्वारा निर्देशित [(1917) आई.के.बी. 19 में रिपोर्ट किया गया] निर्णय, ऐसा लगता है, मेरे द्वारा निर्देशित दो निर्णयों से मतभेद रखता है। लेकिन सूक्ष्म विवेचन करने पर दिखाई देगा कि ऐसा कोई मतभेद नहीं है और निर्णय आसानी से प्रभेद्य है। 1917 आई.के.बी. वाले मामले में नियुक्ति प्राधिकारी मात्र एक नियुक्ति प्राधिकारी था, इससे ज्यादा नहीं। उसके पास कोई सकारात्मक शक्तियां नहीं थीं जिनके बारे में यह कहा जा सके कि उन्हें ..... 'सिफारिश' शब्द की व्याख्या आबद्ध कर निदेश के अर्थ में किए जाने से अकृत होने का खतरा था।

मेरे द्वारा निर्देशित दो निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत से यह प्रतीत होता है कि

जहां सकारात्मक शक्तियां विद्यमान हों जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, वहां 'सिफारिश' शब्द का अर्थ आबद्धकर निदेश नहीं हो सकता। लेकिन जहां कोई सकारात्मक शक्तियां नहीं होती हैं वहां 'सिफारिश' शब्द का वह अर्थ हो सकता है। मेरे द्वारा निर्देशित दो निर्णयों में सकारात्मक शक्तियां थीं। अतः विनिश्चय किया गया था कि 'सिफारिश' का अर्थ आबद्धकर निदेश नहीं है।

सर मौरिस ग्वीयर द्वारा निर्देशित निर्णय में कोई सकारात्मक शक्तियां नहीं थीं। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'सिफारिश' शब्द से आबद्धकर निदेश अभिप्रेत हो सकता है। **ठाकुर साहब** बनाम **बल्लभ** भाई वाला मामला, मेरी राय में, उस श्रेणी में आता है जिसमें मेरे द्वारा प्रोद्धृत दो मामले आते हैं, न कि (1917) आई.के.बी. 1917 में प्रकाशित निर्णयों की श्रेणी में।[1]

1. द बम्बई क्रोनिकल, तारीख 2 मई, 1939।

24

मैं श्री जिन्ना से ज्यादा चिंतित हूं.......

''डॉ. अम्बेडकर मुस्लिम मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे'' : अनेक पारसियों का समर्थन।

इंडीपेंडेंट लेबर पार्टी के नेता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अगले शुक्रवार को मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेने का फैसला किया है।

अनेक पारसी लोग इस समारोह को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री एम. ए. जिन्ना को अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, सहयोग देने की अपनी प्रबल इच्छा पहले ही व्यक्त कर चुके हैं।

काँग्रेस की निषेध नीति के विरोध में कुछ महीने पहले सर कावसजी जहांगीर सभागार में आयोजित एक अधिवेशन में पारसी समुदाय द्वारा गठित उप–समिति मंगलवार को, ''मुक्ति दिवस'' समारोह में भाग लेने के निमंत्रण पर विचार करेगी। उप समिति में लगभग 50 प्रमुख पारसी हस्तियां थीं जिनमें पारसी पंचायत के अध्यक्ष श्री एम. पी. खरेघाट, सर कावसजी जहांगीर, सर एच. पी. मोदी और सर बाई. राम जी जीजा भाई के नाम उल्लेखनीय हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने इस अखबार के एक प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा– ''जब से 'टाइम्स आफ इंडिया' ने मुक्ति दिवस मनाने की श्री जिन्ना की अपील के समर्थन में पिछले सप्ताह उसके प्रतिनिधि को दिए गए मेरे रहस्यात्मक उत्तर को प्रकाशित किया है मेरे असंख्य दोस्तों और दुश्मनों ने मुझ से सवाल पूछा है कि मेरा अभिप्राय क्या है। इसलिए मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बाध्य हूं।

''जब मैंने श्री जिन्ना का वक्तव्य पढ़ा तो मुझे यह सोचकर शर्मिंदगी हुई कि मैंने उसे अपने ऊपर क्यों हावी होने दिया और उस भाषा एवं भावनाओं को मुझसे क्यों चुराने दिया जिनका प्रयोग करने के लिए मैं श्री जिन्ना से ज्यादा हकदार था।''

''हरिजनों की स्थिति''

कांग्रेस राज में मुस्लिमों पर हिन्दुओं द्वारा अभिकथित रूप से किए गए अत्याचारों के बारे में कोई कुछ भी कहे, किसी को भी उन लाखों अछूतों की स्थिति के बारे में कोई शंका नहीं हो सकती जो अभागे अन्य लोगों के साथ–साथ इस प्रांत में

कांग्रेस सरकार द्वारा शासित रहे। यदि श्री जिन्ना और मुस्लिम लीग उत्पीड़न के 100 में से 5 मामले भी साबित कर सकें तो मैं किसी भी निष्पक्ष अधिकरण के समक्ष 100 में से 100 मामले पेश करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं कांग्रेस शासन द्वारा अत्याचार और उत्पीड़न के मामलों के बारे में अन्वेषण करने के लिए रायल कमीशन की नियुक्ति के लिए श्री जिन्ना से कहीं ज्यादा आतुर हूं।

''यद्यपि अछूतों के संबंध में उत्पीड़क हिन्दू हैं फिर भी मैं अपने हिंदू मित्रों को आश्वस्त कर सकता हूं कि यह आंदोलन हिंदू विरोधी नही हैं, बल्कि यह कांग्रेस विरोधी है और इसीलिए पूरी तरह राजनीतिक है। यदि कांग्रेस पर किए गए आक्रमण को हिन्दू अपने ऊपर आक्रमण मानें तो उन्हें इसके परिणामों के लिए स्वयं को धन्यवाद देना होगा। इससे दो चीजें साबित होती हैं : एक यह कि कांग्रेस हिन्दू संस्था है और दूसरे यह कि हिन्दू कांग्रेस से संबद्ध हैं और वे इस संगठन की परीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं हैं।''[1]

---

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया, मंगलवार, 19–12–1939, पृ. 9, पुनर्मुद्रित : खैरमोरे, जिल्द 9, पृ. 12–13 ।

25

जब बुद्ध ने पशु बलि बंद की तो उनके द्वारा गाय को पवित्र माना गया

''बौद्ध धर्म मानने पर अस्पृश्यता दंड थी'' – ब्राह्मणों की अनुकूलनीयता

इंडीपेंडेंट लेबर पार्टी के नेता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए अस्पृश्यता की उत्पत्ति की एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया।

उल्लेखनीय है कि अस्पृश्यता एक ऐसी संस्था या सामाजिक परिपाटी है जो भारत की अनन्य संपत्ति है और विश्व में अन्यत्र कहीं इसका अस्तित्व नहीं है। एकाधिक अर्थ में यह एक संस्था है जो अप्राकृतिक है और मानव मनोविज्ञान तथा सामाजिक ताकतों के प्रतिकूल है। इसलिए अस्पृश्यता की उत्पत्ति के कारण, जो संकल्प लेकर चले, वे ऐसे होंगे जो समस्त सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारणाओं से ऊपर होंगे।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, अस्पृश्यता की उत्पत्ति अपेक्षाकृत हाल में हुई थी और संभवतः वैदिक काल में या उसके उत्तरकाल में शताब्दियों तक नहीं रही होगी। वेदों में कहीं भी अस्पृश्यता का निश्चय ही कोई उल्लेख नहीं है। तब यह अस्तित्व में कैसे आई ?

अर्द्ध–जनजातीय अवस्था

डॉ. अम्बेडकर एक ऐसे युग को चित्रित करते हैं जिसमें कुछ लोग हाल ही में खेतीबाड़ी करने के लिए एक स्थान पर बस गए थे जबकि अन्य लोग अपनी भेड़ बकरियां और पशु लेकर जगह–जगह घूमते हुए खानाबदोश अवस्था में रहते थे।

खेतीबाड़ी करने वाले लोग अपनी जमीन, मकान, फसल आदि पूंजी के साथ, खानाबदोश जनजातियों की तुलना में अधिक सभ्य अवस्था में, ये ओर स्वभाविक रूप से, यह नहीं चाहते थे कि कोई घुमक्कड़ जनजातियां उनके शांतिपूर्ण जीवन में विघ्न पैदा करें। और न ही उनका उन पशु चराने वाली जनजातियों से कोई मुकाबला था जिनके पास अचल संपत्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं थी तथा निश्चित रूप से शारीरिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत और ज्यादा लम्बे चौड़े थे।

इसलिए घुमक्कड़ जनजातियों के हमलों से अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए

खेतीहर गांवों ने चरागाही वर्ग के लोगों की सेवाएं हासिल कीं जिनकी जनजातियां आपसी झगड़ों के कारण बिखर गई थीं। इन लोगों को गांव के बाहर जमीन और मकान दे दिए गए तथा उनका मुख्य काम था कानून और व्यवस्था कायम रखना, जैसाकि आज भी उनका मुख्य कार्य है।

चरागाहीजन जातियों से गांवों की रक्षा करने का यह कार्य वे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे। मुख्य ग्रामवासियों और गांव की सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों के रक्षकों के बीच संबंध सामान्य मानव संबंध थे। उनमें अस्पृश्यता की कोई संकल्पना नहीं थी। तब यह कुरीति कैसे पैदा हुई ?

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, इसके लिए हमें भारत में बौद्ध धर्म के उद्‌भव पर दृष्टिपात करना होगा।

डॉ. अम्बेडकर का कहना है, बौद्ध धर्म पूरे देश में ऐसे छा गया जैसे कोई भी मनुष्य विजेता भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा। कुछ पीढ़ियों में ही प्रायः समूचे देश ने विशेषकर जनसाधारण और व्यापारी वर्ग ने बौद्ध धर्म अपना लिया।

ब्राह्मणवाद मृत्यु से भयाक्रांत था। वास्तव में, यदि ब्राह्मणों में चतुर अनुकूलनीयता न रही होती तो ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाता। ब्राह्मण हर सामाजिक और धार्मिक संस्था को पूरी तरह छोड़ने को तैयार थे जिसके वे शताब्दियों से समर्थक रहे थे और जिसके बल पर वे युगों तक समृद्ध रहे। तभी ब्राह्मणवाद को बचाया जा सका। ब्राह्मणों ने क्या किया?

बौद्ध धर्म की जनप्रियता

बुद्ध के तीन सौहार्दपूर्ण उपदेश थे जो जनसाधारण को प्रिय थे। सामाजिक समता का उनका उपदेश, चतुर्वर्ण प्रणाली समाप्त करने की उनकी मांग, उनका अहिंसा सिद्धांत और विशाल धार्मिक समारोहों तथा बलियों के लिए उनकी निंदा क्योंकि उन चीजों के कारण आम जनता निर्धन हो गई थी और उनमें धार्मिक समारोहों के प्रति विरोध पैदा हो गया था।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, इस युग के ब्राह्मण शाकाहारी बिल्कुल भी नहीं थे। वे तो सबसे बड़े मांसाहारी थे, संभवतः देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन यथार्थ में वे अपनी स्वयं की मांसाहार की लालसा पूरी करने के लिए हजारों गायों और अन्य पशुओं की बलि देते थे।

वैदिक बलि में निहित सत्य

इतनी भारी मात्रा में ब्राह्मणों की मांस की मांग ने किसानों को निर्धन बना

दिया। वे बलि के लिए गाय खोजकर लाते थे और परिणामस्वरूप दूध एवं अन्य दूध उत्पादों से वंचित रह जाते थे जो उनकी आजीविका के मुख्य साधन थे।

इन पशु बलियों की मात्रा का सबूत वेदों में समारोहों के भयंकर वर्णनों में आज भी देखा जा सकता है जिनसे पता चलता है कि उनमें मानवीय तत्व तनिक भी विद्यमान नहीं था। इस प्रकार जब बुद्ध ने पशु बलि की समाप्ति और धार्मिक अनुष्ठानों की समाप्ति का उपदेश दिया तो जनसाधारण ने उनका उत्कट भाव से स्वागत किया और ब्राह्मणवादी उपदेशों को मानने से इंकार कर दिया। उन्हें नई विचारधारा आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टि से अच्छी लगी।

बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से ब्राह्मण धर्म कैसे बच पाया ? उसने हिन्दू धर्म के बलि और धार्मिक अनुष्ठानों वाले भाग को एकदम छोड़ दिया। उन्होंने बुद्ध को पछाड़ने की दृष्टि से, अब तक काटी जानेवाली गाय को पूज्य बना दिया गया।

मांसाहारी ब्राह्मण कट्टर शाकाहारी बन गए। मदिरा पान बंद हो गया। हिंदू धर्म ने विशुद्धतापरक आवरण धारण कर लिया।

क्षत्रियों के साथ समझौता

क्षत्रियों को बौद्ध धर्म अपनाने से रोकने के लिए ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समकक्ष स्थान दे दिया। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि अन्य सैंकड़ों संदर्भों के अलावा एक धार्मिक ग्रंथ में वास्तव में एक पद्य रचना है जिसमें कहा गया है कि जैसे एक कैदी को भागने से रोकने के लिए उसके दोनों तरफ दो सिपाही तैनात रहते हैं ठीक उसी प्रकार वैश्यों और शूद्रों को अपने हाथ से न निकलने देने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ सक्रिय रहते हैं।

गाय पूज्य कैसे बन गई

गाय को पूज्य मानने तथा बलि समारोह का अंत हो जाने के कारण और असंख्य अन्य बौद्ध उपदेशों के हिन्दू धर्म में समाविष्ट हो जाने पर, जो जनसमूह, बौद्ध धर्म की तरफ चला गया था, वह धीरे–धीरे वापस लौटने लगा। महान उपदेश जिसे ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया, वे समता का सिद्धांत और चतुर्वर्ण जाति प्रथा का अंत थे। लेकिन उन्होंने एक काम किया। उन्होंने उस समय क्षत्रियों को अपने समकक्ष स्तर

पर रखा, जन्म से ब्राह्मण देवताओं को पृष्ठभूमि में पहुंचा दिया, उनके स्थान पर क्षत्रिय देवताओं को रख दिया और समय के अनुकूल अन्य समझौते किए।

अप्रत्याशित गतिविधि

एक अत्यंत अप्रत्याशित घटना, जो बुद्ध के लिए सर्वथा घृणास्पद होती, ब्राह्मणों के सहयोग और समझौते के अभियान की प्रक्रिया में घटित हुई। गाय की बलि बुद्ध द्वारा बंद की गई। गाय को ब्राह्मणों द्वारा पूज्य बना दिया गया। सामान्य हिन्दू समाज ने वह पवित्रता स्वीकार कर ली और गायों की हत्या बंद कर दी। ऐसा ही वर्तमान युग के अछूतों द्वारा भी किया गया। लेकिन अछूत इतने गरीब थे कि वे ताजा मांस या गाय का मांस किसी भी समय इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए वे मृत गायों की लाश को खाने की युगों पुरानी परिपाटी चलाते रहे।

बुद्ध या ब्राह्मणों ने लाश खाना मना नहीं किया था। निषेध केवल जिन्दा गाय को काटने पर था। लेकिन आधुनिक अछूतों ने एक बहुत बड़ा अपराध किया। चूंकि वे सबसे गरीब थे, सामाजिक दृष्टि से सबसे निचले स्तर पर थे, इसलिए वे बौद्ध धर्म में सबसे लंबे समय तक रहे। उन्हें वापस लाने के लिए एक शक्तिशाली बड़ी ताकत का सैंकड़ों वर्ष तक काम करना आवश्यक था। जब दूसरी किसी चीज ने काम नहीं किया तो सामाजिक बहिष्कार और अस्पृश्यता का इस्तेमाल किया गया।

मृत गाय खाने की उनकी परिपाटी का शोषण उनके खिलाफ किया गया। यह एक ऐसी चीज थी जो स्वभावतः हिन्दू मन को अस्वीकार थी। यह घिनावनी थी। ब्राह्मण कठिनाई के बिना इस स्थिति को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते थे। इस प्रकार पूरे वर्ग पर अस्पृश्यता थोप दी गई। जब दूसरे लोगों ने बौद्ध धर्म छोड़ दिया था तब भी उस पर डटे रहने का यह, वास्तव में, एक दंड था। इस प्रकार अस्पृश्यता, शिक्षा तथा स्वतंत्रता और सामाजिक समता के सभी आधुनिक विचारों के बावजूद आज भी जारी है।''[1]

---

1. द बम्बई क्रोनिकल : तारीख 24 फरवरी, 1940।

26

महार लोग युद्धप्रिय रहे हैं

महार लोग युद्धप्रिय रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो पेशवा की सेना से लड़ी थी और जीती थी, उसमें महारों में से भर्ती की गई थी। पेशवा और ब्रिटिश के बीच अंतिम युद्ध पूना जिले में, कोरेगांव में लड़ा गया था। उस युद्ध की स्मृति में अंग्रेजों ने कोरेगांव में एक स्तंभ स्थापित किया था। उस स्तंभ पर उन जवानों के नाम खुदे हैं जो अंग्रेजों की ओर से युद्ध में शहीद हो गए थे। उनमें दस में से नौ नाम महारों के हैं। महारों की भर्ती 1892 तक जारी रही और सभी युद्धों में महारों ने अपनी फौजी विशेषता को सिद्ध किया है। 1892 में अचानक महारों की भर्ती बंद कर दी गई। तभी से महारों को ब्रिटिश सरकार से शिकायत है कि उनके साथ अत्यंत कृतघ्न आचरण किया गया है। इस शिकायत में बहुत अधिक औचित्य हो सकता है क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि अछूतों की मदद के बिना अंग्रेज कभी भी भारत पर राज नहीं कर सकते थे।

महारों ने सेना से अपने निष्कासन के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया। लेकिन वह निष्फल रहा। 1914 के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने मजबूर होकर उस निषेध को हटा दिया और एक महार बटालियन स्थापित की। यह बिल्कुल युद्ध के अंतिम दिनों में गठित की गई थी और बटालियन को युद्ध में जाने तथा अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला था। वह उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत के वजीरिस्तान में तैनात थी, और अभिलेखों में लिखा है कि जहाँ उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत में तैनात प्रायः प्रत्येक बटालियन ने अपनी कुछ राइफलें और गोलाबारूद पठानों के हाथों छिनवा दिए थे, वहीं पठान महार बटालियन से एक भी रायफल या एक भी गोली चुराने में कामयाब नहीं हो पाए थे। पठान लोग स्वयं को सशस्त्र करने के लिए गोला–बारूद और राइफल डिपो पर छापा मारने के आदी थे। अपेक्षा थी कि ब्रिटिश सरकार, महारों को सेना के प्रयोजनों के लिए पुनः अधिकार दिए जाने पर, महार बटालियन को बनाए रखेगी तथा उसमें और अधिक महार बटालियनें जोड़ेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, आर्थिक कारणों के बहाने, महार बटालियन को समाप्त कर दिया। इससे महारों के मन में बहुत अधिक कटुता आ गई। जब वर्तमान युद्ध हुआ तो महारों को आशा थी कि अब उनकी बारी आएगी। लेकिन युद्ध के आरंभिक चरणों में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। महारों की जरूरत केवल श्रमिक कोर में थी, न कि लड़ाकू फौज

के लिए। श्रमिक कोर लड़ाकू फौज से ज्यादा सुरक्षित है लेकिन महार लड़ाकू फौज में शामिल होना चाहते थे।

भारत में ब्रिटिश सरकार की तुच्छताओं में से एक लड़ाकू और गैर लड़ाकू वर्गों में यह भेदभाव है। इससे ज्यादा आपदाजनक कुछ नहीं है। बड़ी विडम्बना है कि ब्रिटिश सरकार को इस मूर्खतापूर्ण भेदभाव को मिटाने के लिए विवश करने के लिए युद्ध जैसी विराट आपदा आवश्यक थी। कहा जाता है कि सरकार महार बटालियन बनाने का निदेश दे चुकी थी। इसका श्रेय बम्बई के महामहिम राज्यपाल को जाता है। मेरी शिकायत करने पर उन्होंने केंद्र सरकार से संपर्क किया और उसमें सफलता प्राप्त की। मैं महारों से अपील करता हूं कि मौके का फायदा उठाएं अपने स्वयं के लिए और देश के लिए तथा ब्रिटिश सरकार से भी अपील करता हूं कि महारों पर भरोसा रखें और युद्धोपरांत उन्हें सेना से बेदखल न करें !

बम्बई डॉ. बी. आर. अम्बेडकर[1]

---

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया तारीख 18 जून, 1941

27

वतनदार महारों, मंगों आदि की शिकायतों के संबंध में अभ्यावेदन

बम्बई सरकार ने महार वतनों पर अतिरिक्त कर लगा दिया। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर उस समस्या से 1927 से जूझ रहे थे। लेकिन अब सरकार ने कृषि दास प्रथा से गरीबों को छुटकारा देने के बजाए अतिरिक्त कर लगाकर उनके घाव पर नमक छिड़क दिया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के महार, मंग और वेठिया लोगों ने अपनी व्यथा को प्रकट करने के लिए दिसम्बर, 1939 के मध्य में, अहमदनगर जिले के हरेगांव में, डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयाजित किया।''[1]

20,000 महार, मंग और वेठिया लोगों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए 16 सितम्बर, 1939 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने आश्वासन दिया कि मैं आपकी शिकायतों के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करूंगा। तद्नुसार उन्होंने तारीख 14 जुलाई, 1941 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है– संपादक

सेवा में,
महामहिम सर रोजर लुमली,
जी. सी. एम. आई. ई., टी. डी. गवर्नर,
बम्बई,

महामहिम के समक्ष विनम्र प्रार्थना

इस प्रेसिडेन्सी में निम्न ग्रामसेवक के रूप में ज्ञात वतनदार महारों, मंगों और वेठियाओं की शिकायतों के संबंध में निम्नलिखित विनम्र अभ्यावेदन विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता हूं। कृपया महामहिम महोदय, इस पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें –

1. ये शिकायतें निम्न ग्राम सेवक नामक वतनदारों के बारे में बम्बई सरकार द्वारा शुरु की गई नई नीति के कारण उत्पन्न हुई हैं। ये दो महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में हैं, अर्थात् –

    (i) उनके पारिश्रमिक में भारी कटौती, और

    (ii) उनके काम में पर्याप्त वृद्धि।

---

[1]- कीर. पृ. 330 –331 ।

2. उनके पारिश्रमिक के विषय में नई नीति इस धारणा पर बनाई गई है कि ग्राम महारों का पारिश्रमिक बहुत ज्यादा है और उसे कम किया जाना चाहिए। निदेश दिया गया था कि या तो उनकी इनाम भूमि पर जूड़ी (नकद लेवी) लगाकर ऐसा किया जा सकता है जहां वह पहले नहीं है अथवा जहां जूड़ी पहले से लगी हुई है वहां उसे बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है।

3. उनके काम (ड्यूटी) के बारे में बम्बई सरकार ने राजस्व विभाग में तारीख 13.09.1938 का एक सरकारी संकल्प सं. 7420/33 जारी किया जिसमें उनकी ड्यूटियों का उल्लेख किया गया था। उसके बाद महार, मंग और वेठिया लोगों से संकल्प संख्या 19 में बताई गई ड्यूटी करना अपेक्षित किया गया था।

4. इस नीति के अन्याय के विरोध में, महारों, मंगों और वेठियाओं का एक सम्मेलन मेरी अध्यक्षता में 16 नवम्बर, 1939* को अहमदनगर जिले के हरेगांव में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कुछ संकल्प पारित किए गए थे। ये संकल्प अनुकूल विचार के लिए तथा महामहिम की सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए जाने के लिए महामहिम की सेवा में भेज दिए गए थे। आपकी सुविधा के लिए उक्त संकल्पों की प्रतियां परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न हैं।

5. ये संकल्प 7 जून, 1940 को आयोजित बैकवर्ड क्लास बोर्ड की बैठक में विधायक श्री बी. के. गायकवाड़ द्वारा भी पेश किए गए थे। इन मदों से संबंधित बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपियां परिशिष्ट–II के रूप में यहां संलग्न हैं।

6. परम आदर के साथ, मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि सरकार ने उक्त सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों पर सम्यक विचार नहीं किया है। संकल्प प्रस्तुत करने के बाद डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है लेकिन फिर भी जूड़ी उगाहने के बारे में या उन बाध्यताकारी कार्यों की लंबी सूची के पुनरीक्षण के बारे में जो निम्न ग्राम सेवकों द्वारा किए जाने अपेक्षित हैं, सरकार की नीति में कोई फेर–बदल अभी तक नहीं किया गया है। इसके विपरीत, जूड़ी वसूलने की नीति बराबर चालू हैं और निम्न ग्राम सेवकों के दरिद्र परिवारों और गरीब लोगों के बर्तन–भांडे भी न्यायालय के आदेश से कुर्क किए जा रहे हैं और इनमें से बहुत से परिवार बिल्कुल असहाय बना दिए गए हैं।

---

* माह दिसम्बर के रूप में पढ़ा जाए – जनता : 9 और 23 दिसम्बर, 1939 ।

इन्हीं कारणों से मैं महामहिम की सेवा में यह ज्ञापन इस प्रबल आशा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि महामहिम इस विषय में अत्यंत ध्यानपूर्वक, विनम्र और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निम्न ग्राम सेवकों को अत्यावश्यक और लंबे अरसे से प्रतीक्षित राहत मंजूर करने की कृपा करेंगे।

1. पारिश्रमिक घटाया जाना

7. सबसे पहले मैं, जूड़ी वसूलने के सवाल पर निवेदन करना चाहता हूं। फिलहाल यह नीति केवल महारों की इनाम भूमि के बारे में लागू की गई है। कालांतर में इसे अन्य विषयों में लागू किया जा सकता है। महारों की इनाम जमीन पर जूड़ी अधिरोपित करने के मामले में मुझे वे कारण पक्की तौर पर मालूम नहीं हैं जिनसे विवश होकर सरकार को महारों का पारिश्रमिक घटाए जाने की नीति बनानी पड़ी। फिर भी ऐसा समझा जाता है कि वे कारण दो हैं :—

8. प्रथमतया, जूड़ी में बढ़ोतरी को सरकार इस आधार पर सही ठहराना चाहती थी कि स्थानापन्न महारों की संख्या घट गई है। कहा जाता है कि महारों द्वारा धारित इनाम जमीन पर जुड़ी बढ़ाकर पारिश्रमिक कम करने की नीति स्थानापन्न महारों की संख्या कम करने की नीति का ही परिणाम है।

9. शुरु में, मैं महामहिम का ध्यान इस तर्क में अंतर्निहित भ्रम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वस्तुतः न तो साधारणतया और न ही किसी खास गांव में स्थानापन्न महारों की वास्तविक संख्या कम हुई है। स्थानापन्न महारों की संख्या उतनी ही है। फिर भी हुआ यह है कि वतन रजिस्टर ठीक किए गए और तथ्यों के अनुरूप बनाए गए। एक समय हर गांव के वतन रजिस्टर में दर्ज स्थानापन्न महारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। महारों ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। उसके दो कारण थे। पहला, रजिस्टर में दर्शायी गई संख्या नाममात्र की थी और रोजाना की ड्यूटी पर वास्त. विक संख्या बहुत कम थी। दूसरे, रजिस्टर में महार का नाम दर्शाया जाना उसके हित में था क्योंकि यह सबूत मिलता था कि वह वतनदार है और वह वतन पद तथा वतन संपत्ति का हकदार है। महारों द्वारा चलाए गए आत्मसम्मान आंदोलन के फलस्वरूप हर गांव में महारों और गांव वालों के बीच परस्पर विरोध पैदा हो गया। ग्राम अधिकारी वतन रजिस्टर का दुरुपयोग करने लगे और उन्होंने रजिस्टर में अंकित महारों की पूरी संख्या सेवा के लिए मांगी, हालांकि रजिस्टर की महार संख्या के 1/10 महार

भी पहले कभी सेवा के लिए अपेक्षित नहीं रहे। ताल्लुका अधिकारियों ने ग्राम पाटिल का पक्ष लिया और रजिस्टर में अंकित महारों की पूरी संख्या पूरे समय ड्यूटी पर रहने की मांग की। व्यवहार में इसका अर्थ यह हुआ कि गांव के महारों की पूरी जनसंख्या सरकारी सेवा के लिए लगा दी गई। किन्तु महारों ने इस अतिशय और अनुचित मांग को मानने से मना कर दिया। रजिस्टर में वर्णित समस्त महारों के लिए पूरे समय ड्यूटी देना संभव नहीं था क्योंकि उन्हें जो इनाम जमीन दी गई थी उससे होने वाली आय उन सबके पालन–पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी, उन सभी को और अधिकांश महारों को अपनी आजीविका के लिए छोटा–मोटा दूसरा काम करना पड़ता था। इसलिए वतनदार महारों ने स्थानापन्न महारों की संख्या घटाकर वतन रजिस्टर को ठीक करने के लिए आंदोलन चलाया। इसमें वे कामयाब रहे और महारों की संख्या घटा दी गई। लेकिन जैसाकि मैं कह चुका हूं स्थानापन्न महारों की संख्या कम नहीं की गई। यह तो गलत अभिलेख में सुधार मात्र था। इसे संख्या में कमी करना या तो तथ्यों को भूलना है या उन्हें गलत समझना है। जो हुआ वह था गलत वतन रजिस्टर में सुधार। ऐसी स्थिति में, मैं समझ नहीं सकता कि सरकार जूड़ी लगाकर या जूड़ी बढ़ाकर महारों के पारिश्रमिक में कमी करने की अपनी नीति को उस आधार पर न्यायोचित कैसे ठहरा सकती है।

10. बहराल, यदि यह मान लिया जाए कि स्थानापन्न महारों की संख्या कम की गई है तो भी ऐसी धारणा को जो तथ्य परक नहीं हो, मेरा सादर निवेदन है, समझना आसान नहीं है कि सरकार, उस आधार पर, जूड़ी अधिरोपित करके या जूड़ी में वृद्धि करके उनके पारिश्रमिक को कैसे कम कर सकती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि इस उपाय को अपनाकर इस महत्वपूर्ण परिस्थति को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया जिसका विवादित मुद्दे से गहरा संबंध है अर्थात् वतन संपत्ति एक विशेष वर्ग में आती है तथा यद्यपि इसे पारिश्रमिक कहा जा सकता है फिर भी 'काम नहीं वेतन नहीं' अथवा 'जितना काम उतना वेतन' का नियम सरकार द्वारा वतनदारों और उनके वतनों के संबंध में कभी भी लागू नहीं किया गया है।

11. इस संबंध में महामहिम का ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो यह दर्शाते हैं कि वैसी परिस्थितियों में दूसरे वतनदारों के साथ सरकार द्वारा कैसा व्यवहार किया गया है। जब अंग्रेजों ने देश के इस भू–भाग पर कब्जा किया तो उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने प्राईवेट

व्यक्तियों के पक्ष में निर्धारण की मांग करने के रियासत के अधिकार को अन्य संक्रामित करने की अपनी शक्ति का बहुत अधिक उपयोग किया है और अन्य संक्रामित जमीनों का एक बहुत बड़ा वर्ग बना दिया जिसे आम तौर पर इनाम जमीन कहा जाता है। इन भूमिधारकों को इनामदार और वतनदार कहा जाता था। इन इनामों को चार वर्गों में रखा जाता था – (1) वैयक्तिक, (2) देवस्थान, (3) राजनीतिक और (4) गैर–राजनीतिक और ये सब वंशानुगत इनाम थे। सेवा के दृष्टिकोण से इन इनामों के दो वर्ग थे : (क) वे इनाम जो राज्य के सेवा के पारिश्रमिक थे और (ख) वे इनाम जो दान (उपहार) थे जिसके लिए राज्य की सेवा करने की आवश्यकता नहीं थी। वैयक्तिक और देवस्थान इनाम गैर–सेवा इनामों के वर्ग के थे जबकि राजनीतिक और गैर–राजनीतिक इनाम सेवा–इनामों के वर्ग के थे।

12. ब्रिटिश शासन के पहले 23 वर्षों के दौरान (1818–1841) इनाम के तौर पर भूमि–धारित करने के लिए व्यक्तियों द्वारा किए गए असंख्य दावे ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रहण नहीं किए गए। लेकिन 1841 में, इन दावों की जांच करने का मुद्दा हाथ में लिया गया। 1843 में दो व्यक्तियों की एक समिति दक्षिणी मराठा देश की अन्य संक्रामित जमीनों के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त की गई। 1843 में नियुक्त की गई समिति द्वारा जांच नौ वर्ष तक अर्थात् 1852 तक चली थी जब उस समिति को बदलकर इनाम आयोग बना दिया गया। उसकी कार्यवाहियों को 1852 के अधिनियम सं. XI द्वारा कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सरकार को इनाम आयोग गठित करने के लिए सशक्त किया गया था। उसके अधीन सहायक आयुक्त को उन व्यक्तियों के हकों के बारे में अन्वेषण करने का अधिकार दिया गया था जो इनाम या जागीर धारित कर रहे थे अथवा सरकार के विरुद्ध उन पर कब्जे या उपभोग का या उनमें किसी हित का दावा कर रहे थे, अथवा भू–राजस्व अदा करने से छूट मांग रहे थे।'' उस आयोग के कार्य बहुत धीमी गति से चले और उनका विस्तार गुजरात तक नहीं हुआ। अंततः आयोग द्वारा जांच पद्धति समाप्त की गई तथा उसके स्थान पर ''संक्षिप्त व्यवस्थापन'' की प्रणाली अपनाई गई जिसका विस्तार संपूर्ण प्रेजिडेन्सी तक होना था। संक्षिप्त व्यवस्थापन की यह प्रणाली दो अधिनियमों के जरिए कार्यान्वित की गई अर्थात् 1863 का अधिनियम सं. II जो दक्षिण के तथाकथित नये प्रांतों, खंडेश और दक्षिणी मराठा देश पर लागू होता था, और दूसरा 1863 का अधिनियम सं. VII जो गुजरात के तथाकथित पुराने प्रांतों और कोंकण पर लागू होता था।

क. गैर–सेवा इनाम

13. संक्षिप्त व्यवस्थापन अधिनियिम (अर्थात् समरी सेटलमेंट एक्ट्स) के प्रावधान ईनाम के केवल दो वर्गों : (1) वैयक्तिक और (2) देवस्थान इनाम, को अर्थात् गैर–सेवा इनामों पर लागू होते थे। सेटलमेन्ट एक्ट्स में अंतर्निहित मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित थे –

    (क) समस्त वैयक्तिक इनामों का (जिन्हें वर्षासन भी कहते थे) चाहे उन पर निर्णय इनाम आयोग द्वारा किया जाए या नहीं, अंतरणीय फ्रीहोल्ड में परिवर्तन,

    (ख) ऐसे संख्या परिवर्तन के लेखे ऐसी जमीनों पर क्विट रेन्ट या नजराना लगाना जिसकी रकम नियत थी :

        (i) 1843 के अधिनियम सं. II द्वारा, पूरे निर्धारण पर 4 आना प्रति रुपया की दर से जमा रुपये में अतिरिक्त 1 आने के बराबर नजराना, और

        (ii) 1863 के अधिनियम सं. VII, द्वारा, नजराने के बिना रुपये में दो आना की दर से।

14. इन अधिनियमों के द्वारा किए गए व्यवस्थापन के द्वारा पूरा निर्धारण करने के अधिकार को छोड़ने के फलस्वरूप सरकार को हुई वार्षिक हानि की मात्रा किसी भी तरह कम नहीं थी जैसाकि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा :–

वैयक्तिक और देवस्थान इनाम के रूप में धारित गैर–सेवा इनाम भूमि पर सरकार की वार्षिक हानि

	मंडल	अन्य संक्रामित भूमियों पर निर्धारण ऋण क्विट्रेन्ट (जूड़ी)		
		रुपये	आना	पैसे
I.	उत्तरी मंडल.......	1,26,529	15	1
II.	मध्य मंडल............	2,86,292	2	3
III.	दक्षिणी मंडल........	2,02,827	3	6
	योग	**6,15,649**	**4**	**10**

15. जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है, समरी सैटलमेंट एक्टों के प्रावधान केवल गैर–सेवा इनामों अर्थात् वैयक्तिक इनामों और देवस्थान इनामों पर ही लागू होते थे। वे सेवा इनामों अर्थात् राजनीतिक इनामों और गैर–राजनीतिक इनामों पर लागू नहीं होते थे। ये इनाम उनके प्रवर्तन से अभिव्यक्त रूप से बाहर रखे गए थे और इनके संबंध में कार्रवाई पृथक् रूप से की जाती थी।

ख. सेवा इनाम

16. **(1) राजनीतिक इनाम :** इन इनामों में जागीर और सरन्जाम नामक इनामों का वर्ग शामिल था। ये असैनिक (नागरिक) और सैनिक सेवाओं के लिए राज्य द्वारा दिए गए अनुदान थे, अथवा नोबेलों और उच्च अधिकारियों की, जिन्होंने अतीत में राज्य की सेवा की है, गरिमा बनाये रखने के लिए राज्य द्वारा दिए गए अनुदान थे। इन राजनीतिक इनामों का व्यवस्थापन ब्रिटिश सरकार द्वारा वैयक्तिक इनामों के व्यवस्थापन के सिद्धांत पर किया जाता था अर्थात् ये उस तारीख के अनुसार जिसको मूल अनुदान दिया गया था, एक या अधिक पीढ़ियों तक वंशानुगत चलते रहते हैं, यद्यपि उन पर सरकार की सेवा करने की बाध्यता से छूट प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप ये सरन्जामदार सरकार की किसी भी प्रकार की सेवा किए बिना सरकारी खजाने से नकद भत्ते के रूप में अनुदान प्राप्त करते हैं। सरन्जाम के कारण सरकार को हुई हानि सरकारी खजाने में से सरन्जामदारों को प्रतिवर्ष दिए गए नकद भत्तों के कारण होती है। निम्नलिखित तालिका इस कारण सरकार को होने वाली वार्षिक हानि दर्शाती है :–

सरन्जामों के कारण सरकार को होने वाली वार्षिक हानि

जिला	सरन्जामदारों के नकद भुगतान		
	रुपये	आना	पैसे
पूना	34,091	11	11
शोलापुर	10,451	13	9
अहमदनगर	30,590	12	5
सतारा	25,447	9	3
खंडेश	38,714	5	5
बीजापुर	11,738	12	1

नासिक	47,037	10	4
बेलगांव	32,875	12	4
रत्नागिरी	1,079	2	3
कोलाबा	1,655	10	6
धारवाड	30,091	0	3
दक्षिणी एम.सी.	3,378	15	1
सतारा राजनीतिक एजेन्सी	158	8	0
योग =	**2,67,501**	**11**	**7**

17. प्रेजिडेन्सी में कुल 104 सरन्जामदार हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक सरन्जामदार सरकार की सेवा किए बिना औसतन 2500 रुपये वार्षिक प्राप्त कर रहा है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 104 सरन्जामदारों में से 54 ब्राह्मण हैं, 38 मराठा हैं, 7 मुसलमान हैं और 3 कायस्थ हैं, 1 परदेसी राजपूत है और 1 महार है।

18. **(II) गैर–राजनीतिक :** गैर राजनीतिक इनाम धारकों में निम्न शामिल हैं: (1) जिला अधिकारी और (2) ग्राम अधिकारी जो राजस्व संग्रहण और प्रशासन के संबंध में पेशवाओं द्वारा नियोजित किए गए थे।

(1) जिला अधिकारी :

19. जिला अधिकारियों का एक वर्ग जिसमें देसाई, देशमुख, देशपांडे आदि के रूप में ज्ञात पुराने वंशानुगत पदाधिकारी शामिल थे, वे राजस्व वसूली के लिए पेशवा सरकार की ताल्लुका एजेन्सी थे। ब्रिटिश सरकार ने इनके स्थान पर मामलातदारों और महालकारियों की एजेन्सी बनाई। उनके साथ व्यवस्थापन करने के लिए जो सिद्धांत अपनाया गया वह सेवा संराशीकरण का था जिसके द्वारा उन्हें अपने भत्तों का बड़ा हिस्सा रखे रखने की अनुमति थी, रुपये में केवल 3 से 8 आने की रकम संराशीकरण के रूप में एवं हक में संभव दोष के उपचार के रूप में वसूल की जाती थी।

20. जिला अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले इस व्यवस्थापन के फलस्वरूप सरकार को होने वाली वार्षिक हानि नीचे दी गई है –

उन जिला अधिकारियों द्वारा, जिनके पद समाप्त कर दिए गए हैं, धारित सेवा इनाम भूमियों पर सरकार की वार्षिक हानि

मंडल	भूमियों पर निर्धारण न्यून नजराना		
	रुपये	आना	पैसे
1. उत्तरी मंडल	1,04,753	1	9
2. मध्य मंडल	3,16,602	7	9
3. दक्षिणी मंडल	3,93,189	15	8
योग	**8,14,545**	**9**	**2**

(2) ग्राम अधिकारी

21. ग्राम अधिकारियों को निम्नलिखित उप–मंडलों में वर्गीकृत किया गया था–

(i) सरकार और समाज दोनों के लिए बेकार।

(ii) ग्राम समाज के लिए उपयोगी।

(iii) सरकार के लिए उपयोगी।

22. **सरकार एवं समाज दोनों के लिए बेकार –** इनामों के इस वर्ग में ग्राम सेवक शामिल थे, जैसे पोद्दार, जो ग्राम सुनार होने के अतिरिक्त, भुगतान की गई समस्त धनराशि या तो सरकार को या व्यक्तियों को देते थे या चौगुला को देते थे जो पटेल के सहायक जैसा होता था तथा कुलकर्णी के अभिलेखों की देखरेख भी करता था। उनके इनामों के संराशीकरण पर, इस वर्ग के सेवकों द्वारा धारित भूमियों का व्यवस्थापन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता था –

(i) पुराने प्रांतों में – पूरा सर्वेक्षण निर्धारण अधिरोपित किया गया था।

(ii) नये प्रांतों में – पूरे सर्वेक्षण की आधी दर ली जाती थी।

दोनों क्षेत्रों में, भूमि को अंतरणीय फ्रीहोल्ड में बदल दिया गया था।

23. **ग्राम समाज के लिए उपयोगी –** इस वर्ग के इनामों में ग्राम सेवक शामिल

थे जैसे कुम्हार, सूतार आदि जो आज भी गांव के समाज की सेवा करते हैं। उनके मामले में किया गया व्यवस्थापन निम्न प्रकार था–

(i) पुराने प्रांतों में – सेवा समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है या कम इस आधार पर धारित भूमि का निर्धारण, सर्वेक्षण निर्धारण की आधी या चौथाई दर पर किया जाता था।

(ii) नये प्रांतों में – धारित भूमि का निर्धारण, निर्धारण की आधी दर पर किया जाता था।

ग्राम अधिकारयिों के इस वर्ग की भूमि सेवा की शर्त पर धारित होती थी। इसलिए वह अंतरणीय नहीं होती थी।

24. इस वर्ग के ग्राम सेवकों के साथ किए गए व्यवस्थापन के कारण सरकार को होने वाली वार्षिक हानि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होगी :–

संराशीकरण के फलस्वरूप समाज के लिए उपयोगी ग्राम सेवकों द्वारा धारित सेवा इनाम भूमि पर सरकार की वार्षिक हानि नीचे दर्शायी गई है:

	रुपये	आना	पैसे
1. उत्तरी मंडल	79,177	0	0
2. मध्य मंडल	72,343	5	1
3. दक्षिणी मंडल	64,256	15	3
योग	**2,15,777**	**4**	**4**

25. **सरकार के लिए उपयोगी ग्राम अधिकारीगण :** इनमें निम्नलिखित तीन वर्ग शामिल थे – (1) पाटिल, (2) कुलकर्णी और (3) महार।

26. जहां तक इन ग्राम अधिकारियों का संबंध है, वे सेवा करने की बाध्यता से मुक्त नहीं होते थे। उनके साथ वैसा संराशीकरण नहीं किया जाता था जैसा दूसरे वंशानुगत अधिकारियों की दशा में किया जाता था। इसका कारण स्पष्ट था। वे प्रशासन तंत्र के अनिवार्य अंग थे। वे ब्रिटिशों के लिए उतने ही अपरिहार्य थे जितने वे इससे पहले पेशवा सरकार के लिए थे।

27. इस सर्वेक्षण से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं :–

(i) वैयक्तिक और देवस्थान इनामधारक राज्य की कोई सेवा नहीं करते

हैं। उन्हें पेशवा सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों को रखने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति प्राप्त है तथा वे पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा की बाध्यता के बिना उसका उपभोग करते हैं। उनके कारण सरकार को प्रतिवर्ष 6,15,649 रु. 4 आने 10 पै. की हानि होती है।

(ii) राजनीतिक इनामधारकों को ब्रिटिश सरकार द्वारा राज्य की सेवा करने की बाध्यता से मुक्त किया गया है। लेकिन उन्हें दी जाने वाली वेतन राशि बराबर कायम है। उनके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी इन धनराशियों का उपभोग कर रहे हैं। उनके कारण सरकार को प्रतिवर्ष 2,67,501 रु. 11 आने 7 पै. की हानि होती है।

(iii) पेशवा सरकार के जिला अधिकारी, देसाई और देशपांडे ब्रिटिश सरकार की किसी भी प्रकार की सेवा नहीं करते हैं। उनकी इनाम जमीन जो उन्हें पेशवा सरकार द्वारा सेवा के पारिश्रमिक के तौर पर दी गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी रखी गई है परंतु जूड़ी के रूप में छोटी–सी कटौती की शर्त के साथ। यह उन लोगों के लिए केवल पेंशन नहीं थी जिनके साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा आजीवन व्यवस्थापन किया गया था। उनके वंशजों के लिए भी यह वंशानुगत पेंशन हो गई है। किन्तु वे इस अनुदान की किसी भी तरह मांग नहीं कर सकते। यहां भी वार्षिक हानि 8,14,545 रु. 8 आने 4 पै. है।

(iv) वे ग्राम सेवक, जो ग्राम समाज एवं सरकार के लिए बेकार हो गए थे, सेवा की बाध्यता से मुक्त कर दिए गए थे। लेकिन उनका पूरा वेतन बहाल नहीं किया गया था। इनाम भूमियां उनके पास ही रहीं और कुछ मामलों में पूरे निर्धारण का भुगतान किया जाता था तथा दूसरे मामलों में, निर्धारण आधी दर से भुगतान किया जाता था।

28. इन दृष्टांतों से पता चल जाएगा कि बम्बई सरकार ने वतन और इनाम संपत्ति को हमेशा एक विशेष वर्ग के अंतर्गत माना है। उसने इसे कभी भी सेवा के बदले पारिश्रमिक का विषय नहीं माना और उन मामलों में भी, जिनमें इसका स्वरूप पारिश्रमिक का था ''काम नहीं वेतन नहीं'' का सिद्धांत कभी लागू नहीं किया।

29. महार वतन भूमियों पर जूड़ी वसूलने के मामले में अब अपनाई गई नीति पूरी तरह अलग है जिसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं है।

30. महारों की वतन सम्पत्ति को मात्र पारिश्रमिक के रूप में मानने को घोर

पक्षपात और अन्याय सिद्ध करने के लिए मैं विनम्रतापूर्वक कुलकर्णी वतन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। कुलकर्णी वतन, सरकार के लिए उपयोगी ग्राम सेवकों के वतन सम्पत्ति के वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में तीन वतन संपत्तियां आती हैं। वे हैं – (1) पाटिल, (2) कुलकर्णी, और (3) महार की संपत्तियां। वंशानुगत वतन के रूप में कुलकर्णी वतन 1914 तक बना रहा। 1914 में, सरकारी संकल्प सं. 5070 तारीख 30 मई, 1914 के द्वारा कुलकर्णी संपत्ति संराशीकृत कर दी गई और कुलकर्णी को सरकार की सेवा प्रदान करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया। जिन शर्तों पर यह संराशीकरण हुआ था वे निम्न प्रकार थीं –

(1) आकरनी (भू–राजस्व संग्रहण का पारिश्रमिक) के एक–तिहाई के बराबर नकद भत्ते की, प्रतिनिधि वतनदारों, उनके पारंपरिक, संपार्श्विक, या दत्तक वारिसों को जब तक पारंपरिक, संपार्श्विक या दत्तक वतन का कोई पुरुष वारिस विद्यमान रहें, शाश्वत अदायगी और सन् 1913–14 के लिए अदा की गई पोटगी।

(2) वर्तमान भू–धारकों और उनके पारंपरिक या दत्तक वारिसों के तब तक सभी वतन भूमियों को सतत रखना जब तक कोई पारंपरिक, संपार्श्विक या दत्तक पुरुष वारिस विद्यमान रहे जो वर्तमान जूड़ी की अदायगी की शर्त के अधीन होगा और जब यह राशि पूरी निर्धारण रकम से कम होगी तो अतिरिक्त रकम, जो पूरी निर्धारण रकम की 1/16 से अधिक न हो, जो इस शर्त के अधीन होगी कि वर्तमान जूड़ी समेत अतिरिक्त लेवी (उद्ग्रहण) तत्समय भूमि पर पूरी निर्धारण रकम से अधिक नहीं होगी।

(3) भूमि हेयरडटिरी विलेज आफिसेज एक्ट की धारा 10, 11, 11क और 12 के प्रावधानों के दायित्वाधीन होगी, किन्तु उसे कलक्टर द्वारा इन धाराओं के प्रवर्तन से बाहर रखा जा सकेगा।

(4) नकद भत्ते एवं वतन भूमियां तब तक बनी रहेंगी जब तक कि भू–धारक ब्रिटिश सरकार की निष्ठावान प्रजा बने रहेंगे।

(5) एक रुपये का आंशिक भाग (भिन्न) उसके मूल्य के बीस गुणा राशि पर अनिवार्यतः खरीदना होता है और जब वह आंशिक भाग 14 आने या अधिक होता है तो प्राप्तिकर्ता रुपया पूरा करने के लिए उस अंतर को बीस गुणा राशि पर खरीद सकेगा।

31. समस्त वतनदारों में, कुलकर्णी को सर्वाधिक प्रिय नेशन क्लाज का फायदा दिया गया है। वह सेवा करने की बाध्यता से मुक्त किया गया है। वह सेवा नहीं करता फिर भी उसकी जमीन उसके पास रहती है, उसे केवल जूड़ी देनी होती है और उसे 1913–14 में सरकार द्वारा देय आकरनी और पोटगी का एक तिहाई हिस्सा सतत् प्राप्त करने की अनुमति है। इसके अलावा, हालांकि पंरागत सेवा करने का कुलकर्णी का अधिकार सरकार द्वारा संराशीकरण की स्कीम द्वारा समाप्त कर दिया गया था फिर भी, सरकार ने अपने संकल्प द्वारा उसे तलती के रूप में नियोजित होने का अधिमानी अधिकार प्रदान कर दिया है। यह कुलकर्णी के स्थान पर सरकार द्वारा सृजित एक एजेंसी है।

32. अब मैं जो सवाल उठाना चाहूंगा वह यह है कि यदि सरकार ने जो सिद्धांत या नीति अपनाई है वह 'सेवा नहीं वेतन नहीं' अथवा 'जितनी सेवा उतना वेतन' है तब उक्त सिद्धांत ब्रिटिश सरकार ने (i) वर्षासान्दार, (ii) इनामदार और जागीरदार, (iii) आनुवंशिक जिला अधिकारी, (iv) अन्य ग्राम अधिकारी और (v) कुलकर्णी के मामले में, जो सभी सेवा करने की बाध्यता से मुक्त किए गए हैं किन्तु जिन्हें अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति दी गई है, क्यों नहीं लागू किया ? दूसरे वतनदारों के साथ किए गए व्यवहार विशेषकर कुलकर्णी के साथ किए गए व्यवहार की तुलना में महारों के साथ किया गया व्यवहार नितांत क्रूरतापूर्ण है। महारों के साथ भेदभाव की सीमा इससे ज्यादा नहीं हो सकती थी। यह सिद्धांत महारों पर ही क्यों लागू किया गया ? इस पक्षपातपूर्ण विभेद का क्या स्पष्टीकरण है ? मैं मानता हूं, मैं इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं खोज पाया। इसके विपरीत मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो सिद्धांत महारों के संबंध में लागू करना चाहा गया है वह गलत सिद्धांत है और दूसरे वतनदारों के संबंध में अपनाई गई नीति सही है। पेशवा शासन में लागू कानून के अनुसार वतन सम्पत्ति दाययोग्य ही नहीं थी बल्कि वह अन्य–संक्रम्य भी थी जिससे कि वतनदार अपने पद एवं अपनी वतन सम्पत्ति दोनों को अन्यसंक्रमित (दूसरे को अंतरित) कर सकता था। वतन संपत्ति निजी संपत्ति जैसी थी और वतनदार उसका मालिक होता था और वह अपनी मर्जी से उसका कुछ भी कर सकता था। यह कानून 1827 तक चला। इसके बाद बम्बई सरकार ने 1827 के विनियम सं. XVI द्वारा पहली बार वतन सम्पत्ति को अन्य असंक्राम्य घोषित किया तथा किसी भी एकमात्र पदधारी द्वारा या परिवार में से ऐसे पद

के किसी सह भागीदार द्वारा अपने जीवनकाल से अधिक कालावधि के लिए उसका अन्य संक्रामण निषिद्ध कर दिया।

33. वतन संपत्ति की ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि सरकार ने वतन जमीनों के विषय में वतनदारों में देश भर में व्याप्त भावना को भड़काए बिना जो कुछ किया था वह उससे भिन्न कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी सादर दलील यह है कि महार की वतन किसी भी अर्थ में दूसरी वतनों से भिन्न नहीं है और यदि इन वतनों के संराशीकरण में सरकार ने 'काम नहीं वेतन नहीं', की नीति अथवा 'जितना काम उतना वेतन' की नीति लागू नहीं की है तो महार की वतन के बारे में उसे लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।

34. जूड़ी बढ़ाने का एक दूसरा कारण यह बताया गया कि निम्न ग्राम सेवकों के एक अन्य वर्ग के पारिश्रमिक की व्यवस्था करने के लिए यह आवश्यक है। श्री बी. के. गायकवाड विधायक को संबोधित राजस्व विभाग के तारीख 11 नवम्बर, 1938 के पत्र सं. एल. ए. 26–एफ में राजस्व विभाग में बम्बई सरकार के उप सचिव श्री एम. जे. देसाई, आई. सी. एस. ने बढ़ी हुई जूड़ी के औचित्य के बारे में इस प्रकार कहा था –

''3. मध्य मंडल में एक महार का न्यूनतम मानक पारिश्रमिक वह जमीन है जिसका नुकसान, गांव के आकार के अनुसार 10/–रु. से लेकर 20/– रुपये तक है अथवा 50/– रु. से लेकर 100/– रु. तक नकद भत्ता है। आज भी ऐसे बहुत सारे निम्न ग्राम सेवक हैं जिन्हें इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। बहुत कम वेतन वाले निम्न ग्राम सेवकों के लिए बढ़े हुए वेतन की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ रही है। उसे पूरा करने का एक स्रोत है उन लोगों के वेतन में कमी जिनका पारिश्रमिक वेतनमान से बहुत अधिक है।''

35. इस उद्धरण से यह बात साफ हो जाती है कि जूड़ी बढ़ाकर महारों का पारिश्रमिक घटाने का एक कारण और कदाचित वास्तविक कारण दूसरे निम्न ग्राम सेवकों के बेहतर पारिश्रमिक की व्यवस्था करना है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सभी निम्न ग्राम सेवकों को बहुत कम वेतन मिलता है और महारों को उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए, दूसरे निम्न ग्राम सेवकों से ज्यादा वेतन नहीं दिया जाता। लेकिन यदि यह मान लें कि दूसरे निम्न ग्राम सेवकों का पारिश्रमिक बढ़ाने का मामला है तो मैं सादर निवेदन करूंगा कि इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा

अपनाई गई नीति **पॉल** को देने के लिए **पीटर** को लूटने की नीति से भी खराब है तथा सरकार की घोषित नीति के प्रतिकूल है तथा वतन एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है।

36. जूड़ी बढ़ाने के विषय पर अनेक सरकारी संकल्प हैं जिनमें वे निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके अधीन सरकार ने जूड़ी बढ़ाने के अधिकार को आरक्षित रखा है। कर्नल डब्ल्यू. सी. एन्डरसन, सर्वेक्षण और बंदोबस्त आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा राजस्व विभाग में सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित पत्र तारीख 23 जुलाई, 1877 में उनका हवाला दिया गया है, सारांश दिया गया है, उन्हें स्पष्ट किया गया है। उसे आर. जी. गोर्डन, आई. सी. एस. द्वारा बम्बई सर्वे सैटलमेंट मैनुअल जिल्द–II के पृष्ठ 496–505 पर परिशिष्ट IV(c) के रूप में मुद्रित किया गया है।

37. ऐसा प्रतीत होता है कि बम्बई सरकार के तारीख 1 नवंबर, 1875 के इस संकल्प सं. 6141 में अंतर्निहित सिद्धांत के बारे में कुछ संदेह था जिस जूड़ी बढ़ाने के बारे में सरकार की स्थिति दी गई थी। कर्नल एन्डरसन ने उसे स्पष्ट करना आवश्यक समझा। अपने पत्र के पैरा 4 में उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण नीचे उद्धृत है –

''4. तारीख 1 नवम्बर, 1875 के सरकारी संकल्प सं. 6141 का सिद्धांत स्पष्ट है – आशय समय–समय पर नियत अधिकारियों के पारिश्रमिक के अंतिम रुपये पर लागू वतन के वेतन को कायम रखना था, लेकिन (वतन के) अधिशेष वेतन में से धन कमाने की वांछा नहीं थी। (मेरे द्वारा रेखांकित) .... ।''

38. जहां तक सर्वे सैटलमेंट मैनुअल का प्रश्न है, कर्नल एंडरसन द्वारा दी गई 1875 के संकल्प की इस व्याख्या पर विवाद करते हुए सरकार द्वारा बाद में कोई संकल्प नहीं निकाला गया और न ही ऐसा कोई संकल्प पारित किया गया जो 1875 के संकल्प के निबंधनों को उपांतरित करता हो। ऐसी स्थिति में, 1875 का संकल्प और कर्नल एंडरसन द्वारा की गई उसकी व्याख्या जूड़ी बढ़ाने के सवाल पर सरकार की अंतिम और बाध्यकर उद्घोषणा है। अतः मेरा निवेदन है कि मेरा यह कहना उचित है कि दूसरे वतनदारों को पारिश्रमिक देने के लिए महार की वतन जमीनों की जूड़ी में की गई वर्तमान वृद्धि उल्लिखित संकल्प का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

39. संकल्प में जूड़ी बढ़ाने की शक्ति पर दो सुभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं। वे

हैं – (1) जूड़ी धन जुटाने अर्थात् सरकार का साधारण वित्त जुटाने के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी, और (2) जूड़ी तभी बढ़ाई जाएगी जब आफिशियेटर का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। अतः मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है – क्या महार की वतन पर जूड़ी महार ओफिशियेटर का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो मैं मान लेता हूं महार की भूमियों पर जूड़ी की वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वीकृत रूप से, महार की भूमि पर जूड़ी की वृद्धि का आशय भीलों, रमोशियों और अन्य ग्राम सेवकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करना है। अब किसी भी प्रकार की कल्पना से अथवा वतन विषयक विधि के किसी भी दूरगामी अर्थ द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि भील, रमोशी और अन्य निम्न ग्राम सेवक ओफिशियेटर गांव के महार वतनदारों के बदले कार्य कर रहे हैं।

40. भीलों, रमोशियों और अन्य निम्न ग्राम सेवकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक की व्यवस्था करने के लिए जूड़ी बढ़ाने की इस नीति को कार्यान्वित करते समय, लगता है कि यह भुला दिया गया कि वतन एक्ट के अधीन प्रत्येक वतन एक सुभिन्न और पृथक वतन है ; कि पृथक वेतन पृथक वतन के साथ संबद्ध है, इन पृथक्–पृथक् वतनों के फायदे उन परिवारों द्वारा पृथकतः उपभोग्य हैं जो उस वतन के वतनदार हैं और यह कि एक वतन का वतनदार पदधारित करने के अपने अधिकार को तथा वतन संपत्ति पर अधिकार को किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता जो उसी वतन का वतनदार नहीं है। पाटिलकी वतन महारकी वतन से भिन्न है और ये दोनों कुलकर्णी वतन से भिन्न थीं जब वह अस्तित्व में थीं। पाटिल पाटिल की वतन में अपना अधिकार महार को अंतरित नहीं कर सकता और न ही महार पाटिल को अंतरित कर सकता है। वतन जमीन पर जूड़ी उसी वतन के वतनदारों के लिए काम करने वाले ओफिशियेटर के पारिश्रमिक में वृद्धि का भुगतान करने के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह नियम इस विधिसम्मत विधि का एक नियम मात्र है कि ऐसे व्यक्ति को, जो उसी वतन का वतनदार नहीं है, वतन संपत्ति का अंतरण करना अवैध है। महारों को देने के लिए पाटिल की वतन पर जूड़ी में वृद्धि करना सरकार के लिए संभव नहीं हो सकता था। इसी प्रकार पाटिल को देने के लिए कुलकर्णी वतन पर जूड़ी उगाहना सरकार के लिए संभव नहीं हो सकता था। उसी वजह से मेरा निवेदन है कि भीलों, रमोशियों और अन्य निम्न ग्राम सेवकों को देने के लिए महारकी वतन जमीनों पर सरकार कर अधिरोपित नहीं कर सकती।

41. उपरोक्त आधारों पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार की ओर से यह जूड़ी उगाहना अत्यंत मनमानी और गैर–कानूनी कार्रवाई है।

42. इस संबंध में, मैं महामहिम के समक्ष ऐसी वस्तुस्थिति प्रस्तुत करना चाहता हूं जो महारों के पारिश्रमिक के विषय में इस प्रेजिडेन्सी के कुछ क्षेत्रों में विद्यमान है। महारों का पारिश्रमिक तीन स्रोतों से आता है। वे हैं – (1) इनाम जमीन, (2) ग्रामवासियों से बलूता जो ग्रामवासी द्वारा महार को वस्तु के रूप में प्रति वर्ष दिया जाता है, और (3) सरकारी खजाने से नकद भुगतान। प्रथम और अंतिम स्रोत हर जिले में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे अनेक जिले हैं जिनमें दूसरा अर्थात् बलूता पूरी प्रेजिडेन्सी में पाया जाता है और महारों के पारिश्रमिक का प्रमुख तरीका है। ऐसे गांवों की संख्या किसी भी तरह कम नहीं है। बेलगांव जिले में 317, बीजापुर जिले में 543, धारबाड जिले में 572 और शोलापुर में 463 गांव हैं जिनमें कोई जमीन नहीं है और जिनमें आमदनी का मुख्य स्रोत बलूता है जो गांववासियों से इकट्ठा किया जाता है। थाणा, कोलाबा और रतनगिरी जिलों में भी यही स्थिति है। उन गांवों की यह सूची जिनमें बलूता महारों के पारिश्रमिक का एकमात्र स्रोत है, पूरी नहीं है। लेकिन उपलब्ध आंकड़ों से यह साफ है कि कुछ गांवों में महार मुख्यतः बलूता पर निर्भर रहते हैं, दूसरे गांवों में वे अपने पारिश्रमिक के लिए पूरी तरह इसी पर निर्भर रहते हैं।

43. महारों को पारिश्रमिक देने के एक ढंग के रूप में बलूता के संबंध में, मैं सबसे पहले महामहिम का ध्यान पारिश्रमिक के इस ढंग के विद्वेषपूर्ण स्वरूप की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। महार सरकारी सेवक होते हैं। सरकार उनसे सेवा लेती है, लेकिन उनके पारिश्रमिक के लिए सरकार उन्हें ग्रामवासियों के पास भेजती है। सरकारी सेवकों के साथ इस तरह का व्यवहार करना अपमानजनक नहीं तो बड़ा विचित्र समझा जाएगा। यह परिपाटी निश्चय ही किसी भी सरकार के लिए अशोभनीय है जो अपने आपको सभ्य कहती है।

44. बलूता की इस विद्वेषपूर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप महारों के पारिश्रमिक के विषय में उनके साथ घोर अन्याय होता है। सरकार महारों का कुल पारिश्रमिक नियत करने के लिए ग्रामवासियों द्वारा महारों को दिए जाने वाले बलूता को अपने हिसाब में लेती है। लेकिन यह सार्वजनीत अनुभव है कि महारों को बलूता कभी नहीं मिलता। कारण प्रकट है। महारों और ग्रामवासियों में संबंध कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहता। ऐसा कोई गांव

नहीं है जिसमें महारों और ग्रामवासियों में मतभेद न हो। अक्सर यह होता है कि महारों और ग्रामवासियों में संबंध मैत्रीपूर्ण रहते हैं और महार पूरा साल ग्रामवासियों एवं सरकार के लिए इस आशा में काम करते हैं कि उन्हें ग्रामवासियों से बलूता मिलेगा। लेकिन फसल पकने के समय पर कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे महारों और गांव वालों में तनाव हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि ग्रामवासी महारों को उनका बलूता देने से इंकार कर देते हैं। बलूता देने से बचने की उनकी सहज इच्छा के साथ–साथ महारों और ग्रामवासियों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। प्रेजिडेन्सी के समस्त गांवों में यह एक–सी स्थिति है और इसी के कारण बलूता व्यवस्था नाकाम रही है। परिणामस्वरूप, महार इस आशा में काम करता है कि बलूता मिलेगा, लेकिन बलूता उसे कभी नहीं मिलता। महार के पास बलूता के संदाय के लिए विवश करने की कोई शक्ति नहीं है। वह गांव में अलपसंख्यक होता है और पूरी तरह गांव पर निर्भर रहता है। इस परस्पर झगड़े में नुकसान उसी का होता है। यह अन्याय सरकारी अधिकारियों के आचरण के कारण असह्य होता है। वे महारों से सेवा करवाते हैं लेकिन ग्रामवासियों से बलूता वसूलने में कभी भी उनकी मदद नहीं करते। कानून में एक प्रावधान है जिसके द्वारा राजस्व प्राधिकारियों को बलूता को नकद भुगतान में बदलने और भू–राजस्व के साथ ग्रामवासियों से उसे वसूलकर महारों को देने की शक्ति है। लेकिन बहुत सारे सरकारी अधिकारी ग्रामवासियों के नाराज हो जाने के डर से महारों को इस अन्याय से छुटकारा दिलाने की इन शक्तियों का प्रयोग करने से बराबर मना कर देते हैं।

45. एक समय बलूता व्यवस्था सभी ग्राम सेवकों पर लागू होती थी। यह पाटिल और कुलकर्णी एवं महारों को लागू होती थी। लेकिन सरकार ने सन् 1844 से पाटिल और कुलकर्णी के संबंध में बलूता व्यवस्था बंद कर दी और उसके स्थान पर सरकारी खजाने से नकद भुगतान की व्यवस्था लागू की। इसका कारण यह बताया गया कि पाटिल और कुलकर्णी, अपने प्राधिकार के बल से, ग्रामवासियों से बलूता के उनके कोटे से अधिक वसूल कर सकते थे। यदि पाटिल और कुलकर्णी को बलूता भुगतान की व्यवस्था समाप्त करने का कारण सही कारण था तो उसे महारों पर लागू न करने का कारण बेहतर कारण है। पाटिल और कुलकर्णी अधिक वसूली करने के लिए काफी शक्तिशाली थे। महार इतने कमजोर हैं कि वे कुछ

भी वसूल नहीं कर सकते। ऐसा लगता है, सरकार ने केवल ग्रामवासियों के हित के बारे में सोचा। उसने महारों के हितों के बारे में कभी नहीं सोचा। यदि उसने सोचा होता तो वह महारों के संबंध में भी बलूता के रूप में पारिश्रमिक की इतनी मूल्यवान व्यवस्था को समाप्त कर देती अथवा महारों को बलूता की समय से अदायगी कराने के लिए कोई व्यवस्था करती। सरकार की ओर से महारों को ग्रामवासियों जैसे तीसरे पक्ष द्वारा अदा किए जाने पर छोड़ देना गलत है, क्योंकि ग्रामवासियों और महारों के बीच कोई सीधा संवेदात्मक संबंध विद्यमान नहीं है, और साथ ही वह यह पक्का करने के लिए कोई दबाव डालने के लिए तैयार नहीं था कि तीसरे पक्ष द्वारा अदायगी की जाए।

46. इसलिए यह सवाल प्रासंगिक है। पाटिल से बलूता पर आश्रित रहने के लिए नहीं कहा जाता है। कुलकर्णी को भी बलूता पर आश्रित रहने के लिए विवश नहीं किया जाता था जब वह ग्राम सेवक था। तब असहाय महार से ही यह क्यों कहा जाता है कि सरकार की सेवा करे और भुगतान के लिए गांव वालों की तरफ देखे जबकि उसे लागू करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है ? अब समय आ गया है कि सरकार महारों को पारिश्रमिक देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उनके साथ न्याय करे।

47. जहां तक पारिश्रमिक के स्रोत के रूप में नकद भुगतान का संबंध है, महारों के पारिश्रमिक के रूप में सरकार द्वारा नियत धनराशि इतनी निम्नतम है जितनी कल्पना की जा सकती है। यह रकम 1869 के आसपास कभी नियत की गई थी। उन दिनों नियत अन्य सरकारी सेवकों की पारिश्रमिक राशि समय–समय पर काफी मात्रा में बढ़ाई गई है। महारों के साथ निष्पक्षता और न्याय की दृष्टि से इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उनके पारिश्रमिक में वृद्धि लंबे समय से देय है।

II. निम्न ग्राम सेवकों के कार्यों (duties) में वृद्धि

48. बम्बई सरकार ने राजस्व विभाग का संकल्प सं. 7420/33, तारीख 13.9.1938 पारित किया। उसमें इस प्रेजिडेन्सी में महारों, मंगों और वेठियाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची दी गई है। इन कार्यों से उनके ऊपर असह्य बोझ आ गया है जो इन वतनदारों के लिए सहन करना असंभव है। सरकारी संकल्प में विहित कार्यों के बारे में हरेगांव सम्मेलन में काफी कटु आलोचना हुई। सम्मेलन में पारित संकल्पों में, जो इस ज्ञापन

के साथ संलग्न है, सरकार द्वारा विहित कार्यों के प्रति निम्न ग्राम सेवकों की आपत्तियों का उल्लेख है।

49. इन वतनदारों की दलील है कि दैनिक मजदूरी के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक के बिना, मद सं. 1, 3, 5, 9, 13 और 19 पर सूचीबद्ध कार्य करने के लिए न कहा जाए। जब कभी उनसे ये कार्य करने की अपेक्षा की जाए तो उन्हें कम से कम 6 आने दिए जाएं। इसमें, मुझे विश्वास है, वे न्याय की बात करते हैं। मुझे इस प्रांत के वतनदारों से अनेक शिकायतें मिली हैं कि गांव और ताल्लुका अधिकारी उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी निजी सेवा करें जैसे प्राईवेट चिट दूर गांव तक ले जाना। इसका बहाना यह है कि ऐसी सेवा भी ऊपर वर्णित किसी न किसी मद के अंतर्गत आती है। इस संबंध में मेरा यह भी विनम्र निवेदन है कि प्रायः सभी सरकारी अधिकारियों को, मुख्यालय से बाहर जाने पर, यात्रा और निर्वाह भत्ता दिया जाता है। अतः यह न्यायसंगत होगा कि जब कभी इन वतनदारों से अपने गांव के बाहर जाने के लिए कहा जाए, उन्हें उसमें होने वाले अतिरिक्त खर्च की पूर्ति करने के लिए उचित भत्ता भी दिया जाना चाहिए।

50. उल्लिखित सरकारी संकल्प में वर्णित ड्यूटी सं. 2 के बारे में इन वतनदा. रों का कहना है कि वह ड्यूटी खातेदारों को ''बटकी'' और ''दावंडी'' नाम से पुकारने तक सीमित रहनी चाहिए और इसका विस्तार अक्खड़ खातेदारों के पीछे बार–बार दौड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। इस संबंध में, मैं महामहिम महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि अनेक उदाहरण ऐसे हैं जब वतनदारों को अक्खड़ खातेदारों द्वारा हमला किए जाने और उन्हें फंसाये जाने की जोखिम उठानी पड़ती है। इन सब आकस्मिकताओं से बचने का एक ही उपाय है जैसाकि ऊपर प्रस्तावित किया गया है।

51. उल्लिखित सरकारी संकल्प में वर्णित ड्यूटी सं. 7 के संबंध में वे छूट चाहते हैं। इस ड्यूटी के अधीन वतनदार गांव में जन्म और मृत्यु संबंधी जानकारी ग्राम अधिकारियों को देने के लिए बाध्य हैं। निम्नलिखित कारण ाों से, इन वतनदारों को इस काम से छूट दी जानी चाहिए और संबंधित व्यक्तियों को गांव में जन्म और मृत्यु की सूचना ग्राम पाटिल को देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए जैसाकि सभी नगरपालिका क्षेत्रों में किया जाता है। कभी–कभी तथाकथित सवर्ण ग्रामीणों द्वारा वतनदारों का बहिष्कार

कर दिया जाता है और उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाता। ऐसे मामलों में, वतनदारों के लिए आवश्यक जानकारी विशेषकर गांव में जन्म और मृत्यु की जानकारी हासिल करना असंभव हो जाता है और परिणामस्वरूप वतनदारों को, बिना किसी गलती के, जुर्माने से दंडित किया जाता है।

52. उक्त संकल्प की ड्यूटी सं. 15 के अनुसार, वतनदारों से अपेक्षित है कि वे लावारिस शवों को हटायें। मेरी राय में, यह काम पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए। अतः वतनदारों को यह सेवा करने से छूट दी जानी चाहिए।

III. उपसंहार

53. अंत में, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञापन में अंकित शिकायतों का समाधान अनिवार्य है। मुझे महारों से अब तक वसूल की गई जूड़ी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। नासिक जिले के आंकड़ों से जो मुझे दिए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अकेले नासिक जिले में नई नीति के अधीन अब तक महार की जमीनों पर वसूल की गई जूड़ी की राशि प्रतिवर्ष 2,201 रु. 4 आने 11 पैसे है। इसके कारण भारी तनाव उत्पन्न हो गया है और मुझे डर है कि यदि इन शिकायतों को दूर नहीं किया गया तो वतनदार महार हरेगांव सम्मेलन में पारित पिछले संकल्प के अनुसार हड़ताल पर जा सकते हैं। मैंने उन्हें इस आशा में हड़ताल टालने के लिए कहा था कि सरकार अपनी नीति बदलेगी और उनके साथ न्याय करेगी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए मैं महामहिम से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस सवाल को तात्कालिक मानकर उस गलती को सुधारें जो सरकार द्वारा चलाई गई नीति के अनुसार इन वतनदारों के साथ की गई है। यदि इस नीति से प्रभावित महार वतनदार हड़ताल पर चले गए अथवा अपनी संपत्ति की कुर्की से जूड़ी वसूली के विषय में संघर्ष पर उतरे, जैसाकि मुझे कुछ स्थानों पर संघर्ष शुरू होने की खबर मिली है, इसका उत्तरदायित्व अकेले सरकार पर होगा, क्योंकि महार वतनदारों के पास यह कहने का आधार होगा कि वे सांविधानिक साधनों से अपने शिकायतें दूर करवाने की कोशिश कर चुके हैं और नाकाम रहे हैं।

54. मैं, सादरपूर्वक, आग्रह करूंगा कि निम्न ग्राम सेवकों के बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति निलंबित की जानी चाहिए। इसमें उठने वाले मुद्दे बहुत बड़े हैं और उन पर मतभेद हैं। वे मुद्दे महामहिम के सलाहकारों की, चाहे वे कितने भी सक्षम हों, कार्यपालक कार्रवाई से तय नहीं किए

जा सकते। ये सभी पक्षों द्वारा अपना पक्ष रखने का मौका मिलने के बाद विधायिका की राय से तय हो सकते हैं। विधानमंडल के निलम्बन के कारण अब यह संभव नहीं है। लेकिन सवाल पुराना है और इसके समाधान में समय लग सकता है। मुझे पक्का विश्वास है कि महार और अन्य निम्न ग्राम सेवक उचित और सहमति से किए गए समाधान के लिए इंतजार करना पसंद करेंगे।

सादर,

महामहिम का पूर्ण आज्ञाकारी सेवक

बी. आर. अम्बेडकर

राजगृह दादर

हिन्दू कालोनी,

बम्बई – 14

14 जुलाई, 1941

परिशिष्ट–I

हरेगांव सम्मेलन में पारित संकल्प

संकल्प सं. 1 :

वतनदार महार और मंग, वेठिया तथा अन्य निम्न ग्राम सेवकों का सम्मेलन प्रांत में हाल में लागू की गई महार इनाम जमीन पर जूड़ी बढ़ाने की नीति का विरोध करता है। इस नीति के अंतर्गत, जूड़ी में बहुत ज्यादा वृद्धि, पहले से गरीबी से ग्रस्त वतनदार महारों और मंगों पर लाद दी गई है और सम्मेलन की मांग है कि उस नीति को तुरंत वापस लिया जाए तथा उसके अनुसार लगाई गई लेवी रद्द की जाए क्योंकि उक्त नीति हेयरडिटेरी विलेज आफिसेज एक्ट में अंतर्निहित सिद्धांतों के विपरीत है तथा कठोर और अनुचित भी है।

संकल्प सं. 1क :

यह सम्मेलन संकल्प करता है कि सा.नि. सं. 7420/33, रा. वि. तारीख 13 सितम्बर, 1938 में उन कार्यों की सूची दी गई है जो महारों और मंगों द्वारा किए जाने हैं और यह असह्य बोझ अधिरोपित करता है जिसे सहन करना वतनदारों के लिए असंभव है। सम्मेलन की राय है कि इन वतनदारों से दैनिक मजदूरी के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए बिना, मद सं. 1, 3, 5, 9, 13 और 19 पर सूचीबद्ध कार्य करने की अपेक्षा न की जाए और जब कभी उनसे इन कार्यों को करने की अपेक्षा करे तो उन्हें कम से कम आठ आने दिए जाएं।

संकल्प सं. 1ख :

सम्मेलन की राय है कि इन वतनदारों को ड्यूटी सं. 15 का निर्वहन करने से छूट दी जाए क्योंकि सम्मेलन की राय में यह काम पुलिस का है।

संकल्प सं. 1ग :

इस सम्मेलन की राय है कि ड्यूटी सं. 2 गांव वालों को बटकी पुकारने तक सीमित रहनी चाहिए तथा इसका विस्तार अक्खड़ ग्रामवासी के पीछे–पीछे बार–बार दौड़ने के लिए नहीं होना चाहिए।

संकल्प सं. 2 :

इस सम्मेलन की राय है कि महार की वतन को उसी सिद्धांत पर संराशीकृत किया जाए जो 1863 में श्री गोर्डन द्वारा समाज के लिए उपयोगी ग्राम सेवक की

वतन पर लागू होता है और उन्हें सरकार तथा ग्राम समाज की सेवा करने की बाध्यता से मुक्त किया जाए।

संकल्प सं. 3 :

यह सम्मेलन सरकार की जानकारी में लाना चाहता है कि प्रेजिडेन्सी में ऐसे अनेक गांव हैं जिनमें महारों को मुफ्त सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है। साथ ही सम्मेलन इस बात पर जोर देता है कि सरकार के लिए यह आवश्यक और अत्यावश्यक है कि वह निम्न ग्रामसेवकों को पारिश्रमिक दिया जाना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। सम्मेलन इस मौके पर सरकार को चेता. वनी देता है कि यदि इस दिशा में छह माह में कोई कदम नहीं उठाए गए तो यह सम्मेलन ऐसे महारों को सरकार को कोई सेवा प्रदान करने से मना करने के लिए बाध्य होगा।

संकल्प सं. 4 :

यह सम्मेलन सरकार से सिफारिश करता है कि इस प्रांत के राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित निलम्बन आदेश और जुर्माने को पुनरीक्षित करने के लिए तथा इस समिति के फैसलों के अनुसार ऐसे आदेश को कार्यरूप देने के लिए प्रांतीय विधानमंडल में वतनदार महारों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाए।

संकल्प सं. 5 :

यह सम्मेलन बम्बई विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्राधिकृत करता है कि वे इस सम्मेलन में व्यक्त वतनदार महारों और मंगों की शिकायतों का अभ्यावेदन देने के लिए बम्बई के महामहिम गवर्नर के समक्ष उपस्थित हों।

संकल्प सं. 6 :

सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों को आवश्यक प्रभावी रूप देने के लिए यह सम्मेलन निम्नलिखित सज्जनों की एक समिति नियुक्त करता है और साथ ही यह सम्मेलन सलाह देने और ऐसी कार्रवाई करने के लिए जैसे संकल्प के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो, समिति को सशक्त करता है।

परिशिष्ट–II

बम्बई के सचिवालय में सलाहकार कक्ष II में तारीख 7 जून, 1940 को प्रातः 11 बजे आयोजित 23वें पिछड़ा वर्ग बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त से उद्धृत अंश

संकल्प सं. 6 :

यह बोर्ड महार इनाम जमीनों पर जूड़ी बढ़ाने की नीति जो बम्बई प्रांत में हाल में लागू की गई है, का कड़े शब्दों में विरोध करता है। इस नीति के द्वारा पहले ही गरीबी की मार झेल रहे वतनदार महारों, मंगों और वेठियाओं पर जूड़ी में अत्यधिक वृद्धि की गई है। उसकी मांग है कि इस नीति को तुरंत वापस लिया जाए और उसके अधीन वसूली जाने वाली लेवी रद्द की जाए क्योंकि यह नीति हेयरडिटेरी विलेज आफिसेज एक्ट में अंतर्निहित सिद्धांतों के प्रतिकूल है तथा कठोर और अनुचित भी है। श्री बी. के. गायकवाड़ के प्रस्ताव सं. 2 पर चर्चा हुई और उसे मामूली फेर–बदल करके संकल्प सं. 7 के रूप में, अंगीकार किया गया। दैनिक भत्ते की दर के संबंध में सुझाव दिया गया कि महार और वेठिया को जब कभी सरकारी काम करने के लिए उनके गांव से बाहर भेजा जाए तो उन्हें 6 आने दैनिक भत्ता दिया जाना चाहिए।

(श्री बी. के. गायकवाड़)

संकल्प सं. 7 :

यह बोर्ड संकल्प करता है कि राजस्व विभाग के सरकारी संकल्प सं. 7420/33, तारीख 13.9.1938 में उन कार्यों की सूची दी गई है जो महारों, मंगों और वेठियाओं को करने होते हैं। यह उन पर असह्य बोझ डालता है जो उनके वतनदारों के लिए सहन करना असंभव है। इसलिए बोर्ड की राय है कि इन वतनदारों से दैनिक मज. दूरी के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक अदा किए बिना मद सं. 1, 3, 5, 9, 13 और 19 पर सूचीबद्ध कार्य करने की अपेक्षा न की जाए। जब कभी उनसे इन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाए तो उन्हें कम से कम छह आने दिए जाएं :–

(क) बोर्ड की राय है कि वतनदारों को ड्यूटी सं. 15 करने से छूट दी जाए क्योंकि बोर्ड की राय में यह ऐसी ड्यूटी है जो पुलिस द्वारा की जानी चाहिए।

(ख) बोर्ड की राय है कि ड्यूटी सं. 2 खातेदारों की ''बटकी'' या ''डवंडी'' बुलाने

तक सीमित होना चाहिए, इसका विस्तार अक्खड़ खातेदारों के पीछे–पीछे दोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए।

(ग) बोर्ड की राय है कि वतनदार महारों, मंगों और वेठियाओं को ड्यूटी सं. 7 करने से छूट प्राप्त होनी चाहिए तथा जन्म और मृत्यु की जानकारी ग्राम पाटिल को देने के लिए संबंधित व्यक्तियों को विवश किया जाना चाहिए जैसाकि सभी नगरपालिकाओं में किया जाता है।

(श्री बी. के. गायकवाड़)

संकल्प सं. 8 :

बोर्ड सरकार की जानकारी में लाना चाहता है कि बम्बई प्रांत में ऐसे अनेक गांव हैं जिनमें महारों, मंगों और वेठियाओं को बिना किसी पारिश्रमिक के सरकारी सेवा करने के लिए बाध्य किया जाता है।

इसलिए बोर्ड सरकार से यह प्रबल सिफारिश करता है कि निम्न ग्राम सेवकों को उचित और पर्याप्त पारिश्रमिक दिए बिना उनसे किसी सेवा की मांग न की जाए।

परिशिष्ट–III

निम्न ग्राम सेवकों के कर्तव्य

बम्बई सरकार

राजस्व विभाग

संकल्प सं. 7420/33 N. D.

बम्बई केसल, 13 सितम्बर 1938 C. D.

आयुक्त को सरकारी ज्ञापन सं. 7420/एफ./33, ता. 27 जनवरी, 1938 S. D.

आयुक्त, एन. डी. का पत्र सं. डब्ल्यू. टी. एन. 1062, तारीख 25 फरवरी, 1938

आयुक्त, सी. डी. का पत्र सं. डब्ल्यू. टी. एन. सं. 2/27, तारीख 22 मार्च, 1938

आयुक्त एस. डी. का पत्र सं. डब्ल्यू. टी. एन. सं. 860/– , तारीख 26 अप्रैल, 1938

संकल्प : सरकार से बारम्बार अनुरोध किया गया है कि सरकार के लिए उपयोगी निम्न ग्राम सेवकों के कर्तव्यों को परिनिश्चित किया जाए ताकि वे यह ठीक–ठीक जान सकें कि उनसे क्या अपेक्षित है और उनसे सरकारी अधिकारियों की वैयक्तिक सेवा न करवाई जाए। सरकारी परिपत्र ज्ञापन ; राजनीतिक और सुधार विभाग सं. 1581/34, तारीख 25 अगस्त, 1937 के पैरा 5 में आदेश जारी किए गए हैं कि सरकारी सेवक कोई भी वैयक्तिक सेवा पारिश्रमिक दिए बिना स्वीकार न करें। इसके साथ संलग्न विवरण में निम्न ग्राम सेवकों के विभिन्न वर्गों के कर्तव्य वर्णित हैं।

2. सरकार के ओरियंटल अनुवादक से अनुरोध किया जाए कि वह उस विवरण का गुजराती, मराठी, कन्नड़ और उर्दू में अनुवाद कर दें तथा उन अनुवादों को मुद्रण के लिए गवर्नमेन्ट सैंट्रल प्रेस के प्रबंधक को भेज दें। प्रबंधक उन अनुवादों की मुद्रित प्रतियां आवश्यकतानुसार कलक्टरों को दिलवायें, जो उसे इस संकल्प की तारीख से एक माह के भीतर सीधे संप्रेषित की जाएं। मुद्रित अनुवादों की प्रतियां प्रत्येक तलटी और पाटिल को दी जानी चाहिए। अनुवाद की एक प्रति हर गांव चावड़ी में मुख्य स्थान पर रखी जानी चाहिए। जिन गांवों में चावडियां नहीं हैं उनमें अनुवाद की प्रति किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

3. प्रेस प्रोफार्मा एकाउंट के प्रयोजन के लिए, अनुवादों के मुद्रण का खर्च ''25 साधारण प्रशासन'' शीर्ष में डेबिट विकलित किया जाए।

बम्बई के गवर्नर के आदेश से –
एम. जे. देसाई,
सरकार के उप सचिव

सरकारी संकल्प, राजस्व विभाग, सं. 7420/33, ता. 13 सितंबर, 1938 का संलग्नक

निम्न (अवर) ग्राम सेवकों के विभिन्न वर्गों के कार्यों की सूची दर्शाने वाला विवरण महारों, धेड़ों, वेठियाओं, भंगियों और माधवियों के कार्य

(1) सरकारी प्रेषण उप कोषागार तक ले जाना।

(2) गांव वालों को सरकारी शुल्क देने के लिए चावड़ी में बुलाना।

(3) ग्राम दफ्तर को तालुका कचहरी ले जाना और वहां से लाना।

(4) गांव में सरकारी रकम और कार्यालय अभिलेख तथा सरकारी शुल्क की वसूली के लिए कुर्क की गई संपत्ति की चौकसी करना।

(5) सरकारी तापल तालुका कार्यालय को ले जाना और वहां से लाना तथा सरकारी डाक अधिकारियों को दौरे पर ले जाना जहां परिवहन की सुविधा है।

(6) फसल और सीमांकन निरीक्षण के समय ग्राम अधिकारियों तथा दौरा करने वाले अधिकारियों के साथ जाना और अधिकारियों तथा अन्य यात्रियों को मार्ग दिखाना।

(7) जन्म और मृत्यु की खबर ग्राम अधिकारियों तक पहुंचाना।

(8) करस्थम की गई (डिस्ट्रेन्ड) चल संपत्ति को ग्राम चावड़ी पर ले जाना।

(9) उन व्यक्तियों को बुलाना जिन पर नोटिस आदि तामील किए जाने हैं तथा मजिस्ट्रेट, पुलिस आदि द्वारा जारी किए गए समन की तामील करने में पुलिस पाटिल की सहायता करना।

(10) चैन और क्रास स्टाफ, सपाट मेज और मापने के अन्य उपकरणों को सरकारी काम के लिए खेत पर ले जाना।

(11) रात के समय पुलिस पाटिल और पुलिस के साथ जाना जहां इस काम को करने के लिए जाग्ला नियुक्त नहीं हैं।

(12) सरकारी आदेशों को ढोल बजाकर गांव में प्रसारित करना।

(13) परिबद्ध किए गए पशुओं को आवश्यकता पड़ने पर नीलामी के लिए कचहरी ले जाना।

(14) बालकों को टीका लगवाने के लिए इकट्ठा करने में वेक्सीनेटर (टीका लगाने वाला) की सहायता करना।

(15) गांव में मिले लावारिस शवों के निपटान में मदद करना और जब कभी पुलिस द्वारा मदद मांगी जाए तो मरणोत्तर परीक्षा के लिए शवों को हटाने में पुलिस की मदद करना।

(16) दुर्घटना मृत्यु और आग तथा महामारी और एपिक्सूटिक्स फैलने की दशा में पुलिस पाटिल की मदद करना।

(17) आपराधिक जनजातियों के सदस्यों और अपराधियों की गतिविधियों की रिपोर्ट देना तथा अपराधों के अन्वेषण तथा निवारण में पुलिस की सहायता करना।

(18) पुलिस पाटिल की हिरासत में कैदियों पर चौकसी रखना।

(19) गांव में शिविर कार्यालय लगाना।

रमोशियों या रावणियाओं और वरतानियों के कार्य

(1) भू—राजस्व संग्रहण के समय चावड़ी में उपस्थित रहना।

(2) प्रेषण सामग्री तालुका मुख्यालय ले जाते समय महारों और धेड़ों के साथ जाना।

(3) गांव में सरकारी काम के लिए ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों को सहायता देना।

(4) सरकारी शुल्क की वसूली के लिए कुर्क की गई संपत्ति की चौकसी करना।

(5) वसूली मौसम में, आवश्यक होने पर गांव वालों को बुलाना।

(6) रात में पहरा देना और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रात की ड्यूटी पर पहरा देते समय, अपराध का पता लगाने के समय तथा दुर्घटना मृत्यु पर मृत्यु समीक्षा के समय पुलिस की मदद करना।

(7) चोरी और अन्य अपराधों को रोकने में सहायता करना।

(8) आपराधिक जनजातियों और कुख्यात अपराधियों की गतिविधियों की और

दांडिक अपराधों तथा दुर्घटनाओं आदि के बारे में पुलिस पाटिल को रिपोर्ट देना।

(9) ग्राम अधिकारियों के दफ्तर ढोना।

(10) भू–राजस्व की वसूली के समय ग्राम अधिकारियों की सहायता करना।

(11) फसल निरीक्षण के समय ग्राम अधिकारियों के साथ जाना।

(12) पुलिस पाटिल की हिरासत वाले व्यक्तियों पर चौकसी रखना।

चौगुलाओं और नाइकवाडियों के कार्य

(1) ग्राम अधिकारियों के दफ्तर ढोना।

(2) भू–राजस्व की वसूली के समय ग्राम अधिकारियों की सहायता करना।

(3) फसल निरीक्षण के समय ग्राम अधिकारियों के साथ जाना।

(4) गांव चावड़ी को स्वच्छ रखना और वहां लैम्प जलाना।

जाग्ल्याओं के कार्य

(1) रात में पहरा देना, आने–जाने वालों का पता लगाना, अजनबियों पर नजर रखना तथा सभी संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पुलिस पाटिल को रिपोर्ट देना।

(2) पदचिह्नों से चोर का पता लगाना।

(3) अपराध के अन्वेषण में पुलिस की सहायता करना।

(4) गांव से तालुका भेजने में प्रेषणों के साथ जाना।

(5) फसल और सीमा चिह्नों के निरीक्षण के समय ग्राम अधिकारियों के साथ रहना।

तलबदारों और कोलियों के कार्य

(1) चावड़ी में झाडू लगाकर उसे गोबर से लीपकर स्वच्छ रखना तथा उसमें लैम्प जलाना।

(2) फसल और सीमा चिह्नों के निरीक्षण के काम में ग्राम अधिकारियों की सहायता करना।

(3) सरकारी अधिकारियों के लिए, जब सार्वजनिक काम के संबंध में आवश्यक हो, उक्त गांव में उनके शिविर के समय बंदोवस्त करना।

सामदियों या बलीकरों, तालवारों, होल्करों और अग्रणियों के कार्य

(1) सरकारी मालगुजारी वसूली में ग्राम अधिकारियों की मदद करना।

(2) मजिस्ट्रेटों और पुलिस द्वारा जारी किए गए समन तामील आदि करने में पुलिस पाटिल की मदद करना।

(3) ग्राम अभिलेखों और सार्वजनिक धन, या ''मुद्देइमाल'' पर तब पहरा देना जब कभी गांव में ऐसा करने का मौका हो।

(4) कोषागार के प्रेषणों या धन को तालुका या महाल उप कोषागार ले जाते समय रक्षा प्रदान करना।

(5) गांव का और दौरा करने वाले अधिकारियों की डाक जगह–जगह ले जाना जहां उसके परिवहन के लिए कोई अन्य सुविधा नहीं है।

(6) गांव में रात को पहरा देना।

(7) पुलिस पाटिल की हिरासत वाले कैदियों का पहरा देना।

(8) दौरा करने वाले अधिकारियों को पैदल चलकर गांव–गांव में वहां तक रास्ता दिखाना जहां सड़कें नहीं हैं और जहां तक पर्याप्त दिशा देने के लिए कम से कम दूरी तक, आवश्यक हो।

(9) जन्म–मृत्यु की जानकारी पुलिस पाटिल को देना।

(10) जब सरकारी कार्य के लिए उनकी आवश्यकता हो तो ग्रामवासियों को चावड़ी में बुलाना।

(11) फील्ड निरीक्षण के समय ग्राम अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ जाना।

(12) टीका लगवाने के लिए बालकों को इकट्ठा करने में वेक्सीनेटर की सहायता करना।

(13) गांव से तालुका और तालुका से गांव ग्राम अभिलेख ढोना।

(14) सार्वजनिक कार्य के लिए गांव के दौरे पर आए ग्राम अधिकारियों की सहायता करना।

(15) ग्राम चावड़ी को स्वच्छ रखना।

(16) गांव में शिविर कार्यालय लगाना।

बार्करों के कार्य

(1) ग्राम चावड़ी को साफ–सुथरा रखना।

28

यदि .... तो मैं हिन्दुओं की अपेक्षा अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रहूंगा

वायसराय ने 27 जुलाई, 1941 को भारतीय रक्षा परिषद् का गठन किया। कुल तेरह सदस्यों में से आठ भारतीय थे। उनमें डॉ. बी.आर. अम्बेडकर परिषद के सदस्य थे। उन्होंने अंग्रेजों की कुनीतियों के बारे में अपने विचार प्रकट किए– संपादक

''मैंने इन अनेक वर्षों में हिंदू समाज और उनकी असंख्य बुराइयों की कटु और तीव्र आलोचना की है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि मेरी निष्ठा का शोषण मेरे अपने लोगों को कुचलने के लिए तथा उनसे अंतिम सूखी हड्डियां छीन लेने के लिए किया गया जो उनके जीवन–निर्वाह का साधन हैं, तो मैं हिंदुओं पर आक्रमण से भी सैंकड़ों गुणा ज्यादा कटु, ज्यादा तीव्र, ज्यादा घातक आलोचना अंग्रेजों की करूंगा।''

(टेन ईयर्स टु फ्रीडम, पृष्ठ 58–59)[1]

1. उद्धृत, खैरमोर, जिल्द 9, पृष्ठ 130।

29

दलित वर्गों को वायसराय की परिषद से बाहर रखना घोर अपमान और विश्वासघात है[1]

बम्बई, गुरुवार*

''दलित वर्गों के नेता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने श्री एल. एस. अमेरी, भारत के विदेश मंत्री को संबोधित एक तार में कहा है – ''दलित वर्ग स्वयं को वायसराय की पुनर्गठित परिषद से बाहर रखे जाने को घोर अपमान और विश्वासघात मानते हैं।''

तार में आगे लिखा है – ''आपके द्वारा 6 करोड़ दलित लोगों का निरादर करना और मुसलमानों को जो हिन्दुओं के लगभग बराबर हैं, 43 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देना विस्मयकारी है। ऐसा लगता है सरकार केवल कुछ समुदायों के पास बंधक रखी हुई है।

दलित वर्गों को भारतीय राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण सुभिन्न घटक के रूप में निष्ठापूर्वक मानने के बाद, इस बात का आग्रह करने के बाद कि संविधानिक परिवर्तनों में उनकी सम्मति अनिवार्य है, युद्ध में उनके सहयोग का शोषण करने के बाद उन्हें परिषद् से बाहर रखना आपके असद्भाव को दर्शाता है।

दलित वर्गों के हित और नाम में, विरोध प्रकट करते हुए, मैंने व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों से कभी भी सहायता नहीं मांगी, उस पर कभी निर्भर नहीं किया अथवा कभी भी सहायता नहीं ली। मैं भविष्य में उनके बिना काम कर सकता हूं। आप अपनी मर्जी से चुनाव कर सकते हैं।

मैं दलित वर्गों के लिए न्याय चाहता हूं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि दलित वर्ग परिषद् में प्रतिनिधित्व के अपने अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मेरा आपसे प्रबल आग्रह है कि उसे मान्यता दी जाए। परिषद् में एक सदस्य बढ़ाने से कोई परेशानी नहीं होगी।''

---

1. द फ्री प्रेस जर्नल, तारीख 1 अगस्त, 1941।

* 31 जुलाई, 1941।

30

पूरे भारत के दलित वर्गों के सभी नेताओं का सम्मेलन

बम्बई, 26 सितम्बर, 1941

''द यूनाईटेड प्रेस'' को ज्ञात हुआ है कि देश में दलित वर्गों की सारी ताकतों को एक राजनीतिक संस्था के अधीन एकजुट करने का फैसला कल बम्बई में आयोजित सभा में लिया गया है। वह संस्था साधिकार बात करेगी और महाराष्ट्र में दलित वर्गों की छह करोड़ आबादी के हितों का प्रतिनिधित्व करेगी। उसमें उपस्थित अन्य लोगों में समाज के नेता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, अखिल भारतीय राजनीति सम्मेलन के अध्यक्ष श्री पी. एन. राजभोग के नाम उल्लेखनीय हैं।

''यूनाईटेड प्रेस'' को यह भी ज्ञात हुआ है कि उस अधिवेशन में यह भी फैसला लिया गया कि अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में या तो बम्बई में या पूना में इस प्रयोजनार्थ डॉ. अम्बेडकर के मार्गदर्शन में पूरे भारत के दलित वर्गों के सारे नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। श्री राजभोज को प्रस्तावित सम्मेलन का संयोजक नियुक्त किया गया है। सम्मेलन की निश्चित तारीख और स्थान दलित वर्गों के नेता से परामर्श करके घोषित किए जाएंगे।

साथ ही यह भी ज्ञात हुआ है कि दलित वर्गों की प्रस्तावित संस्था उसी प्रकार एक स्थायी संस्था होगी जैसे मुस्लिम लीग या हिन्दू महासभा आदि अन्य राजनीतिक संस्थाएं हैं।

—यूनाईटेड प्रेस[1]

---

1. बम्बई, क्रोनिकल, तारीख 27 सितम्बर, 1941।

31

डॉ. अम्बेडकर और यहूदी लोग

पचास वर्ष पहले बम्बई में एक मासिक यहूदी प्रकाशन (द ज्युइश एडवोकेट, नवम्बर, 1941) के संपादक के साथ विशेष साक्षात्कार में भारत के अत्यंत आदरणीय नेता ने उस सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो वहां (फिलीस्तीन में) स्थापित की गई है, फिलीस्तीन में यहूदियों के पथप्रदर्शक प्रयासों के लिए उनकी खुलकर प्रशंसा की।

वे और कोई नहीं। वे थे ''भारतीय संविधान के निर्माता'' और भारत में दलित वर्गों के नेता, डॉ. अम्बेडकर।

डॉ. अम्बेडकर, जिनकी जन्मशताब्दी पूरे भारत में मनाई जा रही है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उन विरले व्यक्तियों में से थे जो इजराइल (उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन फिलीस्तीन) में यहूदी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक थे और परिणामस्वरूप उनसे सहानुभूति रखते थे।

यहूदी लोगों के साथ डॉ. अम्बेडकर के विशेष संबंधों को समझने के लिए सम्भवतः उसी वर्ष अर्थात् 1941 में 'बम्बई सेन्टीनल' में प्रकाशित उनका लेख– 'मोसेज एंड हिज सिगनिफिकेन्स' पढ़ना चाहिए। बिबलिकल नेता मोसेस विषयक एक लघु निबंध की इस अद्वितीय कृति में डॉ. अम्बेडकर यहूदी लोगों के प्रति अपने विशेष दृष्टिकोण के आधार को उजागर करते हैं। मैं यह मानता हूं कि इसे एक बार फिर से मुद्रित करना ही उचित होगा।

'' ओल्ड टैस्टामेंट में वर्णित यहूदियों की कहानी दिल को छूने वाली कहानी है। इस जैसी बहुत कम कहानियां हैं। यह सरल किन्तु रोमांचक भाषा में कही गई है। पराधीनता में अंतर्निहित करुणा और अन्ततोगत्वा यहूदियों का उत्थान उन लोगों की भावनाओं को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता जो उतने ही दलित हैं जितने यहूदी मिस्र में फराओ के काल में थे। लेकिन जो लोग दलित लोगों के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं उनमें से प्रत्येक का हृदय मोसेस पर न्यौछावर हो जाएगा। मोसेस ने यहूदियों के उद्धार में महती भूमिका निभायी थी।''

''मोसेस ने यहूदियों के लिए क्या नहीं किया ? वह उन्हें मिस्र से बाहर ले गए, बंधनों से बाहर ले गए, उन्होंने माउंट सिनई से टेन कमांडमेन्टस लाकर उनके धर्म की आधारशिला रखी। उन्होंने सामाजिक, सिविल और धार्मिक प्रयोजनों के लिए

उन्हें कानून दिए तथा डेरा बनाने के अनुदेश दिए।''

''मोसेस ने अनुयायियों के हाथों क्या कष्ट नहीं भोगा''? जब इजराइल के बालकों ने मिस्र छोड़ा और फराओं की सेना ने पीछाकर उन पर आक्रमण किया तो वे दुखी हुए और उन्होंने मोसेस से कहा– चूंकि मिस्र में कब्र नहीं हैं, इसलिए क्या आप हमें मरने के लिए दूर ले जा रहे हैं '? जंगलों में मरने से तो बेहतर था मिस्रवासियों की सेवा करना।''

''इजराइली चलते–चलते एलिम पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना डेरा डाला। वहां उन सबके लिए पर्याप्त पानी नहीं था। वे सब चिल्लाने लगे, हमें पानी दो, आप हमें मिस्र से बाहर किस लिए लाए हो, क्या हमें और हमारे बच्चों तथा हमारे जानवरों को प्यासे मारने के लिए यहां लाए हो ? वे उन पर पत्थर मारने के लिए तैयार थे क्योंकि वहां पानी नहीं था।''

''मोसेस माउंट सिनई पर गए और वहीं पर ठहर गए। यहूदी तुरंत आरों के पास गए और उनसे बोले, 'हमारे लिए ऐसा देवता बनाओ जो हमारे सामने आएं, क्योंकि इस मोसेस के लिए जो हमें मिस्र देश से बाहर लाया है,' हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि उसका क्या हो गया है।''

उनके नेतृत्व को भी चुनौती दी गई। ओल्ड टैस्टामेंट में लेखबद्ध है कि मरियम और आरों मोसेस के खिलाफ बोले थे, क्योंकि उन्होंने यूथोपियाई स्त्री से विवाह कर लिया था। उन्होंने कहा था – ''क्या ईश्वर केवल मोसेस के माध्यम से बोलते हैं ? क्या वह हमारे माध्यम से भी नहीं बोलते ?'' फिर भी मोसेस ने उनकी निन्दा, उनकी गालियां, झेलीं, उनकी अधीरता को सहन किया और पूरे दिल से उनकी सेवा की।

''जैसाकि ओल्ड टैस्टामेंट में सच कहा गया है, इजराइल में मोसेस जैसा कोई पैगम्बर नहीं हुआ जिन्हें ईश्वर से साक्षात्कार हुआ हो।' मोसेस यहूदियों के महान नेता ही नहीं थे बल्कि वे ऐसे नेता थे जिनके जन्म के लिए कोई भी दलित समुदाय प्रार्थना करेगा।''

''निष्क्रमणों की कहानी में और मोसेस के नेतृत्व में दूसरों की कितनी भी रुचि रही हो मेरे लिए वे नित्य प्रेरणा और आशा के स्रोत रहे हैं।''

''मुझे विश्वास है, जिस प्रकार यहूदियों के लिए आशा की जमीन थी उसी प्रकार दलित वर्गों की नियति में भी आशा की जमीन होगी। मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार

यहूदी अपनी आशा की जमीन पर पहुंचे थे उसी प्रकार अंत में दलित वर्ग भी अपनी आशा भूमि पर पहुंच जाएंगे।''

''मैं आज भारत में दलित वर्गों की वही हालत देखता हूं जो यहूदियों की मिस्र में दासता के दौरान थी। मोसेस के रूप में मुझे एक ऐसा नेता दिखाई पड़ता है, जिसे अपने लोगों के प्रति असीम स्नेह ने कठिनाइयों का सामना करने और तिरस्कार झेलने का अदम्य साहस प्रदान किया है।''

''मैं यह स्वीकार करता हूं कि यदि मुझे दलित वर्गों के उद्धार के प्रयास में कोई चीज प्रेरणा देती है तो वह मोसेस की कहानी है। मोसेस ने यहूदियों को दासता से मुक्त कराने का कृतघ्न, किन्तु महान कार्य, किया था।''

स्वाभाविक ही है, यहूदी लोगों ने डॉ. अम्बेडकर और उनके जीवन कर्म की हमेशा भूरिभूरि प्रशंसा की है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए उनका संघर्ष उन लोगों के दिलों पर छाया है जिन्हें अपनी आशा के देश अर्थात् इजराइल से निष्कासन से सैकड़ों वर्षों तक इस कारण भेदभाव और अत्याचार का कष्ट भोगना पड़ा था क्योंकि वे अपने यहां बहुसंख्यक लोगों से भिन्न थे।

हम इजराइल वासी आज तक इजराइल को पुनः राष्ट्रीय स्वदेश बनाने के संघर्ष में डॉ. अम्बेडकर के समर्थन के लिए गर्व करते हैं।

(सौजन्य : इजराइल से समाचार)''[1]

---

1. प्रजा बंधु, तारीख 30 दिसम्बर, 1991।

32

सरकार बनाने में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है

बम्बई, शनिवार*

''क्रोनिकल'' के प्रतिनिधि को दिए एक साक्षात्मकार में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस संबंध में, 25 नवम्बर को नई दिल्ली के संदेश का हवाला देते हुए कहा, ''बम्बई में सरकार बनाने में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है।'' उस संदेश में कहा गया था कि आगामी सप्ताह नई दिल्ली में ठहरने के दौरान डॉ. अम्बेडकर द्वारा उड़ीसा की भांति, बम्बई में सरकार बनाने के संबंध में, वायसराय से मुलाकात करने की उम्मीद है।

डॉ. अम्बेडकर ने यह भी कहा, ''इस सुझाव के लिए बिल्कुल भी कोई आधार नहीं है।''

नई दिल्ली के संदेश में आई इस खबर का कोई भी आधार प्रतीत नहीं होता कि ''कुछ व्यक्ति सरकार बनाने के संबंध में वायसराय से पहले ही मिल चुके हैं। सरकार बनाने के प्रयत्न से पहले यह आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी के संभव कमजोर बिन्दुओं को मालूम करने की दृष्टि से टोही लगाने होंगे। अभी तक कांग्रेस विधानमंडल दल के किसी भी सदस्य के अलग होने के विषय में किसी भी प्रयत्न के कोई संकेत नहीं हैं।

कांग्रेस हलकों में राय व्यक्त की जा रही है कि बम्बई में कभी भी उड़ीसा जैसी स्थिति नहीं होगी। कांग्रेस विधानमंडल दल के एक प्रमुख नेता का कहना है कि उसे पार्टी की एकजुटता के बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं है।''[1]

---

*. 29 नवम्बर, 1941।

1. बम्बई, क्रोनिकल, तारीख 30 नवम्बर, 1941।

33

हिन्दुत्व वैसे ही स्वरूप के जैसा .... है, राजनीतिक विचारधारा है

एक वक्तव्य में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा है –

जनरल चियांग काई–शेक ने ब्रिटिश शासन से अपील की है कि भारत के लोगों को वास्तविक राजनीतिक सत्ता, उनकी ओर से मांगों का इंतजार किए बिना, यथासंभव शीघ्र सौंप दी जाए। लेकिन उन्होंने उन कठिनाइयों का कोई हल नहीं बताया है जो ऐसे समापन के रास्ते में आ रही हैं। कठिनाई कांग्रेस द्वारा वायसराय की अगस्त घोषणा के इस मूल तत्व को स्वीकार न किए जाने से पैदा हुई है कि भारत के भावी संविधान पर भारत के राष्ट्रीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटकों की सहमति अवश्य ली जानी चाहिए। कांग्रेस किसी भी स्वस्थचित्त व्यक्ति से जो भारत में विद्यमान हालात के बारे में कुछ भी जानता है यह उम्मीद नहीं कर सकती कि वह देश का शासन मात्र इसलिए हिंदू बहुसंख्यकों को सौंपने के लिए राजी हो जाए कि वे बहुसंख्यक हैं। कांग्रेस यह भूल जाती है कि हिन्दुत्व वैसे ही स्वरूप की राजनीतिक विचारधारा है जैसी फासिस्ट और/या नाजी विचारधारा है और वह पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी है। यदि हिन्दुत्व को बढ़ावा दिया गया जैसाकि हिन्दुत्व बहुसंख्यक से अभिप्रेत है, तो इससे दूसरे लोगों की जो हिन्दुत्व से बाहर हैं और हिन्दुत्व के विरोधी हैं, प्रगति पर कठोराघात होगा। अकेले मुस्लिमों का ही यह दृष्टिकोण नहीं है, दलित वर्गों का एवं गैर ब्राह्मणों का भी यही दृष्टिकोण है।

प्रतिकारक मात्र

मेरे विचार में, ब्रिटिश सरकार के लिए निम्नलिखित घोषणा करना संभव हैः–

(1) प्रस्ताव है कि भारत को शांति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर डोमिनियन स्थिति दी जाए।

(2) उस लक्ष्य की शीघ्र पूर्ति के लिए भारत के राष्ट्रीय जीवन के घटकों से अपेक्षित होगा कि वे अपने सांविधानिक मतभेदों को दूर करने के लिए सहमति से किया गया समाधान विराम संधि पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करें।

(3) सहमति न होने पर ब्रिटिश सरकार विवाद को फैसले के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिकरण को प्रस्तुत करे, और

(4) ऐसा फैसला आने पर ब्रिटिश सरकार उसे भारत के लिए डोमिनियन संविधान के अंग स्वरूप प्रभावी रूप देने का काम करे।

उस घोषणा से सभी युक्तिवान लोग संतुष्ट होने चाहिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इससे श्री जिन्ना के दृष्टिकोण का तथा दलित वर्गों के दृष्टिकोण की भी तुष्टि हो जाएगी कि साम्प्रदायिक समस्या का समाधान सहमति से हो। इससे कांग्रेस के दृष्टिकोण की भी तुष्टि हो जाएगी कि ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय जीवन के किसी भी घटक को डोमिनियन संविधान के निर्माण पर विषेधाधिकार प्राप्त न हो। हम अभी युद्ध के बीच में हैं, यह तर्क घोषणा के खिलाफ नहीं है। यह वास्तव में उसके पक्ष में है।

हरिजन–मुस्लिम विवाद का कारण

क्या घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय सरकार बन जानी चाहिए ? यदि ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन कठिनाई यह है कि श्री जिन्ना की दो मांगें हैं– (1) एक अंतिम अर्थात् पाकिस्तान, (2) दूसरी तुरन्त अर्थात् कैबिनेट में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।

जब श्री जिन्ना कहते हैं कि मुस्लिम एक राष्ट्र है तो मैं पाकिस्तान की मांग को ठीक समझ सकता हूं। मैं झगड़े का कोई कारण महसूस नहीं करता। जब श्री जिन्ना कहते हैं कि मुस्लिमों को पाकिस्तान मिलना चाहिए क्योंकि वे एक राष्ट्र हैं तो मैं कहता हूं ले लीजिए, यदि आप हिन्दू आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसके द्वारा न छीन लें। हिन्दू आपकी अपनी विचारधारा के अनुसार एक भिन्न राष्ट्र हैं।

पाकिस्तान के बारे में मैं यह महसूस करता हूं कि श्री जिन्ना, लगता है, अंडे सेने से पहले ही मुर्गी के बच्चों की गिनती कर रहे हैं, और मेजबान के बिना उनका हिसाब लगा रहे हैं।

उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत इस पाकिस्तान का अत्यंत अभिन्न अंग है। श्री जिन्ना को यह अवश्य मानना होगा कि वह उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत के मेजबान नहीं हैं। मेजबान हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। उनकी सम्मति के बिना कोई पाकिस्तान नहीं बन सकता। पाकिस्तान के लिए तूफानी प्रचार करने के बजाय श्री जिन्ना को खान अब्दुल गफ्फार खान का मन बदलने में अपना समय और शक्ति लगानी चाहिए। तथापि, यह सोचना श्री जिन्ना का काम है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं पाकिस्तान की बात समझ सकता हूं।

भयंकर

लेकिन मैं मुस्लिम समुदाय के लिए 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की मांग नहीं समझ सकता। न ही मैं यह समझ सकता हूं कि यह 50 प्रतिशत की तुरंत मांग पाकिस्तान की अंतिम मांग से किस प्रकार संबद्ध है। मुझे विश्वास है कि मुस्लिम लीग की यह मांग एक भयंकर चीज है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि लार्ड लिंलिथगो ने इसे नामंजूर करके भारत की बहुत बड़ी सेवा की है।

निश्चय ही, मेरी राय है कि भारत में अंतरिम व्यवस्था के रूप में कोई राष्ट्रीय सरकार स्थापित नहीं होनी चाहिए, यदि इसका अर्थ है जिन्ना की 50 प्रतिशत की मांग को मान लेना। आखिरकार मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि राष्ट्रीय सरकार युद्ध के विषय में उससे ज्यादा क्या कर सकती है जितना किया जा रहा है। गलती पूरी तरह ब्रिटिश सरकार की है। उन्होंने शांतिकाल में भारत में संसाधनों को विक. सित करने का रास्ता नहीं अपनाया। इसलिए सरकार के लिए या राष्ट्रीय सरकार के लिए जो कुछ किया जा रहा है उससे अधिक करना असंभव है। यदि वह पूरी तरह विकसित हो जाती तो वह साम्राज्य की रक्षा कर सकती थी। अब वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती। उसे सन्निकट जापानी आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए इंग्लैंड की ओर देखना होगा, वस्तुतः वह देखने के लिए बाध्य है। ऐसी है उसकी असहाय अवस्था। रक्षा मंत्री के रूप में भारतीय की नियुक्ति अच्छी बात हो सकती है लेकिन क्या इतना काफी है ? यह समझना कठिन है कि रक्षा साधनों के बिना भारतीय रक्षा मंत्री क्या कर सकता है।

मुझे यह सोचना चाहिए था कि भारतीयों के लिए अधिक बुद्धिमत्तपूर्ण रास्ता यह होता कि वे इंग्लैंड से रक्षा के साधन भारत में भेजने के लिए कहते। इसी में भारत का तात्कालिक हित निहित है और इसमें इंग्लैंड का कर्तव्य भी निहित है। – ए. पी''[1]

---

1. द बम्बई क्रोनिकल, तारीख 26 फरवरी, 1942।

34

हम राष्ट्रीय जीवन में पृथक घटक हैं

जब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य बन गए तो लंदन के एक पत्रकार श्री बेवरली निकोलास ने उनका साक्षात्कार लिया। श्री बेवरली ने सन् 1944 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'वरडिक्ट ऑन इंडिया' में उनका साक्षात्कार छापा। उस साक्षात्कार में डॉ. अम्बेडकर के बारे में जो वैयक्तिक विचार प्रकट किए गए थे वे निम्न प्रकार थे – संपादक

'पचास के आसपास का एक आदमी अपने घर के बरामदे में एक लचीली कुर्सी में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। भारी भरकम शरीर, प्रगामी व्यक्तित्व, अत्यंत मोहक व्यवहार, लेकिन बलिष्ठ अपने जूतों के फीतों को कसते हुए। लगता था, चौकन्ना है, मानों सभी दिशाओं से व्यंग्यबाणों को झेलने को तैयार हों। ठीक है, आखिरकार यही तो उम्मीद थी।

इस प्रकार मेरी डायरी का अंश नीचे उद्धृत है :–

वह आदमी है डॉक्टर अम्बेडकर। क्षणभर में ही हम जानेंगे कि वह क्या है 'जिसकी उम्मीद ही थी'।

डॉ. अम्बेडकर भारत सरकार में श्रम सदस्य हैं। वह भारत में छह सर्वश्रेष्ठ मेधावीजनों में से एक हैं। वह विचारधारा के कूटनीतिज्ञ हैं, विशुद्ध यथार्थवादी। जब वह जनता के बीच बोलते हैं तो प्रेरक, सर्जक तथा मुद्दे से घबराये हुए। हिन्दू चार्ट की पिस्तौल की गोलियों की बौछारों से तुलना करते हुए।

परिणामस्वरूप, वह भारत में सर्वाधिक घृणा के पात्र व्यक्ति हैं।

और ऐसा क्यों है, 'केवल उम्मीद के अनुरूप है'। यह घबराहट – यह सुझाव देना कि वह आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे ?

ऐसा इसलिए क्योंकि 18 करोड़ सवर्ण हिन्दुओं की निगाह में डॉ. अम्बेडकर 'अछूत' हैं। ऐसा आदमी है जिसकी मेफेयर डिनर जैकट अगर उनकी धोती से छू भर जाए तो प्रदूषण फैल जाए। ऐसा प्राणी जिसके छूने से चरम रूढ़िवादी लोग ऐसे उड़ने लगें मानो वह कोई पेपर हो, कोई पिशाच हो जिसके मामूली संपर्क से बाध्य होकर वे निकटतम बाथ ट्यूब में समा जाएं और स्वयं को साबुन से धोयें और प्रार्थना करें तथा पूजा–अर्चना करें और बार–बार साबुन से धोयें, और प्रार्थना करें, ताकि

डॉ. अम्बेडकर (एम. ए. लंदन)* की गंदगी; डॉ. अम्बेडकर (कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उच्च सम्मान) की लाज–शरम, डॉ. अम्बेडकर (हीडलवर्ग में विशेष डिस्टिंकशन) की आफत और विपत्ति से मुक्त होकर उनकी आत्मा निर्मल और अजर–अमर हो जाए।' (पृ. 30)

डॉ. अम्बेडकर ने मुझ से कहा – 'मेरी नीति का मूलाधार यह है कि हम हिन्दुओं के अधीन नहीं हैं बल्कि हम राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक घटक हैं।'

'गांधी हमसे कहते हैं ''हम पर भरोसा करो – सवर्ण हिन्दुओं पर भरोसा करो' ! मेरा उत्तर – 'हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे खानदानी दुश्मन हैं।'

'हर गांव में अछूतों की कम आबादी है। मैं उन अल्पसंख्यकों को एकजुट करना चाहता हूं और उन्हें बहुसंख्यक बनाना चाहता हूं। इसका अर्थ है संगठन का विराट कार्य – आबादियों को स्थानांतरित करना, नये–नये गांव बनाना। लेकिन हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब हमें ऐसा करने दिया जाएगा।' (पृष्ठ 40)

'हम भी उतने ही प्रबल राष्ट्रवादी हैं जितने कोई भी कांग्रेसी। लेकिन हम अंगेजों को तब तक भारत से जाने देना नहीं चाहते जब तक हमारे अधिकारों की रक्षा न हो जाए। यदि वे भारत छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी नियति यूरोप के किन्हीं उत्पीड़ित लोगों की नियति से भी ज्यादा भयंकर होगी।

(वरडिक्ट ऑन इंडिया, पृष्ठ 41)क[1]

---

*. डॉ. अम्बेडकर ने एम.ए. और पी. एच. डी. की डिग्रियां कोलम्बिया विश्वविद्यालय से हासिल की थीं न कि लंदन से, लेकिन उन्होंने अपनी डी. एस. सी. डिग्री लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी – संपादक।

1. उद्धृत : खैरमोर, जिल्द 8, पृ. 36–39।

35

अनुसूचित जातियों की बस्ती बंटुओं की तरह बनाई जाएं

हैदराबाद (डकन) 22 अप्रैल, 1946'' : डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, श्रम सदस्य, भारत सरकार ने एक साक्षात्कार में विचार व्यक्त किया कि पृथक गांवों की अनुसूचित जातियों की मांग किसी पार्टी के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि देश में खेती योग्य बेकार जमीन के बड़े–बड़े क्षेत्र खाली पड़े हैं जहां कोई खेती नहीं हो रही है। उसे अनुसूचित जातियों को बसाने के लिए पृथक निश्चित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को कार्यरूप देने के लिए सरकार एक न्यास बना सकती है।

उनका विचार था कि वही लोग इस पर आपत्ति करेंगे जो अनुसूचित जातियों के लोगों को श्रम के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। वे मजदूर सारे गंदे काम करने के लिए उपलब्ध हैं और सबसे सस्ती दरों पर काम करने के लिए बाध्य किए जा सकते हैं। वे चाहेंगे कि यह दासता शाश्वत चलती रहे। अनुसूचित जातियां बम्बई और मद्रास जैसे प्रांतों में असह्य अवस्था में रहती हैं इसलिए उनके लिए पृथक गांव होना आवश्यक है।

डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि ये गांव समाज की सामाजिक इकाई होंगे न कि आर्थिक, इसलिए इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि इन पृथक गांवों की आर्थिक दुर्दशा हो जाएगी।

इन क्षेत्रों में बनी चीजें उन स्थानों पर भेजी जाएंगी जहां लोग उन्हें स्वीकार करेंगे।

जब डॉ. अम्बेडकर से पूछा गया कि क्या यह मांग पाकिस्तान क्षेत्रों पर भी लागू होगी तो उन्होंने कहा कि हां, लागू होगी। फिलहाल पाकिस्तान के बारे में कोई ठोस स्थिति नहीं है। ठोस आकार लेने के बाद ही पृथक गांव स्थापित करने का सवाल पैदा होगा।

उन्होंने कहा, अनुसूचित जातियों की स्थिति दक्षिण अफ्रीका के बंटुओं तथा अन्य जनजातियों के सदृश होगी। वह यह नहीं समझ पाए कि अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के उपाय भावी भारतीय संविधान में उसी प्रकार क्यों न किए जाएं जैसे बंटुओं की स्थिति में दक्षिण अफ्रीकी संविधान में किए गए थे– ए. पी.–।''[1]

---

1. द टाइम्स आफ इंडिया, तारीख 23 अप्रैल, 1946. ।

36

हिन्दुओं ने अनुसूचित जातियों को हमेशा हिन्दू समाज की परिधि से बाहर माना

इंग्लैंड से स्वदेश लौटने के कुछ ही समय बाद 20 नवंबर, 1946 को बम्बई में 'ग्लोब' को दिए अनन्य साक्षात्कार में डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कहा कि लंदन में दिए अपने वक्तव्य में फेर—बदल करने का उनके पास कोई कारण नहीं है। लंदन में डॉ. अम्बेडकर ने 5 करोड़ अछूतों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की धुंधली तस्वीर खींची थी तथा भविष्यवाणी की थी कि देश का भविष्य तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक उनके राष्ट्रीय जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वास्तविक गठबंधन द्वारा उनका नेतृत्व नहीं होगा।

जब डॉ. अम्बेडकर से पूछा गया कि क्या वह यह उचित मानते हैं कि श्री जिन्नाह के नवीनतम वक्तव्य की दृष्टि से और देश में असंतोष व्याप्त होने के कारण 9 दि. संबर के लिए नियत संविधान सभा का अधिवेशन स्थगित कर दिया जाए तो उन्होंने कहा कि, 'मेरे अनुसार सवाल यह है कि यदि मुसलमान संविधान सभा में अनुपस्थित रहें तो क्या संविधान सभा के पास कोई नैतिक प्राधिकार होगा। यदि मुसलमानों ने अनुपस्थित रहने का फैसला किया तो मैं नहीं जानता कि संविधान सभा तारीख 9 को या बाद में किसी तारीख को अधिवेशन करने पर कोई काम कर पाएगी।

कोई महत्व नहीं होगा

उन्होंने आगे कहा कि, ''जब तक हिन्दू यह नहीं मानेंगे कि उनके द्वारा बनाया गया संविधान केवल इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत होना संभव है कि जिस अधिवेशन में वे भाग ले रहे हैं उसे संविधान सभा कहते हैं, तो मुझे कोई आशा नजर नहीं आती कि संविधान सभा द्वारा, जो केवल हिन्दुओं से मिलकर बनी है, लिए गए फैसलों का कोई महत्व होगा।''

''क्या आपको ऐसा कोई ठोस मूलभूत आधार दिखाई पड़ता है जिसके अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलों में कोई समझौता हो सकता है ? उन दलों में अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं जिनका प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति फेडरेशन द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का डॉ. अम्बेडकर ने यह जवाब दिया, ''अनुसूचित जातियां और अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों अर्थात् हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच समझौते का आधार बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यदि कांग्रेस में सद्बुद्धि और उचित बुद्धि रहे।

अनुसूचित जातियां राजनीतिक रक्षोपाय चाहती हैं

''अनुसूचित जातियां केवल राजनीतिक रक्षोपाय चाहती हैं। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता,'' उन्होंने आगे बोलते हुए कहा, ''अनुसूचति जातियों की प्रमुख मांग यह है कि उनके पृथक निर्वाचकमंडल हों, कारण यह है कि उनके बिना वे सब राजनीतिक रक्षोपाय जो, दिए जाएं, बेकार हो जाएंगे।''

''जहां तक मैं समझता हूं, मुस्लिम लीग को अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचकमंडल पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल कांग्रेस को है जो हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती है, और यदि कांग्रेस पृथक निर्वाचकमंडल पर राजी हो जाए तो कांग्रेस और अनुसूचित जातियों के बीच किसी असहयोग का कोई कारण नहीं होगा।''

काँग्रेस–लीग अपार कठिनाइयां

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा, ''कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते के सवाल का आधार भिन्न है। आज उनके बीच बहुत विशाल प्रायः अपार मतभेद हैं। लीग देश से अलग होना चाहती है और कांग्रेस उसका विरोध करती है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस दूरी को कैसे कम किया जाए और मैं इस सवाल को कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर छोड़ता हूं। वे स्वयं इसका फैसला करें हालांकि भारतीयों के रूप में अनुसूचित जातियां समझौते की शर्तों में ही रुचि नहीं रखतीं बल्कि वे इससे काफी चिंतित भी हैं।''

ग्लोब का अगला सवाल था, एकता और समझदारी के हित में क्या आप अनुसूचित जातियों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का सुझाव दे सकते हैं ? क्या अनुसूचित जातियों के उन वर्गों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण देना संभव नहीं है जो कांग्रेस के प्रति राजनीतिक निष्ठा नहीं रखते ?'' इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि कांग्रेस राजी हो तो अनुसूचित जातियों को विधायिका, कार्यपालिका, सेनाओं में प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार दे दिया जाए तो पूरी इमानदारी के साथ, उनके लिए पृथक निर्वाचकमंडल दिए जाएं क्योंकि पृथक निर्वाचकमंडलों से ही अनुसूचित जातियों के लिए इस संभावना की गारंटी मिलेगी कि वे अपने उन सदस्यों को विधायिका में निर्वाचित करा पाएंगे जो विधायिका में और कार्यपालिका में, कभी ऐसा कुछ होने पर, जिससे अछूतों के मंजूरशुदा अधिकार निरर्थक हो जाएं, लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर माने जा सकें।

पार्टी अनुशासन से आबद्ध

पृथक निर्वाचकमंडल मंजूर किए बिना अनुसूचित जातियों को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना एक कपट है। जिसका अनिवार्यतः प्रभाव होगा एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना।

''ध्यान देने योग्य यह होगा कि कांग्रेस पूरे भारत में विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लोगों को अपने टिकट पर निर्वाचित करवाने में सफल रही है।'' डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा– ''लेकिन फिर भी उनमें से एक ने भी कभी अनुसूचित जातियों की शिकायतों को उठाने के लिए सवाल नहीं पूछा, संकल्प पेश नहीं किया, कोई प्रस्ताव सदन के पटल पर नहीं रखा। कारण यह है कि कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के अनुशासन से पूरी तरह आबद्ध होते हैं, और वे कार्रवाई करने के लिए आजाद नहीं होते।''

उन्होंने आगे कहा ''विधानमंडल में ऐसे प्रतिनिधि होने से अच्छा है कोई प्रतिनिधि न हो।''

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

''क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व इस विवाद का हल होगा, इस सवाल के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने इस सवाल पर विचार किया है और मेरा निष्कर्ष है कि इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि यदि विधानमंडल के सदस्यों की संख्या को अब विहित सीमा के अंतर्गत रखें अथवा जिसे युक्तियुक्त माना जाए, तो अनुसूचित जातियां उतने मतदाता नहीं जुटा पाएंगी जितने विधानमंडल में अपने स्वयं के आदमियों के चुनाव के लिए आवश्यक हैं।''

डॉ. अम्बेडकर ने आगे सवाल का जवाब दिया, ''क्या अनुसूचित जातियों के लिए यह संभव नहीं कि वे एक समान अधिकारों, विशेषाधिकारों के चार्टर के आधार पर तथा समस्त सामाजिक निर्योग्यताओं को हटाकर अपने आपको हिन्दू समाज में विलय कर लें।''

उन्होंने उत्तर दिया, ''हिन्दू समाज में अनुसूचित जातियों के विलय का सवाल वास्तव में हिन्दू समाज की इच्छा पर निर्भर करता है,''। अछूतों ने हमेशा चाहा है और इसकी कोशिश भी की है, लेकिन वे कभी भी हिन्दुओं के दृष्टिकोण को बदलने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हिन्दुओं ने उन्हें हमेशा हिन्दू समाज के घेरे से बाहर माना है। ''

हिन्दुओं में मिलाया जाना एक सपना है

''अनुसूचित जातियां अब यह समझ गई हैं कि हिन्दू समाज में अनुसूचित जातियों को मिलाना या मिलाया जाना एक निष्फल आशा है और मात्र एक सपना है। इसीलिए उन्होंने पृथक निर्वाचकमंडल की मांग करने का निश्चय किया है।

''यदि हिन्दू अनुसूचित जातियों को मंदिर और कैंटीनें खोलकर अपने में मिला सकते हैं, जो कि ऊपरी तरीके से नहीं जैसे वे चाहते हैं, बल्कि 'मिलाना' शब्द के वास्तविक और सारवान अर्थ में हो जैसे परस्पर शादियां और परस्पर खाना–पीना, तो अछूत उसके लिए हमेशा तैयार और तत्पर हैं।''

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा, ''उसी सवाल का एक दूसरा पहलू यह है कि अनुसूचित जातियों की राय में हिन्दू समाज में उनका विलय तभी आसान होगा जब अछूत उसी सामाजिक स्तर पर पहुंच जाएं जिस पर हिन्दू हैं। वर्तमान निम्नस्तरीय हालात में कोई भी हिन्दू, चाहे वह कितना भी समाज सुधारक हो, अछूत के साथ खान–पान की, आपस में शादी–ब्याह की सम्मति नहीं देगा, लेकिन यदि, राजनीतिक अधिकारों के परिणामस्वरूप, अछूत लोग बेहतर शिक्षा पा लेते हैं, अधिक उन्नत हो जाते हैं, तथा राज्य में अधिकारियों और प्रशासकों के पदों पर आसीन हो जाते हैं तो उनमें और हिन्दुओं में आपस में शादी ब्याह और खान–पान के अवसर और अधिक हो जाएंगे।

अज्ञानता, हठ

इस दृष्टिकोण से, जो राजनीतिक रक्षोपाय अछूतजन चाहते हैं, वे किसी भी अर्थ में, उन्हें अपने में मिलाने और विलय करने की हिन्दुओं की इच्छा के प्रतिकूल नहीं हैं। जब अछूतों के पृथक निर्वाचकमंडल होंगे तो यह समझना मुश्किल है कि हिन्दुओं को उन्हें सामाजिक दृष्टि से अपने समूह में मिलाने में कठिनाई क्यों होनी चाहिए। उन्हें आपस में शादी–ब्याह करने से और खान–पान करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अनुसूचित जातियों की पृथक निर्वाचक मंडलों की मांग के प्रति कांग्रेस का पूरा दृष्टिकोण अज्ञानता और हठधर्मिता पर आधारित है।'' पूज्य गोरडन लिविंग्सटन द्वारा हाल ही में दिए गए इस कथन पर कि अछूत लोग ईसाई धर्म अपना लें, टिप्पणी करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया था :

हिन्दुत्व में कमियां

अछूतों का चिंतक वर्ग इससे आश्वस्त है कि इस समय विद्यमान हिन्दुत्व अछूतों को आध्यात्मिक प्रकार का तालमेल और सामाजिक समरसता प्रदान नहीं करता, जैसाकि इस धर्म द्वारा लोगों को देना आशयित है।

''दूसरे, अनुसूचित जातियों के चिंतक वर्ग की राय है कि मनुष्यों को वैसे उखाड़ना आसान नहीं है जैसे कोई पौधा एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जा सकता हे। यह एक कठिन काम है और इसे साहसिक कार्य नहीं माना जा सकता। एक सुनियोजित कार्रवाई करनी होगी जिसके बनाने और कार्यरूप देने में समय लगेगा।

''तीसरे, अछूत लोग यह महसूस करते हैं कि संभवतः, हालांकि उनकी इस विषय में घोर आशंकाएं हैं, – हिन्दुत्व कालांतर में, अपने में इतना सुधार करे कि वह स्वीकार्य हो जाए, इसीलिए अछूत लोग यथावत बने रहने को तैयार हैं, बशर्ते कि इस बीच अस्पृश्यों को इतने राजनीतिक रक्षोपाय मिल जाएं जिससे हिन्दुत्व में अंतर्निहित क्रूरता, उत्पीड़न और अन्याय का मुकाबला किया जा सके जिसके शिकार ये इन सब युगों में रहे हैं और उन्हें आशंका है कि यदि अंतिम राजसत्ता बहुसंख्यक हिन्दुओं के हाथों में रही तो वे और भी अधिक कष्ट भोगेंगे। भारत के पूरी तरह स्वाधीन होने पर यही स्थिति होगी। यदि हिन्दू इस स्थिति को मानने से इंकार करते हैं और अस्पृश्यों को राजसत्ता नहीं देते हैं, जो वे चाहते हैं, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अछूतों द्वारा कोई धर्म ग्रहण किया जाना एक आपातकालिक मुद्दा बन जाएगा।

अछूतों के लिए कौन सा धर्म ?

''चौथे, यद्यपि अनुसूचित जातियों का चिंतक वर्ग हिन्दू धर्म छोड़ने को राजी है फिर भी मैं यह नहीं कह सकता कि इस बारे में कोई पूर्ण सहमति है कि कौन–सा धर्म अपनाया जाए। यह विषय अभी अंतिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है।

''अंततः, क्या ईसाइयों को 50,000,000 अछूतों को प्रारंभिक प्रशिक्षण काल के बिना अपने समाज में स्वीकार कर लेना चाहिए (जैसाकि पूज्य लिविंग्सटन का सुझाव था) इस बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग इस पर आपत्ति करते हैं वे यह समझते नहीं लगते कि अछूतों का धर्मान्तरण वास्तविक धर्मान्तरण के इतिहास में एकमात्र दृष्टांत होगा। आज ईसाइयों और गैर–ईसाइयों में धर्म केवल विरासत का

विषय है। ईसाई विरासत में अपने पिता की संपत्ति एवं अपने पिता का धर्म ग्रहण करता है। वह कभी भी ईसाई धर्म की तुलना दूसरे धर्म से करना बंद करके उसके आध्यात्मिक मूल्य के बारे में अपना निजी निर्णय नहीं देता। ऐतिहासिक दृष्टि से, ईसाइयों का धर्मान्तरण हमेशा विशाल पैमाने पर हुआ है। और उन आधारों पर धर्मान्तरण, जिनका धर्मान्तरण करने वाले अछूतों के आध्यात्मिक मूल्य को समझने से कोई लेना–देना नहीं है, उनका धर्म परिवर्तन विभिन्न धर्मों और उनके आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों की सूक्ष्म परीक्षा करके ही करवाया जाएगा। इसलिए कोई भी इस अंतःकरण पर संदेह न करे कि अछूतों का धर्मान्तरण वाणिज्यिक सौदे जैसी कोई चीज है। ऐसी बात नहीं है। यदि अछूतों को धर्मान्तरण करने से आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप के फायदों के अलावा कोई फायदे मिलते हैं तो वे प्रासंगिक फायदे होंगे न कि आपराधिक दुष्प्रेरण।'' ग्लोब''[1]

---

1. जय भीम (साप्ताहिक), तारीख 25 दिसंबर, 1946 ।

37

अनुसूचित जातियों का मामला संयुक्तराष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत हो

''बम्बई, 17 जनवरी, 1947

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की कार्य समिति ने आज एक संकल्प अंगीकार किया कि ''भारत में हिन्दुओं के द्वारा अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अत्याचारों के लिए उनके विरुद्ध मामला संयुक्त राष्ट्र सभा के समक्ष रखा जाए। समिति ने फेडरेशन के अध्यक्ष श्री एल. शिवराज की अध्यक्षता में आयोजित अपना दो दिवसीय अधिवेशन आज समाप्त किया।

समिति ने संयुक्त राष्ट्र् संघ के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया ज्ञापन अनुमोदित किया तथा फेडरेशन के अध्यक्ष को निदेश दिया कि सं. रा. सं. के सचिव को औपचारिक रूप से मामला प्रस्तुत करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाएं तथा इस प्रयोजनार्थ फेडरेशन का एक शिष्टमंडल संगठित किया जाए।

अन्य शिकायतों के साथ–साथ, ज्ञापन में यह भी कहा गया था कि ''हिन्दुओं के अत्याचारों तथा निरंतर और निर्लज्ज हिंसक कार्रवाई से अनुसूचित जातियों की स्थिति दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति से कहीं ज्यादा खराब है। ज्ञापन में यह भी शिकायत की गई कि ब्रिटिश सरकार अनुसूचित जातियों को संरक्षण और न्याय देने में नाकाम रही है तथा अनुरोध किया गया कि यू.एन.ओ. आवश्यक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के लिए दखल दे।''

भारत के भावी संविधान की रचना से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में कार्य समिति ने एक दूसरे संकल्प में घोषित किया कि फेडरेशन एक एकीकृत भारत और सुदृढ़ केंद्रीय सरकार'' की समर्थक है। संकल्प के अनुसार, फेडरेशन सभी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एवं भारत की सांविधानिक समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए समूहकरण संबंधी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी।''

समता संविधान का आधार होनी चाहिए

संकल्प में कहा गया था कि फेडरेशन भावी भारतीय संविधान के मूलभूत आधार के रूप में स्वतंत्रता और समता की समर्थक है। ''अनुसूचित जातियों के हित की लड़ाई लड़ते हुए और उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना'' फेडरेशन सभी अल्पसंख्यकों की न्यायसंगत और आवश्यक मांगों का समर्थन करती है चाहे वे किसी भी समुदाय के हों।''

कार्य समिति ने यह भी राय व्यक्त की कि ''यह भारत के हित में होगा कि वह डोमिनियन स्थिति से संतुष्ट रहे तथा उसे कुछ वर्षों के लिए मान ले जो भारत के स्वाधीनता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।''

अल्पसंख्यक समिति को ज्ञापन

कार्य समिति ने संविधान सभा के सदस्य डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए एक दूसरे ज्ञापन को भी अनुमोदित किया। इस ज्ञापन में भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए रक्षोपाय सुझाये गए हैं।

कार्य समिति ने संविधान सभा में फेडरेशन के प्रतिनिधियों को यह आग्रह करने का निदेश दिया कि, ''सांविधानिक रक्षोपायों की अंतिम मंजूरी केंद्रीय सरकार पर डाल देनी चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि, ''विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व पक्का (गारन्टीकृत) करने का एकमात्र तरीका पृथक निर्वाचक–मंडल हैं जिनके बिना दूसरे सभी रक्षोपाय निश्चय ही केवल कागज पर रह जाएंगे।''

समिति ने बम्बई नगर निगम के सदस्य श्री बी. जे. देवरुक्खड़ तथा आंध्र के दो अन्य अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं श्री हरी और डॉ. धर्मन्ना के निधन पर शोक प्रकट करने वाला संकल्प भी पारित किया।

डॉ. अम्बेडकर ने प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में फेडरेशन की कार्य समिति द्वारा पारित संकल्प को स्पष्ट किया और इस पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत की अनुसूचित जातियों के 8 करोड़ लोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मुद्दे पर अधिकारिता प्राप्त है जैसे यू. एन. ओ. को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के मामले पर अधिकारिता थी। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका में नीग्रो नेता पॉल डुआबोइस के संपर्क में हैं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार पॉल डुआबोइस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नीग्रो के मामले को यू.एन.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने बताया कि पॉल डुआबोइस संयुक्त राज्य अमेरिका में नीग्रो संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह अमेरिका में नीग्रो के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे।*

डॉ. अम्बेडकर ने, भारत में अनुसूचित जातियों के कष्टों का हवाला देते हुए, अमेरिका में नीग्रो की हालत से तुलना की जिनके साथ, उनके अनुसार, श्वेत अमरीकियों द्वारा वैसे ही अत्याचार किए जा रहे हैं जैसे सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जातियों के साथ।''

भारत के भावी संविधान की रचना की समस्या का विवेचन करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि उनके पास एक उत्तम तरीका है जिसके द्वारा एक पार्टी के बहुसंख्यक समुदाय की कार्यपालिका दूसरी पार्टी के अल्पसंख्यक समुदाय के हितों और भावनाओं की पूरी तरह अवहेलना करके नहीं बन पाएगी। उन्होंने अपनी स्कीम का विवरण प्रकट करने से इंकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्तमान संविधान के अधीन एक पार्टी के प्रमुख समुदाय ने प्रांत में प्रशासन पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार अल्पसंख्यक के साथ घोर अत्याचार किया। ''उन्होंने कहा जब एक प्रमुख समुदाय का प्रांत की सरकार की कार्यपालिका पर एकाधिकार हो जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय की असहाय स्थिति को भारत के भावी संविधान में कानूनी प्रावधान करके रोकना चाहिए।'' उन्होंने आगे कहा कि वह विभिन्न प्रांतों में तथा केंद्र में भी बड़े और छोटे समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित गठबंधन सरकार के समर्थक हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने अपना मत दोहराया कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत को डोमिनियन स्थिति से संतुष्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने घोषित किया कि भारत की स्वाधीनता के सवाल पर मेरा नजरिया पूरी तरह देश की रक्षा के दृष्टिकोण से जुड़ा है और मेरा पक्का विश्वास है कि ब्रिटेन की मदद के बिना भारत वर्तमान में अकेले अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। उन्होंने अंत में कहा कि यदि संविधान सभा मेरा तरीका अंगीकार कर लेती है तो भारत को भारत में तैनात ब्रिटिश सेना की मदद, ब्रिटिश नियंत्रण के बिना मिल सकती है।''[1]

---

*. इस वाक्य में कुछ शब्द अस्पष्ट हैं – संपादक।

1. जय भीम, तारीख 26 जनवरी, 1947।

38

मैं एटली का कथन समझ नहीं पाया

वायसराय कार्यपरिषद के पूर्व सदस्य और अनुसूचित जातियों के नेता डॉ. अम्बेडकर से ग्लोब के साथ एक साक्षात्कार में जब भारत के बारे में श्री एटली के कथन पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा, ''मैंने उसे नहीं पढ़ा है। वास्तव में, मैं उस कथन को समझ नहीं पाया।''

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा– ''उस कथन में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर मैं आश्वस्त होकर यह कह सकूं कि यह मुझे स्पष्ट है। उस कथन में कुछ भी सुस्पष्ट नहीं है। संभवतया, मेरी बुद्धि इतनी सीमित है कि मैं यह जान नहीं पाया कि यह कथन किस बारे में है।''

क्या अनुसूचित जाति के सिख अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के अभिन्न अंग हैं और यदि हैं तो पंजाब सरकार के खिलाफ लीग के प्रदर्शन में भाग लेने में उनका क्या उद्देश्य था, इस सवाल के जवाब में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या वे अनुसूचित जाति फेडरेशन के अंग हैं ? इसका जवाब स्वयं पंजाब के सिख बेहतर दे सकेंगे''– ग्लोब।[1]

---

[1] पुनर्मुद्रित, जय भीम, तारीख 16 मार्च, 1947.

39

अस्पृश्यों के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएं

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने जोगेन्द्र नाथ मंडल को संबोधित पत्र में अनुसूचित जातियों के रक्षोपायों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वह पत्र निम्न प्रकार हैं – संपादक

गोपनीय

भीमराव आर. अम्बेडकर	राजगढ़
एम.ए., पीएच.डी., डी.एससी.	दादर बम्बई–14
बैरिस्टर–एट–लॉ	बम्बई, 2 जून, 1947

प्रिय मंडल,

तारीख 30 मई, 1947 का आपका पत्र मुझे श्री मेशराम द्वारा कल दिया गया था। अफसोस है कि पिछला पूरा महीने मैं बाईं टांग में भयंकर दर्द के कारण बिस्तर पर पड़ा रहा और सार्वजनिक कार्यों में कोई सक्रिय रुचि नहीं ले सका। मैं संघीय संविधान समिति जिसमें मुझे नियुक्त किया गया है, में भाग लेने के लिए 4 तारीख को दिल्ली विमान से आना चाहता हूं। लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि मैं कितना चल पाता हूं। यदि डाक्टरों ने न चलने की सलाह दी तो मैं बंगाल विभाजन के सवाल पर अपने विचार आपकी जानकारी में लाऊंगा।

मैंने हमेशा महसूस किया है कि अंग्रेजों ने अनुसूचित जातियों को एक पृथक और स्वतंत्र पार्टी मानने से इंकार किया है। अनुसूचित जातियां विभाजन के सवाल के बारे में निश्चित तौर पर कुछ करने में असमर्थ हैं। वे न तो विभाजन करने को बाध्य कर सकती है और न ही विभाजन को रोक सकती हैं। अनुसूचित जातियों के सामने एक ही रास्ता है कि वे एकीकृत बंगाल में अथवा विभाजित बंगाल में अपने रक्षोपायों के लिए संघर्ष करें। मेरा भी यही मत है कि मुसलमान अनुसूचित जातियों के हिन्दुओं से बड़े मित्र नहीं हैं और यह कि यदि अपनी स्वयं की परिस्थितियों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की नियति अल्पसंख्या में रहना है तो चाहे हिन्दू बंगाल

हो या मुस्लिम बंगाल, एकमात्र उपाय हर संभव आपात स्थिति में रक्षोपायों के लिए संघर्ष करना है। आपके द्वारा बताये गए कारणों से यह संभव है कि अनुसूचित जातियां पूर्वी बंगाल में जहां वे हैं, विभाजन होने पर भी रहने का चुनाव करें। यह ठीक है कि मैंने हिन्दुओं को बता दिया है कि यदि विभाजन होता है तो जब दामोदर घाटी परियोजना फलीभूत हो जाए और पूर्वी बंगाल की अनुसूचित जातियां पश्चिमी बंगाल में जाने की इच्छा प्रकट करें तो उन्हें पूर्वी बंगाल की अनुसूचित जातियों के लिए पश्चिमी बंगाल में कुछ जमीन आरक्षित रखने के लिए सहमति देनी होगी। बहरहाल यह कुछ दूर की संभावना है। इस बीच, मैं इस बात पर सहमत हूं कि आप लीग के साथ मिलकर काम करें और उनके लिए पर्याप्त रक्षोपाय प्राप्त करें। अनुसूचित जातियों के राजनीतिक रक्षोपाय देने के लिए ईवलोक में हिन्दुओं के रवैये के बारे में मैं उतना निराश नहीं हूं जितने आप हैं। उनका मन साफ नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मेरे विचार में, वे उन सब रक्षोपायों पर राजी हो जाएंगे जो हम चाहते हैं। केवल एक ही बात का वे आग्रह करेंगे और वह है पृथक निर्वाचकमंडलों में कुछ फेर–बदल। बहरहाल, मुस्लिम लीग अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाच. कमंडल संभवतः इसलिए देने के लिए तैयार होगी कि वे अपने स्वयं के समुदाय के लिए पृथक निर्वाचकमंडल चाहते हैं। जहां तक पूर्वी बंगाल की अनुसूचित जातियों का संबंध है वह निःसंदेह एक फायदा है।

आपने मुझसे यह पूछा है कि आपको मुस्लिम लीग के समक्ष क्या मांगें रखनी चाहिएं। मैंने अपने ज्ञापन में कुछ मांगे निर्धारित की हैं। वह ज्ञापन छाप दिया गया है और अल्पसंख्यक समिति के सदस्यों को भेज दिया गया है। मेरे मतानुसार उस ज्ञापन में, केवल पूर्वी बंगाल में ही नहीं, बल्कि भारत के हर प्रांत में, हम अपनी संरक्षा के लिए जो कुछ चाहते हैं वह सब कुछ अंकित है। मेरे विचार में, मुस्लिम लीग के साथ अपनी बातचीत में आप इस ज्ञापन का भरपूर इस्तेमाल करें। निःसंदेह, आप इसमें, पूर्वी बंगाल में हमारे लोगों के लिए नए रक्षोपाय जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि वहां कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें ऐसे रक्षोपाय अपेक्षित हैं।

मुझे लखनऊ जेल में सत्याग्रहियों की दुर्दशा की जानकारी पहले ही मिल चुकी है। मैं जेल में सत्याग्रहियों की हालत देखने और उसका विवरण बताने के लिए अपने दो प्रतिनिधियों को लखनऊ भेज रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री, यू. पी. के पास भी संदेश

भेजा है। यह ठीक है कि हमारे अपने ही लोगों ने सत्याग्रह के रूप में यू. पी. की सरकार को चुनौती देकर, सत्याग्रहियों की रिहाई को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। लेकिन यदि अल्पसंख्यक समिति में हमारे रक्षोपायों के बारे में कोई समझौता हो जाता है तो मुझे, निःसंदेह, उनकी तुरंत रिहाई का सौदा कर लेना चाहिए।

सादर,

आपका

ह./– बी. आर. अम्बेडकर

माननीय श्री जे. एन. मंडल,

विधि सदस्य, भारत सरकार,

नई दिल्ली''[1]

1. खैरमोरे, जिल्द, 8 पृष्ठ 164–166।

40

भारतीय जनगणना

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 26 अक्तूबर, 1947 को भारतीय जनगणना के बारे में अपनी राय निम्न प्रकार व्यक्त की – संपादक

''कुछ दशकों से भारत की जनगणना का काम जनसांख्यिकी में बंद पड़ा हुआ है। यह राजनीतिक मसला बन गया है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक समुदाय अधिकाधिक राजसत्ता हथियाने की खातिर किसी दूसरे समुदाय की कीमत पर अपनी संख्या को कृत्रिम ढंग से ज्यादा दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा लगता है कि दूसरे समुदायों के संयुक्त लालच की तुष्टि के लिए अनुसूचित जातियों को सामान्य शिकार बनाया गया है। ऐसे अन्य समुदाय अपने प्रचारकर्ताओं या गणकों के माध्यम से जनगणना की क्रिया और परिणामों को नियंत्रित करने में समर्थ हैं।''[1]

1. खैरमोरे, जिल्द 10, पृष्ठ 22।
जगह का उल्लेख नहीं है – संपादक

41

पाकिस्तान की अनुसूचित जातियों को भारत आ जाना चाहिए

नई दिल्ली 27 नवम्बर, 1947

विधि मंत्री डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने आज जारी वक्तव्य में, उन्हें भारत आने का निमंत्रण देते हुए कहा –

''भारत में एकीकरण का विरोध करने के कारण निजाम सहानुभूति का पात्र नहीं है। मेरी चिंता यह है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ऐसे आदमी का पक्ष लेकर जो भारत का दुश्मन है, बिरादरी को बदनाम न करे।

पाकिस्तान में अपने अनुयायियों की स्थिति के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने उल्लेख किया कि मुस्लिम लीग और उसके अध्यक्ष ने अनुसूचित जातियों का तभी साथ दिया जब उनके लिए उपयोगी था। उनके साथ किए गए अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें भी पाकिस्तान से भारत आ जाना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर ने महसूस किया कि भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या इतनी बड़ी है और सुसंगठित है कि वे वर्तमान सरकार को प्रभावित करने में नाकाम नहीं हो सकते।

उन्होंने आगे यह भी कहा, ''मुझे पाकिस्तान और हैदराबाद से अनुसूचित जातियों की अनेकों शिकायतें मिली हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उन्हें उन कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करूं जिन्हें वे पाकिस्तान और हैदराबाद द्वारा उनके संबंध में अपनाई गई नीति के फलस्वरूप भोग रहे हैं। पाकिस्तान में स्थिति यह है कि उन्हें भारत नहीं आने दिया जाता। हैदराबाद में भी, उन्हें मुस्लिम आबादी में इजाफा करने की दृष्टि से इस्लाम धर्म अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हैदराबाद की अनुसूचित जातियों के दिलों में दहशत फैलाने की दृष्टि से इत्ते. हाद उल–मुस्लिमीन द्वारा, अछूतों के घर जलाकर, एक नियमित अभियान चलाया जा रहा है ताकि वे हैदराबाद में उत्तरदायी सरकार के आंदोलन में कभी भाग न लें और हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय के लिए बाध्य न करें।

खुला निमंत्रण

''मैं तो उन्हें भारत आने का निमंत्रण ही दे सकता हूं। भारत में अनुसूचित जातियों की वही अवस्था है जो पाकिस्तान में है। भारत में, उन्हें देश भर में सवर्ण हिन्दुओं

के अत्याचारों का शिकार बनाया जाता है। जबकि पाकिस्तान में, उनका बलपूर्वक धर्मांतरण करवाया जाता है। हिन्दुस्तान में उन्हें राजनीतिक परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता है। उन्हें कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए मजबूर किया जाता है और यदि वे उसके सदस्य बनने से मना करते हैं तो उनका बहिष्कार करके उनका जीना कठिन बनाया जाता है। विशेषकर यू.पी. में ऐसे मामले हुए हैं जहां अनुसूचित जातियों के साथ इतना अत्याचार और उत्पीड़न किया जाता है कि उन्हें जिन्दा जला दिया जाता है। पूर्वी पंजाब में अनुसूचित जातियों पर उन सिखों और जाटों द्वारा जो पश्चिम पंजाब से आए हैं अत्याचार और उत्पीड़न किया जा रहा है जो उतने ही असह्य हैं। पूरी तरह सवर्ण हिन्दुओं द्वारा नियंत्रित प्रशासन ने उन्हें तनिक भी सहायता देने के लिए कुछ नहीं किया है।

भारतवासी अनुसूचित जातियों की दुर्दशा के बावजूद मैं उन अनुसूचित जातियों से, जो आज पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, यह कहना चाहूंगा कि वे भारत आ जाएं। कांग्रेस पार्टी ने नये संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक राजनीतिक रक्षोपायों को इतना कमजोर बना दिया है कि वे व्यर्थ से भी बदतर हो गए हैं। फिर भी, हमारी संख्या इतनी अधिक है कि यदि हम सुसंगठित हो जाएं तो हम वर्तमान सरकार पर अपना प्रभाव अवश्य डाल सकते हैं।

मुसलमान दोस्त नहीं हैं

चाहे पाकिस्तान में हों या हैदराबाद में, अनुसूचित जातियों के लिए मुस्लिमों या मुस्लिम लीग में आस्था रखना घातक होगा। मुसलमानों को अपने दोस्त समझना अनुसूचित जातियों की केवल इसलिए आदत बन गई है क्योंकि वे हिन्दुओं को नापसंद करते हैं। यह गलत धारणा है। मुसलमान अनुसूचित जातियों का समर्थन चाहते थे लेकिन उन्होंने अनुसूचित जातियों को अपना समर्थन कभी नहीं दिया। श्री जिन्ना हमेशा दोहरी चाल चलते हैं। वे तभी इस पर बहुत जोर देते थे कि अनुसूचित जातियां एक पृथक पार्टी हैं जब उन्हें ऐसा उपयोगी लगता था, लेकिन जब उन्हें उपयोगी नहीं लगता तो वे बराबर जोर देकर कहते हैं कि वे हिन्दू हैं। मुस्लिम और मुस्लिम लीग जो मुसलमानों को यथासंभव शीघ्र शासी वर्ग बनाने के आवेश में हैं, अनुसूचित जातियों के दावे पर ध्यान नहीं देंगे। यह मैं अनुभव से कह रहा हूं।

जहां तक धर्मान्तरण का मुद्दा है, हम अनुसूचित जातियों को इसे हिंसा द्वारा बाध्य अंतिम अवलम्ब मानना चाहिए और जो लोग बल तथा हिंसा द्वारा अपना धर्म बदलें उनके लिए मेरा कहना है कि वे स्वयं को उस समूह में हमेशा के लिए

विलुप्त न मानें। मेरा वायदा है कि यदि वे वापस आना चाहेंगे तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि उनका वापस समूह में स्वागत हो और उन्हें उसी प्रकार बंधु माना जाए जिस प्रकार वे धर्मान्तरण से पूर्व माने जाते थे।

''हैदराबाद की अनुसूचित जातियों को किसी भी हालत में निजाम और इत्तेहाद–उल–मुस्लिमीन के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। हिन्दू लोग हमारे ऊपर कितने भी अत्याचार और उत्पीड़न करें हमें इससे गुमराह होकर और अपने कर्तव्य से विमुख करने के कारण निजाम सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। वह ऐसा करके स्वयं अपने हित के प्रतिकूल काम कर रहे हैं। वह यह नहीं समझते कि उनके वंशानुगत अधिकार तभी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे जब वे संघीय संविधान द्वारा गारंटीकृत होंगे। इस पर भारत के 90 प्रतिशत हिन्दुओं की स्वीकृति होगी, लेकिन तब नहीं जब वे इत्तेहाद–उल–मुस्लिमीन पर आश्रित होंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि अनुसूचित जातियों का कोई भी सदस्य उसके पक्ष में जाकर जो भारत का दुश्मन है, बिरादरी को बदनाम न करे।''
– ए.पी.आई.''[1]

---

1. द नेशनल स्टेंडर्ड, तारीख 28 नवम्बर, 1947।

42

अनुसूचित जातियों के शरणार्थियों की उपेक्षा

विभाजन के बाद, बंगाल में तथा पंजाब में, हिन्दू– मुसलमानों में इतने भयंकर साम्प्रदायिक झगड़े हुए जो पहले कभी नहीं देखे गए। दोनों समुदायों को भीषण नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन उस मनमुटाव के दुष्परिणाम उन क्षेत्रों में रहने वाले असंख्य अछूतों को झेलने पड़े। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को अनेक पत्र मिले जिनमें हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों और जाटों के हाथों अछूतों द्वारा भोगे गए कष्टों का उल्लेख किया गया था। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को एक पत्र (तारीख 18 दिसंबर, 1947) लिखा और उन्हें अछूतों के दुखों की जानकारी दी तथा अनुसूचित जाति के शरणार्थियों को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया – संपादक

''नई दिल्ली,

18 दिसंबर, 1947

प्रिय श्री जवाहर लाल,

मुझे अनुसूचित जातियों के उन निष्क्रांतों से जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं जिनका पाकिस्तान सरकार पता लगा रही है और उनसे अनेक शिकायतें मिल रही हैं। तथा जिन्हें भारत नहीं आने दिया गया है। और मैं यह महसूस करता हूं कि समय आ गया है कि मैं आपका ध्यान उनके कष्टों की ओर आकृष्ट करूं। क्या हो रहा है और क्या किया जाना अपेक्षित है इस पर जानकारी देने के लिए मैं नीचे उनके दुःखों के कारणों और उन उपायों का उल्लेख कर रहा हूं जो उनके कष्ट दूर करने के लिए किए जाने चाहिएः–

(1) पाकिस्तान सरकार अनुसूचित जातियों को अपने राज्यक्षेत्र से बाहर निकलने से हर संभव तरीके से रोक रही है। मुझे इसका कारण यह प्रतीत होता है कि वे चाहते हैं कि अनुसूचित जातियां पाकिस्तान में रहकर निम्न काम करें और पाकिस्तान के भूमि धारक लोगों के लिए भूमिहीन मजदूरों के रूप में काम करें। पाकिस्तान सरकार खास तौर पर झाड़ूकश लोगों (भंगियों) को निरुद्ध करने के लिए चिंतित हैं जिन्हें उसने 'अनिवार्य सेवा के व्यक्ति' घोषित कर दिया है और जिन्हें वे एक माह की सूचना दिए बिना छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

(2) एम. ई. ओ. नामक संगठन ने उन अनुसूचित जाति के शरणार्थियों की, जो पाकिस्तान से निकलने के उत्सुक हैं, मदद करने में कुछ उपयोगी भूमिका निभायी है। किन्तु मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार एम. ई. ओ. को उन अनुसूचित जातियों से सीधे संपर्क करने की इजाजत नहीं दे रही है जो वहां से निकलना चाहते हैं। परिणामस्वरूप, अनुसूचित जातियों को निकालने की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है और कुछ जगहों पर तो यह प्रक्रिया बंद पड़ी है। मुझे यह भी बताया गया है कि एम. ई. ओ. अति शीघ्र बंद होने वाला है। यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान से अनुसूचित जातियों का निकल पाना नितांत असंभव होगा।

(3) अतः निम्नलिखित कदम उठाये जाने आवश्यक हैं :—

(i) पाकिस्तान सरकार से कहा जाए कि वह अनुसूचित जातियों के निकलने के रास्ते में अड़चनें पैदा न करे।

(ii) एम. ई. ओ. को अनुसूचित जातियों से सीधे सम्पर्क करने और उन्हें निकालने की इजाजत दी जाए।

(iii) एम. ई. ओ. को तब तक कायम रखा जाए जब तक सारी अनुसूचित जातियां पाकिस्तान से न निकल जाएं।

(4) अभी तक राहत और पुनर्वास मंत्रालय ने पश्चिमी पंजाब के लिए अनुसूचित जातियों में से केवल एक अधिकारी नियुक्त किया है। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों, जैसे उत्तर—पश्चिम सीमा प्रांत सिंध और भावलपुर को छोड़ दिया गया है तथा उनके लिए कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। मंत्रालय को निदेश दिया जाए कि वह इन क्षेत्रों के लिए तुरंत नियुक्तियां करे ताकि विशेष अधिकारी पाकिस्तान क्षेत्र का भ्रमण करके उन स्थानों का पता लगाए जहां अनुसूचित जातियों के लोगों को पाकिस्तान सरकार द्वारा निकलने नहीं दिया जा रहा है।

II

जहां तक उन अनुसूचित जातियों का संबंध है, जो पाकिस्तान से पूर्वी पंजाब आए हैं, उन्होंने भी शिकायतें भेजी हैं। ये शिकायतें संख्या में उनसे कहीं ज्यादा हैं जो पाकिस्तान में रोक रखे गए लोगों से मिल रही हैं। उनका सारांश नीचे दिया जा रहा है :—

(i)

(1) जो अनुसूचित जातियों के निष्क्रांत पूर्वी पंजाब आ गए हैं और वे भारत सरकार द्वारा स्थापित शरणार्थी कैंपों में नहीं रह रहे हैं। कारण यह है कि इन शरणार्थी शिविरों के प्रभारी अधिकारी सवर्ण हिन्दू शरणार्थियों और अनुसूचित जाति शरणार्थियों में भेदभाव करते हैं।

(2) ऐसा लगता है कि राहत और पुनर्वास विभाग ने यह नियम बनाया है कि जो शरणार्थी राहत कैम्पों में रहते हैं उन्हीं को राशन, कपड़ा आदि मिल सकता है। ऊपर बताए गए कारणों से राहत कैम्पों में न रहने के कारण अनुसूचित जातियों के शरणार्थी कोई राहत नहीं पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी मुश्किल है।

(3) चूंकि भेदभाव नहीं रोका जा सकता इसलिए नियम में फेरबदल करना आवश्यक है ताकि शिविरों से बाहर रहने वाले अनुसूचित जाति शरणार्थी भी उसी प्रकार और उतनी राहत के हकदार हो जाएं जितनी शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों को मिलती है।

(ii)

(1) पूर्वी पंजाब की सरकार द्वारा किए गए भूमि आबंटन में अनुसूचित जाति के हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। चूंकि पूर्वी पंजाब का प्रशासन पूरी तरह सवर्ण हिन्दुओं के हाथों में है इसलिए या तो अनुसूचित जाति निष्क्रान्तों के पुनर्वास में निजी रुचि रखने के लिए कोई नहीं है अथवा पूर्वी पंजाब सरकार की जानकारी में यह लाने के विशेष कार्यभार के साथ कि अनुसूचित जातियों के हितों की अनदेखी की जा रही है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोई एजेन्सी नहीं है।

(2) अतः यह आवश्यक है कि भारत सरकार पूर्वी पंजाब में काम करने के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त करे जिन्हें यह देखने का विशेष कार्य दिया जाए कि भूमि का आबंटन निष्पक्ष रूप से किया जाए तथा अनुसूचित जाति शरणार्थियों को उनका उचित हिस्सा मिले।

(3) मैंने माननीय श्री नियोगी को उन व्यक्तियों की सूची दे दी है जो इस काम के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं और जो मेरी जानकारी के अनुसार, इस काम को करने के लिए सर्वाधिक योग्य हैं।

(4) (क) यह एक कड़वा सच है कि सिख और जाट, जिनका पूर्वी पंजाब में बहुत प्रमुख स्थान है, उन अनुसूचित जातियों को जो पूर्वी पंजाब के निवासी हैं, उनके मूल मकान खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि उनके मकानों और जमीनों को अपने कब्जे में लिया जा सके। अनुसूचित जातियां सिखों और जाटों के अत्याचार और उत्पीड़न से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि पूर्वी पंजाब में मजिस्ट्रेट और पुलिस पूरी तरह सिख और जाट हैं जो एकदम स्वभावतः दोषियों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे उनके निकट संबंधी हैं, और वे अनुसूचित जातियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते।

(ख) इसलिए यह नितांत अनिवार्य है कि पूर्वी पंजाब की सरकार को सिविल पुलिस में अनुसूचित जाति के कम से कम 300 व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए बाध्य किया जाए। हाल ही में, अखबारों में छपा है कि पूर्वी पंजाब सरकार ने अपने पुलिस बल में अनुसूचित जाति के कोई 300 लोगों को भर्ती किया है। पूछताछ करने पर पता चला कि यह भर्ती सीमा सुरक्षा बल के प्रयोजनार्थ की गई है न कि साधारण सिविल पुलिस बल के लिए। अनुसूचित जातियों को अपनी रक्षा के प्रयोजनार्थ पूर्वी पंजाब की सिविल पुलिस में भर्ती चाहिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि पूर्वी पंजाब के सिविल पुलिस बल में अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति भर्ती नहीं किया गया है।

(5) (क) पूर्वी पंजाब की भू–राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम वासियों को दो वर्गों अर्थात् जमींदारों और कमीनों में बांटा गया है। जमींदारों के प्रवर्ग में, वे परिवार शामिल हैं जिन्हें गांव की सीमा के अंदर स्थित भूमि पर अनन्य मालिकाना हक है। कमीनों को अपने गांव में स्थित जमीन खरीदने या मालिक बनने का अधिकार नहीं है। जिस जमीन पर उनके मकान बने हैं वह भी जमींदारों की है। इसके परिणामस्वरूप, सब जमींदार मिलकर कमीनों को मकान गिराकर गांव छोड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार हर गांव के कमीन लोग जमींदारों की कृपा पर रहते हैं। पूर्वी पंजाब में सभी गांवों में अनुसूचित जातियों को कमीनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए वे पूरी तरह गांव के जमींदारों की चाकरी करते हैं।

(ख) इसलिए यह आवश्यक है कि पूर्वी पंजाब सरकार से कहा जाए कि वह अपनी भू–राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करके इस भेदभाव को मिटाये और इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था के समान बनाया जाए जिसके अंतर्गत सारे गांववासियों को जमीन के मालिक बनने के संबंध में बराबरी का हक दिया जाता है।

(6) (क) पूर्वी पंजाब प्रांत में, लैण्ड एलियेनेशन ऐक्ट अर्थात् भूमि अन्य संक्रामण अधिनियम लागू है जिसका उद्‌देश्य कृषकों को सूदखोरों से बचाना है। लेकिन इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता कि यह अत्यंत दोषपूर्ण कानून है क्योंकि इसमें कृषक की ऐसी परिभाषा दी गई है जो साम्प्रदायिक है और अधिभोगपरक नहीं है। इस कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति उस समुदाय का है जो सरकार द्वारा कृषक समुदाय घोषित किया गया हो तो वह कृषक है। पूर्ववर्ती पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों को कृषक समुदाय घोषित न करने का विशेष ध्यान रखा था हालांकि अनुसूचित जाति का हर सदस्य या तो किसान है या खेतीहर मजदूर है। परिणाम यह हुआ कि पूर्वी पंजाब में अनुसूचित जातियां भू–संपत्ति खरीदने या अर्जित करने से विवर्जित हैं तथा अपनी आजीविका के लिए हिन्दू, सिख और जाट भू–स्वामियों पर आश्रित रहकर भूमिहीन मजदूर की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हैं। यह कानून एक नृशंस कानून है और मेरे विचार में इसे स्टेट्‌यूट बुक में नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

(ख) पूर्वी पंजाब सरकार को 'कृषक' शब्द की परिभाषा को संशोधित करके उसे अधिभोगपरक बना देना चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति और धर्म कुछ भी हो, खेती से अपनी आजीविका कमाता है वह कृषक बन जाए और भू–संपत्ति खरीदने तथा अर्जित करने के लिए हकदार हो जाए।

मैंने अनुसूचित जातियों की उन सब कठिनाइयों का उल्लेख कर दिया है जो मेरी जानकारी में लाई गई हैं। साथ ही उन उपचारों का भी उल्लेख कर दिया है जिनके अपनाए जाने से, मेरी राय में, उन कठिनाइयों का निराकरण हो जाएगा। कुछ उपचार भारत सरकार के हाथ में हैं और शेष पूर्वी पंजाब सरकार के हाथ में हैं। यदि भारत सरकार के पास इच्छा–शक्ति है तो कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता कि ये उपचार उसके द्वारा लागू न किए जा सकें। उन उपचारों के संबंध

में भी जो पूर्वी पंजाब सरकार के अधिकार में हैं, भारत सरकार को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। जब पुनर्वास का खर्च भारत सरकार अदा कर रही है तो उसे पूर्वी पंजाब सरकार को ऐसे उपाय विशेष अपनाने के लिए विवश करने का नैतिक अधिकार है जिन्हें भारत सरकार सभी वर्गों के लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार के लिए आवश्यक समझे। यही वजह है कि मैंने उन उपचारों को, जो पूर्वी पंजाब सरकार के हाथ में हैं, भारत सरकार की कार्रवाई के लिए सम्मिलित करने में संकोच नहीं किया है। मुसलमानों की समस्या पर अब तक भारत सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। अनुसूचित जातियों की समस्या के बारे में यह मान लिया गया कि वह या तो विद्यमान ही नहीं है अथवा इतनी छोटी है कि उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग अनुसूचित जातियों की समस्या को बताना पसंद नहीं करते फिर भी हममें से जो अनुसूचित जातियों के बारे में चिंतित हैं, यह जानते हैं कि समस्या है और वह मुसलमानों की समस्या से ज्यादा भीषण है।

मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं पाकिस्तान और भारत में अनुसूचित जातियों के शरणार्थियों की समस्या की भारत सरकार की उपेक्षा पर जनता का ध्यान दिलाऊं। लेकिन कुछ कारणों से मैंने ऐसा नहीं किया। अन्य मामलों में आपके व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सवाल पर आपकी चुप्पी के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन खेद है कि अब समय आ गया है कि आप इस समस्या पर निजी तौर पर ध्यान दें ताकि आप राहत और पुनर्वास मंत्री तथा बिना विभाग के मंत्री को निदेश जारी कर सकें कि वे अनुसूचित जातियों को, या तो उन उपचारों को अपनाकर जो मैंने इस पत्र में सुझाए हैं या मेरे द्वारा वर्णित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बेहतर उपचार खोजकर, उनके दुखों से छुटकारा दिलाएं। यदि आप इस मसले पर तुरंत ध्यान देंगे तो मैं आभारी होऊंगा।

आपका
ह./– बी. आर. अम्बेडकर

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू
प्रधानमंत्री, भारत
नई दिल्ली।''[1]

पं. जवाहर लाल नेहरू ने उपरोक्त पत्र का उत्तर इस प्रकार दिया –
''प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री

1. पुनर्मुद्रित खैरमारे, जिल्द 10, पृ. 26–32।

भारत

नई दिल्ली
25.12.1947

प्रिय डॉ. अम्बेडकर,

मुझे अनुसूचित जाति के लोगों के पाकिस्तान से भारत आने के विषय में तारीख 18 दिसंबर का आपका पत्र मिला।

हम अनुसूचित जाति के लोगों के पाकिस्तान से, विशेषकर सिंध से जहां उन्हें निकलने से रोका जा रहा है निकलने में मदद करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वहाँ हमारे उच्चायुक्त बराबर इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं।

जहां तक आपके द्वारा उठाई गई दूसरी समस्याओं का संबंध है, उन पर कार्रवाई पूर्वी पंजाब सरकार को करनी होगी। निश्चय ही हम इस विषय में उन्हें सलाह देंगे और देखेंगे कि अनुसूचित जातियों के निष्क्रांतों को हर मदद दी जाए।

हमें बहुत से मामलों में, पूर्वी पंजाब सरकार से बात करने में मुख्यतः इस कारण कुछ कठिनाई आई है कि उनके सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। मैं इस विषय पर अपना निजी ध्यान प्रसन्नतापूर्वक दूंगा और मैं बिना विभाग के मंत्री से, विशेषकर इस विषय में विचार करने का अनुरोध कर रहा हूं।

आपका

ह./– जवाहर लाल

नेहरू

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर।''[1]

---

1. पुनर्मुद्रित, खैरमोरे, जिल्द 10, पृष्ठ 32–33।

43

सरकार निष्पक्ष रहे

पूर्वी पंजाब से आने वाले अछूतों की दयनीय दुर्दशा दिन–प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए अस्पृश्य पदाधिकारियों को राहत और पुनर्वास विभाग में नियुक्त किया जाना है। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने माननीय श्री के.सी. नियोगी, राहत और पुनर्वास मंत्री, नई दिल्ली को पत्र लिखा।

वैयक्तिक

नई दिल्ली

23 मार्च, 1948

प्रिय नियोगी,

आपको याद होगा कि आप चाहते थे कि मैं कुछ विशेष कार्यकर्ताओं के नामों की सिफारिश करूं, जिन्हें अनुसूचित जातियों के शरणार्थियों की, जो पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब आए हैं, पुनर्वास के विषय में मदद के लिए आपके विभाग में नियुक्त किया जा सके। मैंने आपको उन व्यक्तियों की सूची दी थी जो इस काम के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मैंने सिफारिश की थी और जिनको आपने नियुक्त किया है तथा जिनके बारे में मैं आपको इस विषय में लिखना चाहता हूं। वे हैं – श्री बी. के. गायकवाड और श्री आर. एस. जाधव। इन दोनों ने मुझसे शिकायत की है कि इन्हें कोई भी काम नहीं दिया गया है और वे बेकार समय गवां रहे हैं। उन्होंने मुझे यह भी बताया है कि आपके विभाग में हरिजन अनुभाग के निदेशक श्री सेवक राम करमचन्द ने उन्हें बुलाकर उनसे इस देश की आम राजनीति पर उनके विचारों के बारे में पूछताछ की। जैसाकि उन्होंने मुझे बताया है, इस घटना से उन पर जो छाप पड़ी है वह यह है कि भारत सरकार कुछ लोगों को इसलिए नियोजित करना नहीं चाहती क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। सरकार का इस बात के लिए आग्रह करना कि उसके कर्मचारी वही राजनीतिक राय रखते हों जो सत्तारूढ़ दल की है, मुझे अनिष्टकर नहीं तो, बेहूदा अवश्य लगता है। मुझे विश्वास है कि श्री सेवक राम करमचन्द द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण से आप सहमत नहीं हैं। मुझे चिन्ता इस बात की है कि ये जो दो आदमी रखे गए हैं उन्हें वह काम दिया जाए जिसके लिए इनकी भर्ती की गई है। साक्षात्कार के दौरान श्री करमचन्द ने इन्हें बताया कि हरिजन लीग द्वारा सिफारिशी व्यक्ति सर्वथा अयोग्य हैं और जो काम उनसे लिया जाना चाहिए उस प्रकार के काम के लिए वे बेकार हैं तथा यह कि अनुसूचित जाति फेडरेशन के व्यक्ति सर्वाधिक सक्षम हैं, फिर भी इन

लोगों को वह काम नहीं दिया गया जिसके लिए उन्हें भर्ती किया गया था। कारण यह है कि उनकी राजनीतिक राय इस सज्जन को नापसंद है। इसलिए मुझे विवश होकर आपसे यह पूछना पड़ा है कि आपका इरादा इन्हें जिम्मेदारी का कोई काम देने का है या नहीं जिसके लिए वे उपयुक्त हैं। यदि आप यह करने को तैयार नहीं हैं तो मैं समझता हूं ठीक यही होगा कि आप उन्हें सेवा से हटा दें और उन्हें उनके स्थान पर भेज दें और उन्हें वह काम करने दें जो वे कर रहे थे। मुझे अफसोस है कि मुझे आपको सीधे इस ढंग से लिखना पड़ा है, लेकिन जब किसी का धैर्य जवाब दे देता है तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता।

सादर,

आपका

ह./— बी. आर. अम्बेडकर

माननीय श्री के.सी. नियोगी,

राहत और पुनर्वास मंत्री,

नई दिल्ली।''[1]

1. पुनर्मुद्रित, खैरमोरे, जिल्द 10, पृष्ठ 34—35।

44

अपना रास्ता स्वयं बनाएँ

मई 1950 में एक सुहावनी शाम को दो आदमी बम्बई के कफ परेड मैदान में एक बैंच पर बैठे आपस में बात–चीत रहे थे। उनमें से एक थे भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर और दूसरे थे 'द अनटचेबल्स' के लेखक विद्वान साहित्यकार डॉ. मुल्कराज आनन्द।

चालीस वर्ष बाद डॉ. आनन्द दलितों के मसीहा के साथ हुई उस ज्ञानवर्धक बातचीत को याद करते हैं :–

मुल्क राज आनन्द :	नमस्कार, डॉ. अम्बेडकर
बी. आर. अम्बेडकर :	मुझे बौद्ध अभिवादन पसन्द है –ओम मणि पद्मये! अर्थात् गुलाब खिल उठें।
मुल्कराज आनन्द :	मैं सहमत हूं। हम सोचते ही नहीं। हम अर्थ सोचे बिना ही शब्दों को विरासत में ग्रहण कर लेते हैं। निःसंदेह, नमस्कार का अर्थ है – मैं आपके समक्ष नमन करता हूं....,
बी. आर. अम्बेडकर :	इससे समर्पण शाश्वत हो जाता है। ओम् मणि पदमये ज्योति के लिए प्रार्थना है।
मुलकराज आनन्द :	वास्तव में, पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटतीं। हम उन्हें बिना सोचे–समझे अपना लेते हैं।
बी. आर. अम्बेडकर :	हर चीज में।
मुल्कराज आनन्द :	आइए, सोचें, कोई हिन्दू! मुसलमान ! या ईसाई ! ठप्पा लगाकर तो पैदा नहीं होता। हिन्दू माता–पिता अपने बच्चे को नामकरण अनुष्ठान में एक नाम देते हैं जिसे पुजारी पंडित संस्कृत श्लोक पढ़कर शुद्ध करते हैं जिसे वह बच्चा समझता नहीं है। उसके शरीर पर (जनेऊ) पवित्र धागा पहना दिया जाता है। और देखिए वह बच्चा हिन्दू बन जाता है।

बी. आर. अम्बेडकर : बेवकूफी !

मुल्कराज आनन्द : यदि आप ग्रीक शब्द ईडियट के अर्थ से देखें तो वह शब्द चक्र में घूमता रहता है।

बी. आर. अम्बेडकर : हमें सभी पुरानी आदतों, विचारों, परिपाटियों पर सवाल उठाने होंगे। शिक्षा से प्रोत्साहित होकर नौजवानों को शिक्षक से हर रोज एक नया सवाल पूछना चाहिए।

मुल्कराज आनन्द : शिक्षकों को सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका ! वे प्रायः यह नहीं जानते कि पाठ्य पुस्तक के अलावा क्या कुछ है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रौढ़ युवक बनने पर भी कोई सवाल पूछकर ही बड़ा हो सकता है। मैंने यह सीख हेनरी बर्जसन की पुस्तक – 'क्रियेटिव इवोल्यूशन' से ली है। हेगल, कांट और डेस्कार्टस को पढ़ने के बाद विभिन्न दार्शनिक समस्याओं से संबद्ध कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्जसन ने कहा था – आदमी प्रत्येक दार्शनिक सिद्धांत पर सवाल उठाकर चैतन्य को ऊंचा उठा सकता है।

बी. आर. अम्बेडकर : बुद्ध ने ब्राह्मणों से उनके हर विश्वास के बारे में बहस की। उन्होंने सभी लोगों को जाति बहिष्कृत करके निम्नीकृत बना दिया। उनका कहना था, ईश्वर ने आपको इन वर्णों में पैदा किया है – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बुद्ध ने पूछा – स्वयं मनुष्य– व्यक्ति के बारे में क्या ? चूंकि आदमी एक ऐसे कुटुम्ब में पैदा होता है जो मृत जानवरों के शवों को संभालता है, उसे तिरस्कृत कर अछूत कहा जाता है। सभी वनवासी लोग हिन्दुओं के लिए जंगली .... हैं।

मुल्कराज आनन्द : बहिष्कृत !

बी. आर. अम्बेडकर : वस्तुतः, हाथ से काम करने वाला हरेक आदमी बहिष्कृत था और है। जो जानवरों की खाल

उतारते हैं, जो गोबर ढोते हैं, जो जमीन पर कमीन का काम करते हैं ! उन सब पर ठप्पा लगा दिया गया और हमेशा के लिए बंधुआ मजदूर बना दिया गया। पांच हजार साल बाद स्थिति और भी खराब है। अछूत आदमी नहाने के बाद भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। वह गांव के कूएं से पानी नहीं खींच सकता – उसे तो गांव के बाहर गंदे तालाब से पानी लेना चाहिए। वह जमींदार की जमीन में अपने जानवर नहीं चरा सकता। वह गंदा है क्योंकि गंदगी को साफ करता है। उसे हमेशा अशुद्ध माना जाता है। जानवर को छू सकते हैं अछूत (अस्पृश्य) को नहीं....................

मुल्कराज आनन्द : क्या संविधान सभा के सदस्य के नाते, आप व्यक्ति (व्यष्टि) के अधिकारों पर जोर देकर बोल पाए हैं? मैं देखता हूं कि आपकी समिति मूल अधिकार– व्यक्ति को स्वतंत्र्य अधिकार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि आपने भी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार मान लिया है .... क्या सम्पत्ति का अधिकार उन लोगों को निर्णायक फायदा नहीं पहुंचाता जिन्हें सम्पदा विरासत में मिली है? इस प्रकार गरीबों में सबसे गरीब लोग अर्थात् अछूत लोग हमेशा नुकसान में रहेंगे।

बी. आर. अम्बेडकर : हमने अपने संविधान में, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत किया है............... यदि हरेक व्यक्ति को राज्य के अभिधृति अधिकारों से जमीन जोतने का अधिकार मिल सकता है तो विशेषाधिकार की समता सुनिश्चित की जा सकती है और शोषण की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी तक अछूतों को और अनेक सवर्ण हिन्दुओं तथा मुसलमानों को भी जमीन धारण (अभिधृति) का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ये सब भूमिहीन किसान, केवल मजदूर हैं।

मुल्क राज आनन्द :	तब तो काम करने का अधिकार मूल अधिकार होना चाहिए।
बी. आर. अम्बेडकर :	मैं तो प्रारूपण समिति के सदस्यों में से केवल एक सदस्य मात्र था।
मुल्कराज आनन्द :	इसलिए आप शेरों के सामने मेमना बन गए!
बी. आर. अम्बेडकर :	मैं बहुत मिमियाया, अब मैं दहाड़ रहा हूं।
मुल्क राज आनन्द :	वकील होने के नाते; आप जानते हैं न्यायाधीश हमेशा ऊंची जाति के; उच्च वर्ग के हिन्दुओं के पक्ष में फैसला देंगे।
बी. आर. अम्बेडकर :	निःसंदेह, पं. जवाहर लाल नेहरू की सरकार में एकमात्र गैर–ब्राह्मण ने संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार को मूल अधिकार बनाये जाने के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया.................. लेकिन बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने महसूस किया कि नेहरू भारत को रूस बनाना चाहते हैं। इसलिए सवर्ण हिन्दुओं ने व्यक्ति के अन्य अधिकारों को निदेशक सिद्धांत के रूप में ही माना .... जिनके लिए संसद में संघर्ष किया जाएगा।
मुल्क राज आनन्द :	जो सम्पत्ति मालिकों के पक्ष में होंगे।
बी. आर. अम्बेडकर :	एक दिन समाजवादी लोग बहुमत प्राप्त कर सकते हैं और प्रतितोषण की मांग कर सकते हैं। जो भी हो, जाति बहिष्कृत और जनजातियां अनुसूचित जातियां घोषित की गई हैं। उनके उत्थान के लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे जैसे स्कूलों, और कालेजों में दाखिले के लिए आरक्षण तथा छात्रवृत्तियां।
मुल्कराज आनन्द :	सवर्ण हिन्दू हमेशा आरक्षण पर नाराज होंगे।
बी. आर. अम्बेडकर :	हमें अपने आपको सगठित करना होगा। जिन्हें विरासत नहीं मिली है उन्हें संघर्ष के लिए जागृत

करना होगा। मुसलमानों को भी सवर्ण अछूत मानते हैं। इसलिए यदि उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो जाति बहिष्कृत लोग सवर्ण हिन्दुओं से ज्यादा हैं। और जनजातियों के लोग। ये सब समाजवादियों के साथ मिलकर निजी संपत्ति का स्वामित्व समाप्त कर सकते हैं। न कोई जमींदार, न किसान ! और न ही कोई भूमिहीन मजदूर।

मुल्कराज आनन्द : राजकीय पूंजीवाद भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है, आप जानते हैं, स्टालिन ने रूस में क्या किया, उसने साम्यवाद के नाम पर लोगों पर कुछ नौकर–शाह थोप दिए।

बी. आर. अम्बेडकर : इसमें कोई शक नहीं, हमें व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों द्वारा उसके अधिकारों पर किए जाने वाले आक्रमण से बचाना होगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा प्रमुख सरोकार होनी चाहिए। जब मैंने मूल अधिकारों पर जोर दिया था तो यही बात मेरे दिमाग में थी।

मुल्क राज आनन्द : यदि यह बात आपके दिमाग में थी तो आप संसद से मूल अधिकारों को पुनरीक्षित कराने का आग्रह कर सकते हैं। हमें राजकीय पूंजीवाद और निजी पूंजीवाद दोनों के खिलाफ लड़ना होगा। आप जानते हो कि किस प्रकार असंख्य लोग सभी जगह मालिक की इच्छा के अधीन रहते हैं।

बी. आर. अम्बेडकर : वस्तुतः, अभी तक स्वतंत्रता मालगुजारी बढ़ाने की जमींदार की स्वतंत्रता प्रतीत होती है। पूंजीपति हमेशा मजदूरी घटाना और काम के घंटे बढ़ाना चाहता है। पूंजीवाद निजी नियोजक की तानाशाही है।

मुल्कराज आनन्द : मूल अधिकार – प्राण, स्वतंत्रता और खुशी का अधिकार – सपना बनकर रह गए हैं ....।

बी.आर. अम्बेडकर : नौजवानों को संघर्ष जारी रखना होगा। वे संविधान को बदल सकते हैं।

मुल्कराज आनन्द : हो सकता है, यह फ्रांस में 1789 की क्रांति जैसे उलट–फेर बिना संभव न हो।

बी.आर. अम्बेडकर : आपसे यह सुनकर अजीब लगा। मैंने सोचा था कि आपने अपने उपन्यास में गांधी को अछूतों का मसीहा बनाकर, अहिंसा का रास्ता अपना लिया है।

मुल्कराज आनन्द : मैं महात्मा के आदर्शों पर नहीं चल सका। हमें हिटलर और मुसोलोनी का मुकाबला करना पड़ा। हम स्पेन गए और वहां हमने अंतरराष्ट्रीय ब्रिगेड में भाग लिया। हालांकि मैं एक क्लीनिक में खून देखकर बेहोश हो गया था और मुझसे क्लिनिक छोड़ने को कहा गया था............. लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध में किसी न किसी का तो पक्ष लेना ही था। एक कवि ने फासिस्टवाद के विरुद्ध लोकतंत्र की स्वतंत्रता के तथाकथित युद्ध को ''महाझूठ'' के विरुद्ध ''आधे झूठ'' की लड़ाई कहकर पुकारा था।

बी. आर. अम्बेडकर : आप जानते हैं, हालांकि महात्मा पूरी तरह हरिजनों के लिए थे फिर भी उन्होंने भगवत गीता द्वारा आदिष्ट वर्णाश्रम में अपनी आस्था नहीं छोड़ी...... उन्हें परमेश्वर, हरि की संतान कहकर उन्होंने सोचा था कि वह उनका उत्कर्ष कर रहे हैं। वस्तुतः वे निम्नतम स्तर पर छोड़ दिए गए।

मुल्क राज आनन्द : यही वजह है कि आपने बौद्ध धर्म अपना लिया है?

बी. आर. अम्बेडकर : हो सकता है, वही मुख्य कारण रहा हो। साथ ही, अनुसूचित जाति का नागरिक बने रहकर हम जाति बहिष्कृत की स्थिति स्वीकार कर लेते हैं। मैंने मह. सूस किया कि बुद्ध में आस्था मनुष्यों–स्त्री–पुरूषों के आडम्बरों से मुक्ति प्रदान करती है। वह हिन्दू भगवान ब्रह्मा में विश्वास नहीं रखती। गूढ़ मिथक

और किंवदंतियाँ। कोई भी व्यक्ति ज्ञान अन्वेषण कर सकता है। कोई भी आदमी विष्णु के अवतार भगवान राजा राम जैसे हिन्दुओं के सवर्ण नायकों को मानने से इंकार कर सकता है। और अन्य अनेक हिन्दुत्व की भावात्मक पौराणिक कथाएं।

मुल्कराज आनन्द : वास्तव में, मैं ब्राह्मणों के अनुमानों की तुलना में बुद्ध के उद्धारों को कहीं ज्यादा चिंतनीय मानता हूं। वह विश्व के पहले अस्तित्ववादी थे। उन्होंने दुखी होकर कहा था – दुःख, दुःख, दुःख, ! हिन्दू हमेशा पारंपरिक विश्वासों पर चलते हैं। ईश्वर आनन्द है। उन याचकों के लिए सांत्वना पुरस्कार जो पुष्पों के उपहारों, फूल मालाओं और फलों की रिश्वत पुजारियों की मार्फत देकर सामंती भगवान से वरदान मांगते हैं।

बी. आर. अम्बेडकर : यही वजह है कि ज्यादातर पुजारियों का पेट मोटा होता है।

मुल्कराज आनन्द : बहिष्कृतों के लिए आपका क्या संदेश है ?

बी. आर. अम्बेडकर : मैं अछूतों से कहता हूं ; शेर बनकर रहो; हिन्दू काली की मूर्ति के सामने बकरी की बलि देते हैं। अपनी रोशनी खुद बनो अर्थात् 'अत्तदीप भव !'

मुल्कराज आनन्द : जैसे बुद्ध ने आनन्द से कहा था – अपना दीप स्वयं बनो ! ....''[1]

---

1. 'द अनटचेबुल्स' के प्रख्यात लेखक और रचनाकार डॉ. मुल्क राज आनंद – ट्राईबल वर्ल्ड, अप्रैल, 1991, पृ. 13. पुनर्मुद्रित, रटटू, रिमेम्ब्रेन्सेज ऑफ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, पृ. 110–114।

45

हिन्दुत्व भारत में सामाजिक चिंतन की नवीनतम देन है

''बम्बई, बुधवार*

भारत सरकार के विधि मंत्री डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने संबंधी खबरों पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। वे आज शाम दिल्ली से यहां पहुंचे।

डॉ. अम्बेडकर ने पत्रकारों को बताया कि वे सिद्धार्थ कालेज की तर्ज पर अहमदनगर में एक कालेज खोलना चाहते हैं। वह कालेज आगामी जुलाई से पहले शुरू हो जाएगा। उसमें कला और विज्ञान दोनों विषयों की शिक्षा दी जाएगी।

आज रात वे पूना के लिए रवाना होंगे और कल शाम शहर लौटेंगे।

उन्होंने कहा, लोगों की इस विषय में रुचि है, इसलिए वे भारत में बौद्ध धर्म के उद्भव और पतन के कारणों से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर की राय थी कि जब तक बौद्ध धर्म के उद्भव की वास्तविक परिस्थितियों को नहीं समझा जाएगा, तब तक बौद्ध धर्म की महत्ता समझ में नहीं आएगी। वह उन ज्यादातर लोगों से असहमत थे जिनकी धारणा है कि भारत का धर्म हमेशा हिन्दू धर्म रहा है। उन्होंने घोषित किया कि ''हिन्दू धर्म भारत में सामाजिक चिंतन की नवीनतम देन है।''

पतन के कारण

बौद्ध धर्म के पतन के कारणों पर चर्चा करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने भारत में अनेक लोगों के इस सुझाव का खंडन किया कि बौद्ध धर्म शंकराचार्य के तर्कशास्त्र द्वारा नष्ट कर दिया गया। ''यह तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि बौद्ध धर्म उनके निधन के बाद अनेक शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा।''

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि भारत में बौद्धधर्म का ह्रास वैष्णवत्व और शैवत्व के अभ्युदय के फलस्वरूप हुआ। दूसरा कारण था भारत पर

---

*. 3 मई, 1950।

मुस्लिम आक्रमण। जब अल्लाउद्दीन बिहार गया तो उसने 5000 से ज्यादा भिक्खुओं को मार डाला। काफी भिक्खु चीन, नेपाल और तिब्बत जैसे पड़ौसी देशों में चले गए। बाद में, भारत के बौद्धों ने बौद्ध धर्म को पुनरुज्जीवित करने की दृष्टि से एक अन्य पुरोहिताई स्थापित करने के प्रयास किए। लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि तब तक 90 प्रतिशत बौद्ध हिन्दू धर्म अपना चुके थे।

भारत में हिन्दू धर्म क्यों पनपा और बौद्ध धर्म क्यों समाप्त हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''इस धर्म का पालन करना कठिन है, जबकि हिन्दू धर्म का पालन करना मुश्किल नहीं है।''– पी.टी.आई.[1]

---

1. द फ्री जर्नल, तारीख 4 मई, 1950।

अनुसूचित जाति का उद्धार

घोषणा–पत्र का प्रारूप

'अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारी समिति की बैठक 6 अक्तूबर, 1951 को नई दिल्ली में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के निवास पर चुनाव घोषणा–पत्र तैयार करने के लिए की गई थी'।

उस बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस, हिन्दू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.), कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ के साथ गठबंधन न किया जाए। अन्य राजनैतिक दलों से समझौता करने का अधिकार डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, एन. शिवराज तथा बापू साहिब राजभोज की सदस्यता वाली तदर्थ समिति को दिया गया था यह भी निर्णय लिया गया कि तदर्थ समिति उचित निर्णय लेगी।[1]

''अनुसूचित जाति संघ'' के ''समता सैनिक दल'' को सशक्त एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया गया था।

''अनुसूचित जाति संघ'' द्वारा तैयार किया गया घोषणा–पत्र सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। समाचार–पत्रों ने प्रस्तावित घोषणा–पत्र के संबंध में विवेचन करते हुए अनेक स्तम्भ लेख लिखे। भारतीय एवं पश्चिमी समाचार–पत्रों ने 7 अक्तूबर, 1951 को जारी घोषणा–पत्र, का स्वागत करते हुए उसे अद्वितीय, अतुल्य एवं सुस्पष्ट[2] बताया।''

घोषणा–पत्र की अग्रिम प्रतियाँ समाचार–पत्रों के प्रतिनिधियों को भेज दी गई थीं। तदनुसार प्रतिष्ठित समाचार–पत्र 'द टाइम्स आपफ इण्डिया' ने अपने 3 अक्तूबर, 1951 के संस्करण में उक्त शीर्षक के अन्तर्गत प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो निम्न प्रकार से है :–

''यह समझा जा रहा है कि दो मोर्चों पर गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने का इच्छुक संघ जनसंख्या को सीमित करने के लिए जन्म नियंत्रण और कृषि व औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के उपायों का समर्थन करेगा। संघ तीव्रता से बढ़ते औद्योगिकीरण को अनिवार्य मानता है परन्तु उसका यह मत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव कृषि ही बनी रहनी चाहिए। प्रशासन के संबंध में संघ भाषायी प्रान्तों के सृजन के लिए

---

1. खैरमोडे, खंड – 10, पृष्ठ 147।
2. जनता, 13 अक्तूबर, 1951।

दवाब डालेगा। संघर्ष जीवन के सभी आयामों विशेषकर भ्रष्ट मंत्रियों या अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही पर बल देगा। संघ सेना के व्यय में कटौती, नमक–कर पुनः लगाना, बीमा पर प्रतिबंध को समाप्त करने और उसके राष्ट्रीयकरण का समर्थन करेगा। जहाँ तक विदेश नीति के संबंध है घोषणा–पत्र में इस बात पर बल दिये जाने की सम्भावना है कि भारत का प्रथम दायित्व स्वयं अपने लिए होना चाहिए। इसमें वर्तमान नीति को बदलने पर बल दिया जाएगा, जिसके कारण भारत के मित्र कथित रूप से उसके शत्रु बन गए हैं और संयुक्त राज्य एवं भारत के बीच वर्तमान प्रतिद्वन्दता को उदाहरण के रूप में वर्णित किया गया है.........................''[1]

भारत के पुरुषों एवं महिलाओं से आशा की जाती है कि वे मतदान करने से पूर्व सोचे। भारत के पुरुषों एवं महिलाओं से यह विश्वास करने की आशा की जाती है कि जन–हित स्व–हित से पहले आता है।

अनुसूचित जाति संघ

का

चुनावी घोषणा–पत्र

अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति द्वारा संस्थापित अनुसूचित जाति का अखिल भारतीय राजनैतिक दल है। आगामी पृष्ठों में, (1) इसके सि**द्धा**न्त, (2) इसकी नीति, (3) इसके कार्यक्रम, तथा (4) अन्य राजनैतिक दलों के साथ इस संघ के सहयोग की शर्तों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।

द्वारा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

दल के सिद्धान्त

सार्वजनिक मामलों में दल के कार्यकलाप निम्नलिखित सि**द्धा**न्तों द्वारा अधिशासित होगें :

(1) यह सभी भारतीयों को कानून की दृष्टि से बराबर का ही नहीं अपितु समानता का हकदार समझेगा और तद्नुसार समानता को वहाँ पुष्ट किया

---

1. दिनांक 3 अक्तूबर 1951 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में, ''अनुसूचित जाति का उद्धार : घोषणा पत्र का प्रारूप'' शीर्षक के तहत।
खैरमोरे, खण्ड 10, पृष्ठ 147 में पुनःमुद्रित।

जायेगा जहाँ यह लागू नहीं होता तथा जहाँ यह अमान्य है वहाँ इस की बहाली की जायेगी।

(2) इसमें प्रत्येक भारतीय को स्वयंसिद्ध माना जाएगा और उसे अपनी स्वयं की कार्य–प्रणाली से अपने विकास का अधिकार होगा और राज्य केवल उसके विकास का साधन होगा।

(3) ऐसी कोई प्रतिबद्धता उत्पन्न न हो – सीमितताओं के अध्यधीन यह पार्टी प्रत्येक भारतीय के धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार की स्वतंत्रता का संरक्षण करेगी, बशर्ते अन्य भारतीयों या राज्य के हितों के संरक्षण के लिए।

(4) यह प्रत्येक भारतीय के अवसर की समता का संरक्षण इस प्रावधान की शर्त पर करेगी कि जिनके पास पूर्व में कोई अवसर नहीं था, उसे उन पर प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास पूर्व में अवसर थे।

(5) यह प्रत्येक भारतीय को अभाव और भय से मुक्त रखने के राज्य के दायित्व के प्रति राज्य को जागरूक बनाए रखेगी।

(6) यह स्वतंत्रता, समानता और मैत्री को बनाये रखने पर बल देगी तथा मनुष्य को मनुष्य द्वारा, एक वर्ग को दूसरे वर्ग द्वारा तथा एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र द्वारा किये जाने वाले दमन एवं शोषण से छुटकारा दिलवाने का प्रयास करेगी।

(7) यह जनहित तथा वैयक्तिक हित में सरकार की सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में सरकार की संसदीय प्रणाली का समर्थन करेगी।

2. इन सिद्धान्तों के आशय एवं सत्यनिष्ठा का आकलन करने के लिए दो बातें हैं जिन्हें अपने मस्तिष्क में रखा जाना चाहिए। पहला विचार यह है कि संघ द्वारा इन सिद्धान्तों को भारत में उत्पीड़ित मानवता के लाभ के लिए अपनाया गया है। इस अभिमत से संघ को साम्प्रदायिक संगठन होने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि यह सभी के लिए उपयोगी न हो तथापि वह सभी के लिए लाभप्रद होगा और उन सभी का सहयोग करेगा जो सहयोग के लिए उपयुक्त होंगे।

3. हो सकता है कि अनुसूचित जाति संघ के सिद्धान्तों में कुछ भी नया न हो। ये बातें अधिकतर राजनैतिक दलों के घोषणा–पत्रों में मिल जायेंगे। परन्तु यहाँ दो तर्क हैं जो संघ को अन्य राजनैतिक दलों से अलग करते हैं। पहला तर्क यह है कि

संघ द्वारा सिद्धान्तों को केवल इसलिए नहीं अपनाया गया है कि वे राजनैतिक दृष्टि से सम्मानजनक दिखे या मतदाताओं को प्रलोभित करें। ये संघ के लिए स्वाभाविक है। ये अनुसूचित जातियों की सामाजिक दशा से उद्भूत हुये हैं। इन सिद्धान्तों को स्वीकार किये बिना और उनके अनुरूप बने रहने के सिवाय कोई अस्तित्व नहीं है। अनुसूचित जाति संघ के सिद्धान्त अनुसूचित जाति संघ के लिए धर्मग्रन्थ के रूप में हैं। राजनीतिक निष्ठा के दिखावटी आदर्श नहीं हैं। ये अन्तःकरण की भावना को उजागर करते हैं। ये एक ऐसा लबादा नहीं है, जिसे चुनाव जीतने के उद्देश्य से ओढ़ा जाये। कई दल इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु कोई दल सिद्धान्तों के प्रति इतना निष्ठावान नहीं हो सकेगा जितना कि अनुसूचित जाति संघ होगा। संघ के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करने के लिए यह दूसरा तर्क है।

दल की नीति

4. दल की नीति उपरोक्त निश्चित किये गये सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने का प्रयास करना है। दल की नीति किसी विशेष रूढ़िवादी परम्परा या साम्यवाद या समाजवाद, गाँधीवाद जैसी विचारधारा या किसी अन्य वाद से नहीं जुड़ी हुई है। दल अपने मूल उद्भव का भेद किये बिना सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरी की किसी भी योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेगा बशर्ते कि वह इसके सिद्धान्तों के अनुरूप हो। इस का दृष्टिकोण पूर्णतया न्यायोचित, और आधुनिक, तथा अनुभव जन्य होगा न कि सद्धांतिक मात्र।

दल के कार्यक्रम

1– पुरानी समस्यायें

5. भारत में किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम आवश्यक रूप से अंग्रेजों द्वारा स्थापित सिद्धांतों के साथ अभिन्न रूप से जुड़े होने चाहिएं। अंग्रेजों के सिद्धांतों के सराहनीय पक्ष है और साथ ही इसके असराहनीय पक्ष भी हैं। सराहनीय पक्ष होंगे (1) कानून की एक समान प्रणाली, (2) न्याय की एक समान प्रणाली, (3) समरूप प्रणाली एवं प्रशासन। असराहनीय पक्ष हैं, (1) देश के लोगों में प्रचलित प्राचीन सामाजिक परम्परा को बनाये रखना, (2) शिक्षा तथा सेवा–सिविल एवं सेना दोनों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को बनाये रखना, (3) अस्पृश्नीय पिछड़ी जातियों एवं जनजातीय लोगों की पूर्ण उपेक्षा, (4) देश की दरिद्रता, आदि।

(क) पिछली जातियों के उन्नयन की समस्या

6. अनुसूचित जाति संघ शिक्षा एवं सेवाओं के मामले में पिछड़ी जातियों, अस्पृश्नीय और जनजातियों के उन्नयन के लिए संघर्ष करेगा। इसे संघ की योजित कार्यवाही में परम प्राथमिकता प्राप्त होगी और इसे आधारभूत तत्व माना जायेगा। कार्यक्रम के इस भाग को कार्यान्वित करने के क्रम में किसी प्रकार के विलम्ब या साधनहीनता को अवरोध बनने नहीं दिया जायेगा। अनुसूचित जाति संघ के विचार में, इन जातियों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रकृति न तो प्राथमिक शिक्षा है और न ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है। इसका अभिप्राय ऐसी उच्च स्तरीय देशी तथा विदेशी उच्च शिक्षा से है जो इन जातियों को देश के सिविल प्रशासित एवं सैन्य सेवाओं योग्य बनने के लिए समर्थ बनायेगा। इसी प्रकार सेवाओं के मामले में, अनुसूचित जाति संघ न्यूनतम अर्हता की शर्त पर, आरक्षण के लिये तब तक दबाव डालेगा, जब तक ये जातियाँ देश की सिविल एवं सैन्य सेवाओं में अपना स्थान पाने में समर्थ नहीं हो जाती हैं। वर्तमान में उच्चतर जातियों द्वारा देश की सिविल एवं सैन्य सेवाओं में निष्कृष्ट किस्म की साम्प्रदायिकता बनी हुई है। सेवायें कुछेक समुदायों का एकाधिकार बन गई हैं। जब निम्न वर्ग जिन्हें वर्तमान में सेवाओं से वर्जित किया हुआ है इस एकाधिकार को माँग द्वारा समाप्त करने का प्रयास कर रहा है तो उन्हें साम्प्रदायिक कहकर उनकी निन्दा की जा रही है। अनुसूचित जाति संघ इस देश के मामलों में विशेष अधिकार रहित वर्ग द्वारा अपना उचित स्थान प्राप्त करने की माँग के विरुद्ध उठने वाले किसी भी अनुचित तर्क को स्वीकार नहीं करेगा।

7. अनुसूचित जाति संघ का विश्वास है कि इस देश में उच्च एवं निम्न वर्गों के मध्य पहले ही बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर के कारण उनमें पहले से बड़ी शत्रुता पनप चुकी है। श्री गांधी की हत्या के पश्चात् वर्ष 1948 में भारत के कई हिस्सों में निम्न वर्गों के सदस्यों द्वारा उच्च वर्गों के विरुद्ध हत्या, आगजनी और लूट के मामले यह दर्शाते हैं कि इस शत्रुता, घृणा की जड़ कितनी गहरी है। अनुसूचित जाति संघ का दृढ़ विश्वास है कि इस शत्रुता को जड़ से समाप्त करने के लिए निम्न वर्गों को उच्च शिक्षा दी जाये तथा उनके लिए सेवाओं में भर्ती होने के मार्ग को खोलना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। उच्च जातियों एवं निम्न जातियों के मध्य जन्म आधारित कृत्रिम भेद शीघ्र ही समाप्त हो जाना चाहिए। परन्तु यह तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षा के मामले में निम्न वर्गों का उन्नयन उच्च वर्गों के स्तर के बराबर नहीं कर दिया जाता।

(ख) गरीबी की समस्या

8(7) योजना आयोग ने भारत की आर्थिक दशा का वर्णन बहुत ही यथार्थवादी शब्दों में किया है। उसका कहना है :—

(i) भारतीय संघ (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) की जनसंख्या वर्ष 1901 में 235.5 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1951 में 356.9 करोड़ हो गई — पचास वर्षों में लगभग 52 प्रतिशत की वृद्धि। प्रथम दो दशकों में वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम थी, परन्तु इसके बाद वह बढ़ती गई। वर्ष 1921 एवं 1931 के मध्य वृद्धि 11 प्रतिशत थी, 1931—41 में यह 14.3 प्रतिशत और 1941—51 में यह 13.4 प्रतिशत रही थी।

(ii) उद्योगों में पर्याप्त विकास होने के बावजूद व्यावसायिक संरचना में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1911 में लगभग 71 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई थी। वर्ष 1948 के लिए राष्ट्रीय आय समिति ने इन आंकड़ों को लगभग 68.2 प्रतिशत बताया है। कृषि से वर्ष में कुछ ही दिनों के लिए रोज़गार प्राप्त होता है। इसलिए इस व्यवसाय से जुड़े अधिकतर लोग वर्ष के शेष दिनों में प्रायः बेकार ही रहते हैं। इस प्रकार देश में अपूर्ण रोज़गार की दीर्घकालिक समस्या है।

(iii) प्रति व्यक्ति बुवाई क्षेत्र में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। ब्रिटिश—भारत में प्रति व्यक्ति बुवाई का क्षेत्र 1911—12 में 0.88 एकड़ से घटकर वर्ष 1941—42 में 0.72 एकड़ हो गया था। विभाजन के पश्चात् वर्ष 1948 में भारतीय संघ में प्रति—व्यक्ति बुवाई का क्षेत्र अनुमानित रूप में 0.71 एकड़ निकाला गया। प्रति एकड़ उपज की प्रवृत्ति के प्रमाण निश्चित नहीं हैं। तथापि कुछेक उपलब्ध प्रकाशित आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ खाद्य—पफसलों के संबंध में गिरावट का प्रवृत्ति बनी हुई है। कृषि की उत्पादकता के समस्त रूझानों का आकलन कठिन है परन्तु विस्तृत चित्र जो उभर कर आता है, उससे ज्ञात होता है कि स्थिति स्थिर बनी हुई है।

8. इस प्रकार गरीबी एक द्विआयामी समस्या है। एक ओर यह कृषि एवं उद्योग दोनों में अधिक उत्पादन करने की समस्या है। दूसरी ओर यह जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करने की समस्या है। दोनों ही पक्ष समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। अनुसूचित जाति संघ दोनों मोर्चों पर गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रस्ताव करता है।

9. जनसंख्या को कम करने के उद्देश्य के लिए संघ लोगों में जन्म–नियंत्रण के पक्ष में गहन प्रचार करने का समर्थन करता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों में जन्म नियंत्रण क्लीनिक खोलने का भी समर्थन करेगा। यह देश में जनसंख्या वृद्धि की बढ़ती दर को इतनी गंभीर बुराई मानता है कि यह इसको नियंत्रित करने के लिए कठोर उपायों का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं करेगा।

10. उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति संघ किसी रूढ़िवादी परम्परा या किसी पद्धति का अनुपालन नहीं करेगा। औद्योगिक उपक्रम की पद्धति एक ऐसा मामला है जो समय एवं परिस्थितियों की माँग द्वारा विनियमित किया जाएगा। जहाँ उद्योग को राष्ट्रीय उपक्रम बनाना संभव एवं अनिवार्य होगा वहाँ अनुसूचित जाति संघ राष्ट्रीय उपक्रम का समर्थन करेगा। जहाँ निजी उपक्रम संभव है और राष्ट्रीय उपक्रम अनिवार्य नहीं है वहाँ निजी उपक्रम की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस देश के लोगों की गरीबी को देखते हुए अधिक उत्पादन तथा निरन्तर अधिक उत्पादन प्राथमिक एवं सर्वोपरि शर्त होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता है। उद्योग की पूर्व संकल्पित पद्धति को प्राथमिक या सर्वोपरि नहीं माना जा सकता है। गरीबी का उपचार अधिक उत्पादन है न कि उत्पादन की पद्धति फिर भी अनुसूचित जाति संघ द्वारा एक बात अवश्य निश्चित की जानी चाहिए। उत्पादन की प्रत्येक योजना अनुसूचित जाति संघ को देखते हुए बनाई जानी चाहिए जिसकी केवल एक अधिभावी शर्त हो कि कार्यशील वर्ग का शोषण न होने पाए।

11. यद्यपि संघ की राय में देश में तेज़ी से औद्योगीकरण अत्यन्त अनिवार्य है फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव अनिवार्य रूप से कृषि ही रहनी चाहिए। भारतीय कृषि की पुनर्संरचना को ध्यान में रखे बिना उत्पादन बढ़ाने की प्रत्येक योजना का परिणाम निराशाजनक ही होगा।

12. संघ का मत है कि कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजना को अपनाया जाना चाहिए :–

(i) कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए। भारत में कृषि तब तक समृद्ध नहीं हो सकती जब तक खेती की पद्धति प्राचीन रहेगी।

(ii) मशीनों द्वारा खेती संभव बनाने के लिए छोटे जोतक्षेत्रों के स्थान पर बड़े फार्मों पर खेती की जाए।

(iii) उपज को बढ़ाने के लिए पर्याप्त खाद और उन्नत बीजों की आपूर्ति का प्रावधान होना चाहिए।

13. इस योजना को स्वीकार कर इस पर कार्य करना साधारण किसान के लिए संभव नहीं है। उसके पास योजना की लागत को वहन करने का कोई साधन नहीं है। अनुसूचित जाति संघ का मत है कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। इस योजना का प्रथम तत्व राज्य का उत्तरदायित्व होना चाहिए। राज्य द्वारा किसान को सभी मशीनीकृत उपकरणों की आपूर्ति किराये पर की जानी चाहिए और इसकी वसूली भू–राजस्व के साथ की जाए।

14. अनेक छोटे जोतक्षेत्रों से बड़े पैमाने पर फार्मों के सृजन में अत्यधिक समस्या आती है। परन्तु सहकारी खेतों या सामूहिक खेतों की शुरूआत कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

15. यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग हैं जो केवल भूमिहीन मजदूर हैं, जो दयनीय स्थिति में जीवन निर्वाह कर रहे हैं तथा किसानों द्वारा शोषित हो रहे हैं और इनमें से अधिकांश अस्पृश्य एवं अन्य पिछड़ी जातियों से हैं। ऐसे भूमिहीन मज़दूरों को उनकी नियति पर क्यों छोड़ दिया जाए जिससे उनकी दुर्दशा होती रहे और देश में गरीबी फैले। यह अत्यन्त खेदजनक है क्योंकि यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसका निवारण न किया जा सके। इस संबंध में भारत में उपलब्ध भूमि से संबंधित निम्न आँकड़े निर्देशात्मक हैं :

- कुल भौगोलिक क्षेत्र — 811 मिलियन एकड़
- कुल कृषि भूमि — 577 मिलियन एकड़
- कुल वनीय भूमि — 84 मिलियन एकड़
- कृषि योग्य परत बेकार भूमि — 93 मिलियन एकड़
- अकृष्य भूमि — 93 मिलियन एकड़
- परती भूमि — 62 मिलियन एकड़
- कृषि के अंतर्गत कुल भूमि — 244 मिलियन एकड़

इन आँकड़ों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 93 मिलियन एकड़ भूमि ऐसी है जो कि कृषि योग्य परंतु बेकार भूमि है, जिस पर खेती की जा सकती है। निश्चित रूप से यह आधुनिक विज्ञान की सीमा से बाहर नहीं है कि इस बहुत बड़ी खेती योग्य बेकार भूमि को प्राप्त कर खेती के लिए उपलब्ध कराया जाए। अनुसूचित जाति संघ इस प्रश्न का हल ढूंढेगी।

16. किसानों की समृद्धि देश में फैले वन–प्रदेशों के रखरखाव पर निर्भर होनी चाहिए। वन–प्रदेशों के बिना उचित मात्रा में वर्षों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और भारत में कृषि हमेशा पूर्व की भांति वर्षा पर ही निर्भर रहेगी। संघ हमेशा अकृष्य बेकार भूमि पर वृक्षारोपण पर बल देता रहेगा।

17. सूक्ष्म अर्थों में कृषि कभी भी लाभकारी कारोबार नहीं हो सकता है। इसे सहकारी उद्योगों, जिन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है, के साथ जोड़ा जाना चाहिए। परन्तु कोई भी योग्य कुटीर उद्योग विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। अनुसूचित जाति संघ की राय में विद्युत का उत्पादन भारत की आर्थिक समृद्धि की नींव है और अनुसूचित जाति संघ नदी घाटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयास करेगा, जिसका उद्देश्य सिंचाई की व्यवस्था करना, विद्युत उत्पादन करना और बाढ़ों को रोकना है।

18. जिस प्रकार भूमि की उपेक्षा हुई है, उसी प्रकार भूमिहीन मज़दूर भी उपेक्षित रहे हैं। संघ, बिना जुताई वाली भूमि या खेती योग्य बनाई गई भूमि में से भूमिहीन मज़दूरों के लाभ के लिए भूमि आरक्षित करेगा और उनके लिए न्यूनतम मज़दूरी का सिद्धान्त भी लागू करेगा।

II - नई समस्यायें

19. अब तक घोषणा–पत्र में उस पक्ष को रखा गया है जिसमें अनुसूचित जाति संघ उन पुरानी समस्याओं के समाधान का प्रस्ताव करता है जिन्हें अंग्रेज भारत में बपौती के रूप में छोड़ गये हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् नई समस्याएँ उभर कर आई हैं। इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया हैं :–

(क) आंतरिक प्रशासन की समस्याएँ, और

(ख) विदेशी सम्बन्धें की समस्याएँ।

क. आतंरिक प्रशासन की समस्याएँ

20. आंतरिक प्रशासन की महत्त्वपूर्ण समस्याएँ निम्नलिखित हैं:–

(I) भाषायी प्रांतों की समस्या;

(II) प्रशासन में विशुद्धता की बहाली की समस्या;

(III) नियंत्रण एवं कालाबाजारियों की समस्या;

(IV) मुद्रास्पफीति की समस्या और आजीविका की लागत में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न समस्या।

21. भाषायी प्रान्तों की समस्या अत्यन्त तत्कालिक है। मद्रास, मध्य प्रदेश और बम्बई राज्यों में भाषायी इकाइयों के झगड़े ने प्रजातन्त्र को असंभव बना दिया है। हमारा संविधान पूर्णतया राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार चले इसके लिए विभिन्न भाषायी समुदायों में सामाजिक शान्ति अवश्य होनी चाहिए। इस के लिये भाषायी राज्य ही इसका एकमात्र उपचार है। संघ भाषायी राज्यों के सृजन पर बल देगा।

22. अनुसूचित जाति संघ का विश्वास है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से कांग्रेस द्वारा सृजित है। कांग्रेस भ्रष्ट को सजा देने में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस के सदस्यों ने एक राज्य में नहीं अपितु कई राज्यों में अपने ही कांग्रेसी मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी के आरोप लगाये हैं। कांग्रेसी हाईकमान ने जाँच करना भी आवश्यक नहीं समझा। इन आरोपों के विरुद्ध जाँच करने एवं कांग्रेस के दोषी मंत्रियों को सजा देने के बजाए कांग्रेस हाईकमान ने उन्हीं का दमन किया, जिन्होंने ऐसे आरोप लगाये थे। इस प्रकार भ्रष्टाचार एवं बेईमानी का खुले रूप से संरक्षण किया गया। जब उच्च स्तर के मंत्री भ्रष्ट हैं तो नीचे के अधिकारी भ्रष्ट कैसे नहीं होंगे? संघ भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए दबाव डालेगा और कॉंग्रेस की सत्ता के दौरान तथा कॉंग्रेस के कारण अत्यधिक गिर चुके प्रशासन के स्तर के उत्थान के लिए कार्य करेगा।

23. नियंत्रण और कालाबाजारियों की समस्या भी कांग्रेस एवं बड़े व्यवसायियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों का ही परिणाम है। कांग्रेस को उसके पूरे जीवनकाल में बड़े व्यवसायियों द्वारा ही वित्त पोषण प्रदान किया गया है और वह बड़े व्यवसायियों के समर्थन से ही पोषित होती रही है। उत्तसर प्रदेश राज्य में हुई घटना की अभी हाल ही में जो जानकारी मिली है, उससे ज्ञात होता है कि कांग्रेस और बड़े व्यवसायियों के बीच संबंध अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस बड़ी व्यवसायी ताकत को चुनाव फण्ड के बदले में बेचने के लिये तैयार है और बड़े व्यवसायी कांग्रेस को अपने चुनाव के लिये पैसा देकर ताकत खरीदने को तैयार हैं। इसका उपचार बहुत कुछ मतदाता के अपने हाथ में है। यदि वह यह समझ जाए कि उसे ऐसे प्रत्याशी का समर्थन नहीं करना चाहिए जो कि बड़े व्यवसायी द्वारा समर्थित है, तो वह समस्या के समाधान में बहुत बड़ी सहायता करेगा। संघ, जो कि बड़े व्यवसायी ताकतों से कोसों दूर है, यह देखेगा कि बड़े व्यवसायी देश की सरकार का संचालन न करें।

24. मुद्रास्फीति की समस्या स्थिर हो गई प्रतीत होती है। इससे जन–जीवन को दुष्प्रभावित होने दिया जा रहा है। इस पर इतनी गंभीरता से विचार नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। संघ इसके तत्काल हल के लिए दबाव डालेगा।

ख–विदेश नीति की समस्यायें

25. यह वास्तविकता है कि भारत की स्वतंत्रता के दिन सभी राष्ट्र भारत के मित्र थे और उन्होंने भारत की शुभ कामनायें दी थीं। आज स्थिति बिलकुल विपरीत है। भारत का कोई मित्र नहीं है। सभी राष्ट्र उसके यदि वास्तविक शत्रु नहीं तो विरोधी अवश्य है। स्थिति में यह विकट परिवर्तन कांग्रेस सरकार की विदेश नीति का परिणाम है। पिछले तीन वर्षों में भारत के प्रति विदेशी राष्ट्रों के रवैये में परिवर्तन का कारण भारत की कश्मीर संबंधी नीति, कम्युनिस्ट चीन का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश तथा कोरियाई युद्ध के संबंध में नीति है।

26. कश्मीर के मामले में कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई नीति अनुसूचित जाति संघ को स्वीकार्य नहीं है। यदि यह नीति जारी रही तो भारत और पाकिस्तान के मध्य निरतंर शत्रुता की स्थिति बनी रहेगी और उसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनायें बन जाएंगी। अनुसूचित जाति संघ का मत है कि यह दोनों देशों के हित के लिए अनिवार्य है कि वे अच्छे एवं मैत्रीपूर्ण भाव रखने वाले पड़ोसी बनें। इस उद्देश्य के लिए पाकिस्तान के बारे में अपनाई जाने वाली उचित नीति दो विचारधाराओं पर आधारित होनी चाहिए। (1) भारत के विभाजन को रद्द करने के संबंध में कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। विभाजन को निर्णीत वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जाए और मामले को पुनः न खोला जाये और दोनों देश दो अलग प्रभुता सम्पन्न देश बने रहें (2) कि कश्मीर का विभाजन होना चाहिए – मुस्लिम क्षेत्र पाकिस्तान में जाए (बशर्तें घाटी में रह रहे कश्मीरी इस बात के इच्छुक हों) और जम्मू और लद्दाख से मिलकर बने गैर मुस्लिम–क्षेत्र भारत में आ जाएं।

27. इस नीति से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनने की सर्वोत्तम संभावनाएँ हैं और अनुसूचित जाति संघ इस नीति को स्वीकार करने के लिए दवाब डालेगा।

28. हमारी एक अन्य विदेश नीति चीन से संबंधित है जिसने अन्य देशों को हमारा शत्रु बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य के रूप में प्रविष्टि के लिए भारत को संघर्ष के लिए खड़ा कर दिया गया है। यह एक असाधारण कार्य है। भारत चीन की लड़ाई क्यों लड़े जब कि चीन अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्णतया सक्षम है। कम्युनिस्ट चीन के लिए भारत द्वारा संघर्ष के कारण भारत एवं अमेरिका

के मध्य वर्तमान में मतभेद होने के परिणामस्वरूप भारत के लिए अमेरिका से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करना असंभव हो गया है।

29. हमने स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे को अस्वीकार किया था। हमारा देश एक स्वतंत्र देश बन गया है। तत्पश्चात् ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में बने रहने के लिए सहमति दी है, फिर भी हमारे संबंध अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं है।

30. हम अपनी विदेश नीति में पूँजीवादी एवं संसदीय प्रजातंत्र में अन्तर करने में समर्थ नहीं है। पूँजीवाद के प्रति विमुखता समझ में आती है। परन्तु हमें ध्यान रखना है कि हम अपने संसदीय प्रजातंत्र को कमजोर होने तथा तानाशाही को बढ़ने न दें। यह इस प्रकार होगा कि एक बच्चे को स्नानागार के साफ जल से निकालकर गन्दे पानी में डाल देना।

31. भारत का प्रथम दायित्त्व अपने प्रति होना चाहिए। कम्युनिस्ट चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाने के लिए संघर्ष करने के बजाय भारत को स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय भारत चिनगाई शेख के विरुद्ध माओं का युद्ध करने में लगा हुआ है। विश्व को बचाने की अव्यावहारिक नीति भारत को विनाश की ओर अग्रसर कर रही है और जितनी जल्दी इस आत्मघाती विदेश नीति में बदलाव किया जाता है भारत के लिए उतना अच्छा होगा। एशियाई देशों के लिए संघर्ष करने से पूर्व भारत को हर संभव प्रयास कर हर प्रकार की सहायता प्राप्त कर अपने आपको मज़बूत बनाना होगा तभी उसकी मत प्रभावशाली होगा। अनुसूचित जाति संघ इसी प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण करेगा।

III – संसाधनों का प्रश्न

33. कार्यक्रम, केवल शब्दों या विचारों का मामला नहीं है। यदि इसे कार्यान्वित किया जाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि अपेक्षित वित्त पोषण प्राप्त किया जाए। कोई भी तब तक पार्टी के कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लेगा जब तक पार्टी यह स्पष्ट करने में समर्थ नहीं होती कि वह अपना खर्च कैसे वहन करेगी।

34. यद्यपि संघ द्वारा निर्धारित किये गये कार्यक्रम के लिए अपेक्षित राशि किसी भी रूप में कम नहीं है फिर भी वित्तीय समस्या असाध्य नहीं है। अनुसूचित जाति संघ ने देश के विकास के लिए वित्त की बढ़ोतरी हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :

(i) सेना पर व्यय में कमी;

(ii) नमक–कर को पुनः लागू करना;

(iii) उत्पादन राजस्व की बचत ;

(iv) बीमा का राष्ट्रीयकरण

35. भारत सरकार का कुल राजस्व लगभग 350 करोड़ रुपये है और इसमें 50 प्रतिशत से अधिक का राजस्व अर्थात् लगभग 180 करोड़ रुपये वार्षिक का व्यय सेना पर होता है। ऐसे देश में जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं वहाँ सेना पर यह व्यय बहुत अधिक है। घोषणा–पत्र में दिये गये सुझाव के अनुसार कश्मीर मामले का निपटान और विदेश नीति में परिवर्तन करने और अन्य विदेशी राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के आधार पर रक्षा व्यय में 50 करोड़ रुप्ये प्रतिवर्ष की कटौती करने में कोई जोखिम नहीं है।

36. ऐसा कोई कारण नहीं है कि नमक–कर दुबारा न लगाया जाए। नमक–कर को समाप्त करना केवल भावनावश लिया गया पफैसला था। इससे नमक सस्ता नहीं हुआ। इसके बजाय नमक मंहगा हो गया है। इससे केवल यह हुआ कि राज्य को राजस्व के मूल्यवान स्रोत की हानि हुई जिससे 11 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व अर्जित होता था और इससे देश को विकास की ओर अग्रसर करने में राज्य को गंभीर रूप से अक्षम हो गया है। यदि कर इस दर पर लगाया जाता है जिससे कर के रूप में 30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अर्जित हों तो भी जनता पर पड़ने वाला कर का बोझ न के बराबर होगा।

37. नशाबन्दी महज पागलपन है। इसको बढ़ावा दिये जाने को ही केवल नहीं रोकना होगा अपितु इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। शराब का उत्पादन कुटीर उद्योग बन गया है। पूर्व में केवल पुरुष शराब पीते थे। अब महिलाएँ एवं बच्चे भी पीते हैं क्योंकि शराब का उत्पादन प्रत्येक घर में महिलाओं एवं बच्चों की उपस्थिति में होता है। इससे अपराध को बढ़ावा मिला है और निम्न वर्गों का निकृष्टतम रूप से नैतिक पतन हुआ है।

38. राज्य के संसाधनों को बनाये रखने की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी हानि है। भाग 'क' राज्यों का वर्ष 1945–46 में उत्पादन राजस्व 51.67 करोड़ रुपये था। वर्ष 1950–51 में यह 25.23 करोड़ रुपये था। वर्ष 1951–52 के लिए बजट अनुमान 24.95 करोड़ रुपये है। वर्ष 1945–46 के आँकड़ों में विभाजन पूर्व पंजाब एवं बंगाल सम्मिलित हैं। किन्तु स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भाग 'क' राज्यों में नशाबन्दी

के कारण प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये तक की हानि हुई है। तथापि इसमें शराब बन्दी न होने की स्थिति में उत्पादन राजस्व की संभावित वृद्धि को सम्मिलित नहीं किया गया है।

39. बम्बई के लिए वर्ष 1946–47 में उत्पादन राजस्व 9.74 करोड़ रुपये था। वर्ष 1950–51 में यह 1.20 करोड़ रुपये था और वर्ष 1951–52 के लिए बजट अनुमान 1.05 करोड़ रुपये है। इस प्रकार उत्पादन राजस्व में लगभग 8.7 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

40. मद्रास में वर्ष 1945–46 में उत्पादन राजस्व 16.80 करोड़ रुपये था। वर्ष 1950–51 में यह घटकर 0.50 करोड़ रुपये रहे गया। वर्ष 1951–52 के लिए बजट अनुमान 0.36 करोड़ रुपये है। इस प्रकार शराब–बन्दी के परिणामस्वरूप उत्पादन राजस्व में 16 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

41. उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947–48 में उत्पादन राजस्व 7.06 करोड़ रुपये था। वर्ष 1950–51 में यह घटकर 0.50 करोड़ रुपये रह गया। वर्ष 1951–52 के लिए बजट अनुमान 5.84 करोड़ रुपये है। इस प्रकार 1.2 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

42. मध्य प्रदेश, पंजाब और बंगाल में भी उत्पादन राजस्व में गिरावट प्रकट हुई है।

43. केवल बम्बई एवं मद्रास के लिए उत्पादन राजस्व में हानि लगभग 25 करोड़ रुपये आकलित की गई है जो कि भाग 'क' राज्यों के सम्मिलित उत्पादन राजस्व में अनुमानितः गिरावट भी है।

44. ये आँकड़े अपूर्ण हैं। इनमें भाग 'ख' राज्यों का कोई आँकड़ा सम्मिलित नहीं है। शराब बन्दी नीति को अपनाने के परिणामस्वरूप इसके कार्यान्वयन पर किये गये व्यय के आँकड़े भी इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

45. इक्विटी के दृष्टि से शराबबन्दी का कोई औचित्य नहीं है। नशाबन्दी की लागत सामान्य नागरिकों द्वारा वहन की जा रही है। एक या दो लाख शराब के आदी व्यक्तियों, जिनको कभी सुधारा नहीं जा सकता, के सुधारने की कीमत आम नागरिक को क्यों चुकानी पड़े? सामान्य जन को शराबबन्दी की लागत का भुगतान क्यों करना पड़े जबकि नागरिकों की अन्य जरूरतें जैसे शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। धन का प्रयोग विकास योजनाओं के लिए क्यों न किया जाए? किसको अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए – शराबी को या भूखे को ? ये प्रसंगानुकूल प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है सिवाय अहंकार एवं दुराग्रह

के। जो भी हो, शराबबन्दी की नीति को बदला जाना चाहिए और लोगों के धन के वृहत् रूप से अपव्यय को रोका जाए और संसाधनों का उपयोग सामान्य कल्याण को बढ़ाने के लिए किया जाये।

46. जहाँ तक बीमा के राष्ट्रीयकरण का संबंध है यह धन का अत्यधिक लाभकारी स्रोत है, जैसा कि निम्न आंकड़े दर्शाते हैं :

बीमा अधिनियम के अधीन 1950 में कुल कितने
339

बीमाकर्त्ता पंजीकृत हुए

वर्ष 1949 में कुल कितनी जीवन बीमा पॉलिसियॉ की गई 33,03,000
बीमाकृत राशि
7,39,49,00,000

बीमा किश्त द्वारा वार्षिक आय 37,18,00,000

अपेक्षानुसार सरकारी प्रतिभूतियों में कुल निवेश
8,64,16,000

प्रबन्धन पर व्यय प्रीमियम आय का 29.2 प्रतिशत

47. इन आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि जीवन बीमा कम्पनियों में प्रतिवर्ष 37 करोड़ रुपये जमा होते हैं। बैंक जमा की तरह यह डिमांड जमा नहीं है। डिमांड जमा न होने के कारण इन्हें लम्बी अवधि की विकास परियोजनाओं में आसानी से विनियोजित किया जा सकता है। यह सत्य है कि बीमा कम्पनियाँ अपने धन का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में करती है ताकि अंततः यह कहा जा सके कि सरकार ही है जिसे बीमा धन प्राप्त होता है। परन्तु यह बीमा के राष्ट्रीयकरण का उत्तर नहीं है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाने वाली राशि 37 करोड़ रुपए में से केवल 9 करोड़ रुपये हैं जो बहुत थोड़ी है। दूसरी सरकार को इन प्रतिभूतियों पर ब्याज देना पड़ता है जो कि करदाताओं पर व्यर्थ का बोझ है। तीसरा, बीमा कम्पनियाँ प्रीमियम से आय का 29 प्रतिशत वार्षिक स्वयं अपने आप पर व्यय करती है जो कि वर्ष 1949 के लिए 37 करोड़ रुपये में से 11 करोड़ रुपये बनता है। धन का यह अपव्यय असहनीय है। इस सबको राष्ट्रीयकरण द्वारा रोका जा सकता है।

48. अनुसूचित जाति संघ न केवल बीमा के राष्ट्रीयकरण के लिए दबाव डालेगा, यह सभी राजकीय और निजी कर्मचारियों के लिए बीमा अनिवार्य भी करेगा। अनिवार्य बीमा व्यक्ति को सुरक्षा और सरकार को और अधिक विकास के लिए निधि प्रदान करेगा।

49. संघ द्वारा निर्धारित योजना के अंतर्गत देश के विकास के कार्य करने लिए उपलब्ध संसाधन निम्न प्रकार से होंगे :—

1. सेना बजट से	50 करोड़ रुपये
2. नमक राजस्व से	30 करोड़ रुपये
3. उत्पादन शुल्क से	25 करोड़ रुपये
4. जीवन बीमा से	
5. राजकीय एव निजी कर्मचारियों के अनिवार्य बीमा से	आंकड़े उपलब्ध नहीं

50. देश के विकास के लिए पर्याप्त निधि प्राप्त करने के लिए इंगित संसाधनों पर निर्भर रहा जा सकता है।

IV. अनुसूचित जाति संघ और अन्य राजनीतिक दलों के मध्य सहयोग

51. केवल संगठन से पार्टी नहीं बनती है। पार्टी का तात्पर्य लोगों का एक निकाय, जो सिद्धान्तों द्वारा आबद्ध हो। पार्टी सिद्धान्तों के बिना एक पार्टी के रूप में कार्य नहीं कर सकती। सिद्धान्तों के न होने से सदस्यों को एकजुट रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। बिना सिद्धान्तों के पार्टी केवल एक सराय होती है। अतः अनुसूचित जाति संघ किसी ऐसी पार्टी को मित्र नहीं बनायेगा जिसने अपने सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये हुए हैं और जिनका संविधान अपने सदस्यों से सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ की माँग नहीं करता है और उनके सिद्धान्त संघ के सिद्धान्तों के प्रतिकूल न हों।

52. केवल राजनीतिक आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है। आदर्शों की विजय अपेक्षित है। परन्तु आदर्शों की विजय केवल व्यवस्थित पार्टियों द्वारा न कि व्यक्तियों द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। इन कारणों से संघ अपवादिक मामलों को छोड़कर

स्वतंत्र प्रत्याशियों, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं, का समर्थन नहीं करेगा।

53. दूसरी बात अनुसूचित जाति संघ पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के सहयोग से कार्य करना पसन्द करेगा। क्योंकि उनकी स्थिति प्रायः अनुसूचित जातियों की भांति हो। दुर्भाग्य से इन वर्गों में राजनीतिक जागरूकता इस स्तर तक नहीं आयी है जो अनुसूचित जातियों में पिछले बीस वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति संघ की राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के कारण आयी है। स्वतंत्र भारत के संविधान ने पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अनुसूचित जातियों को वस्तुतः देश का प्रमुख नागरिक बना दिया है। अब तक हिन्दू जाति के अल्पसंख्यकों ने अपने आपको देश का शासक बनाया हुआ था। अनुसूचित जाति संघ को भय है कि पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों में जागरूकता की कमी के कारण वे हिन्दू जाति के अल्पसंख्यकों के शिकार हो जायेंगे और स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छानुसार कार्य करने की बजाय उनके गुलाम बने रहेंगे। अनुसूचित जाति संघ की पहली प्राथमिकता इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा करने को है। यदि वे चाहें तो अनुसूचित जाति संघ अपना नाम बदल कर पिछड़ी जाति संघ करने के लिए तैयार है ताकि साझे संगठन में दोनों वर्गों को सम्मिलित किया जा सके। यदि यह संभव नहीं होगा तो अनुसूचित जाति संघ ऐसे संगठनों से कार्यशील मैत्री बनाने के लिए तैयार एवं इच्छुक रहेगा।

54. अन्य राजनीतिक दलों के संबंध में, अनुसूचित जाति संघ का रवैया आसानी से समझा जा सकता है। अनुसूचित जाति संघ हिन्दू महासभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी प्रतिक्रियावादी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगा।

55. अनुसूचित जाति संघ कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी से भी नहीं करेगा क्योंकि उसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संसदीय प्रजातंत्र को समाप्त कर उसके स्थान पर तानाशाही को स्थापित करना है।

56. अनुसूचित जातिसंघ एकदलीय शासनतंत्र में विश्वास नहीं रखता है और इसलिए वह ऐसे किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित नहीं होगा जो पहले से ही सर्वसत्ता वादी हो और किसी विपक्षी पार्टी को बढ़ने की स्वीकृति न देती हो।

57. अनुसूचित जाति संघ राजनीतिक दलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी का भी समान रूप से विरोध करता है। अनुसूचित जाति संघ का मानना है कि दो पार्टियाँ होनी चाहिएं। केवल इसी से राज्य को स्थायित्व एवं व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। संघ इस देश में दो पार्टी प्रणाली लाने के लिए संघर्ष करेगा। लेकिन इस संकल्पना को अब से आगामी आम चुनावों तक की अल्पवधि में साकार

किया जाना संभव नहीं दिखाई देता है। फिलहाल यह संभव है कि व्यक्तियों की नहीं बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मिलाकर एक अखिल भारतीय पार्टी बना ली जाए। सम्मिलित किये जाने वाले राजनीतिक दलों का साझा आधार राजनैतिक सिद्धान्त हो और वे साझे अनुशासन द्वारा बाध्य हों परन्तु अपने आंतरिक संगठन के मामले में प्रत्येक के पास स्वायत्तता हो तथा प्रत्याशियों का चुनाव एक सहमति के आधार पर किया जाए तथा समिति की स्वीकृति की शर्त पर एक दूसरे के प्रत्याशी का समर्थन करना पारस्परिक बाध्यता हो। संक्षेप में यह पार्टी ब्रिटिश लेबर पार्टी, जो कि एक फेडरल पार्टी है, की तरह होनी चाहिए।

58. अनुसूचित जाति संघ के.एम.पी. पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, द जस्टिस पार्टी के साथ और जहाँ ऐसी पार्टियाँ नहीं हैं वहाँ अन्य पार्टियों के साथ निम्न शर्तों पर ऐसी फेडरल पार्टी की इकाई बनने के लिए तैयार है : —

(1) ऐसे गठबंधन में प्रत्येक पार्टी के सिद्धान्त स्पष्ट शब्दों में निर्धारित होने चाहिए;

(2) ऐसी पार्टी के सिद्धान्त अनुसूचित जाति संघ के सिद्धान्तों से विरोधाभासी नहीं होने चाहिए;

(3) मैत्री की इच्छुक पार्टी को अनुसूचित जाति के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अपना समर्थन देने के लिए शपथ लेनी होगी;

(4) पार्टी को फेडरल संगठन के भीतर अनुसूचित जाति संघ को उसके आंतरिक मामलों में एक स्वायत्तशासी इकाई के रूप में कार्य करने की स्वीकृति देने के लिए सहमत होना पड़ेगा; तथा

(5) पार्टी किसी ऐसी पार्टी से सम्बद्ध न हो जिसे पफेडरल पार्टी द्वारा अपनी स्वयं की एक इकाई के रूप में मान्यता न दी गई हो।

59. व्यक्तियों के संबंध में जो चुनाव में अनुसूचित जाति संघ की सहायता लेना चाहते हैं उन्हें संघ का एसोसिएट सदस्य बनना होगा और उन्हें एक शपथ—पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे कि वे संघ के सिद्धान्तों, नीतियों, कार्यक्रम और अनुशासन को स्वीकार करते हैं।

47

त्याग–पत्र बीमारी के कारण नहीं

डॉ. अम्बेडकर का वक्तव्य, नई दिल्ली 12 अक्तूबर, 1951

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने आज यहाँ कहा कि उन्होंने बीमारी के आधार पर त्यागपत्र नहीं दिया है।

वक्तव्य में उन्होंने कहा कि पिछले 10 अगस्त को प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने अपनी बीमारी का उल्लेख किया था परन्तु इसका उल्लेख अपने त्याग–पत्र के आधार के रूप में नहीं किया था। उन्होंने उल्लेख किया था कि यह हिन्दू संहिता के लिए उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त करने का आधार है। पिछली 27 सितम्बर को अपने त्यागपत्र में उन्होंने अपनी बीमारी को अपने त्यागपत्र का आधार नहीं बताया था।

''इन दोनों पत्रों के आधार पर कोई कैसे कह सकता है कि मैंने अपने स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दिया है, यह मैं समझने में असमर्थ हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसी धारणा बनाये जाने के प्रयास किये जा रहे थे, इसलिए मैं सदन में वक्तव्य देना चाहता था ताकि कोई भी किसी गलतपफहमी में न रहे।''

भूतपूर्व कानून मंत्री ने उनके त्यागपत्र पर संसद में उनके वक्तव्य के विरुद्ध कल सांय 6 बजे उठाये गये प्रश्न पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उसकी अनुपस्थिति में सदन में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट समाचार–पत्रों में पढ़ने के पश्चात् उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री एवं उपाध्यक्ष द्वारा जो कुछ कहा गया उससे सदस्यों के मन में कुछ भ्रम पैदा हो गया है।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा ''दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री ने मुझे सूचित नहीं किया कि वे सांय 6 बजे यह प्रश्न उठाने जा रहे हैं। यदि उन्होंने मुझे ऐसे करने के संबंध में अपना आशय व्यक्त किया होता तो मैं निश्चित रूप से सदन में यह सुनने के लिए उपस्थित रहता कि उनको क्या कहना है और अपना स्पष्टीकरण वहीं दे देता। परन्तु मुझे उनसे ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और परिणामस्वरूप में सदन में उपस्थित नहीं था।

''इसलिए मैं स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ मैं नही समझ पाया कि प्रधानमंत्री ने मेरे तथा उनके बीच हुए पत्राचार को पढ़कर क्या बताना चाहते थे। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ। यदि प्रधानमंत्री पत्राचार पढ़कर यह धारणा बनाने के इच्छुक प्रतीत होते हैं कि मेरे त्यागपत्र का आधार मेरी बीमारी है तो इस निष्कर्ष को निरस्त करना कठिन नहीं है।''

डॉ. अम्बेडकर का पत्र पढ़ने का औचित्य

श्री कामथ का संसद में प्रश्न

नई दिल्ली 12 अक्तूबर : प्रधानमंत्री द्वारा कल सांयकाल संसद में डॉ. अम्बेडकर एवं उनके बीच हुए पत्राचार के अंश डॉ. अम्बेडकर से अनुमति लिए बिना तथा उनके बिना सूचना दिये, पढ़ने के औचित्य के संबंध में आज प्रातः श्री एच.वी. कामथ द्वारा संसद में प्रश्न पूछा गया।

हर्ष–ध्वनि के बीच प्रथम पंक्ति में डॉ. अम्बेडकर द्वारा अपना स्थान ग्रहण किए जाने के पश्चात् श्री कामथ ने प्रश्न पूछा और कहा कि क्या डॉ. अम्बेडकर को पत्राचार पर टिप्पणी करते हुए वक्तव्य देने की सहमति दी जाएगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात स्वयं कहे। उन्होंने इंगित किया कि उसने डॉ. अम्बेडकर को अपना वक्तव्य देने के लिए कल सांय 6 बजे का समय नियत किया था। उस समय डॉ. अम्बेडकर अपने स्थान पर नहीं थे और प्रधानमंत्री कुछ संगत दस्तावेज पढ़ना चाहते थे और उनको अनुमति प्रदान की गई। किसी सदस्य को कोई विशेष नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि जब प्रातः उन्होंने कक्ष छोड़ा था उस समय वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उन्होंने सदन एवं अध्यक्ष के समक्ष यह व्यक्त कर दिया था कि वे सांय 6 बजे वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह प्रधानमंत्री द्वारा सांय 6 बजे पत्राचार पढ़ने के कारण आहत हैं। ''यह पूरी तरह जानते हुए कि मैंने प्रातः स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं आपके अवलोकनों को नहीं मानूँगा एवं सांय 6 बजे वक्तव्य नहीं दूँगा।''

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा –

''प्रधानमंत्री के पत्रों को पढ़ना न्यायोचित था अथवा नहीं मैं इस मामले को पधानमंत्री और आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि मेरे पास गलत छाप को सही करने के अन्य साधन मौजूद हैं।''

प्रसंग को समाप्त करते हुए उपाध्यक्ष ने कहा कि अपना विचार बदलने और वक्तव्य देना, विशेषकर जब मैंने एक बार वक्तव्य के लिए सांय 6 बजे का समय नियत किया हुआ है, यह सदस्य पर निर्भर करता है।''[1]

---

1. दिनांक 11.10.1951 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक '11' गलत प्रतीत होता हो – संपदाक पुनर्मुद्रित : खैरमोरे, खंण्ड 10, पृष्ठ 119–121।

48

ऐसी अन्य पार्टियों के साथ मैत्री, जिनके उद्देश्य संघ विरोधी नहीं हैं,

पटना, 7 नवम्बर, 1951 (पी.टी.आई.)

अनुसूचित जाति संघ के नेता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने आज प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को साक्षात्कार देते हुए कहा कि उसकी पार्टी न केवल सोशलिस्ट पार्टी बल्कि अन्य पार्टियों, जिनके उद्देश्य संघ के उद्देश्यों के प्रतिपफल न हो, के साथ चुनाव लड़ना चाहती है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण से आज लगभग एक घंटे तक बातचीत की। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बातचीत चुनाव गठबंधन के मुद्दे पर केन्द्रित रही।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी तरह कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता नहीं करेगी। ''जिसका स्पष्ट कारण है कि मैं साम्यवाद में विश्वास नहीं करता।''

पूछा गया, क्या वे अपनी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने के लिए रोकेंगे क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से कम्युनिज़्म का विरोध करते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''मैं अपनी पार्टी का दास नहीं बनूंगा जब तक मैं और मेरी पार्टी सहमत होगी हम मिलकर काम करेंगे अन्यथा हम अपने–अपने रास्ते पर चले जाएंगे। मैं राजनीति पर जीवित नहीं और राजनीति पर जीवित रहने का प्रस्ताव नहीं करता।''

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने यह भी कहा कि साम्यवादियों के प्रश्न पर उनके तथा उसकी पार्टी के मध्य कोई मतभेद नहीं है।

अधिक समय

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि उन्होंने हमेशा चुनाव जल्दबाजी में करवाने का विरोध किया है। उनके विचार में जनता को जन–प्रतिनिधि अधिनियम पारित होने और वास्तविक रूप से चुनाव करवाने के बीच कम से कम एक वर्ष का समय दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने आपको इसके लिए तैयार कर सकें।

यदि उनके पास समय होता तो उन्होंने एकात्मक या संघीय आधार पर काँग्रेस का विरोध करने के लिए एकल पार्टी बनाने का स्वयं प्रयास किया होता। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि संघ की प्रांतीय शाखाओं को अन्य पार्टियों, जिनके उद्देश्य संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं थे, के साथ चुनावी गठबंधन करने की छूट दी गई है।

---

1. दिनांक 8 नवम्बर, 1951 का द क्रॉनिकल।

49

कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायधीश नहीं होना चाहिए

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1951

भारत के पूर्व कानून मंत्री तथा, भारत और संविधान के प्रधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर, आज उच्चतम न्यायालय में एक वकील (प्रैक्टिसिंग लॉयर) के रूप में उपस्थित हुए। वे शीघ्र ही कुछ ज़मींदारों की याचिकाओं पर बहस करेंगे।

श्री पी.आर. दास, जो कि अपनी बहस आज पूरे दिन करते रहे, ने एक स्थान पर डॉ. अम्बेडकर की न्यायालय में उपस्थिति का उल्लेख किया था। उन्होंने न्यायालय को बताया कि संविधान के प्रारूप में एक वाक्यांश था परन्तु डॉ. अम्बेडकर के कहने पर उसे बाद में हटा दिया गया।

श्री दास ने कहा, ''डॉ. अम्बेडकर यहाँ हैं। श्रीमन् कृपया आप उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए बुलाएँ कि उन शब्दों को क्यों हटा दिया गया।'' (ऊँचे स्वर में हँसी)–यू.पी.आई।''[1]

नई दिल्ली, 6 मार्च*

डॉ. अम्बेडकर ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष उत्तर–प्रदेश के जमीदारों की ओर से अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि जमीदारों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि को निश्चित करने के लिए राज्य निर्णय नहीं ले सकता। अमरीकी सिद्धांतों के आधार पर डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि न्यायशास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति स्वयं के मामले में निर्णायक नहीं हो सकता है।

डॉ. अम्बेडकर, कुछ जमीदार याचिकादाताओं की ओर से उत्तर प्रदेश जमीदारों एवं सम्पदा उन्मूलन अधिनियम को चुनौती दे रहे थे।

मुख्य न्यायधीश द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि यदि राज्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण नियत करता है तो यह उपचार क्या होना चाहिए, अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय राज्य द्वारा नियत क्षतिपूर्ति को स्वैच्छिक उपाय के रूप में घोषित करे।

---

1. दिनांक 11 दिसम्बर, 1951 का द फ्री प्रेस जर्नल

* दोनों में से एक तारीख गलत मालूम होती है – संपादक।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि क्षतिपूर्ति निर्धारित नियत करने का प्रश्न एक स्वतंत्र निकाय को सौंप दिया जाना चाहिए न कि राज्य को, जो निजी सम्पत्तियों का अधिग्रहण करना चाहती है।

उन्होंने कहा, ''उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति भ्रामक है और राशि में से संपूर्णद्धण ऋण का भुगतान करने के पश्चात् उन्हें कुछ नहीं मिलेगा,'' पी.टी. आई।''[1]

---

1. दिनांक 5 मार्च, 1951 का 'द फ्र प्रेस जर्नल।

50

चुनाव याचिका

भारत में प्रथम आम चुनाव वर्ष 1952 में घोषित किये गये थे। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, सम–विचार वाले राजीनतिक पार्टियों से समझौता करना चाहते थे। महाराष्ट्र में ''किसानों एवं वर्कस पार्टी'' और समाजवादियों के साथ चुनावी समझौता करने के लिए एक वार्ता की गई थी। श्री जयप्रकाश नारायण और श्री अशोक मेहता ने आचार्य डोंडे के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर से दिल्ली में मुलाकात की।

सूचित जाति संघ और समाजवादी पार्टी के मध्य समझौता हुआ और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने बम्बई शहर के उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र से आरक्षित प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के लिए अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरा। चुनाव 3 जनवरी, 1952 को किए गए – सम्पादक

''बम्बई के परिणाम चौंकाने वाले थे जाँच का अनुरोध किया गया''

नई दिल्ली 5 जनवरी, 1952

भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री डॉ. अम्बेडकर जो लोकसभा के लिए उत्तर बम्बई की आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ने आज कहा कि बम्बई शहर में चुनावों के अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं वे बम्बई के नागरिकों को हैरान करने तथा चौंकाने वाले हैं।

आज जारी वक्तव्य में डॉ. अम्बेडकर, ने कहा कि शहर में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षाकृत काफी कमजोर रहा। उन्होंने दावा किया कि सोशलिस्ट एवं अनुसूचित जाति संघ के पक्ष में भारी मतदान हुआ था।

''बम्बई की जनता के जबर्दस्त समर्थन को कैसे झुठलाया जा सकता है। इसलिए यह वास्तव में चुनाव आयुक्त द्वारा जाँच का मामला है'' उन्होंने कहा –पी. टी.आई''[1]

---

1. दिनांक 6 जनवरी, 1952 का द टाइम्स ऑफ इंडिया ।

"अम्बेडकर, मेहता ने चुनाव याचिका दायर की

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1952

भूतपूर्व कानून मंत्री डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, और समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता ने बम्बई शहर उत्तरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव रद्द तथा गैर कानूनी घोषित करने के लिए प्रमुख चुनाव आयुक्त के समक्ष संयुक्त चुनाव याचिका दायर की।

इस दोहरी सदस्यता वाले निर्वाचन–क्षेत्र को एक कड़े मुकाबले वाला क्षेत्र माना जाता था जिसमें साम्यवादी नेता श्री एस.ए. डांगे, सहित आठ प्रत्याशियों ने भाग लिया था।

कांग्रेस प्रत्याशी श्री वी.बी. गाँधी और एन.एस. कजरोलकर (अनुसूचित जाति) इस चुनाव में निर्वाचित हुए।

चुनाव याचिका में ऐसे अनेक आधारों का उल्लेख किया गया जिसके आधार पर वे चुनाव को अमान्य घोषित करवाना चाहते हैं – पी.टी.आई।"[1]

"डॉ. अम्बेडकर ने 21 अप्रैल, 1952 को चुनाव आयोग में याचिका दायर की।"

जन–प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 प्रस्तुत करने के मामले में

चुनाव आयोग नई दिल्ली के समक्ष

3 जनवरी, 1952 को बम्बई शहर उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र से हुए लोकसभा के चुनाव को रद्द करने के लिए धारा 81 के अन्तर्गत चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव याचिका

---

2. दिनांक 25 अप्रैल, 1952 का द नेशनल स्टैंडर्ड।

नई दिल्ली

1. भीमराव रामजी अम्बेडकर, आयु 60 वर्ष
   बम्बई , राज गृह, हिन्दू कालोनी,
   दादर, बम्बई किला के बाहर के निवार्स

वादी

2. अशोक रंजीतराम मेहता, आयु 39 वर्ष
   बम्बई, 3—दैदिस्थ स्ट्रीट
   बाबुलनाथ मंदिर के पास
   बम्बई किला के बाहर के निवासी

बनाम

1. श्रीपद अमृत डांगे, आयु 52 वर्ष
   शाह निवास, नगरपालिका हाऊस सं. 3,
   कोहिनूर रोड, दादर
   बम्बई किला के बाहर के निवासी

प्रतिवादी

2. गोपाल विनायक देशमुख, आयु 56 वर्ष
   बम्बई 39—पेडर रोड
   बम्बई किला के बाहर के निवासी

3. विट्ठल बालकृष्णा गांधी, आयु 55 वर्ष
   बम्बई 23—द्वारिकादास स्ट्रीट, खटाउ बिलिंड
   बम्बई किला के बाहर के निवासी

4. केशव बालकृष्णा जोशी, आयु 49 वर्ष

बम्बई पी. 165, शिवाजी पार्क,
रोड नं. 6, माहिम
बम्बई किला के बाहर के निवासी

5. नारायण सदोबा काजरोलकर, आयु 56 वर्ष
बम्बई 187–सुपारीबाग रोड, परेल
बम्बई किला के बाहर के निवासी

6. नीलकण्ठ बाबूराव पारूलेकर, आयु 57 वर्ष
बम्बई निवासी 157–प्रिंसेस स्ट्रीट
बम्बई किला के बाहर के निवासी

7. दतात्रेय रामाचन्द्र घारपुरे, आयु 62 वर्ष
बम्बई टोपीवाला मेंशन, 386–सैंडहर्स्ट रोड
बम्बई किला के बाहर के निवासी

8. रामचन्द्र सदोबा काजरोलकर आयु, 42 वर्ष
बम्बई 185 –सुपारीबाग रोड, परेल
बम्बई किला के बाहर के निवासी

9. शान्ताराम सवालराम मिराजकर, आयु 49 वर्ष
बम्बई अब्दुल कादिर चैम्बर्स, म्युनिसिपल हाऊस
पीएल 180, सैंट ज़ेवियर स्ट्रीट, भोईवडा पुलिस स्टेशन एरिया
बम्बई किला के बाहर के निवासी

सेवा में

चुनाव आयुक्त

नई दिल्ली

उपरोक्त याचिकादाता याचिका में सविनय अनुरोध करते हैं :

1. कि याचिकादाता 3 जनवरी, 1952 को बम्बई शहर उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र से लोकसभा के लिए हुए चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी थे।

2. कि याचिकादाताओं के नाम मतदाता सूची में विधिवत् नामांकित थे और इस प्रकार याचिकादाता उक्त निर्वाचन–क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी बनने के लिए पात्र थे।

3. कि याचिकादाताओं ने बम्बई शहर उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र से प्रत्याशियों के रूप में अपने नामांकन पर्चे विधिवत रूप से भरे। याचिकादाताओं का नामांकन 27 नवम्बर, 1951 को विधिवत् स्वीकार किया गया। क्र.सं. 1 से 9 तक के प्रतिवादी याचिकादाता की भांति इसी निर्वाचन–क्षेत्र से लोकसभा के लिए उम्मीदवार थे। प्रतिवादी सं. 7, 8 व 9 ने नाम वापिस लेने के लिए अनुमत्य समय के भीतर अपने नाम वापिस ले लिए।

4. कि बम्बई शहर का उक्त उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र दोहरी सदस्यता वाला निर्वाचन–क्षेत्र होने के कारण वहाँ लोकसभा के लिए दो सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है। उक्त निर्वाचन–क्षेत्र से चुनाव द्वारा भरी जाने वाले दो सीटों में से एक सीट सामान्य श्रेणी के लिए है और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अधिनियम की धारा 63(1) में निर्धारित नियम के अनुसार प्रत्येक मतदाता दो मत डाल सकता है क्योंकि दो सदस्यों का चुनाव किया जाना है। जन–प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 63 (1951 का अधिनियम संख्या XL III) में स्पष्ट रूप से नियत है कि कोई मतदाता किसी एक प्रत्याशी के लिए एक से अधिक मतदान नहीं करेगा।

5. कि बम्बई शहर उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र में मतदान केन्द्रों में 3 जनवरी, 1952 को मतदान हुआ।

6. कि विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती 7 जनवरी, 1952 को प्रारम्भ हुई तथा 11 जनवरी, 1952 को पूर्ण हुई।

7. कि उक्त संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के चुनाव का परिणाम रिटर्निंग अधिकारी ने 11 जनवरी को घोषित किया जो निम्नानुसार था :

   (i) कि याचिकादाता 1 व 2 के पक्ष में क्रमशः 1,23,576 एवं 1,39,741 मत डाले गये;

   (ii) कि प्रतिवादी 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के पक्ष में क्रमशः 96,755; 40,786; 1,49,138; 15,195; 1,38,137 और 12,560 मत डाले गये;

   (iii) कि प्रतिवादी सं. 5 आरक्षित सीट से चुने गये तथा प्रतिवादी सं. 3 उक्त निर्वाचन–क्षेत्र की शेष सीट के लिए चुने गये हैं; और

(iv) कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह भी घोषित किया गया कि उक्त निर्वाचन –क्षेत्र में डाले गये वैध मतदानों की कुल संख्या 7,15,888 थी और अमान्य वोटों की संख्या 74,333 थी।

8. कि याचिकादाता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित परिणाम पर विश्वास करते हैं, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और 'क' के रूप में चिन्हित है।

9. कि उक्त चुनाव का परिणाम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–1, खण्ड–1 के पृष्ठ सं. 130 पर दिनांक 26 जनवरी, 1952 को प्रकाशित हुआ था। जन–प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 (चुनाव का संचालन एवं चुनाव याचिका) के नियम 112 के अन्तर्गत चुनाव व्यय से संबंधित रिटर्न याचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा 10 मार्च, 1952 तथा याचिकादाता सं. 2 द्वारा 7 मार्च, 1952 को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष विधिवत् जमा करवाई जा चुकी है।

10. याचिकादाता ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतों की गणना के समय घोषित किया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों, ने अनेक दोहरे मतदान प्राप्त किये हैं जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अमान्य करार देते हुए रद्द कर दिया है। याचिकादाता ने कहा कि निरीक्षण के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि याचिकादाता 1 व 2 तक प्रतिवादी सं. 1,2,3,4,5 व 6 की मतपेटियों में ऐसे अमान्य मत पाये गये तथा उन्हें दोहरे मतों के रूप में रद्द कर दिया गया है, ये निम्न प्रकार से हैं :

याचिकादाता सं. 1	2921
याचिकादाता सं. 2	5597
प्रतिवादी सं. 1	39165
प्रतिवादी सं. 2	6634
प्रतिवादी सं. 3	10881
प्रतिवादी सं. 4	1168
प्रतिवादी सं. 5	6892
प्रतिवादी सं. 6	1025
कुल	74,333

याचिकादाता इस वक्तव्य के प्रमाण में रिकार्ड पर विश्वास करेंगे।

याचिकादाताओं ने निवेदन किया है कि कुल मिलाकर 74,333 मत–पत्र रद्द किये गये हैं और इनकी गिनती नहीं की गई है क्योंकि उपरोक्त कारण से अमान्य होने के कारण गिने नहीं गये हैं।

11. याचिकादाताओं ने निवेदन किया है कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के अनेक मतदान केन्द्रों में हजारों मामलों में मतदाताओं, जिन्हें दो–दो मतदान–पत्र दिये गये थे, को उक्त अधिनियम की धारा 63(1) की अपेक्षानुसार वितरित नहीं किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 63(1) के प्रावधानों का अनु. पालन करने में उनके असफल रहने के परिणामस्वरूप उक्त मतदान–पत्रों को अमान्य घोषित किया गया तथा वे उक्त निर्वाचन–क्षेत्र में हुए चुनाव में पूर्णतया निरर्थक साबित हुए।

12. याचिकादाताओं ने कहा कि उक्त काफी संख्या में अमान्य घोषित किए गए दोहरे मतदान जन–प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 123(2) के अर्थ के भीतर में प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा अनुचित प्रभाव डालने संबंधी भ्रष्ट आचरण का परिणाम है। जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है कि चुनाव में कथित भ्रष्ट आचरण से सम्पूर्ण चुनाव व्यर्थ एवं निष्प्रभावी साबित हुआ है।

13. याचिकादाताओं ने कहा कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने चुनाव अभियान में निर्वाचन–क्षेत्र में हुई सार्वजनिक बैठकों में दिये गये भाषणों द्वारा तथा इश्तहारों, पर्चों और प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा प्रचण्ड कटुतापत्रों और विद्वेषपूर्ण प्रचार किया तथा अधिनियम की धारा 63(1) के प्रावधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन कर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए गैर–कानूनी रूप से प्रेरित किया। याचिकादाताओं ने कहा कि निर्वाचन–क्षेत्र में मतदाताओं के मध्य प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा उक्त प्रचार द्वारा मतदाताओं को दिये गये दोनों मतदान पत्र एक ही मतपेटी में डाल कर एक ही प्रत्याशी को एक से अधिक मतदान देने के लिए फुसलाया गया और इस प्रकार कथित अधिनियम की कथित धारा का उल्लंघन किया गया तथा निर्धारित नियत नीति और उद्देश्य को निष्प्रभावी साबित किया गया।

14. (i) प्रतिवादी सं. 1 या उसके प्रतिनिधि या समर्थकों के इशारे पर कथित बम्बई शहर के उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र में मतदाताओं के मध्य वितरित एवं उनको सम्बोधित करते हुए प्रकाशित किए गए मराठी इश्तहार में प्रतिवादी सं. 1 को लोकसभा में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वाधिक

सक्षम नेता बताया गया है। अतः मतदाताओं पर जोर डाला गया कि वे अपने दोनों मत उक्त प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में डाले और मतदाताओं को यह नहीं बताया गया कि इस पद्धति से मतदान करने से प्रतिवादी सं. 1 को लाभ होगा। उक्त इश्तहार के संबद्ध भाग के अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रति इसके साथ 'ख' के रूप में चिन्हित कर संलग्न की गयी है।

(ii) बम्बई से प्रकाशित मराठी साप्ताहिक समाचार–पत्र 'युगान्तर' ने अपने दिनांक 29 दिसम्बर, 1951 के अंक के पृष्ठ 4 कॉलम 1,2 व 3 में निर्देश देते हुए अन्य विषयों के साथ–साथ भ्रामक निर्देश देते हुए और जोर डालते हुए कहा गया कि जिन मतदाताओं को दो मतदान–पत्र मिलेंगे वे उन दोनों मतपत्रों को उस मतपेटी में डालें जिस पर ईंजन के चित्र चिपका हुआ है अर्थात् प्रतिवादी सं. 1 की मतपेटी में। इस प्रकार मतदाताओं को दोबारा यह नहीं बताया गया कि इस पद्धति से मतदान करने पर प्रतिवादी सं. 1 को लाभ मिलेगा। युगान्तर कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा है और प्रतिवादी सं. 1 संसदीय सीट के लिए इसी पार्टी के प्रत्याशी थे। उक्त निर्देशों के अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रति इसके साथ संलग्न है ओर 'ग' के रूप में चिन्हित की गई है।

(iii) इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के हस्ताक्षर से मराठी में जारी इश्तहार बम्बई शहर में उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र में लोकसभा के लिए संयुक्त वामपक्षी मोर्चा प्रत्याशी के रूप में वर्णित किया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि मतदाता चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी चुना जाए तो उन्हें अपने दोनों मत प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में देने चाहिए। प्रतिवादी सं. 1 ने यह भी कहा कि दो मतों में से एक बेकार हो जाने से प्रजातंत्र का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 के अनुसार गैर–अनुसूचित जाति मतदाताओं द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के लिए एक प्रत्याशी को मत देना ही अनुसूचित जाति मतदाताओं के लोकतंत्र के हितों के विरुद्ध है। तब याचिकादाता सं. 1 का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए प्रतिवादी सं. 1 ने कथित इश्तहार में कहा है कि चूंकि याचिकादाता सं. 1 अनुसूचित जाति के प्रत्याशी है अतः वे दोनों सीटों के लिए चुनाव लड़ने के हकदार है, यह वांछनीय था कि प्रतिवादी सं. 1 दोनों मत अपने लिए प्राप्त करें और वे सभी जो वामपंथियों के संयुक्त मोर्चे को सपफल बनाना चाहते हैं, अपने दोनों मत 'इंजन' (पार्टी का चुनाव चिन्ह, जिसके टिकट पर प्रतिवादी सं. 1 चुनाव लड़ रहे थे के पक्ष में डालें। कथित

इश्तहार के अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और 'घ' के रूप में चिन्हित है।

15. बम्बई में प्रकाशित मराठी साप्ताहिक शीर्षक विविध वृत्त के 30 दिसम्बर, 1951 के अंक में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा 'बम्बई शहर उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र संसदीय चुनावी जाल' 'मतदाताओं को चेतावनी' शीर्षक से एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया था जिसमें इस निर्वाचन–क्षेत्र, जहाँ अनुसूचित जाति प्रत्याशी के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान है, के मतदाताओं को चेतावनी दी गई है कि याचिकादाता सं. 1, जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, द्वारा एक ऐसा जाल बिछाया गया है जिससे दो अनुसूचित जाति प्रत्याशी दोनों सीटें जीत लें। प्रतिवादी सं. 2 ने कथित वक्तव्य में यह भी कहा है कि साजिश से बचने के लिए मतदाता, किसी पार्टी या समझौते वाली पार्टियाँ और इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वे क्या कहते हैं, तथा उनके कथनानुसार 'स्वार्थ निद्धि चाहने वाले नेताओं के प्रभाव' में आए बिना अपनी मर्जी से वोट दें। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि 'केवल यही उनका दायित्व होगा' जिस का तात्पर्य यहाँ यह है कि मतदाता अपने दोनों मत याचिकादाता सं. 1 के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी को दें'। यदि वे याचिकादाता सं. 1, जो अनुसूचित जाति के हैं, के चुनाव से बचना चाहते हैं क्योंकि यदि उन्हें प्रतिवादी सं. 5, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, के साथ चुना जाता है तो अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को दोनों सीटें मिल जाएंगी और गैर–अनुसूचित जातियाँ बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएंगी। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा एवं उनकी ओर से जारी कथित वक्तव्य का अंग्रेजी अनुवाद इसके साथ संलग्न है और 'ड.' के रूप में चिन्हित है।

16. तब कथित मराठी साप्ताहिक, 'विविध वृत्त', ने प्रतिवादी सं. 2 के हितों को बढ़ावा देते हुए 30 दिसम्बर, 1951 के अंक के पहले पृष्ठ के कॉलम 5 पर 'मतदान के प्रपंच' शीर्षक के अन्तर्गत यह वक्तव्य प्रकाशित किया कि दोनों मत हिन्दू जाति के पक्ष में डाले जा सकते हैं और इस प्रकार मतदान किसी भी प्रकार से गैर–कानूनी नहीं होगा। यह भी कहा गया कि मतदाताओं को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे अपने दोनों मत केवल एक ही प्रत्याशी को डाल सकते हैं'। इस पैरा में उल्लिखित वक्तव्य का अंग्रेजी अनुवाद इसके साथ संलग्न है और 'छ' के रूप में चिन्हित है।

17. याचिकादाताओं ने कहा है कि इस याचिका के पूर्ववर्ती भाग 13,14,15,16 में उल्लिखित तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए प्रतिवादी नं. 1 और 2 ने

मतदाताओं को न केवल गुमराह किया है बल्कि हिन्दू जाति के मतदाताओं की साम्प्रदायिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया है। विशेष रूप से प्रतिवादी सं. 2 ने हिन्दू जाति के मतदाताओं की साम्प्रदायिक भावनाओं को जागृत कर उनमें भय की भावना सृजित की है कि यदि वे नियमानुसार अपने मतों को विभाजित करेंगे तो उनका हित खतरे में पड़ जाएगा।

18. याचिकादाताओं का कहना है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने कथित बम्बई शहर उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र के हिन्दू जाति के मतदाताओं के मन में न केवल खतरे की भावना उत्पन्न की है परन्तु अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों को स्पष्ट करने में असपफल रहे हैं। इस धारा में यह विहित है कि चुनाव के परिणामों को किस प्रकार निर्धारित एवं घोषित किया जाएगा।

19. इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने नियम का गलत निरूपण किया है और हिन्दू जाति के मतदाताओं को गुमराह कर यह सोचने पर विवश किया है कि प्रत्येक परिस्थिति में यह संभव है कि हिन्दू जाति समुदाय के प्रत्याशियों का बहिष्कार करके अनुसूचित जाति के प्रत्याशी दोनों सीटों के लिए चुने जा सकते हैं।

20. याचिकादाताओं का कहना है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा इस प्रकार से हिन्दू जाति के मतदाताओं को भ्रमित किया गया है और जानबूझकर तथा धोखे से उनको अपने पक्ष में मत डालने के लिए फुसलाया गया है।

21. याचिकादाता निवेदन करते हैं कि पूर्ववर्ती पैराओं में जो कुछ कहा गया है उसे दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी सं. 1 और 2 के पास अपने एजेन्ट और अन्य व्यक्ति हैं जो उनकी ओर से उनके लिए कार्य करते हैं, उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान अनुचित प्रभाव डाला है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अधिनियम की धारा 123(2) के अर्थों के भीतर कि मतदाताओं के मत डालने की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किया है और यह कि इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 100(i)(क) के अनुसार यह चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं है।

22. याचिकादाताओं ने आगे कहा कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 जानते थे कि दोनों मत अपने पक्ष में प्राप्त करने का प्रचार करने से भी उनको कोई लाभ नहीं मिल सकता है। फिर भी उन्होंने अपने प्रचार में इसी बात का आग्रह किया क्योंकि वे याचिकादाता 1 व 2 के भविष्य को आहत करने के लिए विद्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित थे।

23. याचिकादाताओं ने निवेदन किया है कि उपर्युक्त अनुच्छेद 10 में उल्लिखितानुसार प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 के पक्ष में मतदाताओं द्वारा काफी संख्या में दोहरा मतदान किया जाना इस तथ्य का प्रमाण है कि प्रतिवादी सं 1 व 2 द्वारा कथित निर्वाचन–क्षेत्र में डाला गया अनुचित प्रभाव चुनाव के समय अत्यधिक व्याप्त था।

24. अतः याचिकादाताओं ने कहा कि चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने जैसे भ्रष्ट आचरण, जो चुनाव के समय अत्यधिक से व्याप्त था, के कारण निष्क्ष चुनाव नहीं हुआ और इस प्रकार इस चुनाव को पूर्णतया अमान्य घोषित किया जाए।

25. याचिकादाताओं ने जन–प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 117 की अपेक्षानुसार याचिका की लागत के लिए प्रतिभूति के रूप में चुनाव आयोग के सचिव के पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक में 1000 रुपये जमा करवाये हैं। उक्त राशि को जमा करवाने की मूल रसीद इसके साथ संलग्न है और 'छ' के रूप में चिन्हित है।

26. जन–प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 83(2) की अपेक्षानुसार प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा किये गये भ्रष्ट आचरणों के विवरण की सूची इस याचिका के साथ संलग्न है तथा 'ज' के रूप में चिन्हित है।

27. कि यह याचिका जन–प्रतिनिधि (चुनाव संचालन एवं चुनाव याचिका) नियम, 1951 के नियम 119(ख) के अन्तर्गत स्वीकृत समय के भीतर दायर की जा रही है, उक्त नियम के नियम 112 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत खर्चे की रिटर्न 11 मार्च, 1952 तक भरी जानी चाहिए, जो समाप्त हो चुकी है।

28. याचिकादाता सं. 2 इस बात की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए निवेदन करते हैं कि इस याचिका में उल्लिखित आधार के अतिरिक्त अन्य कोई कारण भी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए।

अतः याचिकादाता निवेदन करते हैं :

(क) कि याचिका पर विचार करने के लिए एक चुनाव न्यायधिकरण नियुक्त किया जाए;

(ख) कि बम्बई शहर उत्तरी संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से लोकसभा के 3 जनवरी, 1952 को हुए चुनाव को पूर्णतया अमान्य घोषित किया जाए;

(ग) कि याचिकादाताओं को इस याचिका की लागत दिलवाई जाये; और

(घ) कि याचिकादाताओं को मामले की प्रकृति के अनुसार अन्य कोई राहत यदि मिल सकती हो तो दिलवाई जाए और पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिए मतों की जाँच सहित जो भी आदेश आवश्यक एवं उचित समझे जाएँ, उनको पारित किया जाए।

(हस्ता.) बी.आर. अम्बेडकर

(हस्ता.) अशोक मेहता

(जिनके द्वारा याचिका प्रारूपित की गई)

श्री एन.सी.एन. आचार्या

अधिवक्ता, ओ.एस.)

(हस्ता.) कोठारी एंड कम्पनी

(याचिकादाताओं के लिए एटॉर्नी)

हम (1) भीमराव रामजी अम्बेडकर और (2) अशोक रणजीतराम मेहता क्रमशः राजगृह हिन्दू कालोनी, दादर और 3 आदिसेठ स्ट्रीट, बाबुलनाथ मंदिर के पास, बम्बई किला के बाहर के निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि पूर्ववर्ती याचिका के अनुच्छेद 1 से 9 एवं 11 से 26 में उल्लिखित या हमारी जानकारी के अनुसार सही है और अनुच्छेद 10 में जो कुछ भी उल्लिखित है वह सूचना एवं विश्वास के आधार पर कहा गया है और हम उसे सत्य मानते हैं।

भीमराव रामजी अम्बेडकर याचिकादाता सं. 1
द्वारा बम्बई में सत्यनिष्ठा से घोषित
21 अप्रैल, 1952
(मुहर)

(हस्ता.) बी.आर. अम्बेडकर
(जिनके समक्ष हस्ताक्षर किए गए)
(हस्ता.) एच.के. पटेल
प्रेजीडेन्सी मैजिस्ट्रेट
ग्याहरवाँ न्यायालय, कुर्ला, बम्बई
21.4.1952

अशोक रणजीतराम मेहता, याचिकादाता सं. 2

द्वारा सत्यनिष्ठा से बम्बई में घोषित

21 अप्रैल, 1952

(हस्ता.) अशोक मेहता

(मुहर) (जिनके समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

(हस्ता.) एच.के. पटेल

प्रेजीडेन्सी मैजिस्ट्रेट

ग्याहरवाँ न्यायालय, कुर्ला, बम्बई

21.4.1952[1]

1. खैरमोरे, खण्ड 10, पृष्ठ 269–280 ।

आम चुनावों में एजेन्टों का प्रयोग

डॉ. अम्बेडकर का तर्क

कोई भी चीज जो मतदाताओं की मानसिकता पर भ्रामक प्रभाव डालती है वह अनुचित प्रभाव और हस्तक्षेप होता है। यदि कोई प्रत्याशी मतदाताओं को डराने के लिए प्रचार करता है तो वह हस्तक्षेप करता है और स्पष्ट रूप से मतदाताओं की मानसिकता को भ्रमित करता है। यदि वह मतदाताओं से नियम के किसी महत्त्वपूर्ण बिन्दु को छिपाता है तो वह मतदाताओं के साथ धोखा करता है और उन पर अनुचित प्रभाव डालता है। मतदाताओं को निर्वाचन नियम के विरुद्ध कार्य करने के लिए कहना भ्रष्ट आचरण है।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने नियम के कुछ बिन्दू श्री एन.जे. वाडिया, अध्यक्ष श्री एम.के. लालकाका और श्री जी.पी. महेश्वर का सदस्यता वाले चुनाव ट्रिब्यूनल में अपनी और समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता की याचिका जिसमें उन्होंने बम्बई शहर के उत्तरी निर्वाचन–क्षेत्र के पिछले आम चुनाव में अनाचार की शिकायत की थी, कि दोबारा शुरू हुई सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए थे।

डॉ. अम्बेडकर, जो व्यक्तिगत् रूप से उपस्थित हुए थे, ने चुनावों में एजेंसी के प्रश्न पर काफी लम्बी बहस की और कुछ प्रत्याशियों द्वारा समाचार–पत्रों एवं पर्चों द्वारा किये गये प्रचार का उल्लेख किया और वह सिद्ध करना चाहते थे कि इन प्रकाशनों से जन–अधिनियम के प्रतिनिधित्व की धारा 123(2) के विशिष्ट संदर्भ में अनुचित प्रभाव पड़ा है।

अनुचित हस्तक्षेप

उन्होंने अंग्रेजी एवं भारतीय कानून के मध्य अंतर को इंगित किया और कहा कि अंग्रेजी कानून में अनुचित हस्तक्षेप का स्पष्ट रूप से उल्लेख है जब कि भारतीय कानून में इन शब्दों का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया है।

उन्होंने श्री एस.ए. डांगे, कम्युनिस्ट प्रत्याशी और डॉ. जी.बी. देशमुख, स्वतंत्र प्रत्याशी द्वारा और उनकी ओर से प्रकाशित बयानों का संदर्भ देते हुए कहा कि मतदाताओं को एक ही प्रत्याशी के पक्ष में अपने दोनों मत डालने के लिए कहकर उन्होंने उन पर अनुचित प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि पूर्व में चार गवाहों से पूछताछ करने पर एक ने स्वीकार किया कि श्री डांगे जानते थे कि वामपंथी, जिन्होंने

संसदीय सीट के लिए उनको प्रत्याशी के रूप में समर्थन दिया था, ने पर्चे बांटे थे परन्तु उन्होंने किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया और मोर्चे को पर्चे बांटने से नहीं रोका।

याचिकादाता ने दलील दी कि श्री डांगे अपने एजेंटों के कार्यों के लिए जिम्मेवार थे। मराठी साप्ताहिक युगान्तर, ने हिचकिचाते हुए स्वीकार किया कि यह कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा है और मोर्चे के दो सदस्यों ने अपने साक्ष्य में भी स्वीकार किया है कि उन्होंने श्री डांगे की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रतिवेदन के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वे भी डांगे के एजेंट थे।

डॉ. अम्बेडकर ने एक रविवारीय मराठी साप्ताहिक, विविध वृत्ता और डॉ. देशपांडे (देशमुख) के बीच संबंध खोजने का प्रयास किया और कहा कि प्रतिवादी द्वारा समाचार–पत्र में प्रकाशित वक्तव्य मतदाताओं को जागृत करने वाला नहीं था। वास्तव में वह केवल उसी समाचार–पत्र में प्रकाशित किया गया था, किसी अन्य में नहीं और इससे यह सिद्ध होता है कि समाचार–पत्र एवं प्रतिवादी के बीच संबंध था।

इस पर डॉ. देशमुख खड़े हो गये और ट्रिव्यूनल से अनुरोध किया कि डॉ. अम्बेडकर को अपना प्रश्न पूछने के लिए कहा जा सकता है। डॉ. अम्बेडकर ने उत्तर दिया ''मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। वास्तव में, आपने उसे उठाया है और मैं उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ,''। इससे कोर्ट–कक्ष में जोरदार हँसी हुई।

पहले श्री के.वी. चित्रे, रजिस्ट्रार, सिद्धार्थ कालेज और डॉ. अम्बेडकर के एजेंट ने साक्ष्य दिया।

सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी।''

(दी टाइम्स ऑफ इण्डिया, 4.10.1952)[1]

मतों को अमान्य करने का प्रचार गैरकानूनी

(चुनाव विवाद में डॉ. अम्बेडकर का तर्क)

सोमवार को बम्बई के स्माल कॉजेस कोर्ट में श्री एन.जे. वाडिया, अध्यक्ष श्री एम.डी. लालकाका तथा श्री जी.पी. मर्देश्वर की सदस्यता वाले चुनाव न्यायाधिकरण

1. खैरमोरे, खण्ड 10, पृष्ठ 298–299।

में अपनी याचिका के संबंध में तर्क देते हुए श्री अम्बेडकर ने घोषित किया कि मतदाताओं में यह भय उत्पन्न कर साम्प्रदायिक भावनाओं को जागृत करना कानून की घोर अवहेलना है कि यदि मतों का बंटवारा होता है तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

वे साम्प्रदायिक प्रचार का उल्लेख कर रहे थे, जो डॉ. जी.बी. देशमुख, जिनको उन्होंने 17 प्रत्याशियों के स्वतंत्र उम्मीदवारों के समूह के नेता के रूप में बताया था, द्वारा बम्बई शहर के उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा ''इससे घटिया प्रचार नहीं हो सकता है और इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि हिन्दू जाति की मानसिकता का स्पष्ट अनुभव हो चुका है, जो यह नहीं चाहते कि अस्पृश्नीय जन विधानमण्डल में महत्वपूर्ण पदों को संभाले। इस संबंध में मोन्टैग चैम्सपफोर्ड सुधारों में विशेष प्रावधान किया गया था। जन–प्रतिनिधि अधिनियम में भी इसी प्रकार का प्रावधान है।''

.....याचिकादाता ने तर्क देते हुए कहा कि डॉ. देशमुख ने मतदाताओं को अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों से विमुख किया है जब कि कम्युनिस्ट प्रत्याशी श्री एस.ए. डांगे ने धारा 63 का निष्प्रभावी करने का प्रचार करते हुए कानून का तिरस्कार किया है। उसने दोनों प्रतिवादियों पर भ्रष्ट आचरण अपनाने एवं मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने का आरोप लगाया।

मतों का निपटान

डॉ. अम्बेडकर ने प्रतिवेदन किया कि दो मतों में से एक का निपटान मतदाताओं या प्रत्याशियों की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि दूसरे मत का निपटान धारा 79(घ) द्वारा विनियमित होता है जिसमें मतदाताओं को विकल्प दिया जाता है कि मतदान करें या न करें क्योंकि भारत में मतदान अनिवार्य नहीं था। उन्होंने निम्नलिखित मुद्दे उठाये : (1) मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र था। (2) वह मतदान केन्द्र पर जाकर अपने दोनों मत–पत्र प्राप्त कर उनको बाँट सकता था। (3) वह उनमें से एक का प्रयोग कर दूसरा सत–पत्र पीठासीन अधिकारी को वापिस कर सकता था (4) एक मतदान–पत्र का प्रयोग कर दूसरे को नष्ट कर देना गैर–कानूनी और धारा 136(ड.)(च) के अनुसार अपराध है। (5) एक मतपत्र मतदान पेटी में डालना तथा दूसरा अपने साथ ले जाना धारा 135 के अनुसार गैर–कानूनी होगा, और (6) दोनों मतपत्र एक ही पेटी में डालना भी नियम

25(1) के अनुसार गैर–कानूनी है और अधिनियम का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि धारा 100 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''चुनाव को व्यापक रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार के आचरण के आधार पर खारिज कर दिया जाए'' और पूछा कि क्या ट्रिब्यूनल गलत ढंग से किये गये प्रचार के परिणामस्वरूप बेकार हुए 74333 मतों को बड़ी संख्या नहीं मानता है। उन्होंने कहा, ''मैंने अपनी सीट 13000 मतों से हारी है। मैं धृष्टता नहीं कर रहा हूँ, परंतु श्री डांगे द्वारा बेकार किये गये 39000 मतों में से मुझे निश्चित रूप से बहुत अधिक संख्या में वोट मिले होते यदि उनके एवं डॉ. देशमुख द्वारा दुष्प्रभावी प्रचार न किया गया होता''।

''बेमेल मैत्री का अध्याय''

श्री डांगे के वकील, श्री ए.एस.आर.चारी, ने डॉ. अम्बेडकर एवं समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता की याचिकाओं को सोशलिस्ट एवं अनुसूचित जाति संघ के बीच बेमेल मैत्री का अंतिम अध्याय बताया है। उसने कहा कि याचिकादाताओं के अपने गवाह श्री बापूराव जगतप ने न्यायधिकरण को बताया है कि वामपंथियों ने याचिकादाताओं से 'हाथ जोड़कर' प्रार्थना की थी कि वामपंथ में शामिल हो जाएं, उन्होंने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया क्योंकि उनको अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था।

श्री चारी ने कहा कि अधिनियम की धारा 63 की शर्त के अनुसार मतदाता को अपने दोनों मतों का प्रयोग करने की कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि वह एक प्रत्याशी को मतदान दे सकता है या मतदान करने से पीछे हट सकता है। उनका तर्क था कि केवल एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना या किसी एक प्रत्याशी के लिए मतदान न करना ''अनुचित प्रभाव'' की परिभाषा के अनुसार मतदाताओं द्वारा अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से मतदान करने में हस्तक्षेप नहीं माना जाता है। और यह कि श्री डांगे या अन्य किसी प्रत्याशी का कोई भी कृत्य जन–प्रतिनिधि अधिनियम में उल्लिखित 'भ्रष्ट आचरण' की परिभाषा में नहीं आता है। और यह कि श्री डांगे ने जो कुछ किया है वह मतदाता को प्रेरित करने के लिए किया है जिसका उनको अधिकार था। याचिकादाताओं ने अपनी याचिका इसलिए डाली कि वे अपने समर्थकों के समक्ष अपनी हार के लिए न्यायसंगत कारण रख सकें; पिछले चुनाव में याचिकादाताओं की हार का कारण उनका वामपंथी मोर्चे, जो कांग्रेस और साम्प्रदायिक तत्वों से संघर्ष करना चाहता था, के साथ समझौता करने से अहंकारवश मना करना था।

अनुचित प्रभाव

वी.बी. गाँधी के वकील, श्री टी.आर. कपाड़िया, ने श्री चारी के तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि याचिकादाता यह सिद्ध करने में असपफल रहे हैं कि किसने मतदाताओं पर अनुचित दबाव डाला है। उन्होंने पूछा कि क्या अकेले प्रतिवादी इसके दोषी हैं या याचिकादाता भी इस अपराध में बराबर के दोषी हैं।

डॉ. देशमुख ने ट्रिब्यूनल से यह सहमति प्राप्त करने के पश्चात कि उसे अपने वकील के स्थान पर बोलने की स्वीकृति दी जाए, कहा कि सभी दल पिछले चुनावों में भ्रष्ट आचरण के लिए उत्तरदायी हैं। मराठी साप्ताहिक 'विविध वृत्त' के सम्पादक ने स्वीकार किया कि वह न केवल उनके एजेंट हैं बल्कि उसका अन्तरंग मित्र भी है।

सुनवाई बुधवार को जारी रहेगी।

श्री एस.ए. डांगे, डॉ. जी.वी. देशमुख, डॉ. वी.बी. गांधी, श्री के.बी. जोशी, श्री एन.एस. कजरोलकर और श्री एन.वी. पारूलकर प्रतिवादी हैं।

कोठारी एंड कम्पनी द्वारा निर्देशित श्री एस.एस. कवलेकर और श्री मधुसूदन व्यास श्री अशोक मेहता, के लिए श्री डांगे के लिए श्री ए.एस.आर. चारी और श्री टी.एस. हेगड़े डॉ. जी.वी. देशमुख के लिए श्री पंडित और डॉ. गांधी एवं श्री कजरोलकर के लिए श्री टी.आर. कपाड़िया उपस्थित हुए।[1]

---

1. द टाइम्स ऑफ इंडिया : दिनांक 7.10.1952
   खैरमोरे, खण्ड 10, पृष्ठ 300–302 में पुनर्मुद्रित।

51

महाराष्ट्र में साम्यवादी

अमेरिकन पत्रकार श्री सिलिंग एस. हरीसन ने ''महाराष्ट्र राज्य में कम्युनिस्टों की कमजोरियो''[1] विषय पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर से 21 व 28 फरवरी तथा 9 अक्तूबर, 1953 को साक्षात्कार किया।

साक्षात्कार निम्न प्रकार से है : सम्पादक

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने महारों को एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया, ने महाराष्ट्र में कम्युनिस्टों की कमजोरियों को इस प्रकार गिनाया :

''साम्यवादी पार्टी मूलतया ब्राह्मण लड़कों–डांगे एवं अन्य के हाथों में थी। वे मराठा समुदाय एवं अनुसूचित जाति का विश्वास पाने का प्रयास करते रहे हैं। परन्तु उन्होंने महाराष्ट्र में कोई प्रगति नहीं की। क्यों? चूंकि यह अधिकतर ब्राह्मण लड़कों का समूह है। रूसियों ने भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन उनको सौंप कर बहुत बड़ी गलती की है। या तो रूसी भारत में कम्युनिज्म नहीं चाहते –वे केवल नौटंकी करने वाले लड़कों को चाहते थे या वे समझ नहीं सके कि वास्तविकता क्या है।''[2]

---

1. सेलिंग एस. हैसिन द्वारा ''इंडिया : द मोस्ट डेंजरस डेकेड्स'' नामक पुस्तक में उद्धेरित – अम्बेडकर ऑन कम्यूनिज्म इन इंडिया पृष्ठ 190–91 ।
2. उद्धेरित : खैरमोरे, खण्ड 11, पृष्ठ 164 ।

52

भूख से पीड़ित लोग रोटी माँगते हैं

हैदराबाद सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि आवंटित करना प्रस्ता. वित किया है। आन्ध्र प्रदेश के माननीय मंत्री श्री बिन्दू ने इस निर्णय के विषय में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान बताया। डॉ. अम्बेडकर ने महामहिम बिन्दू को कहा कि इस आदेश की प्रति शीघ्रातिशीघ्र भेजें। हैदराबाद सरकार ने अनुसूचित जाति को आवंटित भूमि के कब्जे को वापिस ले लिया है। इसके विरोध में अनुसूचित जाति ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया। 1700 लोग गिरफ्तार किये गये थे। डॉ. अम्बेडकर ने महामहिम बिन्दू को एक कड़ा पत्र लिखा था कि सरकार अनुसूचित जाति को भूमि का स्वामित्व सौंपे तभी वे अनुसूचित जातियों को सत्याग्रह वापिस लेने का परामर्श देंगे। उक्त पत्र निम्न प्रकार से है : सम्पादक

26, अलीपुर रोड, दिल्ली
दिनांक 6 नवम्बर, 1953

प्रिय श्री बिन्दू,

जब हम दिल्ली में मिले थे तो आपने अनुसूचित जाति को भूमि प्रदान करने के संबंध में हैदराबाद सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की प्रतियाँ भेजने का वचन दिया था। अब एक सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है परन्तु मुझे प्रतियाँ नहीं भेजी गई हैं।

समाचार–पत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगाबाद जिले में अनुसूचित जाति के 1700 पुरुषों एवं महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है क्योंकि वे उन्हें आवंटित जमीन वापस लिए जाने के विरोध में और वह भूमि वापस लौटाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे।

मुझे ज्ञात नहीं है कि सरकार का आशय क्या है। संभवतः इन पर मुकदमा चलाना है और जेल भेजना है। यदि ऐसा हुआ है तो यह बहुत बड़ी त्रासदी होगी। सरकार

के पक्ष में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता कि भूखे लोगों पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए क्योंकि वे रोटी माँगते हैं। मेरा विचार है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए ताकि कानून का पालन हो सके।

यदि आपके मंत्रिमंडल द्वारा पारित आदेश हमारे दृष्टिकोण से सन्तोषजनक हुआ तो मैं हस्तक्षेप करूंगा और अनुसूचित जाति से सत्याग्रह वापिस लेने के लिए कहूँगा।

मैं शीघ्र उत्तर के लिए आभारी रहूँगा।

आपका

(हस्ता.) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

श्री बिन्दू

गृह मंत्री

हैदराबाद राज्य

हैदराबाद[1]

---

1. खैरमोरे, खण्ड 11, पृष्ठ 67–68।

53

बंगलौर में बौद्ध शिक्षणालय प्रारम्भ किया जाए

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, सांसद ने मंगलवार* को बम्बई में कहा कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रारम्भिक उपायों के रूप में बंगलौर में एक बौद्ध शिक्षणालय की स्थापना की जाएगी।

डॉ. अम्बेडकर, जिन्होंने हाल ही में बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के अपने आशय को घोषित किया है, ने पी.टी.आई. को दिए साक्षात्कार में कहा कि मैसूर के राज्य प्रमुख ने पाँच एकड़ भूमि दान दी है जो अध्ययन के दो प्रतिष्ठित केन्द्रों, रमन सं. स्थान एवं भारतीय विज्ञान संस्थान के मध्य स्थित है।

उन्होंने कहा कि उनकी हाल में की गई दो बर्मा यात्राओं के परिणामस्वरूप – विश्व के बौद्ध मिशन एवं बुद्ध शासन परिषद् द्वारा हर प्रकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया गया है।

डॉ. अम्बेडकर ने बताया कि उन्होंने देश में अनेक लोगों से वित्तीय सहायता के लिए सपफलतापूर्वक सम्पर्क किया है और वे शीघ्र ही जनता के अंशदान के लिए भिक्षा–पात्र लेकर निकल पड़ेगें।

उपदेशकों को प्रशिक्षित करना

डॉ. अम्बेडकर ने कहा, जिस प्रकार धन जमा हो रहा है, इससे शिक्षणालय लगभग दो वर्ष में पूर्ण हो जायेगा। उन्होंने बताया कि इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य जन –सामान्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उपदेशकों को प्रशिक्षित करना होगा।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षणालय में विद्यार्थियों को जाति, धर्म या राष्ट्रीयता पर विचार किये बिना प्रवेश दिया जायेगा और वे धर्म तथा अन्य सम्बद्ध विषयों के तुलनात्मक अध्ययन पर पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। उनका विश्वास है कि अन्य धर्मों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किये बिना कोई भी बौद्ध धर्म का सही मायनों में समर्थन नहीं कर सकता।

---

*. 11 जनवरी, 1955।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि प्रशिक्षणालय की एक प्रेस भी होगी जहाँ बौद्धिक साहित्य का मुद्रण होगा। उन्होंने बताया कि वे विश्वभर के प्रतिष्ठित विद्वानों के समूह को पालि एवं अन्य भाषाओं में लिखी गई बौद्धिक पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें शिक्षणालय द्वारा प्रकाशित कराया जाएगा।

धर्म एवं दर्शन शास्त्र पर पुस्तकों सहित एक विशाल पुस्तकालय, प्रशिक्षणालय की एक और विशेषता होगी। वहाँ पर मंदिर और विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं अनुसंधान के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएँ, शयन—कक्ष भी होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि 10,000 रुपये पुरस्कार राशि वाली निबन्ध प्रतियोगिता की शीघ्र घोषणा की जाएगी।[1]

---

1. दिनांक 12 जनवरी, 1955 : द टाइम्स ऑफ इंडिया।

54

जन–साधारण के ढुलमुल रवैये के कारण बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया

डॉ. अम्बेडकर ने डी.वाली. सिन्हा, महासचिव, महाबोधि सोसाइटी, कलकत्ता को दिनांक 16 फरवरी, 1955 को लिखे अपने पत्र में धम्म दीक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।

पत्र निम्न प्रकार से है :– सम्पादक

''मेरी राय है कि जन–साधारण का धर्म–परिवर्तन किसी प्रकार से धर्मान्तरण नहीं है। यह दिखावा मात्र है। कथित बौद्ध जन बुद्ध की पूजा करने के साथ–साथ अन्य देवी–देवताओं जिनका ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए प्रतिष्ठापन किया है, कि पूजा करना जारी रखा। भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त होने का मुख्य कारण जनसाधारण का ढुलमुल रवैया है। यदि भविष्य में बौद्ध धर्म को भारत में स्थायी रूप से प्रतिस्थापित करना है तो जन–साधारण को इसके साथ अन्य रूप से जोड़ना होगा। ऐसा पूर्व में नहीं हुआ क्योंकि बौद्ध धर्म में संघ में दीक्षा के लिए अनुष्ठान होता था परन्तु धम्म में दीक्षा के लिए ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है। ईसाई मत में दो अनुष्ठान होते हैं : (1) वपतिस्मा, जो कि इसाई धर्म को स्वीकार करने की दीक्षा है; (2) पादरी की नियुक्ति। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नया आन्दोलन चलाने के लिए ईसाई मत का अनुकरण करना होगा। बौद्ध धर्म में इस भयंकर बुराई को हटाने के लिए मैंने एक सूत्र तैयार किया है जिसे मैं धम्म दीक्षा कहता हूँ। हर कोई जो बौद्ध धर्म में अपना धर्मान्तरण करना चाहता है तो उसे इस अनुष्ठान से गुजरना होगा अन्यथा उसे बौद्ध नहीं माना जाएगा।''[1]

---

1. खैरमोरे, खण्ड 12, प्रथम संस्करण, जुलाई, 1992, पृष्ठ 24–25।

55

मैं आपका जीवन बचाने के लिए तैयार हूँ बशर्ते.............

''वर्ष 1955 के प्रथम तीन महीनों के दौरान ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन लंदन के मॉरिस ब्राउन एवं फ्रांसिस वाटसन ने भारत का दौरा किया, भारत में भ्रमण करते उन्होंने ऐसे लोगों से साक्षात्कार लिया और उसकी रिकॉर्डिंग की, जो उनके विचार में महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दे सकते थे और उन्होंने महात्मा के विषय में उनकी स्मृतियों और मतों को रिकॉर्ड किया। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के साथ किये गये साक्षात्कार का संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है। कड़ी बनाये रखने के लिए कुछ अन्य की राय भी इसमें रखी गई हैं।

वाचकः हम महात्मा जी, जो एक संत थे, के संबंध में गहराई से चर्चा कर रहे हैं।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः वे कभी भी महात्मा नहीं थे। मैं उसको महात्मा कहने से इंकार करता हूँ, वह इस उपाधि के अधिकारी नहीं है। नैतिकता की दृष्टि से भी नहीं।

वाचकः विरोध। भारत की अनुसूचित जाति जो अस्पृश्नीय कहलाते हैं, के रा. जनैतिक नेता डॉ. अम्बेडकर, की ओर से विरोध किया गया। गाँधी चाहते थे कि अनुसूचित जातियों को हिन्दू जाति में सम्मिलित कर उनकी असमर्थताओं को दूर कर अस्पृश्नीयता को समाप्त कर दिया जाए। डॉ. अम्बेडकर उनके लिए एक अलग समुदाय के रूप में संरक्षण चाहते थे, जो कि गाँधी के अनुसार नैतिक रूप से गलत एवं राजनीतिक रूप से खतरनाक था। यह एक बहुत ही कड़ा संघर्ष था जिसका अन्त गाँधी के अत्यधिक प्रतिष्ठित अनशन की समाप्ति से हुआ।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः ओह! वे लगातार सौदेबाजी कर रहे थेः मैंने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं आपका जीवन बचाने को तैयार हूँ, समझे आप, बशर्ते आप कड़े नियम न बनाएँ परन्तु मैं आपका जीवन अपने लोगों की कीमत पर नहीं बचाऊँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं श्री गाँधी से प्रतिद्वन्द्वी की हैसियत से मिलता हूँ तो मुझे वे एक अलग अनुभूति होती है। मैं उन्हें अधिकतर लोगों से बेहतर जानता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपना असली गंतव्य प्रकट किया और में उनके अंदर के मनुष्य को देख सकता था।

वाचकः परन्तु महात्मा के विचारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उनके विरोधी होना आवश्यक नहीं है। भारतीय सोशलिस्ट नेता जे.बी. कृपलानी प्रतिद्वन्द्वी नहीं थे। वे वर्ष 1917 से गाँधी की मृत्यु तक उनके अनुयायी रहे।

जे.बी. कृपलानीः उन्होंने महामानव के स्वरूप का खंडन किया, उन्होंने उनके

महात्मा बनने के विचार का खंडन किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे एक महात्मा होते तो हमारे लिए उनको समझना संभव नहीं होता। मुख्यतः मेरा विश्वास है कि गाँधी जी का संदेश सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक था परन्तु उस अभिप्राय में आध्यात्मिक नहीं था जिसमें आध्यात्मिकता समझी जाती है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास पर्याप्त ईश्वर एवं महामानव (सुपरमैन) हैं। गाँधी एक अच्छे इंसान थे।

धीरेन्द्र मोहन दत्ताः मैंने कभी यह नहीं सोचा कि महात्मा ठेठ भारतीय प्रकृति के थे।

वाचकः डॉ. दत्ता एक विख्यात दार्शनिक हैं, जो अब रवीन्द्र नाथ टेगौर के शैक्षणिक संस्थान–शान्ति निकेतन, जो कि अब विश्व विद्यालय है, में रह रहे हैं।

धीरेन्द्र मोहन दत्ताः आधुनिक हिन्दुओं के लिए वे बहुत ही आदर्श थे, आदर्श जिसका वे अपनी यूरोपीय शिक्षा और अपनी यूरोपीय पृष्ठभूमि के साथ अनुसरण कर सकते थे और वे हिन्दू आदर्शों के साथ बड़ी आसानी से सहानुभूति रख सकते थे परन्तु कट्टरवादी हिन्दू सोचते थे कि वे विश्वासघात कर रहे है .... कि उनका हिन्दूवाद वास्तविक हिन्दूवाद नहीं है।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वे पूर्णतया एक कट्टरवादी हिन्दू थे।

वाचकः डॉ. अम्बेडकर ऐसा सोचते हैं। अधिकतर मुसलमान भी ऐसा ही सोचते हैं, पर सब नहीं। इनमें से कुछ का मानना है कि गाँधी का अस्पृश्नीयता के प्रति रवैया उन्हें सबसे अलग बनाता है।

एच.एन. ब्रेल्स फोर्डः उसने एक बार इस प्रकार कहा कि वे 85 प्रतिशत भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है यह कुछ–कुछ अतिश्योक्ति लगती है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के एक छोटे से समूह का ही प्रतिनिधित्व किया है। परन्तु जब वह अन्य हिन्दूओं एवं सिखों तथा अस्पृश्यों के संदर्भ में भी उनका बड़बोलापन सही था।

वाचकः हर स्थिति में उनकी बात हर तरह से सही थी। सबसे गंभीर बात यह थी कि वे अस्पृश्यों के मामले को अपना स्वयं का मामला समझते थे। ब्रेलफोर्ड के साथ इस संबंध में उनकी कुछ व्यक्तिगत वार्ता भी हुई थी।

एच.एन. ब्रेलपफोर्डः वे इस संबंध में बड़े मनोवेग से बोलते थे। मेरे विचार से वे अत्याधिक विकट अपराध–बोध की भावना से पीड़ित थे। वह जानते थे कि उनके लोगों इस हिन्दु राष्ट्र ने इन जाति बहिष्कृतों के साथ कैसा व्यवहार किया है; और वे केवल इस कारण से दृढ़ थे कि उनके लोग, हिन्दूराष्ट्र, ही है जो इस मामले को सही दिशा देंगे।

वाचकः गाँधी द्वारा मामलों को सही दिशा दिए जाने का प्रयास उस समय का मामलों को सही दिशा दी जाए एक नया अभियान, एक नया मनोभाव था। डॉ.

वेरियर एलविन कुछ माह पूर्व भारत में लगभग मामले के प्रारम्भ होने के समय तक उनके साथ थे।

वेरियर एलविनः हाँ, यह वर्ष 1931 की बात है जब मैं उसके साथ अहमदाबाद में एक मन्दिर में गया, जो कि एक प्रतिष्ठित मिल–मालिक का था, और गाँधी अस्पृश्य बच्चों के एक दल को मन्दिर में ले गये। मुझे अभी भी उन कट्टरवादी पुजारियों के चेहरे याद हैं जब बच्चे मन्दिर में गये तो पुजारियों को यह अच्छा नहीं लगा परन्तु बाद में गाँधी ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में उसने कहा कि भविष्य में अस्पृश्यों को ईश्वर के बच्चे हरिजन, जिस नाम से वे आज तक जाने जाते हैं, बुलाया जाने चाहिएं।

वाचकः परन्तु गोल मेज़ सम्मेलन पर एक नया एवं मजबूत चेहरा देखने को मिला। अस्पृश्नीय के रूप में जन्म लेकर डॉ. अम्बेडकर ने अपनी प्रतिभा एवं चरित्र के बल पर अपने आपको विशिष्ट व्यक्ति बनाया और वे नहीं चाहते कि कोई हिन्दू जाति उनकी ओर से यह संघर्ष करे।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः हमें एक अलग निर्वाचन–क्षेत्र दिया जाए।

वाचकः डॉ. अम्बेडकर स्पष्ट एवं अडिग थे। बाद में भी गांधी की ओर उनका नजरिया कभी नहीं बदला।

बी.आर. अम्बेडकरः अस्पृश्नीयता के बारे में इन सब बातों का उद्देश्य अस्पृश्यों को कांग्रेस में लाना था, यह एक बात है भी और दूसरा आप जानते हैं कि वे चाहते थे कि अस्पृश्नीय उनके स्वराज्य के आन्दोलन का विरोध न करें। मैं नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त उत्थान करने का उनका कोई वास्तविक उद्देश्य था।

वाचकः परन्तु भारत वापिस जाने के पश्चात् गाँधी द्वारा पूना में किए गए अनशन से साबित होता है कि उनके उद्देश्य काफी दृढ़ थे। प्यारे लाल को याद है कि वे लंदन सम्मेलन के अन्तर्द्वन्द्व के समय से इस के लिए तैयार थे।

प्यारे लाल नायरः उन्होंने कहा था कि वे भारत की स्वतन्त्रता के लिए भी अस्पृश्यों के महत्वपूर्ण हितों का सौदा नहीं करेंगे। परन्तु वे जानते थे कि अस्पृश्यों की भारी संख्या के लिए अलग निर्वाचन–क्षेत्र बनाना ठीक नहीं होगा। अतः उन्होंने कहा था कि यदि वे अकेले भी हैं तो जी जान से भी इसका विरोध करेंगे। उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि अन्ततः इसका क्या परिणाम होगा।''[1]

---

1. बीबीसी – गांधी जी, ओरियेन्ट लांगमैन्स की बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में बातचीत। आलेख एवं वाचन, फ्रांसिस वॉटसन द्वारा प्रोडेक्शन मॉरिस ब्राउन द्वारा, पृष्ठ 9, 10, 16, 78 तथा 79 पुनर्मुद्रित : शत्रु, रेमिनिसेन्सेज एंड रेमेम्ब्रेन्स ऑफ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, पृष्ठ 159–162।

56

राजनीतिक दल केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को शिक्षित, जागरूक एवं संगठित बनाने के लिए बने हैं

अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक संघ के अध्यक्ष श्री बी. आर. अम्बेडकर द्वारा 21 अगस्त, 1955 को जयराज हाऊस, बम्बई में बुलाई गई।

इस बैठक में अनुसूचित जाति संघ का संविधान, जो जनवरी, 1955 में मुद्रित हुआ था, पर विचार–विमर्श किया गया। विभिन्न अनुच्छेदों पर कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया और उन्हें स्वीकार किया गया।

इस कार्यकारिणी समिति की संशोधनों सहित रिपोर्ट निम्न प्रकार से है – सम्पादक

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, की कार्यकारिणी समिति, जयराज हाऊस, बम्बई

अनुसूचित जाति संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, एम.ए.,पी.एच.डी., डी. एससी, एलएलडी डी.लिट, बार–एट–लॉ, राज्य परिषद् के सदस्य द्वारा जयराज हाऊस, कोलाबा, बम्बई में 21 अगस्त, 1955 को सांय 4 बजे बुलाई गई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
2. श्री राजा भाउ खोबरागड़े (मध्य प्रदेश)
3. श्री ए. रत्नम् (मद्रास)
4. श्री हरिदास एवोडे (नागपुर, मध्य प्रदेश)
5. श्री जे.सी. अदीमुगम (मैसूर)
6. श्री जे.एस. बन्सोदे (मध्य भारत)
7. श्री सी.एम. अरुमुगम (मैसूर)
8. श्री नीलम सिंह गिल (पेप्सू)
9. श्री वी.एस. मोरे (औरंगाबाद)
10. श्री आर.डी. भंडारे (बम्बई)

11. श्री हरदास अशारवर (विंध्य प्रदेश)
12. श्री जी.टी. परमार (गुजरात)
13. श्री वी.के. गायकवाड (महाराष्ट्र)
14. श्री ए.जी. पवार (महाराष्ट्र)
15. श्री वी. दोरास्वामी (मैसूर)
16. श्री एम.जी. वेलू (मद्रास)
17. श्री डब्ल्यू.एस. काम्बले (बेरार)

डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः ''दोस्तों, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। यह बैठक पहले नहीं हो पाई इसके अनेक कारण हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, आप जानते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैंने नोट किया है कि आपने अनुसूचित जाति संघ के कार्य को मेरे बिना आगे बढ़ाना नहीं सीखा है। समय आ गया है कि यदि मैं उपस्थित न भी रहूँ तो भी आप कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ हों। मैं एक प्रकार से परामर्शदाता के रूप में रहूँगा। जब कोई कठिनाई हो आप मुझसे किसी भी समय परामर्श ले सकते हैं।'' इन प्रारम्भिक शब्दों के साथ कुछ संकल्पों पर विचार–विमर्श किया गया।

संकल्प सं. 1: कार्यकारिणी समिति की यह बैठक पिछली कार्यकारिणी समिति द्वारा डॉ. बाबा साहब उर्फ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के संघ के अध्यक्ष के रूप में चयन की पुष्टि करती है।

प्रस्ताव कर्त्ता : ए. रत्नम (मद्रास)

अनुमोदन कर्त्ता : जी.सी. अरुमुगम

समर्थन कर्त्ता : बी.के. गायकवाड़

संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : यहाँ कुछ पुराने सदस्य हैं, जिन्होंने अपने कुछ संदेह व्यक्त किये हैं कि क्या अनुसूचित जाति संघ को जारी रहना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरा विचार है कि जब तक अस्पृश्यता की समस्या रहेगी तब तक अनुसूचित जाति संघ कार्य करना जारी रखे। यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम चुनाव के समय किसी अन्य पार्टी के सहयोग से कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब हमने अन्य पार्टियों के सहयोग से कार्य किया तो हमारा अनुभव क्या रहा। लेकिन

ऐसे प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जाएगा। फिलहाल हम अनुसूचित जाति संघ को जारी रखने के प्रश्न पर विचार करते हैं।

संकल्प सं. 2 : अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारिणी समिति, संघ की पिछले चुनाव में हुई हार से अवगत है। लेकिन कार्यकारिणी समिति किसी भी रूप में इससे हतोत्साहित नहीं है। ऐसी हारें सामान्य रूप से एवं प्रायः होती रहती हैं। राजनीतिक दल केवल चुनाव जीतने के लिए ही नहीं बनता है। राजनीतिक पार्टी नागरिकों को शिक्षित, जागरूक एवं संगठित करने के लिए बनती है। संघ ने इस कार्य को निस्संदेह अच्छी तरह एवं अपेक्षा से बढ़कर किया है।

इस बैठक में कार्यकारिणी समिति दृढ़ता से यह व्यक्त करती है कि अनुसूचित जाति संघ तब तक बन्द नहीं होगा जब तक अस्पृश्यता के कारण उठने वाली समस्याओं का हल नहीं हो जाता।

प्रस्ताव कर्त्ता : श्री एच.डी. एवाडे

अनुमोदन कर्त्ता : श्री एम.जे. वेलू

संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

संकल्प सं. 3 : ''अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारिणी ने इस बैठक में खेद व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति संघ को अखिल भारतीय पार्टी घोषित न करके चुनाव आयोग ने गलत किया। पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है या नहीं, इसका निर्धारण उसके पक्ष में डाले गये मतों की संख्या से न कि उसके द्वारा जीती गई सीटों के आधार पर होना चाहिए। डाले गये कुल मतों की संख्या की गणना करते समय चुनाव आयोग इस बात पर विचार न कर सका कि अनुसूचित जाति संघ और सोशलिस्ट पार्टी के मध्य चुनाव समझौता होने के कारण अनुसूचित जाति के मतदाताओं ने दूसरा मत सोशलिस्ट पार्टी के पक्ष में डाला जब कि सोशलिस्ट पार्टी के मतदाताओं ने अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को मत नहीं दिया। यदि अनुसूचित जाति के मतदाताओं द्वारा सोशलिस्ट प्रत्याशी के पक्ष में डाले गये मतों को अनुसूचित जाति मतदाताओं द्वारा अनुसूचित जाति के पक्ष में डाले गये मतों में जोड़ दिया जाए तो संघ द्वारा डाले गये मतों की संख्या सोशलिस्ट पार्टी द्वारा डाले गये मतों से बहुत अधिक होती।''

अतः कार्यकारिणी समिति चुनाव आयोग से अनुरोध करती है कि पार्टी के अखिल भारतीय पार्टी के दर्जे को बहाल किया जाए जो कि इसे प्रथम चुनाव के समय दिया गया था।

प्रस्ताव कर्त्ता : श्री ए.जी. पवार (महाराष्ट्र)

अनुमोदन कर्त्ता : श्री वी. दोरास्वामी (मैसूर)

संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

संकल्प सं. 4 : अध्यक्ष द्वारा संविधान में निम्नलिखित संशोधन प्रारूपित किये गये:

अनुच्छेद 1 में संशोधन : खण्ड 2 में आंकड़ा 1957के पश्चात् ये शब्द जोड़े जाएं ''या ऐसी अन्य तिथि जो केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियत की जाए''

अनुच्छेद II में संशोधन : निम्नलिखित उपखण्ड को उपखण्ड सं. VI के पश्चात् सं. VII के रूप में स्वीकार किया जाए। उपधारा सं. VIII को इस प्रकार पढ़ा जाए, ''मुद्रित सामग्री जारी की जाए तथा प्रिंटिंग प्रेसों का संचालन किया जाए। उपखण्ड III, IV, V, व VII जो दो बार मुद्रित हो गये हैं, को हटा दिया जाए क्योंकि ये मुद्रण की गलती है।''

अनुच्छेद VI में संशोधन : (I) खण्ड III, IV, V, VI, VII, VIII, IX व X से हाइफन (समास चिन्ह) हटा दिये जाएं।

(ii) खण्ड 10 के पश्चात् निम्न खण्ड को खण्ड सं. 11 के रूप में जोड़ दिया जाए।

''ग्राम समिति, ताल्लुका समिति, जिला समिति और राज्य समिति के सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक राज्य की राज्य संघ समिति द्वारा केन्द्रीय समिति की सहमति से किया जाएगा।

अनुच्छेद VII में संशोधन (I) खण्ड I की उपधारा II में 'संघ' शब्द के पश्चात् ''और क्षेत्रीय सचिव'' जोड़ दिया जाए।

(2) उप–खण्ड सं. VI, जो कि उपखण्ड सं. V के पश्चात् है, को हटा दिया जाए। यह दो बार मुद्रित हो गया है।

अनुच्छेद VIII में संशोधन : (I) खण्ड I में दूसरी लाइन में ''सम्मिलित है....'' के पश्चात् हाइफन हटा दें।

(2) उपखण्ड IV में 'अध्यक्ष' शब्द से पूर्व 'द' जोड़ दिया जाए।

(3) उपखण्ड V के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

''6 अध्यक्ष विभिन्न क्षेत्रों/प्रदेशों के लिए अधिकतम पाँच प्रादेशिक सचिव नियुक्त करेंगे।

(4) खण्ड VII के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें:

8 प्रादेशिक सचिव अपने कार्यक्षेत्र में संघ के संगठित करने का कार्य करेंगे और अध्यक्ष के रूप में अन्य कार्यों का संचालन करेंगे। इस कार्य के लिए अध्यक्ष किसी को नियत करेंगे जो अध्यक्ष एवं महासचिव को अवगत करायेगा।''

अनुच्छेद X में संशोधन : खण्ड I, द्वितीय लाइन में शब्द द्विवार्षिक के स्थान पर ''हर दो वर्षों'' जोड़ा जाए।

अनुच्छेद XIV में संशोधन : उपखण्ड सं. V में अंतिम पंक्ति में शब्द 'अधिकारियों' के स्थान पर 'कार्यालय' शब्द पढ़ा जाए ताकि 'सभी कार्यालयों में पहुँच' पढ़ा जा सके।

अनुच्छेद XVII में संशोधन : खण्ड सं. IV में पंक्ति 2 में ''राज्य संघ'' को ''संघ की अखिल भारतीय समिति'' से प्रतिस्थापित किया जाए।

अनुच्छेद XXIII में संशोधन : उपखण्ड 2 में पाँचवी पंक्ति में 'जिला' शब्द को 'राज्य' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।

अनुच्छेद XXVI में संशोधन : (1) उपखण्ड 1 में 'त्रिभुज' शब्द को हटाकर उसे 'चतुर्भुज' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।

(2) इसी उपखण्ड में 'इसमें शामिल हैं' शब्दों के पश्चात् '11 स्टार्स' जोड़ दिया जाए।

उपरोक्त सभी संशोधनों पर मतदान करवाया गया और इन्हें लागू किया गया।

संकल्प सं 5 : ''कार्यकारिणी समिति की इस बैठक में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के लिए संविधान तैयार किया गया और घोषित किया गया कि संघ पर बाध्यकारी होगा।''

इस समय पर डॉ. बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि संविधान बहुत व्यापक हो गया है। अतः इसका कुछ हिस्सा 'स्थायी आदेशों' के रूप में अलग किया जा सकता है ताकि संविधान छोटा हो सके।

संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

संकल्प सं. 6: कार्यकारिणी समिति की इस बैठक में यह राय बनी है कि संसद में, राज्य विधानसभाओं में, नगरपालिकाओं में और जिला व स्थानीय बोर्डों में अनुस. ूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान तत्काल अगले चुनावों से पूर्व समाप्त किया जाए।''

प्रस्तुतकर्त्ता : श्री ए.जी. पवार और

अनुमोदनकर्त्ता : श्री ए. रत्नम

यह संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

संकल्प सं. 7 — (1) अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारिणी समिति ने इस बैठक में योजना आयोग के विरुद्ध अस्पृश्यों की समस्या को हल करने के लिए उपाय एवं साधन खोजने में आयोग की सहायता के लिए संघ से परामर्श न लेने के प्रति रोष प्रकट किया।

(2) इस बैठक में संघ की कार्यकारिणी समिति की राय है कि योजना आयोग के प्रस्तावों में ऐसा कुछ नहीं है जो अस्पृश्नीयता को समाप्त कर सकें या अस्पृश्यनियों की गरीबी को दूर कर सकें।

(3) इस बैठक में संघ की कार्यकारिणी समिति इस बात को पूरी तरह से मानती है कि यह ग्रामीण प्रणाली है जो अस्पृश्नियों एवं हिन्दू जाति के मध्य अनिवार्य सह–अस्तित्व पर आधारित है जो अस्पृश्नीयता एवं अस्पृश्नियों की गरीबी का मूल है।

(4) जब दो पार्टियाँ सह–अस्तित्व का निर्णय लेती है तो यह महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक को एक दूसरे की मानसिकता एवं मानसिक रवैये को समझना चाहिए। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वह जो कहते हैं, इसके पीछे वह कैसे और क्या सोचते हैं।

साम्प्रदायिक मानसिकता कैसी होती है ? यह कैसे कार्य एवं प्रतिक्रिया करती है? क्या इसकी कोई मान्य संगठित प्रत्यक्ष अस्तित्व है? यदि हाँ तो क्या इसको समझने की कोई ज्ञेय पद्धति है? और हम इससे क्या सीख सकते हैं ? वस्तुतः हम कहाँ से इसे प्रारम्भ करें?

हिन्दू जाति की प्रतिक्रिया का अध्ययन और उनके वक्तत्यों और प्रचार के असली मंतव्य को समझने की हमारी असफलता हमारी पिछली गलतियों के लिए उत्तरदायी

हैं। हिन्दू जाति की जिस विचारधारा से हमें चिंतित होना चाहिए वह हिन्दू जाति में नहीं पाई जा सकती है। (परन्तु वह विचारधारा रहस्यमयी है)।

(5) कार्यकारिणी की यह पुष्टिकृत राय है कि सह–अस्तित्व की पद्धति को बिल्कुल से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(6) कार्यकारिणी समिति की राय में अस्पृश्नियों के लिए, जो अब हिन्दू जाति के प्रभुत्व में छोटे–छोटे समूहों में बिखरे हुए हैं, अलग गॉव स्थापित कर ऐसा किया जा सकता है।

(7) अतः कार्यकारिणी समिति योजना आयोग से अनुरोध करती है कि कृषि योग्य बेकार भूमि का संरक्षण करें, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनायें और ऐसी भूमि पर अस्पृश्नियों के लिए कालोनियाँ बनाई जाएँ।

(8) कार्यकारिणी समिति की राय है कि नमक–कर पुनः लगाकर अपेक्षित राजस्व को बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष डॉ. बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि मैं मानसिक रूप से पूर्णतया विश्वस्त हूँ कि जब तक अनुसूचित जाति हिन्दू जाति के साथ रहेगी तब तक हमारे लोग स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द, हिन्दू जाति के दमन से मुक्त नहीं रहेंगे। मद्रास सरकार अनुसूचित जातियों के लिए नयी कालोनियाँ बसाना चाहती थी परन्तु बाबासाहब इस विचार के कड़े विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि नई कालोनियाँ निर्मित करके अस्पृश्नीयता के स्थायी बना दिया जाए। वह उन्हें जला कर समाप्त कर देना चाहते थे।

संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

संकल्प सं. 8(1) : संघ की कार्यकारिणी समिति को गोवा सत्याग्रह में हुई मौतों के लिए खेद था। लेकिन समिति की राय है कि गोवा की स्वतन्त्रता प्राप्त करने का उचित मार्ग सत्याग्रह नहीं है।

(2) समिति द्वारा समझे गये अनुसार सत्याग्रह में सत्य दोनों का साझा आधार है। अंतर केवल आग्रह पर है। ऐसी स्थिति में गाँधीवादी सत्याग्रह संभव है और प्रयोग में लाया जा सकता है। परन्तु जहाँ सत्य पर कोई सहमति नहीं है, वहाँ गाँधीवादी सत्याग्रह निरर्थक है। अतः कार्यकारिणी समिति अनुसूचित जाति को गोवा सत्याग्रह में शामिल होने का परामर्श नहीं देती है।

(3) संघ की कार्यकारिणी समिति की राय है कि गोवा भारत का हिस्सा बन जाए और पुर्तगाली इसे छोड़ दें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तीन उपाय हैंः–

(1) क्रय, (2) पट्टा, या (3) युद्ध। यदि सरकार इन तीन उपायों में से किसी एक को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार का यह दायित्त्व है कि वह नागरिकों को बताए कि उसके पास अन्य कौन सा साधन है।

डॉ. बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि सत्याग्रह ऐसी दो पार्टियों के मध्य हो सकता है जो 'सत्य' पर सहमत हो। दोनों पार्टियों के मध्य अन्तर केवल आग्रह पर होता है। ब्रिटिश लोग भारत को स्वतंत्रता दे सकते थे क्योंकि ब्रिटिश लोग और भारतीय इस बात पर सहमत हुए कि भारतीयों को स्व–शासन का अधिकार है। वास्तव में स्व–शासन का सिद्धान्त बहुत पहले 1833 में मैकाले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मैकाले ने कहा था कि भारतीय असभ्य नहीं हैं। भारतीयों की अपनी विशिष्ट सभ्यता एवं संस्कृति है। अतः उन्हें अपने आप शासन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। परन्तु गोवा के मामले में पुर्तगाली सरकार गोवा की स्वतंत्रता के प्रश्न पर सहमत नहीं हुई। अतः गोवा को आजाद कराने के लिए सत्याग्रह को हथियार के रूप में प्रयोग करना न केवल व्यर्थ है बल्कि खतरनाक भी है। मैं अपने लोगों को इस बात की सहमति नहीं दे सकता कि वे गोलियों का सामना करें और मरें। यदि हमें बन्दूकें दी जाती हैं तो हम लड़ेंगे अतः हम उपरोक्त संकल्प पारित करना चाहते हैं।

संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

संकल्प सं. 9 : इस बैठक में कार्यकारिणी समिति देश की विदेश नीति से सहमत नहीं है। इसमें न तो सरकार की संसदीय प्रणाली को सशक्त करने और न ही देश की सुरक्षा के लिए कोई आकलन किया गया है।

इस संकल्प को स्वीकार किये जाने के पश्चात् अध्यक्ष ने घोषणा की कि उन्होंने श्री राजभऊ खोबरागडे को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का महासचिव नियुक्त किया है।

संकल्प सं. 10 : श्री खोबरागडे को बधाई देने संबंधी संकल्प पारित किया गया।

कार्यकारिणी समिति के साथ विचार–विमर्श के दौरान मार्गदर्शन देने के लिए सभापति का धन्यवाद किया गया।

कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया गया।

अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारिणी समिति ने यह भी संकल्प लिया कि अध्यक्ष को निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल करते हुए भाषायी प्रान्तों के संबंध में संकल्प प्रारूपित करने के लिए अधिकृत किया जाए :

(1) राज्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाए कि देश की एकता बनी रहे।

(2) प्रशासनिक भाषाएँ अंग्रेजी एवं हिन्दी होनी चाहिए।

(3) बम्बई संयुक्त महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए।

(4) हैदराबाद शहर भारत की दूसरी राजधानी होनी चाहिए और इसे राज्यपाल का प्रान्त बनाया जाए।

(5) हैदराबाद राज्य को विभिन्न भाषायी इकाइयों में विभाजित किया जाए।

57

'बुद्ध और उसका धम्म' पुस्तक के संबंध में जवाहर लाल नेहरू को पत्र

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने ''बुद्ध और उनका धम्म'' पर एक पुस्तक के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 सितम्बर, 1956 को एक पत्र लिखा था। यह निम्न प्रकार से है : सम्पादक

मेरे प्रिय पण्डित जी,

मैं 'बुद्ध और उनका धम्म' पर पुस्तक, जिसे मैंने अभी हाल ही में पूर्ण किया है, की विषय–सूची को दर्शाती एक मुद्रित–पुस्तिका की दो प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। विषय–सूची से आप अनुमान लगा लेंगे कि पुस्तक कितनी व्यापक है। पुस्तक सितम्बर, 1956 में बाजार में आ जाने की संभावना है। मैंने इस पुस्तक पर पाँच वर्ष का समय लगाया है। पुस्तिका कार्य की गुणवत्ता व्यक्त करती है।

मुद्रण की लागत अत्यधिक है और लगभग 20,000 रुपये आयेगी। यह मेरी क्षमता से बाहर है और इसलिए मैं सभी ओर से सहायता के लिए अनुरोध करता हूँ।

मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार विभिन्न पुस्तकालयों तथा विद्वानों, जिनको बुद्ध की 2500वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए इस वर्ष के दौरान आमंत्रित किया जाएगा, में वितरित करने के लिए 500 प्रतियाँ क्रय कर लें।

मुझे आपकी बौद्ध धर्म में रूचि की जानकारी है। इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इस मामले में कुछ सहायता करेंगे।

आपका

(हस्ता.) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

पं. नेहरु का उत्तर

पं. जवाहरलाल नेहरु ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के पत्र का प्रत्युत्तर दिया। उसने 'बुद्ध और उनका धम्म' पुस्तक क्रय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। मैंने इसे डॉ. राधाकृष्णन, सभापति, बुद्ध जयन्ती समिति को संप्रेषित कर दिया है।

पं. जवाहरलाल नेहरु द्वारा निम्नलिखित उत्तर दिया गया : सम्पादक

श्री जवाहरलाल नेहरु

प्रधानमंत्री भारत

नई दिल्ली

सं. 2196–पी.एम.एच. / 56

नई दिल्ली

15 सितम्बर, 1956

मेरे प्रिय अम्बेडकर

आपका 14 सितम्बर का पत्र।

मुझे संदेह है कि आपके द्वारा सुझाई गई आपकी पुस्तक की प्रतियाँ काफी संख्या में क्रय करना संभव हो सकेगा। हमने बुद्ध जयन्ती के अवसर पर प्रकाशन के लिए कुछ राशि अलग रख दी थी। यह राशि व्यय हो चुकी है और वास्तव में इससे अधिक व्यय हो चुका है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों के लिए कुछ प्रस्तावों, जिनके लिए वित्त प्रदान किया जा रहा है, को रद्द करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपका पत्र डॉ. राधाकृष्णन, सभापति बुद्ध जयन्ती समिति को भेज रहा हूँ।

मैं आपको सुझाव देता हूँ कि बुद्ध जयन्ती समारोह के समय आपकी पुस्तक दिल्ली एवं अन्य स्थानों पर बिक्री के लिए रखी जाएं और उस समय विदेश से अनेक लोग आयेंगे। मुझे आशा है कि उस समय बिक्री अच्छी होगी।

आपका

(हस्ता.) जवाहर लाल नेहरू

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

26, अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स

दिल्ली

डॉ. राधाकृष्णन ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को टेलीफोन पर इस संबंध में कुछ कर पाने की अपनी असमर्थता की सूचना दी।[1]

---

1. खैरमोरे, खण्ड 12, पृष्ठ 39–40।

58

भिक्खू बुद्ध की सेवा उसके धम्म के उपदेशक बनकर करें।

"डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
एम.ए., पी.एच.डी., डी.एस.सी., एलएल.डी., डी. लिट्, बैरिस्टर–एट–लॉ
सदस्य, राज्य परिषद्
26, अलीपुर रोड, सिविल लाईंस, दिल्ली
दिनांक 30 अक्टूबर, 1956

प्रिय वलीसिन्हा,

आपके दिनांक 25 अक्तूबर, 1956 के पत्र के लिए धन्यवाद। निश्चय ही यह बहुत बड़ा कार्यक्रम था और धर्म परिवर्तन के लिए उमड़ा जनसमुदाय मेरी उम्मीद से अधिक था। शुक्र है बुद्ध का कि सभी कुछ अच्छा हुआ।

मुझे खुशी है कि आप यह समझते हैं कि कार्य बेहतर ढंग से प्रारम्भ हो जाने के कारण हमें भविष्य में इसकी निरंतर प्रगति देखने को मिलेगी। हमें उस जनसमुदाय, जिन्होंने उनके धम्म को स्वीकार किया है और मेरे कहने पर इसे स्वीकार करेंगे, को बौद्ध धर्म की जानकारी देने के तरीकों एवं साधनों पर विचार करना होगा। निःसंदेह हमें काफी संख्या में लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा परन्तु इस कार्य को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम कार्यकर्ता भिक्खू हैं। वे इस कार्य को अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप करेंगे जिसे सामान्य–जन द्वारा नहीं किया जा सकता।

मेरे मतानुसार भिक्खुओं को यह जानकर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए कि काफी कार्य जो उनके द्वारा किया जाना था पूर्ण हो चुका है। भिक्खुओं के साथ केवल एक समस्या है कि वे जन–समुदाय की भाषा सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा विचार है कि संघ को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा और विरागी बनने की बजाए उन्हें ईसाई धर्म प्रचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक प्रचारकों की भांति बनना होगा। जैसाकि मैंने आज कहा कि वे न तो आर्य हैं और न ही समाज के उपयोगी सदस्य हैं। यह वास्तविकता उनके मस्तिष्क में डालनी होगी और उनको यह एहसास कराना होगा कि वे बुद्ध की सेवा भली–भांति उसके धम्म के प्रचारक बनकर कर सकते हैं।

मुझे तर्कसंगत अध्ययन–गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का आपका विचार पसंद आया जिसमें भिक्खुओं और गैर–भिक्खुओं को बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी जा सके और उन्हें विभिन्न भाषाएं सिखाई जाएं ताकि उन्हें विभिन्न भागों में भेजा जा सके।

जहाँ तक भारतीय युवाओं की मानसिकता के सम्बंध में मेरा विचार है, उनको मठवासीय जीवन के आदर्श सीखने के लिए प्रेरित करना बहुत कठिन है। इसके लिए उत्तम उपाय यह है कि हम जापानी विवाहित पुरोहितों की तरह एक वर्ग सृजित कर सकते हैं जैसा प्रोटेस्टेन्ट ईसाईयों ने किया है। इसके लिए हमें उनके शैक्षणिक काल में ही सहायता के लिए साधन जुटाने होंगे और इसके पश्चात् वे अपना सार्वजनिक जीवन पुरोहित के रूप में यापन करेंगे।

बम्बई में धर्म परिवर्तन अनुष्ठान सम्भवतः दिसम्बर में होगा, इसके क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान होने की अधिक सम्भावना है ताकि अनेक लोगों के पास यात्रा की सुविधा हो जो कि उनको इस अवधि के अलावा नहीं मिल सकती। मैं अपने बम्बई के लोगों से परामर्श करने के पश्चात् आपको वास्तविक तिथि बताऊँगा।

मुझे आशा है कि आप महा बोधि पत्रिका में नागपुर अनुष्ठान का अच्छा प्रचार कर रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आप निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष रूप से उल्लेख करें :–

1. कि प्रथम दिन लगभग तीन लाख और अस्सी हज़ार लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म धारण किया। अनुष्ठान के पहले दिन के पश्चात् काफी संख्या में लोग पहुँचे क्योंकि अगले दिन कार्यक्रम के प्रारम्भ में ही दूसरा अनुष्ठान किया जाना था।

2. कि 16 अक्तूबर, 1956 को चन्दा में एक और सम्मेलन का आयोजन शाम के समय किया गया। इसमे भी एक और धर्म परिवर्तन अनुष्ठान किया गया और लगभग तीन लाख लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया।

3. कल के समाचार–पत्र में छपे समाचार के अनुसार मेरे वहाँ से चले आने के पश्चात् अकोला में पुनः धर्म परिवर्तन अनुष्ठान हुआ और दो हज़ार से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया।

4. कि एक मराठी समाचार–पत्र 'नवयुग' ने नागपुर में धर्म परिवर्तन अनुष्ठान में उपस्थित भीड़ की बेहतरीन तस्वीरें छापी।

5. कि मुझे धर्म परिवर्तन के लिए सभी दिशाओं से पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

यदि आप महा बोधि सोसायटी पत्रिका का विशेषांक छाप रहे हैं और फोटो प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो मैं फोटो प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। कृपया मुझे सूचित करें।

हमारे दौरे के कार्यक्रम के सम्बंध में आपके पत्र के संदर्भ में मुझे बताया गया है कि इसकी एक प्रति आपको पहले ही भेजी जा चुकी है इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि मैं सारनाथ में कब होऊँगा।

भवदीय

हस्त./–

(डॉ. बी.आर. अम्बेडकर)

श्री डी. वालिसिन्हा
महासचिव
भारत का महाबोधि संघ,
4–ए, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट
(कॉलेज स्क्वायर). कलकत्ता–2''[1]

[1] महाबोधि : मई, 1957, संख्या 5, पृष्ठ 226।

59

मुझे विश्वास है, मेरे लोग भारत में बौद्ध धर्म स्थापित करने के लिए सर्वस्व समर्पित कर देंगे।

''डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और श्रीमती अम्बेडकर श्री बी.एच. वराले और डॉ. मावलंकर के साथ नेपाल में 17 नवम्बर, 1956 को होने वाले विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हुए थे।

नेपाल के लिए 13 नवम्बर, 1956 को प्रस्थान करते समय श्री वाई.सी. शंक. रानन्द शास्त्री ने हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर बड़ी विनम्रता से पूछा, ''बाबा साहिब, आपके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए आपके द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भारत भ्रमण कितना सम्भव होगा?'' बाबा साहिब, ने थोड़ा क्रोधित होते हुए परन्तु दृढ़ता से कहा कि बौद्ध धर्म के प्रचार जैसे कार्य के लिए मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। मैं अपने शेष जीवन का हर क्षण भारत में बुद्ध के धम्म के पुनरूद्धार और प्रचार के महान कार्य में लगाने को तैयार हूँ।

''मैं दिसम्बर मास में बम्बई में लाखों लोगों को ''दीक्षा'' देने जा रहा हूँ। नागपुर में दिनांक 14 अक्तूबर, 1956 को हुए महान पुनरूद्धार सम्मेलन की तरह बम्बई में भी इसी तरह का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिसमें लाखों लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तित किए जाएँगे। नागपुर की तरह धर्म परिवर्तन की सभा भारत के अन्य शहरों में भी आयोजित की जाएँगी।''

''न केवल अस्पृश्नीय समझे जाने वाले लोग बल्कि सभी लोग बिना किसी जाति या धर्म के भेद–भाव के, जो बुद्ध की शिक्षा में विश्वास रखते हैं, इस दीक्षा समारोह में भाग लें तथा बौद्ध धर्म धारण करें।''

वहाँ उपस्थित जन–समुदाय के साथ वार्तालाप करते हुए बाबासाहब अम्बेडकर ने दृढ़तापूर्वक कहा, ''यह विश्वास करना बिलकुल गलत है कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। यह एक गलत और शरारतपूर्ण प्रचार है।'' इस दुष्टतापूर्ण सिद्धांत का प्रचार करने वाले लोग ब्राह्मणवाद के अनुयायियों के अलावा और कोई नहीं है। उनका उद्देश्य असमानता और आपसी घृणा पर आधारित भेदभाव को बनाए रखना है ताकि समाज पर उनका प्रभुत्व बना रहे। मैंने अपने पूरे जीवनकाल में जाति एवं पारस्परिक घृणा पर आधारित विभाजन की बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया है। वास्तव में मैं अपने आप को भारत में बौद्ध धर्म के पुनरूद्धार के कार्य को विलम्ब से

प्रारम्भ करने का अपराधी समझता हूँ परन्तु इसके बाद भी मुझे आशा एवं विश्वास है कि मेरे लोग, जिन्होंने अपने स्वयं के सुखों का त्याग कर दिया है, निष्ठापूर्वक मेरा अनुकरण कर रहे हैं। मुझे आशा है और मैं विश्वास करता हूँ कि वे भारत में बौद्ध धम्म के प्रचार के लिए संघर्ष निष्ठापूर्वक जारी रखेंगे।''[1]

---

1. प्रबुद्ध भारत : दिनांक 17 नवम्बर, 1956/भगवान दास द्वारा अनुदित।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

हिंसक ताकत से अस्पृश्यता को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

–महात्मा गाँधी

यह वह लेख है जो महाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था।

''अस्पृश्यता और अविवेक''

महाद से एक सम्वाददाता ने लिखाः

मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पिछली मार्च की 20 तारीख को स्पृस्यों और अस्पृश्यों के मध्य दंगा हुआ था। गत मार्च की 19 और 20 तारीख को कोलाबा जिले में दलित वर्गों का एक सम्मेलन हुआ था। सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। जब भीड़ छटने लगी तो बम्बई की समाज सेवा लीग के श्री ए.वी. चित्रे ने लोगों को कहा कि चूँकि वे प्यासे थे और सूर्य की गर्मी बहुत थी, वे सार्वजनिक टैंक के पास जाकर पानी पी सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोगों को टैंक के पास जाने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। परन्तु अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने निर्णय लिया कि लोगों को टैंक तक ले जाएँ। पुलिस निरीक्षक भी स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझ सके और भीड़ को रोकने के बजाए उनके साथ टैंक की ओर चल पड़े। टैंक ब्राह्मण कॉलोनी के मध्य में स्थित है लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि अस्पृश्य टैंक की ओर जा रहे हैं। वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं थी और उनमें से सैंकड़ों लोगों ने ''हर–हर महादेव'' का नारा लगाकर टैंक से पानी पी कर अपनी प्यास बुझाई। इसी दौरान मौके पर स्पृश्य आ गए और उन्होंने यह पूरी घटना रोषपूर्ण भाव से देखी। अस्पृश्यों की भीड़ तब पंडाल में अपने भोजन के लिए वापस चली गई। इसके एक घंटे के अन्दर महाद के नागरिक अचानक गुरावा के तेज नारे से जाग उठे और उन्हें बताया गया कि अस्पृश्य विरेश्वर के मंदिर में घुसने की सोच रहे थे।

यह एक झूठा नारा था; परन्तु कुछ ही समय में मंदिर स्पृश्यों की क्रुद्ध भीड़ से भर गया और इनके हाथों में लाठियाँ थीं। बेचारे अस्पृश्यों की मंदिर में जाने की कोई मंशा नहीं थी। परन्तु स्पृश्यों ने किसी अस्पृश्य को मन्दिर में प्रवेश करने का प्रयास करते नहीं पाया तो वे उन्मादित होकर दौड़कर बाज़ार में चले गये और गली में कोई भी अस्पृश्य मिला तो उसे पीटना शुरू कर दिया। जब स्पृश्यों द्वारा इस प्रकार मारपीट की जा रही थी तो किसी अस्पृश्य ने किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया। कुछ स्पृश्य जो अस्पृश्यों के प्रति सहानुभूति रखते थे, ने उनकी रक्षा करने की कोशिश की परन्तु उत्तेजित भीड़ को रोका नहीं जा सका। वे जूता–साजों और अन्यों की झुग्गियों में घुस गये तथा उन्हें बुरी तरह से पीटा। अस्पृश्यता तेजी से सहायता के लिए भागे परन्तु दुकानदारों द्वारा कोई सहायता नहीं की गई। अस्पृश्य जो पंडाल में थे, उनका स्पृश्यों द्वारा उपहास किया गया कि वे संघर्ष के लिए आगे नहीं आये। पंडाल में लगभग 1500 स्पृश्य थे और यदि उन्होंने लड़ाई के लिए ललकारा होता तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता तथा हिन्दुत्व अपमानित हो जाता। डॉ. अम्बेडकर ने अपने परामर्श को उचित ठहराते हुए कहा कि मैंने बम्बई विधानपरिषद् में पारित संकल्प के आधार पर तथा महाद नगरपालिका द्वारा व्यक्त उस राय कि अस्पृश्य कानूनी रूप से सार्वजनिक टैंकों एवं कुंओं से पानी लेने के हकदार हैं, के आधार पर परामर्श दिया था।

महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह तथा हिन्दू समाज में अस्पृश्नीयता की समस्या पर अपने विचार व्यक्त किये, जो इस प्रकार है:

मैंने संवाददाता के पत्र से और अधिक विस्तृत विवरण वाले अंशों को हटा दिया है। परन्तु मुझे पत्र वास्तविक प्रतीत हुआ है और किसी भी रूप से अतिश्योक्तिपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। तब यह अनुमान लगाते हुए कि घटना का विवरण सही रूप से लिखा गया है तो कथित उच्च वर्गों की ओर से अकारण निरंकुशता के संबंध में कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। इसके लिए यह याद रखना चाहिए कि टैंक से पानी पीने की घटना नहीं बल्कि इस गलत सूचना कि अस्पृश्य मन्दिर में प्रवेश करना चाहते हैं, के कारण स्पृश्य मन्दिर में इक्ट्ठा हुए थे। परन्तु यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि विवेकशीलता और अतिर्कसंगतता एक साथ कार्य करे। अस्पृश्यनीयता का अपने–आप में कोई औचित्य नहीं है। यह एक अमानवीय प्रथा है। यह प्रथा अब लड़खड़ा रही है और इसे एक कथित रूढ़िवादी पार्टी द्वारा केवल हिंसक ताकत की सहायता से बनाए रखने की चेष्टा की जा रही है।

कथित अस्पृश्यों ने अत्यन्त उत्तेजक परिस्थितियों में अपने अनुकरणीय आत्म–संयम द्वारा प्रश्न को हल के एक कदम नज़दीक ला दिया है। यदि वे प्रतिरोध करते तो

शायद दोष लगाने में कठिनाई होती। इस प्रकार हर प्रकार से दोष ''स्पृश्यों'' पर है। हिंसक ताकत से अस्पृश्नीयता को कायम नहीं रखा जा सकेगा। यह दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति की भावना जागृत करेगी। यह बदलते समय का परिचायक है कि वहाँ पर कम से कम कुछ ''स्पृश्य'' थे जिन्होंने बेचारे अस्पृश्यों को बचाने का प्रयास किया। काश महाद में ऐसे बहुत से लोग होते। ऐसे अवसरों पर मौन सहानुभूति अधिक उपयोगी नहीं होती है, प्रत्येक हिन्दू जो अस्पृश्यनीयता को हटाने को सर्वोच्च महत्त्व का कार्य मानता है, को ऐसे अवसरों पर दलित वर्गों का सार्वजनिक रूप से बचाव करके और निःसहायों और उत्पीड़ितों के बचाव में हस्तक्षेप करते हुए स्वयं आहत होकर अपनी सहानुभूति सिद्ध करनी चाहिए।

मैं समझता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर बम्बई विधानपरिषद् एवं महाद नगरपालिका के संकल्प की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए तथा कथित अस्पृश्यों को टैंक के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए परामर्श देने में पूर्णतया न्यायसंगत है। इस प्रकार की कोई घटना हिन्दू महासभा जैसी संस्थाओं, जो इस सुधार में रुचि रखते हैं, द्वारा अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। मेरे संवाददाता द्वारा दिये गये वक्तव्य की वे जाँच करें और यदि वे प्रमाणित हो जाए तो उन्हें ''स्पृश्यों'' के कार्य की निन्दा करनी चाहिए। प्रत्येक बुराई तथा अस्पृश्यता निसंदेह रूप से एक बुराई है, के उन्मूलन के लिए प्रबुद्ध लोकमत में बढ़ोतरी जैसा कुछ भी नहीं है।[1]

---

1. यंग इंडिया, दिनांक 28 अप्रैल, 1927।
पुनर्मुद्रित : गणवीर, महाद समता सांगर, पृष्ठ 246–248।

परिशिष्ट – 2

मानव की मानव के प्रति अमानवीयता

(एम.के. गाँधी द्वारा)

''एक अन्य कॉलम में काठियावाड गाँव में दलित वर्ग के सदस्य की मरणासन्न पत्नी के प्रति चिकित्सक की जानबूझकर की गई अमानवीयता के अत्यन्त अपमानजनक मामले का नवजीवन से लिया गया उद्धरण देखा जा सकेगा। सार्जेंट अमृत ठक्कर, जिन्होंने मामले का विवरण दिया है, ने इस डर से स्थान और पार्टियों के नाम नहीं दिए हैं ताकि दलित वर्ग का बेचारा स्कूल मास्टर, चिकित्सक द्वारा और अधिक प्रताड़ित नहीं किया जा सके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाम सूचित किये जाएँ। समय अवश्य आयेगा जब दलित वर्ग के लोग हमारे द्वारा प्रोत्साहित होंगे तथा और अधिक मुश्किलों और क्रूरताओं को सहन न करने का साहस दिखायेंगे। उनकी मुसीबतें पहले ही बहुत अधिक हैं कि उनको और अधिक मुसीबतें न झेलनी पड़ें। लोक मत को ऐसी शिकायतों, जिनको साबित न किया जा सके उनके मूल कारण को खोजा न जा सके, के आधार पर उकसाया नहीं जा सकता। मुझे बम्बई में चिकित्सा परिषद् के नियमों की जानकारी नहीं है। मैं जानता हूँ कि अन्य स्थानों पर चिकित्सक, जो अपनी फीस के भुगतान से पूर्व इलाज करने से मना करता है तो वह परिषद् के प्रति जवाबदेह होता है और उसका नाम परिषद् की सूची से हटाया भी जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। निस्संदेह फीस वसूलनीय है परन्तु रोगियों का उचित उपचार चिकित्सक का प्रथम कर्त्तव्य है। यदि वर्णित तथ्य सत्य है तो वास्तविक अमानवीयता यह है कि चित्सिक अस्पृश्य के क्वार्टर में प्रवेश करने से मना किया, रोगी को देखने से मना किया और स्वयं थर्मामीटर लगाने से मना किया यदि किन्हीं परिस्थितियों में कभी अस्पृश्यता का सिद्धांत लागू करना पड़ सकता है तो निश्चित रूप से चिकित्सीय व्यवसाय, जिसे इसने अपमानित किया है, के इस सदस्य पर लागू होगा। परन्तु मैं विश्वास करता हूँ कि सार्जेंट ठक्कर के संवाददाता ने वक्तव्य को कुछ बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया है और यदि ऐसा नहीं है तो चिकित्सक स्वयं आगे आयेगा और समाज को जिसे उसने अपने अमानवीय आचरण से अत्याधिक क्रोधित किया है, अपना स्पष्टीकरण देगा।

पढ़ों, चिन्तन करो और शोक मनाओ

काठियावाड के एक गाँव में दलित वर्गों के बच्चों के लिए एक स्कूल है। अध्यापक सभ्य, देशभक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति है और धीध या जुलाहा (अस्पृश्य) वर्ग से सम्बन्धित है। वह अपनी शिक्षा के लिए महामहिम गायकवाड़ की अनिवार्य शिक्षा नीति का ऋणी है और अपने समुदाय की समुन्नति के लिए अपनी ओर से योगदान दे रहा है। वह अच्छी आदतों और परिशुद्ध शिष्टाचार वाला व्यक्ति है और कोई भी उसे अस्पृश्नीय वर्ग से सम्बंधित नहीं मान सकता। परन्तु वह अपने भाग्य या दुर्भाग्य के कारण कठियावाड के रूढ़िवादी गाँव में अपने स्वयं के समुदाय के बच्चों को पढ़ा रहा है जहाँ हर कोई उसे अस्पृश्य मानता है। परन्तु वह इसकी परवाह किये बिना चुपचाप काम कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं जब असहनीय स्थिति में रहने वाला अत्यन्त संयमी व्यक्ति मानसिक पीड़ा और रोष का शिकार हो जाता है, जैसे कि स्कूल मास्टर के निम्नलिखित पत्र से स्पष्ट है। इसका प्रत्येक छोटा वाक्य करणता से भरा हुआ है। मैंने जानबूझकर पत्र में उल्लिखित गाँव एवं सभी लोगों के नामों को हटा दिया है ताकि स्कूल मास्टर और अधिक मुसीबत में न फँस जाए।

नमस्कार! मेरी पत्नी ने इस मास की 5 तारीख को एक बच्चे को जन्म दिया। वह 7 तारीख को बीमार हो गई, उसको पेचिश होने लगी, उसकी आवाज़ बन्द हो गई श्वॉस लेने में कठिनाई होने लगी और छाती पर सूजन आ गई और उसकी पसलियों में असहनीय दर्द हो रहा था। मैं डाक्टर को बुलाने गया परन्तु उन्होंने कहा, मैं अस्पृश्य के क्वार्टस में नहीं आऊँगा। मैं उसकी चिकित्सा जाँच भी नहीं करूँगा। तब मैंने नगरसेठ और गारसिया दरबार को सम्पर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने पदों का प्रयोग मेरे लिये करें। वे आये और डाक्टर की फीस के रूप में 2/– रुपये का भुगतान करने के लिए नगर सेठ मेरे लिए जमानती बने और इस शर्त पर कि रोगी को अस्पृश्यों के क्वार्टरों के बाहर लाया जाएगा चिकित्सक ने आने की सहमति दी। वे आए और उस महिला, जिसका बच्चा केवल दो दिन का था, को बाहर लाये। तब डॉक्टर ने थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया जिसने इसे मुझे दिया। मैंने थर्मामीटर लगाया और तब मुसलमान को वापिस कर दिया जिसने इसे डॉक्टर को दे दिया। लगभग 8 बजे थे और लैम्प की रोशनी में थर्मामीटर देखकर उसने कहा, उसको निमोनिया और श्वॉस का रोग है। इसके पश्चात् डाक्टर चला गया और दवाइयाँ भेज दीं। मैंने मार्किट से अलसी क्रय की और हम अलसी की पुलटिस लगाने लगे और उसको दवाई देते रहे। डॉक्टर ने उसकी जाँच करने की दया नहीं दिखाई और उसे केवल दूर से ही देखा। अन्ततः मैंने उसकी फीस 2/– रुपये दिये। यह एक गंभीर बीमारी है। सब कुछ ईश्वर के हाथों में है।

मेरे जीवन से रोशनी जा चुकी है। वह आज दोपहर 2 बजे गुजर चुकी है।[1]

II

टिप्पणी करना अनावश्यक है। डाक्टर की अमानवीयता के सम्बंध में कोई क्या कहे जिसने एक शिक्षित व्यक्ति होते हुए भी थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया एक और मुसलमान के माध्यम से थर्मामीटर लगवाया और उसे साफ करवाया और जिसमें दो दिनों से बीमार पड़ी महिला का इलाज करने से मना करके उसके साथ कुत्ते या बिल्ली से भी बदतर व्यवहार किया। उस समाज के सम्बंध में क्या कहा जाए जो इस अमानवीयता को सहन करते हैं? कोई भी केवल चिन्तन कर शोक प्रकट कर सकता है।

ए.वी. ठक्कर

1. यंग इंडिया, दिनांक 5 मई, 1927।

परिशिष्ट–3

रूढ़िवादिता उन्मत्त हो गई

''अस्पृश्य'' के साथ कथित नृंशस व्यवहार महार होने का अपराध श्री केशव जी रण छोड़ वाघेला ने अहमदाबाद से डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, अध्यक्ष, बहिष्कृत हितकारिणी सभा को निम्न प्रकार से सूचित कियाः

एक व्यक्ति बापूराव लक्ष्मण और उसके भाई कौराव पिछले छः वर्षों से अहमदाबाद के निवासी हैं। वे मराठा जाति से संबंधित दक्षिण के कुछ लोगों से मिलते–जुलते थे। कौराव के दो बच्चे दामू और लक्ष्मण ने मराठों की भजन मण्डली में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया। लेकिन मराठों को हाल ही में ज्ञात हुआ कि दामू और लक्ष्मण जाति से महार हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए सूरत और अहमदाबाद के बीच पार्सल गाड़ी पर कार्यरत दो महारों को दामू और लक्ष्मण की पहचान करने के लिए विशेष रूप से बुलाया गया। यह सुनिश्चित होने के पश्चात् उन्हें इस महीने की 11 तारीख को आधी रात को कालूपुर, भंडेरी पोल पर भजन मण्डली में विशेष रूप से बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि वे किस जाति से संबंधित हैं, दामू और लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि वे सोमवंशी हैं। इस उत्तर से मराठा क्रुद्ध होकर भड़क उठे और उनसे स्वयं को व उनके स्थानों को दूषित करने के लिए गाली–गलौच करने लगे। महार भाईयों को मराठों द्वारा मारा–पीटा भी गया। इन दोनों भाइयों में से एक ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। इसे उससे जबर्दस्ती छीन कर 11/– रुपये में बेच दिया गया। इसमें से 6/– रुपये उन महारों को दे दिये गये जिनको सूरत से भाइयों की पहचान करने के लिए बुलाया गया था। दामू और लक्ष्मण मराठों से याचना करते रहे कि उन्हें अपने घरों को वापिस जाने की इजाजत दी जाए परन्तु मराठों ने कहा कि जब तक वे 500/– रुपये के जुर्माने का भुगतान नहीं कर देते तब तक नहीं जा सकते। महार भाइयों द्वारा इतनी बड़ी रकम देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करने पर एक मराठा ने सुझाव दिया कि महार भाइयों पर केवल 125/– रुपये का जुर्माना किया जाए। परन्तु तभी एक मराठा ने जुर्माने के प्रस्ताव का विरोध यह कहते हुए किया उन्हें जुर्माने से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। परन्तु महारों को अपनी जाति छुपाने के अपराध के लिए कड़ा दण्ड देना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया निर्धारित करने के पश्चात महार भाइयों को बन्दी बना लिया गया और प्रातः लगभग 9 बजे उनका नृंशस रूप से अपमानित किया गया। उनकी बॉयी ओर की मूंछ एवं दायी ओर की भौंह काट दी गई। उनके शरीर पर तेल एवं गन्दगी मिली कालिख मल दी गई और उनके गलों में पुराने जूतों की मालाएँ पहना दी गईं और

उनमें से एक को कहा गया कि अपने हाथ में झाडू ले और दूसरे को अपने हाथ में दफ्ती लेने के लिए कहा गया और उस पर यह लिखा था कि यह सजा उन अपराधियों को दी जा रही है जिन्होंने उच्च जाति के लोगों को छूने का साहस किया है। महार भाइयों को लगभग 75 लोगों के जुलूस में ले जाया गया और आगे नगाड़ा बजाया जा रहा था।

उक्त दोनों महार भाइयों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अभियुक्तों ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि दामू एवं लक्ष्मण के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया है परन्तु यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्त्ता अपनी इच्छानुसार सजा भुगतने के लिए सहमत हुए थे। जब उन्हें तिरस्कृत, अपमानित एवं कड़ी सजा के लिए धमकाया जा रहा था और वास्तव में तिरस्कृत कर नृशंस व्यवहार किया जा रहा था तब स्पष्ट रूप से दामू और लक्ष्मण असहाय थे। इस मामले ने अस्पृश्य जाति से सम्बंधित लोगों में बहुत बड़ी संवेदना जागृत कर दी है और प्रयास किये जा रहे हैं कि शिकायतकर्त्ताओं को उचित कानूनी सहायता प्रदान की जाए।[1]

---

1. द बॉवे क्रॉनिकल्स, दिनांक 25 फरवरी, 1928।

परिशिष्ट–4

पूना– समझौते की पूर्व–संध्या पर गाँधी– वल्लभ भाई की बैठक

6 सितम्बर, 1932 को यरवदा जेल में निम्नानुसार विचार–विमर्श हुआः

''बल्लभ भाई पटेलः आप क्या सोचते हैं कि ये लोग (ब्रिटिश सरकार) क्या करेंगे?

गाँधी जीः मुझे अभी भी विश्वास है कि वे मुझे 19 या इससे पूर्व छोड़ देंगे। यह दृष्टता की चरम–सीमा होगी यदि वे मुझे अनशन करने देते हैं और किसी को इसकी जानकारी नहीं देते हैं और तब कहा जाएगा कि मैंने एक कैदी के रूप वह सब किया है जो नहीं करना चाहिए था और वे इस सम्बंध में कुछ नहीं कर सके। मैं यह नहीं कह सकता कि वे इस सीमा तक नहीं जा सकते जब तक कि वे इसे आवश्यक नहीं समझेंगे और ये निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं हैं जो आवश्यकता से अधिक आगे बढ़ें।

व. पटेल : तब आप क्या करेंगे?

गाँधी जीः अनशन 20 से प्रारम्भ नहीं हो सकता, हम 20 तारीख को इसके लिए निर्धारित नहीं कर सकते।

वी पटेलः तब इस का अर्थ यह हुआ कि नया संविधान तैयार होने तक हमें समय मिल जाएगा? या कि आप जनता एवं सरकार को इसके लिए अधिक लम्बा समय देंगे?

गाँधी जीः हाँ, परन्तु यह मेरे रिहा होने के पश्चात लोग मुझे कितना, कार्य करने की सहमति देते हैं। मैं नहीं कह सकता कि स्थिति क्या होगी। मेरे पास ऐसा कोई विचार नहीं

है कि मुझे किस प्रकार का पत्र लिखना चाहिए? परन्तु मुझे प्रत्येक पार्टी, हिन्दू समाज, अन्तयाजस, सरकार, मुस्लिम– के लिए विचार करना होगा। हिन्दुओं के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक स्थान पर अन्तयाजस के साथ बैठकें करें और इस बात का विरोध करें सरकार ने ऐसा इसाई सरकार होने के नाते किया है और मुझे सरकार एवं ईसाइयों दोनों को बताना होगा कि ईसाई होने के नाते आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे स्वराज्य को अस्तित्व में आ जाने दो तब वे अन्तयाजस को जिस प्रकार चाहें उसी प्रकार प्रभावित करें परन्तु वे हमें आज विभाजित नहीं कर सकते है। मैंने ऐसा मुसलमानों को इंग्लैंड में भी कहा है। मैं यही बात यहाँ भी कहता हूँ। मैं हिन्दू समाज को स्पष्ट करता हूँ कि अन्तयाजस के पास मुसलमान या इसाई बन जाने के सिवाय अब कोई विकल्प नहीं है।

महादेव देसाईः आने वाले लोगों में ईसाई मित्र भी होंगे और वे आपको कहेंगे कि सरकार को दोषी ठहराने से पूर्व अपने आपको दोषी मानें। हिन्दू समाज अन्तयाजस को अस्पृष्य क्यों मानता है?

गाँधी जीः इसको मुझे स्पष्ट करना है। यह कठिन बात नहीं है। हम उनको कह सकते हैं, ''हमें हमारी समस्या का समाधान करने दीजिए, आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं? जब हम अपने निजी मामलों का प्रबन्धन कर चुकें तो आप जो कुछ करना चाहते हैं, करिए। आप हमें विभाजित क्यों करना चाहते हैं और तब बातों पर तर्क क्यों करते हैं? आज अन्तयाजस को या तो मुसलमान या आपके अनुसार परिवर्तित होना है। महिलाओं का प्रश्न भी अन्तयाजस के समान है। परन्तु महिलाएँ अस्पृश्य नहीं हैं यदि वे अस्पृश्य बनना भी चाहेंगी तो पुरुष उनके बिछौनों पर जाकर बैठ जाएँगे। उन्हें अलग चुनाव–क्षेत्र प्रदान कर दिये जाने के बावजूद भी अलग नहीं किया जा सकता है। आज अन्तयाजस स्थायी रूप से अलग

> हो चुके हैं। इसका क्या परिणाम होगा? इससे आन्तरिक कलह हो सकती है। इसमें जैसे लोग हैं वह समुदाय के दुष्ट लोगों को इक्ट्ठा कर लेंगे और हिन्दुओं पर आक्रमण करेंगे, कुंओं में जहर मिलायेंगे और अन्य कार्य करेंगे।[1]

बापू जी ने एच.एस.एल. पोलक को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अनशन करने की परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया है जो उन्होंने लिखा वह इस प्रकार हैः

''ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अनशन के अंतर्भूत विचार को नहीं समझा है। आप अल्पसंख्यक समिति में मेरे भाषण का अध्ययन करें। यह तैयार किया हुआ भाषण नहीं था। इसका अन्त अत्यन्त अप्रतिरोध्य ढंग से सामने आया था। अनशन सत्यनिष्ठा पूर्वक की गई घोषणा का अपरिहार्य परिणाम था। में नहीं जानता कि घोषणा को किस प्रकार पूरा किया जाएगा। मैं कहता हूँ कि घोषणा ईश्वरीय थी तथा इस प्रकार यह संपन्न भी हुआ। यदि यह ईश्वरीय था तो तर्क व्यर्थ है। यदि यह भ्रम था, और मेरे जो दोस्त ऐसा मानते हैं तो वे मुझे प्यार व सतत आग्रह से वास्तविक सच्चाई से अवगत कराएँ।

''अब तक जो कुछ हुआ है उससे मेरे मत को बल मिला है कि अनशन ईश्वरीय विश्वास पर आधारित था। प्रधान मन्त्री के माध्यम से नहीं अपितु सर सैम्यूल होरे के माध्यम से अनशन का सन्देश जाना अपेक्षित था। किन्तु यदि आपने मेरे द्वारा दिये गये सभी वक्तव्यों तथा प्रधान मन्त्री को लिखे सभी पत्रों को समझा हो तो आपने पाया होगा कि अनशन उन लाखों लोगों को समर्पित है जिनको मुझ पर विश्वास है और जब कभी मैं उनके मध्य जाता हूँ तो वे अपने शाश्वत प्यार से मुझे घेरे रहते हैं। वे बिना किसी तर्क के अनशन को उसके आशयों सहित समझते हैं। उनके लिए इसका राजनीतिक हिस्सा महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आन्तरिक सुधार ही प्रमुख ध्येय था।''

''आपने पूछा कि यह दस वर्ष पूर्व क्यों नहीं किया गया था इसका उत्तर यह है कि ईश्वर ने तब इसके लिए मेरा आह्वान नहीं किया था। उसने आकर मुझे तब चेतन्य किया जबकि मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके तरीके हमारे

---

1. भारत सरकार, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, सूचना एवं प्रसारण मंत्राालय, नई दिल्ली खण्ड 11, पृष्ठ 457—458।

तरीकों से बहुत भिन्न हैं। निस्संदेह आप मुझ पर विश्वास करेंगे कि मुझमें समर्पण की तब भी वही क्षमता होती जो अब दिखाई देती है।''[1]

---

1. तत्रैव, खण्ड LI, पृष्ठ 252–252।
उपर्युक्त सभी पुनर्मुद्रित, डॉ. बुसी : पृष्ठ 88–190।

परिशिष्ट–5

गोल मेज सम्मेलन एवं पूना समझौते पर टिप्पणियाँ

1

संसद की संयुक्त चयन समिति

"जातीय निर्णय एवं पूना समझौता"

समिति का स्पष्ट मत है कि वर्तमान समय में जातीय प्रतिनिधित्व अपरिहार्य है। जातीय निर्णय में उल्लिखित प्रान्तीय विधानसभाओं के गठन की व्यवस्था को वह पूर्व सुनियोजित एवं संतुलित मानती है।

पूना समझौते के सम्बंध में, समिति ने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी राय में महामहिम सरकार का मूल प्रस्ताव सामान्य साम्प्रदायिक प्रश्नों का अधिक उपयुक्त हल होगा और दलित वर्गों के लिए उनके उत्थान के वर्तमान स्तर हेतु लाभदायक भी होगा। परन्तु यदि समझौते को निर्णय के अधिकृत संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो समिति के समक्ष यह स्पष्ट हो चुका है कि अब यह रदद नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी मनोवृत्ति यह हो कि क्या सहमति द्वारा बंगाल में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में करने कमी और संभवतः अन्य प्रान्तों में उनकी सीटों की संख्या में अनुपूरक वृद्धि हो जाने से बंगाल के नये संविधान की कार्यशीलता बेहतर हो जाएगी। (भारतीय सह्मविधान सुधार, पृष्ठ 4, दिनांक 22 नवम्बर, 1934 पर श्वेत पत्र में दिये गये प्रस्तावों पर संसद की संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण)[1]

---

1. पुनर्मुद्रित, खैरमोरे, खण्ड 5, पृष्ठ 65–66।

2

जोआकिम अल्वा ने अपनी पुस्तक ''मेन एण्ड सुपरमेन ऑफ हिन्दुस्तान'' में कहा है:

''वह (डॉ. वी.आर. अम्बेडकर)'' अब साहसी बन गए हैं और उन्होंने स्पेन्सर की उक्ति को शब्दशः अपनाया है, साहसी बनो! साहसी बनो और निरन्तर अधिक साहसी बनो उन्होंने सीखा कि निर्भीकता एवं साहस द्वारा बड़े से बड़े भय एवं कमजोरियों से मुक्त हुआ जा सकता है। वे अत्यधिक सशक्त स्वभाव के थे और लोग उनका आवश्यकता से अधिक आदर सम्मान करते थे। वह अनुचित नम्रता के साथ बलपूर्वक प्रेरित महात्मा गाँधी का भी दलित वर्गों की ओर, जिनके लिए उन्होंने सम्मानजनक सम्बोधन 'हरिजन' चुना, सेवा का अद्वितीय रिकॉर्ड रहा है परन्तु डाक्टर कोई प्रतिद्वंद्वी सहन नहीं कर सकते थे। किसी अन्य को उस स्थान पर आसीन किया जाना उन्हें गवारा नहीं था। असामान्य सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण भारतीय समाज ने अपने आपको जिस रसातल की ओर धकेला था। उसकी असामान्य संतति होकर डॉ. अम्बेडकर ने जानबूझकर स्वयं को एक असामान्य व्यक्तित्व के रूप में विकसित किया था। (मेन एक सुपरमेन ऑफ हिन्दुस्तान, पृष्ठ–20)

डॉ. अम्बेडकर के रामसे मेकडोनाल्ड को किए गए इस अनुरोध से कि विधानसभा में जातीय अनुपात का निर्णय किया जाये, ने उग्र राजनीतिज्ञ के जीवन को संभ्रमित कर दिया था। डाक्टर ने यरवदा जेल के गेट पर यह घोषणा की–

मुझे विश्वास है कि मुझे गाँधी के जीवन और मेरे लोगों के अधिकारों के मध्य चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मैं कभी सहमति नहीं दूंगा कि मेरे लोग हाथ–पैर बांधे हुए पीढ़ी–दर–पीढ़ी हिन्दुओं के अधीनस्थ बने रहें। यदि सैंकड़ों महात्मा बलि चढ़ जाते हैं तो भी मुझे इसकी परवाह नहीं है। महात्मा जन कोई शाश्वत प्राणी नहीं है। आप सभी मुझे किसी भी नज़दीकी बिजली के खम्बे से फाँसी पर लटकाने के लिए स्वतन्त्र हैं। महात्मा ने डॉ. को कहा, 'मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारे भाषण हमेशा ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। (मेन एक सुपरमेन ऑफ हिन्दुस्तान, पृष्ठ–22)[1]

---

1. पुनर्मुद्रित, खैरमोरे, खण्ड 4, पृष्ठ 168–169।

3

उपनाम से लिखने वाला लेखक

सार्वजनिक मामलों के एक विद्यार्थी ने अपनी पुस्तक ''क्या कांग्रेस असपफल हो चुकी है?'' में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये: उसके अत्यधिक उत्साही समर्थक भी दावा नहीं करेंगे कि श्री गाँधी की उस सम्मेलन में सहभागिता सफल रही थी। साम्प्रदायिक भेदभाव ने सभी क्षेत्रों में प्रगति को रोका हुआ था और अल्पसंख्यक उपसमिति अन्ततः किसी फैसले पर पहुँचने में असफल रहने की रिपोर्ट देने के लिए बाध्य थी। किसी जाति, सिवाय गाँधी मुसलमान, सिख और यूरोपियन समुदायों के अतिरिक्त किसी अन्य समुदाय के लिए अलग मतदाता सूची के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हमेशा दृढ़तापूर्वक मना करते थे और दलित वर्गों के संबंध में वह जोर देकर कहते थे कि वे हिन्दू थे और उन्हें हिन्दू संगठन में ही रखा जाना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर को गांधी के इस हठी रवैये के परिणामस्वरूप दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाने की एक निश्चित माँग प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा–(पृष्ठ–55)[1]

4

डॉ. एम.आर. जयकर ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि:

'' इंग्लैंड में भारतीय गोल मेज सम्मेलन में उनके (महात्मा) रवैये ने अल्पसंख्यकों को विख्यात अल्पसंख्यक समझौता स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उसने दलित वर्गों के लिए कांग्रेस के माध्यम के सिवाय आरक्षण द्वारा एक भी सीट देने के लिए मना कर दिया। बाद में उन्होंने प्रधान मंत्री मेक डोनाल्ड के पूना समझौते की अपेक्षाकृत अधिक संतुलित व्यवस्था के निर्णय के विरुद्ध अनशन किया जिसे बाद में माना बंदूक की नोक पर लागू करना पड़ेगा। इस समझौते की प्रतिक्रिया पर बंगाल के नेताओं, ने जो पहले गाँधी जी के विश्वासी अनुयायी रहे थे, गंभीर शोक जताया। (द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, खंड एक, पृ. 361–62)''[2]

---

1. रवैरमोरे, खण्ड 4, पृष्ठ 173।
2. तत्रैव, पृष्ठ 173।

5

पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन के अवसर पर, ''ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स'' शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की गई थी। पुस्तक में श्री एडवर्ड थामसन का पत्र, जिसे उन्होंने 6 दिसम्बर 1936 को लिखा था, सम्मिलित है, जिसमें उन्होंने कहा है कि,

''मैंने गाँधी के बारे में गोल मेज़ सम्मेलन तक, जब वह अंहकारी एवं असंगत थे, कभी गलत नहीं सोचा था। संभवतः उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। परंतु सम्मेलन में आकर बहुत से भारतीयों के विचारों को अस्वीकार करना सर्वथा अनूचित था। इसमें ऐसे कई व्यक्ति थे, जिन्हें अपने विचार व्यक्त करने की कीमत चुकानी पड़ी थी, ये ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी द्वारा परामर्श लिए जाने के और एक साझा कार्य और संकल्पनाओं का साकार करने के कार्य में लगे मित्र समझ जाने के योग्य थे। (पृष्ठ– 208)''[1]

6

श्री ग्लोरनी बोल्टन ने अपनी पुस्तक 'द ट्रेजडी ऑफ गाँधी' में कहा है:

''सच्चाई है कि श्री गाँधी लंदन में आधारहीन हो गए थे और पुराना आश्वासन और भरोसा उनका साथ छोड़ रहा था। सम्मेलन में जिससे वे तंग आ चुके थे दिन–प्रतिदिन उन्हें मुसलमान शिष्टमंडल का सामना करना होता था क्योंकि उन्होंने उनकी कोई भी माँग नहीं मानी थी। दिन प्रतिदिन डॉ. अम्बेडकर की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही थी। वे अस्पृशनियों के लिए बोलते थे और भारत के कल्याण के संबंध में कोई भी भाषण चाहे वह रूढ़िवादी अथवा समाजवादी की ओर से होता – परंतु उनका भाषण रूढ़िवादी या समाजवादी पर था परन्तु उसमें अस्पृश्यों की त्रासद दशा का उल्लेख अवश्य होता था। यह व्यावहारिक प्रसंग की अपेक्षा संवेदनशील अधिक था। श्री गाँधी ने अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए इंग्लैंड में लगभग सभी वर्गों से प्रशंसा

---

1. खेरमोरे पृष्ठ 173–174।

बटोरी थी परन्तु अब डॉ. अम्बेडकर ने इस मंच को नष्ट कर दिया था। उन्होंने महात्मा का इस प्रकार से विरोध किया कि नागरिक यह विश्वास करने लग गये थे कि दो व्यक्तित्व श्री गाँधी एवं डॉ. अम्बेडकर सम्मेलन का आधिपत्य कर रहे हैं। परंतु यह कतई सच नहीं था सबसे पहले तो श्री गाँधी का सम्मेलन में पर्याप्त प्रभाव नहीं था। वे सर सैक्यूल होरे के पश्चात् बोले, जिन्होंने वे अत्यधिक पसन्द करने लगे थे। सर होरे ने अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में बोला। श्री गाँधी इससे पूर्णतया सहमत थे और उन्होंने अपने पंचायती योजना की व्याख्या करना प्रारम्भ कर दिया जिसके द्वारा गाँव अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, गाँव प्रतिनिधियों का एक समूह अपने जिला प्रतिनिधि को चुनता है और जिला प्रतिनिधि विधानसभा के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। यह एक पद्धति है जो रूढ़िवादी भय को कमज़ोर बनाते हुए प्रौढ़ मताधिकार का कांग्रेस की माँग को पूरा करती है। भारतीय उदारवादी शिष्टमण्डल ने इसकी प्रति अपनी उत्साहपूर्ण संस्वीकृति दी थी। ''इनमें से एक ने कहा, ''एक सप्ताह के भीतर रूढ़िवादी गाँधी जी के चरणों में होंगे,'' उन्होंने इस शैली में पुनः कभी नहीं बोला इसके विपरित डॉ. अम्बेडकर के साथ उनका विवाद हुआ। प्रारम्भ में मुसलमान महात्मा की असफलता से खुश नज़र आये परन्तु कुछ समय पश्चात शिष्टमण्डल के प्रत्येक सदस्य की इच्छा थी कि डॉ. अम्बेडकर श्री गाँधी के प्रति उनका निजी प्रतिष्ठा के अनुरूप आदर जिसके वह निश्चित रूप से हकदार हैं दिखाएं। (द ट्रेजेडी ऑफ गाँधी, पृष्ठ 266–267)

''इसके पश्चात् सम्मेलन के विचार–विमर्श अब बो एण्ड नाइट्स ब्रिज पर ही संकेद्रित नहीं थे। मुसलमानों, यूरोपियों, एंगलो–इंडियनों, अस्पृश्नियों के प्रतिनिधियों ने मिलकर बैठक की। अल्पावधि में ही उन्होंने अल्पसंख्यकों का समझौता तैयार किया जिस पर प्रतिष्ठित सिख नेता सरदार उज्जवल सिंह को छोड़कर अल्पसंख्यकों के सभी प्रतिनिधियों ने अपने हस्ताक्षर किये। श्री बेंथॉल ने श्री गाँधी को शिष्टाचारवश समझौते की प्रतिलिपि तथा साथ में उत्साहपूर्ण स्पष्टीकरण पत्र भेजा। सेंट जेम्स में श्री गाँधी से नज़रें मिलने पर डॉ. अम्बेडकर लगभग विद्रोही ढंग से मुस्कुराए। श्री गाँधी के लिए स्पष्ट रूप से दो रास्ते खुले थे। या तो अल्पसंख्यकों का विभाजन शालीनतापूर्वक स्वीकार करें। अन्यथा अपने पक्ष में हिन्दू बहुमत तैयार करें, जो कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में नहीं बोले बल्कि रूढ़िवादी हिदू महासभा सहित, सभी हिन्दुओं के प्रवक्ता के रूप में बोले। श्री गाँधी ने शीघ्रता से समझौते की शर्तों का अवलोकन किया। उन्होंने तुरन्त यह देख लिया कि समझौता डॉ. अम्बेडकर द्वारा अपनाये गये द्वन्द्वी रवैये को इंगित करता है इस समझौते में अस्पृश्नियों के लिए अलग निर्वाचन–क्षेत्र का उदारतापूर्वक प्रावधान किया गया है। श्री गाँधी के लिए कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था। यदि अब तक वे लंदन में अपने उद्देश्य के प्रति अनिश्चित थे तो अब उन्हें ज्ञात हो गया था कि ऐसा करना उनका दायित्व है। उन्हें अस्पृश्नियों

को उनके नेताओं से बचाना था। वे सर सेम्यूल होरे से मिले। इसके साथ ही वह श्री राम से मेकडोनाल्ड से भी मिले जिनके उत्साहपूर्ण विचारों से वे प्रभावित थे।

श्री गाँधी ने किसी अन्य विषय पर बात नहीं की उन्होंने अपने भाषण में घोषणा की ''अस्पृश्नीय के लिए अलग निर्वाचन–क्षेत्र होने से वे सदा के लिए दासता में जकड़े रहेंगे। अलग निर्वाचन–क्षेत्र होने पर भी मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही रहें? लेकिन भारतीय उदारवादी श्री गाँधी के संघ पर विचार कितनी सहजता से क्यों न ले, परन्तु उनके विचारों के प्रति अल्पसंख्यकों की प्रतिक्रिया सम्मानजनक है। अल्पसंख्यक समझौते पर सर्व–सम्मति नहीं हुई थी क्योंकि इसके प्रावधानों में रूढ़िवादी हिन्दूओं और विशेष रूप से सिखों के प्रति विरोधी तत्व थे जिससे श्री गाँधी का आक्रोश बढ़ गया था। समझौता, जिस दिन हुआ उसी दिन समाप्त हो गया। इसके समाप्त हो जाने की तत्काल अभिस्वीकृति ब्रिटिश एवं भारतीय शिष्टमण्डल ने एक साथ दी जैसा कि अब हर कोई स्वीकार करता है कि जातीय समझौता ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए था। (द ट्रेजेडी ऑफ गाँधी, पृष्ठ–277–270)[1]

7

धनजय कीर, जीवनी लेखक ने कहा

''पूना समझौते ने पूरे देश को झकझोर दिया तथा इसकी प्रतिक्रिया पूरे विश्व में हुई। एक बार फिर यह सिद्ध हुआ कि डॉ. अम्बेडकर जिन्हें पूना समझौता से पूर्व के दिनों में कांग्रेसी नेताओं और प्रेस ने दलित वर्गों के नेता के रूप में मानने से इन्कार कर दिया था, पूरे भारत में दलित वर्गों के अधिकृत नेता के रूप में उभर कर आये। नये समझौते से दोनों पक्षों को कुछ न कुछ खोना पड़ा। हिन्दू जाति को 71 सीटों की बजाय 148 सीटें देनी पड़ीं। दलित वर्गों ने हिन्दू जाति के नेताओं को अपनी इच्छानुसार झुकाने का विकल्प खो दिया क्योंकि दलित वर्गों को निर्णय के अनुसार विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को अलग से चुनना था और इसके साथ ही हिन्दू जाति के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सामान्य निर्वाचन–क्षेत्रों में हिन्दू जाति के साथ मतदान करना था। अब हिन्दू जाति को दलित वर्गों के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिल गया था। 26 सितम्बर को दिल्ली सत्र में अपने प्रस्ताव द्वारा हिन्दू महासभा ने भी इसके अनुमोदित किया।

---

1. खैरमोरे, खण्ड 4, पृष्ठ 170–172।

तीसरी बात जो सिद्ध हुई वह यह थी कि जब भी महात्मा गाँधी को राजनी. तिज्ञ पर हावी होने की छूट मिली गाँधी तो उन्होंने साधारण चीज़ को जटिल एवं उलझावपूर्ण बनाने का करिश्मा कर दिखाया। गोल मेज़ सम्मेलन में महात्मा गाँधी राजनीतिज्ञ गांधी पर हावी रहे जिसके फलस्वरूप महात्मा ने दुनिया को हिला दिया पर राजनीतिज्ञ गांधी असफल रहे यरवदा में राजतिज्ञ गांधी सफल रहे परंतु राजनी. तिज्ञ गांधी हार गए। गाँधी की विजय इतनी प्रभावी एवं जबरदस्त थी कि उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को उनके सभी जीवन रक्षक हथियारों से वंचित कर दिया तथा उन्हें शक्तिहीन बना दिया जैसे इन्द्र ने कर्ण के मामले में किया था। डॉ. अम्बेडकर अपने कथन में सही थे कि गाँधी ने गोलमेज़ सम्मेलन में दलित वर्गों की समस्याओं के मामले में पर्याप्त लचीलापन दिखाया होता तो महात्मा को कठिन परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती।

गाँधी की कठिन परीक्षा स्वयं उनके द्वारा निर्मित थी। पूना समझौता एक ऐतिहासिक घटना का समापन था। परन्तु क्या 14 अगस्त, 1931* को मनीभुवन में घोषित युद्ध का अन्त हुआ? या क्या यह दूसरी लड़ाई थी और युद्ध विराम के बाद भी जारी रहना था?''[1]

---

* इस भाग का पृष्ठ 51–56 देखें – संपादक

1 कीर, पृष्ठ 215–16।

परिशिष्ट 6

डॉ. अम्बेडकर ने श्री गाँधी को अब कठिन परीक्षा में डाल दिया है।

यह पत्र दी टाइम्स ऑफ इण्डिया', के एक पाठक का है जो मन्दिर में प्रवेश अभियान के संबंध में टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ था।

"डॉ. अम्बेडकर का बम

श्री गाँधी के लिए परीक्षा

''दी टाइम्स ऑफ इण्डिया'' के सम्पादक के नाम

महोदय,

आपका पूना का संवाददाता बिल्कुल सही है। डॉ. अम्बेडकर ने ''मन्दिर प्रवेश अभियान–तंत्र के केन्द्र में जीवित बम'' फेंका है। यह इससे भी बहुत बड़ा है, अस्त्र यह एक बम (देश में ही निर्मित) है जिसे कांग्रेस कैम्प पर फेंका गया है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है और यह मन्दिर प्रवेश अभियान एक मृत शरीर में जान फूंकने का एक रोचक प्रयास मात्र है। प्रारम्भ से ही डॉ. अम्बेडकर ने हमें चेतावनी दी थी कि श्री गांधी एवं उसकी कांग्रेस द्वारा वेग पूर्ण प्रचार वास्तव में केवल एक ''राजनीतिक प्रदर्शन'' है अब वह श्री गांधी को एक कठिन परीक्षा में डाल रहे हैं। हमारे समक्ष दो प्रश्न हैं : (1) क्या महात्मा इस मन्दिर प्रवेश के प्रश्न के संबंध में गंभीर हैं या क्या यह एक चेष्टा मात्र है। (2) क्या केवल मन्दिर में प्रवेश देने से ही दलित वर्गों की सामाजिक स्थिति में सुधार हो जायेगा। श्री गांधी मन्दिर प्रवेश के प्रश्न पर वास्तव में गंभीर नहीं हैं, इस बात की पुष्टि उनकी अपनी स्वीकारोक्ति से होती है कि ''उन्होंने स्वयं कभी इन मन्दिरों में प्रवेश नहीं किया।'' वस्तुतः श्री एम.के. आचार्य, महान् रूढ़िवादी हिन्दू नेता ने पिछले सप्ताह सूरत में अपने भाषण में हमें स्मरण कराया कि: श्री गाँधी ने स्वयं कभी किसी मन्दिर में पूजा नहीं की और उन्हें मन्दिर में पूजा के नियमों एवं विनियमों की बहुत कम जानकारी है। श्री आचार्य जैसे सभी रूढ़िवादी हिंदुओं जिन्होंने 20 वर्षों से श्री गांधी का निष्ठापूर्वक समर्थन किया है, ने अब उन्हें तथा कांग्रेस को छोड़ दिया है।

श्री आचार्य ने श्री गाँधी को चुनौती दी है कि श्री गांधी अपने निजी मन्दिर क्यों नहीं बनवा कर देखते कि अस्पृश्य सहित सभी हिन्दू उनमें जाकर पूजा कर सकें?'' कोई नहीं कह सकता कि श्री गांधी में नैतिक साहस की कमी है। परन्तु वे श्री आचार्य की चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि महात्मा एक चतुर राजनी. तिज्ञ हैं। और यह एक राजनैतिक कौशल का प्रश्न है और न कि पूर्णतया धार्मिक प्रश्न है। श्री आचार्य भूल गये हैं कि महात्मा हमें प्रायः बताते है, ''अधिकतर धार्मिक व्यक्ति जिनसे मैं मिला हूँ असल में राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन मैं, जिसने राजनीतिज्ञ का चोला पहना हुआ है, दिल से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। मेरा धर्म मेरी राजनीति हैं (आत्मकथा) उन्होंने हमेशा धर्म एवं सिद्धान्त को नीति एवं राजनीति के अधीन माना है। उन्होंने अपने देश को सामान्य रूप से और विशेष रूप से हिन्दुत्व को जो जख्म दिये हैं उनका वर्णन करना असंभव है। पूना समझौता को देखें, जिसपर जल्दबाजी में हस्ताक्षर किये गये, अब पूरे देश में यह अनुभव किया जा रहा है कि यह हिन्दू जाति के प्रति घोर अन्याय है। श्री गांधी ने देश को अनुचित समझौते में धकेल दिया है। अब वह पुनः प्रयास कर रहे हैं कि देश को हरिजनों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाए जब कि हरिजन वास्तव में ऐसा नहीं चाहते हैं।[1]

---

1. स्रोत सामग्री, खण्ड 1, पृष्ठ 107–108।

परिशिष्ट 7

डॉ. अम्बेडकर अमेरिका में रहने की अवधि को बढ़ाना चाहते थे।

भीमराव रामजी अम्बेडकर

जनवरी 16, 1915

1913 से 1915, 1103 के अनुसार—एस.बी.* बम्बई 16 जनवरी—दी सेंसर लिखता हैः निम्नलिखित पत्र शिक्षा मंत्री, बड़ौदा के माध्यम से प्रेषित हुआ। बी.आर. अम्बेडकर एस्क्वायर बी.ए. 554, पश्चिमी 114वीं स्ट्रीट, न्ययार्क को सम्बोधित डी./ओ. सं. 509 दिनांक 8 जनवरी, 1915ः

उनको सूचित कर दिया जाए कि पूर्व स्वीकृति के अनुक्रम में आपकी अमेरिका में रहने की अवधि को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव और इसका निर्णय आपको सूचित कर दिया जाएगा। महामहिम महाराजा साहिब को भेज दिया जाएगा।

भीमराव रामजी अम्बेडकर जनवरी 30, 1915

---

*. संक्षेपण : एस. बी. – विशेष शाखा।

81. अनुच्छेद 35, बड़ौदा के अनुसार 25 जनवरी, द असिस्टेंट रेजीडेन्ट लिखते हैं:

भीमराव रामजी अम्बेडकर एक परवारी** हैं, बम्बई के निवासी जिसे गायकवाड़ द्वारा वित्त एवं समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा गया है। वह बड़ौदा सेवा सूची में सेना परिवीक्षक के रूप में नामांकित हैं परन्तु उन्होंने सेना का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है और वेतन प्राप्त करने के उद्देश्य से दिखावटी रूप मे नियुक्त किया गया है। उन्हें जून, 1913 में अमेरिका भेजा गया था और यह विश्वास किया जाता है कि वह अभी भी वहीं हैं। उसे पहचान का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

भीमराव रामजी अम्बेडकर 13 फरवरी, 1915

107. अनुच्छेद 81, बम्बई के अनुसार, 8 फरवरी–

भीमराव रामजी अम्बेडकर जाति से महार हैं, मूल निवासी अम्बेड, ताल्लुका दापोली, जिला रत्नागिरी। वे बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और एल्फिन्सटज कालेज से बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उन्होंने बड़ौदा राज्य सेवा में प्रवेश किया था। वर्ष 1913 में बड़ौदा राज्य द्वारा उन्हें अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा गया। वे एस.एस. सरदेगना के अनुसार 15 जून, 1913 को बम्बई से रवाना हुए।

ऐसा प्रतीत होता है कि अम्बेडकर ने अमेरिका में रहने की अवधि दो वर्ष और बढ़ाने के लिए लिखा है उन्हें आशा है कि उसे समय में वे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे।

---

*. परवारी का अर्थ समझने के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का लेख शीर्षक ''सहार : वे कौन थे और वे कैसे अस्पृश्य बने'' देखें, इस खण्ड के भाग II में पृष्ठ 137–150 पर – संवादक

परिशिष्ट 8

वर्तमान में डॉ. अम्बेडकर को लेखा विभाग में परिवीक्षक के रूप में कार्य करना होगा

बड़ौदा सरकार से पत्र

बड़ौदा सरकार
संख्या 744
हुजूर कचहरी
बड़ौदा, 7 जून, 1918
प्रिय श्रीमान् नारायणराव

पिछले मास की 5 तारीख के आपके पत्र के प्रत्युत्तर में डॉ. अम्बेडकर का पत्र संलग्न कर रहा हूँ, मैं आपको यह कहने के लिए लिख रहा हूँ कि आपके आवेदन महामहिम महाराजा साहब के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे और उन्होंने आदेश दिया है कि श्री अम्बेडकर को उस वेतन पर बड़ौदा सेवा कार्यभार ग्रहण करना होगा, जिसका निर्धारण उनके अमरीका रवाना होने के पूर्व तथा जब वह अमेरिका जायेगा तो दिये जाने वाले वेतन पर किया गया था। यदि वह अपर्याप्त होगा तो उसको बढ़ा हुआ वेतन देने के अनुरोध पर कुछ समय पश्चात् विचार कर लिया जाएगा। वर्तमान के लिए' उसके आचरण को दृष्टिगत रखते हुए महामहिम न विवश हो कर टिप्पणी की है कि वे अपनी शिक्षा या उसके प्रति दर्शाये गये विश्वास के अनुकूल नहीं पाये गये। महामहिम उसके लिए शर्तों को और अधिक उदार करने के लिए तैयार नहीं हैं। महामहिम ने हमेशा डॉ. अम्बेडकर के समुदाय के कल्याण में रुचि दर्शायी है और श्री अम्बेडकर पर बहुत बड़ी राशि व्यय की है। क्या इन परिस्थितियों के तहत उन्हें स्वयं को कुछ हानि एवं असुविधा के बावजूद संभावनापूर्ण एवं स्पष्टता का उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहिए था विशेषकर जब कि उसे आने वाले समय में बेहतर भविष्य का वचन दिया गया हो?

कॉलेज में व्यावसायिक कार्य के लिए उनकी प्रार्थना के संबंध में, जब वहाँ रिक्त स्थान होगा महामहिम तभी उनके प्रश्न पर विचार करेंगे बशर्ते वे उन कार्यों के उपयुक्त पाये जाते हैं। वर्तमान के लिए उन्हें लेखा विभाग में परिवीक्षक के रूप में कार्य करना होगा।

चूंकि अपनी नौकरी छोड़ देने के कारण श्री अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पर व्यय

की जा रही राशि वापसी करने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति जमा कराने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए उन्हें 5 वर्षों के लिए अपने वेतन से 15 प्रतिशत की कटौती करवानी होगी जो कि उनके दोबारा नौकरी छोड़ने की स्थिति में जब्त किये जाने की बाध्यता के साथ नियमाधीन जमा रहेगी। परन्तु एक विशेष मामले के रूप में महामहिम ने आदेश दिया है कि जब तक यह कटौती उनके अनुबन्धित प्रारम्भिक वेतन से कम हो जाएगी तो उन्हें उसके कार्यभार संभालने की तिथि से आनुपातिक वृद्धि प्रदान की जाए।

अन्त में, एक विशेष मामले के तौर पर महाराजा साहब ने श्री अम्बेडकर को वर्तमान में अतिथि गृह में रहने की अनुमति दे दी है और कहा है कि उनके लिए निर्मित किये जा रहे घर के लिए शीघ्र ही योजना अनुमान दे दिया जाए।

आपका

मनुभाई मेहता

सर एच.जी चन्दावरकर
रेडर (पेडर) रोड
मालाबार हिल, बम्बई''[1]

---

1. रात्तू : लिटिल नोन पफैक्ट्स ऑफ डॉ. अम्बेडकर, पृष्ठ 230–231।

परिशिष्ट–9

अपने ऋण के पुनर्भुगतान के लिए शीघ्र कार्यवाही करें

''के.ई.डी.एस.एफ.सं. 43,	सं. 1919–20 का 8099
तार का पता	शिक्षा आयुक्त का कार्यालय,
शिक्षा, बड़ौदा''	बड़ौदा, 13/14 मई, 1920

प्रेषकः

ए.बी.क्लार्क, एसक्वायर बी.ए. (कन्टेब)
शिक्षा आयुक्त
बड़ौदा राज्य, बड़ौदा

सेवा में,

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
द सिडेनहेम कॉलेज ऑफ
कामर्स एण्ड इकोनॉमिक्स,
बम्बई

विषय : ऋण का पुनर्भुगतान

महोदय, मैं उपर्युक्त उपरोक्त विषय पर अपने पत्र सं. 4675, दिनांक 24 जनवरी, 1920* और तत्पश्चात् अनुस्मारक सं. 6121, दिनांक 18 मार्च, 1920* की

---

*. पत्र उपलब्ध नहीं है – संपादक

ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप मामले को शीघ्र निपटाएँ और राज्य को अपने ऋण के पुनर्भुगतान के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

महोदय, मुझे आपका अत्यधिक
आज्ञाकारी कर्मचारी होने का
गौरव प्राप्त हुआ है
ए.बी.क्लार्क

शिक्षा आयुक्त

बड़ौदा राज्य''[1]

---

1. रात्तू : लिटिल नोन फैक्ट्स ऑफ डॉ. अम्बेडकर, पृष्ठ 232।

परिशिष्ट – 10

धर्मान्तरण पर दिनांक 19.6.1936 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के बयान पर प्रतिक्रिया

श्री राजा को डॉ. मुज्जे का पत्र

डॉ. मुज्जे ने राव बहादुर एम.सी. राजा को निम्नलिखित पत्र नई दिल्ली दिनांक 30 जून, 1936 को लिखा –

प्रिय श्रीमान्

बम्बई के मित्रों तथा श्रीमन् सेठ जुगल किशोर बिरला द्वारा तत्काल बुलाने पर डॉ. अम्बेडकर की सहमति से मुझ इस मास की 18 तारीख को बम्बई जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ डॉ. अम्बेडकर के साथ मेरे तीन दिन तक लम्बे वार्तालाप होते रहे। अन्ततः हिन्दूवाद के विरुद्ध उनके आन्दोलन के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया। डॉ. अम्बेडकर इससे पूर्णतया सहमत थे।

यह सूत्र इस प्रकार से है :

यदि डॉ. अम्बेडकर को अपने निर्णय की घोषणा करनी पड़े कि वे और उनके अनुयायी इस्लाम और ईसाई धर्म की तुलना में सिख धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और वह ईमानदारी व निष्ठा से हिन्दुओं और सिखों के साथ उनकी संस्कृति के प्रचार के लिए सहयोग करेंगे और दलित वर्गों को मुसलमान बनाने के मुस्लिम आन्दोलन का प्रतिरोध करेंगे तो हिन्दू महासभा को भी हिन्दू संस्कृति में रहने की उनकी सहमति को दृष्टिगत् रखते हुए यह घोषणा करने के लिए तैयार किया जाएगा कि वे नीचे दिए गए बिंदुओं पर आपत्ति नहीं करेंगे–

(1) दलित वर्गों के सिख धर्म में धर्मान्तरण पर;

(2) धर्मान्तरित सिखों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने पर, और

(3) पूना समझौता में दिये गये प्रावधान के अनुसार गैर–सिख और दलित

वर्गों के धर्मान्तरित सिखों के मध्य खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा पूना समझौते के राजनीतिक अधिकारों का दलित वर्गों द्वारा लाभ उठाने पर।''

मैं बम्बई से आज प्रातः ही यहाँ हिन्दू महासभा के समक्ष उक्त प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने से पूर्व मित्रों से परामर्श करने के लिए आया हूँ। मैं पंडित मालवीय जी और यदि सम्भव हुआ तो महामहिम महाराजा पटियाला से भी मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बहुत ही नाजुक मामला है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस पर विचार करें और मुझे इस मामले पर अपनी राय भेजें। जब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाते तब तक मामले को बिल्कुल निजी एवं गोपनीय रखा जाए।

आपके उत्तर की प्रतीक्षा में

आपका

हस्ता./—बी.एस. मुज्जे

पी.एस. मैं उनके मामले के बयान पर प्रति, जो डॉ. अम्बेडकर ने मुझे सौंपी है, भी संलग्न कर भेज रहा हूँ। कृपया मुझे मेरे नागपुर के पते पर उत्तर भेजें।[1]

1. द बॉबे क्रॉनिकल्स : दिनांक 8 अगस्त, 1936 ।

II

"श्री राजा का डा. मुज्जे को उत्तर"

मैं पहले ही डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ कि दलित वर्गों को हिन्दूवाद छोड़कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने धर्मान्तरण जो कि आध्यात्मिक परिवर्तन है और एक सम्प्रदाय से दूसरे सम्प्रदाय में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कारणों से अन्तरण के बीच अंतर मानता हूँ।

प्रिय डॉ. मुज्जे, आप मुझे मेरे इस कथन पर क्षमा करेंगे कि आपने डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए दलित वर्गों की सारी समस्याओं को साम्प्रदायिक अन्तरण के रूप और न कि धार्मिक समस्या के रूप में देखा है। हर कोई हिन्दू महासभा के अध्यक्ष से यह आशा रखता है कि इसे धार्मिक समस्या के रूप में देखें और इसे सामाजिक एवं आर्थिक समस्या के रूप में न देखते हुए केवल राजनीतिक समस्या के रूप में न देखें। कोई भी आपकी चिंता को समझ सकता है यदि हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के रूप में आपने दलित वर्गों के आध्यात्मिक कल्याण को सर्वो. परि रखा है और सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संबंध में बाद में सोचा है तथा सबसे अन्त में राजनीतिक पहले को रखा है। आपकी राजनीतिक योजना में दलित वर्गों की स्थिति के प्रति उत्कंठा न केवल इन वर्गों के लिए आपकी चिंता की प्रकृति दर्शाती है परन्तु यह घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा हो जिसका अर्थ यह है कि सही उपाय करने के बदले अनुपयुक्त उपाय करना। हिन्दू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते आपसे हर कोई यह अपेक्षा रखता है कि इन वर्गों की नागरिक एवं सामाजिक असमर्थताओं को दूर करते हुए दलित वर्गों की सामाजिक दशा में सुधार करें और अन्य आराधकों की भान्ति हिन्दू मंदिरों में उनके लिए पूजा का अधिकार हासिल करें तथा पूरे भारत में गाँधी जी द्वारा चलाये गये हरिजन आन्दोलन को आगे बढ़ायें। ऐसा करने की बजाय आप जो कर रहे हैं वह क्या है? आप दलित वर्गों का बँटवारा कर रहे हैं और धार्मिक रूप से उन्हें सिखों के साथ जोड़ते हुए राजनीतिक रूप से हिन्दू ही बनाए रख रहे हैं।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दलित वर्गों के हित पर विचार नहीं किया जा रहा परन्तु हिन्दुओं और सिखों के साम्प्रदायिक हितों में योजनायें बनाई जा रही हैं। हम भेड़ें ओर जानवर नहीं हैं जिनका इस प्रकार विनिमय किया जाये और विभिन्न सम्प्रदायों के नेताओं के बीच पारस्परिक आदान–प्रदान के परिणामस्वरूप

एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में हाँक दिया जाये। हम इतने ठोस समुदाय के रूप में बने रहना चाहते हैं कि प्रगति के पथ पर अपनी इच्छानुसार बढ़ें और ऐसा सबसे बेहतर ढंग से तब कर सकते हैं जब हम हिन्दू के रूप में अपने जन्मसिद्ध अधिकार का त्याग न करें परन्तु हिंदुवाद में रहकर इसमें ऐसे परिवर्तन लायें। जिससे समान समस्याओं से जूझ रहे अपने समुदाय को और अधिक बेहतर बना सकें। यद्यपि हमारी समस्याएं बहुत अधिक एवं स्पष्ट हैं। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि हिन्दू समुदाय को कमजोर बनाया जाए परन्तु इसके भीतर सुधार लाकर इसे सशक्त बनाया जाए। हम साम्प्रदायिक झगड़ों एवं प्रतिस्पर्धाओं में कठपुलियाँ नहीं बनना चाहते हैं।

आपके प्रस्ताव में हिन्दू, सिख एवं मुसलमानों का चुनावी भाग्य शामिल है। यदि आप चाहते हैं कि हम हिन्दू धर्म को बदल कर कोई अन्य धर्म धारण कर लें तो हमें सिख और इस्लाम में से एक धर्म चुनना होगा क्योंकि ये हमारे साम्प्रदायिक अंतरण के लिए बोली लगाने वाले हैं तथा इसे धर्मान्तरण कहना गलत है। हम मुसलमानों के प्रति शत्रुता एवं विरोध की भावना क्यों बनाये हुए हैं? वे भी सिखों तथा हिन्दुओं की तरह हमारे भाई हैं। यदि दलित वर्ग सिख बन जाते हैं तथा उन्हें नव–सिख (धर्मान्तरित सिख) कहा जाता है तो इससे पूरे भारत में सिख–हिन्दू–मुसलमान समस्या उत्पन्न हो जाएगी जैसा कि पंजाब में हुआ है। इस तथ्य से समस्या और गंभीर हो जायेगी कि कथित नव सिख, सिख जाति में भी दलित वर्गों से संबंधित है।

राजनीति बिसात पर एक चाल की चेष्टा के रूप में धर्मान्तरण या साम्प्रदायिक अन्तरण का प्रश्न हमें दक्षिण भारत में अधिक विचलित नहीं करेगा। हम पूना समझौता के अधीन हिन्दुओं के साथ अपना धार्मिक एवं राजनैतिक दर्जा बरकरार रखते हुए आंशिक रूप से एक अलग मतदाता एवं आंशिक रूप से संयुक्त मतदाता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है। अतः मैं राजनीतिक चालबाजी में किसी भी प्रकार से हिस्सेदार नहीं बनूंगा जैसा कि आपके पत्र में प्रस्तावित है। मैं हिन्दू महासभा से अनुरोध करूंगा कि वे दलित वर्ग के लिए हिन्दूवाद एवं हिन्दू समाज में बने रहना आसान बनाएँ न कि किसी दूरस्थ गंतव्य पर उन्हें पहुंचाने का व्यवस्था में लग जाएं। जो प्रश्न आपने उठाया है उसमें बहुत बड़ी परिचर्चा होने की संभावना है। मैंने यह अधिकार अपने पास सुरखित रखा है कि जब भी अवसर आयेगा तो अपना उत्तर प्रकाशित कराऊंगा।

III

राजा का प्रत्युत्तर

श्री सी. राजगोपालाचारी द्वारा राय बहादुर राजा को लिखे पत्र में कहा है :

''मेरे पास आपकी टिप्पणी एवं अनुलग्नक हैं। मैंने पढ़ा है। उस सारे मामले को शैतानी प्रस्ताव कहना गलत होगा। मैं खुश हूँ आपने महात्माजी को पत्र भेजा था। मैं खुश हूँ आपने ऐसा प्रत्युत्तर दिया है और सरसरी तौर पर इस विचार को अस्वीकार कर दिया।''[1]

IV

डॉ. अम्बेडकर को राजभोज का प्रत्युत्तर

पूना समझौते के अंतर्गत मिलने वाले लाभ हिंदुवाद से मांगने वाले लोगों को नहीं मिलेंगे।

श्री पी.एन. राजभोग, हरिजन नेता एवं सचिव अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग ने डॉ. मुज्जे की योजना पर अपने बयान में कहा, पूना समझौते के लाभ हिन्दूवाद से भागने वाले जाना नहीं। पूना समझौते में हिन्दूवाद से धर्मान्तरण करने वाले लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और यदि हरिजन सम्प्रदाय का कोई व्यक्ति सिख या अन्य धर्म को अंगीकार करता है तो पूना समझौते के हस्ताक्षरकर्त्ताओं को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि समझौते के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ उस व्यक्ति को प्रदान कर सकें। श्री राजभोग ने इसके साथ ही कहा कि पूना समझौते का विशेष अभिप्राय दलित वर्गों के सदस्यों को अधिकतम रियायत देना है ताकि वे हिन्दू संघ के अभिन्न अंग बने रहें। यह रियायत उन पर लागू नहीं होगी जिन्होंने हिन्दू संघ को छोड़ दिया है या छोड़ रहे थे।

डॉ. अम्बेडकर ने समझौते के समय कभी धर्मान्तरण का प्रश्न नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि उनके विचार से अधिक रियायतें प्राप्त करने के लिए अब आवाज उठाई जा रही है।

---

1. द बॉंबे क्रॉनिकल्स : दिनांक 8 अगस्त, 1936।

तर्कसंगत निरर्थकता

बात को आगे बढ़ाते हुए श्री राजभोग ने पूछा कि यदि हिन्दुत्व से धर्मांतरित हुए नव–धर्मांतरितों को पूना समझौता के अधीन मिलने वाली सुविधायें दी जाएगी तो पुराने धर्मांतरितों को जो धार्मिक नहीं, राजनीतिक कारणों से सुविधा चाहते हैं। सुविधाओं की मांग क्यों नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी संख्या में दलित वर्ग हैं जिन्होंने अन्य धर्मों को स्वीकार किया है परन्तु हरिजन समुदाय से जुड़ी असमर्थताओं को अपने से अलग नहीं कर पाये हैं एवं उन्होंने मद्रास के कुछ हिस्सों में ईसाईयों के मामले का उल्लेख किया। जिन लोगों ने असुविधाजनक एवं कठिनाइयों में मेहनत कर रियायतें एवं सुविधायें प्राप्त की हैं वो उनको क्यों दिया जाए जो असुविधायें नहीं चाहते हैं परन्तु केवल अन्य लोगों की मेहनत का लाभ उठाना चाहते हैं।

पूना के नेता का कहना है, कि यह सूत्र एक दोषपूर्ण सूत्र है और इससे अत्यधिक समस्यायें एवं अन्तहीन संकट उत्पन्न होगी। इसे हिन्दुओं या किसी अन्य द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम हिन्दू हैं या हिन्दू नहीं हैं। यदि हम हिन्दू संघ में ही रहने का चुनाव करते हैं तो हम हिन्दू के रूप में अपने अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के हकदार हैं, यदि हम एक बार संघ को छोड़ देते हैं तो हम कोई दावा नहीं कर सकते हैं।

इस वक्तव्य का खंडन करते हुए कि पूना समझौता स्वीकार कर हिन्दुओं ने कोई त्याग नहीं किया है, श्री राजभोग ने कहा कि साम्प्रदायिक निर्णय के अनुसार दलित वर्ग को 71 सीटें देने की बजाय समझौते के अनुसार उन्हें 148 सीटें दी गई हैं। अपनी बात को समाप्त करते हुए श्री राजभोग ने दृढ़तापूर्वक कहा कि हरिजन समुदाय में धर्मान्तरण के प्रति किसी प्रकार का व्यापक आकर्षण नहीं है। महाराष्ट्र में भी केवल महार ही इस विचार के पक्ष थे परन्तु चमार किसी भी धर्मान्तरण का दृढ़ता से विराध्ध कर रहे थे। इस विचार के अन्य प्रान्तों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा था और वे हैरान थे कि हिन्दू नेता इसमें कैसे शामिल हैं।''[1]

---

1. दिनांक 15 अगस्त, 1936 : द बाँबे क्रांनिकल।

V

महात्मा गाँधी के विचार

महात्मा गांधी का श्री राजा को दिनांक 26 जुलाई, 1936 को लिखा गया पत्र :

''मुझे आपके डॉ. मुज्जे को लिखे गए पत्र पर सामान्य समर्थन देने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं डॉ. मुज्जे या डॉ. अम्बेडकर की स्थिति को बिल्कुल नहीं जानता। मेरे अनुसार अस्पृश्नीयता को समाप्त करने का प्रश्न अपनी एक विशेष दशा पर टिका हुआ है। मेरे लिए यह एक गंभीर धार्मिक प्रश्न है। हमारे धर्म का अस्तित्व पश्चाताप की भावना में सवर्ण हिन्दूओं द्वारा उसको स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने पर निर्भर करता है। मेरे लिए यह कभी भी आदान–प्रदान का मामला नहीं हो सकता है। और मैं खुश हूँ कि आप लगभग बात पर अडिग है जिस पर मैं हूँ (वार्षिक रजिस्टर खण्ड–II, जुलाई–दिसम्बर, 1936 पृष्ठ, 276–279)''[1]

VI

पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 1936 को राय बहादुर एम.सी. राजा को भेजा गया तार :– आपके डा. मुज्जे को लिखे पत्र की प्रतिलिपि के लिए धन्यवाद। मैं आपसे सहमत हूँ–ए.पी.[2]

---

1. खैरमोरे, खण्ड 6, पृष्ठ 191–193 ।
2. दिनांक 8 अगस्त, 1936, द बॉबे क्रॉनिकल।

VII

मुज्जे – राजा समझौता[1]

दलित वर्ग का विखंडन

महोदय, यद्यपि डॉ. मुज्जे[2] और हिन्दू महासभा हिन्दुत्व से अस्पृश्नीयता का कलंक मिटाने में और इस प्रकार हिन्दू संगठनों को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने में असमर्थ रहे हों, परंतु वे दलित वर्ग के एक नेता को इस बात के मद्देनजर अपने शिकंजे में लेने में सफल हुए हैं कि इन वर्गों के दर्जों में विभाजन कर दिया जाए। मुज्जे–राजा समझौते को कांग्रेस एवं महासभा की शाखाओं द्वारा समर्थन दिया जा रहा है तथा भोले–भाले नागरिकों को बताया जा रहा है कि समझौता अधिकांश दलित वर्ग द्वारा समर्थित है। वास्तव में मुज्जे–राजा समझौते की निन्दा देश में दलित वर्गों के लगभग सभी अधिकृत नेताओं एवं प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा की जा रही है। लेकिन कांग्रेस एवं महासभा की शाखाओं ने समझौते के संबंध में किए जा रहे कड़े विरोध को दबाने के लिए षडयंत्र रचा है।

यह राव बहादुर एम.सी. राजा थे, 1 जो अलग –अलग निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में थे जब कि डॉ. अम्बेडकर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों एवं सीटों के आरक्षण की वकालत कर रहे थे और श्री राजा और मद्रास प्रेजीडेन्सी में दलित वर्ग संगठन दबाव था कि डा. अम्बेडकर को अपना निजी दृष्टिकोण को छोड़ना होगा और गोल मेज सम्मेलन में अलग प्रतिनिधित्व के लिए मॉग करनी होगी। उन्हें अपनी मॉग के लिए श्री राजा से समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने कुछ सप्ताह पूर्व ही अपने भाषण में अपनी राय दी थी कि दलित वर्गों की दासता केवल अलग निर्वाचन क्षेत्र से ही समाप्त होगी। उसके इस नये ढकोसले से सभी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अन्य नेताओं एवं विभिन्न प्रान्तों में दलित वर्गों के उत्तरदायी संगठनों से परामर्श किये बिना हिन्दू महासभा के नेताओं के साथ संयुक्त निर्वाचन–क्षेत्रों एवं आरक्षित सीटों के लिए समझौता किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी नई नीति को उचित ठहराने के लिए कोई कारण नहीं

---

1. मुन्जे – राजा समझौता – राव बहादुर एम.सी. राजा, मद्रास के दलित वर्ग के एक नेता तथा डॉ. बी.एस. मुन्जे, हिंदु महासभा के अध्यक्ष ने दिल्ली में आरक्षित सीटों और संयुक्त निर्वाचन–क्षेत्रों के आधर पर विचार विमर्श किया था। उन्होंने एक समझौता किया, जिस राजा– मुन्जे समझौता के नाम से जाना जाता है।

2. डॉ. बी.एस. मुन्जे – वे हिंदु महासभा के अध्यक्ष थे तथा भारतीय गोल मेज सम्मेलन के सुखड़े, खण्ड 1, पृष्ठ 143–144।

बताया। इस तथ्य से कि डॉ. अम्बेडकर का जोरदार स्वागत किया जाना और हाल ही में मद्रास में ही हजारों लोगों द्वारा अलग प्रतिनिधित्व के लिए उनकी मांग का समर्थन किया जाना ही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि राव बहादुर राजा को अपनी स्वयं की प्रेजीडेन्सी में भी अधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। मताधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण भी निर्विवाद यह सिद्ध करते हैं कि दलित वर्ग का बहुमत भी अलग निर्वाचन–क्षेत्र के पक्ष में है।

बम्बई कांग्रेस एवं महासभा की शाखाओं ने कहा है कि श्री बी.जी. देवरूखकर ने मताधिकार समिति को मुज्जे – राजा समझौते के समर्थन में दलित वर्गों से संबंधित पाँच हजार से अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षारित ज्ञापन भेजा है। तथापि यह पाया गया है कि यह कुछ भी नहीं बल्कि एक कल्पना मात्र है। सच यह है कि मताधिकार समिति द्वारा जारी प्रश्नावली के कुछ उत्तरों को कुछ महत्त्वहीन नगण्य निकायों, जिनके सदस्यों की संख्या नगण्य है, के नाम से प्रेषित कर दिया गया है। श्री देवरूखकर केवल अपनी ओर से निवेदन कर रहे हैं और चमार समुदाय की उपजाति अर्थात् डाभोली चमार के कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र में कथित अस्पृश्नियों का छोटा सा अंश है, उनके साथ हैं।

हम कांग्रेस एवं महासभा के लोगों और दलित वर्गों में उनके मित्रों को चुनौती देते हैं कि सार्वजनिक सभा, जो विशेषकर इस उद्देश्य के लिए होती है, में अपना बहुमत साबित करें। जब तक वह ऐसा करने के लिए तैयार न हो तो कांग्रेस एवं महासभा की शाखाओं के दावों की अवहेलना की जाए जिसके वे पात्र हैं।

दिवाकर पगारे (महार)

के.जी. चन्दोरकर (चमार)1

————————

1. राव बहादुर एमसी राजा – दलित वर्ग के एक नेता, मद्रास निवासी अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष। मद्रास विधनपरिषद के सदस्य, सेंट्रल एसेम्बली के सदस्य।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
DR. AMBEDKAR FOUNDATION
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

☎ 23320571
23320589
23320576
FAX : 23320582

निदेशक
DIRECTOR

15, जनपथ,
15, JANPATH
नई दिल्ली - 110001
NEW DELHI-110001

दिनांक – 31.10.2019

रियायत नीति (Discount Policy)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले के नियमों के अनुसार CWBA वॉल्यूम के संबंध में रियायत नीति (Discount Policy) जारी रखें। तदनुसार, CWBA इंग्लिश वॉल्यूम (डिलक्स संस्करण–हार्ड बाउंड) के एक पूर्ण सेट की कीमत और CWBA हिंदी वॉल्यूम (लोकप्रिय संस्करण–पेपर बाउंड) के एक पूरे सेट की कीमत निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	सीडब्ल्यूबीए सेट	रियायती मूल्य प्रति सेट
	अंग्रेजी सेट (डिलक्स संस्करण) (वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 17)– 20 पुस्तकें।	रू 2,250 / –
	हिंदी सेट (लोकप्रिय संस्करण) (खंड 1 से खंड 40 तक)– 40 पुस्तकें।	रू 1073 / –

2. एक से अधिक सेट के खरीदारों को सेट की मूल लागत (Original Rates) यानी रू 3,000 / –(अंग्रेजी के लिए) और रू 1,430 / –(हिंदी के लिए) पर छूट मिलेगी जो कि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विशेष	मूल लागत पर छूट का प्रतिशत
	रू 1000 / – रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	10%
	रू 1001–10,000 / – रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	25%
	रू 10,001–50,000 / – रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	33.3%
	रू 50,001–2,00,000 / – रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	40%
	रू 2,00,000 / – से ऊपर की पुस्तकों की खरीद पर	45%

3. इच्छुक खरीदार प्रतिष्ठान की वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in पर विवरण के लिए जा सकते हैं। संबंधित CWBA अधिकारी / पीआरओ को स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष नंबर 011–23320588, पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (भाग–II)

खंड 22	बुद्ध और उनका धम्म
खंड 23	प्राचीन भारतीय वाणिज्य, अस्पृश्य तथा 'पेक्स ब्रिटानिका', ब्रिटिश संविधान भाषण
खंड 24	सामान्य विधि औपनिवेशिक पद, विनिर्दिष्ट अनुतोशविधि, न्यास–विधि टिप्पणियां
खंड 25	ब्रिटिश भारत का संविधान, संसदीय प्रक्रिया पर टिप्पणियां, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना–विविध टिप्पणियां
खंड 26	प्रारूप संविधान : भारत के राजपत्र में प्रकाशित : 26 फरवरी 1948
खंड 27	प्रारूप संविधान : खंड प्रति खंड चर्चा (9.12.1946 से 31.7.1947)
खंड 28	प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–5) (16.5.1949 से 16.6.1949)
खंड 29	प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–6) (30.7.1949 से 16.9.1949)
खंड 30	प्रारूप संविधान : भाग II (खंड–7) (17.9.1949 से 16.11.1949)
खंड 31	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग– I)
खंड 32	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग– II)
खंड 33	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (20 नवंबर 1947 से 19 मई 1951)
खंड 34	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (7 अगस्त 1951 से 28 सितंबर 1951)
खंड 35	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में
खंड 36	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में
खंड 37	डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : भाषण
खंड 38	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग–1 (वर्ष 1920 – 1936)
खंड 39	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग–2 (वर्ष 1937 – 1945)
खंड 40	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग–3 (वर्ष 1946 – 1956)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-129-5

रियायत नीति के अनुसार
सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-40
के 1 सेट का मूल्य : ₹ 1073/-

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
15, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट : http://drambedkarwritings.gov.in
ईमेल : cwbadaf17@gmail.com